# "CHANGES IN DIRECTION OF INDIA's FOREIGN TRADE DURING FIFTY YEARs OF INDEPENDENCE"

# आजादी के पचास वर्षों के दौरान भारतीय विदेशी व्यापार में दिशा परिवर्तन

डी० फिल्० उपाधि हेतु प्रस्तुत शोध - प्रबन्ध


शोध-निर्देशक

डॉ० ए० ए० सिद्दीकी

उपाचार्य

प्रस्तुतकर्ता

सत्येन्द्र कुमार सिंह


वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय

इलाहाबाद


2002

# प्राक्कथन

विश्व की अर्थव्यवस्था मे विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण स्थान है, जिन देशो को हम आज विकसित राष्ट्रो की श्रेणी मे रखते है उनका आर्थिक विकास भी विदेशी व्यापार के द्वारा ही सम्भव हो पाया है। आज के इस विशिष्टीकरण के युग मे कोई भी राष्ट्र स्वय अपने ससाधनो से अपना आर्थिक विकास नही कर सकता। सयुक्त राज्य अमेरिका जैसे धनी देश को भी अनेक वस्तुओ के लिए अन्य देशो पर निर्भर रहना पडता है। इसका मुख्य कारण अधिकाधिक अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण एव श्रम विभाजन की क्रियाएँ है। इस सम्बन्ध मे "एडम स्मिथ" ने ठीक ही लिखा है "प्रत्येक समझदार व्यक्ति की यह मान्यता है कि वह कोई भी ऐसी वस्तु घर पर नही बनावे जिसे वह बाजार से सस्ता खरीद सकता है"। एक देश को दूसरे देश के ऊपर कुछ विशिष्ट वस्तुओ के उत्पादन मे प्राप्त प्राकृतिक सुविधाएँ कभी–कभी इतनी अधिक होती है कि यह नि सन्देह कहा जा सकता है कि उसके उत्पादन के लिए किसी अन्य का सघर्ष करना व्यर्थ है।

भारत जैसे अल्पविकसित देश के लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का बहुआयामी प्रयोजन है। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रधान विशेषता आर्थिक विकास के निम्न स्तर है। यहाँ औद्योगिक विकास यद्यपि स्वतन्त्रता के बाद काफी हुआ है, परन्तु वृद्धि का दर और उसका प्रभाव अपर्याप्त है। औद्योगिक विकास कुछ ही क्षेत्रो मे केन्द्रित है कृषि तथा इससे सम्बन्धित उद्योग आज भी पिछडी हुई अवस्था मे है। प्रति व्यक्ति उत्पादकता कम है। वर्तमान मे असन्तुलन बना हुआ है। इसका मुख्य कारण प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर और भूमि सुधार का अल्प क्रियान्वयन है। यदि विकास की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर निगाह डाले तो इसकी भूमिका उत्साहवर्धक साबित होती है।

यद्यपि एक औपनिवेशिक राष्ट्र के रूप मे भारत का भरभूर आर्थिक और सामाजिक शोषण हुआ है, ऐसे मे किसी भी देश के बहुमुखी विकास मे इतिहास के अनुशीलन का काफी महत्व होता है और उससे भूल सुधार एव और बेहतर करने का मौका मिलता है। इसी को ध्यान मे रखते हुए शोध कार्य प्रस्तुत है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विभिन्न नियमो के अनुशीलन के पश्चात् भारत के सदर्भ मे उसकी विशिष्टताओ को दृष्टिगत करते हुए यह उचित प्रतीत होता है कि उसे अपने कृषि क्षेत्र के विकास सम्भाव्यता की ओर तीव्र गति से बढने के पश्चात् ही व्यापार की

सरचना या निर्यात की सरचना सीमा ओर दिशा मे यथोचित और द्रुतगति से विस्तार किया जा सकेगा, परन्तु इसका तात्पर्य यह नही कि मात्र कृषिगत निवेश और विकास से ही हम अपने लक्ष्य की पूर्ति कर लेगे। यह सही है कि निर्यात की सम्भावना कृषि क्षेत्र मे ज्यादा है, परन्तु इस सन्दर्भ मे व्यपार की शर्त प्राय प्रतिकूल ही रहती है, जिसके कारण बहुत ज्यादा निर्यात के बावजूद भी निर्यात मूल्य कम ही रहता है, जबकि औद्योगिक उत्पादो के सन्दर्भ मे इसके विपरीत स्थिति होती है। इसलिए जरूरत एक सन्तुलित व्यापार और विकास नीति की होती है।

वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था मे व्यापार बढाने की सम्भावनॉ बहुत ज्यादा हो गयी है। जरूरत है तो दृढसकल्प शक्ति, त्वरित कार्यवाही, प्रशासनिक गतिशीलता, प्रोत्साहन मूलक नीति और सही विषय की ओर दिशा तलाशने की। जबकि सभी राष्ट्र एक दूसरे के नजदीक आ रहे है। क्षेत्रीयता का स्थान सकुचित हो रहा है। नये–नये आर्थिक सगठन बन रहे है। सबका उद्देश्य अपने–अपने व्यापारिक नीति का प्रयोग अधिकतम लाभ उठाने का है, तो इस परिस्थिति मे भारत भी अपने पडोसी देशो तथा अन्य सहयोगी राष्ट्रो के साथ मिलकर व्यापारिक गतिशीलता बढाते हुए बेरोजगारी और गरीबी दूर करने के लिए आवश्यक ससाधन और तकनीक प्राप्त कर सकता है। यद्यपि यह सही है कि अन्तत इनसे सम्बन्धित कार्यक्रमो के लिए आन्तरिक ससाधनो पर ही निर्भर रहना पडता है, फिर भी ससाधनो की कमी की वजह से अन्य देशो से मदद लेना ही पड जाता है। आधुनिक युग मे भारतीय अर्थव्यवस्था मे विदेशी व्यापार की महत्वपूर्ण भूमिका है। आजादी के पश्चात् इसमे होने वाले परिवर्तनो को दृष्टिगत करते हुए, प्रस्तुत शोध कार्य सम्पन्न किया गया है।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध की पूर्णता मे विश्वविद्यालय की जनरल लाइब्रेरी, अर्थशास्त्र की विभागीय लाइब्रेरी, लोकसभा, नई दिल्ली की लाइब्रेरी से महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त हुई है। इसके लिए मै वहॉ के अधिकारियो एव कर्मचारियो का ह्रदय से आभारी हूॅ।

शोध प्रबन्ध के निर्देशक, डॉ0 ए0ए0 सिद्दीकी ने अपनी अस्वस्थता, पारिवारिक समस्याओ एव अत्यन्त व्यस्तता के बावजूद समय–समय पर मार्गदर्शन किया। यह शोध प्रबन्ध परम श्रद्देय गुरू प्रवर के आशीर्वाद का परिणाम है। मै उनके प्रति आभार किन शब्दो मे व्यक्त करू । **कबीर दास जी ने कहा है कि – क्या दू गुरू सतोषिये, हौंस रही मनमाहि ।**

चूँकि विषय बिल्कुल समसामयिक है, अत उस पर कार्य करने का प्रोत्साहन देने वालो मे मेरे निर्देशक के अतिरिक्त परम पूज्य डॉ0 ब्रह्मानन्द सिह, उपाचार्य, भूगोल विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद का है। मै उनको कैसे आभार व्यक्त करू। मेरे पास शब्द ही नही है, क्योकि मै आज जो कुछ भी हूँ वह सब कुछ इन्ही के सहयोग से सम्भव हो सका है। इन्होने ही मुझे इस योग्य बनाया कि आज मै शोध प्रबन्ध प्रस्तुत कर पा रहा हूँ तथा यदा–कदा की गई उनसे उक्त विषय सम्बन्धी बातचीत ने शोध कार्य मे मेरी काफी सहायता की।

मै वाणिज्य विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के उन सभी गुरूजनो के प्रति, विशेष रूप से अपने विभागाध्यक्ष प्रो0 के0एम0 शर्मा तथा सकायाध्यक्ष प्रो0 पी0एन0 महरोत्रा, प्रो0 जगदीश प्रकाश, पूर्व विभागाध्यक्ष एव पूर्व कार्यवाहक कुलपति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रो0 एस0 ए0 अन्सारी, प्रो0 पी0सी0 शर्मा, प्रो0 एस0पी0 सिह, डॉ0 जे0एन0 मिश्र, डॉ0 जे0के0 जैन, डॉ0 एच0के0 सिह, डॉ0 आर0एस0 सिह के प्रति अपना हार्दिक अभिवादन एव कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ , जिनका आशीर्वाद एव सहयोग मुझे सदैव प्राप्त होता रहा है।
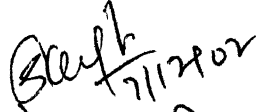
प्राक्कथन का समापन करने से पूर्व मै अपने पूज्यपाद प्रात स्मरणीय श्री जगबहादुर सिह को सादर नमन करता हूँ जिनका विराट व्यक्तित्व मुझे हमेशा सघर्षरत रहने की प्रेरणा देता रहा है, मेरी ममतामयी मॉ श्रीमती दुलारी देवी का स्नेह एव आशीर्वाद ही है जो मुझे आगे बढने की प्रेरणा देता रहा है। अपने दोनो अग्रजो के विषम परिस्थितियो मे भी सघर्षरत रहने की प्रेरणा, मुझे इस लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए प्रेरित करता है, परन्तु आज मै जिस मुकाम पर हूँ वहॉ तक पहुँचाने मे सर्वाधिक योगदान मेरे चाचा श्री भानु प्रताप सिह एव चाची स्व0 श्रीमती गोदावरी देवी का है। बचपन से पिता जी के स्वर्गवास के पश्चात् इनके लालन–पालन ने ही मुझे इस लायक बनाया और इन्ही के कन्धो पर बैठकर घुमते हुए, मै यहॉ तक पहुँचा। निराशा एव सकट की घडी मे दीदी श्रीमती सुमति सिह के योगदान और सहयोग से ही शोध पूर्णता को प्राप्त किया। शोध कार्य की पूर्णता हेतु मेरे श्वसुर श्री राजबहादुर सिह का जिन्होने मेरी अधिकाश जिम्मेदारियो को अपने ऊपर ले लिया, का महत्वपूर्ण योगदान है, मै इनका भी अभारी हूँ। प्रो0 शिव शंकर वर्मा, आचार्य, भूगोल विभाग, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर का भी विशेष रूप से आभारी हूँ जिनकी प्रेरणा से यह शोध प्रबन्ध अल्प समय मे पूरा हुआ।

पत्नी श्रीमती पूनम सिह ने इस गुरूत्तर कार्य को सम्पादित करने मे पूर्ण सहयोग दिया, जो मेरे दो पुत्रो कुमार पुनतेश व कुमार आदित्य के साथ रहकर उनका विधिवत पालन–पोषण, अपनी पढायी करते हुए मुझे घरेलू समस्याओ की भनक तक नही लगने दी। इसके अतिरक्त अपने छोटे भाई श्री जितेन्द्र प्रताप सिह एव दिनेश प्रताप राव का भी आभारी हूँ जिन्होने इस शोध प्रबन्ध की पूर्णता मे पुनर्लेखन का कार्य किया।

श्री अशोक कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक, कुशीनगर एव प्राचार्य श्री शिवदत्त नारायण सिह के साथ विद्यालय के अपने अन्य सहयोगी अध्यापक श्री हरिबल्लभ सिह, श्री कमलेश प्रताप सिह, श्री शिवनाथ सिह, श्री उमेश उपाध्याय, श्री वीरेन्द्र शर्मा श्री जय कृष्ण सिह व श्री नागेन्द्र उपाध्यय व मित्रगण श्री मनोज कुमार द्विवेदी, श्री राज कुमार द्विवेदी, श्री सुधीर कुमार, श्री मनीष कुमार सिह, अनिल कुमार सिह, सर्वेश सिह का भी सह्रदय आभारी हूँ।

अन्त मे मै श्री महेन्द्र प्रसाद निराला, कनिष्ठ आशुलिपिक, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद व श्री देवेन्द्र कुमार, को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होने शोध प्रबन्ध के टकण का कार्य अतिशीघ्र पूर्ण करने मे सहयोग प्रदान किया। मै उन सभी सस्थाओ, पुस्तकालयो तथा व्यक्तियो के प्रति आभार प्रकट करता हूँ जिन्होने विविध प्रकार से प्रत्यक्ष एव अप्रत्यक्ष रूप से शोधकर्ता को सहायता प्रदान करके शोध प्रबन्ध को पूर्ण करने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभायी।

**दिसम्बर – 2002**

7/12/02

सत्येन्द्र कुमार सिह

# विषय–सूची


| | पृष्ठ सख्या |
|---|---|
| प्राक्कथन | I - IV |
| तालिका सूची | VI - VII |
| **अध्याय – 1** | |
| भूमिका | 1 – 16 |
| **अध्याय – 2** | |
| आजादी के समय विदेशी व्यापार की स्थिति | 17 – 36 |
| **अध्याय – 3** | |
| विभिन्न आयात–निर्यात नीतियॉ एव हमारा विदेशी व्यापार | 37 – 101 |
| **अध्याय – 4** | |
| विदेशी व्यापार से सम्बन्धित विभिन्न सस्थाओ की स्थापना | 102 – 137 |
| **अध्याय – 5** | |
| क्षेत्रीय व्यापार सहकारिता एव विदेशी व्यापार | 138 – 217 |
| **अध्याय – 6** | |
| स्वतन्त्रता के पचास वर्षो के दौरान हमारा विदेशी व्यापार तथा हाल के उदारीकरण कार्यक्रम एव उनका प्रभाव | 218 – 289 |
| **अध्याय – 7** | |
| निष्कर्ष एव सुझाव | 290 – 305 |
| सदर्भ ग्रथ | 306 – 314 |

# तालिका सूची


| क्र0स0 | तालिका–स0 | शीर्षक | पृ0स0 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 1 | आजादी के पूर्व विदेशी व्यापार की सरचना | 21 |
| 2 | 2 2 | आजादी के समय भारत का विदेशी व्यापार | 22 |
| 3 | 2 3 | आजादी के समय भारतीय निर्यातो का ढॉचा | 23 |
| 4 | 2 4 | आजादी के समय भारतीय आयातो का ढॉचा | 25 |
| 5 | 2 5 | प्रथम योजना काल मे भारत के प्रमुख आयात | 28 |
| 6 | 2 6 | प्रथम योजना काल मे भारत के प्रमुख निर्यात | 29–30 |
| 7 | 2 7 | आजादी के समय प्रमुख देशो से होने वाले भारत के आयात | 31 |
| 8 | 2 8 | आजादी के समय प्रमुख देशो से होने वाले भारत के निर्यात | 32 |
| 9 | 2 9 | भारत का व्यापार शेष | 33 |
| 10 | 2 10 | आजादी के समय भारत का विश्व व्यापार मे भाग | 35 |
| 11 | 5 1 | दक्षेस शिखर सम्मेलन कब और कहॉ | 173 |
| 12 | 5 2 | जी–15 शिखर सम्मेलन कब और कहॉ | 187 |
| 13 | 5 3 | विश्व के प्रमुख व्यापारिक एव आर्थिक गुट | 191–195 |
| 14 | 5 4 | विश्व व्यापार सगठन के मन्त्रियस्तरीय सम्मेलन कब और कहॉ | 196 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15 | 5 5 | यूरो की एक इकाई का विभिन्न मुद्राओ मे मूल्य | 212 |
| 16 | 5 6 | ऐपेक शिखर सम्मेलन कब और कहॉ | 214 |
| 17 | 6 1 | आजादी के पश्चात भारत का विदेशी व्यापार | 219—220 |
| 18 | 6 2 | आजादी के प्रथम दशक मे विदेशी व्यापार | 222 |
| 19 | 6 3 | साठ के दशक मे विदेशी व्यापार की स्थिति | 223 |
| 20 | 6 4 | सत्तर के दशक मे विदेशी व्यापार की स्थिति | 225 |
| 21 | 6 5 | अस्सी के दशक मे विदेशी व्यापार की स्थिति | 226 |
| 22 | 6 6 | नब्बे के दशक से विदेशी व्यापार की स्थिति | 229 |
| 23 | 6 7 | निर्यात—आयात की मुख्य वस्तुऍ | 231—234 |
| 24 | 6 8 | भारतीय आयातो की सरचना | 238 |
| 25 | 6 9 | तीव्रता से बढने वाली आयात वस्तुऍ | 239—240 |
| 26 | 6 10 | भारतीय निर्यातो की सरचना | 245 |
| 27 | 6 11 | तीव्रता से बढने वाली निर्यात वस्तुऍ | 247 |
| 28 | 6 12 | भारत के आयातो पर टैरिफ भिन्न बाधाओ की किस्मे | 257 |
| 29 | 6 13 | भारत के प्रमुख कृषि उत्पादो का निर्यात | 264—265 |
| 30 | 6 14 | कृषि आयात | 271 |
| 31 | 6 15 | आयात व्यापार की दिशा | 275—276 |
| 32 | 6 16 | निर्यात व्यापार की दिशा | 281—282 |

# अध्याय–1

अध्याय – 1

# भूमिका

विदेशी व्यापार का महत्व आज के युग मे सभी राष्ट्रो के लिए होता है, चाहे वह विकसित राष्ट्र हो, विकासशील अथवा अविकसित। प्रत्येक देश कुछ विशेष भौतिक एव मानवीय ससाधनो से सम्पन्न होता है, और वह कुछ ही वस्तुएँ अच्छी व सस्ती उत्पादित कर सकता है। उन वस्तुओ का वह प्रचुर मात्रा मे उत्पादन करके विदेशो मे बेच देता है और बदले मे अपनी आवश्यकता की वस्तुएँ आयात कर लेता है, इससे दोनो देशो को लाभ होता है और वे एक दूसरे पर आश्रित हो जाते है। इससे विश्व बन्धुत्व की भावना एव सहयोग को बल मिलता है। चूँकि हमारा देश विकासशील राष्ट्र है और एक अल्प विकसित राष्ट्र के लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व बहुत ही अधिक होता है। उनके सम्मुख विद्यमान निर्धनता के दुश्चक्र को तोडने हेतु पूँजी निर्माण की आवश्यकता की पूर्ति व आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने मे एक महत्वपूर्ण श्रोत के रूप मे उसके विदेशी व्यापार उल्लेखनीय भूमिका अदा कर सकते है। वर्तमान मे हमारी अर्थव्यवस्था की चुनौतिया एक चिन्ता का विषय है, इस स्थिति से उबरने के लिए विश्व व्यापार मे भारत का प्रतिशत बढाना आवश्यक है, ताकि आर्थिक विकास की गति को तीव्र किया जा सके।

## विदेशी व्यापार की आवश्यकता :–

वर्तमान समय मे विश्व की अर्थव्यवस्था मे विदेशी व्यापार का एक महत्वपूर्ण स्थान है। जिन देशो को हम आज विकसित राष्ट्रो की श्रेणी मे रखते है उनका आर्थिक विकास भी विदेशी व्यापार के द्वारा ही सम्भव हो पाया है। आज के इस विशिष्टीकरण के युग मे कोई भी राष्ट्र स्वय अपने साधनो से अपना आर्थिक विकास नही कर सकता। सयुक्त राज्य अमरीका जैसे धनी देशो को भी अनेक वस्तुओ के लिए अन्य देशो पर निर्भर रहना पडता है। इसका मुख्य कारण अधिकाधिक अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण एव श्रम विभाजन की क्रियाएँ है। विशिष्टीकरण से तात्पर्य है कि प्रत्येक देश उसी वस्तुओ का उत्पादन करता है जिसके लिए उसके प्राकृतिक साधन, पूँजी तथा श्रम आदि बाते दूसरे देशो की अपेक्षा अच्छी है, अर्थात जिनकी उत्पादन लागत निम्नतम होती है। इस प्रकार कम लागत वाली वस्तुओ के उत्पादन मे विशिष्ठता प्राप्त करके

उसका निर्यात करता है एव उन वस्तुओ का आयात करता है जिनका उत्पादन देश मे महगा पडता है। इस सम्बन्ध मे "एडम स्मिथ" ने ठीक ही लिखा है ''प्रत्येक समझदार व्यक्ति की यह मान्यता है कि वह कोई भी ऐसी वस्तु घर पर नही बनावे जिसे वह बाजार से सस्ता खरीद सकता है।'' एक देश को दूसरे देश के ऊपर कुछ विशिष्ट वस्तुओ के उत्पादन मे प्राप्त प्राकृतिक सुविधाएँ कभी–कभी इतनी ज्यादा होती है कि यह नि सन्देह कहा जा सकता है कि उसके उत्पादन के लिए किसी अन्य का सघर्ष करना व्यर्थ है। उदाहरणार्थ खाद डालकर तैयार की गयी भूमि तथा कृत्रिम गर्म दीवारो के प्रयोग से स्काटलैण्ड मे अच्छी किस्म का अगूर पैदा किया जा सकता है और उसकी बहुत अच्छी शराब बनायी जा सकती है। किन्तु विदेश से आयात की गयी उतनी ही अच्छी मदिरा पर करीब तीस गुना व्यय होगा। ऐसी स्थिति मे क्या यह तर्क सगत होगा कि फ्रास मे भी बनी हुई मदिरा तथा स्पेन की बनी हुई शराब को स्काटलैण्ड मे बनने के लिए प्रोत्साहन के उद्देश्य से समस्त विदेशी शराब के आयात पर रोक लगा दी जाय? जब तक एक देश को वे सुविधाएँ प्राप्त है और दूसरा देश उन्हे चाहता है तो दूसरे प्रकार के देश के लिए स्वय बनाने की अपेक्षा प्रथम प्रकार के देश से आयात करना हमेशा लाभप्रद होगा। यह एक अर्जित सुविधा है जो एक शिल्पी को अपने पडोसी, जो अन्य व्यवसाय करता है के ऊपर प्राप्त है। फिर भी दोनो के लिए यह लाभप्रद होगा कि वे उन वस्तुओ को खरीदे जिसका सम्बन्ध उनके व्यवसाय से नही है।

विदेशी व्यापार अधिक मनुष्यो को जीने की अनुमति देता है, विभिन्न रूचियो को प्रदान करके जनता को उच्च जीवन स्तर का आनन्द देता है, जो शायद उसकी अनुपस्थिति मे सम्भव नही होता। इस प्रकार विदेशी व्यापार से सभी उपभोक्ताओ को अच्छी एव सस्ती वस्तुएँ प्राप्त हो जाती है और विदेशी व्यापार स्वतन्त्र प्रतियोगिता को जन्म देता है तथा एकाधिकरात्मक प्रवृत्ति से उपभोक्ता के शोषण की रक्षा करता है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता का एक पहलू यह भी है कि वह देश के प्राकृतिक साधनो का पूर्ण उपयोग करने मे भी सहायक होता है। क्योकि प्रत्येक देश केवल उन्ही वस्तुओ के उत्पादन मे अपने साधनो को लगाता है जिनमे उसका तुलनात्मक लाभ अधिकतम होता है, जैसे अल्पविकसित देशो मे कृषिगत वस्तुओ एव कच्चे माल की बहुतायत होती है, अत ये देश उन वस्तुओ का निर्यात करके अन्य देशो से बनी हुई वस्तुओ का आयात करते है। इस प्रकार आयात एव निर्यात से प्रत्येक देश को लाभ प्राप्त होता है तथा जिन वस्तुओ का उत्पादन सम्भव नही हो पाता है उन्हे विदेशो से आयात करके उपभोग किया जा सकता है।

स्वतन्त्र विदेशी व्यापार से प्रत्येक देश को उन्नति करने का समान अवसर प्राप्त होता है सभी देश विश्व–बाजार मे अपने माल का क्रय–विक्रय कर सकते है। विदेशी व्यापार की सहायता से कोई भी राष्ट्र अपने उद्योग–धन्धो से सम्बन्धित कच्चे माल, मशीनरी, तकनीकी ज्ञान आदि का आयात करके वस्तुओ के निर्माण द्वारा औद्योगीकरण को प्रोत्साहित करता है।

विदेशी व्यापार आर्थिक सकट के समय मे सहायक होता है। प्राकृतिक एव आर्थिक सकट जैसे बाढ, भूकम्प, अकाल, युद्ध आदि के समय मे आवश्यक वस्तुओ की पूर्ति हेतु विदेशी व्यापार आवश्यक है।

विदेशी व्यापार से आर्थिक एव राजनैतिक स्थिरता को भी प्रोत्साहन मिलता है इसके फलस्वरूप विश्व शान्ति उत्पन्न होती है। राजनैतिक स्तर पर सुलह होने से आपसी सद्भाव मे वृद्धि होने के साथ–साथ आयात एव निर्यात को भी प्रोत्साहन मिलता है। इससे विदेशी व्यापार मे वृद्धि होती है। विभिन्न देशो के बीच विदेशी व्यापार बढने से एक देश के नागरिक दूसरे देश के नागरिको के सम्पर्क मे आते है। इसके फलस्वरूप सास्कृतिक सम्पर्कों मे वृद्धि होती है तथा एक दूसरे राष्ट्र के रीति–रिवाज, आचार–विचार आदि का आदान–प्रदान सम्भव हो जाता है, इससे विश्व सहयोग एव विश्व एकता मे वृद्धि होती है।

## विदेशी व्यापार का अध्ययन :–

विदेशी व्यापार का अर्थ उस व्यापार से होता है जो एक देश की सीमाए पार कर जाता है। विदेशी व्यापार मे आयात एव निर्यात दोनो को सम्मिलित किया जाता है। आयात से तात्पर्य विदेशो से माल मगाना है तथा निर्यात से तात्पर्य विदेशो को सामान बेचना है। आज के युग मे यातायात एव सचार के साधनो की उपलब्धता, मितव्ययिता एव सुरक्षा के कारण एक देश अपने उत्पादो को विश्व के कोने–कोने मे बेचता है। स्वतन्त्रता के बाद से भारत का विदेशी व्यापार विभिन्न मोडो से होकर गुजरा है। द्वितीय विश्व–युद्ध से पूर्व भारत ने निर्यात–नियन्त्रण की नीति अपनाई थी, लेकिन स्वतन्त्रता के बाद यह आवश्यक हो गया कि निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए प्रयास किया जाय। 1947 के बाद निर्यात व्यापार का मुख्य उद्देश्य प्रसारवादी दशाओ को रोकना और विदेशी मुद्रा अर्जित करना बन गया।

"1947 के बाद भारत के निर्यात व्यापार मे अनेक परिवर्तन हुए है। देश की अर्थव्यवस्था को उचित आधार प्रदान करने के लिए देश के निर्यातो को बढाने की दिशा मे विभिन्न प्रयास किये गये। भारत के निर्यात व्यापार मे किये गये इन परिवर्तनो के लिए अनेक कारण उत्तरदायी है। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद विभिन्न कठिनाइयो तथा समस्याओ ने भारतीय व्यापार को अवरुद्ध

कर दिया। यातायात की कठिनाइयाँ, कच्चे माल तथा रसायनो का अभाव, विदेशी विनिमय सम्बन्धी बाधाये और सरकारी नियत्रण का बाहुल्य आदि के कारण निर्यात व्यापार की मात्रा घट गई। स्वतत्रता के बाद व्यापार की मात्रा मे वृद्धि करना परमावश्यक बन गया। क्योकि ऐसा करके ही आयातो की बढती हुई आवश्यकता को पूरा किया जा सकता था।"[1]

निर्यातो की मात्रा मे वृद्धि के कई कारण है। सरकार निर्यातो को बढाने के लिए विभिन्न प्रेरणाएँ प्रदान करती है। सरकार द्वारा निर्यात उद्योगो को आयात की अनेक सुविधाएँ प्रदान की जाती है। चाय, आदि विभिन्न वस्तुओ पर निर्यात करो की मात्रा कम कर दी गयी है। पहले जो तेल, तिलहन तथा खली के निर्यात पर परिमाणात्मक प्रतिबन्ध लगे हुए थे उन्हे अब समाप्त कर दिया गया है । जो चीजे निर्यात की वस्तुओ को बनाने के काम आती है उन पर से करो को या तो हटा दिया गया है अथवा कम कर दिया गया है। 1962–63 मे देश मे जूट का उत्पादन अधिक हुआ तथा विदेशी मडियो मे उसकी माग अधिक रही। जिसके परिणामस्वरूप जूट से बनी हुई वस्तुओ का निर्यात अधिक किया गया। उस वर्ष हथकर्घे के कपडे का निर्यात बढा और चाय का घटा।

1963 मे निर्यात को बढावा देने के लिए विभिन्न प्रयास किये गये। विभिन्न वस्तुओ के निर्यात पर से पाबन्दियो को हटाया गया। कपास, खली तथा हथकर्घों का कपडा आदि विषयो पर निर्यात के नियताश को बढाया गया। निर्यात सम्बन्धी प्रचार और प्रसार के लिए विभिन्न उपाय किये गये वस्तुओ की किस्म पर नियन्त्रण रखा जाने लगा। जहाज मे माल लादने से पूर्व वस्तुओ का निरीक्षण करने के लिये कानून बनाया गया। खनिज तथा धातु व्यापार निगम की स्थापना की गई, जिनका कार्य सरकारी व्यापार की देख–रेख करना था। विभिन्न वस्तुओ के लिए 'निर्यात प्रोत्साहन परिषद' बनाई गई और रेलवे द्वारा यह घोषणा की गई कि इजीनियरिंग उद्योग के 65 वस्तुओ के भाडे मे 25 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

अवमूल्यन का प्रभाव भी निर्यात की मात्राओ पर पर्याप्त पडा। रूपये का अवमूल्यन करते समय सरकार ने आयात अधिकार और कर प्रत्यय प्रमाण पत्र योजना तथा सीधी राज्य सहायताओ को बन्द कर दिया जो निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए प्रारम्भ की गई थी। रूपये का अवमूल्यन निर्यातो के लिए अधिक लाभकारी रहेगा क्योकि कोई भी निर्यात–कर्ता विदेशी

---

[1] डा0 डी0 एन0 गुर्टू– अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, कालेज बुक डिपो, जयपुर 1971–72, पृष्ठ–471

मुद्रा की किसी भी राशि के बदले रूपयो की दृष्टि से 595 प्रतिशत अधिक रकम पा सकता था।

"आर्थिक विकास की प्रक्रिया मे किसी भी विकासशील देश को किसी न किसी कारणो से विदेशी विनिमय की समस्या का सामना करना पडता है जिसके निम्न सम्भावित कारण हो सकते है–

(A) विदेशी माग की प्रतिकूल दशाएँ।

(B) अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रो मे असन्तुलन और ढॉचे की कठोरताएँ।

(C) आर्थिक सहायता व नीतियो के सही कार्यान्वयन का अभाव।

यदि विदेशी सहायता पर्याप्त रूप से उपलब्ध नही होती तो विदेशी विनिमय के सकट को दूर करने के लिए इन देशो के पास दो विकल्प रह जाते है।

(I) आयात प्रतिस्थापन के माध्यम से आयातो मे कमी।

(II) निर्यातो को प्रोत्साहन देकर उनसे अर्जित आय मे वृद्धि।

अल्प–विकसित देशो को आर्थिक विकास के लिए निरन्तर अधिक आयातो की आवश्यकता होती है, अत आयातो को कम नही किया जा सकता। इस स्थिति मे केवल एक ही उपाय रह जाता है, कि निर्यात को बढाया जाय। निर्यात अपने आप मे लक्ष्य नही है वरन् ऐसा माध्यम है जिससे विदेशी मुद्रा मिलती है जिससे हम आयातो का भुगतान कर सकते है। निर्यातो से अर्जित आय का आर्थिक विकास की गति से निकटतम सम्बन्ध है।

## विदेशी व्यापार का महत्व .–

विदेशी व्यापार के महत्व को जानने के लिए हमे उसके लाभो पर दृष्टिपात करना पडेगा। विदेशी व्यापार से विनिमय के दोनो पक्षो को लाभ होता है। इससे औसत उत्पादन लागत मे कमी करके लाभ प्राप्त करने के साथ विशिष्टीकरण के सभी लाभो को प्राप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार घरेलू व्यापार मे विनिमय का कार्य दोनो पक्षो की आवश्यकताओ को पूरा करना है उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न राष्ट्रो के हितो की पूर्ति करता है। अत विदेशी व्यापार के अध्ययन का महत्व उसके लाभो की जानकारी मे निहित है।

विदेशी व्यापार अल्पविकसित राष्ट्रो की समस्याओ का समाधान प्राप्त करने मे महत्वपूर्ण योगदान देता है। इतिहास इस बात का गवाह है कि विश्व के विकसित देशो के आर्थिक

विकास मे विदेशी पूॅजी तथा श्रम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। अल्प विकसित देशो को आवश्यक मात्रा मे विदेशी पूॅजी एव तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराकर उनके आर्थिक विकास की दर मे वृद्धि की जा सकती है। इसके अध्ययन से हमे ज्ञात होता है कि विश्व के देशो की अनेक समस्याएॅ अर्न्तराष्ट्रीय सहयोग द्वारा हल की जा सकती है। इस बात को ध्यान मे रखकर ही विश्व के विभिन्न देशो ने मिलकर अनेक अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओ जैसे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैक, गैट (अब WTO), अकटाड, आदि का निर्माण किया है। विशेष रूप से आर्थिक क्षेत्र मे इन सभी सस्थाओ का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विदेशी व्यापार के महत्व को हम निम्न बिन्दुओ के माध्यम से अधिक स्पष्ट कर सकते है।

(1) <u>नये–नये उद्योग धन्धो को प्रोत्साहन</u> :– निर्यात से प्रोत्साहन पाकर देश मे नये–नये उद्योग धन्धो का विकास होता है। जिससे देश मे रोजगार एव आय अर्जन के अवसर बढते है और सम्पन्नता आती है।

(2) <u>आयात के लिए आवश्यक</u> .– किसी देश के लिए आवश्यक सभी वस्तुओ एव ससाधनो का उत्पादन सम्भव नही है अथवा कठिन है। अत उन चीजो का विदेशो से आयात आवश्यक होता है। यदि एक देश निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा का अर्जन नही करता, तो वह अपनी आवश्यक वस्तुओ का आयात भी नही कर सकेगा।

(3) <u>बड़ी मात्रा मे उत्पादन</u> – एक देश अपना सारा ध्यान उन्ही वस्तुओ के उत्पादन पर केन्द्रित कर सकता है जो वहॉ प्रकृति की देन के कारण सुगमता से पैदा की जा सकती है। इससे उत्पादन विधि मे सुधार, विशिष्टीकरण एव श्रम विभाजन तथा अनावश्यक व्ययो का अन्त होता है। बृहत उत्पादन की अन्य मितव्ययिताएॅ भी आती है। अत अतिरिक्त माल का निर्यात बडी मात्रा मे उत्पादन के लाभ को सम्भव बनाता है।

(4) <u>अतिरिक्त उत्पत्ति का अच्छे मूल्यो पर विक्रय</u> – निर्यात के द्वारा एक देश प्रचुर मात्रा मे किसी वस्तु का उत्पादन करके उसे विदेशी बाजार मे बेच सकता है। इससे एक ओर उत्पादन लागत गिरती है और दूसरी ओर उसका अधिक लाभकारी मूल्य प्राप्त हो जाता है।

(5) <u>प्राकृतिक साधनो का अधिकतम प्रयोग</u> .– आयात एव निर्यात के कारण प्रत्येक देश अपने प्राकृतिक साधनो का अधिकतम उपयोग एव विकास करने मे समर्थ होता है। एक देश उन्ही वस्तुओ के उत्पादन एव निर्माण पर सबसे अधिक ध्यान देता है, जिनसे उसे न्यूनतम लागत एव अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। ऐसी वस्तुओ का निर्यात करके वह अपनी अन्य वस्तुओ का आयात कर सकता है।

(6) <u>उपभोक्ताओ को लाभ</u> — विश्व के उपभोक्ताओ को अच्छे और सस्ते उत्पादो को उपभोग करने का अवसर मिलता है। विश्व एकाधिकार की भावना समाप्त होती है। विश्व के मूल्यो मे एकरूपता और स्थायित्व आता है और विश्व के उपभोक्ताओ का रहन—सहन का स्तर ऊँचा उठता है।

(7) <u>सभ्यता का प्रतीक</u> .— विदेशो से आयात एव निर्यात के कारण दो देशो के निवासी एक दूसरे के सम्पर्क मे आते है। इससे पारस्परिक ज्ञान, कला, सभ्यता और सस्कृति का दो देशो मे आदान—प्रदान बढता है। दो देशो के बीच मित्रता, सहयोग एव सद्भावना का विकास होता है। आर्थिक दृष्टि से पिछडे देशो को आगे बढने का अवसर मिलता है और इस तरह अन्तर्राष्ट्रीय सभ्यता एव भाईचारे का विकास होता है।

(8) <u>अन्य</u> —

(I) यातायात सचार एव उत्पादन तकनीको मे सुधार।

(II) कुशलता मे बृद्धि।

(III) विदेशी मुद्रा का अर्जन।

(IV) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एव शान्ति।

(V) मूल्यो मे स्थायित्व।

(VI) सकटकालीन सहायता।

(VII) विदेशी भ्रमण का अवसर आदि।[-1]

स्वतन्त्रता के पश्चात भारत मे आत्मनिर्भरता की जो सकल्पना स्वीकार की गयी उसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता देश के वाह्य सतुलन को बनाये रखना है, जिसकी प्राप्ति हेतु आयात पर निर्यात मूल्यो की अधिकता अति आवश्यक बन जाता है। विदेशी व्यापार के इसी महत्व के कारण निर्यात की सरचना, दिशा, सम्वर्द्धन के उपाय, व्यापार शर्त और इस सन्दर्भ मे सरकार की भूमिका से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण समस्याये उभर कर सामने आती है। जिसके समाधान के लिए आवश्यक सिद्धान्तो, नियमो और उपायो का अन्वेषण और व्यावहारिक उपयोग की जरूरत होती है।

---

[1] जे0के0जैन क्रियात्मक प्रबन्ध, प्रतीक प्रकाशन, इलाहाबाद, 1998 पृष्ठ — 338

साधन समानीकरण प्रमेय मे प्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्री हेक्सचर ओहलिन ने यह बताया कि एक देश को उस वस्तु का निर्यात करना चाहिए जिसको उत्पादित करने के साधन तुलनात्मक रूप मे प्रचुर हो और इसके विपरीत आयात होना चाहिये। ऐसा करने से ही तत् सम्बन्धित देश का लाभ अधिकतम हो सकता है।

विदेशी व्यापार मे विदेशी विनिमय की भूमिका को देखते हुए अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी बाजार और घरेलू बाजार मे आर्थिक गतिशीलता को सन्तुलित ढग से उपयोग मे लाना होता है। चूँकि व्यापार का आर्थिक कारको पर प्रभाव पडना स्वाभाविक है, अत व्यापार के सरचना निर्धारण मे व्यापार की तुलनात्मक लागत सिद्धान्त और साधन समानीकरण सिद्धान्तो का उपयोग किया जा सकता है। तुलनात्मक लागत सिद्धान्त इस तथ्य को निर्दिष्ट करता है कि भारत को उन वस्तुओ का निर्यात करना चाहिये जिसमे तुलनात्मक लाभ अधिकतम हो। यदि किसी वस्तु का निर्यात हानिप्रद है परन्तु आवश्यक है तो इस सन्दर्भ मे उचित है कि हानि को न्यूनतम करने के उपाय किये जाने चाहिये।

उपर्युक्त दोनो सिद्धान्तो के निष्कर्ष के आधार पर भारत के सन्दर्भ मे उचित यही लगता है कि कृषि तथा उससे सम्बन्धित उत्पादो के निर्यात मे विशिष्टीकरण प्राप्त करना चाहिये। परन्तु यही पर एक बहुत ही प्रबल और यथार्थ समस्या उभरती है, जिसका अनुभवगम्य विश्लेषण प्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्री राउल प्रेविश, गुन्नारमिरडल, जगदीश भगवती ने किया, वह है प्रतिकूल दीर्घकालीन व्यापार की शर्त। इन अर्थशास्त्रियो ने अनुभव किया कि भारत जैसे अल्पविकसित देश के लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार निरर्थक है। क्योकि उनकी व्यापार की शर्त दीर्घकाल तक प्रतिकूल रहता है, वे कृषि से सम्बन्धित वस्तुओ का निर्यात करते है, जिनका मूल्य बहुत ही कम होता है और जो विकासात्मक आयात मूल्यो की भरपायी के लिए पर्याप्त नही होता। फलत दीर्घकाल तक भुगतान सन्तुलन प्रतिकूल बना रहता है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मे महत्वपूर्ण भूमिका प्राप्त करने के लिए भारत को कुछ विशेष उपायो की जरूरत होगी, क्योकि वर्तमान विश्व मे नयी आर्थिक व्यवस्था मे अपने को अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से जोडते हुए उन उपायो को तलाशना होगा, जिससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मे हमारे निर्यातो का अश बढे विदेशी पूॅजी का आयात अपेक्षाकृत सुलभ और सस्ती रहे, विदेशी विनिमय की स्थिति सुधरे, विनिमय दर मे ज्यादा उच्चावचन न हो, घरेलू आर्थिक विकास को अन्तर्राष्ट्रीय जगत का भरपूर समर्थन मिले।

इस सन्दर्भ मे एक ध्रुवी विश्व की राजनीतिक व्यवस्था मे भारत को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु गुटनिरपेक्षता की नीति से व्यापक लाभ होने की सम्भावना बनती है। उदारीकरण भी देश

की सम्प्रभुता को बनाये रखते हुए निर्यात सम्वर्द्धन सहायक होनी चाहिये। जिन वस्तुओ के निर्यात की सम्भावना हाल के वर्षो मे बढी है उसका विदोहन होना चाहिए। इसके लिए व्यापारिक नीति की महत्वपूर्ण भूमिका बनती है। निर्यात सम्वर्द्धन क्षेत्र का विस्तार हो, आयात प्रतिस्थापन की गति को और तीव्र करना होगा।

## विदेशी व्यापार से उत्पन्न लाभ :–

विदेशी व्यापार के परिणामस्वरूप उसमे भाग लेने वाले देशो को अनेक लाभ प्राप्त होते है। एडम स्मिथ के अनुसार, "विदेशी व्यापार किन्ही भी स्थानो के बीच हो इसमे यह लाभ अवश्य प्राप्त होते है कि जिस वस्तु की एक स्थान पर मॉग नही है, उसके स्थानान्तरण के बदले मे विदेशी व्यापार के कारण वह वस्तु प्राप्त होती है जिसकी उस स्थान पर मॉग है। एक स्थान पर लोगो के पास जो वस्तुएॅ आवश्यकता से अधिक है विदेशी व्यापार के कारण उसका भी मूल्य प्राप्त हो जाता है तथा उसके बदले मे प्राप्त होने वाली वस्तुओ के उपभोग से लोगो की आवश्यकता की पूर्ति होती है। फलस्वरूप उनकी सन्तुष्टी मे वृद्धि होती है। इतना ही नही विदेशी व्यापार के कारण बाजार की सीमितता किसी विशेष स्थान पर श्रम विभाजन मे रूकावट नही डाल पाती है। विदेशी व्यापार देश की उत्पादक शक्तियो मे वृद्धि को प्रेरित करता है तथा देश की वास्तविक आय मे वृद्धि करता है, इस प्रकार विदेशी व्यापार के तीन लाभ प्रमुख रूप से सामने आते है।

(a) विदेशी व्यापार बाजार को विस्तृत करता है फलस्वरूप घरेलू उपभोग से अधिक उत्पादन के लिए बाजार तैयार करता है।

(b) बाजार के विस्तार के फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन मे श्रम विभाजन की सम्भावना को बढाता है तथा परिणामस्वरूप देश मे उत्पादन का स्तर बढ जाता है।

(c) उत्पादन मे वृद्धि, बाहर की वस्तुओ की प्राप्ति के परिणामस्वरूप देश मे उपभोग स्तर के फलस्वरूप कुल सन्तुष्टि मे वृद्धि होती है। विदेशी व्यापार से उत्पन्न होने वाले लाभो का अध्ययन हम दो शीर्षको के अन्तर्गत कर सकते है।

**(1) विदेशी व्यापार से उत्पन्न होने वाले स्थैतिक लाभ :–** स्थैतिक लाभ की स्थिति मे प्रत्येक देश को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ प्राप्त होता है क्योकि व्यापार के कारण बाजार का विस्तार होता है जिसके फलस्वरूप श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण की सम्भावना बढ जाती है तथा इसके कारण वस्तुओ के उत्पादन मे वृद्धि होती है। उत्पादक साधनो के कुशलतम तथा

अनुकूलतम आवटन के लिए प्रेरित होते है। स्थैतिक स्थिति मे व्यापार के कारण उत्पादक दी हुई उत्पादन सम्भावना वक्र के ही साथ चलते है, इस प्रकार उत्पादन सम्भावना वक्र मे किसी भी प्रकार का परिवर्तन नही होता है। परन्तु उपभोग की सीमा मे विस्तार होता है।[1] इस प्रकार उपभोक्ता समुदाय अनुकूल व्यापार की शर्त के कारण उच्चतर "सामुदायिक तटस्थता वक्र" को प्राप्त करता है। इस प्रकार समुदाय की कुल सन्तुष्टि मे वृद्धि होती है।

**(2) <u>विदेशी व्यापार से प्रवैगिक लाभ</u>** — विदेशी व्यापार से मात्र स्थैतिक लाभ ही उत्पन्न नही होता है अर्थात इसके परिणामस्वरूप केवल उपभोग की मात्रा मे ही वृद्धि नही होता है इसके परिणाम स्वरूप अनेक गत्यात्मक या प्रवैगिक लाभ भी प्राप्त होते है प्रविधि मे सुधार तथा नयी प्रविधि के स्थानान्तरण से उत्पादन सम्भावना वक्र ही स्वत परिवर्तित हो जाएगा। विदेशी व्यापार कभी–कभी औद्योगिक क्रान्ति के लिए रास्ता तैयार करता है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के फलस्वरूप देश का औद्योगिक तथा कृषि विकास प्रेरित होता है, रोजगार तथा आय सृजित होते है तथा अधोसरचना विकसित होती है। इस प्रकार विदेशी व्यापार आर्थिक विकास के इजिन के रूप मे कार्य कर सकता है। पी0टी0 एल्सवर्थ के अनुसार– व्यापार एक प्रवैगिक शक्ति है जो नवप्रवर्तन को प्रेरित करता है। व्यापार के माध्यम से उत्पादन करने तथा उत्पादन सगठन के नये रास्ते स्थानीय अर्थव्यवस्था मे फैलाते है तथा व्यापार की प्रतियोगितात्मक शक्तियॉ लागत कम करने वाली तकनीको को प्रयोग मे लाने के लिए प्रेरित करती है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के फलस्वरूप अनेक वस्तुओ का स्थानीय स्तर पर मितव्ययिता पूर्ण उत्पादन सम्भव हो जाता है जिनका उत्पादन, व्यापार के अभाव मे सम्भव ही नही रहता।

उक्त के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से प्राप्त होने वाले अन्य लाभो को दो वर्गों मे बॉटा जा सकता है।

## (A) आर्थिक लाभ

**1 <u>श्रम विभाजन एव विशिष्टीकरण</u>** – अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से एक देश अपने निर्यात होने वाली वस्तुओ का अधिक से अधिक उत्पादन करता है। इस प्रकार उस देश मे श्रम विभाजन एव विशिष्टीकरण और अधिक होता है।

**2 <u>प्राकृतिक साधनो का पूर्ण उपयोग</u>** :– विदेशी व्यापार की दशा मे प्राकृतिक साधन केवल एक देशवासी ही नही प्रयोग करते बल्कि पूरा विश्व उनका प्रयोग करता है। इस प्रकार प्राकृतिक साधनो का पूर्ण उपयोग होता है।

---

[1] डा0 एस0एन0लाल, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा लोकवित्त, शिव पब्लिशिग हाउस–1985 पृष्ट– 61

3 **कच्चे माल की उपलब्धता** - विदेशी व्यापार से उन देशो को भी कच्चा माल मिल जाता है जहॉ वह उपलब्ध नही होता।

4 **औद्योगीकरण** – विदेशी व्यापार के कारण बडे पैमाने पर उत्पादन होता है, जिससे देशो का औद्योगीकरण होता है।

5 **आवश्यक वस्तुऍ उपलब्ध** – विदेशी व्यापार से देशो को उनकी आवश्यकता की चीजे उपलब्ध हो जाती है।

6 **बड़े पैमाने पर उत्पादन** – विदेशी व्यापार से उत्पादन बडे पैमाने पर होने लगता है और बडे पैमाने के उत्पादन के लाभ मिलने लगते है।

7 **तकनीकी विकास** – विदेशो से बढिया तकनीक मॅगाकर स्वय के देश मे भी तकनीकी विकास लाया जा सकता है।

8 **एकाधिकार पर रोक** – आयात के कारण देश मे एकाधिकार की प्रवृत्ति नही पनपने पाती।

9 **रोजगार एव आय मे बृद्धि** – अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से उत्पादन अधिक पैमाने पर होता है, जिससे लोगो को रोजगार मिलता है और इस प्रकार राष्ट्रीय आय मे भी वृद्धि होती है।

10 **मूल्यो मे स्थिरता** – आयात–निर्यात से वस्तुओ सेवाओ की पूर्ति इच्छित स्तर पर रखी जा सकती है। ताकि मूल्य स्तर मे अवॉछित परिर्वतन न आने पाये।

11 **बाजार का विस्तार** :– विदेशी व्यापार के कारण देशो के क्रय–विक्रय का क्षेत्र बढ जाता है। इस प्रकार बाजार का विस्तार होता है।

12 **विदेशी मुद्रा की प्राप्ति** – निर्यात के कारण देशो को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, जिससे वह दूसरी आवश्यक वस्तुओ का आयात कर सकते है।

13 **उत्तम आयातित वस्तुओ का उपभोग** – आयात–निर्यात के कारण अविकसित देश भी विकसित देशो के बढिया उत्पादो का भोग कर सकते है।

14 **सकटकाल मे सहायक** :– विदेशी व्यापार का सबसे अधिक महत्व तब दिखता है, जब कभी–कभी एक देश मे खाद्यान्नो की कमी के कारण लोग भूखो मरने लगते है और जब वही खाद्यान्न विदेश से आयात होता है तब लोगो की जान बचती है।

### (B) गैर आर्थिक लाभ –

ऐसे लाभ जो प्रत्यक्ष रूप से मुद्रा से सम्बन्धित नही है, गैर–आर्थिक लाभ कहे जा सकते है। विदेशी व्यापार से प्राप्त होने वाले प्रमुख गैर–आर्थिक लाभ निम्न है।

1 **सास्कृतिक आदान प्रदान** – विदेशी व्यापार से दो देशो के बीच सम्बन्ध बढ जाते है और इस प्रकार दोनो देश एक दूसरे की सस्कृति का आदान–प्रदान करने लगते है।

2 **राष्ट्रो के बीच सम्बन्ध** – विदेशी व्यापार के फलस्वरूप देशो के बीच सम्बन्ध बढते है, जिससे आवश्यकता पडने पर विभिन्न देश एक दूसरे के काम आते है।

3 **शिक्षा** – विदेशी व्यापार से देशो को शिक्षा मिलती है कि अमुक देश मे यह हो रहा है, तो हम भी कुछ करे। दूसरे विदेशो की चीज जब आती है, तो उन्ही की देखा देखी से आयातक देश कई प्रकार से लाभान्वित होता है।[1]

## विदेशी व्यापार एवं आर्थिक विकास :–

भारत जैसे अल्पविकसित देश के लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का बहुआयामी प्रयोजन है। भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता आर्थिक विकास के निम्न स्तर है। यहॉ औद्योगिक विकास यद्यपि स्वतन्त्रता के बाद काफी हुआ है। परन्तु वृद्धि की दर और इसका प्रभाव अपर्याप्त है। औद्योगिक विकास कुछ ही क्षेत्रो मे केन्द्रित है। कृषि तथा इससे सम्बन्धित उद्योग आज भी पिछडी हुई अवस्था मे है। प्रति व्यक्ति उत्पादकता कम है। क्षेत्रीय असन्तुलन बना हुआ है। इसका कारण प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर और भूमि सुधार का अल्प क्रियान्वयन मुख्य है। यदि विकास की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर निगाह डाले तो इसकी भूमिका उत्साहवर्धक साबित होती है।

व्यापार के माध्यम से पूॅजी निर्माण और तकनीकी पिछडापन की आधारभूत आर्थिक समस्या से निपटने मे काफी हद तक सहायता मिलती है। उल्लेखनीय है कि पूॅजी निर्माण के दो मुख्य श्रोत होते है। पहला आन्तरिक श्रोत तथा दूसरा वाह्य श्रोत। घरेलू सीमा के अन्दर प्राप्त बचत और इसके निवेश के लिए गतिशीलन आन्तरिक श्रोत है। जबकि अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सस्थाओ, निजी उद्यमियो और व्यावसायो, विदेशी सरकारो, अप्रवासी नागरिको, बहुराष्ट्रीय निगमो से हमारे देश के भीतर किये गये पूॅजी निवेश वाह्य श्रोत का पूॅजी निर्माण है।

---

[1] डा0 ए0ए0 सिद्दीकी, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एव प्रशुल्क नीति, प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद, तृतीय सस्करण–2002, पृष्ठ – 5

यह निवेश या तो मौद्रिक होता है या भौतिक परिसम्पत्ति या तकनीकी कौशल के रूप मे। स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, निवेश के माध्यम से किसी देश के लिए पूँजी निर्माण का एक अहम श्रोत है। जिस पर उस देश का आर्थिक विकास निर्भर होता है। यही बात हिन्दुस्तान के सन्दर्भ मे भी लागू होता है।

आर्थिक सिद्धान्त मे व्यापार गुणक की अवधारणा सिद्ध करती है कि निर्यात और रोजगार तथा आय सवृद्धि मे धनात्मक सम्बन्ध पाया जाता है। यद्यपि यह जरूरी है कि आयात पर यथोचित नियन्त्रण भी बना रहे।

व्यापार से विविध प्रकार की सास्कृतियो के आपसी समामेलन और सम्पर्क से मानवता भी विकसित होती है। आर्थिक भूमण्डलीकरण, सास्कृतिक आदान–प्रदान से वैश्विक एकता मजबूत होती है।

विभिन्न देशो की आन्तरिक निर्भरता बढती है। फलत मानवता के खिलाफ प्रत्येक कार्यवाही से बचने का प्रयास किया जाता है। व्यापार और आर्थिक हित ही वह तत्व है जो शक्ति सन्तुलन स्थापित करने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुछ ही वर्ष पहले विश्व की एक महाशक्ति सोवियत सघ की वर्तमान परिस्थिति मे विकसित रूस (सोवियत सघ का 80 प्रतिशत) की तवहिनी, व्यापार और आर्थिक मोर्चे पर ही की जा रही है।

भारत योजनागत विकास का जो ढॉचा तैयार किया वह सोवियत सघ और फ्रास से आयातित है। हरित क्रान्ति मे मैक्सिको, अमेरिका और इजराइल की मुख्य भूमिका रही है। आधारभूत आर्थिक सरचनाओ के निर्माण मे विश्व बैक, जी–7, आई0डी0ए0 ने सहयोग किया। आज भी विश्व बैक के सहयोग से बहुत से शैक्षणिक, स्वास्थ, चिकित्सा, जनसख्या नियन्त्रण, सफाई, सामुदायिक विकास आदि के कार्यक्रम चलाये जा रहे है।

यद्यपि एक औपनिवेशिक राष्ट्र के रूप मे भारत का भरपूर आर्थिक और सामाजिक शोषण, हुआ परन्तु भारत के औद्योगिक क्रान्ति मे इग्लैण्ड की भूमिका से मुकरा नही जा सकता। इस प्रकार हम देखते है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अर्थात मोटे रूप मे सीमा पार आर्थिक गतिशीलन का भारत जैसे अविकसित देशो के लिए भूमिका सराहनीय है। फिर भी आयातो की भरपाई के लिए निर्यात सम्बर्द्धन पर अपना ध्यान केन्द्रित करना होगा।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विभिन्न नियमो के अनुशीलन के पश्चात भारत के सन्दर्भ मे उसकी विशिष्टताओ को दृष्टिगत करते हुए यह उचित प्रतीत होता है कि उसे अपने कृषि क्षेत्र के विकास सम्भाव्यता की ओर तीव्र गति से बढने के पश्चात ही व्यापार की सरचना या निर्यात

की सरचना सीमा और दिशा मे यथोचित और द्रुतगति से विस्तार किया जा सकेगा। परन्तु इसका तात्पर्य यह नही कि मात्र कृषिगत निवेश और विकास से ही हम अपने लक्ष्य की पूर्ति कर लेगे। यह सही है कि निर्यात की सम्भावना कृषि क्षेत्र मे ज्यादा है। परन्तु इस सन्दर्भ मे व्यापार की शर्त प्राय प्रतिकूल ही रहती है जिसके कारण बहुत ज्यादा निर्यात के बावजूद भी निर्यात मूल्य कम ही रहता है। जबकि औद्योगिक उत्पादो के सन्दर्भ मे इसके विपरीत स्थिति होती है। इसलिये जरूरत एक सन्तुलित व्यापार और विकास नीति की होती है।

वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था मे व्यापार बढाने की सम्भावनाये बहुत ज्यादा हो गयी है। जरूरत है तो दृढसकल्प शक्ति, त्वरित कार्यवाही, प्रशासनिक गतिशीलता, प्रोत्साहन मूलक नीति और सही विषय और दिशा को तलाशने की। जबकि सभी राष्ट्र एक दूसरे के नजदीक आ रहे है। क्षेत्रियता का स्थान, सकुचित हो रहा है। नये–नये आर्थिक सगठन बन रहे है। सबका मकसद अपने–अपने व्यापारिक नीति का प्रयोग अधिकतम लाभ उठाने का है तो इस परिस्थिति मे भारत भी अपने पडोसी देशो तथा अन्य सहयोगी राष्ट्रो के साथ मिलकर व्यापारिक गतिशीलता बढाते हुए बेरोजगारी और गरीबी दूर करने के लिए आवश्यक साधन और तकनीक प्राप्त कर सकता है। यद्यपि यह सही है कि अन्तत इनसे सम्बन्धित कार्यक्रमो के लिए आन्तरिक ससाधनो पर ही निर्भर रहना पडता है, फिर भी ससाधनो की कमी की वजह से अन्य देशो से मदद लेना पड जाता है। इस दृष्टि से नयी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक व्यवस्था मे जिसमे विभिन्न देशो द्वारा आयात शुल्क मे कटौती की जा रही है। घरेलू उत्पादनो पर सरक्षण कम हो रही है। सहाइकियो मे कटौती की जा रही है। भारत कुछ वस्तुओ का निर्यात बखूबी कर सकता है। ये है हस्तनिर्मित वस्तुएँ, रेडीमेड कपडे, हीरे–जवाहरात, इन्जीनियरिंग वस्तुएँ, चाय, जूट एव सम्बन्ध उत्पाद, चावल, मछली आदि।

भारत उस स्थान पर भी खडा है जो अन्तर्राष्ट्रीय जगत मे अपनी कुछ वस्तुओ के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। न केवल तकनीकी श्रेष्ठता बल्कि मूल्य की निम्नता के लिये अभी हाल ही मे ओमान, मलेशिया जैसे अल्प विकसित राष्ट्र मे भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की सस्था भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को विद्युत सयन्त्रो के निर्माण के आर्डर प्राप्त हुए है। भारतीय वस्तुशिल्प की श्रेष्ठता उस समय भी प्रमाणित हुई जब कम्बोडिया मे अकोरवाड के मन्दिर जिर्णोद्धार हेतु आमन्त्रित किया गया। इन तथ्यो से यही तात्पर्य निकलता है कि यदि हमारे सम्बन्ध अन्य राष्ट्रो से मधुर रहे तो हम हर एक क्षेत्र मे निर्यात बढा सकते है।

सम्भवत अपनी इसी क्षमता को पहचानते हुए नयी व्यापारिक नीति मे आवश्यक बदलाव किया गया। नयी निर्गम नीति बनायी गयी। इसके परिणाम भी सार्थक नजर आ रहे है। 1991

के अन्त तक जो विदेशी मुद्रा का प्रारक्षित भण्डार 3,300 करोड रूपये था। जून 2002 के अन्त तक 57 अरब 96 करोड 20 लाख डालर तक पहुँच गया। जो कि कीर्तिमान है। उल्लेखनीय है कि विदेशी मुद्रा का व्यापार और विकास मे बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योकि इसी से आवश्यक साज–समान किसी देश को मिल पाता है और अन्तर्राष्ट्रीय विश्वास का आधार भी विदेशी रिजर्व ही है। इसके अभाव मे घरेलू मुद्रा और अर्थव्यवस्था मे अन्य देशो का विश्वास नही जमता और विदेशी विनिमय दर मे उच्चावचन होने लगता है। जैसा कि 1990 के अन्त तक भारत मे एक विकट स्थिति पैदा हो गयी थी जिसके परिणामस्वरूप विदेशो मे सोना गिरवी रखा गया तथा आगे चलकर रूपये का लगभग 22% अवमूल्यन कर दिया गया।

उपर्युक्त तथ्यो से निर्यात की भूमिका का पता चलता है। निर्यात ही वह तत्व है जब किसी देश के घरेलू और विदेशी बाजार मे सन्तुलन बनाये रख सकता है। आर्थिक विकास का अनुपूरक निर्धारक तत्व है। सम्भवत इसीलिए एक अर्थशास्त्री ने कहा है कि "अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विकास का इन्जन है।" अर्थात विदेशी व्यापार जितनी मजबूत और सक्षम होगी देश की अर्थव्यवस्था रूपी गाडी विकास के मार्ग पर उतनी ही द्रुत गति से चलेगी। इस प्रकार व्यापार से बेरोजगारी गरीबी, जैसे समस्याओ से छुटकारा पाने मे मदद मिल जाता है।

******

# अध्याय दो

# “आजादी के समय विदेशी व्यापार की स्थिति”

## अध्याय – 2

# आजादी के समय विदेशी व्यापार की स्थिति

किसी देश के विदेशी व्यापार की सरचना तथा दिशाए प्राय उस देश के शासन तन्त्र (Administrative machinery) तथा आर्थिक नीतियो पर निर्भर करती है। भारत मे शताब्दियो तक विदेशी शासन रहा। अग्रजी शासन के लगभग 150 वर्षों मे भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय जनता का जितना शोषण हुआ उतना सम्भवत पहले कभी नही हुआ था। वास्तव मे, ब्रिटिश शासन ने भारत मे भाषा व्यावसाय, उद्योग, परिवहन तथा अन्य सभी क्षेत्रो मे इस प्रकार की नीति का अनुसरण किया जिससे यह देश सदा सर्वदा के लिए आर्थिक दासता की श्रृखलाओ मे जकड जाय। वैसे तो अति प्राचीन काल से ही भारत अपने विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध रहा है। भारत की बनी हुई वस्तुओ जैसे सूती कपडे, धातु के बर्तन, सुगधित वस्तुए, इत्र, गरम मसाला आदि की मॉग मिस्र, यूनान, रोम तथा इरान आदि स्थानो मे बहुत अधिक थी। इसी व्यापार के लिए भारत ने स्याम, जावा, सुमात्रा और मलाया मे अपने उपनिवेश बनाए थे। देश का विदेशी व्यापार उन दिनो जल और स्थल दोनो ही मार्गों से होता था। भारत मे प्राचीन काल मे आयात से अधिक निर्यात होता था। विदेशी, हमारे व्यापार का भुगतान सोने–चादी मे करते थे। इस प्रकार प्रत्येक वर्ष हमारे देश मे करोडो रूपये का सोना आ जाता था।

किसी भी देश मे कुल व्यापार को घरेलू अथवा राष्ट्रीय तथा विदेशी अथवा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मे विभाजित किया जा सकता है। यद्यपि ससार के सभी देशो के लिए विदेशी व्यापार का समान महत्व नही होता है, परन्तु वर्तमान युग मे सभी देशो के लिए विदेशी व्यापार का कुछ न कुछ महत्व अवश्य है। जबकि इग्लैण्ड तथा डेनमार्क के समान छोटे राष्ट्रो की आर्थिक समृद्धि मे विदेशी व्यापार का काफी अधिक महत्व रहा है। चीन, रूस तथा अमरीका के समान विशाल भौगोलिक क्षेत्र वाले राष्ट्रो के लिए विदेशी व्यापार का सम्भवत बहुत अधिक महत्व नही है। किन्तु अर्द्धविकसित देशो के लिए विदेशी व्यापार, आर्थिक विकास का अत्यधिक महत्वपूर्ण साधन होता है।

1947 मे स्वाधीनता प्राप्त करने के पूर्व भारत इग्लैण्ड का उपनिवेश था परिणाम स्वरूप भारत के विदेशी व्यापार का ढाचा अथवा स्वरूप भी उपनिवेशी था। भारत इग्लैण्ड तथा अन्य

पाश्चात्य औद्योगिक देशो को कच्चे माल, खाद्यान्न एव अर्धनिर्मित वस्तुओ का निर्यात करता था तथा विदेशो से निर्मित वस्तुओ का आयात करता था। विनिर्मित वस्तुओ के लिए विदेशी आयातो पर निर्भर रहने का देश के औद्योगिक विकास पर बुरा प्रभाव पडा तथा देश मे अग्रेजी सस्ती वितिर्मित वस्तुओ का मुक्त आयात होने के परिणाम स्वरूप घरेलू शिशु उद्योगो को विदेशी घातक प्रतियोगिता का सामना करना पडा। इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि भारत के हस्तशिल्प उद्योगो को गहरी क्षति पहुची तथा देश के शिल्पकार भारी सख्या मे बेरोजगार हो गये।

अगस्त 1947, मे स्वाधीनता प्राप्त करने के पश्चात देश के विदेशी व्यापार के उपनिवेशी ढाचे मे राष्ट्रीय आर्थिक विकास की आवश्यताओ के अनुकूल परिवर्तन करना आवश्यक था। किसी भी उस देश के लिए जो तीव्र गति से आर्थिक विकास करना चाहता है, तो उत्पादन क्षमता मे तीव्र गति से बृद्धि करना अवश्यक है। परन्तु आर्थिक विकास के लिए देश को पूजी उपकरणो की आवश्यकता होती है, जिनका आर्थिक विकास की प्रारम्भिक अवस्था मे देश को, विदेशो से आयात करना पडता है। ऐसे आयातो को, जो देश के विकास के लिए आवश्यक होते है, विकासात्मक आयात कहते है। उदाहरणर्थ देश मे इस्पात कारखानो की स्थापना तथा विद्युत शक्ति के उत्पादन के लिए जिन पूँजी उपकरणो का आयात करना आवश्यक होता है, वे विकासात्मक आयात कहलाते है। इसके अतिरिक्त आर्थिक विकास की प्रकिया की अवधि मे देश के औद्योगिकरण का कम विद्यमान हो जाता है तथा इसके परिणाम स्वरूप विनिर्मित वस्तुओ का उत्पादन करने के लिए कच्चे माल तथा अन्य अर्धकच्ची एव अर्ध निर्मित वस्तुओ का आयात करना आवश्यक होता है। जिन वस्तुओ का आयात देश मे उत्पादन क्षमता का इष्टतम उपयोग करने के लिए आवश्यक होता है, उन आयातो को सधारण आयात (Maintenance imports) कहते है। विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए विकासात्मक तथा सधारण आयात आवश्यक होते है। ये दोनो प्रकार के आयात किसी दी हुई समय अवधि मे विकासशील अर्थव्यवस्था मे औद्योगिकरण की सीमा निर्धारित करते है। इस प्रकार के आयात स्फीति निवारक होते है, क्योकि इनके उत्पादक उपयोग द्वारा देश मे उपभोग वस्तुओ की दुर्लभता समाप्त होती है।

इस प्रकार अर्थव्यवस्था मे आर्थिक विकास की प्रारम्भिक अवस्था मे देश के कुल आयातो की मात्रा मे तीव्र वृद्धि होना अनिवार्य है। ऐसी स्थिति मे देश का व्यापार शेष तथा भुगतान शेष प्रतिकूल होगे। व्यापार–शेष के घाटे की पूर्ति करने के लिए विकासशील देश के कुल निर्यातो मे वृद्धि होना आवश्यक है। यद्यपि अल्पावधि मे वाह्य सहायता, देश के आर्थिक विकास के भार को कम करने मे सहायक सिद्ध हो सकती है परन्तु दीर्घावधि मे विकासशील देशो को विकास

का भार स्वय सहन करना होता है। मूल्य निरपेक्ष आयातो के कारण बढते हुए विदेशी ऋण का भुगतान करने के लिए देश के निर्यातो मे पर्याप्त वृद्धि करना अति आवश्यक है। आरम्भ मे ही अर्धविकसित देश खाद्यान्न तथा परम्परागत कच्ची वस्तुओ के निर्यातकर्ता रहे है। जैसे–जैसे देश का आर्थिक विकास होता जाता है वैसे–वैसे देश मे स्वय खाद्यान्न तथा कच्चे माल का अधिक उपभोग होने के कारण इन वस्तुओ का निर्यात कम हो जाता है। जनसख्या मे वृद्धि होने के कारण देश खाद्यान्नो के निर्यातकर्ता देश के स्थान पर खाद्यान्नो के आयातकर्ता देश की स्थिति को प्राप्त हो जाता है, परिणामस्वरूप, विकासशील अर्थव्यवस्था को नई विनिर्मित वस्तुओ को विश्व के नए बाजार को निर्यात करने के प्रयासो मे व्यस्त होना पडता है। विकसित राष्ट्र अपने आयातो पर से रोक को हटा कर विकासशील राष्ट्रो को विनिर्मित वस्तुओ का निर्यात करने मे सहयोग प्रदान कर सकते है। यद्यपि विदेशी सहायता विकासशील राष्ट्रो के आर्थिक विकास की प्रक्रिया मे महत्वपूर्ण होती है, परन्तु विदेशी व्यापार का महत्व अर्द्ध विकसित अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास मे इससे अधिक है।

विदेशी व्यापार का परिणाम और विस्तार मुगल शासन काल मे और भी बढा। अग्रेजी शासन स्थापित होने पर हमारे विदेशी व्यापार मे वृद्धि तो हुई, लेकिन उसका सारा ढाचा ही बदल गया। विदेशी सरकार ने ऐसी नीति अपनाई कि देश के उद्योग धधे शनै–शनै नष्ट होने लगे, और भारत एक कृषि प्रधान देश बन गया। भारत इग्लैण्ड के निर्मित माल का आयात करने वाला तथा कच्चे माल का निर्यात करने वाला देश बन गया। सक्षेप मे भारत के विदेशी व्यापार की विशेषताए इस प्रकार हो गयी –

(अ) हम सामान्यत निर्मित वस्तुओ का आयात करते थे और कच्चे माल का निर्यात करते थे।

(ब) भारत का विदेशी व्यापार अधिकतर इग्लैण्ड और कामनवेल्थ देशो से होता था।

हमारे निर्यात सदैव ही आयात से अधिक होते थे जिसके फलस्वरूप व्यापार सन्तुलन हमेशा ही हमारे पक्ष मे रहता था।

(स) विदेशी व्यापार तेजी से बढ रहा था इस वृद्धि के प्रमुख कारण थे स्वेज नहर का निर्माण और परिवहन साधनो मे उन्नति।

## विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी एव भारत का विदेशी व्यापार –

भारत के विदेशी व्यापार पर सन् 1929–30 की भयानक आर्थिक मदी का बहुत ही विपरीत प्रभाव पडा। निर्यात की मात्रा मे बहुत कमी आ गई। आयात की जाने वाली वस्तुओ मे निर्यात वस्तुओ का प्रतिशत धीरे–धीरे कम होने लगा तथा कच्चे पदार्थों तथा खाद्यान्नो का

प्रतिशत बढने लगा। निर्यात की जाने वाली वस्तुओ मे निर्मित वस्तुओ की अपेक्षा कच्चे पदार्थों व खाद्यान्नो की प्रधानता बनी रही। नीचे की सारणी के अको से भारत के विदेशी व्यापार की सरचना मे हुए परिवर्तन का स्पष्ट पता चलता है–

**तालिका सख्या–2 1**

**आजादी के पूर्व विदेशी व्यापार की सरचना**

| वस्तुए | कुल आयात के प्रतिशत | | कुल निर्यात के प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|
| | 1920-21 | 1938-39 | 1920-21 | 1938-39 |
| खाद्यान्न, पेय एव तम्बाकू | 10 00 | 15 7 | 28 0 | 27 8 |
| कच्चा माल | 5 00 | 21 7 | 35 0 | 34 1 |
| निर्मित माल | 84 0 | 62 6 | 37 00 | 68 1 |
| **योग** | **100.00** | **100.00** | **100.00** | **100.00** |

भारत के आयात व्यापार मे इग्लैण्ड का हिस्सा सन् 1913–14 मे 64 प्रतिशत था जो घटकर 1933–34 मे 42 प्रतिशत और 1938–39 मे 25 प्रतिशत रह गया। निर्यात मे भी इग्लैण्ड का हिस्सा धीरे–धीरे घट रहा था, सन् 1923–24 के बाद जर्मनी के साथ भारत के व्यापार मे आश्चर्यजनक वृद्धि हुई।

निर्मित वस्तुओ के निर्यात के परिणाम स्वरूप उल्लेखनीय वृद्धि हुई और हमारे निर्यातो मे कच्चे माल का प्रतिशत घट गया। अब रुई के स्थान पर सूती वस्त्र, जूट के स्थान पर वनस्पति तेल एव खालो के स्थान पर चमडे की बनी हुई वस्तुओ का निर्यात होने लगा। इस प्रकार कच्चे पदार्थों का निर्यात सन् 1924–25 मे जो कुल निर्यात व्यापार का 50 प्रतिशत था, घटकर सन् 1941–42 तक केवल 28 प्रतिशत हो गया।

विदेशी व्यापार की दशा का ठीक ढग से अध्ययन करने के लिए इसे हम दो भागो मे बॉट सकते है –

(अ) स्वतत्रता के पूर्व की स्थिति।

(ब) स्वतत्रता के पश्चात की स्थिति।

## (अ) स्वाधीनता के पूर्व भारत का विदेशी व्यापार :–

प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व भारत को इग्लैण्ड के कर्जो, अग्रेज अधिकारियो के वेतनो तथा अग्रेज निवेश पूँजी पर लाभॉशो का भुगतान करने हेतु काफी धनराशि निर्यात करने पडते थे।

परिणाम स्वरूप, भारत का व्यापार शेष अनुकूल रहता था। भारत के कुल निर्यात इसके कुल आयातो की तुलना मे अधिक थे। द्वितीय महायुद्ध काल मे भारत के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मे मूल परिवर्तन हुआ। इस अवधि मे भारत ने इग्लैण्ड को काफी मात्रा मे वस्तु–निर्यात किए परन्तु इन निर्यातो के भुगतानो के बदले भारत को इग्लैण्ड द्वारा बहुत कम आयात प्राप्त होने के परिणाम स्वरूप स्टर्लिंग शेषो (Sterling Balance) की घटना उत्पन्न हो गयी थी। प्रत्येक वर्ष आयातो की तुलना मे अधिक राशि के निर्यात करने के कारण स्टर्लिंग शेषो की राशि मे वृद्धि होती गई। इग्लैण्ड के साथ भारत का व्यापार शेष इतना अधिक अनुकूल नही था कि इग्लैण्ड को स्टार्लिंग ऋण का भुगतान करने के पश्चात् भी 5 अप्रैल, 1946 को भारत के पक्ष मे इग्लैण्ड की ओर 1733 करोड रुपये राशि के स्टार्लिंग शेष एकत्र हो गये थे।

इसके अतिरिक्त युद्ध का भारत के विदेशी व्यापार पर यह भी प्रभाव पडा था कि जापान, जर्मनी तथा इटली के शत्रु राष्ट्र बन जाने के कारण इन देशो से विनिर्मित वस्तुओ के भारत तथा मध्य पूर्व देशो के निर्यात समाप्त हो गये। परिणामस्वरूप, भारत तथा मध्य पूर्व के देशो मे विनिर्मित वस्तुओ की काफी अधिक मॉग होने के कारण भारत मे उपभोग वस्तुओ का विनिर्माण करने वाले उद्योगो का विकास सम्भव हो गया।

**व्यापार का ढॉचा** – 1939 मे द्वितीय विश्व युद्ध का आरम्भ होने से लेकर 1947 मे स्वाधीनता प्राप्त करने तक भारत के कुल आयातो तथा कुल निर्यातो के मूल्य मे वृद्धि होती रही। यद्यपि इस अवधि मे देश के निर्यातो का मूल्य आयातो की तुलना मे अधिक था। निम्नाकित सारणी द्वारा यह स्पष्ट है कि 1938–39 से लेकर 1947–48 तक आयातो तथा निर्यातो के मूल्य मे निरन्तर वृद्धि हो रही थी।

**तालिका सख्या–22**

**आजादी के समय भारत का विदेशी व्यापार**

**(1938–39 से 1947–48)**

| वर्ष | निर्यात | आयात | व्यापार शेष |
|---|---|---|---|
| 1938-39 | 169 9 | 152.34 | +16.85 |
| 1945-46 | 265 53 | 244 85 | +20 68 |
| 1946-47 | 319 28 | 288 43 | +30 45 |
| 1947-48 | 403 19 | 389 62 | +13 57 |
| | | | राशि करोड रूपये मे |

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि 1947–48 मे भारत के निर्यातो का मूल्य 1938–39 की तुलना मे दो गुना से अधिक था। निर्यातो का कुल मूल्य 169 19 करोड रुपये से बढकर 403 19 करोड रुपये हो गया था। कुल आयातो मे भी वृद्धि हुई थी, जो 152 34 करोड रुपये से बढकर 389 62 करोड रुपये हो गयी थी।

**देश के निर्यातो का ढॉचा** – इस अवधि मे देश के निर्यातो के कुल मूल्य मे परिवर्तन होने के साथ–साथ इन निर्यातो के ढॉचे मे भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। निर्यातो मे कच्चे माल के निर्यातो के अनुपात मे भारी कमी तथा विनिर्मित वस्तुओ के अनुपात मे काफी वृद्धि हो गयी थी। युद्ध के पूर्व 1938–39 मे कुल निर्यातो मे 45 1 प्रतिशत निर्यात, कच्चे माल के निर्यात थे। 1947–48 मे कुल निर्यातो मे कच्चे माल के निर्यातो का हिस्सा 45 1 प्रतिशत से घटकर केवल 31 3 प्रतिशत रह गया था इसके विपरीत विनिर्मित वस्तुओ के निर्यातो मे काफी वृद्धि हो गयी तथा यह 1947–48 मे 30 00 प्रतिशत से बढकर कुल निर्यातो के 48 8 प्रतिशत हो गये थे। जहॉ तक खाद्यान्नो का प्रश्न है, यद्यपि भारत युद्ध के पूर्व खाद्यान्नो का निर्यात किया करता था परन्तु युद्ध के पश्चात काल मे तीव्रगति से बढती हुई जनसख्या के कारण ये निर्यात स्वाधीनता पश्चात युग मे पूर्णतया समाप्त हो गये थे। निम्नाकित तालिका 1938–39 से लेकर 1947–48 तक भारत के निर्यातो के ढॉचे को व्यक्त करती है।

**तालिका सख्या–2 3**

**आजादी के समय भारतीय निर्यातो का ढॉचा**

| वस्तु | वर्ष (कुल निर्यातो का प्रतिशत) | | |
|---|---|---|---|
| | **1938-39** | **1946-47** | **1947-48** |
| खाद्यान्न | 23 3 | 48 6 | 19 1 |
| कच्चा माल | 45 1 | 33 3 | 31 3 |
| विनिर्मित बस्तुऍ | 30 6 | 46 7 | 48 8 |

इस अवधि मे (1938–39 से 1947–48) भारत के निर्यातो का भौगोलिक ढॉचा इस प्रकार का था कि राष्ट्रमण्डल देशो के साथ भारत का निर्यात व्यापार काफी अधिक था तथा युद्ध के पूर्व भारत अपने कुल निर्यातो का 53 6 प्रतिशत राष्ट्रमण्डल देशो को निर्यात करता था। राष्ट्रमण्डल देशो मे इग्लैण्ड का प्रथम स्थान था। भारत अपने कुल निर्यातो का 14 3 प्रतिशत

भाग इग्लैण्ड को निर्यात करता था। जापान तथा अमरीका को जो निर्यात किए जाते थे, वे भारत के कुल निर्यातो के क्रमश 88 प्रतिशत तथा 84 प्रतिशत थे। फ्रास, इटली, हालैण्ड, वेल्जियम तथा जर्मनी के साथ कुल निर्यात व्यापार का केवल 15 प्रतिशत निर्यात व्यापार होता था। युद्ध काल मे जर्मनी तथा जापान के साथ भारत का निर्यात व्यापार बिल्कुल समाप्त हो गया था क्योकि ये दोनो देश शत्रु देश घोषित हो गये थे। इसके अतिरिक्त युद्ध काल मे यूरोप के अन्य देशो, विशेष रूप से इग्लैण्ड को भारत के निर्यात काफी कम हो गये थे। परिणाम स्वरूप देशी कच्चे माल का खपत स्वय देश मे विनिर्मित वस्तुओ के उत्पादन मे होने लगा था। युद्ध काल मे जर्मनी, जापान तथा इग्लैण्ड अपने निर्यात बाजारो मे वस्तुओ की पूर्ति करने मे असमर्थ होने के परिणाम स्वरूप भारत को अफ्रीका, मध्य पूर्व तथा आस्ट्रेलिया को अपनी विनिर्मित वस्तुओ का निर्यात करने का अच्छा अवसर प्राप्त हो गया था। युद्ध पश्चात काल मे भारत के विदेशी व्यापार विशेष रूप से निर्यातो पर प्रभाव डालने वाली घटना 1947 मे देश का विभाजन था जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के बन जाने से अन्तरक्षेत्रिय व्यापार का कुछ भाग अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की श्रेणी मे सम्मिलित हो गया था।

<u>देश के आयातो का ढॉचा</u> – युद्ध के पूर्व भारत के कुछ आयातो के मूल्य मे निरन्तर वृद्धि हो रही थी। 1938–39 से लेकर 1947–48 तक लगभग 10 वर्ष की अवधि मे भारत के आयातो का मूल्य बढकर 25 गुना से अधिक हो गया था। युद्ध तथा युद्ध के पश्चात की अवधि मे भारत के आयातो के मूल्य मे हुई इस वृद्धि के अनेक कारण थे प्रथम, युद्ध की अवधि मे देश के आयातो मे तीव्र कमी हो जाने के कारण स्थगित मॉग ने उपयोग तथा पूॅजी वस्तुओ के आयातो की मॉग मे आश्चर्यजनक वृद्धि उत्पन्न कर दी थी। युद्ध काल मे सरकार द्वारा अपनी कुल आय की तुलना मे अधिक व्यय करने के परिणाम स्वरूप देश मे लोगो की आयो मे काफी वृद्धि हो जाने से उनकी क्रयशक्ति मे वृद्धि हो गयी थी। परन्तु देश मे उपभोग वस्तुओ की कमी होने के कारण लोग अपनी इस बढी हुई क्रयशक्ति का वस्तुओ को खरीदने मे उपयोग नही कर सके थे। परिणामस्वरूप युद्ध की समाप्ति पर सामान्य स्थिति के विद्यमान होने पर वे रुकी हुई उपभोग मॉग की पूर्ति करने के लिए आतुर थे। इसके अतिरिक्त युद्ध काल मे पूजी उपकरणो की घिसावट होने के परिणाम स्वरूप इन यन्त्रो तथा अन्य पूॅजी सज्जा की स्थापन करने हेतु युद्ध के पश्चात पूॅजी उपकरणो की प्रतिस्थापन मॉग उत्पन्न गयी थी।

भारत के आयातो मे अत्यधिक वृद्धि होने का दूसरा कारण यह था कि भारत मे कीमत स्तर मे अन्य देशो की तुलना मे अधिक वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप आयात– निर्यात स्थिति भारत के प्रतिकूल हो गयी थी। इसका परिणाम यह हुआ कि विदेशो से जहॉ भारत की तुलना

मे मूल्यो मे कम वृद्धि हुई थी, भारत मे अधिक आयात होने लगे। तीसरे, देश के विभाजन तथा जनसख्या मे वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न देशी घाटे मे परिवर्तित हो गई, तथा भारत जो युद्ध के पूर्व खाद्यान्नो का निर्यात करता था स्वाधीनता के पश्चात खाद्यान्नो का आयात करने के लिए विवश हो गया। 1947–48 तक खाद्यान्नो के आयात 3 मिलियन टन हो गये थे। चौथे, पाकिस्तान बन जाने के कारण देश मे कुछ वस्तुओ के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पडने से भारत के आयातो मे वृद्धि हो गयी थी। पॉचवे युद्ध के तत्काल पश्चात केन्द्रीय तथा राज्य सरकारो के आर्थिक विकास योजनाओ पर अधिक धनराशि व्यय करने हेतु पूॅजी उपकरणो के आयातो मे वृद्धि हो जाने से देश के कुल आयातो मे वृद्धि हो गयी। बहुद्देशीय सिचाई योजनाओ तथा भारतीय रेल के विकास के लिए काफी मात्रा मे पूॅजी वस्तुओ के आयात किए गए।

**तालिका सख्या–2 4**

**आजादी के समय आयातो का ढॉचा**

| वस्तु | वर्ष | | | (कुल आयातो का प्रतिशत) |
|---|---|---|---|---|
| | 1938-39 | 1946-47 | 1947-48 | 1948-49 |
| खाद्यान्न | 15 8 | 13 4 | 11 8 | 17 8 |
| कच्चा माल | 21 8 | 26 0 | 23 1 | 24 5 |
| विनिर्मित वस्तु | 60 9 | 58 1 | 63 4 | 56 9 |

उक्त तालिका देश के वस्तु आयातो के ढॉचे को व्यक्त करती है, आयात वस्तुओ को देखने से ज्ञात होता है कि खाद्यान्नो के आयात देश के विभाजन तथा घरेलू उत्पादन मे वृद्धि न होने का परिणाम था। इस अवधि मे विनिर्मित वस्तुओ के आयातो मे कमी हो गयी थी।

देशानुसार आयातो का ढॉचा इस प्रकार था कि 1938–39 मे कुल आयातो का 31 4 प्रतिशत भाग इग्लैण्ड से आयात किया जाता था। द्वितीय महायुद्ध की अवधि मे इग्लैण्ड से आयातो मे काफी कमी हो गयी थी तथा भारत के कुल आयातो मे इग्लैण्ड का हिस्सा 31 4 प्रतिशत से घटकर केवल 19 8 प्रतिशत रह गया था। परन्तु 1947–48 मे इग्लैण्ड के हिस्से मे पुन वृद्धि हो गयी थी तथा यह बढकर कुल आयातो मे 30 2 प्रतिशत हो गया था। यद्यपि 1938–39 मे भारत के कुल आयातो मे अमरीका का हिस्सा केवल 7 4 प्रतिशत था, परन्तु 1944–45 मे बढकर 25 7 प्रतिशत तथा 1947–48 मे 30 3 प्रतिशत हो गया था। अमरीका से होने वाले आयातो मे प्रमुख आयात वस्तु खाद्यान्न पदार्थ थे। यद्यपि खाद्यान्नो के अतिरिक्त

उपभोग वस्तुओ तथा पूँजी उपकरणो का भी आयात किया गया था। देश के विभाजन के परिणाम स्वरूप भारत को कच्चा जूट कच्ची रुई, खाले, तथा ऊन आदि वस्तुए पाकिस्तान से आयात करने की आवश्यकता थी। जापान से भारत मशीन उपकरण तथा अन्य औद्योगिक वस्तुए आयात करता था।

## (ब) स्वतन्त्रता के पश्चात भारत का विदेशी व्यापार :–

भारत को सन् 1947 मे स्वतन्त्रता प्राप्त हुई, किन्तु इस स्वतन्त्रता मे देश विभाजन का विष घुला हुआ था, जिसके फलस्वरूप भारत तथा नवोदित पाकिस्तान को अनेक आर्थिक कठिनाइयो का सामना करना पडा। इन कठिनाइयो मे खाद्यान्नो की समस्या, मुद्रा तथा बैकिग सम्बन्धी व्यवस्था तथा व्यापार सम्बन्धी अस्तव्यस्ता मुख्य है।

**1. देश विभाजन और भारत का विदेशी व्यापार :–** भारत के विभाजन से देश के व्यापार पर निम्नलिखित प्रभाव पडा –

**(i) कच्चे माल का आयात** – विभाजन के फलस्वरूप बढिया पटसन लम्बे रेशे की रुई तथा अन्न उत्पन्न करने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्र पाकिस्तान मे चले गये। अत भारत को पटसन रुई तथा खाद्यान्नो का आयात करना पडा। यह एक विडम्बना ही थी कि पटसन और रुई निर्यात करने वाले भारत को 1948 मे ही 71 करोड रुपए के पटसन का आयात करना पडा। इसी वर्ष लगभग 87 करोड रुपये का अन्न भी विदेशो से मगाया गया।

**(ii) प्रतिकूल व्यापार शेष** – विभाजन का दूसरा परिणाम यह हुआ कि भारत का व्यापार सन्तुलन प्रतिकूल होने लगा। 1948–49 मे ही भारत का व्यापार सन्तुलन 283 करोड रुपये से प्रतिकूल था। इस स्थिति का सामना करने के लिए भारत के अनेक आयातो पर प्रतिबन्ध लगाने पडे। इस प्रकार भारत मे स्वतन्त्र व्यापार नीति समाप्त हो गयी।

**(iii) व्यापार का स्वरूप** – स्वतन्त्रता से पहले पूर्वी बगाल पश्चिमी पजाब तथा सिन्ध और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रान्त से होने वाला व्यापार भारत का आन्तरिक व्यापार ही कहलाता था, किन्तु विभाजन के फलस्वरूप इन क्षेत्रो का व्यापार विदेशी व्यापार बन गया। इससे व्यापार सम्बन्धी असुविधाए उत्पन्न हो गयी और कुछ समय तक तो दोनो देशो का लेन–देन प्राय बन्द ही रहा। बाद मे पारस्परिक समझौते द्वारा कुछ वस्तुओ का आदान–प्रदान आरम्भ किया गया।

**2. अवमूल्यन तथा उसके प्रभाव .–** युद्धोत्तर काल मे ब्रिटेन को 'डालर सकट' का सामना करना पडा। यह संकट भारत के सामने भी उपस्थित हुआ। इसका अनुमान इस बात से

लग सकता है कि 1946 मे भारत के पास केवल 5 करोड रुपये डालर मुद्रा की कमी थी। यह कमी 1947 मे बढकर 86 करोड रुपये के तुल्य हो गयी। इसके साथ ही 1947–48 मे अमरीका को किये गये निर्यातो का मूल्य 80 करोड रुपये था जो 1948–49 मे घटकर 70 करोड रुपये के तुल्य रह गया। अत जब 18 सितम्बर 1949 को ब्रिटेन ने पौण्ड के अवमूल्यन की घोषणा की तो भारत ने भी रुपये का (डालर की तुलना मे) 30 5 प्रतिशत अवमूल्यन कर दिया। इस अवमूल्यन से व्यापार पर कई प्रभाव पडे।

**(i)** **निर्यातो मे वृद्धि** – अवमूल्यन के फलस्वरूप दुर्लभ मुद्रा वाले क्षेत्रो मे भारतीय माल–कपडा, तिलहन, चमडा, तम्बाकू, चाय, मसाले, मैगनीज आदि की मॉग बहुत बढ गयी, जिससे इन वस्तुओ के निर्यात मे वृद्धि हुई। उदाहरण के तौर पर सूती वस्त्र का निर्यात अवमूल्यन के अगले वर्ष ही 31 करोड रूपये से बढकर 82 करोड रूपये तक पहुँच गया। डालर मुद्रा क्षेत्र मे भारत द्वारा 1948–49 मे कुल 91 करोड रूपये के लगभग मूल्य का माल निर्यात किया गया था। इसकी राशि 1949–50 मे लगभग 125 करोड रूपये के तुल्य हो गयी।

**(ii)** **आयातो मे कमी** – अवमूल्यन के फलस्वरूप भारत मे डालर क्षेत्रो का माल मॅहगा पडने लगा जिससे इन देशो से आयात मे कमी हो गयी। 1948–49 मे डालर मुद्रा क्षेत्र से भारत का आयात लगभग 125 करोड रूपये के तुल्य था जो अगले वर्ष ही घटकर लगभग 115 करोड रूपये के तुल्य रह गया।

**(iii)** **डालर ऋण मे वृद्धि** – अवमूल्यन के कारण अमरीका से आयात होने वाले खाद्यान्नो तथा मशीनो आदि का भारत को अधिक मूल्य चुकाना आवश्यक हो गया। अत इनका भुगतान करने के लिए भारत को अमरीका से ऋण लेना पडा। इस प्रकार भारत के डालर ऋण मे निरन्तर वृद्धि होने लगी।

**(vi)** **व्यापार सन्तुलन मे सुधार** :– आयातो मे कमी तथा निर्यातो मे वृद्धि होने के कारण भारत की व्यापार सन्तुलन स्थिति ठीक हो गयी। 1948–49 मे भारत का व्यापार सन्तुलन 127 करोड रूपये से प्रतिकूल था जो 1949–50 मे लगभग 50 करोड रूपये से अनुकूल हो गया।

वास्तव मे भारत के निर्यातो मे वृद्धि का कारण केवल अवमूल्यन था यह कहना सही नही है। क्योंकि कोरियाई युद्ध के कारण भी भारतीय माल की मॉग बढ गयी थी। यह स्थिति सर्वथा अल्पकालीन थी, क्योकि कोरिया मे युद्ध बन्द होते ही निर्यातो की राशि

कम होने लगी। इधर भारत मे प्रथम पचवर्षीय योजना भी आरम्भ कर दी गयी, जिसके कारण विदेशो से अनेक प्रकार की मशीनो तथा निर्मित माल का आयात करना आवश्यक हो गया। अत भारत के विदेशी व्यापार का सन्तुलन पुन भारत के प्रतिकूल हो गया।

स्वतन्त्रता के पश्चात योजना काल के बाद देश के प्रमुख आयात एव उनमे परिवर्तन निम्नलिखित है–

**तालिका सख्या–25**

**प्रथम योजना काल मे भारत के प्रमुख आयात**

(करोड रूपये में)

| क्र0 स0 | मद | 1950–51 | 1979–80 |
|---|---|---|---|
| 1 | लोहा एव इस्पात | 14 | 872 |
| 2 | मशीने विधुत मशीने अलग | 67 | 1295 |
| 3 | पेट्रोलियम उत्पाद | 54 | 3024 |
| 4 | विधुत मशीने | 22 | 155 |
| 5 | खाद्य तेल | - | 442 |
| 6 | रसायनिक खाद | - | 403 |
| 7 | कागज | 10 | 155 |
| 8 | रसानिक पदार्थ | 9 | 312 |
| 9 | मोती एव जवाहरात | - | 347 |

उक्त तालिका से निम्न निष्कर्ष निकाले जा सकते है–

1 **मशीने** – योजनाओ की अवधि मे आयात बीस गुने से भी अधिक हो गये। अनेक प्रकार की मशीने देश मे ही बनने लगी है। फिर भी मशीनो की मॉग के कारण आयात बढे है।

2 **खाद्यान्न** – योजनाकाल मे अनाज के आयात मे उतार–चढाव होते रहे है। अनेक बार सूखा या बाढ के कारण फसले खराब हेती रही है जिसके फलस्वरूप अधिक अनाज आयात करना पडा। खाद के आयात मे वृद्धि का भी मूल कारण यही है कि देश मे कृषि पदार्थो की उपज बढाने की चेष्टा की जा रही है। गत वर्षो मे खाद्यान्न के आयात समाप्त हो गये है।

3. **लौह इस्पात** – खनिज लोहा तो भारत निर्यात करता है परन्तु बढिया किस्म का इस्पात व शुद्ध किया हुआ लोहा, आयात करता है। भारत मे स्वतन्त्रता के पश्चात से अनेक नये इस्पात

कारखानो के खुलने के बाद भी इस्पात की पर्याप्त पूर्ति नही हो पा रही है, और इस मद मे भी प्राय आयात की मात्रा बढ रही है।

4 **खनिज तेल** – भारत की आर्थिक उन्नति एव औद्योगिक विकास से देश मे खनिज तेलो की मॉग मे लगातार वृद्धि हो रही है। खनिज तेल का आयात करने का एक कारण सुरक्षा व्यवस्था को दृढ करना है, परन्तु मूल्यो मे वृद्धि भी इनके आयातो की राशि मे वृद्धि का मुख्य कारण है।

5 **रसायन** – देश मे रसायनिक सामानो की मॉग बढने का एक मुख्य कारण देश मे विभिन्न प्रकार के उद्योगो का विकास है। जिसमे प्रयोग के लिए उद्योगो की मॉग को पूरा करने के आयात करना पडा, वैसे देश मे रसायनिक उद्योगो के विकास के कारण इस मद मे कमी आने की आशा है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि स्वतन्त्रता के समय से जो आयातो मे वृद्धि हुई है उसमे अधिकाश वृद्धि उद्योगो के विकास एव विस्तार के लिए की गयी प्रतीत होती है साथ ही निर्यात को देखे तो स्वन्त्रता के समय व योजना काल के बाद देश के प्रमुख निर्यात निम्नलिखित रहे है–

**तालिका सख्या–26**

**प्रथम योजना काल मे भारत के प्रमुख निर्यात**

| | मद | 1950–51 (करोड रूपये में) | 1979–80 (करोड रूपये में) |
|---|---|---|---|
| 1 | जूट का निर्मित माल | 133 | 341 |
| 2 | चाय | 80 | 355 |
| 3 | सूती वस्त्र तथा सूत | 120 | 285 |
| 4 | चमडा एव चमडे का समान | 26 | 525 |
| 5 | कच्चा लोहा | नगण्य | 289 |
| 6 | लोहा इस्पात | नगण्य | 101 |
| 7 | इन्जीनियरिंग का सामान | - | 422 |

| 8 | तम्बाकू | 1 4 | 102 |
|---|---|---|---|
| 9 | चीनी (शक्कर) | - | 146 |
| 10 | कॉफी | - | 163 |
| 11 | मोती एव जवाहरात | - | 481 |
| 12 | सिले हुए कपडे | - | 454 |
| 13 | मछली एव सम्बन्धित पदार्थ | - | 249 |
| 14 | रसायन | - | 200 |
| 15 | मसाले | - | 149 |

उक्त तालिका को देखने से निर्यातो की निम्नलिखित प्रवृत्तिया स्पष्ट होती है—

**परम्परागत निर्यातो मे वृद्धि** — स्वतन्त्रता के समय के बाद भारत मे चमडा एव चमडे का सामान, चाय सूती वस्त्र, तम्बाकू आदि के निर्यात मे निरन्तर वृद्धि हुई। वही इस सम्बन्ध मे यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि चाय के निर्यात मे भारत को अत्यधिक स्पर्धा का सामना करना पड रहा है। बाग्ला देश से प्रतिस्पर्धा बढने के कारण पटसन की स्थिति डवाडोल हो गई है।

**काजू अभ्रक, कहवा, खली आदि का निर्यात** — काजू अभ्रक, कहवा, खली आदि के निर्यात मे विशेष वृद्धि नही हुई। बीच–बीच मे उनमे थोडे बहुत उतार चढाव आते रहे किन्तु आगामी वर्षों मे इनमे निर्यात बढने की सम्भावना है।

**नई वस्तुएँ** — यहॉ निर्यातो की मुख्य विशेषता यह है कि स्वतन्त्रता के समय से पिछले कुछ वर्षों मे देश से कुछ नई वस्तुओ के निर्यात मे वृद्धि हुई है। उदाहरणार्थ मोती, जवाहरात, लोहा और इस्पात, रसायन तथा इजीनियरी का सामान शक्कर हस्तशिल्प का सामान और बने हुए कपडे मुख्य है।

**स्वतन्त्रता के समय विभिन्न देश से होने वाले आयात तथा उनमें परिवर्तन** — स्वतन्त्रता के समय की तुलना मे, गत वर्षों मे भारत के आयात व्यापार की दिशा मे भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए है। अनुमानत निम्न तालिका द्वारा इन परिवर्तनो का पता लगाया जा सकता है।

तालिका सख्या–27

<u>आजादी के समय प्रमुख देशो से होने वाले भारत के आयात</u>

(करोड रूपये में)

| देश | 1950-51 | 1960-61 | 1979-80 | 1998-99 |
|---|---|---|---|---|
| अमरीका | 119 | 328 | 870 | 15339 |
| ब्रिटेन | 135 | 217 | 664 | 10793 |
| सोवियत रूस | नगन्य | 16 | 729 | 22218 |
| पश्चिमी जर्मनी | - | 123 | 645 | 8998 |
| जापान | 10 | 61 | 610 | 10032 |
| कानाडा | 22 | 20 | 223 | 1560 |
| आस्ट्रेलिया | - | 18 | 150 | 6282 |
| ईरान | 37 | 30 | 620 | 2044 |
| इराक | - | - | 858 | 636 |
| वेलजियम | - | - | 266 | 10596 |

उक्त तालिका का अध्ययन करने पर निम्न स्थिति स्पष्ट ही रही है –

1 भारत मे अमरीका, सोवियत सघ, पश्चिमी जर्मनी, कनाडा तथा जापान मे होने वाले आयातो मे विशेष वृद्धि हुई है। 1960–61 मे भारत के कुल आयात का लगभग 21 प्रतिशत ब्रिटेन से आयात होता था किन्तु वही आयात बाद मे चल कर 1979–80 मे केवल 9 प्रतिशत के लगभग रह गया। अमरीका का भाग आज भी भारत के कुल आयात का 12 प्रतिशत ही है जापान, सोवियत सघ, पश्चिमी जर्मनी से होने वाले आयातो मे भी पर्याप्त मात्रा मे वृद्धि हुई। इन देशो से मुख्यत विभिन्न वर्गों की मशीनो बिजली सम्बन्धी उपकरण आदि मगाये गये जो अपने देश के विभिन्न योजनाओ के विकास विस्तार एव कुशल सचालन के लिए आवश्यक पड रहे थे इन्ही परिपेक्ष मे ईरान तथा इराक से खनिज तेल का आयात होता है।

2 **स्वतन्त्रता के पश्चात नये देशो से व्यापार** – भारत के आयातो मे न केवल ब्रिटेन का स्वतन्त्रता के बाद एकाधिकार समाप्त हो गया बल्कि स्वतन्त्र भारत मे अपनी आवश्यकता अनुसार कुछ अन्य नये देशो से भी व्यापार बढने की प्रवृत्ति है। ईरान तथा ईराक से मुख्यत खनिज तेल तथा सयुक्त अरब गणराज्य से रुई का आयात किया जाता है।

**स्वतन्त्रता के समय भारत से विभिन्न देशों को होने वाले निर्यात तथा उनमे परिवर्तन :–** स्वतन्त्रता के पश्चात गत वर्षो मे भारत के निर्यात की दिशा मे भी काफी महत्वपूर्ण परिवर्तन

हुए। निम्न तालिका द्वारा हम निर्यात की स्थिति तथा होने वाले परिवर्तनो का अध्ययन कर सकते है।

तालिका सख्या–28

**आजादी के समय प्रमुख देशो से होने वाले भारत के निर्यात**

(करोड रूपये में)

| देश | 1950-51 | 1960-61 | 1979-80 | 1998-99 |
|---|---|---|---|---|
| अमरीका | 116 | 103 | 809 | 30842 |
| ब्रिटेन | 140 | 172 | 474 | 8028 |
| सोविय सध | 14 | 29 | 640 | 3038 |
| पश्चिमी जर्मनी | - | 20 | 365 | 7229 |
| जापान | 10 | 35 | 665 | 6945 |
| कानाडा | 14 | 18 | 61 | 2006 |
| आस्ट्रेलिया | 30 | 22 | 100 | 1640 |
| ईरान | अनु0 | 5 | 100 | 667 |

स्रोत – आर्थिक समीक्षा 1999–2000, S 91 – 92

उक्त तालिका के अध्ययन से निम्न बाते स्पष्ट होती है –

1 सोवियत रूस एव जापान का स्थान स्वतन्त्रता के समय के पश्चात महत्वपूर्ण हो गया। किन्तु सोवियत सघ के विघटन के बाद उसका अश कम हो गया है।

2 1950–51 मे कुल निर्यातो का लगभग 24 प्रतिशत माल अकेले ब्रिटेन भेजा जाता था। स्वतन्त्रता के पश्चात उसका एकाधिकार समाप्त हो गया। परन्तु अब भी अमरीका का प्रभावव यथावत है। यद्यपि सोवियत सघ (विघटन के पूर्व) तथा जापान की क्रमश कुल निर्यात का 14 प्रतिशत तथा 9 प्रतिशत भाग रहा इस प्रकार नये देशो का महत्व भारत के निर्यातो मे अधिक बढा है।

3 भारत का अपने पडोसी देशो से स्वतन्त्रता के समय जिनके साथ व्यापार था अब कम होता जा रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि या तो उनसे हमारे वो मधुर सम्बन्ध नही रहे अथवा वो कठोर आयात नीति अपना रहे है।

4 भारतीय व्यापार मे अधिकाधिक सहयोग साम्यवादी देशो से मिलता रहा है उदाहरणार्थ 1979–80 मे भारत ने पोलैण्ड को 40 करोड रूपये चैकोस्लोवाकिया को 43 करोड रूपये रूमानिया को 50 करोड रूपये तथा सोवियत सघ को 645 करोड रूपये का माल निर्यात किया।

इस प्रकार हम कह सकते है कि भारत मे पूँजी गत माल का आयात और निर्यात स्वतन्त्रता के पश्चात निरन्तर बढ रहा है। परम्परागत वस्तुओ (चाय, पटसन) का भी निर्यात बढ रहा है इसके अतिरिक्त व्यापार की सभी सीमाओ को भारत लॉघ चुका है। वह न केवल अमरीका, ब्रिटेन, जर्मनी तथा जापान सरीखे पूँजीवादी देशो से व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित कर चुका है। बल्कि पूर्वी जर्मनी अब एकीकृत जर्मनी, पोलैण्ड, रूमानिया, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया तथा सोवियत रूस सरीखे साम्यवादी देशो से भी उनके लेन–देन मे वृद्धि हुई है। देश के स्वतन्त्रता के पश्चात व्यापार की दशा नित नयी दिशाए आर्थिक उन्नति मे अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।

**व्यापार सन्तुलन** – द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व तथा कुछ समय पश्चात भारत का व्यापार सन्तुलन उसके अनुकूल रहा। परन्तु वह योजनाकाल मे निरन्तर प्रतिकूल रहा है। केवल 1971–72 और 1976–77 मे व्यापार शेष मे कुछ अनुकूलता दिखलायी पडी थी किन्तु यह भी अधिक दिन तक स्थिर न'रह सकी, और पुन 1977–78 मे प्रतिकूल हो गया। निम्न तालिका द्वारा इसकी स्थिति को अधिक स्पष्ट रूप मे समझ सकते है।

**तालिका सख्या–29**

**आजादी के समय भारत का व्यापार शेष**

| वर्ष | आयात | निर्यात | व्यापार शेष (अनुकूल/ प्रतिकुल) |
|---|---|---|---|
| 1950-51 | 650 | 601 | -49 |
| 1960-61 | 1140 | 660 | -480 |
| 1970-71 | 1634 | 1535 | -99 |
| 1972-73 | 1797 | 1970 | +173 |
| 1976-77 | 5074 | 5142 | +68 |
| 1979-80 | 8908 | 6459 | -2,449 |
| 1980-81 | 12484 | 6709 | -5775 |

उक्त तालिका से व्यापार सन्तुलन की स्थिति के बारे मे स्पष्ट होता है कि व्यापार सन्तुलन निरन्तर प्रतिकूल रहा है। इसके कई मुख्य कारण है, जो इस प्रकार है –

1 1947 मे भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान एक अलग स्वतन्त्र देश बन गया जिसके परिणाम स्वरूप भारत को अन्न, रुई, पटसन के अधिक आयात के लिए बाध्य होना पडा जबकि देश विभाजन के पूर्व यह स्थिति देश के सामने नही थी।

2 जनसख्या वृद्धि भी व्यापार सन्तुलन को प्रतिकूल करने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भारत की जनसख्या प्रतिवर्ष सवा करोड से अधिक बढ जाती है। जिसकी तुलना मे खाद्यान्नो का उत्पादन देश की बढती हुई जनसख्या की आवश्यकताओ की पूर्ति करने मे सफल नही रहा है। अत गत वर्षो मे देश को खाद्यान्नो का भी आयात करना पडा।

3 भारत को स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात प्राय सभी महत्वपूर्ण उद्योगो मे मशीने बदलने के लिए बाध्य होना पडा क्योकि उनमे अत्यधिक मशीने जीर्ण–शीर्ण अवस्था मे थी। इसके अलावा नयी विकास योजनाओ की पूर्ति के लिए भी मशीनो का आयात करना पडा उदाहरणार्थ 1951–56 की अवधि मे लगभग 125 करोड रूपये वार्षिक मशीनो तथा उपकरणो के आयात पर खर्च करना पडा। 1951–61 की अवधि मे यह औसत 323 करोड रूपये वार्षिक तक पहुँच गया। यह तीसरी योजनाकाल के पॉच वर्षो मे कुल 2,158 करोड रूपये के मूल्य की मशीने विदेशो से आयात की गयी। इस प्रकार मशीनो के आयात का वार्षिक औसत 431 करोड रूपये हो गया। 1978–79 मे मशीनो का आयात 784 करोड रूपये के तुल्य था।

4 भारत को स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात चीन और पाकिस्तान के गैर–मित्रतापूर्ण रुख के कारण अपनी प्रतिरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और बढाने के लिए सुरक्षा सामग्री का आयात करना पडा। जबकि स्वतन्तत्रता के पूर्व यह स्थिति नही थी।

5 खनिज तेलो के मूल्य मे वृद्धि उत्पादन देशो द्वारा बार–बार किया जाता रहा है। जिसके कारण देश के पेट्रोलियम पदार्थो का आयात बिल बढता गया। यह 1950–51 मे 54 3 करोड से बढ कर 1979–80 तक 3023 करोड हो गया था।

**<u>विदेशी व्यापार पर बढ़ता हुआ सरकारी नियन्त्रण</u>** – द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व भारत मे सरकार के पूर्व अनुमति के बिना अधिकाश वस्तुए आयात हो सकती थी। सुरक्षा की दृष्टि से युद्ध काल मे आयात निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। योजना काल मे यह नियन्त्रण निरन्तर कडे होते गये। योजनाओ मे व्यय की जाने वाली बडी–बडी धनराशियॉ एव उत्पादन स्तर पर असफलता के कारण जो विदेशी विनमय सकट उत्पन्न हुआ उसका हल निकालने के लिए सरकार ने प्राय सभी वस्तुओ के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया। इन वस्तुओ के आयात लाइसेसो के आधार पर ही किये जाने की व्यवस्था रही है। भारतीय निर्यातो की भी यही स्थिति

है क्योकि लाइसेस लेना निर्यातको के लिए भी अनिवार्य कर दिया गया। अत भारत के आयात निर्यात पूर्णत सरकारी नीति के अनुसार ही हो सकते थे। सरकार प्रत्यक्ष रूप से भी विदशी व्यापार मे भाग लेने लगी। इस कार्य हेतु सरकार कई निगमे स्थापित की जैसे राजकीय व्यापार निगम, भारतीय काजू निगम, हस्तकला एव हथकरघा निर्यात निगम, भारतीय चलचित्र निर्यात निगम, खनिज एव धातु व्यापार निगम, प्रोजेक्ट एण्ड ईक्विपमेन्ट निगम आदि।

**भारत का विश्व व्यापार मे घटती हिस्सेदारी** – स्वतन्त्रता के पश्चात के वर्षो मे भारत का विदेशी व्यापार तेजी से बढा है यह सच है परन्तु यह वृद्धि ससार के कुल व्यापार की तुलना मे शिथिल है। इस बात का अनुमान निम्न तालिका द्वारा लगाया जा सकता है।

**तालिका सख्या–2 10**

**आजादी के समय भारत का विश्व व्यापार मे भाग**

| वर्ष | मिलियन डालर मे | | |
|---|---|---|---|
| | विश्व निर्यात | भारत के निर्यात | भारत का प्रतिशत भाग |
| 1951 | 7800 | 1611 | 2 11 |
| 1961 | 117400 | 1387 | 1 2 |
| 1981 | 1100000 | 5000 | 0 49 |

विश्व व्यापार मे भारत के घटते हुए भाग का मुख्य कारण यह है कि भारत के निर्यात अभी भी परम्परागत है तथा नयी वस्तुओ के निर्यातो का योगदान विशेष उल्लेखनीय नही हो पाया है। यद्यपि 1991 मे उदारीकरण के बाद स्थिति मे उल्लेखनीय परिवर्तन आया है।

किसी भी देश का नियोजित आर्थिक विकास के लिए प्रवैगिक व्यापारिक नीति का होना आवश्यक है एक देश प्रवैगिक व्यापारिक नीति के अन्तर्गत यह निर्धारित करता है। कि किस प्रकार तथा किस देश के साथ व्यापार किया जाय कि लाभ हो। भारत की व्यापारिक नीति इस सन्दर्भ मे काफी लोच पूर्ण रही है। स्वतन्त्रता के तत्कालीन वर्षो मे देश का व्यापारिक ढॉचा औपनिवेशिक था। तत्पश्चात व्यापार का सम्बन्ध विदेशी सहायता से जुड गया।

स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत के विदेशी व्यापार की दिशा मे बडा परिवर्तन हुआ है। वर्ष 1970–71 मे 27 7 प्रतिशत का हिस्सा भारतीय विदेशी व्यापार के कुल आयातो मे था। जो घटकर 1974–75 मे मात्र 16 3 प्रतिशत ही रह गया था, इसी प्रकार भारत द्वारा अमरीका को किए जाने वाले निर्यात भी क्रमश घटे। 1971–72 मे भारत के निर्यातो मे अमरीका का हिस्सा 16 4 प्रतिशत था जो 1974–75 मे घटकर केवल 11 4 प्रतिशत ही रह गया।

भारत के कुल आयातो मे इग्लैण्ड का हिस्सा भी घटता बढता रहा है। 195–56 मे भारत के कुल आयातो मे इग्लैण्ड का हिस्सा 25 4 प्रतिशत था। 1970–71 मे घटकर केवल 7 8 प्रतिशत ही रह गया। पर अगले वर्ष स्थिति मे कुछ सुधार हुआ और कुल आयातो का हिस्सा भारतीय विदेशी व्यापार मे 12 7 प्रतिशत हो गया। इसके पश्चात क्रमश कुल आयातो का प्रतिशत घटता ही जा रहा है। 1974–75 मे इसका हिस्सा 4 8 प्रतिशत हो गया। भारत का निर्यात मे भी ह्रास होता रहा है। भारत का जो हिस्सा 1970–71 मे 11 1 प्रतिशत था 1974–75 मे घटकर केवल 9 3 प्रतिशत ही रह गया। परन्तु इसके ठीक विपरीत रूस (सोवियत सघ के विघटन के पूर्व) और भारत के विदेशी व्यापार मे व्यापारिक सम्बन्धो मे दिनो दिन सुधार होने के कारण अप्रत्याशित प्रगति हुई। भारत के कुल आयातो मे रूस का हिस्सा वर्ष 1951–52 मे जो कुल 0 1 प्रतिशत ही था वर्ष 1970–71 मे बढकर 6 5 प्रतिशत हो गया इसी क्रम मे 1974–75 मे कुल आयातो का हिस्सा बढ कर 9 0 प्रतिशत हो गया। निर्यातो मे भी क्रमश वृद्धि होती रही है। वर्ष 1951–52 मे कुल निर्यात मात्र 9 प्रतिशत ही था 1970–71 मे बढकर 13 7 प्रतिशत हो गया किन्तु 1974–75 मे घटकर 12 7 प्रतिशत हो गया। देश के व्यापार मे अमरीका ब्रिटेन तथा रूस के अतिरिक्त जर्मनी जापान आस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, पोलैण्ड, चेकोस्लाविया आदि का भी महत्वपूर्ण योगदान है। मिस्र तथा बग्लादेश के साथ व्यापार मे कुछ ह्रास हुआ है। सक्षेप मे यह कहा जा सकता है कि हाल के कुछ वर्षो मे देश का व्यापार बहुविध हो गया है तथा यह प्रवृत्ति देश के लिए हितकर है।

********

# अध्याय तीन

## विभिन्न आयात–निर्यात नीतियाँ एवं हमारा विदेशी व्यापार

## अध्याय – 3

# विभिन्न आयात–निर्यात नीतियाँ एवं हमारा विदेशी व्यापार

आजादी के पहले भारत की अपनी स्पष्ट व्यापारिक नीति नही थी, यद्यपि सरकार ने विभेदात्मक सरक्षण की नीति (Discriminating Protection) 1923 से ही अपनायी थी ताकि विदेशी प्रतियोगिताओ से कुछ उद्योगो की रक्षा की जा सके। भारत की कोई स्पष्ट व्यापारिक नीति आजादी के पश्चात् ही सामने आ सकी, क्योकि तब से ही व्यापारिक नीति को, समान्य आर्थिक नीति के एक अग के रुप मे स्वीकार किया गया। आजादी के पश्चात् मुख्यत योजनाकाल मे भारतीय व्यापारिक नीति को अर्थव्यवस्था मे विकास लाने तथा अर्थव्यवस्था मे विविधता लाने के उद्देश्य से प्रयोग मे लाया गया। व्यापारिक नीति प्रारम्भ मे आयात के नियन्त्रण तथा निर्यात के प्रोत्साहन पर आधारित थी। व्यापारिक नीति का मुख्य आधार आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रोत्साहन को तीसरी योजना के पूर्व कम महत्व दिया गया था, किन्तु बाद मे व्यापारिक नीति आयात की उदारता तथा साथ ही निर्यात सम्बर्धन पर आधारित हुई।

आजादी के पश्चात भारत के सम्यक विकास हेतु आयात–निर्यात नीति की आवश्यकता महसूस की गयी। चूँकि स्वतन्त्रता के पश्चात् देश का भुगतान सन्तुलन सदैव प्रतिकूल रहा और इन्ही कारणो से भुगतान सन्तुलन भी विपक्ष मे बना रहा। इसके लिए अनेक उपायो के अतिरिक्त देश मे एक उचित व्यापार नीति को अपनाया जाना परम आवश्यक है। एक उत्तम व्यापार नीति का मुख्य उद्देश्य निर्यातो एव आयातो मे इस प्रकार से सम्बन्ध स्थापित करना है कि देश का आर्थिक विकास सम्भव हो सके तथा देश आत्मनिर्भर हो सके। देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रो मे प्रगति करने पर आर्थिक विकास सम्भव किया जा सकता है। देश की उत्पादित एव विदेशो से आयातित, आवश्यक उपकरणो की प्राप्ति पर ही औघोगिक क्षेत्र की प्रगति निर्भर करता है। देश के निर्यात मे वृद्धि होना भी परम आवश्यक है। व्यापारिक नीति का मुख्य उद्देश्य आयातो को सीमित करना व निर्यातो को प्रोत्साहित करना, देश मे आवश्यक वस्तुओ का ही आयात करना, निर्यात प्रोत्साहित करने वाले उघोगो को बढावा देना, उचित मूल्य पर घरेलू बाजार मे वस्तुओ का न्यायपूर्ण ढग से वितरण किया जाना, देश की आयात प्रतिस्थापित वस्तुओ

के उद्योगो की स्थापना व उनके लिए कच्चे माल की व्यवस्था करना, निर्यात क्षेत्र मे अतिरेक का सृजन व निर्यातो मे वृद्धि करना। भारतीय व्यापारिक नीति को हम अध्ययन की दृष्टि से व्यवहारिक रुप मे तीन भागो मे बॉट सकते है[1] –

(अ) आयात नीति

(ब) निर्यात नीति

(स) विदेशी व्यापार की सगठनात्मक नीतियॉ

## (अ) आयात नीति

सरल अध्ययन के लिए हम आयात नीति को दो भागो मे बॉट सकते है –

(i) नियोजन से पूर्व आयात नीति

(ii) योजना अवधि मे आयात नीति

(i) **नियोजन से पूर्व आयात नीति** आजादी के पूर्व यादि हम देश की आयात नीति को देखे तो यह पायेगे कि इस देश की आयात नीति का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश हितो की रक्षा करना था तथा ब्रिटेन मे निर्मित वस्तुओ का आयात किया जाना था परन्तु स्वतत्रता के पश्चात् विकासजनित आयात नीति को अपनाया गया। वस्तु स्थित यह थी कि 1951 के पूर्व विकास से सम्बन्धित कोई आयात नीति थी ही नही। इसके पूर्व समय–समय पर सरकार ने जो आयात नीति अपनाई थी वह केवल तत्कालीन समस्याओ के निराकरण से सम्बन्धित थी, दीर्घकालीन आर्थिक विकास से प्रभावित नही थी। 1951 के पूर्व विकास जनित आयात नीति के निर्धारक तत्वो मे मुख्यतया आयातो की प्रकृति इस ढग से रखना कि उससे निर्यात प्रोत्साहन मे सहायता मिले, उन वस्तुओ के आयातो को प्रोत्साहित करना जिससे औद्योगिकरण मे सहायता मिले, देश मे उत्पादित होने वाले वस्तुओ के आयातो को रोकने का प्रयास, विदेशी विनमय की सुरक्षा हेतु आयातो को सीमित करना आदी। 1949–52 मे विवेचनात्मक आयात नीति को अपनाया गया तथा डालर क्षेत्र से आयातो को प्रतिबन्धित कर दिया गया। इग्लैण्ड से उदार आयात नीति को जारी रखा गया। 1949 मे अवमूल्यन के कारण आयातो की कठोर नीति अपनायी गयी। अवमूल्यन से निर्यात बढे तथा आयातो को प्रतिबन्धित करने से भुगतान शेष की स्थिति मे सुधार

---

[1] डॉ0 एस0एन0 लाल – पेज 182

नोट – विदेशी व्यापार की सगठनात्मक नीतियो का विस्तृत विवरण हम अगले अध्याय मे प्रस्तुत करेगे।

हुआ। कठोर आयात नीति के उपरान्त भी खाद्यान, मशीनो व कच्चे माल के आयात पर उदार नीति अपनायी गयी। भारत मे 1 अप्रैल, 1951 से प्रथम पचवर्षीय योजना आरम्भ हुई और उसके साथ ही अर्थव्यवस्था के दीर्घकालीन विकास की रुपरेखा सामने आयी। विकास सम्बधित आर्थिक नीतियो को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने अपनी आयात नीति को समन्वित करने का प्रयास किया। इस तरह से अप्रैल 1951 मे ही दीर्घकालीन विकासात्मक योजनाओ की पृष्ठ भूमि मे आयात नीति का निर्धारण किया गया। भारतीय आयात नीति का अध्ययन करने के पूर्व यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि आयात एव भुगतान सन्तुलन के बीच एक प्रत्यक्ष सम्बन्ध है अर्थात् एक सीमा तक भुगतान सन्तुलन आयात के स्वभाव एव मात्रा को प्रभावित करना है।

सन् 1950 मे श्री जी0एल0 मेहता की अध्यक्षता मे सरकार ने आयात नियन्त्रण जॉच समिति नियुक्त की, जिसने देश की औद्योगिकरण की समस्या एव सीमित साधनो को देखते हुए आयात नीति के सम्बन्ध मे निम्न लिखित सिफारिशे की –

(1) सरकार तथा व्यापारिक इकाइयो द्वारा समग्र आयात की मात्रा को प्राप्त विदेशी विनमय तक सीमित होना।

(2) प्राप्त विदेशी विनमय के साधनो को कृषि एव औद्योगिक आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए एव उपभोक्ताओ को अति आवश्यक आवश्यकताओ की सतुष्टि के लिए वितरित करना।

(3) उन वस्तुओ के सम्बन्ध मे कीमत मे होने वाले बदलाव को नियन्त्रित करना जिसकी कीमत सामान्य कीमत स्तर से अधिक हो गया हो।

मेहता समिति का यह भी मत था कि समयावधि पर आवश्यकता के अनुसार आयात मे प्रथामिकताओ का निर्धारण किया जाय। तत्कालीन परिस्थितियो को देखते हुए समिति ने आयात के सम्बन्ध मे प्राथतिकता का क्रम भी निर्धारित किया। मेहता समिति की सिफारिशो को सरकार ने स्वीकार कर लिया। इस तरह से मेहता समिति ने भारत मे आयात नीति को एक निश्चित दिशा अर्थात् आयाम प्रदान किया।

हमारी आयात नीति का मुख्य उद्देश्य देश को आत्मनिर्भता के पथ पर अग्रसर करना है। इस नीति मे लिए गये निर्णयो के कुछ अच्छे परिणाम भी सामने आये है। देश विभिन्न ऐसी वस्तुओ के क्षेत्र मे आत्मनिर्भर हुआ है। जिसके लिए पहले विदेशो पर निर्भर रहना पडता था। यह विदित है कि देश के औद्योगिक विकास के लिए मशीन एव अन्य वस्तुओ के लिए विदेशो पर पूर्णत निर्भर रहना पडता था, परन्तु अब ऐसी स्थिति नही है, अब कम मशीनो के आयात पर भी हमारी आवश्यकता पूर्ति हो जा रही है।

कुछ समय पहले तक विभिन्न क्षेत्रो मे औद्योगिक कच्चे माल की आपूर्ति आयातो द्वारा ही की जाती थी, इसके लिए आयातो की मात्रा न्यूनतम किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। अब हमारे यहॉ शोधो के माध्यम से यह ज्ञात करने का प्रयत्न किया जा रहा है कि किन–किन उद्योगो मे आयातित कच्चे माल की जगह देश मे उपलब्ध कच्चे माल का प्रयोग कर सकते है। उदाहरणार्थ – तॉबा। यह जानते हुए कि देश मे तॉबे की मात्रा खानो मे पर्याप्त नही है तो तॉबे के बदले एल्युमिनियम का अत्याधिक उपयोग किया जा रहा है जिससे कच्चे माल के प्रतिस्थापन द्वारा भी देश करोडो रुपये का विदेशी विनमय का बचत कर रहा है।

आयात प्रतिस्थापन का एक ज्वलन्त उदाहरण पेट्रोल एव पेट्रौलियम पदार्थों का आयात भी है। आजादी से पूर्व हमे कुल मॉग का 90 प्रतिशत भाग आयात द्वारा पूरा करना पडता था। विगत मे यह मॉग कई गुनी और अधिक हो गयी। जबकि मॉग की तुलना मे आयातो की मात्रा मे कम वृद्धि हुई एव इनके मूल्यो मे वृद्धि के कारण आयात बिल भी काफी चढ गया। इसके मद्देनजर देश मे ही इसकी पूर्ति हेतु खोज का कार्य प्रारम्भ हुआ जिसके परिणामस्वरुप गौहाटी, बरौनी, कोहली, कोचीन, व चन्नेई मे तेलशोधक कारखानो की स्थापना हुई है। बाम्बे हाई मे तेल का विशाल भण्डार 'सागर सम्राट' का पता चला तथा चार कुओ से उसी समय तेल निकालना प्रारम्भ भी कर दिया गया। 1950–51 मे शोधित पेट्रोलियम पदार्थो का 2 लाख टन उत्पादन था। वह बढ कर 1973–74 मे 2 करोड टन हो गया। बाम्बे हाई मे प्राप्त स्रोतो से 1982–83 तक खनिज तेल का उत्पादन 120 लाख टन के लगभग हो गया था। जिसके परिणामस्वरुप देश पेट्रोल एव पेट्रोलियम पदार्थों की जरुरतो का अधिकाश भाग स्वय के उत्पादन से करने लगा।

शक्कर के क्षेत्र मे देश 1955–56 तक मॉग का अधिकाश भाग आयात द्वारा पूरा करता था। परन्तु 1982–83 के पूर्व ही देश शक्कर की कुल मॉग को पूरा ही नही बल्कि पर्याप्त मात्रा मे विदेशो मे निर्यात भी करने लगा। इसी प्रकार सोडा ऐश, कास्टिक सोडा, सिलाई की मशीन, साइकिलो, रेडियो आदि के क्षेत्र मे देश की मॉग की पूर्ति 80–90 प्रतिशत आयात द्वारा करना पडता है। परन्तु विगत 80 से 90 प्रतिशत भागो को देश मे ही पूरा करने लगे है। इसी प्रकार इस्पात, एल्यूमुनियम, कागज, गत्ता, कृत्रिम रेशे एव सूत तथा ब्लीचिग पाउडर के क्षेत्र मे आयात प्रतिस्थापन द्वारा प्रगति हुई।

**(ii)** <u>**योजना अवधियो मे आयात नीति**</u> **:–** प्रथम पचवर्षीय योजना मे कृषि को प्रधानता दी गयी फिर भी अर्थव्यवस्था के अद्यौगिकरण की सर्वथा अवहेलना नही की गई। अतएव स्वभाविक था कि पूँजीगत वस्तुओ तथा औद्योगिक कच्चे माल के आयातो को प्रोत्साहित किया जाता।

नीति को निर्धारित करते समय यह प्रयास किया गया कि सीमित साधनो का अनुकूलतम प्रयोग किया जाय। यद्यापि स्टर्लिडग शेष पर्याप्त मात्रा मे थे फिर भी योजना के प्रारम्भिक वर्षो मे प्राकृतिक कारणो के फलस्वरुप खाद्यान्न की पूर्ति मे गिरावट आ गई, जिससे खाद्यान्नो का आयात करना पडा। ऐसी स्थिति मे सरकार को नियन्त्रित एव सन्तुलित आयात नीति की आवश्यकता महसूस की गई। परन्तु इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान रखा गया कि आयात नीति देश के उद्यौगिकरण मे किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न न करे। गुणात्मक आयात नीति को सरकार ने अपनाया। उन वस्तुओ के आयात पर नियत्रण लगाया गया जिनको उत्पादित करने की क्षमता घरेलू उद्योग मे थी तथा जिन्हे प्रोत्साहित करना आवश्यक था। अनावश्यक वस्तुओ के आयात पर प्रशुल्क की दर बढा दी गई पर कच्चे माल तथा पूँजीगत वस्तुओ के आयात को हतोत्साहित नही किया गया। प्रथम योजना के उत्तारार्द्ध मे देश मे खाद्यान्न की स्थिति सुधर जाने से सरकार ने एक बार पुनउदार आयात नीति को अपनाया। इस प्रकार प्रथम पचवर्षिय योजना मे मशीन, औद्योगिक कच्चा माल तथा खाद्यान्नो के आयात के सम्बन्ध मे उदार नीति अपनायी गयी। राज्य व्यापार निगम की स्थापना इस अवधि की एक प्रमुख विशेषता रही। भारतीय सरकार ने 18 मई, 1956 को इस निगम की स्थापना की जो कि मुख्यतया अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो का परिणाम था। इस निगम के माध्यम से सरकार ने अनेको व्यापारिक समझौता भिन्न–भिन्न राष्ट्रो से किये। इन व्यपारिक समझौतो के अनुसार आयात का भुगतान निर्यात के माध्यम से होना था, जिसका महत्वपूर्ण लाभ यह रहा है कि देश को निर्यात की सुविधा मिली। निजी व्यापार को स्वीकार न करने वाले पूर्वी यूरोप के देश भी इस समझौते मे सम्मिलित हुए।

द्वितीय योजना जो कि 1954–55 तथा 1955–56 मे अपनायी गयी के प्रथम वर्ष से ही उदार आयात नीति का स्पष्ट प्रभाव दिखायी देने लगा। इस योजना मे उदारता के साथ ही साथ नियत्रित आयात नीति का सरकार ने अनुसरण किया। उद्योगिकरण की दृष्टि से भारतीय फर्मो को मशीनरी तथा अन्य वस्तुओ के आयात के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके परिणामस्वरुप सार्वजानिक तथा व्याक्तिगत दोनो क्षेत्रो मे आयात मे बहुत अधिक वृद्धि नही हुई। निर्यात मे उतनी वृद्धि नही हो सकी कि आयात की वृद्धि को पूरा किया जा सके। परिणामत योजना के प्रारम्भ मे जितना स्टर्लिग शेष था सब समाप्त हो गया और द्वितीय पचवर्षीय योजना काल मे अत्यन्त ही गम्भीर विदेशी विनमय सकट सामने आ गया। जिसके कारण जनवरी 1957 से सरकार ने प्रगतिशील रुप से नियत्रित आयात नीति को स्वीकार किया तथा यह निर्णय लिया गया कि आन्तरिक बजट के साधनो एव बाह्य बजट साधनो के मध्य समन्वय स्थापित करने के

लिए "**आयात लाइसेसिग नीति**" को वित्त वर्ष से सम्बन्धित किया जाय। आयात की लाइसेसिग पर नियत्रण लगाया जाय।

तीसरी पचवर्षीय योजना मे भारतीय आयात नीति शुरु से ही नियन्त्रण की नीति रही। उक्त अवधि मे नियन्त्रण को और अधिक सख्त कर दिया गया। उपभोग की वस्तुओ का आयात लगभग नगण्य हो गया, इसके अतिरिक्त मशीनो के आयात के भी सम्बन्ध मे सरकार ने गुणात्मक नीति का प्रयोग किया। सरकार ने समय–समय पर आयात के सम्बन्ध मे विदेशी मुद्रा की उपलब्धि के आधार पर प्राथमिकताएँ निर्धारित की। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि इस योजना के प्रारम्भ तक देश का समस्त स्टर्लिंग–अतिरेक न केवल समाप्त हो गया था बल्कि भारतीय भुगतान सन्तुलन मे भी लगातार घाटा चल रहा था।

इस योजना काल मे सरकार ने आयात नीति के अन्तर्गत आर्थिक विकास एव उद्योगिकरण से सम्बधित नीतियो के बीच परस्पर समन्वय स्थापित करने के लिए समय– समय पर कुछ समितियो की स्थापना की। मार्च 1961 मे श्री मुदालियर की अध्यक्षता मे आयात–निर्यात नीति की स्थापना की गई। समिति का मुख्य कार्य आयात नीति का मूल्याकन करना था। समिति का मत था कि सर्वप्रथम आयात एव निर्यात के मध्य समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दो मे आयात मे प्राथमिकता उन वस्तुओ को दी जानी चाहिए जिससे निर्यात मे बढोत्तरी हो सके। इस तरह समिति ने यह भी कहा कि आयात मे लगातार कटौती आर्थिक विकास मे रुकावट ला सकती है। समिति का यह भी कहना था कि विदेशी व्यापार को देश के आर्थिक विकास मे सहायक बनाना है।

समीक्षात्मक रुप मे यह कहा जा सकता है कि मुदालियर की अध्यक्षता मे जो आयात नीति की समीक्षा की गयी, उसमे अनुरक्षण एव विकासात्मक आयात देश के लिए आवश्यक माने गये। इनके अनुसार निम्न क्षेत्रो मे नवीन उद्योगो को प्राथमिकता दी जानी चाहिए –

(1) निर्यात को प्रोत्साहित करने वाले उद्योग।

(2) कच्चा माल एव आयात वाले सामान को उत्पादित करने वाले उद्योग।

(3) परिवहन एव शक्ति के अभाव मे उद्योग मे व्यवधान उत्पन्न करने वाले उद्योग।

(4) घरेलू कच्चे माल पर पूर्ण रुप से आधारित उद्योग।

मई, 1962 मे व्यापार–मण्डल की स्थापना सरकार ने की। व्यापार मण्डल का मुख्य उद्देश्य विदेशी व्यापार को प्रवैगिक रुप प्रदान करना था अर्थात् नये बाजार एव नयी वस्तुओ मे निर्यात की सम्भावनाओ का अध्ययन करना था। इसी तरह 1962 मे Technical Panel of

Import Substitution की स्थान हुई। इसका प्रमुख उद्देश्य आयात की स्थानापन्न वस्तुओ के सम्बन्ध मे अध्ययन करना था। यह भी उल्लेखनीय है कि इस योजना अवधि मे सरकार ने घरेलू उद्योगो के विकास के आधार पर विकास मे स्वावलम्बी होने के दृष्टिकोण से आयात प्रतिस्थापन की नीति के ऊपर विशेष बल दिया गया।

सन् 1962 के चीनी हमले से भी तत्कालिन आयात नीति प्रभावित हुई। आयात निर्यात नीति मे कुछ परिवर्तन देश की सुरक्षा के सन्र्दभ मे लाये गये। सुरक्षा सम्बन्धी वस्तुओ के आयात पर बल दिया गया। उन मशीनो को आयात मे प्राथमिकता दी गई जो युद्धकालीन सामग्रियो के उत्पादन से सम्बन्धित थी। इन सबके आलावा औद्योगिक विकास के बढते स्तर के कारण भी आयात मे वृद्धि हुई।[1]

**1966 का अवमूल्यन** : – अवमूल्यन से उदार आयात नीति को अपनाया गया तथा 59 प्राथमिकता वाले उद्योगो के लिए कच्चा माल, कल पूर्जे, आदि के आयात को उदार बनाया गया, जिससे उद्योगो द्वारा पूर्ण उत्पादन क्षमता का उपयोग किया जा सके। कृषि उत्पादन बढाने हेतु उर्वरक एव कीटनाशक दवाइयो के आयात को प्राथमिकता दी गई। लघु उद्योग इकाइयो को प्राथमिकता के आधार पर आयात लाइसेन्स प्रदान किये गये। इसके लिए निर्यातको के नाम दर्ज करने की नीति चालू की गई।[2]

**चौथी पचवर्षीय योजना काल की आयात नीति** :– आयात नीति की घोषणा सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने से पूर्व ही कर दी जाती है, अनेकोबार सरकार ने यह घोषणा स्पष्टत की है कि हमारी आयात नीति का प्रमुख उद्देश्य आयातो पर नियन्त्रण लगाना न होकर अपनी विदेशी व्यापार नीति को विवेकपूर्ण आधार प्रदान करना है। जिनमे खाद्यानो एव अन्य अत्यन्त आवश्यक वस्तुओ की पर्याप्त पूर्ति करना, कृर्षि उद्योगो एव परिवहन के दीर्घकालीन विकास के लिए आवश्यक कच्चे माल, साज–सज्जा एव यन्त्रो की पर्याप्त पूर्ति करना तथा, उन उद्योगो का विस्तार करना जिनमे अन्तत हमारा निर्यात व्यापार बढने की आशा है। अनेक ऐसी वस्तुओ के आयात का पूर्ण आधिकार सरकार अपने नियन्त्रण मे ले लेती है, जिनके लिए नीजी क्षेत्र को छूट देना उपयुक्त नही समझा जाता है उक्त दृष्टिकोण से 1969–70 मे 38 एव 1970–71 मे 22 वस्तुओ के आयात–व्यापार पूर्णत सरकारी नियन्त्रण मे ले लिया गया। 1971 अप्रैल 30 को घोषित 1971–72 आयात नीति के अधीन पूर्ण रुप से सरकार द्वारा आयात हेतु

---

[1] बरला अग्रवाल अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र लक्ष्मी नारायाण अग्रवाल आगरा – 3 पृ0 434

[2] वार्ष्णेय अग्रवाल अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र – पेज न0 143

51 वस्तुओ का उक्त सूची मे सम्मिलित किया गया। किन्तु इस योजना काल मे अपनायी गयी आयात नीति मे इसका ध्यान रखा गया कि प्राथमिकता प्राप्त उद्योगो, लघु औद्योगिक इकाइयो, निर्यात व्यापार मे सलग्न औद्योगिक इकाइयो तथा पिछडे इलाको मे स्थापित उद्योगो की आयात सम्बन्धी आवश्यताऍ अवश्य पूरी की जाय। 1972–73 मे 54 उद्योगो को इनकी उत्पादन क्षमता दुगुनी करने के साथ–साथ उन्हे विदेशी विनमय का विशेष आवटन किया गया तथा अतिरिक्त कच्चे माल के आयात की छूट दी गई। इसके अलावा विदेशी विनमय की उपलब्धि को देखते हुए उद्योगो की आयात सम्बन्धी आवश्यकताओ को पहले ही की तरह पूरा करने का आश्वासन दिया गया।

यद्यपि देश की आयात नीति मे प्राथिमिकता प्राप्त उद्योगो की आवश्यताओ का पूरा ध्यान रखा गया। फिर भी विदेशी सहायता की सीमित उपलब्धि को देखते हुए आत्मनिर्भता की दिशा मे देश को आगे बढाने हेतु आयात प्रतिस्थापन के कार्यक्रम लगातार चलाये गये। आयात प्रतिस्थापन के लिए चुनी गई वस्तुओ के चुनाव मे देश मे कच्चे माल तथा साज–सामान की उपलब्धि एव वस्तु विशेष की अनिवार्यता को ध्यान मे रखा गया है। 1972–73 मे घोषित आयात नीति मे 160 ऐसी वस्तुओ के आयात को निषिद्ध कर दिया गया जिनकी पहले वास्तविक उपभोक्ताओ को आयात करने की छूट थी। इसके पूर्व 1971–72 मे 170 वस्तुओ पर आयात पूर्णत प्रतिबन्धित थी। इसके अलावा 1972–73 मे 87 वस्तुओ के आयात को प्रतिबन्धित किया गया। पूर्णत प्रतिबन्धित वस्तुओ मे अनेको प्रकार के बाल–बेयरिंग, टेपर्ड रोलर वेयरिंग, 21 प्रकार के रग, 26 प्रकार के रसायनिक पदार्थ, सामुद्रिक डीजल इन्जन, बिजली के पखो मे लगने वाले कुछ पुर्जे, सूत आदि सम्मिलित था। उन वस्तुओ को जिनका आयात सीमित किया गया उनमे स्टेनलैस स्टील के पाइप व ट्यूब, द्विधातु वाली पट्टिया, मिश्रित धातु वाले पेन पाइण्ट्स नीडल, बुशेज एव वेयरिंग, 14 प्रकार की रग बनाने मे प्रयुक्त सामग्री, लीड ग्लास ट्यूबिग, 24 प्रकार के रसायन, कार्बन स्टील आदि साम्मिलित थे।

इन सभी बाधाओ के होते हुए भी 1972–73 की आयात नीति का प्रमुख प्रयोजन विनियोग, औद्योगिक लाभो, निर्यात, की मात्रा तथा रोजगार के स्तर को प्रतिकूल रुप से प्रभावित करने के बिना देश के कुल आयात–बिलो मे कटौती करना था। इस योजना के अन्तिम वर्ष अर्थात् 1973–74 की आयात नीति भी 1972–73 की नीति के ही अनुरुप थी।

**1974–75 की आयात नीति** :– चतुर्थ पचवर्षीय योजना काल मे अपनायी गयी सफलतापूर्ण आयात–नीति के निर्धारित करने पर भी विश्व के बाजारो मे वस्तुओ के बढते मूल्यो तथा भरत मे कृषि उत्पादन की अनिश्चिता के कारण हमारा आयात–बिल बढता गया। हमारे विदेशी विनमय

साधनो पर बढते हुए दबाव के कारण यह आवश्यक समझा गया कि 1974–75 मे पहले की आयात नीति की आधारभूत विशेषता एव ढॉचे को यथावत रखते हुए निर्यात व्यापार मे सलग्न उद्योगो के लिए हमारी आयात नीति मे प्राथमिकता पूर्ण स्थान रखा जाय। 1974–75 मे आयात लाइसेन्स प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया। निर्यात व्यापार मे सलग्न कुछ उद्योगो को उनकी निष्पत्ति के आधार पर प्राथमिकता दी गई। अतिरिक्त कल पूर्जो के आयात मे अधिक उदारतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाया गया,तथा निर्यात व्यापार मे सलग्न सस्थाओ को निर्यात बढाने हेतु आधिक सुविधाएँ देने की घोषणा की गई।

उद्योगपतियो तथा प्रतिष्ठित आयातकर्ताओ के लिए निर्यात करने हेतु आयात लाइसेसिग प्रक्रिया को अत्यधिक सरल बनाया गया। जितना लाइसेन्स लघु औद्योगिक इकाईयो को 1973–74 मे आयात करने हेतु दिया गया था उसके 50 प्रतिशत मूल्य का आयात 1974–75 के प्रथम छ माह मे ही आयात करने की अनुमति प्रदान कर दी गयी। इसे **"रिपीट आपरेशन"** की सज्ञा दी गई।

1973–74 मे दिये गये आयात लाइसेन्सो के आधार पर ही निर्यात करने वाले उघोगपतियो को "रिपीट आपरेशन" की सुविधा 1974–75 मे भी दी जाती रही। किन्तु यह आदेश दिया गया कि लाइसेसिग आधिकारियो से नये सूत्र के लिए पूराने आयात लाइसेन्स के उपयोग की छूट एव रिलीज आर्डर प्राप्त करने के पूर्व वे पुन प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले। उक्त सुविधा के अन्तर्गत उपयोग मे लिए गये आयात लाइसेसो का मूल्य 1 अप्रैल, 1974 से डेड वर्ष के भीतर प्राप्त सामान्य आयात अधिकारो को देखकर निर्धारित करने का निर्णय लिया गया। इसी प्रकार प्रतिष्ठित आयातकर्ताओ को 1973–74 मे प्राप्त आयात कोटे का उपयोग 1974–75 मे करने की छूट की शर्तो की अनुपालन के आधार पर प्रदान की गयी।

निर्यात निष्पत्ति के आधार पर एव प्राथमिकता के आधार पर वास्तविक औद्योगिक उपभोक्ताओ को आयात लाइसेन्स देने की नीति मे 1974–75 मे कुछ सशोधन किया गया। 1973–74 के वर्ष मे जिन औद्योगिक इकाइयो ने अपना उत्पादन का 10 प्रतिशत या इससे अधिक निर्यात किया था उनकी उत्पादन क्षमता को अगले वर्ष बढने हेतु दी गई सुविधाओ के साथ–साथ प्राथमिकता के आधार पर उनमे कच्चे माल एव साज–सज्जा की आवश्यकताओ को उपलब्ध कराने की व्यवस्था जारी रखी गई। किन्तु गैर प्राथमिकता वाले क्षेत्रो के इकाइयो को कच्चा माल एवं साज–सज्जा के आयात हेतु प्राथमिकता के आधार पर अपने उत्पादन का 20 प्रतिशत या इससे अधिक निर्यात करने को कहा गया। कुल उत्पादन का 25 प्रतिशत अथवा उससे अधिक आयात करने वाली इकाइयो को खुले विदेशी विनमय के बदले अपनी आवश्यकता

का और अधिक भाग आयात करने की छूट दी गई। उन लघु औद्योगिक इकाइयो को जो अपने कुल उत्पादन के 10 प्रतिशत से अधिक किन्तु 25 प्रतिशत से कम निर्यात करने वाली हो को भी आयात हेतु उक्त सुविधा दी गई, जो 25 प्रतिशत या उससे अधिक का निर्यात करने वाली बडी इकाइयो को उपलब्ध थी। वे छोटी ईकाइयॉ जिनका निर्यात 1972–73 की तुलना मे 1973–74 मे दुगुना था के लिए भी यही सुविधा रखी गई।

अनेक उद्योगो मे उनके उत्पादन–क्षमता का अधिकतम उपयोग के लिए अतिरिक्त कल पूर्जे के आयातो मे 1974–75 मे ढील दी गयी। आयातित मशीनो के मूल्य का ढाई प्रतिशत बडी इकाइयो को तथा 4 प्रतिशत आयातित मशीनो के कल पूर्जों के रुप मे मॅगाने की छूट दी गई। यह अनुपात 1973–74 तक क्रमश 2 प्रतिशत व 3 प्रतिशत था।

1974–75 मे प्रतिष्ठित निर्यातकर्ताओ को प्रोत्साहन देकर उनके निर्यातो मे वृद्धि हेतु उदारतापूर्वक आयात अधिकार देने की व्यवस्था रखी गई। गैर परम्परागत वस्तुओ की न्यूनतम निर्यात–राशि 25 लाख ही आयात अधिकार प्रमाण पत्र लेने के लिए रखी गई। किन्तु उक्त प्रमाण पत्र के नवीनीकरण हेतु अवेदक निर्यातकर्ता के लिए यह प्रमाण पत्र देना अनिवार्य कर दिया गया कि 3 करोड रुपये के निर्यात तक उनकी निर्यात वृद्धि दर पिछले वर्षो मे 10 प्रतिशत था या इससे अधिक रही है। उन निर्यातकर्ताओ मे से प्रत्येक के द्वारा 3 करोड रुपये से अधिक की वस्तुऍ निर्यात की जाती रही है। उन्हे उक्त प्रमाण–पत्रो के नवीनीकरण हेतु यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है कि उनके निर्यात विगत कुछ वर्षो मे कम से कम 5 प्रतिशत रहे है। प्रतिष्ठित निर्यातकर्ताओ के लिए सरकार ने यह भी घोषणा करना अनिवार्य कर दिया कि उक्त मे से प्रत्येक द्वारा निर्यातित वस्तुओ का 60 प्रतिशत उन औद्योगिक इकाइयो द्वारा निर्मित किया गया था जिन्हे कच्चा माल एव सामग्री बेची गई थी।

सार्वजनिक क्षेत्र की सस्थाओ का आयात व्यापार मे अधिकार बढाने हेतु 1974–75 मे 10 नई वस्तुओ के आयात अधिकार इन्हे सौपे गये। इस प्रकार 1974–75 के अन्त तक इन सस्थाओं को 210 वस्तुओ के आयात का अधिकार प्राप्त हो गया।

1973–74 तक देश मे वस्तुओ के उत्पादन बढाने हेतु पूर्णरुपेण प्रतिबन्धित 220 वस्तुओ के अलावा 1974–75 मे 75 नई वस्तुओ के आयात पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया गया। शेष वस्तुओं के आयातो के हतोत्साहित करने के लिए उन पर विद्यमान आयात कर की दर मे भी वृद्धि कर दी गई। 60 प्रतिशत से 99 प्रतिशत तक आयात कर वाली वस्तुओ पर विद्यमान

सहायक कर 10 प्रतिशत से बढा कर 15 प्रतिशत कर दिया गया।[1] विस्की, ब्राडी, जिन एव अन्य प्रकार की स्पिरिट पर आधारभूत आयात कर 60 रु0 प्रति लिटर या मूल्य के 200 प्रतिशत मे, जो भी अधिक थी, से बढाकर 80 रु0 प्रति लिटर या मूल्य के 270 प्रतिशत मे, जो भी अधिक हो, कर दी गई।

**1975–76 की आयात नीति** — इस वर्ष की आयात नीति की विशेषताओ को हम निम्न बिन्दुओ द्वारा स्पष्ट कर सकते है–

विगत वर्ष मे उपभोग की गई आयातित सामग्री के आधार पर इस वर्ष हेतु स्वमेव आयात लाइसेन्स की प्राप्ति हो सकेगी।

विगत वर्ष तक विद्यमान "प्राथमिकता प्राप्त उद्योगो" की सूची के स्थान पर अब "विशिष्ट उद्योगो" को नई सूची के आधार पर अतिरिक्त आयात लाइसेन्स दिये गये।

इस वर्ष मे 20 प्रतिशत या इससे अधिक उत्पादन का निर्यात करने वाली औद्योगिक इकाइयो को पूरक आयात लाइसेन्स दिया गया। 29 उद्योगो को उक्त सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ। शीघ्रतापूर्वक आयात लाइसेन्स जारी करने का प्रस्ताव भी इस नीति मे था।[2] विशिष्ट उद्योगो मे सलग्न छोटी इकाईयो को बडी इकाईयो की तुलना मे 10 प्रतिशत अधिक के आयात अधिकार दिये गये। प्रत्येक उद्योग के लिए निर्यात के बदले कितना आयात लाइसेन्स दिया गया, इसकी भी स्पष्ट घोषणा इस आयात नीति के अन्तर्गत की गई।

सरकार ने सभी प्रतिष्ठित निर्यातकार्ताओ को दी गई आयात सुविधा मे भी परिवर्तन कर दी। न्यूनतम 50 लाख की वस्तुओ का निर्यात ऐसे प्रत्येक निर्यातकर्ता को करना पडा, जबकि विगत वर्ष तक यह धनराशि 25 लाख रुपये की न्यूनतम सीमा थी। उक्त नीति के अन्तर्गत आयात प्रमाण–पत्र के नवनीकरण हेतु प्रत्येक प्रतिष्ठित निर्यातकर्ता को यह प्रमाण पत्र देना आवश्यक था कि जिन वस्तुओ के निर्यात के बदले आयात अधिकार प्राप्त करना चाहता है। उनका न्यूनतम 50 प्रतिशत भाग या 25 लाख रुपये के मूल्यो की वस्तुओ मे जो भी कम हो, लघु इकाइयो द्वारा निर्मित किया गया था।

**1976–77 की आयात नीति** – भारत सरकार द्वारा लोक सभा मे 14 अप्रैल, 1976 को वर्ष 1976–77 की आयात नीति घोषित की गई। यह नीति भी आर्थिक विकास की गति को बढाने

---

1 बरला अग्रवाल अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल आगरा – 3 पेज न0 435

2 द इकोनामिक टाइम्स, 8 अप्रैल, 1975

के उद्देश्य पर आधारित थी। अब तक की सर्वाधिक उदार एव लचीली नीति यह थी। इसकी प्रमुख विशेषताओ मे उद्यमियो के प्रति इस विश्वास एव आस्था को दुहराया गया कि वे उत्पादन मे वृद्धि करके निर्यात व्यापार को बढाने मे सहायक होगे। दूसरे, राजकीय सस्थाओ द्वारा आयातित कच्चे माल का आवटन सीधे वास्तविक उपभोक्ताओ मे किया जाएगा तथा इसके लिए लाइसेन्स प्रदान करने वाले अधिकरण से अनुमति लेना आवश्यक नही होगा। इसकी तीसरी विशेषता मे यह था कि सामान्य लाइसेन्स व्यवस्था को और अधिक उदार बनाया गया तथा पहले की अपेक्षा आयात परिपूर्ति अधिकारो को बढा दिया गया। चौथी विशेषता मे, यह व्यवस्था थी कि अगले सत्र मे मशीनो के आयात को अधिक उदारता पूर्वक करने दिया जाय। इसकी पॉचवी विशेषता यह थी कि लघु औद्योगिक इकाइयो की आवश्यकताओ पर विशेष ध्यान दिया गया। इसकी अन्तिम विशेषता यह थी कि आयात हेतु समस्त औपचारिकताओ एव प्रक्रियाओ को काफी सरल कर दिया गया था।[1]

इस आयात नीति का अधिक विस्तार पूर्वक अध्ययन करने के लिए इसकी प्रमुख विशेषताओ को हम निम्न बिन्दुओ द्वारा वर्णन कर सकते है –

**<u>स्वचालित लाइसेन्स प्रणाली</u>** – यह प्रणाली 1975–76 मे ही लागू की गई। इसमे वास्तविक उपयोग करने वालो को सीधे ही आवश्यक कच्चे माल एव पूर्जो को आवटन करने की व्यवस्था की गई थी। इसी क्रम मे उत्पादन मे वृद्धि को जारी रखने के लिए इस प्रणाली को 1976–77 मे भी जारी रखा गया। इस सत्र मे इसे और अधिक लचीला बनाया गया। अतिरिक्त कच्चे माल व पूर्जों की आवश्यकता वाले औद्योगिक इकाइयॉ भी लाइसेन्स अधिकारियो को पूरक लाइसेन्स जारी करने हेतु आवेदन कर सकते थे। किन्तु उन्हे अपनी जामिन (Sponsoring) सस्थाओ के माध्यम से ही आवश्यक कदम उठाने होते थे। यहॉ यह भी ध्यान देने योग्य है कि चाय, काफी, सूती वस्त्रों को इस नीति मे पूरक आयात लाइसेन्स के हकदार उद्योगो की सूची मे शामिल कर लिया गया था।

**<u>बिचौली सस्थाओ के माध्यम से आयात</u>** :– इस व्यवस्था के अधीन राजकीय व्यापर सस्थाए इन वस्तुओ को सीधे लाइसेन्सिग अधिकारियो की अनुमति के बिना उपभोक्ता को दे सकते थे। उक्त व्यवस्था में लगभग 43 वस्तुओ की पूर्ति की गई। जिसमे 11 वस्तुए मिनरल्स एण्ड मैटल्स ट्रेडिंग कार्पोरेशन, 8 स्टेट केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स कार्पोरेशन तथा, 24 वस्तुए स्टील अथोरिटी आफ इन्डिया लिमिटेड (SAIL) द्वारा वितरित की गई। सीधे आवेदन पत्र, उक्त

---

[1] State Bank of India, Monthly review, April 1976 (Vol XV No 4)

वस्तुओ के वास्तविक उपभोक्ता, सम्बन्धित सस्थाओ को कर सकते थे। सम्बन्धित सस्था द्वारा आवश्यक कच्चे माल की पूर्ति करने मे समर्थ न होने पर वास्तविक उपभेक्ता लाइसेन्सिग अधिकारी को आवेदन कर सकता था।

**निर्यात की वस्तुएँ एव प्रतिपूर्ति योजनाएँ** :– उत्पादन वृद्धि के उद्देश्य से रजिस्टर्ड निर्यात करने वालो के लिए आयात नीति मे परिवर्तन किए गये। अब वस्तुओ एव कच्चे माल के आयात की भी छूट दी गई जो देश मे उपलब्ध थी। किन्तु या तो जिनकी क्वालिटी ठीक नही थी या कीमते देश मे अन्तराष्ट्रीय स्तर से ऊँची थी तथा इस कारण निर्यातित वस्तुओ की उत्पादन लागते बढने की आशका थी। इस परिप्रेक्ष मे 129 वस्तुओ के निर्यात के बदले नई आयात वस्तुओ के आयात की छूट दी गई। इसमे 83 वस्तुओ के निर्यात पर अधिक परिपूर्ति आयात किए जा सकते थे, जबकि 46 ऐसी नई वस्तुओ को निर्यात सूची मे शामिल किया गया जिनके परिपूर्ति आयात किए जा सकते थे।

**निर्यात भवन (Export Houses) :-** इस स्कीम के अन्तर्गत एक निर्यात सस्थान, मुख्य आयात व निर्यात कन्ट्रोलर को आवेदन करके ही एक्सपोर्ट हाऊस सर्टीफिकेट प्राप्त कर सकता था। मुख्य आयात व निर्यात कन्ट्रोलर से प्रमाण पत्र बिना वाणिज्य मन्त्रालय से मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किये भी, लिए जा सकते थे। किन्तु आयात के लिए योग्यता प्रमाण–पत्र प्राप्ति हेतु निर्यात सस्था द्वारा कम से कम 50 लाख रुपये को वस्तुओ का निर्यात करना पडता था। पूर्व मे यह न्यूनतम सीमा 25 लाख थी। यह नई सीमा विशिष्ट वस्तुओ के सन्दर्भ मे लागू की गई। इसके अलावा अन्य वस्तुओ के लिए यह सीमा 3 करोड रुपये रखी गई। किन्तु लघु औद्योगिक इकाइयो को निर्यात–गृह प्रमाण पत्र दो करोड वस्तुओ का निर्यात करने पर भी प्रदान किया जा सकता था। 25 लाख रुपये की न्यूनतम निर्यात सीमा लघु उघोगो के लिए विशिष्ट वस्तुओ के सन्दर्भ मे रखी गई।

**कस्टम डयूटी** :– इस आयात नीति के अनुसार जिन कच्चे माल, पूर्जो आदि को निर्यात की जाने वाली वस्तुओ के उत्पादन मे प्रयुक्त किया जाता था, उसके आयात पर कोई आयात कर नही होता था। किन्तु इनके लिए पूर्व मे आयात लाइसेन्स प्राप्त करना आवश्यक था। प्रारम्भ मे यह रियायत 55 निर्दिष्ट वस्तुओ के लिए दी गई। स्वय निर्यात करने वाले उत्पादको को भी यह सुविधा दे दी गई अथवा उन्हे भी यह सुविधा प्रदान की गई जिन्हे निर्यात गृहो द्वारा मनोनीत किया गया था।

**मशीनो का आयात** :— ऐसे उद्यमियो को जो निर्यात उत्पादन मे सलग्न थे, को सम्पूर्ण आयात परिपूर्ति का उपभोग ऐसी मशीनो के आयात करने की छूट दी गई जो प्रतिस्थापन, नवीकरण, रिसर्च तथा विकास के लिए प्रयुक्त की जाती थी। इनमे जिग्स, टूल्स एव परीक्षण उपकरण भी शामिल किये गये। आयात परिपूर्ति के अन्तर्गत आयात किये जाने वाले यन्त्रो की अधिकतम मूल्य सीमा अब तक निर्धारित थी। किन्तु इस योजना वर्ष मे इन सीमाओ को घटा दिया गया। 15 लाख रुपये तक मशीनो के आयातो हेतु अब विज्ञापन देने की कोई जरुरत नही थी।

**खुला सामान्य लाइसेन्स (OGL)** - 1976–77 की आयात नीति मे खुली लाइसेन्स नीति का प्रावधान स्पेयर पुर्जो व कच्चे माल के आयात हेतु रखा गया। चमडे की वस्तुओ के लिए मशीनो का आयात इसी श्रेणी मे रखा गया। कुछ लौह एव इस्पात की वस्तुएँ भी इसी श्रेणी मे रखी गई।

**स्पेयर पुर्जे** – नई आयात नीति मे स्पेयर पार्ट्स की आयात प्रक्रिया को काफी सरल बनाया गया। स्पेयर पुर्जों के आयात हेतु सम्बन्धित आयातकर्ता को केवल यह घोषणा पत्र प्रस्तुत करना था कि मशीनो के रख–रखाव हेतु ये पुर्जे आवश्यक होते है। गैर अनुमति प्राप्त पुर्जों के आयात की सीमा पहले लाईसेन्स पर उद्धृत मूल्य की 10 प्रतिशत थी जो 20 प्रतिशत हो गई। परन्तु किसी एक स्पेयर पुर्जे का आयात मूल्य 50 हजार रुपये से अधिक नही होना चाहिए।

**लघु औद्योगिक इकाईयॉ** :— इस वर्ष आयात नीति के लिए अत्याधिक उदारतापूर्वक व्यवस्था रखी गई थी। इन इकाईयो को समान्य से 20 प्रतिशत अधिक मूल्य के कच्चे माल व पुर्जों के आयात लाइसेन्स दिये गये थे। इनसे अपेक्षा यह थी कि इन उद्योगो की पूरक लाइसेन्स हेतु माग काफी कम हो जायेगी। एकल पारी के आधार पर ही इन उद्योगो की क्षमता का मूल्याकन किया जाता रहेगा। परन्तु अविरल रुप से उत्पादन करने वाली इकाईयो के लिए या अन्य परिस्थितियो मे किसी अन्य आधार पर भी क्षमता का मूल्याकन किया जा सकेगा। पिछले वर्ष तक कोई भी लघु इकाई 10 हजार रुपये तक विदेशी विनमय का उपयोग स्वतत्र रुप से कर सकती थी, किन्तु इस सीमा को इस वर्ष मे बढाकर 50 हजार रुपये कर दिया गया। इस सीमा तक कच्चे माल या यन्त्रो का उपयोग हेतु उपयोग प्रमाण–पत्र देने की आवश्यकता नही थी।

1976–77 की आयात नीति की उक्त वर्णित विशेषताओ को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि विगत वर्ष मे भारत सरकार आयात प्रतिस्थापन की अपेक्षा निर्यात उत्पादन को अत्याधिक महत्व दे रही थी। हाल ही के वर्षो मे निर्यात व्यापार मे आशातीत वृद्धि होने के पश्चात् भी हमारा व्यापार घाटा बढ़ रहा है तथा आयातो मे निर्यातो की अपेक्षा तेजी से वृद्धि हो

रही है। 1974–75 मे यह घाटा 1189 95 करोड रुपये का था जो 1975–76 मे काफी अधिक (1216 20 करोड रुपये) हो गया, उस वर्ष हमने 3941 60 करोड रुपये की वस्तुओ का निर्यात किया। यद्यपि भारत को 1975–76 एव 1976–77 मे पर्याप्त विदेशी सहायता प्राप्त हुई, तथापि हमारी भुगतान सन्तुलन स्थिति मे अनिश्चितता बनी हुई है। 1976–77 मे घोषित आयात नीति उत्साहजनक रही थी क्योकि इसके अन्तर्गत उन वस्तुओ का उत्पादन बढाने पर काफी ध्यान दिया गया, जिसका हम निर्यात करते है।

**1977–78 के लिये निर्धारित आयात नीति** :– 27 अप्रैल, 1977 को सरकार द्वारा लोकसभा मे घोषित 1977–78 की नई आयात नीति लगभग पूर्व वर्ष की आयात नीति के अनुकूल थी।[1] फिर भी मूल अन्तर आयात निर्यात प्रणाली को सरल बनाने की प्रक्रिया दृष्टि गोचर होता है। 1977–78 आयात नीति देश मे उत्पादन आवश्यकताओ की पूर्ति करने के लिए और निर्यात की वृद्धि मे सहायक होगी। इस आयात नीति की प्रमुख विशेषताए निम्नवत् थी

(1) इसकी प्रमुख विशेषता मे आयात निर्यात प्रणाली को सरल बनाना एव लाइसेन्स देने की सुविधा को विकेन्द्रित करने का प्रयास किया गया।

(2) इस नयी आयात नीति मे इस उद्देश्य का ध्यान रखा गया है कि निर्यात की आय से आयात के व्यय को पूरा किया जाना चाहिए। साथ ही घरेलू उपभोक्ताओ को किसी कठिनाई का सामना नही करना पडे।

(3) इसके अर्न्तगत देश की औद्योगिक क्षमता का पूरा उपयोग करने और आयात मे वृद्धि की दर को बढाने का उद्देश्य सामने रखकर कई परिवर्तन किये गये ।

(4) इस नीति की यह भी विशेषता थी कि खुलेआम लाइसेन्स और मुक्त लाइसेन्स प्रणाली के अन्तर्गत आयात की वस्तुओ की सूची को काफी विस्तृत किया गया। इस उदार नीति के अन्तर्गत लघु उद्योगो को कच्चे माल और पुर्जो के आयात मे 20 प्रतिशत वृद्धि की सुविधा दी गई। रजिस्टर्ड निर्यातको के लिए इसके अन्तर्गत यह सुविधा प्रदान की गई कि वे अपना कच्चा माल अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यो पर ही प्राप्त कर सकते थे।

(5) इस नीति मे जीवन रक्षक और कैसर के इलाज की औषधियो के साथ–साथ नेत्रहीनो, चिकित्सको, अस्पतालो, चिकित्सा सस्थान की आवश्यकता की वस्तुओ तथा आयुर्वेदिक यूनानी और होम्योपैथिक औषधियो के विकास करने मे सहायक सामग्री के आयात की व्यवस्था भी थी।

---

1 The Economics Times, April – May, 77

(6) इसमे विज्ञान, टेक्नालोजी और विशिष्ट विषयो पर भारत मे अनुपलब्ध पुस्तको के सरलता से आयात की व्यवस्था की गई। कलाकारो के लिए आवश्यक उपकरणो एव वस्तुओ को भी उदारतापूर्वक आयात करने की सुविधा प्रदान की गई।

(7) नये उद्योगपतियो और निर्यातको को सुविधा देने हेतु यह निर्णय किया गया कि सरकारी विभागो और गैर सरकारी सगठनो के सहयोग से ऐसे केन्द्रो की स्थापना की जाय, जहाँ से आवश्यक सूचनाएँ दी जा सके। इसके साथ देश मे अनेक शारुम का प्रस्ताव था, जिससे आयातित वस्तुओ के सन्दर्भ मे तकनीकी एव अन्य सूचनाएँ उत्पादको को मिल सके।

(8) इसमे आयात लाइसेन्स की स्वीकृति मे लगने वाले समय को कम करने का सकल्प किया गया।

(9) इस विशेषता के अनुसार यह व्यवस्था कि इसे निर्धारित करते समय व्यापार मे वृद्धि और औद्योगिक विकास के साथ–साथ जनता के सास्कृतिक एव सामाजिक विकास मे वृद्धि का भी ध्यान रखा गया। आयात की उदार नीति का देश के मूल्यो पर पडने वाले प्रभावो का अध्ययन करने हेतु मुख्य आयात–निर्यात नियन्त्रक के कार्यालय मे एक विशेष विभाग का गठन किया गया। यह विशेष विभाग समय–समय पर समुचित कदम उठाए ताकि कीमतो पर प्रतिकूल प्रभाव न पडे।

उक्त विशेषताओ के सन्दर्भ मे स्पष्ट है कि देश मे खाद्यान्न के आत्मनिर्भरता प्राप्त होने से विदेशी व्यापर मे देश को लाभ हुआ। तिल तथा कपास जैसी व्यापारिक फसलो की कमी से देश को प्राप्त होने वाले लाभ का अश समाप्त हो गया। अतएव देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने का सबसे बडा आधार भारत सरकार की आयात निर्यात नीति मे कृषि उत्पादन को वरीयता देना रहा। एकाएक ऐसी स्थिति वर्ष 1976–77 के अन्त मे उत्पन्न हो गयी कि थोक मूल्य 12 प्रतिशत बढ गये, इसका मुख्य कारण केन्द्रीय सरकार का अपनी निर्धारित नीतियो पर नियन्त्रण नही रखना ही कहा जा सकता है। अतएव मार्च 1976 से ही क्रमश बाद मे प्रत्येक महीने मे आयात स्थिति मे मूल्यो की स्थिरता को जो लाभ मिला वह कम होता गया। अत 1977–78 की आयात नीति का मुख्य आधार यही रखा गया कि पहले घाटे को पूरा किया जाये तथा पुन लाभ प्राप्त किया जाये। इस वर्ष की नीति से यह भी स्पष्ट है कि सरकार ने आयात नीति व्यापारिक समुदाय की नेकनीयती पर भरोसा करके तैयार की और अनेक उदार कदम उठाये है किन्तु इन सुविधाओ का दुरूपयोग करने पर सरकार द्वारा कडी कार्यवाही करने कि व्यवस्था की थी।

वर्ष 1977–78 मे 164 वस्तुए इस नीति के अर्तगत सरकारी सगठनो द्वारा आयात की सूची मे रखी गयी। जबकि विगत वर्ष 1976–77 मे इसकी सख्या 196 थी। वस्तुत सरकार हर कीमत पर निर्यात करना उचित नही समझती। उक्त आर्थिक स्थिति मे सरकार ने यह महसूस की कि इस बात की आवश्यकता नही है कि केवल विकसित देशो को सस्ते दामो पर चीजे उपलब्ध कराने के लिए निर्यात हेतु सरकारी सहायता दी जाए। भारत के मुद्रा आरक्षण ने देश की व्यापारिक स्थिति को मजबूत किया।

**<u>1978–79 आयात नीति</u>** :– जनता सरकार द्वारा छठी पचवर्षीय योजना (1978–83) की आयात नीति निर्धारित करते समय यह माना गया कि हमारी विदेशी विनमय स्थिति सुधरी हुई है। जिसके अनुसार इस योजना के प्रारम्भ मे ही भारत के पास 4500 करोड रुपये के विदेशी विनमय का रिजर्व कोष जमा हो चुका था। इस योजना के प्रारम्भ होने से पूर्व सरकार को श्री पी0सी0 (P C) एलेक्जेण्डर की अध्यक्षता मे गठित समिति की सिफारिशे प्राप्त हो चुकी थी। एलेक्जेडर समिति की नियुक्ति इस बात का पता लगाने के लिए 1977 की गई थी कि देश की आयात नीति किस सीमा तक उदार बनाना सम्भव है। समिति ने अच्छी साख वाले आयातकर्ताओ के लिए लागू आयात कोटा लाइसेन्स प्रणाली को समाप्त करने का सुझाव दिया। इस समिति की और प्रमुख सिफारिशे इस प्रकार थी–

(1) आयात नीति का प्रमुख उद्देश्य 'नियन्त्रण' की अपेक्षा अर्थव्यवस्था को विकासोन्मुख बनाना हो।

(2) अयातित वस्तुओ को केवल उन वस्तुओ तक सीमित रखना, जिनसे सामूहिकीकरण, उपभोक्ताओ को बेहतर सेवा प्रदान करना, व्यापार पर अनुचित नीति लागू करने पर अकुश लगाना, तथा लम्बे समय तक पर्याप्त उपलब्धि आदि से सम्बद्ध शर्तों को पूरा करने की क्षमता हो ।

(3) कच्चे माल, स्पेयर पार्टस तथा औद्योगिक प्रयोजन वाले अशो के आयात को दो सूचियो मे बाटा जाय–

    (A) वे जिन पर पाबन्दी हो।

    (B) जिनका आयात पूर्णतया निषिद्ध हो।

(4) निर्यात करने वाली सस्थाओ को आयात प्रतिपूर्ति की सुविधाएँ जारी रखी जाए तथा छोटी इकाइयो का निर्यात करने हेतु आवश्यक साज–सज्जा व कच्चे माल के आयात हेतु मुक्त रुप से विदेशी विनमय दी जाये।

(5) टेक्नालॉजी के आयात मे उदारता बरती जाऐ।

(6) निर्यातको को दी जाने वाली नकदी सहायता को विवेकशील बनाया जाए।

इस समिति ने यह भी सुझाव दिया कि मुख्य निर्यात–आयात नियन्त्रक के पद को विदेशी व्यापार महानिदेशक के रुप मे परिवर्तित किया जाए।

वस्तुत जनता सरकार ने आयात नीति का जो रुप–रेखा बनाई उसमे एलेक्जेण्डर समिति के सुझावो को भी दृष्टिगत रखा गया था। उस आयात नीति का प्रमुख उद्देश्य प्राथमिक उद्योगो एव निर्यात योग्य वस्तुओ को बनाने वाली इकाइयो के लिए कच्चे माल, मशीने, पूर्जे आदि को सुलभ कराना था। साथ ही उन इकाइयो की आयात आवश्यकताओ को भी पूरा किये जाने का उद्देश्य था जो अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग नही कर पा रही थी तथा जिनके आधुनिकीकरण तथा तकनीकी सुधार से जिनकी उत्पादन क्षमता मे सुधार की अपेक्षा की जा सकती थी।

देश के अनेक उद्योगो मे उत्पादन लागते ऊँची होने के कारण उनके द्वारा निर्मित वस्तुएँ अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे स्पर्धाशील स्थिति मे नही थी। अतएव इन उद्योगो के लिए आयात होने वाली वस्तुओ पर विद्यमान प्रशुल्क दरो मे उपयुक्त कटौती करने का 1978–79 की इस नीति मे प्रावधान रखा गया।

**<u>1979–80 की आयात नीति</u>** :– 3 मई, 1979 को सरकार ने अपनी 1979–80 की आयात नीति की घोषणा की। इस नीति को पूर्व की भॉति जारी रखते हुए इस नीति मे आग्रिम लाइसेन्सो के द्वारा शुल्क मे छूट देने की सुविधा प्रदान की गई तथा कल पूर्जो के सम्बन्ध मे थोडी सी उदारता भी दिखाई गई, परन्तु सेम्पल्स के आयात के सम्बन्ध मे आवश्यक सशोधन किये गये। इस नई नीति की प्रमुख विशेषताओ मे प्रथम यह था[1] कि विदेशो मे बसे भारतीय को यहॉ के औद्योगिक उपक्रमो मे विनियोजन करने के लिए अधिक रियायते दी गई। दूसरी विशेषता मे, अन्य देशो के प्रोजेक्टो पर प्रयुक्त उपकरणो (उन प्रोजेक्टो के पूरा हो जाने पर) भारत मे आयात की व्यावस्था की गयी। तीसरी विशेषता मे, वैज्ञानिक एवम् माप के उपकरणो पर प्रतिबन्ध लगया गया। इस आयात नीति की चौथी विशेषता यह थी कि जिग्स, फिक्सचर्स व प्रेस टूल्स के आयातो को OGL पर (मुक्त सामान्य लाइसेन्स) आयात किया जाय। पॉचवी विशेषता यह थी कि बिक्री के बाद सेवा के लिए कल पूर्जो के आयात की अधिकतम सीमा बढाकर 50 लाख रूपये कर दी गई। इसकी छठी विशेषता मे सैम्पलो का आयात 10 हजार

---

[1] The Economic Times, May 4, 1979

रूपये से बढाकर रूपये 50 हजार कर दिया गया। डाक व हवाई मार्ग से आयात किये जाने वाले सेम्पलो की सीमा 500 रूपये से बढाकर रूपये 50 हजार कर दी गई। सातवी विशेषता यह थी कि इस नीति के अन्तर्गत आधुनिक कैमरो के आयात की अनुमति दी गई। वर्ष 1979–80 के आयात नीति की अन्तिम विशेषता यह थी कि पूजीगत वस्तुओ के क्षेत्र मे कुछ वस्तुओ का आयात सीमित किया गया।

**<u>वर्ष 1980–81 की आयात नीति</u>** :– 1980–81 की आयात नीति मे सरकार ने कुछ आवश्यक वस्तुओ के आयात को अत्यधिक सरल बना दिया। इस आयात नीति का मुख्य उद्देश्य आवश्यक पदार्थो की कीमत मे स्थिरता उत्पन्न करना था। 1980–81 की इस आयात नीति मे सरकार ने यह घोषणा की कि वह देश मे औद्योगिक उत्पादन को बढाने मे कृषि को उन्नत करने, निर्यात को प्रोत्साहन देने, तथा छोटे उद्योगो के विकास को बढाने मे पूर्ण–योगदान देगी। यहॉ यह उल्लेख समीचीन होगा कि उदार आयात नीति का परिणाम व्यापार के घाटे मे वृद्धि करना होता है। अतएव हमे अपनी आवश्यक आवश्यकताओ के आयातो पर रोक लगाना अत्यधिक आवश्यक होता है। इस आयात नीति की प्रमुख विशेषताओ मे पहली विशेषता यह है कि औद्योगिक विकास एव आयात निर्भरता को कम करने के लिए 57 मदो को खुली सामान्य लाइसेन्स (OGL) व्यवस्था हटा कर नियमित सूची मे सम्मिलित किया गया। दूसरी विशेषता मे निर्यातित इकाइयो को मजबूत बनाने के लिए आयात लाइसेन्सो के उपयोग पर बल दिया गया। इस आयात नीति की तीसरी विशेषता मे आयात लाइसेन्स प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाया गया। चौथी विशेषता, निर्यात गृहो को प्रोत्साहित करने के लिए आयात नीति मे अनेक सुविधाएँ घोषित की गई। पॉचवी विशेषता मे यह था कि खुली सामान्य लाइसेन्स सुविधा के अन्तर्गत आयातो का विस्तार किया गया तथा रेलवे उद्योग के लिए भी यह सुविधा प्रदान की गई है। इस नई आयात नीति की अन्तिम विशेषता यह थी कि यह आयात नीति विदेशियो को भी विशेष सुविधाएँ प्रदान करती रहेगी।

**<u>1981–82 की आयात नीति</u>** – भारत सरकार ने 1981–82 मे चौथी बार लगातार ऐसी आयात नीति की घोषणा की जिसमे अर्थव्यवस्था के बहुमुखी विकास एव उत्पादन की वृद्धि हेतु प्रयत्नशील वास्तविक प्रयोग कर्ताओ की आयात सम्बन्धी जरुरतो को लचीली व उदारतापूर्वक नीति के माध्यम से पूरा किया जाय। इन प्रतिष्ठानो या व्यक्तियो के कच्चे माल व उपकरणो का आयात यथासभव खुले सामान्य लाइसेन्स (OGL) के तहत करने की छूट को जारी रखा गया। पुन लाइसेन्स जो लघु इकाईयॉ प्राप्त करना चाहती थी वे उपयोग सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये बिना भी इस सुविधा से लाभ उठा सकती थी। 1980 मे पुन लाइसेन्स की सीमा को 50

हजार रुपये से बढाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया। सरकार का ऐसा अनुमान था कि इस छूट से 40 हजार औद्योगिक इकाइयॉ लाभान्वित होगी।

इस नीति के तहत आयातो पर प्रशुल्क छूट के लिए अग्रिम लाइसेन्स की व्यवस्था को नई वस्तुओ के लिए लागू करने के अतिरिक्त अग्रिम लाइसेन्स जारी करने की प्रणाली को सरल बनाने की घोषणा भी की गई। पूर्व निर्धारित आदान–प्रदान अनुपात को आधार मान कर तथा पजीकृत इजीनियर के प्रमाण पत्र की जरुरत के बिना अग्रिम लाइसेन्स प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गई। तीन साल से या इससे अधिक समय से जो निर्माता निर्यात कर रहे है उन्हे सशोधित व्यवस्था के अन्तर्गत अग्रिम लाइसेन्स प्राप्त हो सकेगे।

सार्वजनिक इकाईयो को उनकी औद्योगिक आवश्यकताओ हेतु खुले सामान्य लाइसेन्स के अन्तर्गत और अधिक वस्तुएँ आयात करने की छूट दी गई बशर्तें ये आयात उन्हे प्रदत्त सीमाओ के भीतर किये जाएँ। एल्यूमीनियम राड्स, लेखन व मुद्रण योग्य कागज तथा सभी प्रकार के खाद्य व खाद्य तेलो को कैनलाइज्ड सूची मे रखा गया।

1981–82 की आयात–निर्यात नीति मे विदेशो मे बसे प्रवासी भारतीयो द्वारा स्वदेश मे पूँजी लगाने हेतु अनेक रियायते दी गई। वे व्यक्ति केवल नई औद्योगिक इकाइयो की स्थापना हेतु, अपितु किसी विद्यमान प्रयोग के विस्तार मे भागीदार हेतु भी मशीनो का आयात कर सकेगे। ऐसे आयातो पर नई मशीनो के आयात हेतु 25 लाख रुपये की तथा पुरानी मशीनो के आयात हेतु 15 लाख रूपये की जो सीमाएँ थी उन्हे समाप्त कर दिया गया।

इस नीति के अन्तर्गत तकनीकी विशेषज्ञ विदेश से प्रतिबधित मशीने व कम्प्यूटर भी ला सकते थे। बशर्तें ये उपकरण आवश्यक हो तथा इनका वह विशेषज्ञ एक साल से अधिक से प्रयोग कर रहा हो। विदेशो से आने वाले भारतीय अपनी विदेशी आय मे से कारखानो के निर्माण हेतु सीमेन्ट या कृषि मे प्रयुक्त मशीनो का भी आयात कर सकेगे।

1981–82 मे प्रतिपूर्ति लाइसेन्स तथा खुले सामान्य लाइसेस के तहत मशीनो के आयात की सीमा को भी बढाया गया। इस प्रकार पूर्जो व टूल्स के आयात प्रणाली मे पूर्वापेक्षा सुधार किया गया।

भारत सरकार ने 200 करोड रुपये की पूँजी से एक निर्यात आयात बैक की स्थापना करने का भी निर्णय लिया। इस प्रस्ताव को 1981 मे ससद से भी स्वीकृति मिली।

**1982–83 की आयात नीति**– अप्रैल 1982 से लागू की गई इस आयात नीति मे कुल मिलाकर पिछले वर्ष की नीतियो को जारी रखने का ही निर्णय लिया गया।[1] फिर भी प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक करने तथा निर्यातको को अधिक सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से आयात–निर्यात नीति मे कुछ आवश्यक सशोधन किए गये।

इस आयात नीति मे पूर्णत प्रतिबन्धित वस्तुओ की सूची मे 134 प्रकार की पूँजीगत वस्तुएँ रखी गई। जबकि OGL के अन्तर्गत आयात की जानी वाली वस्तुओ की सूची को भी इस नीति के अन्तर्गत काफी विस्तृत रुप दे दिया गया। इसके अलावा रसायनिक उर्वरको, न्यूजप्रिट, आधारभूत दवाइयॉ, शक्कर, सीमेन्ट, विद्युत उत्पादन व सचरण सम्बन्धी उपकरण, साज सज्जा आदि 13 प्रकार की वस्तुओ के आयात हेतु लाइसेन्सधारी को विश्व भर से टेण्डर मॉगने होगे। टेण्डर प्रस्तुत करने वाले भारतीय या विदेशी सस्थाओ मे आपूर्तिकर्ता के चुनाव हेतु भारत सरकार के भारी उद्योग विभाग मे स्थापित एक समिति जॉच करेगी। पूँजीगत वस्तु के आयात हेतु प्राप्त लाइसेन्स की राशि का 10 प्रतिशत पूर्जो के आयात हेतु भी प्रयुक्त किया जा सकता है।

इस नीति के अन्तर्गत यह भी प्रावधान रखा गया कि वास्तविक प्रोगकर्ता आयातित प्लाट या मशीन की कीमत के 2 प्रतिशत मूल्य के सामान पूर्जो के आयात हेतु आवेदन कर सकता। परन्तु इसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये रखी गई। विद्युत उत्पादको के लिए यह सीमा 1 करोड रुपये की कर दी गई।

**1985–1988 की आयात नीति** :– अप्रैल 12, 1985 को तत्कालीन वाणिज्य मन्त्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिह ने इस आयात नीति की घोषणा की, जिसमे उन्होने आयात नीति को न तो बहुत अधिक उदार और न बहुत अधिक नियन्त्रित कहा। पहली बार सरकार ने 3 वर्षीय आधार पर नीति बनाई। नई नीति का मूल उद्देश्य आयातित आदानो की सुगम तथा शीघ्र उपलब्धि द्वारा उत्पादन को सुविधाजनक बनाने हेतु निर्यात–आयात नीति द्वारा निरन्तरता और स्थिरता कायम की जाय, निर्यात–उत्पादन आधार को मजबूत बनाया जाए, टेक्नालॉजी उन्नति को सुविधाजनक बनाया जाए, और आयात मे सभी सम्भव बचते की जाय। इस नीति मे प्रमुख लक्षण निम्न थे – प्रथम 53 मदो के आयात को वाछित दिशाओ मे परिवर्तित कर दिया जाए। दूसरा लक्षण यह है कि औद्योगिक मशीनरी की 201 मदो को आयात नीति के अनुरुप सामान्य लाइसेन्स के अधीन रखा गया। जिन क्षेत्रो को इस नीति से लाभ होना था वे थे चमडा,

[1] Import and Export Policy, April 1982 to March 1983 Vol –I, Government of India, Ministry of Commerce

आटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रानिक्स, जूट का कपडा और तेल क्षेत्र सेवाएँ। तीसरे लक्षण मे एक नई योजना **"आयात–निर्यात पास बुक"** चालू की गई। इस योजना द्वारा निर्माताओ एव निर्यातको का निर्यात–उत्पादन के लिए आयातित अदान शुल्क मुक्त प्राप्त करने की सुविधा दी गयी। चौथी विशेषता यह थी कि कम्प्यूटर और कम्प्यूटर पर आधारित प्रणालियो के लिए दो स्तरीय नीति अपनाई गई।[1] वे जिनकी लागत 16 लाख रुपये से कम होगी, को अपने प्रयोग के लिए सभी व्यक्तियो को आयात की इजाजत होगी। इसके अन्तिम लक्षण मे प्रवासी भारतीय, भारतीय मूल के ऐसे व्यक्ति जो स्थायी रुप से बसने के लिए वापिस नही आ रहे हो, को सामान्य नीति के अनुसार ही आयात सुविधाएँ दी जाएगी और उन्हे कोई विशेष सुविधाएँ प्राप्त नही होगी।

इस आयात नीति का उद्योग एव वाणिज्य के चैम्बर, व्यापारिक एव औद्योगिक घरानो और प्रसिद्ध उद्योगपतियो द्वारा स्वागत किया गया। यह नीति आवश्यक आयात को सीमित करती थी, परन्तु देशी उत्पादन एव निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए आयात की इजाजत देती थी। यह नीति आयात द्वारा टेक्नोलॉजी उन्नति को बढावा देना चाहती थी। यह नीति बहुराष्ट्रीय निगमो द्वारा देश मे वस्तुओ के राशिपतन को रोकने के बारे मे सजग थी और इस के लिए यह देशी उत्पादन को आयात पर चयनात्मक प्रतिबन्ध लगाकर आलम्बन देना चाहती थी। इस नीति का एक और आभिन्न्दनीय पहलू लघु–स्तर एव कुटीर उद्योगो एव कृषि निर्यात को बढावा देना था। इस प्रकार हमरे मानव–शक्ति और कृषि–ससाधनो के अधिकतम प्रयोग को सहायता मिले। जहॉ तक निर्यात को बढावा देने का सम्बन्ध है, आयात नीति बहुत ही स्पष्ट उपायो द्वारा भारतीय निर्यात का विस्तार करना चाहती थी। विभिन्न उपाय सीधे और सकारात्मक थे और हर एक इस बात से सहमत थे कि यह भारतीय आयात नीति स्पष्टत निर्यात प्रेरित है।

इस नियोजन काल मे भारत सरकार की यह पहली एक त्रिवर्षीय आयात नीति की घोषणा थी। वस्तुत यह नीति जो 2 अप्रैल, 1985 को घोषित की गई, 1984 के अन्त मे व्यापार नीति समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन मे निहित सिफारिशो पर आधारित थी तथा इसमे आयातो को नियन्त्रित करने हेतु प्रशुल्क नीति का आश्रय लिया गया था। क्षेत्रीय लाइसेन्स अधिकारियो को पूँजीगत वस्तुओ के अधिक आयात देने हेतु प्रदत्त सीमा को बढा दिया गया। अग्रिम लाइसेन्स को बिना विलम्ब निर्गमित करने हेतु कोलकत्ता, मुम्बई, चेन्नई तथा नई दिल्ली मे क्षेत्रीय समितिया गठित की गई। किन्तु इस नीति मे कुछ पाबन्दियॉ भी लगाई गई जो इस प्रकार थी–

---

[1] दत्त सुन्दरम, भारतीय अर्थव्यवस्था, एस0 चन्द्र एण्ड कम्पनी लि0 राम नगर, नई दिल्ली 05 पृष्ठ–740 ।

1 ऐसी वस्तुओ के आयात पर अधिक पाबन्दियाँ लगाई गई जिनका देश मे पर्याप्त उत्पादन होता था।

2 उदारतापूर्ण आयात नीति का दुरुपयोग करने वाली इकाइयो व व्याक्तियो के लिए कठोर दण्ड का प्रावधान किया गया।

व्यवसायिक व औद्योगिक क्षेत्र मे 1985–88 की इस नीति को तकनीकी उत्थान व आधुनिकीकरण को प्रत्साहन देने वाली नीति के रुप मे सराहा गया। इसके द्वारा एक प्रगतिशील औद्योगिक व राजकोषीय नीति का क्रम जारी रखा गया। इसमे पिछले वर्षो मे अपनायी गयी उदारता की प्रवृत्ति को स्वीकार किया गया। इस प्रकार भारत मे व्यापार, उद्योग व राजस्व तीनो क्षेत्रो मे एक एकीकृत नीति का विकास किया गया।

**वर्ष 1988–91 की त्रिवर्षीय अयात नीति :–** अप्रैल 1988 से मार्च 1991 तक की अवधि के लिए एक नई त्रिवर्षीय आयात नीति 30 मार्च, 1988 को घोषित की गई। इस आयात नीति मे आयातो को इस प्रकार नियमित किया गया कि जिससे अर्थव्यवस्था की आवश्यक जरुरते पूरी हो सके। विकास प्रोत्साहित हो एव निर्यात मे वृद्धि हो। इस नीति के मुख्य बिन्दु इस प्रकार है–

1 औद्योगिक विकास जो प्रोत्साहन देना तथा इसके लिए आवश्यक आयातित पूजीगत वस्तुओ कच्चे माल तथा कल पूर्जो की व्यवस्था करना ताकि आधुनिकीकरण, तकनीकी विकास एव उत्तरोत्तर अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति की ओर अग्रसर हुआ जा सके।

2 कार्यकुशल आयात प्रतिस्थापन व आत्मनिर्भरता को बढावा देना।

3 आयात की 26 मदो को सरकारी आयात की सूची से हटा लिया गया।

4 सामान्य खुली लाइसेन्स नीति (OGL) को विस्तृत कर दिया गया तथा इसके अन्तर्गत आयात किये जाने वाले कच्चे माल व उपकरण एव उपयोगी वस्तुओ की सख्या बढाकर 944 कर दिया गया।

5 आधुनिकीकरण एव तकनीकी वृद्धि को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से औद्योगिक मशीनो की 99 इकाईयो को पूँजीगत वस्तुओ मे शामिल किया गया, जिन्हे OGL के अन्तर्गत आयात किया जा सकता।

6 209 जीवनरक्षक उपकरण एव 108 जीवन रक्षक इकाइयो को OGL के अन्तर्गत रखा गया।

7 अस्पतालो एव चिकित्सा सस्थानो द्वारा आयात की जाने वाली इकाइयो की सीमा 25 हजार से बढकर 50 हजार कर दी गई।

8 नई नीति का मुख्य बिन्दु सशोधित आयात पुन पूर्ति योजना (Replenıshment Scheme) है, जिसके अन्तर्गत निर्यातक, कच्चे माल की पूर्ति करने हेतु आयात लाइसेन्स प्राप्त कर सकते है। आयातो की सीमा विस्तृत करने के लिए पूरक लाइसेन्स प्रणाली को स्वत लोच पूर्ण बनाया गया। इसके अन्तर्गत 10 लाख रुपये तक के पूँजीगत माल को आयात करने के लिए किसी घरेलू बन्धन की आवश्यकता नही है।

9 आयात–निर्यात पास–बुक योजना के अन्तर्गत बिना शुल्क के कच्चे माल और कल पूर्जो को आयात करने की सुविधा अन्य प्रतिष्ठित उत्पादको को भी प्रदान की गई। इसके फलस्वरुप जिन उत्पादको का तीन वर्षो का औसत टर्न ओवर 15 करोड रुपये का था। उन्हे इसके 10 प्रतिशत तक पास बुक की सुविघा दी जाएगी।

10 इस नीति मे छोटी पैमाने की दवाइयो को पूँजीगत वस्तुओ, कच्चा माल, कल पूर्जे तथा उपभोग पदार्थो (Consumables) के आयात की सुविधा बढाई गई।

इस योजना काल मे आयात नीति की रुपरेखा भारी व्यापार घाटा और बढते हुए ऋणभार को दृष्टि मे रखकर तैयार की गई और आशा की गई कि इससे निर्यात मे अपेक्षित वृद्धि होगी। देश मे औद्योगिक आधुनिकीकरण की दृष्टि से 1989–90 के वार्षिक बाजार मे पूँजीगत एव मशीनो के आयातो को उदार बनाया गया।

इस प्रकार यह दूसरी त्रिवर्षीय आयात नीति पहली त्रिवर्षीय आयात नीति की उपलब्धियो को और आगे बढाने मे सहायक सिद्ध हुई। इस अवधि के पश्चात् आयात–निर्यात नीतियॉ सम्मिलित रूप से घोषित की गयी जिसका विस्तृत अध्ययन हम इसी अध्याय के **"भाग–ब"** मे करेगे।

## (ब) निर्यात नीति (Export Policy)

1947–48 और 1950–51 के बीच निर्यात नीति का आधार दो मुख्य बाते थी। दुर्लभ मुद्रा क्षेत्र से प्राप्ति को अधिकतम करना और यह अश्वस्त करना कि जब तक घरेलू मॉग को पर्याप्त रुप मे पूरा न किया जाय, तब तक निर्यात नही किया जाएगा। युद्दोपरान्त काल मे विद्यमान दुर्लभता के कारण यह अनिवार्य था कि भारतीय अर्थव्यवस्था मे दुर्लभता की स्थिति को

दूर किया जाये। बढती हुई कीमतो को रोकने के लिए ऐसा करना आवश्यक था। अत इस अवधि के दौरान निर्यात नीति प्रतिबन्धात्मक थी। 1949 के अवमूल्यन और कोरिया के युद्ध के कारण हमारे निर्यात को कुछ प्रोत्साहन अवश्य मिला। परन्तु कोरिया के युद्ध की समाप्ति और बाद मे घटित प्रतिसार के कारण निर्यात नीति मे उदारता के प्रति रुख बदलना पडा। कुछ निर्यात–शुल्क तो हटा दिए गए परन्तु पहली योजना से अन्तिम दो वर्षो मे अधिकतम आर्थिक विकास को आवश्यकताओ को दृष्टिगत करते हुए निर्यात–प्रोत्साहन पर गम्भीर रुप से विचार किया गया।

स्टार्लिंग अधिवेशन के सग्रहण के कारण निर्यात प्रोत्साहन की आवश्यकता कम अनुभव की गई । दूसरी योजना मे इस बात पर बल देते हुए लिखा गया कि भारत को निर्यात से प्राप्त होने वाली आय कुछ ही वस्तुओ पर निर्भर है। इनमे से तीन अर्थात् चाय,पटसन और कपडा हमारे निर्यात के लगभग आधे के बराबर है। इन मुख्य निर्यात पदार्थो को स्वदेशी प्रतियोगिता का सामना करना पडता है। इस कारण अल्पकाल मे निर्यात मे महत्वपूर्ण वृद्धि सम्भव नही, चाहे नई वस्तुओ के निर्यात के लिए हर सम्भव उपाय करना चाहिए और मुख्य निर्यात–वस्तुओ के लिए नई–नई मण्डिया ढूढनी चाहिए,परन्तु यह बात स्वीकार करनी होगी कि औद्योगिकरण की किया जब तक आगे नही बढ जाती और देशीय उत्पादन मे वृद्धि नही हो जाती, तब तक निर्यात मे अधिक मात्रा मे प्राप्ति होने की कोई सम्भावना नही।

सन् 1951 से भारत के निर्यात व्यापार को दो मुख्य चरणो मे विभाजित करना उचित होगा। प्रथम 1959–60 का दशक, जिसमे भारत के निर्यात लगभग स्थिर रहे। द्वितीय 1961–71 का दशक जिसमे कुछ समय तक निर्यातो मे साधारण वृद्धि हुई। परन्तु 1968 के बाद से हमारे निर्यात मे तीव्र गति से वृद्धि हुई।[1]

योजनाविधि मे निर्यात मे वृद्धि अवश्य हुई पर इसमे वृद्धि सन्तोषजनक नही रही। विश्व निर्यात मे जिस दर से वृद्धि हुई, उससे अत्यन्त ही कम दर से भारतीय निर्यात मे वृद्धि हुई। परिणामस्वरुप विश्व निर्यात मे भारत का हिस्सा निरन्तर गिरता ही गया। 1950 मे विश्व निर्यात मे भारत का हिस्सा 2 प्रतिशत था जो 1960 मे घटक 1 2 प्रतिशत तथा 1970 मे 7 प्रतिशत तथा 1982 मे घटकर 46 प्रतिशत हो गया। यह हिस्सा वर्तमान मे भी इसी दर के आस पास बना हुआ है।

---

1 डॉ0 एस0एन0 लाल – अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र एव लोक वित्त, शिव पब्लिशिग हाउस – वर्ष 1985, पेज–192 ।

भारत की निर्यात नीति के समीक्षात्मक अध्ययन के लिए इसे हम प्रमुख रुप से दो भागो मे बाट सकते है

(A) योजना से पूर्व निर्यात नीति

(B) योजनावधि मे निर्यात नीति

## (A) योजना से पूर्व निर्यात नीति –

योजना से पूर्व भारतीय निर्यात की मुख्यत दो विशेषताएँ थी – पहला, सीमित आधार तथा द्वितीय सीमित बाजार। सीमित आधार से यह आशय है कि भारतीय निर्यात का बडा भाग कुछ विशेष वस्तुओ का था जिन्हे परम्परागत वस्तुए कहते है। दीर्घकाल से भारतीय निर्यात मुख्यत दो तीन वस्तुओ पर आधारित रहा। इसी प्रकार सीमित बाजार से तात्पर्य यह है की अर्द्ध विकसित राष्ट्रो का व्यापार मात्र कुछ राष्ट्रो तक ही सीमित रहा है। इसका मुख्य कारण उपनिवेशवाद रहा है जब किसी राष्ट्र का निर्यात केवल कुछ राष्ट्रो तक सीमित रहता है तो ऐसी स्थिति मे उस राष्ट्र का निर्यात राजनैतिक सम्बन्धो तथा आर्थिक सम्बन्धो मे परिवर्तन से प्रतिकूल ढग से प्रभावित होगा। इन दोनो के अतिरिक्त अन्तराष्ट्रीय आर्थिक स्थितियॉ जैसे व्यापार दर की प्रतिकूलता, निर्यात वस्तुओ की मॉग मे कमी, इत्यादि वे कारण थे जिनके कारण निर्यात–नीति के नये ढग से निर्धारण करने की आवश्यकता महसूस की गयी। आकडो के अनुसार 1944–45 की अवधि मे कुल निर्यात का 75 प्रतिशत भाग परम्परागत वस्तुओ का था अर्थात जूट, चाय, कपास, चमडा इत्यादि। उपर्युक्त स्थिति मे आर्थिक विकास के सर्दभ मे परिर्वतन के दृष्टिकोण से भारत सरकार ने निर्यात नीति को नया रुप दिया।

## (B) योजनावधि में निर्यात नीति :–

प्रथम योजना काल मे भारतीय योजना आयोग के अनुसार व्यापारिक नीति के मुख्य उद्देश्य मे एक यह भी रहा है कि निर्यात के स्तर सर्दैव बढाने का प्रयत्न किया जाय। प्रथम योजना के प्रारम्भ के समय भारतीय निर्यात अपनी चरम सीमा पर था अर्थात् कोरिया युद्ध से उत्पन्न अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक दशाओ से भारतीय निर्यात मे तीव्र निर्यात वृद्धि हुई। चूँकि बढते हुए अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यो ने घरेलू मूल्यो को भी प्रभावित किया। अतएव भारतीय सरकार ने कई वस्तुओ पर निर्यात कर मे वृद्धि कर दी जिससे भारतीय सरकार को काफी आय प्राप्त हुई। किन्तु स्न 1951 मे कोरिया युद्ध की समाप्ति के पश्चात् भारतीय निर्यात मे गिरावट आयी। निर्यात जो कि स्न 1951–52 मे 733 करोड रुपये था। 1952–57 मे घटकर 577 करोड़ रुपये

रह गया। इस निर्यात मे कमी के प्रमुख दो कारण थे। पहला युद्ध समाप्ति के साथ युद्ध जनित मॉग की समाप्ति हो गई तथा दूसरा, भारतीय निर्यात वस्तुओ के मूल्यो मे भी गिरावट आयी। यहॉ यह उल्लेख समीचिन होगा कि पाकिस्तान के बन जाने से भारत की निर्यात करने की शक्ति मे न केवल कमी आयी अपितु प्रतियोगिता भी बढ गयी। ऐसी स्थिति मे भारतीय सरकार ने उदार निर्यात नीति का निर्धारण किया, यह भी प्रयास किया गया कि चावल, दाल, इत्यादि का निर्यात किया जाय जो कि इससे पूर्व निषिद्ध था। इसी प्रकार चाय की अनुकूल उपज के फलस्वरुप सरकार ने चाय के निर्यात मे वृद्धि की।

## द्वितीय योजना अवधि –

द्वितीया योजना अवधि मे एक बार पुन निर्यात वृद्धि पर बल दिया गया। विदेशी मुद्रा के प्रभाव मे दूसरी योजना मे यह और भी आवश्यक हो गया कि निर्यात मे वृद्धि के लिए प्रयास किये जाये । निर्यात– आयत के बीच अन्तर कम करने के उद्देश्य से सरकार ने लगभग 200 वस्तुओ के ऊपर से नियत्रण हटा लिया। इन वस्तुओ मे सूती वस्त्र, जूट के समान इत्यादि सम्मलित है। कई वस्तुओ जैसे कच्चा कपास, चाय इत्यादि के अभ्यस मे वृद्धि की गई। इसी प्रकार वित्तीय सुविधाएँ दी गई जिससे भारतीय वस्तुये अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे प्रतियोगिता के समक्ष टिक सके। भारत सरकार ने निर्यात सम्बर्धन के दृष्टिकोण से औद्योगिक इकाईयो के आयात अभ्यश एव सुविधाएँ व उनकी निर्यात प्राथमिकताओ के मध्य सम्बन्ध स्थापित किया अर्थात् वे इकाइयॉ जो निर्यात मे वृद्धि करती थी, उनको आयात का सुविधा प्रदान करने का सरकार ने प्रलोभन दिया। साथ ही यह भी प्रबन्ध किया गया कि यादि कोई औद्योगिक इकाई अपने प्रतिनिधियो को बाजार सर्वेक्षण के लिए विदेशो मे भेजना चाहे तो उसे विदेशी मुद्रा की सहायता दी जाएगी। 1957 मे निर्यात जोखिम बीमा सरकारी समितियो की स्थापना कर सरकार ने निर्यात सम्बर्धन के लिए एक और प्रभावशाली कदम उठाने का प्रयास किया। विदेशो मे नऐ बाजार की खोज के लिए सरकार ने बहुत से व्यापार दलो को विदेश भेजा। इसी प्रकार दूसरे देशो के "व्यापार दलो" को आमत्रित भी किया। इस अवधि मे सरकार ने कई व्यापारिक समझौते करने का प्रयास किया। इस व्यापार समझौते के द्वारा भारतीय निर्यात मे जो कि साम्यवादी देशो मे लगभग नगण्य था, तीव्र बढोत्तरी आई। सन् 1950–51 मे भारतीय व्यापार का 1 प्रतिशत भाग रुस के साथ था। किन्तु 1959–60 मे यह बढकर 6 प्रतिशत हो गया, किन्तु जहॉ तक व्यापार की कुल मात्रा का प्रश्न है वह लगभग स्थिर रहा, निर्यात जो कि सन् 1955–56 मे राष्ट्रीय आय का 5 9 प्रतिशत था सन् 1959–60 मे 5 प्रतिशत हो गया। गुण नियन्त्रण की दृष्टिकोण से भी सरकार ने प्रयास किया। प्रयत्न इस बात का भी किया गया कि

था। यदि पूँजीगत वस्तुओ का आयात नये उद्योगो के लिए न भी किया जाए तो परितोषक आयात की मात्रा, जो तृतीय योजना मे 3570 करोड रुपये आकी गई, के लिए तो निर्यात आवश्यक ही था। साथ ही पिछले ऋणो के भुगतान के लिए भी निर्यात वृद्धि आवश्यक हो गई। एक अध्ययन के अनुसार कुल योजना काल मे लगभग 6170 करोड रुपये विदेशी मुद्रा की आवश्यकता थी जबकि निर्यात की मात्र 3570 करोड रुपये का था। इस प्रकार तृतीय योजना मे 2600 करोड रुपये घाटे का अनुमान लगाया गया। ऐसी स्थिति मे निर्यात सम्बर्द्धन बहुत ही आवश्यक था। आवश्यकता एक इस प्रकार के निर्यात नीति की थी जो कि निर्यात अतिरेक उत्पन्न करने मे मदद कर सके क्योकि जब तक निर्यात अतिरेक नही होगा, तब तक निर्यात सम्बर्धन सम्भव नही होगा और निर्यात अतिरेक अन्य नीतियो पर जैसे आम नीति, औद्योगिक नीति, मौद्रिक नीति, इत्यादि पर निर्भर करता है। जब तक अन्य नीतियो मे आवश्यकतानुसार परिवर्तन नही लाया जायेगा, केवल निर्यात नीति निर्यात सम्बर्धन करने मे सफल नही होगी।

**श्री ए0रामास्वामी मुदालियर** की अध्यक्षता मे सरकार ने मार्च 1961 को एक समिति की स्थापना की। समिति निर्यात की समस्याओ के विभिन्न दृष्टिकोणो से अध्ययन हेतु बनाई गई थी। समिति निर्यात की समस्याओ के विभिन्न दृष्टिकोणो से अध्ययन हेतु बनाई गई थी। समिति ने अनेक सुझाव दिए जिन्हे सरकार ने स्वीकार कर लिया। इसके अतिरिक्त सरकार ने बहुउद्देशीय दृष्टिकोण द्वारा निर्यात–वृद्धि का प्रयास किया। निर्यात करने वाली औद्योगिक इकाइयो को भिन्न–भिन्न प्रकार की सुविधा दी गई। कच्चे पदार्थो के आयात की सुविधा ऋण सुविधा, रेल–भाडा एव कर की कटौतीयॅ आदि कुछ उदाहरण है। निर्यात सम्बर्धन समितियो को अनुदान भी दिये गये। यह भी निर्णय लिया गया कि मान्यता प्राप्त चैम्बर आफ कामर्स तथा अन्य व्यापारिक सघो को निर्यात–सम्बर्द्धन योजनाओ के लिए ऋण सम्बन्धी सहायता दी जाए। एक **लागत–कटौती समिति** की भी स्थापना की गई। समिति का कार्य विभिन्न निर्यात की वस्तुओ की लागत का अध्ययन करना था और यह विश्लेषण करना था कि किन उपायो द्वारा अथवा किस प्रकार की नीति के द्वारा लागत मे कमी लाने का प्रयास किया जाय। बढती हुई अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की स्थिति मे यह आवश्यक था कि भारतीय निर्यात की वस्तुओ की कीमत प्रतियोगिता की दृष्टि से अनुकूल हो। इसी प्रकार बाजार को प्राप्त करने की दृष्टि से यह भी आवश्यक था कि भारतीय वस्तुओ की प्रदर्शनी की जाये। इस दृष्टिकोण से भारत कई प्रदर्शनियो मे सम्मिलित हुआ। सन् 1962 मे **व्यापार सघ** की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य निर्यात सम्बर्धन के लिए प्रयास करना था। आकडो के अनुसार भारतीय निर्यात जो कि सन् 1960–61 मे 642 32 करोड रुपये था, सन् 1963–64 मे 802 41 करोड रुपये तथा 1964–65 मे

814 56 करोड रुपये हो गया। सरचना की दृष्टि से भी भारतीय निर्यात मे परिवर्तन आया। वस्तुत बढते निर्यात का मुख्य कारण भारत द्वारा निर्मित वस्तुओ के निर्यात की वृद्धि थी। इसका तात्पर्य यह नही कि भारतीय परम्परागत वस्तुओ का इस वृद्धि मे योगदान नही था। सन् 1964–65 मे जूट की वस्तुओ का निर्यात 166 करोड रूपये रहा, सूती वस्तुओ का निर्यात जो कि कम हो रहा था वह न केवल रुक गया अपितु उसमे कुछ वृद्धि भी हुई। व्यापार की दिशा मे भी परिवर्तन परिलक्षित हुए। इस अवधि मे इग्लैण्ड तथा अमेरिका अब भी मुख्य क्रेता रहे। किन्तु रुस को निर्यात जहॉ 1961–62 मे केवल 3221 लाख रुपये था बढकर 1964–65 मे 7793 लाख रुपये हो गया। ऑकडो का अध्ययन भारतीय निर्यात की विविधता को इगित करता है। भारतीय निर्यात पूर्व यूरोपीय देशो के साथ सन् 1961–62 मे 33 करोड रूपये था। यह बढकर 1964–65 मे 144 करोड रूपये हो गया।

उपर्युक्त अध्ययन के आधार पर भारतीय निर्यात नीति को सक्षेप मे इस प्रकार कहा जा सकता है, "निर्यात नीति सामान्य तथा सगठित निर्यातो को ऐसे सम्बर्धन के जो कि देश की आन्तरिक अर्थव्यवस्था से सम्बद्ध थे प्रसविदो के शिथिलीकरण की एक प्रगतिशील नीति थी।" इस योजना काल मे निर्यात नीति के अन्तर्गत निर्यात सम्बर्धन के राजकोषीय व अन्य उपाय किए गये, जिसकी विस्तृत विवेचना हम निम्न बिदुओ द्वारा कर सकते है –

(1) **निर्यातको को करो मे प्रत्यक्ष छूट** – सबसे पहले 1962 मे निर्यातको को करो मे प्रत्यक्ष छूट दी गई। 1963 मे करो मे यह छूट निर्यातित वस्तुओ के मूल्य (f.o b) से सम्बद्ध कर दी गई। 1962 मे अलग अलग दरो पर करो मे छूट की घोषणा की गई।

(2) **रेल भाड़े मे छूट** – निर्यात की जाने वाली वस्तुओ मे से कुछ पर रेल–भाडे मे भी छूट दी गयी। इस छूट का प्रयोजन निर्यातकर्ताओ को रेल भाडे मे हुए घाटे की क्षतिपूर्ति करना था, यद्यपि परिवहन लागतो मे इस छूट का कोई औचित्य नही था।

(3) **निर्यातको को दुर्लभ वस्तुओ की उपलब्धि करना** – नियन्त्रित मूल्यो पर निर्यातको को दुर्लभ कच्चे माल तथा आवश्यक वस्तुओ की उपलब्धि प्राथमिकता के आधार पर कराने की व्यवस्था की गई। आज भी अनेक औद्योगिक इकाइयो को महत्वपूर्ण एव दुर्लभ कच्चे माल की उपलब्धि प्राथमिकता के आधार पर करायी जाती है, यदि वे अपने उत्पादन का 10 प्रतिशत या इससे अधिक निर्यात करती हो। इस नीति के अन्तर्गत ऐसी इकाइयो की उत्पादन क्षमता मे सुधार तथा विस्तार हेतु दी गयी सुविधाएँ भी शामिल है।

(4) **<u>बजट मे अनुदान का प्रावधान</u>** – सरकार ने शक्कर के निर्यात हेतु नकद रुप मे तथा अन्य कुछ वस्तुओ के निर्यात मे हुई क्षति की पूर्ति के लिए राजकीय व्यापार निगम (STC) को परोक्ष रुप मे अनुदान देने की घोषणा की। राजकीय व्यापार निगम को कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओ को आयात हेतु एकाधिकार दिए गये, जिनके लाभो का उपयोग कुछ वस्तुओ के निर्यात मे हुई क्षति को पूरा करने के लिए किया गया। इन वस्तुओ मे सीमेन्ट, मूँगफली का तेल, खली एव कुछ रासायनिक पदार्थ सम्मिलित थे।

(5) **<u>निर्यात सम्बर्धन परिषदो के लिए बजट मे प्रवधान</u>** – हर वर्ष सरकारी बजट मे निर्यात सम्बर्धन परिषदो की गतिविधियो के लिए प्रावधान रखा गया। इन गतिविधियो मे प्रदर्शनियो तथा व्यापार मेलो का आयोजन अथवा ऐसे मेलो मे भाग लेना, बाजार सर्वेक्षण एव ऐसे कार्य सम्मिलित थे जिनके द्वारा भारतीय वस्तुओ की विदेशो मे मॉग बढायी जा सकती थी इस प्रकार के बजट का प्रवधान आज भी रखा जा रहा है।

(6) **<u>बिक्री कर मे छूट तथा उत्पादन शुल्क व कच्चे माल पर प्राप्त प्रशुल्क की वापसी</u>** निर्यात की जाने वाली वस्तुओ पर सरकार ने बिक्री–कर तथा उत्पादन शुल्क मे छूट देने के अतिरिक्त उस कच्चे माल पर वसूल किये गये प्रशुल्क को वापस करने की घोषणा भी की, जिसका उपयोग निर्यात की जाने वाली वस्तुओ के उत्पादन मे किया जाता था। वैसे 1954 मे इस प्रकार के कच्चे माल पर आयात कर मे छूट देने की नीति लागू की गई थी तथा 1956 मे उत्पादन करो मे छूट दी गई थी। परन्तु इन सब रियायतो का क्षेत्र एव सीमा सीमित होने के कारण इनका पर्याप्त लाभ नही मिल सका। तीसरी योजना अवधि मे निर्यातो को प्रोत्साहन देने हेतु इन सब रियायतो के क्षेत्र एव इनकी सीमाओ मे पर्याप्त विचार किया गया। परन्तु इस सब रियायतो को प्राप्त करने मे अनेक कठिनाई थी, जिसे आगे की योजना अवधियो मे दूर किया जा सका।

**<u>आयात का अधिकार</u>** – इस योजना काल के अन्तर्गत निर्यातको को निर्याततित वस्तु के एक अनुपातिक विदेशी विनमय विदेशो से निर्दिष्ट वस्तु/वस्तुओ का आयात करने के लिए दिये जाने का प्रावधान किया गया तथा इसके अन्तर्गत विभिन्न निर्यातको को निर्यात के मूल्य (f o b) के आधार पर आयात लाइसेन्स दिये गये। निर्यातको को यह छूट दी गई कि वे इस लाइसेन्सो को उन व्यक्तियो को हस्तान्तरण कर दे जिन्हे सम्बद्ध वस्तुओ की वास्तव मे आवश्यकता थी। प्राय अधिकाश निर्यातको को आयात लाइसेन्स पर 70 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक अतिरिक्त राशि प्राप्त हो जाती थी। कुछ वस्तुओ के आयात लाइसेन्सो पर 200 प्रतिशत से 300 प्रतिशत अतिरिक्त राशि प्राप्त की जा सकती

थी। 1963 मे इस योजना के अन्तर्गत 65 करोड रुपये के आयात लाइसेन्स जारी किये गये। यह उल्लेखनीय है कि भारत से पहले इस प्रकार की योजना पाकिस्तान व जापान मे लागू की जा चुकी थी। परन्तु भारत मे लागू की गई इस योजना मे निम्न लिखित विशेषताएँ रही है –

(1) निर्यात के मूल्य से कम मूल्य के अयात लाइसेन्स जारी किये जाते रहे, तथापि अन्य देशो की तुलना मे आयात लाइसेन्स की राशि के अनुपात मे भारत अधिक है। इन अनुपातो मे परिवर्तन किये जाते है।

(2) हस्तान्तरणीय लाइसेन्सो के बाजार पृथक होने के कारण विभिन्न लाइसेन्सो पर अतिरिक्त राशि की दरे भी भिन्न थी।

(3) इस योजना के अन्तर्गत उपयोग की वस्तुओ के आयात लाइसेन्स नही दिये जाते।

(4) इस योजना के अन्तर्गत 60 प्रतिशत से अधिक निर्यात सम्मिलित नही है एव केवल 30 प्रतिशत निर्यातो पर कठोर नियमो के अन्तर्गत लाइसेन्स देने की व्यवस्था है।

(5) उक्त आयात अधिकारो के अन्तर्गत प्राप्त कुल आयात के मूल्य के लगभग 5 प्रतिशत रहे है।

वस्तुत यह योजना उस समय लागू की गई जबकि भारतीय रुपये का अर्थ (Value) कृत्रिम रुप से ऊँचा रखा गया था तथा विदेशी विनमय की कलाबाजारी अधिक होने के कारण आयात लाइसेन्सो पर अतिरिक्त राशि प्राप्त करने के उद्देश्य से घाटा उठा कर भी निर्यात मे वृद्धि की। परन्तु इस योजना का सबसे बडा दोष यह था कि इसके अन्तर्गत प्राप्त अतिरिक्त राशि विभिन्न वस्तुओ के सन्दर्भ मे असमान एव अस्थिर थी। इस नीति ने बीजक मे निर्यातो के मूल्य बढाकर प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया, क्योकि सभी निर्यातकर्ता अधिक से अधिक राशि का आयात लाइसेन्स प्राप्त करना चाहते थे। यह उल्लेखनीय है कि जैसे–जैसे निर्यात का मूल्य अधिक होता है वैसे–वैसे आयात लाइसेन्सो पर प्राप्त अतिरिक्त राशि का अनुपात घटता जाता है जिसके अन्तर्गत निश्चित मॉग के सन्दर्भ मे पूर्ति बढते जाने पर वस्तु का मूल्य घटता जाता है।

**अवमूल्यन के पश्चात निर्यात नीति** :– 5 जून, 1966 को भारतीय रुपये का अवमूल्यन करने के बाद सरकार ने निर्यात–सम्बर्धन के अधिकाश उपायो को समाप्त कर दिया। परन्तु जब यह अनुभव किया गया कि अवमूल्यन के पश्चात् निर्यातो मे वृद्धि नही हो पा रही है तो अनुदान सम्बन्धी योजना पुन लागू की गई। अवमूल्यन के पश्चात लागू कि गई निर्यात सम्बर्धन नीति मे

आयात लाइसेन्स के साथ 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत नकद अनुदान देने की भी व्यवस्था रखी गई। विभिन्न वस्तुओ पर उपलब्ध अनुदान एव नकद अनुदानो की दरों मे विभिन्नता है। यद्यपि प्रत्यक्ष अनुदान की योजना ही अधिकाश वस्तुओ के लिए प्रचलित है। 1967–68 मे अनेक वस्तुओ के लिए सहायता की दरे बढायी गयी। पुन 1968–69 मे जिन क्षेत्रो के निर्यात मे 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई थी, वहॉ नकद सहायता के स्तर मे 25 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक वृद्धि की गई। 1967–68 तक निर्यात की गई वस्तुओ मे 10 प्रतिशत पर नकद अनुदान की योजना लागू की जा चुकी थी। इसके अगले दो वर्षो मे कुछ नयी वस्तुओ को इस अनुदान मे शामिल किया गया।

हम यहॉ यह भी कह सकते है कि भारतीय निर्यात नीति मे एक तरह से अवमूल्यन के पश्चात् एक नया चरण प्रारम्भ हुआ। अवमूल्यन से लाभ उठाने के लिए भारतीय निर्यात नीति मे अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये। कुछ मुख्य परिवर्तन ये थे– नकद सहायता मे वृद्धि, निर्यात के लिए ऋण व्यवस्था को सुदृढ बनाना, कुछ चुनी हुई निर्यात योग्य वस्तुओ के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यो पर देशी कच्चे माल की व्यवस्था करना, निर्यात–शुल्को मे परिवर्तन करना इत्यादि। रुपये के अवमूल्यन के फलस्वरुप निर्यात शुल्क परिवर्तित किये गये। परम्परागत वस्तुओ की माग विदेशो मे बेलोच थी अथवा जिनकी पूर्ति की स्थिति लचीली नही थी या जिन पर ये दोनो बाते लागू होती थी उन पर निर्यात शुल्क लगाये गये। इन शुल्को के पीछे उद्देश्य व्यापारिक शर्तो की रक्षा करना तथा विदेशी कीमतो की ऐसी गिरावट के कारण होने वाली उस हानि से विदेशी मुद्रा को बचाना था, जो निर्यात की वृद्धि के बराबर न हो। नयी निर्यात नीति मे इस तथ्य को स्वीकार किया गया कि विदेशी मुद्रा की वृद्धि के दृष्टिकोण से यह अत्यन्त आवश्यक हो गया कि निर्यात सरचना मे विभेदीकरण किया जाय। चालू निर्यात को मुख्यत तीन भागों मे बॉटा गया – पहला, सबसे अधिक प्राथमिकता वाला वर्ग जिसमे इजीनियरिंग प्लास्टिक एव रसायनिक उद्योग सम्मिलित थे। इन उद्योगो के लिए विश्व माग अनुकूल थी और निकट भविष्य मे भारत प्रतियोगिता की स्थिति मे पहुॅच सकता था। किन्तु लागत अधिक होने के कारण विश्व बाजार मे पहुचने मे कुछ कठिनाई थी। यह बात दृष्टिगत करते हुए सरकार ने इन उद्योगो को नकद अनुदान देने की घोषणा की। इजीनियरिंग उद्योगो को तीन वर्गो मे बाटा गया और 12,15 तथा 20 प्रतिशत की दर से अनुदान दिया गया। दूसरे भाग मे वे वस्तुएॅ सम्मिलित थी जिन पर न तो अनुदान ही था और न ही निर्यात कर ही लागू होता था। इस वर्ग मे चमडे की निर्मित वस्तुएॅ, हस्तकला, इत्यादि सम्मिलित थी। कुल निर्यात मे इसका 325 प्रतिशत भाग था। तीसरे भाग मे परम्परागत वस्तुएॅ रखी गयी। इस वर्ग की अनेक वस्तुएॅ जैसे चाय, माइका,

पीपर, इत्यादि ऐसी वस्तुएँ थी जिनकी विश्व माग की पूर्ति भारत बहुत सीमा तक करता था परिणाम यह रहा कि भारतीय वस्तु निर्यात जो कि सन् 1965–66 मे 801 65 करोड रुपये था बढाकर सन् 1967–68 मे 1998 67 करोड रुपये हो गया। सूती वस्त्रो का निर्यात 52 37 करोड रुपये (61–62) से बढाकर 79 44 (1967–68) हो गया। अपरम्परागत वस्तुओ के निर्यात मे वृद्धि हुई जो कि निश्चय ही एक स्वस्थ चिन्ह था।

इस योजना काल मे निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु अनेक सस्थाए स्थापित की गई अथवा इनके कार्य क्षेत्र का विस्तार किया गया। राजकीय व्यापार निगम (STC) खनिज एव घातु व्यापार निगम (MMTC) तथा हथकर्घा व हस्तकला निर्यात निगम (HHEC) इनमे से प्रमुख सस्थाए है। जिनका उद्देश्य निर्यातो को प्रोत्साहन देना है। यह उल्लेखनीय है कि राजकीय व्यापार निगम की स्थापना मई 1956 मे की गई थी तथा इसे विविध प्रकार की वस्तुओ के आयात व निर्यात करने हेतु एकाधिकार दिये गये थे। 1956–57 मे इस निगम के कुल व्यापार की राशि लगभग 9 करोड रुपये थी। परन्तु शीघ्र ही इसका कार्यक्षेत्र बढने के साथ–साथ आयात व निर्यात मे तेजी से वृद्धि हुई। फलस्वरुप अक्टूबर 1963 मे खनिज व धातु व्यापार निगम की स्थपना की गई, जिसका मुख्य सम्बन्ध खनिज व धातु के आयात व निर्यात से है। इस तीसरी पचवर्षिय योजना काल मे ही विदेशी व्यापार सस्थान (IFT) की स्थापना की गई। इस सस्थान के मुख्य कार्यो मे निर्यात व्यापार से सम्बद्ध अधिकारियो को विशेष प्रशिक्षण देना, बाजार सम्बन्धी सेवाओ की जानकारी देना तथा विदेशी व्यापार सम्बन्धी शोध शामिल है। इस क्षेत्र की उन्नति हेतु वर्तमान मे व्यापार विकास सस्था का निर्माण किया गया जिसका कार्य चुने हुए तथा गहन निर्यातो के विकास को प्रोत्साहित करना तथा निर्यात उत्पादन एव बिक्री के क्षेत्र मे विभिन्न सेवाएँ प्रदान करना है। एक स्वतन्त्र विदेशी व्यापार मन्त्रालय की भी स्थापना की गई। यह सब इस बात की पुष्टि करते है कि सरकार ने निर्यात प्रोत्साहन की समस्या को तीव्र गति से हल करने का प्रयास प्रारम्भ कर दिया।

## चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में निर्यात नीति :–

इस पचवर्षिय योजना काल मे प्राथमिकता प्राप्त व अन्य उद्योगो को निर्यात सम्बर्धन हेतु और अधिक सुविधाएँ दी गई। प्राथमिकता प्राप्त उद्योगो का कुल उत्पादन का 10 प्रतिशत या अधिक निर्यात करते थे, उत्पादन मे वृद्धि करने तथा कच्चे माल एव साज–सज्जा की उपलब्धि हेतु प्राथमिकता दी गई। साथ ही यह स्पष्ट कर दिया गया कि कुल उत्पादन के 25 प्रतिशत या अधिक का निर्यात करने वाली औद्योगिक इकाईयो को अधिक प्राथमिकता के आधार पर सहायता दी जाएगी।

प्राथमिकता प्राप्त उद्योगो के अनुरुप ही गैर प्राथमिकता प्राप्त औद्योगिक इकाइयो को भी सुविधाए देने का निश्चय किया गया, यदि वे भी अपने उत्पादन का 10 प्रतिशत या इससे अधिक का निर्यात करती हो। प्रथामिकता प्राप्त 12 उद्योगो मे सलग्न इकाइयो, जैसे साइकिलो व इनके पूर्जो का निर्माण, निर्दिष्ट किस्म के डीजल इजन, आटोमोबाइल्स के पूर्जों, दवाइयो व रसायनिक पदार्थो आदि के उत्पादन के 5 प्रतिशत से कम निर्यात करने पर प्राप्त आयात लाइसेन्स मे कटौती करने तथा प्राथमिकता के आधार पर कच्चे माल व साज–सज्जा की उपलब्धि स्थगित करने की घोषणा की गई। यह उल्लेखनीय है कि यह नीति तृतीय पचवर्षीय योजना काल मे भी प्रचलित थी, परन्तु इसको और अधिक प्रभावपूर्ण ढग से कार्यान्वित करने का निर्णय इस योजना काल मे लिया गया। इन 12 उद्योगो मे सलग्न 342 इकाइयो मे से 1971–72 के केवल 88 (26 प्रतिशत) ही उत्पादन के 5 प्रतिशत भाग का निर्यात करने की शर्त पूरी कर सकी।

भारत सरकार ने 1970 मे निर्यात सम्बर्द्धन के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए **"निर्यात नीति प्रस्ताव"** पारित किया। इस प्रस्ताव मे इस योजना काल मे तथा उसके बाद अपनायी जाने वाली निर्यात नीति की स्पष्ट घोषणा की गई। इस प्रस्ताव मे यह बताया गया कि निर्यातो से प्राप्त आय मे वृद्धि का उतना ही महत्व है जितना कि देश के आन्तरिक साधनो के विदोहन का है। देश के आर्थिक स्वावलम्बन की प्राप्ति तथा विदेशी सहायता पर निर्भरता मे कमी लाने हेतु निर्यात–आयात मे तीव्र गति से वृद्धि की जानी आवश्यक है।

इन प्रस्तावो मे उन विषयो को भी शामिल किया गया, जो भारत सरकार द्वारा उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रो जैसे कृषि, फलो के उत्पादन, रेशम, वन, मत्स्य पालन, खनिज, वस्त्र उद्योगो, रसायन पदार्थो, इजीनियरिंग उद्योगो एव विद्युत उद्योगो, आदि के सम्बन्ध मे अपनायी जाती है। उक्त प्रस्ताव मे कृषि के लिए व्यापारिक फसलो के उत्पादन मे वृद्धि हेतु किये जाने वाले प्रयासो का उल्लेख किया गया है। प्रस्ताव मे ऐसा कहा गया कि इन फसलो, विशेष रुप से काजू की गुली, तिलहन, कपास, कच्ची जूट, गर्म मसालो, तम्बाकू आदि के निर्यात मे वृद्धि की काफी सम्भावनाएँ विद्यमान थी। इस प्रस्ताव मे इन वस्तुओ की क्वालिटी मे सुधार हेतु भी सरकार को उत्तरदायी बनाया गया।

इसी प्रकार फलो, सब्जियों व फूलो की वैज्ञानिक ढग से खेती करने पर "निर्यात नीति प्रस्ताव" मे बल दिया गया। इनके उत्पादन मे पर्याप्त वृद्धि के आवश्यक कदम उठाये जाने की घोषणा की गयी। विशेष रूप से असली रेशम के उत्पादन मे वृद्धि तथा इसकी क्वालिटी मे सुधार हेतु आवश्यक उपायो पर बल दिया गया।

विदेशो मे समुद्र से प्राप्त खाद्य वस्तुओ (मछली, घोघा, केकडा, आदि) की भारी मॉग की तुलना मे इन वस्तुओ का भारत मे बहुत कम उत्पादन है। निर्यात नीति प्रस्ताव मे इस तथ्य को स्वीकार करते हुए इन साधनो के उपयुक्त विदोहन की आवश्यकता पर बल दिया गया। इसके अतिरिक्त समुद्री  खाद्य–वस्तुओ के परिनिर्माण हेतु भी आवश्यक कदम उठाने का निश्चय किया गया।

इसी प्रकार उक्त प्रस्ताव मे हमारे वनो मे प्राप्त साधनो के समुचित विदोहन एव इनका निर्यात बढाने का निश्चय किया गया। यह भी निर्णय किया गया कि देश मे उपलब्ध खालो व चमडो के निर्यात व्यापार मे वृद्धि हेतु प्रयुक्त किया जाय। "निर्यात नीति प्रस्ताव" मे यह भी स्पष्ट किया गया कि भारत मे अनेक खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा मे उपलब्ध है तथा इनके उत्पादन मे वृद्धि एव निर्यात से देश को पर्याप्त विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सकती है। इन खनिज पदार्थो मे कच्चा लोहा, मैगनीज, क्रोम, बाक्साइट, अभ्रक, सिलीमेनाइट, कैडमियम, क्यानाइट, फ्लोरापार, आदि उल्लेखनीय है। इनमे से लोहा, मैगनीज व अभ्रक के निर्यात मे वृद्धि की काफी सम्भावनाएँ उपलब्ध है। ऐसा इस प्रस्ताव से स्पष्ट किया गया।

निर्यात नीति प्रस्ताव मे यह भी स्पष्ट किया गया कि नई इकाइयो को लाइसेन्स देते समय अथवा पुरानी इकाइयो की उत्पादन क्षमता के विस्तार की अनुमति देते समय इनकी निर्यात क्षमता को भी ध्यान मे रखा जाएगा। इन छोटी औद्योगिक इकाइयो तथा हस्तकला की वस्तुओ के निर्माताओ को उत्पादन बढाने हेतु सभी प्रकार की सम्भव सहायता दी जाएगी, जो निर्यात हेतु उत्पादन क्रिया मे सलग्न है। उक्त प्रस्ताव मे यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि क्वालिटी–नियन्त्रण एव लदान पूर्व निरीक्षण सम्बन्धी दायित्वो को सरकार और कठोरता पूर्वक करेगी।

भारत से सूती वस्त्रो का पर्याप्त मात्रा मे निर्यात किया जाता है। इस निर्यात नीति प्रस्ताव मे वस्त्र उद्योगो मे सलग्न इकाइयो के आधुनिकीकरण पर बल दिया गया। किन्तु इनमे से सभी इकाइयो का आधुनिकीकरण सम्भव नही है। पहले तो उन इकाइयो के आधुनिकीकरण का निर्णय लिया गया जो पर्याप्त मात्रा मे निर्यात करने मे समर्थ हो। उक्त प्रस्ताव मे इन इकाइयो के आधुनिकीकरण पर बल दिया गया तथा यहॉ यह स्पष्ट कर दिया गया कि यदि आवश्यक हुआ तो अवश्यक साज–सज्जा के आयात द्वारा भी इनका आधुनिकीकरण किया जाएगा।

चुने हुए उद्योगो को निर्यात के बदले आयात लाइसेन्स प्रदान करने, नकद अनुदान देने, उत्पादन करो, प्रशुल्क दरो व रेल भाडे मे छूट देने तथा रियायती ब्याज दर पर निर्यातकर्ताओ

को साख उपलब्ध कराने की नीतियॉ चतुर्थ पचवर्षीय योजना काल मे भी जारी रखी गयी। यहॉ यह बता देना उचित होगा कि जुलाई 1965 मे **'विपणन विकास कोष'** की स्थापना की गयी, जिसका उद्देश्य निर्यातको को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना था। परन्तु इस दिशा मे उल्लेखनीय प्रगति इस योजना काल मे ही हो सकी। 1971–72 मे उक्त कोष से निर्यातको को 4 करोड रुपये की साख उपलब्ध करायी गयी थी। 1972–73 मे साख की यह राशि बढकर 62 करोड हो गयी। विभिन्न निर्यात सम्बर्द्धन परिषदो एव सस्थाओ को सरकारी बजट से अनुदान देने की योजना तृतीय पचवर्षीय योजना काल मे लागू कर दी गयी थी। इसके अतिरिक्त चुनी हुई वस्तुओ के निर्यात हेतु क्षतिपूरक सहायता का भी प्रावधान किया गया था। 1971–72 मे प्रशुल्क तथा उत्पादन करो मे छूट के अन्तर्गत सरकार ने 36 करोड रुपये व्यय किये, जबकि 1972–73 मे इन सुविधाओ पर 47 करोड रुपये व्यय किये गये।[1]

1973 मे निर्यात क्षेत्रो से सम्बद्ध उद्योगो के उत्पादन, अतिरेक सृजन तथा विदेशो मे बाजार के विकास से सम्बद्ध,समस्याओ पर अधिक गम्भीरता पूर्वक ध्यान देने हेतु वाणिज्य मन्त्रालय मे "**निर्यात उत्पादन विभाग**" की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त निर्यात व्यापार से सम्बद्ध इकाइयो की पूँजीगत वस्तुओ के आयात हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रो के शीघ्र निपटारे हेतु औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय को सीधा अधीकार दे दिया गया। इस सचिवालय की स्थापना केन्द्रीय सरकार ने औद्योगिक विकास विभाग के अन्तर्गत ऐसी इकाइयो को प्राथमिकता के आधार पर पूँजीगत वस्तुएँ आयात करने हेतु विदेशी विनमय के सामुदायिक आवटन हेतु की गई, जो अपने उत्पादन का एक भाग निर्यात करती है।

इस योजना काल मे विशुद्ध निर्यात आय मे वृद्धि हेतु ऊँची कीमत वाली वस्तुओ का आयात बढाने के भी प्रयास किये गये। इस्पात का उत्पादन देश मे कम होने के कारण अत्यधिक मात्रा मे आयात करने की आवश्यकता थी। 1973 जून मे यह निर्णय लिया गया कि आयातित इस्पात केवल उन निर्यात अनुबन्धो के लिए उपलब्ध कराया जायेगा, जिनका निर्यात (f o b) मूल्य इस्पात के आयात (c i f) मूल्य से कम से कम 25 प्रतिशत अधिक होगा। अर्ध निर्मित खालो के स्थान पर तैयार किये गये कपडे को प्रोत्साहन देने हेतु अगस्त 1973 मे खालो के निर्यात की मात्रा सीमित कर दी गई। इसके साथ ही चमडा उद्योग को उत्पादन बढाने मे सहायता देने हेतु सम्बद्ध इकाइयो की उत्पादन क्षमता मे विस्तार हेतु लाइसेन्स प्रक्रिया को और सरल बनाया गया।

---

1 Reserve Bank of India, Report on Currency and Finance 1973-74, P-231

मनुष्य द्वारा निर्मित अर्थात कृत्रिम रेशे, मिश्रित धागो एव कुछ विशेष प्रकार के सूती धागो के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। इन प्रतिबन्धो का प्रयोजन तैयार वस्त्रो के निर्यात को प्रोत्साहन देना था। जूट की वस्तुओ के निर्यात को बढाने हेतु 1973 मे गलीचो के काम मे आने वाले जूट के सामान पर मौजूदा निर्यात कर मे कमी की गई। 1973 अगस्त मे टाट पर भी विद्यमान निर्यात कर मे कमी की गई। परन्तु बोरियो पर विद्यमान निर्यात कर पूर्ण रुप से समाप्त कर दिया गया। बाद मे मार्च 1974 मे जूट की वस्तुओ के विश्व भर मे मूल्य बढ जाने पर कार्पेट बैकिग एव टाट पर नवम्बर 1972 से पूर्व विद्यमान दरो से पुन निर्यात कर लगा दिये गये,जबकि जूट की बोरियो पर फिर से निर्यात कर अगस्त 1973 मे विद्यमान दर से लगा दिया गया।

## पॅचवी योजना काल में निर्यात नीति :–

पॉचवी पचवर्षीय योजना काल मे निर्यातो मे 35 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। इस निर्यात नीति के अन्तर्गत इस वृद्धि के लक्ष्य के पीछे यह भावना निहित था कि विश्व के बाजारो मे उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियो मे भी हम अधिकाधिक विदेशी विनिमय प्राप्त करते हुए देश आर्थिक विकास कर सके। भारत सरकार ने छ उद्योगो के लिए निर्यात का आवश्यक अनुपात बढा दिया, क्योकि इन उद्योगो की निर्यात क्षमता अधिक होने का अनुमान लगाया गया था। ये उद्योग है – इन्जीनियरिग उपकरण (file), ढले हुए हस्तचालित औजार (Hand tools)। अभी तक इन उद्योगो के लिए उत्पादन का न्यूनतम 5 प्रतिशत अश निर्यात करना जरुरी था परन्तु अब यह सीमा बढाकर 10 प्रतिशत कर दी गई। अब तक निर्यात के लिए आवश्यक लक्ष्य पूरा करने पर आयात अधिकार मे श्रेणीकृत कटौती का प्रावधान था। परन्तु अब जो इकाइयॉ उत्पादन के 10 प्रतिशत से कम निर्यात करेगी उनके आयात कोटे मे 10 प्रतिशत की कटौती कर दी जाएगी।

इसके अलावा कुछ गैर परम्परागत निर्यात के सन्दर्भ मे निर्यातको को कच्चे माल व पूर्जो के सामान्य आयात अधिकार के अतिरिक्त 10 प्रतिशत अधिक अयात कोटा दिया जाएगा। ये अधिकार इन उद्योगों के सन्दंभ मे दिये जाने का प्रवधान है–इन्जीनियरिंग वस्तुएँ, रासायनिक पदार्थ एव सम्बद्ध उत्पादन, चमड़ा एव कपडे की वस्तुएँ, खेल सामान, हस्तकलाएँ, सूती वस्त्र एव तैयार कपडे। इस प्रकार इस पचवर्षीय योजना काल मे अपनायी जाने वाली निर्यात नीति को देश के भीतर एव अन्तर्राष्ट्रीय बाजारो मे विद्यमान परिस्थितियो के आधार पर निर्धारित करने का प्रयास किया गया।

**<u>1976–77 एव 77–78 के लिए निर्यात नीति</u>** :– देश के निर्यात व्यापार मे 1975–76 मे आशातीत वृद्धि होने के पश्चात् भी व्यापार का घाटा बढ गया। इस वर्ष मे वास्तविक निर्यात 3,941 6 करोड रुपये का हुआ था जो कि लक्ष्य से कही अधिक था। परन्तु इसी वर्ष के आयातो मे वृद्धि निर्यातो की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से हुई। 1974–75 मे व्यापार का घाटा 1,182 95 करोड रुपये का था जो कि 1975–76 मे बढकर 1,216 2 करोड रुपये का हो गया। इस प्रवृत्ति को देखते हुए 1976–77 मे व्यापार घाटे की स्थिति से निपटने हेतु निर्यातो मे और अधिक वृद्धि करने का निश्चय किया गया। भारत सरकार ने इस दृष्टिकोण को समक्ष रखते हुए 1976–77 तथा 1977–78 के दो वर्षो के लिए अपनी निर्यात नीति का निर्माण किया। इस नीति के अनुसार 1976–77 मे 600 करोड रुपये से 700 करोड रुपये तक के अतिरिक्त निर्यात तथा 1977–78 मे इससे भी अधिक राशि के निर्यातो का प्रवधान रखा गया।

इस नीति के अन्तर्गत निर्यात का विकास करने और उसमे विविधता लाने के प्रयासो को गतिशील करने के लिए, कई उपाय किये गये। इन प्रयासो मे निर्यात के लिए वित्तीय सहायता, परिवहन सुविधाएँ, बजार अनुसधान प्रशिक्षण, सस्थागत प्रबन्धनो को युक्ति सगत बनाना, सयुक्त राष्ट्र सघ के अभिकरणो और मित्र देशो से प्राप्त होने वाली तकनीकी सहायता सहित तकनीकी सेवाएँ प्रदान करना सम्मिलित था। इसके अलावा निर्यात मे विशिष्ट प्रयोजनो के लिए विदेशी मुद्रा देना, आयात पुर्नभरण, दुर्लभ कच्चा माल प्राथमिकता से देना, कुछ दशाओ मे रियायती कीमतो पर भी माल का निर्यात करना, रेल भाडे मे रियायत, आयात और उत्पादन शुल्को की वापसी और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक प्रणालियो के अनुरुप अन्य सामान्य और विशिष्ट सहायता देना, आदि सुविधाएँ भी सम्मिलित की गई। इस वर्ष की निर्यात नीति मे निर्यात व्यापार को बैको से ऋण देने के लिए प्राथमिकता वाला क्षेत्र माना गया। निर्यातकर्ताओ के व्यापारी बैको से लदान पूर्व एव लदान के बाद रियायती ब्याज पर अग्रिम धन लेने की सुविधा दी गई। विदेशी बाजारो मे प्रतियोगिता का सामना करने, देश की वर्तमान अर्थव्यवस्था मे निहित प्रतिकूल परिस्थितियो का सामना करने, देश की वर्तमान अर्थव्यवस्था मे निहित प्रतिकूल परिस्थितियो को प्रभावहीन करने और विपणन क्षमता का विकास करने के लिए कुछ चुनी हुई गैर परम्परागत औद्योगिक वस्तुओ को नगद सहायता चालू रखी गयी तथा निर्यात की पर्याप्त सम्भावनाओ वाले चुने हुए मामलो मे पूरक सहायता देना भी जारी रखा गया।

निर्यात सस्थान स्कीम को विस्तृत रूप से सशोधित किया गया तथा इसे और अधिक निर्यातवर्धक बनाया गया। इस नये स्कीम को 1976–77 की आयात नीति के साथ ही घोषित किया गया।

इन्जीनियरिंग, रसायन और अन्य उद्योगो को निर्यात माल बनाने के लिए देश मे उपलब्ध आवश्यक कच्चा माल प्राथमिकता के आधार पर देने की व्यवस्था की गई। आवश्यकता पडने पर आवश्यक कच्चे माल का आयात करने का भी निर्यात नीति मे प्रावधान रखा गया।

भारत सरकार ने 1976–77 की इस नई लाइसेन्स नीति की घोषणा मे 100 प्रतिशत निर्यातवर्धक उद्योगो को महत्व दिया। इन इकाइयो को अपने सम्पूर्ण उत्पादन को बिना सरकार की क्षतिपूर्ति सहायता पर निर्भर रहते हुए प्रतियोगिता के आधार पर बेचने की छूट दी गई। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु सरकार ने अनेक सुविधाएँ उपलब्ध कराने की भी घोषणा की। आयात कर मुक्त कच्चे माल तथा पूजीगत वस्तुओ की पूर्ति सम्बन्धित सुविधाओ के अलावा सरकार ने कई अतिरिक्त सुविधाएँ प्रदान करने की घोषणा की। निर्यात इकाइयो को बजार की स्थिति के अनुसार उत्पादन की विविधता के लिए सुविधाएँ देने का भी प्रावधान रखा गया।

1976–77 मे भारत के लाभ की स्थिति मे आ जाने का प्रथम कारण तो आयात स्थिति मे कुछ कठोर दृष्टिकोण रहा (जिसमे लाइसेन्स कम किए गये और रोके भी गये)। दूसरा कारण यह था कि 1976–77 मे अधिकाश निर्यातित वस्तुओ के इकाई मूल्य मे वृद्धि का लाभ भी प्राप्त हुआ, क्योकि विश्व के विकसित औद्योगिक देशो मे व्याप्त अवरोधक स्थिति समाप्त हो गयी थी। परन्तु इसका मुख्य कारण यह था कि भारत को विदेशी खाद्यान्न का आयात करने मे जिस बडे खाते का भुगतान करना पडता था वह प्राय बन्द हो गया। अतएव इस लाभ का श्रेय देश मे खाद्यान्न की वृद्धि को दिया जा सकता है। इसके साथ ही एक तथ्य यह भी है कि सरकारी उद्योगो मे वर्षो से चली आ रही गतिरोध की अवस्था मे परिवर्तन हुआ अर्थात् इन्जीनियरिंग सामान, लोहा, इस्पात, चमडा खली और कुछ ऐसी वस्तुओ का निर्यात अधिक हुआ जो परम्परागत वस्तुओ के निर्यात से अधिक कही जा सकती है।

1977–78 की निर्यात नीति के सम्बन्ध मे सरकार ने यह स्पष्ट किया कि यह नीति घरेलू मॉग की पूर्ति करने तथा आयात का भुगतान अपने ही ससाधनो द्वारा कर, आत्मनिर्भर बनने मे सतुलन स्थापित करने की होगी। 1977–78 मे सरकार ने निर्यात को और अधिक बढावा देने की घोषणा इस मत से की, कि अनिश्चितकालीन विदेशी सहायता से मुक्ति पाने के लिए तथा उत्तरोत्तर एक दूसरे पर निर्भर रहने वाली दुनिया मे आत्मनिर्भर बनने के लिए निर्यात मे वृद्धि करना ही एक मात्र उपाय है। इस वर्ष सरकार ने इन्जीनियरिंग के सामानो को बढावा देने के लिए निर्यातको को प्रत्येक तरह की सहायता देने का प्रयास किया। इस वर्ष विदेशी व्यापार तथा निर्यात प्रोत्साहन के लिए 303 करोड रूपये रखे गये, जबकि 1975–76 मे मात्र 160 करोड रूपये की ही व्यवस्था थी। विगत वर्ष मे निर्यात मे हुई इस अतिरिक्त लाभ को

दृष्टिगत करते हुए यह कहा जा सकता है कि आर्थिक प्रोत्साहन, आर्थिक अनुशासन और निर्यात नीति इन सबका प्रयोग उत्पादन की रफ्तार बढाने के लिए किया जाना चाहिए। आजादी से इस वर्ष तक के 25 वर्षो मे राष्ट्रीय आय दुगुनी से भी अधिक हो गयी, जो कि सुखद प्रगति कहा जाएगा।

## छठी पंचवर्षीय योजना काल मे निर्यात नीति –

इस योजना काल (1980–85) मे भारत के कुल निर्यातो का मूल्य लगभग 41,078 करोड रुपये होने का अनुमान था। इस योजना काल मे निर्यात नीति को इस प्रकार समायोजित किया गया कि एक तो देश को अधिकतम विदेशी विनमय प्राप्त हो सके, तो दूसरी ओर इस योजना के प्रमुख उद्देश्य मे वृद्धि एव अनिवार्य वस्तुओ की पूर्ति मे योगदान मिल सके। इसी कारण आम लोगो के उपयोग की वस्तुएँ उदाहरणार्थ, चाय, सब्जी, दाल, तिलहन, आदि के निर्यात की अनुमति तभी दी जाएगी जब इनकी दशा मे पर्याप्त पूर्ति उपलब्ध हो। देश से टेक्नोलॉजी के निर्यात हेतु प्रयास, निर्यातको को निर्यात सम्बर्द्धन परिषदो के माध्यम से सहायता देने, इनको मिलने वाली वर्तमान सुविधाएँ जारी रखने, निर्यातित होने वाली वस्तुओ की गुणवत्ता मे सुधार एव लागत मे कमी करने का प्रयास, परम्परागत निर्यात को बढाने हेतु नये बाजार की खोज एव उत्पादन क्षमता मे वृद्धि के प्रयास, आदि का प्रावधान इस योजना काल मे किया गया।

इन उद्देश्यो की प्राप्ति हेतु भू0पू0 **वाणिज्य सचिव पी0सी0 एलेक्जेन्डर** की अध्यक्षता मे गठित एक समिति ने जनवरी 1978 मे प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट मे सरकार को सुझाव दिया कि वर्तमान मे इन्जीनियरिंग की वस्तुएँ, रसायनो व सम्बद्ध वस्तुएँ, खेल के समान परिवर्तित कुछ पदार्थो, मछली व इससे बने पदार्थो, बगीचो, हस्तकला की वस्तुएँ, प्लास्टिक की वस्तुएँ, चमडे से बनी वस्तुएँ, आदि के निर्यात पर नकदी सहायता दी जाय। 1979–80 से 1981–82 तक के तीन वर्षो के लिए अनेक पदार्थो के निर्यात पर नकद सहायता देने की व्यवस्था की गई। अनेक वस्तुओ के लिए नकद सहायता की दरे 5 प्रतिशत से 20 प्रतिशत के बीच निर्धारित की गई। निर्यात अनुदानो की राशि 1977–78 मे 363 करोड रूपये थी जो 78–79 मे 434 करोड रूपये हो गयी।[1]

**निर्यात नीति पर टण्डन समिति** – श्री प्रकाश टण्डन की अध्यक्षता मे सरकार ने निर्यात नीति निर्धारण करने के उद्देश्य से 13 सदस्यो की एक समिति नियुक्त की। इस समिति ने 1980 के

---

1 बरला अग्रवाल, अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, पृ0 428 एव 429

दशक मे निर्यात नीति से सम्बन्धित अपनी अन्तरिम रिपोर्ट मई 1980 मे प्रस्तुत की।[1] समिति ने यह सुझाव दिया कि 1990–91 तक कुल निर्यात 17,986 करोड रूपये हो जाना चाहिए जबकि 1980–81 के लिए अनुमान 7000 करोड रूपये का था। इस प्रकार समिति ने इस अवधि मे 10 प्रतिशत वार्षिक दर से निर्यात मे वृद्धि का अनुमान लगाया। समिति के अनुसार इसके लिए यह आवश्यक है कि एक "निर्यात जन्य विकास नीति" (Export oriented growth strategy) हो। समीति ने भी मत प्रकट किया कि निर्यात सम्बर्धन के ऐसे रास्ते अपनाये जाने चाहिए जिससे विश्व निर्यात मे भारत का हिस्सा 0 5 प्रतिशत से बढकर 1990–91 तक कम से कम 1 प्रतिशत हो जाये। इस दृष्टि से समिति ने निम्न सुझाव दिये –

1 पर राष्ट्रीय निगमो (Transnational Corporations) को, भारत के लिए पचवर्षीय निर्यात योजना, जो लागत लाभ विश्लेषण पर आधारित हो, तैयार करने के लिए कहा जाना चाहिए।

2 समिति ने 'निर्यात जन्य आयात नीति' के लिए सुझाव दिया तथा यह मत व्यक्त किया कि निर्यात–बाजार मे पूर्ति के प्रयास को पूरा करने के लिए निर्यात घरो को ऐसी वस्तुओ के आयात की सुविधा दी जानी चाहिए जिनका आयात स्वीकृत न हो।

3 औद्योगिक इकाइयो तथा MRTP कम्पनियो मे लाइसेस क्षमता को बिना ध्यान दिये हुए, निर्यात उत्पादन मे वृद्धि को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

4 MRTP के अर्न्तगत उत्पादन क्षमता को नियत्रित करने की लाइसेस की व्यवस्था 'निर्यात उत्पादन' के सम्बन्ध मे लागू किया जाना चाहिए।

5 ऐसे भारतीय व्यापार घर जो निर्यात घरो मे से बने हो उन्हे MRTP के अर्न्तगत नही रखा जाना चाहिए।

6 समिति ने यह सुझाव दिया कि बडे औद्योगिक घरानो की सम्पत्ति सीमा 20 करोड रूपये से बढाकर 50 करोड कर दी जानी चाहिए।

7 समिति ने यह भी सुझाव दिया कि शत प्रतिशत निर्यात उत्पादन के आधार पर कम्पनियो या औद्योगिक इकाइयो को अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का लाइसेस 25 प्रतिशत से बढाकर 50 प्रतिशत कर दिया जाना चाहिए।

---

1 स्टेट बैंक आफ इण्डिया, मन्थली रिमियू अप्रैल, 1982 पर आधारित।

8 निर्यात उद्योगो को नवीनतम टेक्नोलोजी के आयात की सुविधा दी जानी चाहिए ।

9 ऐसे उद्योग जो तीन वर्षो की अवधि मे अपने उत्पादन के 50 प्रतिशत से अधिक निर्यात किये हो, उन्हे पूँजीगत वस्तुओ के प्रशुल्क मुक्त आयात की सुविधा दी जानी चाहिए ।

10 समिति ने यह भी सुझाव दिया कि निर्यात जन्य उद्योगो के सम्बन्ध मे परोक्ष कर ढाचे मे सुधार किया जाना चाहिए, जिससे वे कच्चा माल तथा मध्यम वस्तुएँ, बिना उत्पादन शुल्क के प्राप्त कर सके।

11 ऐसी कृषि वस्तुओ के सम्बन्ध मे, जो निर्यात से सम्बधित हो, उत्पादन की योजना अलग से बनायी जानी चाहिए तथा इस योजना मे राज्यो को गम्भीरता पूर्वक भाग लेना चाहिए। 'निर्यात जन्य फसलो' को बैको के माध्यम से आसान ऋण की व्यवस्था होनी चाहिए।

इस योजना काल मे निर्यात नीति को अधिक युक्ति सगत एव विकास परक बनाया गया।[1] इस अवधि की नीति मे –

1 सर्वथा नये मदो (इजीनियरी, तैयार कपडे, दस्तकारी का सामान, हीरे–जवाहरात आदि) के निर्यात मे तीव्र गति से वृद्धि का निश्चय किया गया।

2 निर्यातको को सम्बन्धित उद्योग सम्बन्धी माल को आयात करने की छूट दी गई ।

3 निर्यात करने वाली इकाईयो को टैक्नोलॉजी का आधुनिकीकरण करने की सुविधाएँ दी गई।

4 निर्यात की प्रक्रिया को सरल बनाया गया।

5 निर्यात वित्त के लिए निर्यात–आयात बैक की स्थापना की गई।

इन सब कदमो का लाभ यह हुआ कि पॉच वर्षों मे निर्यातो मे 76 प्रतिशत अर्थात् लगभग 12 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हुई।

## सातवी पंचवर्षीय योजना काल में निर्यात नीति –

इसके पूर्व वाली योजना काल मे आयात एव निर्यात के निर्धारित लक्ष्य पूरे नही हो सके, निर्यातो का कुल योग 41,078 करोड रुपये की अपेक्षा केवल 33,000 करोड रुपये ही रहा, जिसके परिणामस्वरुप भारत को गम्भीर भुगतान सन्तुलन के सकट का सामना करना पडा।[1]

---

[1] डा0 जी0सी0 सिघई, अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, पृष्ट 475

इस वर्ष यह भी अनुभव किया गया कि 1965–85 के दो दशको की अवधि मे भारत को केवल कुछ ही वस्तुओ (इजीनियरिंग वस्तुओ, रसायानो, जवाहरात,तैयार पोशाको, चमडे की वस्तुओ तथा मछली से बने पदार्थो) के निर्यात मे मात्रात्मक दृष्टि से सफलता मिल पायी थी। इसके फलस्वरूप अनेक कठिनाइयॉ उत्पन्न हो सकती। इसीलिए सातवी योजना अवधि (1985–90) मे निर्यातो का विविधीकरण करना आवश्यक समझा गया।

इस योजना के अर्न्तगत निर्यातो की वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य 7 प्रतिशत रखा गया जो पूर्व योजना की अपेक्षा कम होने पर भी व्यवहारिक था ऐसा अनुमान था कि उक्त वस्तुओ के निर्यात से इस योजना काल मे अतिरिक्त विदेशी विनमय का 50 प्रतिशत भाग प्राप्त होने की आशा थी। यह भी महसूस हुआ कि औद्योगिक वस्तुओ के उत्पादन तथा निर्यातो मे वृद्धि के लक्ष्य कृषि जन्य वस्तुओ की तुलना मे अधिक आसानी से उपल्ब्ध हो सकते है। इस तरह से धातुओ तथा अन्य कुछ वस्तुओ के निर्यातो मे पर्याप्त बढोत्तरी करना सम्भव था। जबकि चाय, मसालो, सूती वस्त्र आदि के निर्यात मे बढोत्तरी की प्रबल सम्भावनाएँ विद्यमान थी। परन्तु पोशाको तथा जूट की वस्तुओ के सन्दर्भ मे भारत को अन्य देशो से स्पर्धा करनी पडी। इस योजना काल मे निर्यात नीति को एक बार मे घोषणा न करके तीन–तीन वर्षो के लिए दो बार मे किया गया।

**1985–88 की निर्यात नीति** – इस योजना काल मे पहली बार तीन वर्ष के लिए वाणिज्य मन्त्री द्वारा नयी निर्यात नीति की घोषणा की गई। वस्तुत यह नीति 1984 के अन्त मे व्यापार नीति समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनो मे निहित सिफारिशो पर आधारित थी।[2] इस निर्यात नीति मे निम्नलिखित मुख्य बाते निहित थी–

1 निर्यात हेतु उत्पादन करने वाले उद्योगो के आधुनिकीकरण हेतु औद्योगिक मशीनो की 201 मदो को खुले सामान्य लाइसेन्स श्रेणी मे रखा गया।

2 निर्यात उद्योग को प्रोत्साहन देकर निर्यातो मे अधिकाधिक वृद्धि करने का प्रयत्न करना।

3 निर्यात हेतु उत्पादन करने वाली इकाईयो के निष्पादन को आकलित करने हेतु आयात–निर्यात पास बुक प्रणाली लागू की गई। इसके आधार पर कच्चे माल का प्रशुल्क मुक्त आयात किया गया।

4 निर्यातो से सम्बन्धित माल के उत्पादन मे तकनीको को आधुनिकतम बनाना।

---

1 Seventh five year plan (1985-90) Vol- I- P P- 65-68
2 Economic Survey] 1988-89

5 ऐसी लघु इकाईयो तथा निगमो (निर्यात गृहो) के लिए निर्यात की न्यूनतम सीमा बढा दी गई जो उदारतापूर्ण आयात नीति का लाभ उठाना चाहते थे।

इस नीति के फलस्वरुप हमारे निर्यातोन्मुखी उद्योगो की स्पर्द्धा क्षमता अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे बढी। इस नीति के फलस्वरुप हमारे उद्योग अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग कर सके, इन उद्देश्यो की पूर्ति के लिए

1 निर्यातो की प्रक्रिया को सरल बनाना।

2 निर्यात (एव आयातो) का रिकार्ड रखने के लिए पास बुक की व्यवस्था की जाय।

3 5 से 10 करोड रुपये या अधिक के माल निर्यात करने वाली इकाइयो को अपना टेलीफोन एक्सचेन्ज आयात करने दिया जाएगा।

4 एक करोड रूपये या उससे अधिक रकम के वार्षिक निर्यात करने वाली इकाइयो को तकनीकी आयात करने की छूट दी जाएगी।

उपर्युक्त सब व्यवस्थाओ के अतिरिक्त अधिकाधिक माल निर्यात करने वाली इकाईयो को टेक्नोलॉजी, मशीने, पूर्जे, कच्चा माल, तथा वित्त सम्बन्धी सभी सुविधाओ की उपलब्धि मे प्राथमिकता देने की घोषणा की गई है।[1] इन सब सुविधाओ द्वारा देश के निर्यातो मे आशातीत वृद्धि होने की आशा की गई।

**वर्ष 1988–91 की तीन वर्षीय निर्यात नीति** – अप्रैल 1988 से मार्च 1991 तक की अवधि के लिए त्रिवर्षीय निर्यात नीति 30 मार्च, 1988 को सरकार द्वारा निर्यात सम्बर्द्धन के प्राथमिक व्यूह रचना के एक भाग के रुप मे किया गया। इस नीति के उद्देश्य का विवरण देते हुए वाणिज्य मन्त्री ने यह कहा कि आयात–निर्यात का नियन्त्रण अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण आवश्यता है और निर्यात के लिए विकास को बढावा देना चाहिए।[2] ओ0जी0एल0 तालिका के विस्तार का निर्माण सरकार की तरफ से नही होना चाहिए, ताकि गैर जरूरी आयात न किया जाय। मत्री महोदय के अनुसार केवल उन्ही वस्तुओ को आज्ञा प्रदान किया जाएगा जो कि घरेलू उत्पादन और देश के लिए जरूरी है।

इस तीन वर्षीय निर्यात नीति को सरकार ने क्रमबद्ध ढग से निर्यात प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से तैयार की। इसका प्रमुख उद्देश्य प्रोत्साहनो मे गुणात्मक–सुधारत्मक निर्यात

---

1 डा0 जी0सी0 सिंघई, अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशस्त्र, पृष्ट 476

2 इकोनोमिक टाइम्स, मार्च, 31, 1988, नई दिल्ली

सम्बर्धन को नयी गति प्रदान करना था। इसमे आयात प्रतिस्थापन एव आत्मनिर्भरता पर भी बल दिया गया। इस नीति के प्रमुख बिन्दु इस प्रकार है—

1 अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे प्रतियोगिता करने की दृष्टि से ऐसे उद्यमी निर्यातको को, जो अपने उत्पादन का कम से कम 25 प्रतिशत निर्यात करते है। (न्यूनतम् सीमा 1 करोड तथा इकाइयो के लिए 10 करोड रूपये) को निर्यात उत्पादन के लिए पूँजीगत वस्तुओ के आयात की छूट होगी, भले ही इसका उत्पादन देश मे हो रहा है।

2 निर्यात प्रोत्साहन को नयी प्रेरणा देना तथा इसके लिए प्रेरणाओ की गुणवत्ता व उनके प्रशासन मे सुधार करना।

3 सरकार ने निर्यातो पर से नियत्रण कम किये तथा निर्यात सूची मे से 26 मदो को सरकारी क्षेत्र से मुक्त कर दिया।

4 अग्रिम लाइसेस योजना को जो कुछ उत्पादो तक सीमित थी, ऐसे सब उत्पादो पर लागू कर दिया गया, जो दो विभिन्न इकाइयो द्वारा सयुक्त रूप से द्विस्तरीय ढग से उत्पादित किये जाते है तथा इन दोनो इकाइयो को निर्यात का सयुक्त उत्तरदायित्व सौपा गया हो।

5 निर्यात वृद्धि के लिए Export House तथा Trading House की योजना को सशोधित कर दिया गया। इसका दर्जा प्राप्त करने के लिए विदेशी विनमय प्राप्त करने की निर्धारित शर्त रखी गई, जो क्रमश 2 करोड तथा 10 करोड है। इन सदनो की कुछ वस्तुओ के अलावा अन्य सब वस्तुओ के निर्यात की छूट होगी।

6 लघु एव कुटीर उद्योगो को बढावा देने के लिए इन्हे Export House और Trading House का दर्जा देते समय अन्य उद्योगो की तुलना मे दूना भार दिया जाएगा, तथा इन्हे आयात करने की विस्तृत छूट दी जाएगी।

7 नीति एव विधियो को सरल एव युक्ति सगत बनाया जाएगा।

8 निर्यात लाइसेन्स नीति को सरल बनाया गया तथा इनकी अवधि को बढाया गया।

9 स्वर्ण एव चांदी के आभूषण निर्यात की अच्छी सम्भावना को देखते हुए इनकी निर्यात को उचित प्रोत्साहन दिया गया।

10 इस निर्यात नीति में अप्रत्यक्ष निर्यातको की भूमिका को स्वीकार किया गया, अर्थात् जो अन्तिम निर्यात हेतु कच्चे माल तथा साधनो की पूर्ति करते है तथा इन्हे अनुमानित

निर्यातक (Deemed Exporters) का दर्जा दिया गया। इन्हे उन सब लाभो की पात्रता होगी जो वास्तविक निर्यातो को प्राप्त होते है। इससे घरेलू उत्पादन की क्षमता का न केवल पूर्ण उपयोग होगा वरन् विदेशी विनमय की भी बचत होगी।

11 इस नीति को भी कार्यान्वित किया गया कि व्यापार मन्त्रालय के अर्न्तगत राज्यो की राजधानी मे निर्यात नियत्रण कक्ष स्थापित किये जाये, जो इसकी निगरानी रखे कि उदर एव रियायती आयातो के फलस्वरूप निर्यात मे कितनी वृद्वि हुई है।

उपरोक्त उपायो के अतिरिक्त मन्त्रालयो के प्रतिनिधियो और व्यापार एव निर्यात सबर्धन एजेन्सी को शामिल कर समन्वय समितियॉ गठित की गई है जो निर्यात सम्बन्धी नीति एव समस्याओ का अध्ययन कर निर्यात सम्बर्द्धन के उपाय सुझा सके। भारी व्यापार घाटे को देखते हुए लक्ष्य यह है कि निर्यात मे अधिकाधिक वृद्धि की जा सके और घाटे को कम किया जा सके।

## आठवी पंचवर्षीय योजना काल में आयात–निर्यात नीति –

वाणिज्य मन्त्री श्री पी0 चिदम्बरम ने 31 मार्च, 1992 को पहली बार पाच वर्षो के लिए देश की आयात–निर्यात नीति की घोषणा की। यह नीति 1 अप्रैल, 1992 से प्रभावी हो गयी।[1]

दरअसल आयात–निर्यात व्यापार नीति देश के व्यापार नीति का अभिन्न अग होती है और चूँकि हमारे आर्थिक सुधारो की दिशा स्पष्ट है इसलिए इस आयात–निर्यात की दिशा भी बहुत स्पष्ट है। न्यूनतम प्रतिबन्ध, व्यापार मे अधिक स्वत्रता और प्राशसनिक नियत्रणो मे कमी इसके मूल मत्र है। इस आयात–निर्यात नीति मे आयात और निर्यात के लिए कुछ विशेष वस्तुओ का निषेध किया गया है जबकि कुछ अन्य वस्तुओ का आयात–निर्यात मे कुछ प्रतिबन्धो के साथ छूट दी गयी। खाद्य तेलो, खाद्यान्नो, पेट्रोलियम पदार्थो, उर्वरको व कुछ अन्य वस्तुओ का आयात सरकारी एजेसियो के द्वारा करने की घोषणा की गई। कुल मिलाकर यह है कि इस आयात नीति मे तीन वस्तुओ के आयात पर पूरा प्रतिबन्ध लगा दिया गया। 71 वस्तुओ के आयात को सीमित किया गया तथा 7 वस्तुओ के आयात को सरकारी सस्थाओ द्वारा ही आयात की अनुमति दी गई।

इस आयात–निर्यात नीति (1992–97) मे आयात के लिए जो निषेधात्मक सूची बनाई गई उसमे किसी भी पशु की चर्बी से बना तेल,पशु रैनेट और हाथी दॉत (बिना बना हुआ) को सम्मिलत किया गया। जिन वस्तुओ पर कुछ प्रतिबन्ध के साथ आयात की छूट दी गयी, उनमे

---

[1] प्रतियोगिता दर्पण, भारतीय अर्थव्यवस्था अतिरिक्ताक वर्ष 1993–94 पृष्ट 93

इलेक्ट्रानिक, दूरसचार का सामान, घडियॉ, अल्कोहल या मदिरा के सान्द्रण, केसर, दालचीनी, आदि भी है। इस आयात–निर्यात नीति मे लौग, दालचीनी और तेजपत्ता के आयात की अनुमति तभी दी जाएगी जब आयात के मूल्य के दोगुने के बराबर निर्यात किया जाएगा। फिर भी इस आयात के लिए लाइसेस लेना अनिवार्य होगा, खेलकूद की सामग्री, कैमरे, आदि को विशेष उपभोक्ताओ के लिए ही लाइसेन्स द्वारा ही आयात की अनुमति दी जाएगी। होटल, खेल सस्थाओ व पर्यटन उद्योग को भी यह विशेष सुविधाएँ दी गई।

इस तरह से निर्यात की जाने वाली वस्तुओ की निषेधात्मक सूची भी काफी छोटी कर दी गई। मात्र सात वस्तुओ के निर्यात पर पूरा प्रतिबन्ध लगाया गया। जिसमे सभी प्रकार के जगली जीव, उनके भाग और उत्पाद, विदेशी पक्षी, जिन प्रजातियो के वश सकट मे है उनके निर्यात, गौमास, मानव अस्थिपिजर, मछली को छोडकर किसी पशु मूल की चर्बी या तेल और लकडी या उसके लट्ठे का निर्यात प्रतिबन्धित कर दिया गया।

इसी तरह से 62 वस्तुओ के निर्यात पर विभिन्न सीमाएँ और नियत्रण लगाये गये। इनमे अस्थिपूर्ण, मवेशी, ऊॅट, गधे, हाथ से बने रेशम के धागे, विविध प्रकार के चमडे, घोडे खासकर काठियावाडी, मारवाडी और मणिपुरी प्रजाति के घोडे और खच्चर, कई प्रकार के रसायन, खनिज, राक फास्फेट आदि सम्मिलित है ।

इस आयात–निर्यात नीति के आधीन 10 वस्तुओ का निर्यात सरकारी सस्थाओ के द्वारा ही किया जा सकेगा। इनमे पेट्रोलियम उत्पाद, मक्खन, गोद रेसिन, माइका बेस्ट, खनिज अयस्क और सान्द्र, प्याज, दूध का पाउडर तथा घी सम्मिलित है।

इस पचवर्षीय आयात–निर्यात नीति मे पूॅजीगत माल के आयात पर कोई प्रतिबन्ध नही लगाया गया, साथ ही पुराने पूॅजीगत माल के आयात की अनुमति दी गई जिनमे से कुछ मामलो मे लाइसेन्स लेना आवश्यक होगा, तथा अब निर्यात बढावा देने के लिये ई0पी0सी0जी योजना के अन्तर्गत आयात किए जाने वाले पूॅजीगत माल पर भी दो प्रकार की रियायते दी गई, जो निर्यात की अवधि और मात्रा पर निर्भर होगी। बाद मे 1993–94 से इसमे एक रियायत समाप्त कर दी गई।

सरकार ने यह भी घोषणा की कि 1947 मे बने आयात निर्यात (नियत्रण) कानून के स्थान पर सरकार शीघ्र ही एक और विधेयक लायेगी, जिसका नाम विदेशी व्यापार (विकास और नियमन) विधेयक 1992 होगा। जिसमे नई आयात नीति के साथ उसके अन्तर्गत बनाए जाने वाले सारे नियम सम्मिलित किये जाऐगे। इस प्रकार का विधेयक जुलाई 1992 मे ससद ने

प्रस्तुत कर दिया गया, जिसे ससद ने स्वीकृति प्रदान कर दी। इस पचवर्षीय आयात–निर्यात नीति के तदनुरुप ही सरकार ने अपने वार्षिक बजटो (1992–93,93–94) मे अनेक आयात निर्यात से सम्बधित उदारीकरण के उपायो की घोषणा की।

**<u>1993–94 की आयात–निर्यात नीति मे सशोधन</u>** – सरकार ने आयात निर्यात (1992–97) की नीति मे महत्वपूर्ण परिवर्तन की घोषणा 31 मार्च, 1993 को की। 31 मार्च, 1992 को अगले 5 वर्षो के लिए घोषित आयात–निर्यात नीति को और अधिक उदार बनाते हुए इसमे कृषि क्षेत्र मे निर्यातोन्मुखी इकाईया लगाने पर और छूट देने तथा बैक और अन्य सेवा क्षेत्रो के लिए कई नयी योजनाएँ प्रारम्भ करने की घोषणा की। इस नीति मे किये गये महत्वपूर्ण सशोधनो का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है

1. **<u>निर्यात क्षेत्र का विस्तार</u>** – इस सशोधन के अर्न्तगत निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने निषेधात्मक सूची मे शामिल 334 वस्तुओ मे से 144 वस्तुओ को निर्यात योग्य वस्तुओ की सूची मे सम्मिलित कर लिया, जिनके निर्यात पर पहले रोक लगी हुई थी। अब इनके निर्यात के लिए लाइसेन्स की आवश्यकता नही होगी। निर्यात प्रयासो मे राज्यो को शामिल करने के लिए एक केन्द्रीय योजना बनाने का प्रस्ताव किया गया जिनमे औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने तथा आधारभूत सुविधाओ को बेहतर बनाने का प्रावधान किया गया।

2. **<u>निर्यातोन्मुखी इकाइयो को लाभ</u>** – सशोधित आयात–निर्यात नीति के अनुसार अब कृषि मत्स्य, पशुपालन, मुर्गीपालन, बागवानी, रेशम उद्योग तथा फूलो का व्यापार करने वाली इकाइयो को भी अपने उत्पादो का 50 प्रतिशत तक निर्यात करने पर वही सुविधाएँ तथा रियायते मिलेगी जो अन्य औद्योगिक इकाइयो को शत–प्रतिशत अथवा 75 प्रतिशत तक निर्यात करने पर मिलती है। ऐसी इकाइयॉ अब अपने शेष 50 प्रतिशत उत्पादो को घरेलू बाजार मे बेच सकेगी जबकि गैर कृषि क्षेत्र के लिए यह सीमा 25 प्रतिशत तक ही है।

3. **<u>झरोखों की समाप्ति</u>** – वर्तमान मे अन्य क्षेत्रो के लिए लागू EPCG योजना (Export Promotion Capital Goods Schems) के अर्न्तगत 15 प्रतिशत की रियायती आयात शुल्क दर को सशोधित आयात–निर्यात नीति मे खुला रखा गया, तथा 25 प्रतिशत आयात शुल्क वाला दूसरा झरोखा अब समाप्त कर दिया गया। ऐसा करने के पीछे यह कारण बताया गया कि 1993–94 के केन्द्रीय बजट मे पूजीगत सामान पर सामान्य प्रशुल्क मे कमी के कारण ई0पी0सी0जी0 योजना के अन्तर्गत 25 प्रतिशत आयात शुल्क से कोई अतिरिक्त लाभ उपलब्ध नहीं रह गया था।

4. <u>पूजीगत माल की परिभाषा का विस्तार</u> – इस सशोधित नीति के अन्तर्गत पूँजीगत सामान की परिभाषा को भी बदल दिया गया, तथा उसमे कृषि एव उससे सम्बन्धित कार्यो मे काम आने वाले सामान को भी सम्मिलित कर दिया गया। इसके फलस्वरूप कृषि क्षेत्र मे कार्यरत व्यक्ति भी पूँजीगत सामान को रियायती दर पर आयात करने की सुविधा का लाभ उठा सकते है।

इसके साथ ही कृषि क्षेत्र मे काम आने वाले उपकरणो और सामान को अब निषिद्ध सूची से हटा दिया गया, ताकि एक ओर उनका निर्माण किया जा सके और दूसरी ओर इकाइयाँ ऐसे सामान का अपने काम के लिए आसानी से आयात भी कर सके। इस सूची मे मछलियो और मूर्गियो का भोजन, खाद्य मोम, अगूरो के बचाव के लिए उन पर लपेटा जाने वाला कागज आदि शामिल है। उस समय उम्मीद कि गई कि कृषि क्षेत्र के लिए घोषित इन रियायतो के फलस्वरूप कृषि से सम्बन्धित क्षेत्रो से निर्यात को बढावा मिलेगा।

5. <u>बैंक गारण्टी मे उदारता</u> – EPCG योजना के अर्न्तगत एक आयातकर्ता को उपलब्ध कराने वाली बैक गारण्टी की आवश्यकताओ को सशोधित नीति के तहत उदार बना दिया गया तथा बैक गारण्टी प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुगम बनाया गया।

6 <u>सेवा क्षेत्र के लिए पूँजीगत सामान निर्यात प्रोत्साहन योजना</u> – सशोधित आयात–निर्यात नीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता सेवा का लाभ उठाने के लिए एक नई योजना लागू करना है। इस योजना को पूँजीगत माल निर्यात सम्बर्द्धन योजना का नाम दिया गया।

इस योजना के अन्तर्गत वास्तुविद, पत्रकार, इन्जीनियर, डॉक्टर, वकील, वैज्ञानिक, कलाकार, अर्थशास्त्री वर्ग के लोग 15 प्रतिशत की रियायती शुल्क दर पर उपकरणो का आयात कर सकेगे। इस योजना का लाभ होटल, रेस्तरा चलाने वाले तथा ट्रेवल एजेन्ट भी उठा सकेगे। उनका निर्यात दायित्व अर्जित विदेशी मुद्रा के रूप मे देखा जाएगा। चाहे यह मुद्रा घरेलू सेवाओ से अर्जित की जाये अथवा विदेशी सेवा से। इस योजना के फलस्वरूप सेवा क्षेत्र की लम्बे समय से चली आ रही माग भी पूरी हो जाती है कि उन्हे अब विनिर्मित क्षेत्र के बराबर स्तर दिया जा रहा है।

7. <u>अन्य सुविधाएं</u> – जिन निर्यातको ने रूपये की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू करने से पूर्व निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित कर ली थी। किन्तु 1 मार्च, 1993 के पूर्व उन्होने अपने शुल्क मुक्त आयात लाइसेन्स का उपयोग नही किया था। उन्हे इसकी हानि उठानी पडी। अब इस सशोधित नीति के तहत ऐसे निर्यातको की इस हानि को दूर करने के लिए यह निश्चित किया

गया कि उन्हे इनके अप्रयोगिक आयात लाइसेन्सो की 8 प्रतिशत के बराबर राशि नगद रूप मे दी जाएगी।

पुन उन निर्यातको के लिए जिन्होने अपने निर्यात 1 मार्च, 1992 तक पूरे कर दिए थे, तथा जिन्होने 27 फरवरी 1993 तक अपनी एक्जिम स्क्रिप्टस का विनमय नही किया था, उन्हे उन एक्जिम स्क्रिप्टस को उत्सर्जन करने का एक और अवसर दिया जाएगा तथा वे उन पर 20 प्रतिशत प्रीमियम प्राप्त कर सकते है।

**1992–97 की आयात–निर्यात नीति मे पुन सशोधन** – निर्यात को बढावा देने के उद्देश्य से व्यापारिक नीति के अन्तर्गत आयात निर्यात नीति (1992–97) को और अधिक उदार बनाने का निर्णय लिया गया। इस दिशा मे 1 अप्रैल, 1994 को घोषित आयात–निर्यात नीति मे विशेष आयात लाइसेन्सो के क्षेत्र का विस्तार किया गया। इसके तहत उपभोक्ता सामान के आयात की भी अनुमति प्रदान की गयी।[1] और उन लाइसेन्सो के तहत आयातित उपभोक्ता सामान की सूची को भी व्यापक बनाया गया। इस नीति के अर्न्तगत किए गये कुछ अन्य सशोधन है–सुपर स्टार ट्रेडिग हाउस श्रेणी का प्रारम्भ, आयात की जाने वाली पुरानी मशीनरी की आयु सीमा की समाप्ति, एक्सपोर्ट प्रोसेसिग जोन्स मे व्यापार क्षेत्र का विस्तार आदि। उनसे सम्बधित सक्षिप्त तथ्य निम्नलिखित है–

1 ई0पी0सी0जी0 लाइसेन्स देने के अधिकार का विकेन्द्रीकरण।

2 विकलाग लोगो को कुछ विशिष्ट मदो मे मुक्त रूप से आयात करने की अनुमति।

3 'सुपर स्टार ट्रेडिग हाउस' नामक एक नयी श्रेणी की स्थापना व उसकी सदस्यता के लिए कुछ योग्यताओ का निर्धारण।

4 आग्रिम राशि आदेश की सुविधा का विस्तार, जैसे स्पेशल इम्परेस्ट लाइसेन्स, एडवान्स इण्टरमीडिएट लाइसेन्स आदि मे।

5 एक्सर्पोट प्रोमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम (ई0पी0सी0जी0) का सरलीकरण तथा निर्यात बाध्यता के उद्देश्यो की पूर्ति के लिए तृतीय पक्ष को निर्यात की अनुमति।

6 DEEC पुस्तिका मे वर्णित अर्हताओ की समाप्ती।

7 इलेक्ट्रानिक उद्योगो के तैयार उत्पादको के लिए आयात की नकारात्मक सूची मे काट–छाट ।

---

[1] प्रतियोगिता सम्राट – मई 9195, दीवान पब्लिकेशन (प्रा0) लि0 नई दिल्ली, पृष्ट 8

8 शुल्क मुक्ति स्कीम के अन्तर्गत की जानी वाली कार्यवाही का सरलीकरण।

इसके अतिरिक्त अयात से मात्रात्मक प्रतिबध हटाने के साथ–साथ सीमा शुल्को मे भारी कटौती की गई। पूँजीगत सामान के आयात पर लगने वाले शुल्को पर भारी कटौती की गई। निर्यात को बढावा देने व विदेशी मुद्रा भण्डार मे वृद्धि के उद्देश्य से अब चालू खाते मे रुपये को पूरी तरह परिवर्तनीय बना दिया गया है।

<u>आयात–निर्यात नीति (1992–97) मे वर्ष 1995 का सशोधन</u> – 1992–97 की आयात निर्यात नीति मे 1993–94, 1994–95 व 1995–96 मे पुन सशोधन किये गये।[1] 1995–96 के लिए किये गये सशोधन की घोषणा 31 मार्च, 1995 को की गई। 1 अप्रैल, 1995 से प्रभावी इन सशोधनो का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है –

1 1 अपैल, 1995 से 'बोर्ड आफ ट्रेड' का पुनर्गठन किया गया। 25 सदस्यीय इस बोर्ड मे निजी क्षेत्र व सहकारी क्षेत्र की कम्पनियो व बैको के प्रतिनिधियो के साथ साथ सरकार के प्रतिनिधियो को शामिल किया गया।

2 नियार्तको को दी जाने वाली सुविधाओ की पात्रता के लिये निर्यात राशि की वास्तविक वसूली की शर्त समाप्त कर दी गयी।

3 उपहारो के अयातो के लिये कस्टम क्लीयरेस परमिट की आवश्यकता समाप्त कर दी गयी।

4 आयातो के ऋणात्मक सूची मे कुछ और कटौती की गयी। नयी सूची मे तीन वस्तुओ का आयात निषिद्ध, 65 का नियन्त्रण, तथा 7 का केवल सरकारी सस्थाओ के माघ्यम से Canalised होगा।

5 EPCG लाइसेस धारको को की गयी आपूर्ति को डीम्ड एक्पोर्ट का दर्जा प्रदान किया गया।

6 विषेश आयात लाइसेस (SIL) के तहत आयात की जाने वाली उपभोग वस्तुओ की सूची का विस्तार किया गया। SIL सूची मे शामिल वस्तुओ को OGL मे हस्तातरित किया गया, जबकि 39 नई वस्तुए इसमे शामिल कर दी गई।

7. निर्यातोन्मुखी इकाईयो तथा निर्यात प्रोसेसिग क्षेत्र के मामले मे नीति को विवेकीकृत किया गया है।

---

1 प्रतियोगिता दर्पन, भारतीय अर्थव्यवस्था अतिरिक्ताक वर्ष 1996–97 पृष्ट 108

8 इस ससोधित नीति मे निर्यात सम्बर्धन पूँजीगत सामान योजन का विस्तार किया गया तथा मर्चेन्ट एक्सर्पोटर्स व सेवाओ की आपूर्ति करने वालो को भी इसके लाभ उपल्ब्ध किए गये।

9 मूल्य सम्बर्द्धन के पश्चात् पुर्ननिर्यात की जाने वाली वस्तुओ के मामले मे अग्रिम कस्टम क्लीयरेस परमिट की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अब एक बाण्ड/गारण्टी भरकर ही ऐसी वस्तुओ का आयात किया जा सकेगा, किन्तु ऐसे मामलो मे निर्यात के समय मूल्य सम्बर्द्धन कम से कम 10 प्रतिशत होना चाहिए।

10 आयात–निर्यात की प्रक्रिया त्वरित गति से निपटाने के उद्देश्य से चुनीन्दा श्रेणीयो के आयातको व निर्यातको के लिए एक ग्रीन चैनल प्रारम्भ करने की घोषणा की गई।

11 विदेशो मे सयुक्त उपक्रम स्थापित करने या पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषगी इकाइयॉ स्थापित करने के लिए आवेदन पत्रो का निपटान अब अकेले भारतीय रिर्जव बैक द्वारा ही किया जाएगा।

12 EPCG योजना के तहत अब वस्तुओ व सेवाओ मे भेद सामाप्त कर दिया गया। ताकि सभी प्रकार की सेवाओ के निर्यातक इस योजना का लाभ उठा सके।

13 पडोसी राष्ट्रो के साथ व्यापार के मामले मे निर्देश जारी करने का अधिकार विदेशी व्यापार के महानिदेशक को होगा। श्रीलका से आयात की जाने वाली वस्तुओ के 18 प्रशुल्क मामले मे रियायती दरे घोषित की गई।

14 खुले सामान्य लाइसेन्स (OGL) के तहत स्वतन्त्र रुप से आयात की जाने वाली वस्तुओ की सूची का विस्तार किया गया, तथा अभी तक कच्चे माल, मध्यवर्ती वस्तुओ व पूँजीगत वस्तुओ के अतिरिक्त इस सूची मे 43 उपभोग वस्तुएँ सम्मिलित थी। नई नीति मे इन्हे बढाकर 75 कर दिया गया।

15 मूल्य आधारित व मात्रा आधारित आग्रिम लाइसेन्स योजना का भी विस्तार किया गया।

16 पूँजीगत वस्तुओ को मरम्मत, जॉच प्रौद्योगिकी प्रोन्नयन आदि कार्य सुगमता से विदेश भेजा जा सकेगा। इसके लिए किसी लाइसेन्स की आवश्यकता नही होगी।

17 निर्यात की लगभग 3100 वस्तुओ के लिए इनपुट आउटपुट मानक अभी तक उपलब्ध थे, इन्हे बढाकर अब 4200 वस्तुओ से भी अधिक के लिए उपलब्ध किया गया।

18 नई नीति मे निजी क्षेत्र को वेयर हाउसेज खोलने की अनुमति दी गई, जिससे आयातको और निर्यातको की सहूलियत बढेगी। इससे डियूटी के भुगतान के बिना सामान का भण्डारण किया जा सकता है और केवल क्लीयरेन्स के समय डयूटी का भुगतान कर उन्हे घरेलू खपत के लिए निकाला जा सकता है।

उपर्युक्त बिन्दुओ से स्पष्ट है कि इस एक्जिम नीति मे आयातो को काफी उदार बनाया गया तथा ऐसे आयतको को अधिक राहते प्रदान की गई जो अपने उत्पादन का निर्यात करते है।

## नवीं पचवर्षीय योजना काल में आयात–निर्यात नीति –

भारत सरकार ने 1 अप्रैल, 1997 को नवी पचवर्षीय योजना मे आयात–निर्यात नीति के अन्तर्गत आर्थिक सुधार कार्यक्रम को अधिक मजबूत करते हुए उदारीकरण, पारदर्शिता और सरलीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। तेज आर्थिक विकास का कोई विकल्प नही है क्योकि उसी से रोजगार के नये अवसर सृजित होते है और आमदनी का स्तर भी बढता है। इस आयात निर्यात नीति के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है–

1 आवश्यक कच्चा माल, कलपुर्जो उपभोग व पूजीगत वस्तुओ की उपलब्धि निश्चित करना ताकि उत्पादन को बढाकर आर्थिक सवृद्धि की प्रक्रिया को तेज किया जा सके।

2 उपभोक्ताओ को उचित कीमतो पर अच्छी किस्म की वस्तुऍ उपलब्ध कराना।

3 बढते हुए विश्व बाजार से लाभ उठाने के लिए देश की अर्थव्यवस्था मे आवश्यक परिवर्तन व गत्यात्मकता लाना ।

4 भारतीय कृर्षि उद्योग व सेवाओ की तकनीकी क्षमता व दक्षता मे वृद्धि लाकर उनकी प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति मे वृद्धि लाना, नए रोजगार के अवसर पैदा करना तथा विश्व मान्य क्वालिटी उत्पादो का उत्पादन प्रोत्साहित करना।

इन उद्देश्यो की प्राप्ति के लिए इस नीति मे जो कदम उठाए गये है उनमे से कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्न लिखित है –

1 इस आयात निर्यात नीति मे साफ्टवेयर व हार्डवेयर निर्यातो को प्रोत्साहन देने के लिए कदम उठाये गये। इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर उत्पादक केवल 50 प्रतिशत उत्पादन का निर्यात कर सकते हैं और 50 प्रतिशत उत्पादन की घरेलू प्रशुल्क क्षेत्रो मे बिक्री कर सकते हैं।

2 कृषि व सम्बद्ध क्षेत्रो मे काम कर रही निर्यात उन्मुख इकाइयो तथा निर्यात प्रोसेसिग क्षेत्रो के लिए घरेलू बिक्री की अनिवार्य शर्तो मे ढील दी गई। ये इकाइया घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र मे अपने उत्पादन का 50 प्रतिशत तक बेच सकती है।

3 प्रतिबधित सूची को काफी कम कर दिया गया। सरकार ने 542 मदो के आयात को प्रतिबन्धो से मुक्त कर दिया जिसमे 150 ऐसे मद शामिल किए गये, जिनका आयात अब विशेष आयात लाइसेन्सो के माध्यम से किया जा सकेगा। 60 मदो को विशेष आयात लाइसेन्सो की श्रेणी से हटा कर खुले सामान्य लाइसेन्स (OGL) के वर्ग मे रखा गया। 5 मदो पर पर्यावरण सुरक्षा, देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, सार्वजानिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा को ध्यान मे रखते हुए प्रतिबन्ध लगाये गये।

4 इस नीति मे कार्य प्रणाली को पारदर्शी और कम विवेकाधीन बनाने के प्रयास इस बात को ध्यान मे रखते हुए किये गए, कि नियमो और कार्य प्रणाली को सरल बनाने की आवश्यकता है। उदाहरणार्थ – एडवास लाइसेन्स के अधीन निर्यात बाध्यता, लाइसेन्स के आधीन निर्यात बाध्यता और लाइसेन्स की वैधता की अवधि 12 महीने से बढाकर 18 महीने कर दी गई है।

5 आयात–निर्यात नीति 1997–2002 मे पूँजीगत वस्तुओ की निर्यात प्रोत्साहन योजना मे सशोधन किए गए। पूँजीगत वस्तुओ पर आयत शुल्क 13 प्रतिशत से कम करके 10 प्रतिशत कर दिया गया। इस योजना काल मे 20 करोड रुपये या उससे अधिक के आयातो को बिना शुल्क दिए मगवाने की अनुमति दी गई। परन्तु कुछ निर्यात वाह्यता की शर्ते रखी गई। कृषि व सबद्ध क्षेत्रो के निर्यातो के लिए पूँजीगत वस्तुओ को 5 करोड रुपये तक बिना आयात शुल्क दिए मगवाने की सुविधा प्रदान की गई। इस योजना के अधीन सेवा उद्योगो जैसे अस्पताल, वायुयान द्वारा माल ढुलाई, होटल व अन्य पर्यटन सम्बधित सेवाओ को भी शून्य शुल्क का लाभ दिया गया।

6 स्वर्ण आभूषण व जवाहरात के निर्यात को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से इस नीति मे उन एजेसियो की सख्या मे वृद्धि की गयी जो स्वर्ण के भण्डार रख सकती है। ऐजेसियो की सख्या मे वृद्धि होने से निर्यातको को स्वर्ण की आपूर्ति ज्यादा आसानी से और अधिक मात्रा मे हो सकेगी, जिससे आभूषण निर्माण मे कोई व्यवधान नही होगा।

7 वैल्यू वेस्ड एडवास लाइसेन्स तथा पुरानी पास बुक योजनाओ के स्थान पर एक नई डयूटी इन्टाइटलमेंट पास बुक योजना शुरु की गईं। जिसमे इन दोनो योजनाओ के अच्छे तत्वो का समावेश है और जिसे लागू करने प्रशासनिक रुप से अधिक आसान है। यह योजना अधिक

पारदर्शी होने के कारण लाइसेसिग या सीमा शुल्क अधिकारी इसका मनमाने ढग से प्रयोग भी नही कर सकते। इस योजना के तहत, पिछले तीन वर्षो मे किये गये औसत निर्यात मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर आयात करने की छूट दी गई। इस छूट की वजह से निर्यातक बिना आयात शुल्क दिए आयात कर सकेगे।

8 आयात निर्यात नीति 1997–2002 की नीति मे निर्यात गृहो की न्यूनतम सीमा को दुगुना कर दिया गया। इस नीति के अनुसार, निर्यात गृह का दर्जा पाने के लिए निर्यातक को पिछले तीन वषो मे से प्रत्येक वर्ष कम से कम 20 करोड रुपये मूल्य का अथवा पिछले वर्ष 30 करोड रुपये मूल्य का, निर्यात करना आवश्यक है, जबकि पहले मे सीमाए क्रमश 10 करोड रुपये तथा 15 करोड रुपये थी। इस प्रकार व्यापार गृहो के लिए इन न्यूनतम सीमाओ को बढाकर क्रमश 100 करोड व 150 करोड रूपये कर दिया गया। स्टार व्यापार गृहो के लिए नई सीमाएँ क्रमश 500 करोड रुपये तथा 750 करोड रुपये तय की गई। सुपर स्टार व्यापार गृहो के लिए न्यूनतम सीमाओ को बढाकर 1,500 करोड रुपये तथा 2,250 करोड रुपये कर दिया गया है।

**आयत निर्यात नीति मे वर्ष 1998–99 का सशोधन** :– आयात–निर्यात नीति 1997–2000 मे 13 अप्रैल, 1998 को कुछ आवश्यक सशोधन किए गये। इस सशोधित नीति की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित है –

1 आयातो और निर्यातो के लिए निजी आबद्ध गोदामो की स्थापना की अनुमति दे दी गई।

2 कुछ और मदो को ऋणात्मक व प्रतिबन्धात्मक सूची से हटा कर खुले सामान्य लाइसेन्स मे रखा गया। 1 अप्रैल, 1996 से 6,161 मदे ऐसी थी जिनका मुफ्त आयात किया जा सकता था, 1 अप्रैल, 1997 को इनकी सख्या बढ कर 6,649 हो गई। 31 दिसम्बर 1997 को जारी एक विज्ञप्ति के द्वारा 128 मदो को आयात प्रतिबन्धो से मुक्त कर दिया गया।

3 उपभोग के लिए निर्यात किए जाने वाले तिलहनो तथा खाद्य तेलो के निर्यात पर अब कोई मात्रात्मक प्रतिबन्ध नही होगे और न ही लाइसेन्स लेने की कोई आवश्यकता होगी।

4 पूँजीगत वस्तुओ की निर्यात प्रोत्साहन योजना के आधीन कृषि व सम्बद्ध क्षेत्रो के लिए बिना आयात शुल्क दिए पूँजीगत वस्तुओ के आयत की न्यूनतम सीमा को 5 करोड रुपये से कम करके 1 करोड रुपये कर दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र उद्योग, चमडा, हीरे व जवाहरात, खेल का सामान और खाद्य प्रोसेसिग क्षेत्रो के लिए इस न्यूनतम सीमा को 20 करोड रूपयो से कम करके 1 करोड रूपये कर दिया गया। साफ्टवेयर क्षेत्र के लिए न्यूनतम सीमा मात्र 10 लाख रुपये रखी गयी।

1 अप्रैल, 1997 को भुगतान शेष की आवश्यकताओ को ध्यान मे रखते हुए अभी 2,714 मदो पर आयात प्रतिबन्ध लगे हुए थे। विश्व व्यापार सगठन (WTO) का सदस्य होने के नाते भारत को ये प्रतिबन्ध एक निश्चित कार्यक्रम के अनुसार हटाना था। 1 अप्रैल, 1997 से लेकर अगले 6 वर्षो के बीच इन प्रतिबन्धो को समाप्त किया जाना था। भारत मे यह काम तीन चरणो मे अर्थात् पहले तीन वर्षो मे पुन 2 वर्षो मे तथा अन्त मे आखिरी एक वर्ष मे किए जाने का निश्चय किया गया, किन्तु यह कार्य समय से पूर्व ही कर लिया गया।

**1999–2000 के आयत–निर्यात की नई सशोधित नीति** .– पचवर्षीय आयत निर्यात नीति 1997–2002 मे वित्तीय वर्ष 1999–2000 के लिए सशोधित आयात–निर्यात नीति (एग्जिम पॉलिसी) की घोषणा तत्कालीन केन्द्रीय वाणिज्य मन्त्री राम कृष्ण हेगणे द्वारा 31 मार्च 1999 को नई दिल्ली मे की गई। निर्यातको को और रियाते प्रदान करते हुए नई एग्जिम नीति को अधिक उदार बनाया गया। प्रतिबन्धित सूची मे भारी कटौती करते हुए विश्व व्यापार सगठन (WTO) की शर्तो को पूरा करने का प्रयास भी इसमे किया गया। इस नयी नीति के तहत आयातो को और अधिक उदार बनाते हुए प्रतिबन्ध सूची मे से 894 उत्पादो को मुक्त आयात लाइसेन्स (OGL) के तहत तथा 414 अन्य को विशेष आयात लाइसेन्स (SIL) वाली सूची मे ले आया गया।[1] मुक्त आयात सूची मे लाए गये अधिकाश उत्पाद कृषि उत्पाद तथा शेष मुख्यत उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र के उत्पाद है। प्रतिबन्धित सूची मे से कुल 1308 उत्पादो को ओ0जी0एल0/एस0आई0एल0 के तहत ले आने के पश्चात अब केवल 667 उत्पाद ही प्रतिबन्धित सूची मे रह गये। विश्व व्यापार सगठन के साथ किए गये वायदे के तहत भारत को सन् 2003 तक आयातो पर से मात्रात्मक प्रतिबन्ध समाप्त करने थे, किन्तु इस गति से यह लक्ष्य निर्धारित समय सीमा से पहले ही प्राप्त किया जा सका।

निर्यात प्रसस्करण क्षेत्रो को जुलाई 1999 से मुक्त व्यापार क्षेत्र मे बदल दिया गया। एफ0टी0जेड0 की इकाईयो को कोई भी निर्माण अथवा व्यापार गतिविधियो को करने की छूट होगी और किसी पूर्व निश्चित मूल्य सवर्धन, निर्यात प्रतिबद्धता, निवेश–उत्पादन मानदण्डो आदि से होकर नही गुजरना पडेगा।[2]

---

[1] प्रतियोगिता दर्पण, भारतीय अर्थव्यवस्था अतिरिक्ताक वर्ष 1999–2000 पृष्ट 117

[2] यूथ कम्पिटिशन टाइम्स, प्लानर – 1 समान्य जानकारी, 12 चर्चलेन इलाहाबाद पृ0 55

**प्रणाली और प्रक्रिया को सख्त करने के लिए दो मुख्य कदम उठाये गये है –**

1 निर्यातको और महानिदेशक, विदेशी व्यापार के बीच मेलजोल कम करने के लिए वार्षिक आग्रिम लाइसेन्स लागू किया गया। इस सुविधा से शुल्क मुक्त आयात और लचीला बना दिया जाएगा। ये लाइसेन्स, बिना किसी न्यूनतम मूल्य सवर्धन के जारी किये जाएगे ।

2 अग्रिम लाइसेन्स जारी करने के लिए दिल्ली मे पायलट आधार पर प्रपत्र इलेक्ट्रानिक रुप से भर कर भेजने की सुविधा शुरू की गयी। इससे निर्यातको को इलेक्ट्रानिक रूप से प्रपत्र भरने और ई–मेल के जरिए उत्तर प्राप्त करने की सुविधा होगी। इस सुविधा को धीरे–धीरे अन्य सभी बन्दरगाहो पर उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की गयी।

**इस प्रकार इस नीति के मुख्यत तीन तथ्य प्रकट होकर सामने आते है–**

**पहला**, भारत सरकार व्यापार नीति को WTO मापदडो के निरन्तर अनुरुप बनाने के लिए वचनबद्ध है। नीति के स्वरुप और व्यवहार को उदार बनाना और प्रणालियो एव प्रक्रियाओ को अधिक आसान, पारदर्शी और उपभोक्ताओ की जरुरतो के अनुरुप बनाना।

**दूसरा,** विशिष्ट निर्यात सम्बर्द्धन योजनाओ के मामले मे भारत सरकार किसी बाहरी दबाव के आगे झुकने को तैयार नही है,बशर्ते कि वह इन योजनाओ की उपयोगिता और वैधता के बारे मे सन्तुष्ट हो।

**तीसरा**, कम्प्यूटर आधारित प्रक्रियाए जैसे EEI के बढते उपयोग से वियमत एजेसियो की भूमिका कम की जाएगी और निर्धारित नियमो और प्रक्रियाओ के पालन मे सरकार व्यापारिक समुदाय पर अधिक विश्वास रखेगी।

सशोधित नीति के तहत निर्यात गृह, ट्रेडिग हाऊस अथवा स्टार एव सुपर स्टार ट्रेडिग हाऊस के दर्जे के लिए लघु उद्योग क्षेत्र को तीन गुना भराश प्रदान किया जाएगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि उन्हे सामान्य निर्यातको के लिए निर्धारित न्यूनतम निर्यात या विदेशी मुद्रा अर्जन सीमा का सिर्फ एक तिहाई ही हासिल करने पर निर्यात गृह का दर्जा मिल जाएगा। सेवा क्षेत्र के महत्व को देखते हुए इस क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज का प्रावधान किया गया। सेवा निर्यात गृह के दर्जे के लिए थ्रोशोल्ड लिमिट को वस्तु व्यापार की इकाईयो के लिए निर्धारित लिमिट से एक तिहाई रखा गया। इस सशोधित एक्जिम नीति के महत्वपूर्ण बिन्दू निम्नवत है–

1 प्रतिबन्धित सूची से 894 वस्तुऍ OGL सूची मे तथा 414 वस्तुऍ SIL सूची मे स्थानान्तरित, प्रतिबन्धित सूची मे केवल 667 वस्तुओ को रखा गया।

2 बन्दरगाहो पर लोकपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया।

3 रसायन, प्लास्टिक व टेक्सटाइल क्षेत्र मे EPCG योजना के तहत थ्रोशोल्ड मात्रा मे भारी कमी की गयी।

4 EPCG व अग्रिम लाइसेस योजना के तहत निर्यात दायित्वो की पूति हेतु समय सीमा मे ढील दी गई।

5 सेवा क्षेत्र के निर्यातको के लिए विशेष पैकेज की घोषणा।

6 रुस को सभी निर्यात के मामले मे 100 प्रतिशत के स्थान पर 33 प्रतिशत मूल्य सम्बर्द्धन की घोषणा।

7 विशेष श्रेणियो के निर्यातको के लिए ग्रीन कार्ड तथा गोल्डन स्टेटस प्रमाण पत्र निर्गत करने की व्यवस्था।

8 जूलाई 1999 से निर्यात प्रससकरण क्षेत्रो EPZs का स्वतत्र व्यापार क्षेत्र (ETZs) के रुप मे स्थानान्तरण की व्यवस्था।

9 प्रीशिपमेन्ट व पोस्ट शिपमेन्ट निर्यात ऋणो के मामले मे ब्याज मे 2 प्रतिशत की विशेष रियायत समाप्त करने की घोषणा।

निर्यात सम्बर्द्धन पूॅजीगत सामान (EPCG) योजना के तहत जीरो डयूटी पर पूजीगत सामान के आयात के न्यूनतम सीमा को रसायन, प्लास्टिक व टेक्सटाइल क्षेत्र के मामले मे बीस करोड रुपये से घटकर 1 करोड रुपये कर दिया गया। इस योजना के तहत निर्यातको को आने वाली कठिनाइयो को ध्यान मे रखते हुये निर्यात दायित्व की समय सीमा मे 24 महीने की ढील दी गई। अग्रिम निर्यात लाइसेन्स धारको को भी अपने निर्यात दायित्वो के पूर्ति के लिए 18 माह की ढील प्रदान की गई।

डयूटी एटाइटलमेन्ट पास बुक (DEPB) योजना व शुल्क मुक्त योजना का लाभ उठाने के लिए बन्दरगाहो की सूची मे कुछ और भी बन्दरगाह शामिल कर दिये गये है। सीमा शुल्क के मामले मे निर्यातको के विवाद को तत्काल निपटाने के लिए बन्दरगाहो पर लोकपाल की नियुक्ति की बात सशोधित नीति मे कही गई है। इसकी शुरुआत बम्बई से की जाएगी। जो निर्यातक अपने कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक भाग (न्यूनतम 1 करोड रुपये) निर्यात करते है उन्हे ग्रीन कार्ड प्रदान करने की बात सशोधित नीति मे कही गई है। इस प्रकार लगातार तीन वर्षो तक निर्यात गृह/ट्रेडिग हाऊस/स्वर या सुपर स्टार ट्रेडिग हाऊस का दर्जा रखने वाली ईकाइयो को **"गोल्डेन स्टेटस प्रमाण–पत्र"** देने की बात इसमे शामिल है। यह

प्रमाण पत्र हासिल करने वाली ईकाइयो को सभी सुविधाएँ व रियायते आगे भी मिलती रहेगी भले ही उनका निर्यात प्रदर्शन आगे खराब हो जाये ।

तमाम आशाओ के विपरीत इस नीति मे निर्यातको के लिए कोई कर माफी योजना का प्रावधान नही किया गया, और न ही 1999–2000 के लिए कोई निर्यात लक्ष्य तय किया गया। प्री शिपमेन्ट व पोस्ट शिपमेन्ट निर्यात ऋणो पर 9 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर को भी 31 मार्च 1999 से आगे बढाने से मना कर दिया गया। ऐसे निर्यात ऋणो के लिए 1998–99 मे 2 प्रतिशत की रियायत प्रदान की गयी थी। जिसे 31 मार्च, 1999 के बाद से समाप्त कर दिया गया। रिर्जव बैक द्वारा ब्याज दर मे 1 प्रतिशत बिन्दु की कटौती कर दिये जाने के कारण उपर्युक्त निर्यात ऋणो पर 1 अप्रैल, 1999 से निर्यातको को 10 प्रतिशत ब्याज देनी होगी। लेकिन विदेशी मुद्रा, के लिए जाने वाले ऋणो को लिवॉर दर से जोडा जायेगा। 2000–2001 के बजट मे आयात शुल्क की दर कम करके 35 प्रतिशत कर दिया गया है परन्तु उस पर 10 प्रतिशत का अधिभार लगाया गया है।

**दसवीं पंचवर्षीय आयात–निर्यात नीति (2002–07)** – अगले पॉच वर्षों (1 अप्रैल, 2002 से मार्च 2007) के लिए नयी आयात–निर्यात नीति 31 मार्च, 2002 को घोषित की गयी। इस नई नीति मे आयात पर कुछ उत्पादो को छोडकर ज्यादातर से मात्रात्मक पाबन्दियॉ हटाने की बात कही गयी है। कृषि पर विशेष जोर दिया गया है। इस नीति की घोषणा करते हुए वाणिज्य एव उद्योग मत्री मुरासोली मारन ने कहा कि अतिरिक्त गेहूँ चावल, फल एव सब्जियॉ सरीखे उतपदो के निर्यात के लिए ढुलाई सुविधा मुहैया करायी जाएगी। इससे खेती से सम्बन्धित गतिविधियो का विकेन्द्रीकरण होगा। उन्होने इसे "खेती से बन्दरगाह तक" नाम दिया। इस नीति मे अगले पॉच साल के दौरान देश के कुल निर्यात को 8 अरब डालर तक पहूँचाने के उम्मीद भरे लक्ष्य को हासिल करने और विश्व व्यापार मे भारत की हिस्सेदारी को मौजूदा 0 67 प्रतिशत से बढाकर 1 प्रतिशत तक पहुँचाने के लिए नए प्रावधानो एव प्रात्साहनो की व्यवस्था की गयी है।

नई नीति मे लघु उद्योगो, हस्तशिल्प, विशेष आर्थिक जोन (SEZ) और निर्यात समूहो से निर्यात बढाने के लिए विशेष सुविधाए और प्रोत्साहनो की घोषणा की गई है। नई नीति मे निर्यात पर मात्रात्मक प्रतिबधो को समाप्त करने की घोषणा कर दी गई है। निर्यात विकास दर के लिए 11 9 फीसदी सालाना का लक्ष्य घोषित किया गया है। तमाम अटकलो पर विराम लगाते हुए विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओ को जारी रखने के साथ ही निर्यात सबधी प्रकियागत प्रावधानो की सरलता के जरिये निर्यात लागत मे कमी करने के कदमो की घोषणा

की गई है। घरेलू क्षेत्र से एस0ई0जेड0 मे जो माल जाएगा, उसे निर्यात माना जाएगा। एस0ई0जेड0 को सार्वजनिक सेवाओ के तहत लाया जाएगा।

मारन ने कहा कि कृषि क्षेत्र की आय मे होने वाली बढोतरी अर्थव्यवस्था की कायापलट करने मे सक्षम है। व्यापार दर का कृषि क्षेत्र के पक्ष मे एक फीसदी हस्तातरण का सीधा अर्थ है इस क्षेत्र के पक्ष मे 8,500 करोड रूपये का विशाल प्रवाह और इस राशि से पैदा होने वाली माग अर्थव्यवस्था को एक नई गति देने मे सक्षम है। इसे देखते हुए सरकार ने नई नीति मे कृषि उत्पादो के निर्यात पर (केवल प्याज, जूट और नाइजरसीड के अलावा कुछ रसायन व लौह अयस्क जैसे गैर–कृषि उत्पादो को छोडकर) मात्रात्मक प्रतिबधो की समाप्ति की घोषणा की है। 20 कृषि निर्यात जोन स्थापित होने से कृषि निर्यात मे भारी बढोत्तरी होगी। कृषि क्षेत्र के लिए ढाचागत सुविधाए और क्रेडिट बढाने के साथ ही ढुलाई मे सहायता देने की घोषणा की गई है। यह सहायता प्रसस्कृत फलो, सब्जियो, पोल्ट्री व डेयरी उत्पादो और गेहू व चावल उत्पादो के निर्यात के लिए होगी। भारतीय खाद्य निगम के गेहू व चावल के स्टॉक से निर्यात करने के लिए ढुलाई सहायता देने की भी घोषणा की गई है। मात्रात्मक प्रतिबधो की समाप्ति से भारत इन उत्पादो के सतत निर्यातक के रूप मे अपना बाजार स्थापित कर सकेगा।

निर्यात प्रोत्साहन योजनाओ पर मारन ने कहा कि ड्यूटी एनटाइटिलमेट पासबुक (डी0ई0पी0बी0), एक्सपोर्ट प्रोमोशन कैपिटल गुड्स (ई0पी0सी0जी0) व अन्य निर्यात प्रोत्साहन योजनाओ को बनाए रखा गया है। डी0ई0पी0बी0 के तहत अधिकाश उत्पादो की दरो मे मूल्य सीमा को हटाए रखा गया है। एडवास लाइसेस योजना के प्रावधानो का सरलीकरण किया गया है। कप्लीटली बिल्ट यूनिट अथवा सी0के0डी0एस0के0डी0 के लिए समान डी0ई0पी0बी0 दरे निर्धारित की गई है।

एक्जिम नीति मे औद्योगिक क्लस्टर (समूहो) को विशेष प्रोत्साहन की घोषणा की है। फिलहाल इसका लाभ पानीपत, लुधियाना और तिरूपुर को मिलेगा। इनके अलावा खूर्जा से पॉटरी निर्यात बढाने के लिए एक अध्ययन कराने की घोषणा भी की गई है। इन क्लस्टरो मे समान सुविधाए विकसित करने वालो को निर्यात सवर्धन पूँजीगत माल स्कीम का लाभ देने की बात कही गई है। औद्योगिक सगठनो को मार्केट एक्सेस इनीशिएटिव स्कीम (एम0आई0एस0) का लाभ मिलेगा। हस्तशिल्प के साथ ही लघु एव कुटीर उद्योग के निर्यात बढाने के लिए भी ई0जी0सी0जी0 योजना, मार्केट एक्सेस इनीशिएटिव योजना का लाभ देने की घोषणा की गई है।

रत्न एव आभूषण क्षेत्र के निर्यात को बढावा देने लिए रफ हीरो के शून्य सीमा शुल्क दर पर बगैर लाइसेस के आयात की सुविधा दी गई है। मूल्यवर्धन की शर्तो मे काफी ढील दी गई है। हार्डवेयर क्षेत्र के प्रोत्साहन पैकेज मे शुद्ध विदेशी मुद्रा आय के सकारात्मक होने की शर्त को सालाना स्तर से बढाकर पॉच साल कर दिया गया है। इलेक्ट्रानिक्स हार्डवेयर निर्यात सवर्द्धन पार्क मे स्थित इकाइयो को सूचना प्रौद्योगिकी समझौता एक मे शामिल उत्पादो के निर्यात को उनके समस्त निर्यात दायित्व मे शामिल मान लिया जाएगा। चमडा व कपडा क्षेत्र को भी प्रक्रियागत सहूलियते उपलब्ध कराई गई है।

एक्जिम नीति मे विशेष आर्थिक जोन (एस0ई0जेड0) के लिए प्रोत्साहन पैकेज घोषित किया गया है। इसके तहत भारतीय बैको को एस0ई0जेड0 मे ओवरसीज बैकिग यूनिट (ओ0बी0यू0) स्थापित करने की अनुमति दी गई है। बैको के स्तर पर एक्सपोर्ट अर्निंग फारेन करेसी (ई0ई0एफ0सी0) खाते मे निर्यात आय को 100 फीसदी तक बनाए रखने के साथ ही निर्यात आय को स्वदेश लाने की अवधि को 180 दिनो से बढाकर 360 दिन कर दिया गया है। दस्तावेजो की उपलब्धता को लेकर बैक व निर्यातक अब सीधे ही मामले को तय करेगे। उत्पाद वर्गीकरण के लिए केद्रीय उत्पाद एव सीमा शुल्क बोर्ड और विदेश व्यापार महानिदेशालय नया समान कोड लागू करेगे। निर्यात के एफओबी मूल्य पर तीन से सात फीसदी ईधन को नि शुल्क आयात की सुविधा दी गई है।

**नयी निर्यात–आयात नीति के प्रमुख बिदु इस प्रकार रहे –**

- उद्योग तथा वाणिज्य मत्री द्वारा भूतपूर्व वाणिज्य सचिव पी0पी0 प्रभु की अध्यक्षता मे गठित विशेषज्ञ समिति की सस्तुतियो तथा वाणिज्य मत्रालय द्वारा मध्यकालीन निर्यात स्ट्रेटजी (2002–2007) जिसको जनवरी 2002 मे घोषित किया गया था कि रिपोर्ट को ध्यान मे रखकर निर्यात–अयात नीति 2002–2007 तैयार की गयी है।

- विश्व व्यापार मे वर्तमान 0 67 प्रतिशत के हिस्से को 2007 तक 1 प्रतिशत तक बढाने या मूल्य रूप के दसवी योजनावधि मे वर्तमान 46 मिलियन डालर के निर्यात को 80 मिलियन डालर से ऊपर ले जाने के उद्देश्य से नयी निर्यात नीति मे अनेक कदम उठाये गये है।

- कृषि क्षेत्र के निर्यात को प्रोत्साहन करने पर अत्यधिक बल जिससे यह एक ओर कृषको को उनके उत्पादों का लाभप्रद मूल्य दिला सके तथा दूसरी ओर कृषि क्षेत्र मे सृजित क्रयशक्ति बहुत अधिक मात्रा में प्रभाव पूर्ण माग पैदा कर सके।

- 2001–02 की निर्यात–आयात नीति मे वाणिज्य मत्री ने आयात से परिमाणात्मक नियत्रण की पूर्ण समाप्ति की घोषणा की थी, इस वर्ष की घोषित नीति मे कुछ सवेदनशील वस्तु (जैसे जूट, प्याज, आदि) को छोडकर सभी निर्यातो पर से सभी परिमाणात्मक नियत्रणो को समाप्त करने की घोषणा की गयी।

- कृषि क्षेत्र से निर्यात प्रोत्साहन के लिए जो कदम उठाये गये है वे है– (क) ग्रामीण क्षेत्रो मे एग्रो प्रोडक्ट तथा एग्रो आधारित प्रसस्करित उत्पादो के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि निर्यात क्षेत्रो पर बल, 20 ऐसे क्षेत्रो को स्वीकृति दी जा चुकी। (ख) ताजे तथा प्रसस्करित फलो, सब्जियो, पोल्ट्री, डेयरी, गेहूँ तथा चावल के सम्बन्ध मे यातायात व्यय के सम्बन्ध मे सहायाता देने की व्यवस्था।

- बिना तरासे हुए हीरो के आयात पर कोई प्रतिबन्ध नही तथा उस पर लगने वाली सीमा शुल्क को शून्य करना।

- 2000 से ही चले आ रहे सेज (SEZ) से सम्बन्ध मे यह कहा गया कि 4 वर्तमान EPZ को सेज मे परिवर्तित कर दिया गया है तथा 13 नये सेज और खोल दिए गये है। नयी नीति मे सेज को प्रोत्साहित करने के लिए (क) सेज क्षेत्र मे काम करने वाली इकाइयो को आयकर से रियायत। (ख) घरेलू शुल्क क्षेत्र से सेज की आपूर्ति पर केन्द्रीय बिक्री कर से मुक्ति (ग) डी0 टी0 ए0 से सेज के व्यवहारो को आयकर अधिनियम के अन्तर्गत निर्यात का दर्जा देना। इस दिशा मे सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था सेज क्षेत्र मे ओवरसीज बैकिग इकाइयो को खोलने की अनुमति प्रदान करना तथा उन्हे सी0आर0आर0 तथा सी0एल0आर0 से मुक्ति प्रदान करना है।

- नये बजार खोजने की नीति के अन्तर्गत इस वर्ष सब सहारन अफ्रीका क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित करने की पहल की गयी है। पहले से चली आ रही लैटिन अमेरिकी देशो पर विशेष ध्यान देने की नीति एक ओर मार्च 2003 तक के लिए जारी रखी जायेगी 2001–02 वर्ष मे लैटिन अमेरिकन देशो मे हमारे निर्यात मे 40 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है।

- 2000–2001 के दौरान अफ्रीकन क्षेत्र मे होने वाला हमारा कुल व्यापार 3 3 बिलियन डालर का रहा जिसमे से निर्यात की मात्रा 1 8 विलियन तथा आयात की मात्राा 1 5 विलियन डालर थी। पहले चरण मे 7 देशो पर केन्द्रित किया जायेगा, ये है नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, मारीशस, केन्या, ईथोपिया, तन्जानिया तथा घना। इन क्षेत्रो मे निर्यात

करने वाली इकाइयो को निर्यात घरो का दर्जा 15 करोड रूपये के निर्यात के स्थान पर 5 करोड रूपये के निर्यात पर ही प्राप्त होगा।

- निर्यात की दृष्टि से उत्कृष्ट शहरो को विशेष सुविधा प्रदान करने की घोषणा। होजरी के लिए तिरूपुर, ऊनी कम्बलो के लिए पानीपत, ऊनी वस्त्रो के लिए लुधियाना को निर्यात उत्कृष्ट शहर घोषित किया गया तथा उन्हे अनेक सुविधाएँ जैसे EPCG सकीम के अन्तर्गत सुविधा प्राप्त होगी।[1]

कुटीर तथा हस्तकला क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया जिससे वे निर्यात मे महत्वपूर्ण योगदान कर सके। घोषणा से अनुसार इन इकाइयो को (क) EPCG के अन्तर्गत आवश्यक औसत निर्यात के स्तर को कायम रखने की दशा से मुक्त कर दिया गया है तथा (ख) निर्यात घारो का दर्जा 15 करोड रूपये के स्थान पर 5 करोड रूपये के औसत निर्यात के स्तर पर ही प्राप्त होगा।

*******

[1] प्रो0 एस0एन0 लाल, भारतीय अर्थव्यवस्था (सक्षिप्त रूपरेखा) शिव पब्लिशिग हाउस – 2002 पृष्ट 87

# अध्याय चार

## "विदेशी व्यापार से सम्बन्धित विभिन्न संस्थाओं की स्थापना"

गई वस्तुओ के बचे हुए स्टाक की बिक्री को भी शामिल किया जाता है, परन्तु उक्त समिति ने यह बताया कि सरकारी विभागो द्वारा सम्पादित व्यवहारिक गतिविधियो मे अनेक दोष है, और इसी कारण राजकीय क्षेत्र मे किये गये आयात व निर्यात का दायित्व एक विशिष्ट सगठन को ही दिया जाना चाहिए। समिति का सुझाव था कि सरकारी विभागो के खाद्यान्नो एव उर्वरको से सम्बद्ध व्यवासायिक गतिविधियो को वैद्यानिक रुप से स्थापित एक राज्य व्यापार निगम को सौप दिया जाए। भारत सरकार ने इस सिफारिश को नही माना तथा 1952 मे इस विषय पर पुन एक नई समिति की नियुक्ति कर दी । इस द्वितीय समिति ने भी सिद्धान्त रुप मे राज्य व्यापार निगम की स्थापना के सुझाव का समर्थन किया तथा यह सुझाव दिया कि यह निगम एकाधिकारिक रुप मे कार्य करने के साथ–साथ व्यवसायिक कार्य भी करे। देश की द्वितीय पचवर्षीय योजना मे सरकार के समक्ष अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई, अन्य कार्यो के अतिरिक्त साधन जुटाने हेतु यह भी सुझाव दिया गया कि सरकार को चुनी हुई वस्तुओ को अपने नियत्रण मे ले लेना चाहिए। 1955 मे पहली बार वित्त मत्री ने राजकीय व्यापार ऐजेन्सी की धारणा का समर्थन किया। इस बीच अर्थशात्रियो ने यह भी सुझाव दिया कि अधिक आर्थिक एव समाजिक समानता की दिशा मे आगे बढाने के लिए राजकीय व्यापार आरम्भ करना अत्यत उपयोगी होगा। द्वितीय पचवर्षीय योजना का एक मुख्य लक्ष्य यह भी रखा गया था कि भारत को यथा सम्भव विदेशी व्यापार का अधिकाधिक विस्तार करके अधिकतम विदेशी विनियम प्राप्त करना चाहिए, तथा इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसे पूर्वी यूरोप के देशो के साथ अपने व्यवसायिक सम्बन्ध बढाने चाहिए। इन देशो के साथ व्यापार मे वृद्धि हेतु एक विशेष सरकारी व्यवसायिक ऐजेन्सी की आवश्यकता थी। इस प्रकार द्वितीय योजना के आरम्भ से ही एक सार्वजनिक व्यापार ऐजेन्सी की स्थापना हेतु अनुकूल वातावरण बन गया था।[1] अन्तत 'राज्य व्यापार निगम' की स्थापना एक सरकारी सगठन के रुप मे 18 मई, 1956 को एक करोड रुपये की प्रदत्त पूजी से की गई। बाद मे इसकी पूजी 2 करोड कर दी गई। इसका प्रमुख उद्देश्य भारत मे विदेशी व्यापार के ढाचे मे पाये जाने वाले दोषो को दूर करके विदेशी व्यापार मे वृद्धि करना तथा साथ ही निर्यात मे वृद्धि करना, उचित मूल्य मे जरुरी वस्तुओ का आयात करना तथा ऐसे घरेलू व्यापार कि देख–रेख करना था, जिससे विदेशी व्यापार मे वृद्धि हो सके। वाणिज्य और उघोग मन्त्री के द्वारा 1 फरवरी, 1957 को निर्यात सम्बर्द्धन पर एक अन्य समिति का निर्माण किया गया। समिति ने अपनी रिर्पोट 31 अगस्त, 1957 को प्रस्तुत किया। समिति ने पहली बार निर्यात सम्बर्द्धन के प्रश्न पर विचार किया और चाय पर निर्यात चुगी खत्म करने का अनुमोदन किया, उत्पादको के आन्तरिक उपभोग को कम

---

[1] डा0 एस0 एन0 लाल, अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, शिव पब्लिकेशन, पृष्ट 202।

किया और दिउद्देश्यीय, बहुउद्देश्यीय व्यापार समझौते प्रस्तुत किया और निर्यात आय को आयकर से मुक्त किया। समिति ने निर्यात जोखिम बीमा निगम की स्थापना और विपणन विकास कोष के निर्माण का सुझाव दिया। समिति द्वारा दिये गये ज्यादातर अनुमोदनो को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया और विस्तृत रुप से व्यापार सम्बर्द्धन के लिए योजनाओ को शुरु कर दिया गया। व्यापार सम्बर्द्धन के बारे मे कई समितियो की स्थापना के अलावा सरकार द्वारा 50 वर्षो के दौरान कई व्यापार सम्बर्द्धन समितियो की स्थापना की गयी । ये समितियॉ विशिष्ट वस्तुओ के लिये आयात निर्यात सम्बर्द्धन पर ध्यान देती है। यह समिति केन्द्र सरकार की भूमिका को सक्रिय करने, विस्तृत करने और आयात निर्यात को सही रास्ता दिखाने से सम्बधित है । ताकि विदेशी व्यापार को बढाया जा सके।

किरी भी देश के लिए विदेशी व्यापार द्वारा आर्थिक विकास के लिए, पूजीगत माल, तकनीक और उपभोक्ता गाल को बडी गात्रा गे आयात करना आवश्यक है ताकि उससे विकास कार्यक्रम लागू किए जा सके। इसी प्रकार के आर्थिक आयात मे निर्यातको द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए। चूँकि विस्तृत आयात के वित्त के लिए बडे निर्यातको की आवश्यकता है। निर्यात क्षेत्र के लगातार विकास के लिए आयात आवश्यकता की सुविधा और पूर्ण विदेशी विनमय प्राप्त करने के लिए सभी सम्भव सहायता देना चाहिये। यह बढ रहे सेवा मूल्यो को प्राप्त करने मे सहायता करता है। सरकार निर्यात आयात और विदेशी मुद्रा पर नियन्त्रण के लिए विस्तृत शाक्ति रखती है। निर्यात सम्बर्द्धन उपाय लगभग सभी विकासशील या विकसीत देशो द्वारा अपनाए जाते है, लेकिन उनके तरीके अलग–अलग होते है। कोई भी ऐसा एक उपाय नही है जो कि सभी उद्देश्यो के लिए लिया जा सके।

हमारी सरकार ने विदेशी व्यापार के प्रोत्साहन के लिए समय–समय पर कई कदम उठाये है। इसके अर्न्तगत निर्यात क्षेत्रो के सहायता के लिए कई सस्थाओ की स्थापना, निर्यात बाजार अनुसधान प्रशिक्षण, सस्थागत प्रतिबन्धो को युक्तिसगत बनाना, सयुक्त राष्ट्र सघ के अभिकरणो और मित्र देशो से प्राप्त होने वाली तकनीकी सहायता सहित तकनीकी सेवाए प्रदान करना, विदेशो मे संयुक्त उद्योगो की स्थापना करना और निर्यात सम्बर्द्धन को सहायता देना आदि। सरकार द्वारा समय–समय पर किए गए प्रयासो से विदेशी व्यापार की सहायता के लिए विभिन्न सस्थाओ की स्थापना की गई। इनमे से मुख्य सस्थाओ का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है–

## 1. राज्य व्यापार निगम :-

भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत 18 मई, 1956 को "राज्य व्यापार निगम" का पजीकरण पूर्ण रुप से एक सरकारी सस्था के रुप मे किया गया एव इसकी प्रारम्भिक प्रदत्त पूजी 1 करोड रुपये रखी गयी। आगे चलकर इसकी अधिकृत पूजी 5 करोड रुपये तथा प्रदत्त पूजी 2 करोड रुपये कर दी गई। राज्य व्यापार निगम का मुख्य उद्देश्य देश के निर्यातो का क्षेत्र विस्तृत करना, आवश्यक वस्तुओ के आयात की व्यवस्था करना है। यह निगम बहुधा कुछ वस्तुओ के न्यूनतम मूल्यो की प्रतिभूति देने तथा तटस्थ भण्डार के निर्माण के कार्य भी करता है। निर्यात के क्षेत्र मे राज्य व्यापार निगम चालू बाजारो के विस्तार के साथ–साथ नये बाजार की खोज हेतु भी प्रयत्नशील है। इस निगम की एक प्रमुख उपलब्धि यह भी है कि पूर्वी यूरोप के देशो के साथ हुए व्यापार मे आशा से अधिक वृद्धि हुई है। जहॉ 1955–56 मे इन देशो के साथ हमारा व्यापार अत्यन्त सीमित था वही 1973–74 तक निर्यात का लगभग एक चौथाई केवल इन्ही देशो को निर्यात किया जाने लगा। इसी प्रकार आयात का लगभग 20 प्रतिशत भाग इन देशो से प्राप्त किया जाने लगा है। यहॅ यह भी उल्लेखनीय है कि हमारे व्यापार मे विगत वर्षो मे 20 से 25 गुनी वृद्धि हुई है। इस दिशा मे प्राप्त सफलता मे राज्य व्यापार निगम की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रही है, क्योकि निगम को ही इन देशो से किये जाने वाले व्यापार के एकाधिकार प्राप्त है।

किन्तु इतने पर भी राज्य व्यापार निगम देश के उद्योगपतियो एव व्यापारियो के लिए कोई भी वस्तु कही भी खरीदने को स्वतन्त्र है। इसी प्रकार निगम को किसी भी उत्पादक वस्तु लेकर कही भी निर्यात करने की छूट है। आयात व निर्यात के अतिरिक्त निगम उद्याोगपतियो व व्यापारियो को वित्त की उपलब्धि, क्वालिटी–नियन्त्रण, जहाजो मे माल के लदान एव दुर्लभ कच्चे माल की खरीद व वितरण की सेवाऍ अर्पित करता है। विदेशी उपभोगक्ताओ की आवश्यताओ के अनुरुप वस्तुओ का उत्पादन करवाना एव इनकी पूर्ति करते हुए उनकी आवश्यकताओ को पूरा करना भी निगम का एक प्रमुख उद्देश्य है।

व्यवसायिक दृष्टिकोण एव लाभ कमाने के उददेश्य से कार्य करते हुए भी राज्य व्यापार निगम भारतीय उद्योगो का विश्व बाजारो की स्थिति से अवगत कराता है, तथा समय–समय पर उनका मार्ग दर्शन करता है। निगम ऐसी वस्तुओ के उत्पादन हेतु प्रत्यक्ष रुप से पूजी का विनियोग करता है जिनके निर्यात की सम्भावनाऍ काफी अधिक है। इसी प्रकार एक निश्चित

बाजार की प्रतिभूति देने वाले विदेशी व्यापारी को निगम द्वारा समुचित सहायात प्रदान की जाती है।

यह निगम पूर्ण रुप से एक विपणन सस्था है। विपणन से सम्बद्ध विशिष्ट समस्याओ के विश्लेषण एव उन पर सतत् रुप से मार्गदर्शन हेतु निगम के कार्यक्रम को वस्तुओ के आधार पर छ विभागो मे विभाजित किया गया है–1 इन्जीनियरिग की वस्तुएँ, 2 रेलवे वैगन साज–सज्जा, 3 रसायन दवाइयॉ एव नमक, 4 जूते बाल व बालो से निर्मित वस्तुएँ श्क्कर, कपडा, तैयार कपडे, आदि उपभोग वस्तुएँ, 5 फल, फलो के रस, चावल एव दाले तथा 6 सीमेन्ट। इन विपणन डिवीजन की सहायतार्थ, परामर्शदाता एव सेवा डिवीजन बनाए गये है। राज्य व्यापार निगम ने 18 देशो मे अपनी शाखाए तथा विश्व के लगभग सभी देशो मे अपने सम्पर्क सूत्र स्थापित किए हुए है। यह निगम देश के उद्योगो तथा विदेशी आयात व निर्यातकर्ताओ के बीच एक महत्वपूर्ण माध्यम के रुप मे कार्य करता है। राज्य व्यापार निगम जहॉ विदेशी बाजारो का सर्वेक्षण करके भारतीय उद्योगपतियो एव व्यापारियो को निर्यात बढाने हेतु मार्ग दर्शन करता है। वही विदेशी उपभोक्ताओ को उचित मूल्य एव उचित समय पर निर्दिष्ट क्वालिटी की वस्तुए उपलब्ध कराने का आश्वासन देता है।

**आज के सन्दर्भ मे राज्य व्यापार निगम के प्रमुख कार्य निम्नवत है –**

(1) निर्दिष्ट वस्तुओ का आयत व निर्यात करना विशेष रुप से उन देशो के साथ व्यापार मे वृद्धि करना जहॉ विदेशी व्यापार पूर्ण सरकारी नियन्त्रण मे है।

(11) सरकार के अदेशानुसार सार्वजनिक हित के पोषण हेतु निर्दिष्ट वस्तुओ के आयात–निर्यात या आन्तरिक वितरण की विशेष व्यवस्था करना।

(111) सरकार के आदेशानुसार देश मे पर्याप्त पूर्ति वाली (दुर्लभ) वस्तुओ के आयात अथवा आन्तरिक वितरण की व्यवस्था करके मूल्यो मे स्थिरता लाना तथा देश मे वितरण व्यवस्था ठोस करना।

(1v) परम्परागत वस्तुओं के निर्यात हेतु नए बाजारो का विकास करना तथा निर्यात व्यापार के विविधीकरण हेतु नई वस्तुओ के निर्यात को प्रोत्साहित करना।

इनके अतिरिक्त राज्य व्यापार निगम देश के आयातो व निर्यातो की प्रवृत्ति पर सावधानी पूर्वक दृष्टि रखता है, तथा देश के उद्योगपतियो एव व्यापारियो को आयातो सुविधाए एव निर्यात सम्बर्द्धन हेतु मार्ग दर्शन प्रदान करता है।

राज्य व्यापार निगम लघु एव मध्य श्रेणी के लोक उद्यमो के बीच निर्यात उत्पादन बढाने के लिए एक विशिष्ट भूमिका अदा करती है। वस्तुओ के आयात के निर्माण के द्वारा सरकार लाभ का प्रबन्ध करती है। इन नीतियो के द्वारा मिले लाभ की सहायता से सरकार एक नई नीति कार्यक्रम चला रही है। वस्तुओ के निर्यात मे जो बेचने मे कठिनाई महसूस होती है, उससे वित्तीय घाटा सहना पडता है। सरकार के द्वारा ब्रिकी मे राज्य व्यापार निगम का मार्ग दर्शन किया जाता है। बेचने के लिए कुछ दुलर्भ वस्तुओ का आयत जैसे कि सुपाडी, कालीमिर्च, नारियल आदि का आयात राज्य व्यापार निगम के द्वारा किया जाता है। जब इन वस्तुओ का आयात निगम द्वारा किया जाता है तब इन वस्तुओ पर उपस्थित बडे लाभ का एक भाग निगम के पास होता है।[1]

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे बदलाव स्वीकार करने के लिए राज्य व्यापार निगम जागृत हो गया है। निर्यात स्तर बनाए रखने के लिए मजबूत और अच्छी चीजो का निर्यात करना होगा। इसके द्वारा कई प्रगति कार्य किये गये है, आने वाले वर्षो के लिए दीर्घकालीन व्यूह रचना की जा रही है। आवश्यक अन्तर्राष्ट्रीय बजार के साथ भारतीय उत्पाद के गुण के विकास लाने मे निगम उच्च महत्व प्रदान करता है। निगम बाजार अनुसधान सूचना और बिक्री सम्बर्द्धन के उच्च महत्व से भी सम्बधित है। न्युनतम दाम पर घरेलू बाजार मे आयातित वस्तुओ की उपभोग की उपस्थिति मे राज्य व्यापार निगम का योगदान कम महत्व नही रखता।

राज्य व्यापार निगम के कार्यो का विस्तार होने के साथ–साथ इसके प्रशासन मे विकेन्द्रीकरण किया गया तथा आज निगम की निम्नलिखित सहायक सस्थाए विशिष्ट क्षेत्रो मे आयात व निर्यात क्षेत्र मे कार्यरत है –

(i) परियोजना एव साज–सज्जा निगम

(ii) भारतीय काजू निगम

(iii) हस्तकला एव हथकरघा निगम

(iv) खनिज एव धातु व्यापार निगम

(v) केन्द्रीय घरेलू उद्योग निगम

(vi) चाय व्यापार निगम

(vii) निर्यात विकास कोष

---

1 सार्वजनिक कार्य करने पर समिति/40 वॉ घोषणा (चौथा लोक सभा)

(1) <u>परियोजना एव साज–सज्जा निगम</u> इस निगम की स्थापना राज्य व्यापार निगम की एक सहायक एजेन्सी के रुप मे 1971 मे की गई थी। इस नई सस्था के प्रारम्भिक चरण मे इन्जीनिरिंग एव रेलवे सामग्री के व्यापार के अतिरिक्त राज्य व्यापार निगम के इन्जीनियरिग डिवीजनो को काम सौपा गया। इस निगम का प्रमुख उद्‌देश इन्जीनियरिंग की वस्तुओ,औद्योगिक एव रेल सम्बन्धी साज–सज्जा के निर्यात मे वृद्धि करना है।

(11) <u>भारतीय काजू निगम</u> इस निगम की स्थापना भी राज्य व्यापार निगम की एक सहायक इकाई के रुप मे 1970 मे की गई थी। यह निगम कच्ची काजू का आयात करके उचित मूल्य पर काजू निर्यात करने वाली इकाईयो को परिनिर्माण हेतु उपलब्ध कराता है। भारतीय वस्तुओ के प्रचार हेतु निगम ने पेरिस एव न्यूर्याक मे अपने कार्यालय स्थापित किये है।

(111) <u>हस्तकला एव हथकरघा निर्यात निगम</u> हस्तकला एव हथकरघा निर्यात निगम की स्थापना राज्य व्यापार निगम के पूर्णत स्वीकृति शाखा के रुप मे वर्ष 1964 मे किया गया। किन्तु इस पर नियन्त्रण वस्त्र मन्त्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रण विभाग का है। इसकी स्थापना हस्तकला की वस्तुओ हथकरघो के वस्त्रो, तैयार वस्त्रो एव ऊनी स्वेटरो व जर्सीयो के निर्यात को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से किया गया। इसके दो प्रमुख कार्य है–

पहला, निर्यात सम्बर्द्धन और व्यापार विकास तथा दूसरा, बाहर भारतीय दस्तकारी का अच्छा प्रभाव बनाना। शिल्प और हथकरघा के अन्तर्गत ऊन, ऊनी गलीचे और सिले–सिलाए वस्त्रो के सम्बन्ध मे निगम इन उत्पादको के निर्यात को बढाने मे बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई है। यह विदेशो मे उपभोक्ता के मॉग का भी अध्ययन करती है और भारत के दस्तकारी पर विशिष्ट महत्व के साथ नऐ उत्पादो के प्रवेश का भी अध्ययन करती है। यह सलाह के माध्यम से व्यापार की सहायता करती है और ऋण के रुप मे वित्तीय सहायता प्रदान करने से साथ बाहरी मेले व प्रदर्शनियो मे भाग लेना सुनिशिचत करती है।

(1v) <u>केन्द्रीय घरेलू उद्योग निगम</u> – यह उद्योग निगम जो एस0एस0ई0सी0 की पूर्णत स्वीकृति शाखा है, इसकी स्थापना वर्ष 1976 मे की गई। इस निगम का मुख्य उद्देश्य घरेलू उद्योग और शिल्प के उत्पादन का भारत और समुद्र पार देशो मे बिक्री करना और घरेलू उद्योग के विकास मे भी सहायता करना हैं ।

(v) <u>खनिज एवं धातु व्यापार निगम</u> (MMTC) – देश मे उपलब्ध खनिज पदार्थो एव कच्ची धातु के निर्यात हेतु अप्रैल 1963 मे इस निगम की स्थापना किया गया। इस निगम की अधिकृत पूजी 5 करोड रुपये एव प्रदत्त पूंजी 2 करोड रुपये की है। निगम के प्रमुख निर्यातो मे

कच्चा लोहा, कच्चे मैगनीज, फेरो मैगनीज तथा कोयला को सम्मिलत किया गया है। इन सब वस्तुओ के निर्यातो से काफी मात्रा मे विदेशी विनमय प्राप्त किया गया। इस निगम के आयतो मे नॉन फैरस धातुओ का स्थान सर्वाधिक महात्वपूर्ण है।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने पिछले दशको मे अनेक बाजारो का विकास किया है। इसके निर्यातो मे 3/4 भाग से अधिक केवल कच्चे लोहे के रुप मे है। यूरोप व जापान के बाजारो मे निगम ने भारतीय कच्चे लोहे के निर्यात–व्यापार मे काफी वृद्धि की है। यूरोपीय देशो को निगम 11–12 लाख टन कच्चे लोहे का निर्यात करता है। इसी प्रकार जापान को भी काफी मात्रा मे कच्चे लोहे का निर्यात किया जाता है। उल्लेखनीय बात यह है कि विगत 3–4 वर्षो मे विश्व के बाजारो मे कच्चे लोहे के मूल्यो मे पर्याप्त वृद्धि हुई और इसका पूरा लाभ भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम को प्राप्त हुआ है। निर्यात की गई धातुओ व खनिज के मूल्यो मे वृद्धि का लाभ प्राप्त करने के साथ–साथ खनिज व धातु व्यापार निगम को आयातित खनिजो व धातुओ के लिए भी पिछले 3–4 वर्षो मे काफी ऊँची कीमत चुकानी पडी है जिसके परिणामस्वरुप निगम का आयात–बिल पिछले वर्षो मे काफी बढ गया है।

(vi) **चाय व्यापार निगम** – चाय व्यापार निगम की स्थापना 1970 मे भारतीय सरकार द्वारा राज्य व्यापार निगम की शाखा के रुप मे किया गया। इसके प्रमुख कार्य भारतीय चाय के लिए साम्य बाजार खोजना, घरेलू उपभोग चाय रियासत का प्रबन्ध, चाय का भण्डारण और अन्य व्यवस्थाओ की स्थापना जो चाय उद्योग के लिए लाभकारी है। चाय के खरीदादारी मे भी यह सहायता करती है।

(vii) **निर्यात विकास कोष** – निर्यात का आधार और अधिक मजबूज बनाने की दृष्टि से राज्य व्यापार निगम ने निर्यात विकास कोष की स्थापना की। इस कोष द्वारा छोटी औद्योगिक इकाइयो की स्थापना या इनकी उत्पादन क्षमता मे विस्तार हेतु सहायता दी जायेगी, इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु 4 करोड रुपये का प्रावधान रखा गया था। यह उल्लेखनीय है कि राज्य व्यापार निगम द्वारा किए जाने वाले निर्यातो मे से आधे लघु औद्योगिक इकाईयो से प्राप्त किये जाते है। इन इकाईयो को निगम द्वारा कच्चे माल की पूर्ति, तकनीक परामर्श आदि सेवाओ के अतिरिक्त क्वालिटी नियन्त्रण, भण्डारण, लदान व्यवस्था, निर्यात विपणन एव प्रलेख की सुविधाए उपलब्ध कराई जाती है। जिसमे यह कोष राज्य व्यापार निगम की सहायता करता है। राज्य व्यापार निगम के विभिन्न देशो मे स्थित कार्यालय भारत की परम्परागत एव गैर परम्परागत वस्तुओ का विदेशी बाजारो मे प्रचार करके इनके निर्यात हेतु अनुबध प्राप्त करने का प्रयास करते है। निर्यात मे वृद्धि करने हेतु निगम अन्य देशो मे विद्यमान बडे–बडे व्यवसायिक प्रतिष्ठानो से सम्पर्क

स्थापित करता है। हाल ही मे एक समीक्षक समिति ने राज्य व्यापार निगम के प्रशासन एव गतिविधियो मे गत्यात्मकता (Dynamism) लाने हेतु कुछ सुझाव दिए है। निगम ने विशिष्ट वस्तुओ के निर्यात मे वृद्धि हेतु विशेषज्ञो से परामर्श एव निजी क्षेत्र के अनुभवी प्रतिष्ठानो से सहयोग प्राप्त करना भी प्रारम्भ कर दिया है।

## 2. वाणिज्य मन्त्रालय :–

इस मन्त्रालय के अधीन सबसे ऊपर वाणिज्य विभाग है। विदेश व्यापार नीति के प्रोत्साहन और देश के विदेशी व्यापार के नियमन को सही दिशा देने का उत्तरदायित्व प्राथमिक सरकारी सगठन को है। अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य नीतियो के सम्मान मे पुनर्सगठन के विभिन्न कार्य विदेशी व्यापार, राज्य व्यापार निर्यात सम्बर्द्धन, निर्यात उद्योग, निर्यात योजनाएँ, सूचना सेवाएँ और सस्थागत सहायता जो वाणिज्य मन्त्रालय के अर्न्तगत है, निम्नवत है –

(i) **सगठन और सस्थाएँ** इनके अन्तर्गत निम्न आते है –

(अ) स्वतन्त्र व्यापार मण्डल।

(ब) निर्यात साख गारण्टी निगम।

(स) आयात–निर्यात के मुख्य नियन्त्रक का कार्यालय।

(द) भारत का व्यापार मेला अधिकरण।

(य) निर्यात निरीक्षण समिति।

(ii) **सेवा सहायता सस्थाएँ** – इसके अन्तर्गत निम्न आते है –

(अ) निर्यात–आयात बैक।

(ब) भारतीय पैकेजिग सस्थान।

(स) निर्यात सम्बर्द्धन समिति।

(द) भारतीय विदेशी व्यापार सस्थान।

(य) व्यापार विकास प्राधिकरण।

(iii) **विदेश व्यापार विभाग** :– विदेशी व्यापार विभाग निम्न से सम्बन्धित कार्यो को देखता है –

(अ) सभी बाह्य व्यापारिक पहलुओ जिसके अन्तर्गत व्यापारिक सौदा और समझौता, व्यापारिक शिष्टमण्डल, व्यापारिक प्रतिनिधि मण्डल, व्यापारिक सहकारिता, व्यापारिक सम्वर्द्धन और देश के बाहर भारतीय औद्योगिक समुदाय के ब्याज का सरक्षण।

(ब) आयात–निर्यात व्यापार नीति और भारत के व्यापारिक ब्याज का नियन्त्रण।

(iv) **निगमे और परिषदे** – इसके अन्तर्गत निम्न निगमे व परिषदे आते है–

(अ) कॉफी परिषद।

(ब) चाय परिषद।

(स) तम्बाकू परिषद।

(द) रबर परिषद।

(य) कृषि और कार्मिक खाद्य उत्पाद।

(र) निर्यात विकास अधिकरण का समुद्री उत्पाद।

(ल) भारत का चाय व्यापार निगम।

(v) **विदेशी व्यापार नीति विभाग** :– विदेशी व्यापार नीति विभाग के प्रमुख कार्य निम्न है–

(अ) अन्तर्राष्ट्रीय वस्तु समझौतो को कार्यान्वित करना।

(ब) विभिन्न पहलुओ पर विचार करना जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार नीति से सम्बान्धित हैं तथा जिसके अन्तर्गत तटकर तथा तटकर विहीन रुकावट आती है।

(स) विदेशी वाणिज्यिक नीति का सूत्रीकरण।

(द) अन्तर्राष्ट्रीय कार्यालय की स्थापना जो कि वाणिज्यक नीति से जुडा हुआ है जैसे, स्कैप, ई0सी0ए0, गैट अब डब्लू0टी0ओ0 और ई0ई0सी0।

(vi) **निर्यात उद्योग और उत्पाद विभाग** :– यह विभाग निम्न के लिए उत्तरदायी है–

(अ) ईंधन, खनिज और खनिज उत्पादे।

(ब) समुद्री उत्पादे।

(स) पूर्व के देशो के उत्पाद का विशिष्ट निर्यात लेकिन जूट उत्पाद और हथकरघा को वर्जित करके।

(द) वस्तुए, उत्पाद, परियोजनाएँ, सलाहकारी सेवाएँ उत्पादन और अर्ध उत्पादन करने वाला, कृषि उत्पाद विधि 1973 के प्रतिष्ठा मे निर्यात उत्पादन का विकास और बढावा।

(य) निर्मित उत्पाद जैसे कि अभियान्त्रिक समान, रसायन, प्लास्टिक समान, चमडे का सामान, इत्यादि।

(vi) <u>राज्य व्यापारिक विभाग</u> – वाणिज्य मन्त्रालय के इस विभाग का कार्य निम्न है–

(अ) खनिज एव धातु व्यापार निगम और इसकी शाखाओ के कार्यो को नियमित और नियत्रित करना।

(ब) राज्य व्यापार से सम्बन्ध बनाना और सगठन जो कि उद्देश्यो के लिए स्थापित किए गये है उनकी उन्नति ज्ञात करना।

**(viii)** <u>अन्य क्रियाशील क्षेत्र</u> कुछ विशिष्ट क्रियाओ के अलावा जो अन्य क्षेत्र इसके अन्तर्गत आते है, वे है–

(अ) तटकर आयोग से सम्बन्धित बचा हुआ कार्य जो कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार चुगी तटकर सार्वजनिक कार्यालय के अर्न्तगत आता है।

(ब) वाणिज्य मन्त्रालय सलाहकारी परिषद, सेवा सगठन, नर्यात सम्बर्द्धन अभिकर्ता का कार्यालय, राज्य व्यापार निगम, वस्तु परिषद और निर्यात के द्वारा सहायता किया जाता है।

(स) निर्यात प्रयास और सही दिशा के लिए योजना एव कार्यक्रम

(द) घरेलू उपभोग के अलावा फसल रोपड के विकास का उत्पादन और वितरण जैसे कि चाय, काफी रबर, और इलायइची।

(य) घरेलू उपभोग के लिए प्रगति और वितरण तथा चाय और काफी का निर्यात।

## 3. <u>नीति सलाहकारी समिति</u> :–

प्रशासनिक सुधार आयोग की सस्तुतियो के कार्यान्वयन के लिये जून 1971 मे नीति सलाहकारी समिति की स्थापना हुयी। यह समिति शीघ्र ही दीर्घकालीन नीति के मुख्य बिन्दुओ पर विचार करने लगी। इस समिति के सदस्य निम्नलिखित व्यक्ति होते है–

(अ) व्यापार विकास प्राधिकरण का कार्यकारी निदेशक।

(ब) राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम का प्रमुख।

(स) वाणिज्य विभाग मे सचिव और अतिरिक्त सचिव।

(द) वाणिज्य मत्रालय मे एक उप सचिव।

(य) वाणिज्य मत्रालय का वित्तीय सलाहकार।

(र) वाणिज्य मन्त्रालय मे निदेशक।

(ल) भारतीय विदेशी व्यापार सस्थान का महानिदेशक ।

(व) आयात और निर्यात का मुख्य नियत्रक।

## 4. भारतीय पैकेजिंग सस्थान :–

भारतीय विदेश व्यापार सस्थान के परामर्श को आधार बनाते हुए 1966 मे भारतीय पैकेजिग सस्थान का सृजन पैकेजिग के स्तर के विकास के द्वारा निर्यात करने के लिये किया गया। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्पाद के पैकेजिग मे प्रयोग किये गये उपकरण और उपाय ऐसे होने चाहिए कि निर्यात किए जाने वाले सामान का सुगमतापूर्वक स्थानान्तरण हो सके। पैकेजिग के स्तर मे आयी हुयी कमियो की उपस्थिति और सुविधापूर्वक स्थानान्तरण के लिये पैकेजिग के मुख्य बिन्दुओ पर विचार–विमर्श करने के साथ इस सस्थान के प्रमुख कार्य निम्न है –

(क) सुविधाजनक पैकेजिग की आवश्यकता के लिये प्रोत्साहित करना।

(ख) पैकेजिग तकनीक पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना।

(ग) निर्यात पैकेजिग के लिये श्रम को केन्द्रित करना।

(घ) पैकेजिग उद्योग के लिए कच्ची सामग्री पर अनुसधान प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना।

(ड) पैकेजिग उद्योग के क्षेत्र मे निर्यात विकास के साथ–साथ चलना।

भारतीय पैकेजिग सस्थान ने भारत मे पैकेजिग मशीन उद्योग की सरचना का अध्ययन किया। 1992–93 के दौरान पैकेजिग मे तीन महीने का प्रमाण–पत्र कोर्स मे 17 विदेशी तथा 10 भारतीयों द्वारा भाग लिया गया। वर्ष के दौरान 4 योजना प्रशिक्षण कार्यक्रम भारत मे विभिन्न स्थानो पर प्रस्तुत किये गये जिसमे 110 लोगो ने हिस्सा लिया। सस्थान के विभिन्न प्रयोगशालाओ मे अप्रैल–नवम्बर 1992 के मध्य 4000 नमूनो का परीक्षण किया गया। देश मे

पैकेजिग के अच्छे सम्बर्द्धन के लिए एक पुरस्कार चालू किया गया। 'पैक मशीन' नामक यह पुरस्कार कला, पैकिग उद्योग के लिए मशीन उत्पादन मे दक्षता के लिये दिया जाता है।[1]

भारतीय पैकेजिग सस्थान ने पैकेजिग के मानक मे, विशेष तौर से निर्यात के लिये उपयुक्त सुधार करने के कोशिशो की सफलता का प्रयास जारी रखे। वर्ष 1994–95 की समयावधि मे उपरोक्त सस्थान ने 20 विकास परियोजनाये पूरी की, जिसमे प्रसस्कृत खाद्य उपाय, फूलो की मढाई, मास एव कुक्कुट पालन, अफीम, प्लास्टिक प्रसस्करण, मशीनरी और लघु उद्योग शामिल है।

## 5. भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान .–

भारतीय विदेश व्यापार सस्थान की स्थापना 1964 मे की गयी। इस सस्थान की स्थापना सामाजिक पजीकरण अधिनियम के अनुसार एक स्वायत्तशासी सगठन के रुप मे हुआ। यह सस्थान, प्रधान प्रशिक्षण अनुसधान सस्थान तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मे अग्रलिखित चार प्रमुख उद्देश्य की पूर्ति मे सलग्न है–

(अ) निर्यात विपणन अनुसधान,सामग्री क्षेत्र तथा समुद्रपार बाजार सर्वेक्षण का पथप्रदर्शन करना।

(ब) वर्तमान निर्यात विपणन तकनीक मे श्रमिक वर्गीय प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

(स) सूचना के अनुसधान एव बाजार विषयक अध्ययन का विस्तार करना।

(द) निर्यात व्यापार की समस्याओ को ध्यान मे रखते हुए उनके समाधान के लिये अनुसधान करना।

विगत दो दशको के समयावधि मे उपरोक्त सस्थान सभी विकासशील राष्ट्रो मे अपनी तरह का एक अद्वितीय सस्थान बन गया है। इस सस्थान ने अपनी पहचान एव अस्तित्व को प्रतिभाषित करते हुए, तीसरे विश्व के देशो मे तथा अन्तर्राष्ट्रीय सगठनो मे प्रमुख स्थान बना लिया हैं, तथा इस सस्थान की सेवाओ से अन्य अन्तर्राष्ट्रीय सस्थान यथा– अकटाड, गैट अब W T O, युनिडो स्कैप और आई0टी0सी0 आदि लाभान्वित हो रहे है। यह सस्थान त्रैमासिक समाचार–पत्र "फॉरेन ट्रेड रिन्यूव" के माध्यम से अपनी सूचनाओ का प्रचार–प्रसार निर्वाध गति से कर रहा है। निर्यात व्यापार से सम्बन्धित अन्य अनुसधान तथा इसके परित. अध्ययन के सूचना

---

[1] वार्षिक रिर्पोट, 1992–93, वाणिज्य मत्रालय भारत सरकार, पृष्ठ – 40

को भी प्रसारित कर रहा है। इस सस्थाान द्वारा प्रकाशित मासिक पत्र "फॉरेन ट्रेड बुलेटिन" नये विकास के सूचनाओ का विस्तार पूर्वक प्रसार कर रहा है ।

अप्रैल–दिसम्बर 1992 के अवधि मे 50 विद्यार्थियो ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मे स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त किया एव 30 छात्रो ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मे मास्टर कार्यक्रम पूर्ण किया। 129 व्यक्तियो ने निर्यात विपणन प्रमाण पत्र पाठ्क्रम मे नामाकन कराया। इसके अतिरिक्त 24 सम्पादकीय विकास कार्यक्रम, सरकारी कर्मचारी के लिए विशेष कार्यक्रम और अन्तर्राष्ट्रीय यूनिट के लिये कार्यक्रम अप्रैल से दिसम्बर 92 तक आयोजित किये गये।

प्रशिक्षण के क्षेत्रो मे उपरोक्त सस्थान तीन आधारभूत कार्यक्रमो का सचालन कर रहा है। –

(अ) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मे स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम।

(ब) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मे स्नातकोत्तर कार्यक्रम।

(स) निर्यात विपणन मे प्रमाण–पत्र कार्यक्रम।

अप्रैल–दिसम्बर 1994 की समयावधि मे 52 व्यक्तियो ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मे स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, जबकि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मे स्नातकोत्तर कार्यक्रम के 43 प्रत्याशियो को डिप्लोमा प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त 30 अभ्यर्थियो ने अन्तर्राट्रीय व्यापार के कायकारी कार्यक्रम (ई0एम0आई0टी0) मे भाग लिया तथा 169 अभ्यार्थियो ने निर्यात विपणन (साध्य) पाठ्यक्रमो मे भाग लिया। वर्ष 1993–1994 के दौरान सस्थान ने कई अनुसधान कार्य पूरे किये जिनमे सम्मिलित हैं पश्चिम यूरोप एव जापान मे प्रिय खाद्यो पर बाजार सर्वेक्षण, थाईलैड, मलेशिया, सिगापुर, तथा इण्डोनेशिया मे तकनीक के अन्तरण पर भारतीय सयुक्त उद्यमो का अनुभव और निर्यात के लिये चुनिन्दा उत्पादको के प्रोफाइल।[1]

## 6. भारतीय व्यापार सम्बर्द्धन संगठन :–

भारतीय व्यापार सर्म्बद्धन सगठन (आई0टी0पी0ओ0) की स्थापना विगत काल मे सृजित ट्रेड फेयर आथरिटी आफ इण्डिया तथा ट्रेड डेवलपमेट ॲथारिटी का विलय करने के बाद कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत एक जनवरी 1992 को की गयी। उपरोक्त सस्थान भारत मे तथा विदेशो मे मेलो तथा प्रदर्शनियो, व्यपाारियो की बैठक, व्यापार प्रतिनिधि

---

[1] वार्षिक रिर्पोट–1994–95, वाणिज्य मन्त्रालय, भारत सरकार पृष्ठ–42।

मडलो के आदान–प्रदान, उत्पादन विकास कार्यक्रमो आदि का सचालन करके व्यापार वृद्धि मे प्रमुख भूमिका निभाता है ।

आई0टी0पी0ओ0 का कार्य लाभ आर्जित करना नही है, अपितु भारतीय निर्यातको को विदेशी बाजारो मे प्रवेश की सुविधाजनक स्थिति को सुनिश्चित करना एकमात्र लक्ष्य है। आई0टी0पी0ओ0 डोमेस्टिक मेलो का आयोजन प्रगति मैदान नई दिल्ली मे समय–समय पर व्यापार मेलो, क्रेता–विक्रेता बैठको, सम्पर्क वृद्धि कार्यक्रमो तथा व्याख्यानो के उपयुक्त माध्यमो से विदेशो को यह जानकारी प्रदान करता है कि भारतीय सामान विदेशो के अत्याधुनिक वस्तुओ के साथ प्रतिस्पर्धा मे तभी सक्षम हो सकता है, जब निर्यातक अपने सामानो मे गुणात्मक परिर्वतन कर उचित मूल्य का निर्धारण कर उसे प्रतिस्पर्धी बनाए। इसके अलावा आई0टी0पी0ओ0 व्यापार वृद्धि के लिए व्यक्तिगत सस्थाओ को "प्रगति मैदान" को एक व्यापार स्थल के रुप मे किराए पर प्रदान करता है, जिससे एक छत के नीचे सभी उच्चस्तरीय सामान एकत्रित होकर आवश्यकता एव उपयोगिता को प्रदर्शित करते है। आई0टी0पी0ओ0 ने अपने पॉच कार्यालय विदेशो मे खोले है तथा अनेक क्षेत्रीय कार्यालय भारत के महानगरो मे स्थित है। निर्यात विदेशी मुद्रा अर्जन का एक मुख्य स्रोत है इसलिए यह आवश्यक है कि इस तरह के सस्थाओ को भारत सरकार और अधिक स्व–अर्जित बनाये तथा इनके कार्यक्रमो का अत्याधिक विस्तार करे।

'भारतीय व्यापार प्रोन्नति सगठन" एक सेवा सस्था है तथा इसकी व्यापार उद्योग और भारत सरकार के साथ विश्वासपूर्ण तथा समय–समय पर वार्तालाप जारी रहता है यह अपेक्षाकृत कम प्रचारित–प्रासारित बाजारो मे प्रवेश करके, नई मदो के निर्यात वृद्धि के लिए, मेलो मे सम्मिलित होने के लिये सूचना प्रदान कर एव सेवाएँ उपलब्ध कराके तथा उन्नत व्यापार सेवाएँ एकत्र करके उनके प्रसार के माध्यम से उद्योग को अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है।

1991–92 के दौरान पूर्ण टी0एफ0ए0आई0 ने 38 बाहरी व्यापार मेलो और प्रदर्शनी मे अपनी उपस्थिति दर्ज करायी। इनमे से 21 सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय मेला, 15 विशिष्ट वस्तु मेला, 2 भारतीय प्रदर्शनी था। इन 38 कार्यक्रमो मे 5 अमेरिकी क्षेत्र मे हैं, 10 पश्चिमी यूरोप मे, 6 पूर्वी यूरोप तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया मे, 11 वाना क्षेत्र मे। इन मेलो पर भारतीय कम्पनी द्वारा सूचित किये गये तत्कालीन व्यापार की मात्रा 435 46 करोड रुपये था तथा सौदे के अन्तर्गत 949 49 करोड रूपये था। 1992–93 के लिये आई0टी0पी0ओ0 के बजटीय कार्य मे 35 कार्यक्रम निर्धारित थे। सरकारी अनुदान पर आभार कम करने के लिये 1992–93 की समयावधि मे मूल्य सुधार तथा स्व–वित्त आधार पर 8 और मेलो को सगठित करने का फैसला लिया गया। अक्टूबर

1992 तक 27 मेले लगाये गये। इन मेलो के माध्यम से हुए व्यापार की मात्रा 279 93 करोड रुपये तथा सौदा 611 53 करोड रुपया रहा।

भारतीय व्यापार सम्बर्द्धन सगठन ने वर्ष 1994–95 की समयावधि मे विदेशो मे 33 मेलो तथा प्रदर्शनी कार्यक्रमो का आयोजन किया। इन 33 मेलो से 15 साधारण अन्तर्राष्ट्रीय मेले 13 विशेष वस्तु मेले तथा 4 अन्य भारतीय प्रदर्शनियॉ थी। इस साल के समयावधि मे आई0टी0पी0ओ0 ने दक्षिण अफ्रीकी शहर जोहन्सवर्ग मे प्रथम बार पूर्ण भारतीय प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जिसमे 160 नियमित देशो ने भाग लिया। आई0टी0पी0ओ0 ने इजराइल की राजधानी तेलअविव मे इन्टरनेशनल मार्डर्न लिविग प्रदर्शनी मे भागीदारी का आयोजन भी किया। व्यापारियो की बैठको, सम्पर्क वृद्धि कार्यक्रमो और विदेशी क्रेता प्रतिनिधिमडलो के कार्यक्रमो का प्रायोजन भी किया गया। फरवरी, 1995 मे यागोन, म्यामार मे एक अन्य भारतीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। दिसम्बर 1994 तक 26 मेलो मे भागीदारी की गयी। भारतीय कम्पनियो द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार इन मेलो मे दिसम्बर 94 तक उन्होने 796 करोड रुपये का व्यापार किया। इनमे 106 3 करोड के अनुमानित व्यय पर 214 करोड के दो पुष्टि आदेश भी शामिल है।

## 7. सलाहकारी परिषद .–

इस परिषद के अन्तर्गत दो समितियॉ है जो निम्नलिखित है–

(अ) **व्यापार के लिए केन्द्रीय सलाहकार समिति** – व्यापार के लिये केन्द्रीय सलाहकारी समिति दो सलाहकारी अनुभागो व्यापार पर आयात–निर्यात के सलाहकारी समिति तथा व्यापार बोर्ड (15 फरबरी 1978 से प्रभावी है) के सम्मेलन से निर्मित हुआ है। वाणिज्य मन्त्री सलाहकारी समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। समिति अग्रलिखित विषयो पर सरकार को परामर्श देती है–

(1) निर्यात और आयात नियन्त्रण का कार्यान्वयन।

(2) निर्यात तथा आयात नीति एव कार्यक्रम।

(3) निर्यात उत्पादन का सगठन और प्रसार ।

(4) व्यापारिक सेवाओ का सगठन और विकास।

सलाहकारी समिति सरकार को परामर्श देती है नीतियो मे अनिवार्य परिस्थिति के निर्धारण को प्रभावित करता है, एव कार्यक्रम प्रोत्साहन, आयात–निर्यात प्रक्रिया तथा सेवा निर्यात के विभिन्न क्षेत्रो मे सहायता करता है।

**(ब)** **क्षेत्रीय आयात–निर्यात सलाहकारी समिति** – भारत मे कुल 4 क्षेत्रीय समितियॉ है जो पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी तथा दक्षिणी क्षेत्रो के लिए जुलाई 1968 मे स्थापित किया गया तथा वे अग्रलिखित विषयो से सम्बधित है–

(i) आयात–निर्यात व्यापार नियत्रण सगठन का सार्वजनिक सम्बन्ध और कार्यक्रम के नियमो के प्रोन्नति के विषयो मे परामर्श प्रदान करना और व्यापार एव उद्योग से सम्बन्धित अन्य सरकारी विभाग।

(ii) आयात–निर्यात को निर्विघ्न बनाना, जहाजी परिवहन साख बीमा तथा निर्यात निरीक्षण की बाधाओ के बारे मे विचार करना और उसकी उन्नत के लिए उपाय सुझाना।

(iii) आयात–निर्यात के नियमो के क्रियान्वयन मे आयी बाधाओ पर विचार करना तथा नकद सहायता को चुकाने के लिए उपाए बताना।

## 8. भारतीय निर्यात सगठन का सघ –

देश के विभिन्न भागो मे स्थित निर्यात वृद्धि एजेन्ट का कार्यालय एक शीर्ष समुदाय भारतीय निर्यात का सघ है। जिसे 1965 मे निर्मित किया गया और इसका पजीकृत कार्यालय दिल्ली मे स्थित है। अनेक सगठनो एव सस्थाओ के द्वारा निर्यात सम्बर्द्धन क्रियाकलापो के क्रमिक एव परिशिष्ट कार्य किया जाता है। जैसे निर्यात सम्बर्द्धन समिति, वस्तु परिषद तथा अन्य विशिष्ट अभिकर्ता कार्यालय। यह प्राथमिक श्रम सगठन के रुप मे कार्य करता है एव निर्यात भवन को आशिक सहायता प्रदान करता है। राष्ट्र के अन्तर्गत निर्यात सम्बर्द्धन सघ केन्द्रीय अभिकर्ता कार्यालय का कार्य करता है। इसके सदस्य सस्था के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत और निजी क्षेत्रीय वित्तीय सस्थान निर्यात सम्वर्द्धन समिति के अतिरिक्त वस्तु परिषद और वाणिज्य एव उद्योग के कार्यालय आते है। यह विदेशी बाजार मे निर्यात से सम्बधित सूचनाओ की रिक्तता को व्यापारिक प्रतिनिधि मडल के माध्यम से जोडता है। इस सघ के प्रमुख उद्देश्य अग्रलिखित है –

(क) निर्यातक और निर्यात सगठन के लाभ के लिए सामान्य सेवाऍ प्रदान करना तथा निर्यात सम्वर्धन क्षेत्र मे साधारणतया कार्य करना।

(ख) चदा देना, सदस्य होना तथा अन्य किसी सगठन से सम्बन्ध बनाना।

(ग) निर्यात व्यापार के विकास को प्रोत्साहन देना।

(घ) नियमित पत्र प्रकाशन, सूचनाये और व्याख्यान का प्रबन्ध करना, सवाद और वार्तालाप करना।

(ङ) प्रचार करना और सगठित व्यापार मेले तथा प्रदर्शनियो मे सम्मिलित होना।

(च) व्यापार का कार्यालय खोलना, आकर्षक व्यवसायिक केन्द्र के प्रतिनिधि को नियुक्त करना, भारत या विदेशो मे अभिकर्त्ता से पत्र व्यवहार करना ।

(छ) निर्यात सम्वर्द्धन क्रियाकलापो का क्रमिक विकास करना।

(ज) विदेशी व्यापार के विषय मे उत्पन्न होने वाले विवाद को दूर करना।

(झ) अध्ययन दल एव व्यापारिक प्रतिनिधि मण्डल को बाहर भेजना तथा बाहर से प्रतिनिधि मण्डल को आमन्त्रित करना।

(ज) केन्द्रीय और राज्य सरकार, क्षेत्रीय प्राधिकरण एव अन्य क्षेत्रीय समुदायो को निर्यात व्यापार से सम्बन्धित सभी मामलो मे सलाह देना।

सम्पूर्ण निर्यात समुदाय की आवश्यकताओ की योजना बनाना एव सभी समुदाय के लिए बहुत अच्छा बाजार उपलब्ध करना। सभी महत्वपूर्ण वाणिज्यिक एव बाजार सूचनाये एकत्रित करना तथा इसके सदस्यो मे वितरित करने मे भी सहायता प्रदान करता है। विशेष देशो मे व्यापारिक प्रतिनिधि मण्डल को भेजना तथा विदेशी प्रतिनिधिमडल को आमन्त्रित करना। यह विकास और निर्यात घरो की आवश्यकता और सूचना सस्थाओ को आश्वासन प्रदान करता है, जो निर्यात–व्यापार बढाने मे मुख्य भूमिका अदा करते है।

## 9. <u>निर्यात वृद्धि समिति तथा वस्तु बोर्ड</u> :–

देश मे अनेक निर्यात वृद्धि समिति तथा वस्तु सगठन की स्थापना हुई है। विशेष वस्तु समुदाय के निर्यात के वृद्धि मे सहयाता की दृष्टि से इस समिति का निर्माण हुआ है। इसके अन्तर्गत प्रमुख है –

(1) **<u>निर्यात सम्बर्द्धन समिति</u>** – अनेक उत्पादो को लेते हुए 19 निर्यात सम्वर्द्धन समितियॉ हैं। 12 निर्यात सम्वर्द्धन समितियॉ वाणिज्य मन्त्रालय के अधीन हैं तथा 7 अन्य हथकरघा मन्त्रालय के अन्तर्गत है। यह समिति अभियान्त्रिक माल, चमडा–निर्माणकर्ता, चमडे की वार्निश लगाना, खेलकूद सामान, शुद्ध–शिल्क, हथकरघा आधारित रसायन, काजू समुद्रपार निर्माण योजना, रुई, वस्त्र, रेयान–वस्त्र, ऊन और ऊनी गलीचे के निर्यात सम्बर्द्धन प्रभावो को देखते है। ये समितियॉ लाभ न बनाने वाली कम्पनियॉ है। ये निर्यात सम्बर्द्धन समितियॉ सरकार और

निर्यातको के मध्य एक आपसी सम्बन्ध बनाती है तथा निर्यात समुदाय के सामने आयी बाधाओ की सूचना सरकारी अधिकारियो को देती है। सभी निर्यातक जो विशेष वस्तु उत्पाद के अन्तर्गत आते है, इस समिति के सदस्य बन सकते है। सदस्यो से समिति का चदा, शुल्क सेवाएँ तथा विशेष निम्न चदा, शुल्क, छोटे उद्योगो से लिया जाता है। समिति के सदस्य निर्वाचन के माध्यम से एक कार्य समिति का चुनाव करते है तथा कार्य समिति अध्यक्ष तथा अन्य अधिकारियो का चयन करती है। उत्पाद के निर्यात से सम्बन्धित सभी नीति तथा समस्याओ का समाधान कार्य समिति के द्वारा होता है एव आवश्यक निर्णय लिये जाते है। सरकारी नियमानुसार समिति के अन्तर्गत केवल रजिस्टर्ड निर्यातक ही निर्यात के लिये सहायता की मॉग कर सकते है। समिति के प्रमुख कार्य अग्रलिखित है।

(क) निर्यात उत्पाद के लिए और आयात किये गये कच्चे माल की पूर्ति के लिये स्वदेशी व्यवस्था करना।

(ख) बाहर के बाजारो के व्यापार प्रतिनिधि मडल एव अध्ययन दल को बुलाना।

(ग) समुद्रपार क्षेत्रीय कार्यलयो के द्वारा प्रतिदिन बाजार स्थिति की सूचना प्रदान करना तथा समिति के सदस्यो को परामर्श देना।

(घ) निर्यात की सुविधा के लिये निर्यात बाजार उपलब्ध कराना एव वस्तु की पहचान करना।

(ड) निर्यात वित्त, बैकिग, बीमा, तथा सयुक्त जोखिम पर सदस्यो को सलाह देना।

(च) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के बारे मे परामर्श देना।

(छ) सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये निर्यात सहायता योजनाओ को कार्यान्वित करने एव व्याख्या करने मे निर्यातको की सहायता करना।

(ज) निर्यात सहायता प्राधिकरण के शीघ्र प्रदर्शन की व्यवस्था करना।

(झ) पहचाने गये वस्तु पर बाजार निरीक्षण करना, एव बाजार गुप्तचर प्रदान करना।

(म) निर्यात किये जाने वाले सामान को जहाज मे लादने से पहले निरीक्षण एव शुल्क–नियन्त्रण पर निर्यात–निरीक्षण समिति के साथ सम्बन्ध स्थापित करना।

(ट) भावी ग्राहको से सम्बन्ध बनाना ताकि भारतीय उत्पाद मे उनकी रुचि बढायी जा सके।

(ठ) स्थानान्तरण समस्या को हल करने के लिए सदस्यो की सहायता करना।

(ड) चुने हुए समूह को सगठित एव प्रदर्शित करना ।

(ढ) चुने हुए उत्पादो के लिए भारत एव विदेश मे अधिक प्रचार करना।

(ण) विशेषीकृति व्यापार मेले तथा बाहर के प्रदर्शनियो मे भाग लेना।

समिति ने विदेशो मे अपने कुछ कार्यालय खोले है। समिति के कार्यक्रम सही औद्योगिक छाया की योजना बनाना एव अभियान्त्रिक माल के प्रकाशन के लिये व्यवस्था करना है।

**(ii) <u>वस्तु बोर्ड</u>** – भारत सरकार ने 9 वस्तु परिषदो की स्थापना की है, जो वाणिज्य मन्त्रालय के आधीन है। ये भारत के व्यापारिक उत्पादन की देख–रेख करते है, जिनमे प्रमुख रुप से चाय, काफी, रबड, नारियल का जटा, तम्बाकू आते है। ये परिषद इन उत्पादो के सभी प्रकार के विकास एव समस्याओ के लिये उत्तरदायी है। यह परिषद उगाने वाले कृषको के आर्थिक एव सुरक्षा सम्बन्धी समस्याओ का समाधान करते है। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्यो के उत्पाद गुण का विकास एव उनके लाभ एव अच्छी कीमत मे सहायता प्रदान करना है। ये परिषद निम्नलिखित है –

**(क) काफी बोर्ड** – काफी बोर्ड की स्थापना 1942 मे कहवा अधिनियम के अन्तर्गत इसके निर्यात उद्योगो एव सम्वर्धन के विकास के लिए किया गया। अधिक उत्पाद, बजार और निर्यात सम्वर्द्धन एव निकाय के माध्यम से काफी उद्योग के विकास का कार्य दिया गया है। यह कॉफी के बारे मे सूचना एकत्रित करती है, जिससे निर्यात किया जा सके। यह केन्द्रीय अनुसधान (I C R) के माध्यम से नमूनो को एकत्रित करता है जिससे निर्यात मे सुविधा हो सके और नमूने सुविधापूर्वक उपल्बध हो जाय ।

**(ख) तम्बाकू परिषद** – तम्बाकू परषिद की स्थापना 1976 मे भारत सरकार के द्वारा आन्ध्र प्रदेश के गुटूर जिले मे हुआ था। बोर्ड का कार्य अमेरीकी तम्बाकू के विकास और उत्पादन पर नियन्त्रण, भारत एव विदशो दोनो मे अमरीकी तम्बाकू बाजार पर निगाह रखना एव यह सुनिश्चित करना कि कृषक सही मूल्य पा रहे हैं कि नही। विभिन्न रोपाईयो को उचित स्तर प्रदान करना, उपलब्ध बजार का विकास तथा नये बजार खोजना, सहायता करना तथा आर्थिक अनुसधान और तकनीक को बढावा देना, ताकि उद्योगो के निर्यात विकास मे बहुमुखी प्रगति सभव हो सके।

**(ग) भारतीय हथकरघा बोर्ड** .– इस बोर्ड के अन्तगर्त दो हथकरधा तकनीक सस्थान है 1 सेलम मे तथा 2 वाराणसी मे हैं। इसके अन्तर्गत त्रिवर्षीय डिप्लोमा प्रदान किया जाता हैं। कोर्स को सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर छात्रो को बोर्ड द्वारा डिप्लोपा प्रदान किया जाता है। परिषद के

अन्तर्गत 7 बुनाई केन्द्र जो बम्बई, इन्दौर, वाराणसी, कोलकता, मगलूर, बग्लौर, और चेन्नई मे है। ये छपाई, रगाई तथा बुनाई के क्षेत्र मे हथकरघा उद्योग को तकनीक सहायता प्रदान करती है तथा अर्थिक कठिनाईयॉ दूर करती है और विदेशी भडारो के माध्यम से उद्योगो को सहायता देते है।

**(घ) रबड बोर्ड** – रबड परिषद की स्थापना भारतीय सरकार ने 1954 मे रबड के विकास के लिये किया गया। रबड उद्योग के सभी बिन्दुओ पर परिषद सरकार को सलाह देती है। जैसे कि रबड नियन्त्रण पर विचार, बाजार प्राप्ति। रबड कृषक के बीच सगठन मे परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका साबित हो रही है। इसमे एक रबड अनुसधान सस्थान भी है, जिसमे सभी औजारो से सुसज्जित प्रयोगशाला है।

**(ड) केन्द्रीय रेशम बोर्ड** – इस बोर्ड की स्थापना रेशम अधिनियम के अन्तर्गत 1949 मे हुआ। यह परिषद कृषि उद्योग, वार्षिक योजना को प्रभावी बनाना तथा निर्यात उद्देश्य एव उत्पाद की प्राप्ति, अनुसधान के सगठन, प्रशिक्षण, बीज उत्पाद एव कच्चे रेशमी धागे के आयात–निर्यात के विकास का कार्य करती है। इसका मुख्य कार्यलय मुम्बई मे स्थित है।

**(च) इलायची बोर्ड** – भारत सरकार ने 1965 मे इलायची अधिनियम के तहत इलायची बोर्ड की स्थापना केरल प्रान्त के एर्नाकुलम् नगर मे किया गया। परिषद को दिये गये विशेष कार्यो के अन्तर्गत इलायची कृषको के बीच सहकारिता, इलायची उगाने वालो के प्रतिफल की वापसी सुनिश्चित करना एव उद्योग मे व्यस्त मजदूर के लिये उचित मजदूरी की व्यवस्था का विकास करना, इलायची की खेती के लिये आर्थिक सहायता देना, उसका क्षेत्र विस्तार करना, इलायची के बिक्री और निर्यात पर नियन्त्रण रखना, दाम को प्रभावित करना, इलायची परीक्षण मे प्रशिक्षण एव उत्पाद के स्तर को बनाये रखना, भारत एव विदेशो मे इलायची के बाजार का विकास एव तकनीकी आर्थिक अनुसधान, वैज्ञानिक मदद या प्रोत्साहन देना। मसाले के निर्यात इलायची परिषद,एव मसाला निर्यात सम्वर्द्धन समिति। ये सभी 1986 मे मसाला परिषद के नाम से अभिहित नये सगठन मे सम्मिलित कर लिये गये है।

**(छ) चाय बोर्ड** – 1955 मे भारत सरकार द्वारा चाय अधिनियम के अन्तर्गत इसकी स्थापना की गयी। चाय परिषद विभिन्न देशो के चाय समिति से लगातार सम्पर्क बनाये है, जैसे कि यू0एस0ए0 कनाडा, जर्मनी एव आयरलैण्ड से। विदेशी चाय आयातक कम्पनी, चाय पैकर्स, एव इसके विक्रेता की एक सूची बोर्ड बनाता है एव चाय व्यापार के लाभ के लिए विदेशी बाजार से सम्बन्धित समाचार की भी सूची बनाता है।

**(ज) नारियल की जटा बोर्ड** – नारियल जटा परिषद की स्थापना 1959 मे इसके विकास के लिये जटा उद्योग कानून के अन्तर्गत भारत सरकार के द्वारा किया गया। यह परिषद अनुसधान, निरीक्षण, नये नारियल के जटा की स्थापना का विकास एव बुनाई के विशेषज्ञो को व्यस्त रखता है, एव प्रायोगिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। नारियल की जटा अनुसधान सस्थान त्रिवेन्द्रम मे है और वही पर राष्ट्रीय नारियल जटा प्रशिक्षण केन्द्र भी है।

**(झ) भारतीय शिल्प बोर्ड** – इस बोर्ड के चार कला केन्द्र है, जो मुम्बई, कोलकत्ता, बगलौर और नई दिल्ली मे है। यह राज्य सरकार को योजना बनाने तथा विकास योजनाओ के क्रियान्वयन मे सहायता देती है। परिषद नये कलाओ का विकास करती है, जिसमे व्यापार मेले और प्रदर्शनियो मे भाग लेना, चलचित्र का उत्पादन, सिली हुयी छोटी पुस्तक और अन्य सम्वर्द्धन उपाय है। इसका मुख्यालय दिल्ली मे है।

## 10. कृषि और उन्नत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण :–

उन्नत खाद्य निर्यात सम्वर्द्धन समिति की जगह 13 फरवरी 1986 को कृषि और उन्नत खाद्य–उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना हुयी। इसके अन्तर्गत भारत सरकार, राज्य सरकार, उद्योग एव व्यापार अनुसधान सस्थान के मन्त्रालय से सम्बद्ध प्रतिनिधि आते है। प्राधिकरण का कार्य बागवानी उत्पाद, पशु उत्पाद, उन्नत भोज्य वस्तु, मिठाई उत्पाद, एव कृषि आधारित वस्तुओ के निर्यात का विकास करना है। यह प्राधिकरण गुण एव पैकिग मे विकास के द्वारा कृषि उत्पाद के मूल्य को गतिमान करने मे सहायता करती है।

## 11. सेवा सहायता संगठन –

उद्योग और व्यापार की सहायता हेतु अनेक सस्थाओ और सगठनो की स्थापना हुयी है। जो निर्यात प्रबन्ध से विवर्गीय के विकास मे सक्रिय है। उदाहरण के लिए बाजार अनुसधान, निर्यात, साख बीमा, निर्यात प्रचार, व्यापार मेला एव प्रदर्शनी का गठन, पैकिग की गुणवत्ता मे सुधार इत्यादि। सम्बन्धित प्रमुख सस्थाये अग्रलिखित है –

**(i) आयात–निर्यात व्यापार नियन्त्रण संस्थान** :– उपरोक्त सगठन आयात एव निर्यात के मुख्य नियन्त्रक के कार्यालय के नाम से जाना जाता है। सरकार के आयात–निर्यात नीति के निर्वाह के लिये पूर्ण रुप से उत्तरदायी है। इसकी उप शाखाये लगभग सभी राज्यो मे तथा ये शाखाये भारतीय व्यापार वृद्धि प्रयत्न को आवश्यक सहायता प्रदान करती है। निर्यात वृद्धि कार्यालय जो मुम्बई, कोलकत्ता, कोचीन, चेन्नई, नागपुर और पुणे मे है जो क्षेत्रीय सयुक्त मुख्य

नियन्त्रक एव उपमुख्य नियन्त्रक के प्रशासनिक नियन्त्रण के अन्तर्गत इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिये कार्य करता है।

**(ii) व्यापारिक सूचना और साख्यिकी सामान्य निदेशालय –** वाणिज्यिक सूचना एव साख्यिकीय के सामान्य निदेशालय का मुख्य उत्तरदायित्व, अन्तर्राष्ट्रीय और सहायक व्यापारिक ऑकडा एकत्रित करना एव विभिन्न प्रकार की व्यापारिक सूचनाये प्रदान करना है। यह कोलकता मे स्थित है। निदेशालय भारतीय निर्यातको और विदेशी आयातको के मध्य व्यापारिक विवाद के व्यवस्था मे भी सहायता करता है। इस विभाग का कार्य निम्न बिन्दुओ से दर्शाया जा सकता है –

(क) भारतीय और विदेशी व्यवसायिक सस्था के बीच वाणिज्यक विवाद मे उदारता स्थापित करने के उद्देश्य से मध्यस्थता करना।

(ख) कोलकता स्थित वाणिज्यिक पुस्तकालय की रक्षा करना।

(ग) भारत और विदेशी व्यापारिक सस्था के लिये हिसाब रखना।

(घ) व्यापारिक भूमिका।

(ड) सरकार और व्यापार द्वारा आवश्यक वाणिज्यिक सूचनाओ को एकत्रित करना और प्रदान करना।

(च) विदेशो मे भारतीय सरकार द्वारा व्यापारिक प्रतिनिधि से प्राप्त सूचना का प्रकाशन करना।

(छ) "डाइरेक्टरी आफ एक्सपोर्ट्स आफ इण्डियन प्रोडक्ट एण्ड मैन्युफैक्चरर" का प्रकाशन करना।

(ज) साप्ताहिक "इडियन ट्रेड जर्नल" का प्रकाशन करना।

**(iii) पचायत से विवाद के निर्णय की भारतीय समिति :–** पचायत से विवाद के निर्णय की भारतीय समिति की स्थापना 1965 मे हुयी। विदेशी व्यापार मे भारत के प्रभाव को ध्यान मे रखकर विवाद की मित्रतापूर्ण व्यवस्था को बढावा देने के लिये इस समिति की स्थापना हुयी। इस समिति के उद्देश्य निम्नलिखित है–

(क) इसके निर्वाचक सदस्य द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विवाद मे पचायत द्वारा निर्णय की व्यवस्था करना।

(ख) यह समिति, व्यापारियो, निर्यात सम्वर्द्धन समिति के प्रतिनिधियो, सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत, वाणिज्य और व्यापार सगठन का कार्यालय के तहत विवाद और पचायत से झगडे का निर्णय की समस्या के बारे मे विचार करने के लिये लगातार बैठक करता है।

(ग) विदेशी व्यापार के सम्बन्ध मे वाणिज्यिक पचायत से विवाद के निर्णय के विचारो का विस्तार और प्रसिद्धि प्रदान करना।

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक पचायत से झगडे के निर्णय के मामले के सम्बन्ध मे पचायती समुदाय और अन्तर्राष्ट्रीय सगठन से सहायता मॉगना।

(ड) पचायत से झगडे का निर्णय जैसे काम करने के व्यक्तियो के जूरी की रक्षा करना।

## 12 निर्यात निरीक्षण समिति :–

भारतीय निर्माण और उत्पाद गुण के लगातार विकास के अनुरुप बाहरी आयतको को विश्वास प्रदान करना तथा भारतीय निर्यातको के लिये भारत सरकार ने निर्यात (गुण–नियन्त्रण एव निरीक्षण) कानून 1963 मे लागू किया। इस कानून के अन्तर्गत भारत का "निर्यात निरीक्षण समिति" की स्थापना की गयी। समिति आवश्यक गुण नियन्त्रण के प्रकाशन की व्यवस्था करती है। समिति निर्माण कर्ता को उनके उत्पाद के गुण स्तर बनाये रखने के लिये सभी वस्तुओ के गुण नियन्त्रण क्रिया के विस्तार का निश्चय किया गया है। इसके अन्तर्गत दो विशेषज्ञो की समिति का निर्माण हुआ है, एक प्रशासन से सम्बन्धित और दूसरा तकनीकी मामलो से सम्बन्धित है। ये समितियॉ आयात–निर्यात के मुख्य नियन्त्रक और इडियन स्टैडर्ड इन्स्टीट्यूट के महानिदेशक के समिति को उनके अध्यक्ष की तरह सहायता करती है। समिति ने आयात–निर्यात के मुख्य नियन्त्रक के अन्तर्गत एक सगठन का निर्माण किया जो देश मे गुण–नियन्त्रण और निरीक्षण के आवश्यक विस्तार के अन्तर्गत किसी वस्तु का आयात करने के लिये प्रमाणित करता है। समिति विभिन्न क्षेत्रो मे, अभियात्रिक, चमडा, जूट उत्पाद मछली, काजू और रसायन के लिये विशेषज्ञ समिति का निर्माण किया तथा अच्छा प्रशासन, अनिवार्य गुण–नियन्त्रण और जॉच योजनाओ को परामर्श देने के लिये निरीक्षण अभिकर्ता कार्यालय का भी स्थापना किया गया।

नवीन निर्यातको को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से जॉच–पडताल समिति या अन्य अभिकर्ता कार्यालय सेविवर्गीय को बहुमूल्य क्रिया–कलाप प्रदान करते हैं। चेन्नई के निर्यात जॉच–पडताल एजेण्ट कार्यालय, प्रशिक्षण केन्द्र मे सुविधाये प्रदान की गयी है। इसके अन्तर्गत

मुम्बई, कोलकता, कोचीन, दिल्ली, चेन्नई, के गुण नियन्त्रण एव जॉच–पडताल निदेशक को निर्यात जॉच–पडताल अभिकर्ता कार्यालय के द्वारा निर्यात मे शामिल किये गये विभिन्न वस्तुओ पर आकास्मिक निरीक्षण के लिये उपयुक्त आधार प्रदान किया गया है। 39 निजी निरीक्षण–कार्यालय के अधीन, 10 सरकार द्वारा प्रमाणित अभिकर्ता कार्यालयो के द्वारा इनके कार्यो को जोडा जाता है। वर्तमान मे तीन जॉच–पडताल नियम है। उदाहणस्वरुप – बाहर भेजे गये माल के जॉच पडताल की प्रक्रिया, गुण–नियन्त्रण विधि एव स्व–प्रमाणित योजनाये। अवैध निर्यात को कठोर सजा देने के लिये कानून मे पुन सशोधन किया गया है।

## 13. समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण :–

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने 1970 मे समुद्री उत्पाद निर्यात सम्वर्द्धन समिति की स्थापना की। जिसने सितम्बर 1972 मे समुद्री उत्पाद के निर्यात विकास मे सहायता प्रदान करने के उद्‌देश्य से कार्य करना प्रारम्भ किया। यह प्राधिकरण न्याययिक नियम, सुरक्षा और नियन्त्रण के माध्यम से उद्योग के स्वस्थ विकास मे सहायता सुनिश्चित करती है। प्राधिकरण के मुख्य कार्य निम्नवत है –

(क) बाजार सम्वर्द्धन क्रिया–कलाप, विभिन्न देशो के माग मे उत्पादक के प्रकार पर सूचना, विशिष्ट प्रकार की आवश्यकता के लिये सहायता प्रदान करते हुए समुद्र पार समुद्री उत्पाद के बाजार का विकास करना।

(ख) उद्योग के लिये छोटी मात्रा मे आवश्यक कुछ जरुरी वस्तुओ का आयात और व्यापार पूछ–तॉछ, निर्यात–सम्वर्द्धन, बाजार गुप्तचर के सम्बन्ध मे अन्य तरह की सेवाये और सहायता प्रदान करना।

(ग) मछली पकडने वालो का पजीकरण, क्रमिक यन्त्र स्वस्थ विकास के सम्वर्द्धन की दृष्टि से निर्यात और समुद्री उत्पाद उद्योग से सम्बन्धित चीजो का भण्डारण करना।

(घ) समुद्र के किनारे एव गहरे समुद्र मे मछली पकडने का विकास, समुद्र के किनारे एव गहरे समुद्र, मत्स्य उद्योग का सरक्षण और व्यवस्था करना।

(ड) वित्तीय और अन्य सहायताये प्रदान करना, सहायता कोष एव अनुदान के विस्तार के लिये अभिकर्ता के कार्यालय की तरह कार्य करना जैसा सरकार द्वारा सौपा गया है।

(च) समुद्री उत्पाद के निर्यात का नियन्त्रण करना।

(छ) ऐसे और उपाय जो निर्यात उद्योग मे प्रमुख है।

(ज) मछली पकडने और बाजार के विशिष्ट सन्दर्भ मे निर्यात से सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रो मे प्रशिक्षण प्रदान करना ।

## 14 आयात–निर्यात बैंक –

भारत का आयात–निर्यात बैक 1–1–1982 को निर्यातको की समस्याओ के समाधान सुनिश्चित करने के लिये, पूँजीगत माल एव निर्यात योजना को विशेष ध्यान प्रदान करने के लिए, सयुक्त कार्य एव निर्यात की तकनीक सेवाये, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक बैकिग, खरीद्दार साख का विस्तार और उच्च घरेलू एव समुद्र पार बाजारो के साख, निर्यात के क्षेत्र मे विकास एव वित्तीय कार्यो के लिये ससाधनो को गति प्रदान करने के लिये स्थापित किया गया। यह भारतीय सरकार द्वारा स्वीकृत सस्था है। आयात–निर्यात बैक, निर्यात सम्वर्द्धन की आवश्यकता के प्रबन्ध के लिये एव वित्तीय मजबूती की आवश्यकता की पहचान के लिये है। विभिन्न क्षेत्रो मे निर्यात की उन्नति के लिए आसान शर्तो पर ऋण प्रदान करना चाहिए। आयात निर्यात बैक, भारतीय उद्योग विकास के अन्तर्राष्ट्रीय वित्त शाखा के क्रिया–कलापो के द्वारा ऋण देने का उत्तरदायित्व लेती है। वर्तमान मे भारतीय आयात निर्यात बैक कुछ ऋण देने का कार्यक्रम चला रहा है, जिसके अन्तर्गत ऋण देने की व्यवस्था की गयी है। ये कार्यक्रम निम्नवत् है–

(क) उधार देने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बैक एव विदेश सरकार तथा वित्तीय सस्थान।

(ख) समुद्र पार निर्यातक।

(ग) कमी की पूर्ति करने वाले का साख।

(घ) भारतीय निर्यातक।

(ड) भारतीय बैक जैसी मध्यस्थता।

(च) जमानत अनुग्रह।

(छ) खरीददार साख।

(ज) पुन छूट व्यवस्था।

(झ) जहाज पर माल लादने से पूर्व वित्त ।

## 15. निर्यात साख और जमानत निगम .–

जुलाई 1957 से "निर्यात जोखिम और बीमा निगम" नाम से निर्यात साख एव जमानत निगम प्रारम्भ किया गया। जनवरी 1964 मे निर्यात साख के क्षेत्र मे इसके क्रिया–कलापो के विस्तार के उद्देश्य से निर्यात जोखिम और बीमा–निगम को निर्यात साख और जमानत निगम मे परिवर्तन कर दिया गया। निगम का मुख्य कार्य विभिन्न स्तर पर निर्यात व्यापार मे जोखिम उठाना है। निगम जहाज पर माल लादने से पूर्व और माल लादने के उपरान्त उधार के लिये बैक जमानत सुविधा के द्वारा आवश्यक वित्तीय मदद प्राप्त करने मे निर्यातको को सहायता प्रदान करती है। इसके आरम्भ होने से निगम कई उधार प्रदान करने की योजनाये बनायी है। ये योजनाये अग्रलिखित है –

(1) पैकेजिग उधार, जमानत, जहाज पर माल लादने के बाद निर्यात उधार, निर्यात वित्तीय जमानत (जहाज पर माल लादने से पहले) और निर्यात क्रिया–कलाप जमानत।

(11) यह निर्यातको को भुगतान न करने के विभिन्न योजनाओ द्वारा राजनीतिक एव वाणिज्यिक जोखिम से बचाता है।

(111) निर्यात साख और जमानत निगम अपने सेवा क्षेत्र का और विस्तार किया है।

निगम की नयी योजनाये निम्न है –

(क) सेवा (राजनीतिक जोखिम) नीति।

(ख) विनिमय अस्थिरता नीति ।

(ग) भारतीय बैक के द्वारा बाहरी योजनाओ के सम्पादन मे भारतीय ठेकेदारो को विदेशी मुद्रा उधार प्राप्त करने के लिए निर्यात–वित्त (समुद्र पार उधार देने का कार्य) जमानत की योजना।

(घ) सेवा (विस्तृत जोखिम) नीति।

निर्यात साख और जमानत निगम बिना किसी शका के अपनी विभिन्न योजनाओ के द्वारा निर्यातको और वाणिज्यिक बैंको को फलदायक सेवाये प्रदान करती है। भारत के निर्यात मे उपरोक्त सस्था की भूमिका वास्तव मे महत्वपूर्ण हैं।

## 16 निर्यात सदन योजना –

निर्यात के क्षेत्र मे विशेष योग्यता प्राप्त करने के फलस्वरुप सरकार ने मुख्य व्यवसायिक फर्मों को निर्यात सदनो के रुप मे मान्यता देने की योजना लागू की। इसके अन्तर्गत इन सदनो को निर्यात क्षेत्र मे विशेष सुविधाएँ एव रियायते दी जाती है। 1985–88 की नयी आयात – निर्यात नीति मे निर्यात मे भारी वृद्धि करने के उद्देश्य से उन निर्यात सदनो को व्यापारिक प्रतिष्ठान का दर्जा देने की बात कही गयी है। जिन्होने निर्यात बढाने की क्षमता दिखायी थी तथा जिसके पास गुणात्मक नियन्त्रण के लिए आवश्यक तकनीकी साधन है। 1988–91 की आयात निर्यात नीति मे निर्यात सदन एव व्यापारिक प्रतिष्ठान की पात्रता के नियमो मे सशोधन कर दिया गया है तथा इन्हे अधिक प्रोत्साहन एव सुविधाएँ प्रदान की गयी है। अब इनकी पात्रता हेतु वास्तविक विदेशी मुद्रा की प्राप्ति को आधारभूत शर्त माना गया है। जिसके अनुसार 2 करोड एव 10 करोड रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्ति करने वाली सस्थाओ को क्रमश निर्यात सदन एव व्यापारिक प्रतिष्ठान की पात्रता होगी तथा केवल कुछ वस्तुओ को छोडकर शेष सभी वस्तुओ के निर्यात को इनकी पात्रता मे शामिल किया जाएगा।

## 17. विपणन विकास कोष :–

निर्यात प्रयासो मे सहायता के लिए जुलाई 1963 मे भारत सरकार द्वारा एक विपणन विकास कोष की स्थापना की गई। यह कोष निर्यात प्रोत्साहन परिषदो और अन्य निर्यात सगठनो को अनुदान देता है ताकि वे निर्यातो का विकास कर सके। निर्यात प्रोत्साहन योजनाओ का खर्च उठा सके और विदेशी मण्डियो मे भारतीय वस्तुओ के लिए परियोजनाएँ चला सके।

## 18. व्यापार विकास संस्था :–

भारत सरकार ने निर्यात व्यापार मे वृद्धि के लिए सन 1971 मे व्यापार विकास सस्था की स्थापना की। जिसका मुख्य कार्य निर्यात सम्बर्द्धन के क्षेत्र मे कार्यरत विभिन्न सस्थाओ मे समन्वय स्थापित करना है तथा उन्हे आवश्यक सेवाए उपलब्ध करना है। सस्था ने भारत तथा अन्य देशो मे व्यापार मेलो का आयोजन कर भारत के व्यापार मे सहयोग दिया है।

## 19. मुक्त व्यापार क्षेत्र :–

भारत सरकार द्वारा काण्डला, शाताकुज तथा दमदम मे मुक्त बाजार क्षेत्र बनाये गये है, जिनमे केवल निर्यात के लिए माल बनाने वाली औद्योगिक इकाईयो को अनेक प्रकार की

रियायते दी जाती है, और उन्हे निर्यातो से सम्बन्धित माल के आयात पर कोई कर नही पडता। ऐसे चार और क्षेत्र उत्तर प्रदेश, पश्चिम बगाल, केरल तथा तमिलनाडु मे स्थापित किये गये है।

## 20 प्रचार अभियान तथा अन्तर्राष्ट्रीय मेला :-

विदेशो मे भारतीय वस्तुओ का प्रचार करने तथा निर्यात बढाने के लिए प्रदर्शन सचालनाशय की स्थापना की गयी। समय-समय पर आयोजित मेलो ने भी निर्यात बढाने मे सहायता दी है, क्योकि इनमे भारतीय वस्तुओ का विदेशो मे प्रदर्शन किया जाता है। भारत सरकार ने 1978 मे मास्को मे सबसे बडा भारतीय व्यापार मेला आयोजित किया। इस मेले का उद्देश्य पूर्वी यूरोप के देशो मे निर्यात बढाना था क्योकि इन देशो के साथ सरकारी सगठनो द्वारा व्यापार करने के बावजूद इन देशो मे निर्यात से वृद्धि की काफी सम्भावना थी। भारत सरकार द्वारा निरन्तर इस प्रकार के मेलो का आयोजन किया जा रहा है। जिससे हमारी वस्तुओ को न केवल नये बाजार प्राप्त हुए है वरन् हमारे निर्यात मे उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

## 21 निर्यात साख एव प्रत्याभूति निगम -

भारत सरकार ने 1964 मे निर्यात साख और प्रत्याभूति निगम की स्थापना की जिसका उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहन की दृष्टि से निर्यातको को वित्तीय सहायता देना तथा निर्यात व्यापार के जोखिमो के प्रति सुरक्षा प्रदान करना है।

## 22. राज्य सरकार की भूमिका -

निर्यात की पूर्ति प्रदान करने की दृष्टिकोण से देश के निर्यात सम्बर्द्धन मे राज्य सरकार की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार अपने औद्योगिक निदेशालयो द्वारा निर्यात सम्वर्द्धन का निर्माण करती है। उनके विभिन्न राज्यो से उत्पादित वस्तुओ के निर्यात को सक्रिय करने के लिए कुछ सरकारो ने निर्यात सम्वर्द्धन परिषद और निर्यात समिति का निर्माण किया है। राज्य द्वारा लघु और मध्य स्तर के उद्योगो के निर्यात के सचालन के विकास और बढावे के कार्यक्रम के अलावा, अलग राज्य निर्यात समिति का निर्माण राज्य क्षेत्रीय अभिकर्ता कार्यालय की तरह किया गया है। यह अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे वाणिज्यिक क्रिया कलाप करती है। मुख्य मन्त्री या सम्बन्धित राज्यो के उद्योग मन्त्री के सभापतित्व के अन्तर्गत कुछ राज्यो मे निर्यात सम्वर्द्धन सलाहकारी समिति की स्थापना की गयी है।

## 23 विदेश मे भारत का वाणिज्यिक प्रतिनिधि –

सस्थागत व्यवस्था जो देश के अन्तर्गत विकास और मजबूती मे लगा हुआ है, वह विदेश मे भारतीय व्यापार प्रतिनिधि के द्वारा चलाया जाता है। वर्तमान मे सस्थागत ढॉचे का यह भाग 65 व्यापार दूतकर्म और वाणिज्यिक विभाग समुद्र पार बाजार मे चला रहा है। प्रतिनिधि विदेशी देशो के साथ आर्थिक और व्यापारिक नीति के सूत्रीकरण से सरकार को सहायता प्रदान करती है। वे सरकार के ऑख और कान की तरह काम करते है। सम्बन्धित मन्त्रालय के साथ आर्थिक और वाणिज्यिक शर्ते और देश के विकास मे इनका अधिकार पत्र महत्पूर्ण है। वे भारतीय व्यापार प्रतिनिधि को सुविधाऍ प्रदान करती है, और निर्यातको को विदेशी देशो मे जाने मे सहायता करती है और अन्य देशो से आयतित माल के नमूने प्राप्त करने मे सहायता करती है। जो भारत से निर्यात और निर्मित किया जाता है। वे व्यापारिक मेले और प्रदर्शनियो के सगठन मे भी सहायता करती है।

## 24. विश्व व्यापार सगठन .–

व्यापार और तटकर की विश्वस्तर पर एक स्पष्ट नीति निर्धारित करने के लिए सन् 1947 मे गैर व्यापार, तटकर और मुक्त व्यापार की सधि पर स्वीकृति हुई थी। गैट की परिधि बढती अर्थव्यवस्था के साथ विस्तृत होती गई। सन् 1995 मे गैट के स्थान पर विश्व व्यापार सगठन (W T O) की स्थापना हुई। दुनिया के स्तर पर विभिन्न देशो के बीच व्यापार मे अप्रत्याशित वृद्धि, उत्पादित वस्तुओ की बहुलता और जटिलता, अत्यन्त विकसित और जटील प्रविधि, सचार क्राति के कारण सिमटते समय और दूरी के सन्दर्भ मे व्यापार तटकर, करो मे छूट और मुक्त तथा नियन्त्रित व्यापार के लिए दुनिया के स्तर पर सर्वमान्य नियमो का होना एक सभ्य ससार के लिए अनिर्वाय है। इस कारण विश्व व्यापार जैसे सगठनो की उपादेयता से इन्कार नही किया जा सकता।

गैट (GATT) अब (W T O) के दिनो से ही अमेरिका, कनाडा तथा यूरोपीय सघ के देश मुख्य रुप से पॉच बातो, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम मानक को विकासशील देशो मे भी लागू करने, विदेशी पूजी निवेश और व्यापार की शर्तो के पारस्परिक रिश्तो, विश्व स्तर पर खुली प्रतिस्पर्धा, विकासशील देशो मे अपनी उत्पादित वस्तुओ और बाजार के सरक्षण के लिए उठाये गये कदमो की समाप्ति, बीमा के क्षेत्र मे विकासशील देशो मे विकसित देशो की बीमा, कम्पनियो के बिना

रोक–टोक प्रवेश तथा सरकारी नीतियो की पारदर्शिता पर जोर देते रहे है। सिगापुर के विश्व व्यापार सगठन सम्मेलन मे भी विकसित देश इनको स्वीकृत कराना चाहते थे।[1]

विकासोन्मुख देशो के पास कच्चा माल और सस्ता श्रम है। इसी कारण पहले कोरिया, ताइबान, मैक्सिको, ब्राजील, हागकाग और सिगापुर मे विदेशी पूजीनिवेश विशाल पैमाने पर हुआ। इसके बाद इसकी शुरुआत चीन, फिलीपीन्स, थाइलैण्ड, मलेशिया और इण्डोनेशिया मे हुई। अब इसकी शुरुआत भारत, पाकिस्तान, बग्लादेश और अफ्रीका के कुछ देशो मे हुई है। इन देशो को आधुनिकीकरण और औद्योगिक विकास के लिए विदेशी पूजी और टेक्नालॉजी की आवश्यकता है।

भारतीय विदेशी व्यापार सस्थान, नई दिल्ली के अध्यक्ष प्रो0 वी0 रामचन्द्रैया के अनुसार नये बाजार ढूढने मे यह सगठन ही हमारी मदद करेगा। 1995–96 मे 4,475 अरब डालर के कुल विश्व व्यापार मे भारत की भागीदारी केवल 0 65 प्रतिशत है। पहले हमारी भागीदारी एक प्रतिशत तक हुआ करती थी। लेकिन अब यह काफी घट गयी है।[2]

## 25 आर्थिक उदारीकरण के पश्चात निर्यातोन्मुख इकाईयां तथा निर्यात प्रसस्कारण क्षेत्र योजनाएँ .–

आर्थिक उदारीकरण की नीति सरकार ने जब से अपनायी है, तब से निर्यातोन्मुख इकाईयो तथा निर्यात प्रसस्करण क्षेत्र योजनाओ को और अधिक उदार बना दिया है। इन इकाईयो मे कृषि, बागवानी, मछली पालन, कुक्कुट पालन तथा पशुपालन को भी सम्मिलित कर दिया गया है। निर्यात प्रसस्करण क्षेत्रो की इकाइयॉ निर्यात व्यापार और स्टार ट्रेडिग गृहो के माध्यम से भी निर्यात कर सकती है, इन इकाइयो मे शतप्रतिशत विदेशी इक्विटी भागीदारिता की अनुमति भी प्रदान कर दी गई है।

**(i)** <u>निर्यात प्रोसेसिग क्षेत्र (Export Processing Zones EPZs)</u> – जिसका नाम अब Special Economics Zones हो गया है, विनिर्मित वस्तुओ के निर्यातो के प्रोत्साहन के लिए निर्यात प्रोसेसिग क्षेत्रो को एक प्रभावशाली यन्त्र के रुप मे प्रयोग किया जा रहा है। इन क्षेत्रो की स्थापना का उद्देश्य देश से निर्यातित वस्तुओ के लिए उपयुक्त वातावरण उत्पन्न करना है। ताकि वे अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता मे अपना स्थान बना सके । भारत मे ऐसे 8 निर्यात प्रोसेसिग क्षेत्र है जिनमे हाल ही मे निजी क्षेत्र मे सूरत मे सचिन औद्योगिक क्षेत्र मे स्थापित

---

[1] राष्ट्रीय सहारा (हस्तक्षेप) लखनऊ 28 दिसम्बर 1996 पृष्ठ 3।
[2] राष्ट्रीय सहारा (हस्तक्षेप) लखनऊ 28 दिसम्बर 1996 पृष्ठ 2।

निर्यात प्रोसेसिग क्षेत्र शामिल है। सार्वजनिक क्षेत्र मे ऐसे 7 क्षेत्र काण्डला (गुजरात), साताक्रुज (मुम्बई) फाहटा (पश्चिम बगाल) नोएडा (उत्तर प्रदेश) कोचीन (केरल) चेन्नई (तमिलनाडू) तथा विशाखापट्टनम (आन्ध्र प्रदेश) मे स्थित है। साताक्रुज इलेक्ट्रानिकी निर्यात ससाधन क्षेत्र विशिष्ट रुप से इलेक्ट्रानिक सामान तथा रत्न और आभूषणो के लिए है। जबकि अन्य क्षेत्र सभी प्रकार के उत्पादो के लिए है।

निर्यात सम्वर्द्धन हेतु आधारित सरचना सुदृढ करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पहली बार निजी क्षेत्र मे दो एक्सपोर्ट प्रोसेसिग जोन्स स्थापित करने की अनुमति दिसम्बर 1994 मे प्रदान की। इनमे से एक मुम्बई (महाराष्ट्र) तथा दूसरा सूरत (गुजरात) मे स्थापित किया जाना था, सूरत के निर्यात प्रोसेसिग केन्द्र ने 1995 से कार्य आरम्भ कर दिया है। दोनो ही निर्यात प्रोसेसिग केन्द्र मे मुख्यत रत्नो एव आभूषणो से सम्बधित इकाईयॉ स्थापित होगी।

देश मे स्थापित सार्वजनिक क्षेत्र के 7 निर्यात प्रसस्करण क्षेत्रो के निष्पादान मे विगत वर्षो मे निरन्तर सुधार हुआ है, तथा इन क्षेत्रो से किया गया निर्यात 1997–98 मे 4810 करोड रुपये था। निर्यात निष्पादन मे 1997–98 के दौरान साताक्रुज निर्यात प्रसस्करण क्षेत्र अग्रणी रहा है। दूसरा स्थान चेन्नई स्थित EPZ का है। वर्ष 1999–2000 के लिए इन 7 निर्यात प्रसस्करण क्षेत्रो से निर्यात–लक्ष्य 6500 करोड रुपये निर्धारित किया गया है। जिसमे साताक्रुज का सार्वधिक लक्ष्य 3950 करोड रुपये रहा।

**(ii)** <u>निर्यात विकास केन्द्र</u> – निम्न निर्यात विकास केन्द्रो की भी स्थापना की गयी है–

1 तिरुपुर – हौजरी एव बुनाई उद्योग।

2 मुरादाबाद – ब्रासवेयर हैण्डीक्राफ्ट।

3 लुधियाना – भारी मशीनरी तथा होजरी।

4 सूरत – रत्न और आभूषण।

5 पानीपत – हथकरघा।

6 अलेप्पी – नारियल के रेशे और इसमे निर्मित सामान।

7 जलान्धर – खेल का सामान।

8 भागलपुर – बुनाई।

9 अम्बाला – वैज्ञानिक उपकरण।

10 आगरा – चमडा फुटवियर।

11 राजकोट – इजनपम्प।

12 काचीपुरम – रेशम।

13 रानीपत – चमडा।

14 अलीगढ – पीतल के ताले।

15 वापी (अक्लेश्वर) – रसायन।

16 विशाखापट्ठनम – मछली उत्पाद।

17 शिवाकाशी – माचिस।

18 बटाला – मशीन उपकरण।

19 सेलम – हस्त उपकरण।

20 जामनगर – ब्रासपार्टस।

21 नागपुर – हस्तउपकरण।

22 खुर्जा – मिट्टी के बरतन।

23 मेरठ – खेल के सामान।

**(iii)** निर्यातोन्मुख ईकाईयॉ (ExportOriented Unit EDU) .- सरकार ने निर्यात प्रोसेसिग क्षेत्रो के पूरक के रुप मे 1981 से शत प्रतिशत निर्यात करने वाली इकाईयो की एक योजना प्रारम्भ की हैं । इस योजना के अन्तर्गत आने वाली ईकाईयो द्वारा निर्यातो के लिए उत्पादन क्षमता को बढाने के लिए अनेक प्रकार के प्रोत्साहन दिये जाते है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे प्रतियोगी बनाने हेतु इन इकाईयो को मशीन, कच्चा माल, उपकारण तथा शुल्क मुक्त उपभोग वस्तुओ के आयात की भी स्वीकृति प्रदान की गयी हैं। निर्यात–आयात नीति (1997–2002) के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र को वरीयता देते हुए निर्यात घरानो तथा ट्रेडिग हाऊसो आदि की योग्यता निर्धारित करते समय कृषि निर्यात को दुगुना भार देने का निर्णय लिया गया। यदि फलो, सब्जियो फूलो तथा बागवानी उत्पादो का निर्यात कुल निर्यात के 10 प्रतिशत के बराबर होता है, तो 1 प्रतिशत इसके अतिरिक्त निर्यात के लिए विशेष आयात लाइसेस सुविधा दी जायेगी। कृषि तथा सम्बन्धित वस्तुओ से जुडी निर्यातोन्मुखी इकाईयॉ तथा निर्यात सम्वर्द्धन क्षेत्रो को अपना 50 प्रतिशत उत्पाद घरेलू बाजार (DTA) मे बेचने की अनुमति होगी। EOUs तथा EPZs मे

स्थित इकाईयो के लिये करावकाश की अवधि 5 वर्ष से बढाकर 10 वर्ष कर दी गई है। EOUs को डोमेस्टिक टेरिफ एरिया मे सब कान्ट्रेक्टिग की अनुमति भी दे दी गई।

देश मे दिसम्बर 1997 के अन्त मे ऐसी 1140 निर्यातोन्मुखी इकाईयॉ कार्यरत थी। अन्तिम आकाडो के अनुसार 1997–98 मे इन इकाईयो से 10500 करोड रूपये मूल्य का सामान निर्यात किया गया। इस प्रकार EOU तथा EPZ दोनो को मिलाकर निर्यात 1996–97 मे 13054 करोड रुपये से बढकर 1997–98 मे 15310 करोड हो गया।

**(iv)** <u>**निर्यात सम्वर्धन पार्क**</u> – देश का पहला निर्यात सबर्द्धन औद्योगिक पार्क जो जयपुर के निकट सीतापुर मे स्थित है, का औपचारिक उदघाटन केन्द्रिय वाणिज्य मन्त्री ने 22 मार्च 1997 को किया। 365 एकड मे फैले इस औद्योगिक पार्क का विकास राजस्थान औद्योगिक निवेश निगम (RIICO ) द्वारा केन्द्र सरकार के सहयोग से किया गया है। इसमे सम्पूर्ण व्यय 47 15 करोड रूपये आया है, जिसमे केन्द्रीय सरकार द्वारा 10 करोड रूपये की सहयता दी गयी है। यहा उल्लेखनीय है कि निर्यात सवर्द्धन औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिये भारत सरकार कुल लागत का 75 प्रतिशत या अधिकतम् 10 करोड रूपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं।

राजस्थान मे ही भिवाडी मे एक अन्य निर्यात सवर्द्धन औद्योगिक पार्क को स्थापित करने का राज्य सरकार का प्रस्ताव भारत सरकार के पास विचाराधीन है। अत उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपने राज्य मे पहला निर्यात सवर्द्धन औद्योगिक पार्क ग्रेटर नोयडा के कसाना मे स्थापित करने का निर्णय किया है। इसकी स्थापना का दायित्व राज्य औद्याोगिक विकास निगम (SIDC) को सौपा गया है।

**(v)** <u>**निर्यात गृह, व्यापार गृह तथा स्टार ट्रेडिग गृह**</u> – इन गृहो की स्थापना का उददेश्य पहले से स्थापित निर्यातको तथा बडे निर्यात गृहो की बाजार क्षमता मे वृद्धि करना है, वे पजीकृत निर्यातक जिनका अनेक वर्षो तक निर्यात निष्पादन उच्च बना है, उन्हे निर्यात व्यापार गृह अथवा स्टार ट्रेडिग गृह का स्तर प्रदान किया जाता है इनके लिए प्रतिवर्ष एक निश्चित न्यूनतम् औसत शुद्ध निर्यात आय अर्जन करना आवश्यक होता है। इन इकाइयो को सरकार द्वारा कुछ अतिरिक्त लाभ स्वीकृत किये जाते है।

देश मे 31 दिसम्बर, 1998 तक 6 सुपर स्टार ट्रेडिग गृह तथा 37 स्टार ट्रेडिग गृह 366 मान्य व्यापार गृह तथा 1804 मान्य निर्यात गृह कार्यरत् थे। इन निर्यात गृहो का कुल निर्यात

1996–97 मे 86524 करोड रूपये था जो 1997–98 के दौरान अप्रैल से दिसम्बर 1997 मे 42453 करोड रूपये रहा।

**(vi)** **कृषि के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZs for agriculture)** – हाल के वर्षो मे निर्यात मे कृषि के बढते योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने देश भर मे 50 करोड रूपये की लागत से 20 विशेष आर्थिक क्षेत्र केवल कृषि के लिए स्थापित करने का निर्णय किया है।

*****

# अध्याय पाँच

## "क्षेत्रीय व्यापार सहकारिता एवं विदेशी व्यापार"

## अध्याय – 5

# क्षेत्रीय व्यापार सहकारिता एवं विदेशी व्यापार

व्यापार सहकारिता एक बहुआयामी सकल्पना होती है, जिसके अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के समझौतो और सगठनो को शामिल किया जाता है। यह व्यापारिक और गैर–व्यापारिक दोनो होता है। यह द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दोनो प्रकार का होता है। इसको अत्यन्त महत्वाकाक्षी सहयोग के लिए तथा अत्यन्त महत्वहीन सहयोग के लिए दोनो प्रकार से सहयोग मे लाया जाता है।

सोवियत सघ के विघटन के पश्चात् और समाजवादी बाजार व्यवस्था के अत के बाद विश्व आर्थिक परिदृश्य मे बहुत बडा क्रातिकारी बदलाव आया है। प्रत्येक देश अपनी अर्थव्यवस्था को अपने नये सिरे से परिभाषित करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ वे अपनी अर्थव्यवस्था के साथ जोडने का भी प्रयास कर रहे है। इसी के तहत पिछले कुछ वर्षो मे अनेक साझा बाजार अतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभर कर सामने आए है। आज वर्तमान समय मे पूरे विश्व मे अब सैनिक शक्ति का स्थान आर्थिक सम्पन्नता लेती जा रही है, जिसके फलस्वरूप विश्व की अगुवाई वही देश कर रहा है या भविष्य करेगा, जिसकी आर्थिक सम्पन्न सुदृढ होगी। "वर्तमान परिस्थिति मे किसी भी देश मे आर्थिक मजबूती का विषय काफी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। आज परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक आर्थिक बम हो गया है। इसीलिए आज यदि कोई देश आर्थिक रूप से विपन्न हो गया है तो उसको बरबाद करने के लिए किसी बम या हथियार की जरूरत नही रह गई है, वह तो स्वय अपने से बरबाद है।[1]

आज वर्तमान माहौल मे हमे इन चुनौतियो का सामना करना ही पडेगा तथा भारत को निर्यात लक्ष्य हासिल करने के उद्देश्य को सामने रखकर ही अपनी व्यापार रणनीति तैयार करनी चाहिए। विशाल कुशल मानव शक्ति भारत की प्रमुख आर्थिक ताकत है। भारत के कुशल कर्मियो को विकसित देशो मे आने–जाने से प्रतिबधित नही करना चाहिए। अतर्राष्ट्रीय व्यापार

---

[1] क्रॉनिकल, मार्च 1996, क्रॉनिकल बुक्स (208) शिवलोक हाउस–1, कलपुरा कामर्शियल कम्पलेक्स, नयी दिल्ली–15 (पृष्ठ–10)।

गतिविधियो का क्रियान्वयन करते समय हमे इस व्यापार की ओर विशेष ध्यान केन्द्रित करने की जरूरत है।

अतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र मे विकसित देशो मे अपनी पहुॅच बढाने के लिए भारत को अब गभीर समस्याओ का सामना करना पड रहा है। भारतीय उत्पादो को धीरे–धीरे विकसित देशो की ओर से गैर शुल्क व्यापार अवरोधो का सामना करना पड रहा है, जिसकी वजह से सामाजिक कारण, सुरक्षा मानक, पर्यावरण मानक और पैकेजिग स्तर जैसे मुद्दे उठाये जा रहे है।

आजकल विश्व मे काफी बैरियर टूटे रहे है और विभिन्न देश अपने पूर्वाग्रह तोडकर आपस मे परस्पर आर्थिक सहयोग बढाने के लिए आगे की ओर बढ रहे है। आर्थिक लाभ की भावना और गरीबी उन्मूलन सहित, लोगो के जीवन स्तर मे सुधार करने के दायित्व ने व्यापारिक गुटो और साझा बाजारो के गठन को मजबूर कर दिया है। इन व्यापारिक गुटो ने कुछ हद तक व्यापारवाद को बढावा दिया है, लेकिन ऐसे गुट और समूह आज वर्तमान समय की जरूरत बन गए है। इस अवधारणा के तहत आयात को विभिन्न बदिशो एव शुल्को से मुक्त रखना तथा निर्यात को बढाने के लिए प्रोत्साहित करना, आर्थिक व्यापार सहयोग का आधार बिन्दु है, जिससे एक देश के सस्ते उत्पाद का लाभ दूसरे देश को मिलता है।

"विश्व व्यापार मे अधिकतम हिस्सा समेटने तथा एशिया पेसिफिक कोऑपरेशन (एपेक) तथा उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार क्षेत्र (नाफ्टा) जैसे अति शक्तिशाली व्यापार सगठनो के उभरने के साथ ही साथ यूरोपियन कम्युनिटी (ई० सी०) तथा एशियाई गतिविधियो को ध्यान मे रखते हुए भारत को विश्व बजारो मे अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए अपनी व्यापार रणनीतीयो का गभीरता के साथ पुनरावलोकन करना चाहिए।[1]

सार्क व्यापार के देशो ने सार्क प्रिफरेन्शियल ट्रेडिग अरेजमेट (सप्ता) की स्थापना करके सदस्य देशो के मध्य ही निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए गए है। अन्य व्यापार सहकारिता प्रकोष्ठ भी तेजी से उभर रहे है। सार्क देशो को आपसी देशो के बीच आर्थिक सहयोग बढाकर अपनी जरूरते पूरी करनी चाहिए। भारत ने एशियन से बातचीत के द्वारा साझेदार का स्तर पहले ही प्राप्त कर लिया है। गरीबी उन्मूलन, रोजगार के अवसर बढाने तथा जीवन स्तर ऊॅचा उठाने के लिए भारत को अगले दो दशको तक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि 7

---

[1] **दैनिक जागरण, वाराणसी – 30 अप्रैल, 1996, पृष्ठ 8**

से 8 प्रतिशत बनाए रखना होगा। निम्न प्रकार के आर्थिक सहयोग क्षेत्रीय व्यपार सहकारिता के अतर्गत आते है –

(i) मुक्त व्यापार क्षेत्र उदाहरणार्थ लैटिन अमेरिकी एकता सगठन।

(ii) आर्थिक सध जैसे भविष्य का यूरोप आर्थिक समुदाय।

(iii) द्विपक्षीय व्यापार समझौता उदाहरणार्थ अमेरिका कनाडा का स्वैप समझौता।

(iv) तकनीक एव अन्य गैर व्यापारिक सहकारिता सहयोग उदाहरणार्थ – सार्क, ओ0ई0सी0डी0।

(v) बहुपक्षीय व्यपार समझौते उदाहरणस्वरूप गैट अब डब्लू0टी0ओ0।

(vi) सीमा सघ उदाहरणस्वरूप यूरोपीय आर्थिक समुदाय।

(vii) मौद्रिक समझौते जैसे – यूरोपीय भुगतान सध।

अन्य प्रकार के कई सहयोग, जो दो राष्ट्रो के बीच आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण से उसे व्यापारिक सहयोग के अतर्गत शामिल किया जाता है, जैसे सयुक्त निवेश कार्यक्रम इत्यादि।

इस सहयोग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप व्यापारिक समझौता होता है। इसका मुख्य कार्य व्यापार की मात्रा मे वृद्धि करना तथा मुक्त व्यापार मे विश्व आर्थिक व्यवस्था के लिए सर्वश्रेष्ठ सहयोग प्रदान करना होता है। प्रत्येक वस्तु का उत्पादन लागतो के आधार पर होना चाहिए राजनीति के आधार पर नही।

कुछ वस्तुएँ प्राकृतिक देन होती है, जिनका उत्पादन दूसरे जगह सभव नही होता। पेट्रोल जो तथा अन्य पदार्थ कि पेट्रोल से सबधित कुछ देशो मे मिलती है जबकि कुछ देशो मे नही मिलती। कृषि योग्य भूमि प्रत्येक देश मे हर जगह उपलब्ध होती है। विभिन्न प्रकार की बहुत सारी कृषि वस्तुएँ किसी खास स्थान पर ही उत्पादित हो सकती है जैसे– चाय, काफी, काजू, एव गर्म मसाला इत्यादि। इसके अतिरिक्त भी प्रकृति ने कुछ खास स्थानो को अधिकतम भडारो से पूरित किया है। अगर उस वस्तु का उत्पादन उसी स्थान पर होता है तो निश्चित रूप से उत्पादन लागत कम होती है तथा उत्पादन अधिक होता है। जिसके परिणामस्वरूप उपयोग एव समाजिक कल्याण मे वृद्धि होती है। जैसे लोहे और स्टील के उत्पादन के दो प्रमुख अवयव होते है – लौह खनिज और कोयला।

दोनो काफी भारी होते हैं तथा इनकी परिवहन लागत बहुत अधिक होती है। इस लिए स्टील के कारखाने को उसी स्थान लगाना चाहिए, जहॉ इनमे से कम से कम एक साधन नजदीक ही उपब्लध होता हो।

प्रत्येक राज्यो के बीच सौहार्द एव आपसी भाईचारा तथा विश्वास का अत्यत अभाव है। प्रत्येक राज्य अधिक से अधिक व्यापार मे आत्मनिर्भर होना चाहता है। कुछ व्यापार मे तो वह आत्मनिर्भर नही हो सकता क्योकि प्रकृति ने उसे वह वस्तु प्रदान किया ही नही है, जैसे बहुत से देशो मे कोयला, पेट्रोल आदि वस्तुएँ उपलबध नही है। इसलिए उस देश को विवश होकर इनका आयात करना पडता है। अन्य दूसरे व्यापार मे आत्मनिर्भर होने के लिए कितने सारे उपाय करने पडते है। इनकी लागत अधिक होती है, विदेशी निर्भरता बढती है, जबकि इसी लागत को घटाने के लिए इन कारखानो को लगाया जाता है। आत्मनिर्भरता की यह कोशिश विदेशी व्यापार को बढाने से रोकते है। कई बार कोई देश किसी अन्य देश से दुश्मनी के कारण आयात नही करना चाहता, जिससे स्वतत्र व्यापार नही हो पाता है – परिणामस्वरूप साधनो का उचित बॅटवारा विश्वस्तर पर नही हो पाता है।

भारत मे लौह खनिज झारखण्ड राज्य के सिहभूमि जिले मे बहुत अधिक मात्रा मे प्राप्त होता है – कोयला बगाल तथा उडीसा के सीमावर्ती क्षेत्रो पर अधिक मात्र मे पाया जाता है जैसे – रानीगज, झरिया, इत्यादि।

अगर स्टील मिले इनके बीच मे लगाई जाती है और अन्य बाते समान रहती है, जैसे–मशीन की गुणवत्ता, कारीगरो की कुशलता, कार्य स्थल की विशेषता इत्यादि तो निश्चित रूप से इनकी उत्पादन लागत काफी कम आती है। इसी प्रकार किसी वस्तु के उत्पादन का आधार उसकी उत्पादन लागत होनी चाहिए।

पूरे विश्व स्तर पर साधनो के उचित आवटन का आधार स्वतत्र व्यपार ही हो सकता है क्योकि प्रत्येक वस्तु यदि स्वतत्र रूप से देशो के बीच खरीदी व बेची जाएगी तो उस वस्तु का उत्पादन उसी स्थान पर होना चाहिए जहॉ पर वह न्यूनतम लागतो पर उत्पादित हो। इस प्रकार विश्व मे उत्पादन मे वृद्धि होती है। उपभोग एव समाजिक कल्याण मे भी वृद्धि होती है। सम्पूर्ण विश्व छोटी भौगोलिक, राजनीतिक सीमाओ मे बॅटा हुआ है जिन्हे हम राज्य कहते है। प्रत्येक राज्य एक सप्रभु सस्था है जो विशिष्ट भौगोलिक व्यापार का स्वामी होता है।

**क्षेत्रीय आर्थिक सगठन के दो प्रमुख रूप होते है :–** मुक्त व्यापार क्षेत्र तथा सीमा सघ देश दोनो मे कुछ देश मिलकर आपस मे मुक्त व्यापार करते है। इस सगठन मे शामिल सदस्य देश तथा अन्य देश गैर सदस्य देश होते है। सदस्य देश आपस मे व्यापार प्रतिबध नही लगते, लेकिन गैर सदस्य देशो पर प्रतिबध (सीमा सघ मे एक सा तथा मुक्त व्यापार क्षेत्र मे अलग) लगाते हैं। जहॉ पर सदस्य देशो के बीच आपस मे व्यापार बढता है वही पर गैर सदस्य देशो से कम होता है। सदस्य देशो से प्राथमिकता के आधार पर व्यापार किया जाता है। व्यापार

सृजन प्रभाव धनात्मक तथा अपवर्जन प्रभाव ऋणात्मक होता है। यदि सृजन प्रभाव अपर्वजन प्रभाव से ज्यादा होता है, तो उक्त सगठन लाभदायक होता है, अन्यथा ये सगठन हानिकारक भी हो सकता है।

मुक्त व्यापार क्षेत्र ऐसे देशो मे लाभदायक होते है जो एक दूसरे के पूरक होते है अथवा विकास के असमान स्तर पर होता है या औद्योगिक रूप मे विकसित हो, ताकि प्रतियोगिता के कारण औद्योगिक और तकनीकी विकास बढ सके। आर्थिक शक्ति समान होने पर लाभो का उचित वितरण होता है। इसलिए यूरोपीय समुदाय सफल है लेकिन अफ्रीकी, लातिन अमेरिकी और भारतीय उपमहाद्वीपीय सगठन सफल नही हो पा रहे है।

**व्यापार का एक महत्वपूर्ण लाभ है** – बाजार का विस्तार इस समय पूरा विश्व लगभग 200 छोटे–बडे देशो मे बॅटा हुआ है। कुछ देश अत्यन्त ही छोटे है जहॉ पर आत्मनिर्भरता का प्रश्न ही नही है। माग की कमी के कारण उस देश मे बडे प्रकार के उद्योग पनप ही नही पा रहे है। जापान जैसा विकसित राष्ट्र व्यापार के न होने पर आज विकसित नही हो पाता है जापान मे जितने बडे उद्योग लगे है ऑटोमोबाइल या इलेक्ट्रानिक्स के क्षेत्र मे वे वहॉ पर पनप ही नही सकते थे, अगर जापान उन वस्तुओ का निर्यात न कर रहा होता, क्योकि वहॉ पर मूल निवासियो की सख्या अत्यन्त कम है जिसके कारण बाजार सकुचित है और बजार के अभाव मे किसी वस्तु के बनाए जाने का प्रश्न ही नही उठता है। जापान ने लोहे और स्टील के उद्योगो को विकसित किया है जबकि उसके वहॉ न तो लौह खनिज है न ही कोयला। वह दोनो का ही भारत और इग्लेड से आयात करता है। इसी प्रकार भारत मे पर्याप्त मात्रा मे तेल भडार न होने पर भी तेल शोधक कारखाने स्थापित है।

आसियान के गैर विकसित राष्ट्रो के सगठन की सफलता और जापान आदि जैसे देशो की इसमे शामिल होने की इच्छा और हाल ही मे गठित किया गया उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार, सहकारिता इस बात का प्रतीक है कि भविष्य मे किसी देश को बिना किसी व्यापार गुट मे शामिल हुए व्यापार करना निश्चित रूप से अलाभकारी हो सकता है। सगठन की शक्ति, सौदेबाजी की क्षमता तथा व्यापार प्रसार शक्ति के कारण भविष्य मे व्यापार सगठन ही विश्व व्यापार मे अपनी भागीदारी कायम रख सकते हैं। अन्य देश इनमे शामिल हो सकते है या विश्व व्यापार मे अपनी भागीदारी मे काफी कमी के शिकार हो सकते हैं। विश्व व्यापार मे भारत का गिरता हिस्सा इसी का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

व्यापार के माध्यम से बाजार का विस्तार होता है। बडे पैमाने के उद्योग लगाये जाते हैं। श्रम विभाजन की सभावना बढती है। जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन लागतो मे और कमी

आती है। व्यापार कम लागतो का परिणाम ही नही कारण भी है। इसके माध्यम से खोजे बढती है, नई–नई खोजो का प्रसार होता है। अतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन उपभोग और सामाजिक कल्याण बढाने का सबसे अच्छा साधन होता है। इसके अभाव मे जीवन स्तर मे तथा उपभोग स्तर मे गिरावट आती है। व्यापार के विकास के लिए यह आवश्यक होता है कि इसको प्रतिबधरहित होना चाहिए। जितना व्यापार प्रतिबधित होता हे, उतनी ही व्यापार मे कमी आती है और मानव समुदाय के लिए उतना ही जीवन अधिक कठिन हो जाता है।

मुक्त व्यापार विश्व स्तर पर कल्पनातीत है। मुक्त व्यापार के अभाव मे सपूर्ण मानव समुदाय को भारी लागत चुकानी पडती है। विश्व इतने धडो, प्रजातियो, राजनैतिक व्यवस्थाओ मे बट चुका है कि मुक्त व्यापार की सभावना नही के बराबर है। इसलिए क्षेत्रीय स्तर पर अगर मुक्त व्यापार दो देशो के बीच (द्विपक्षीय) अथवा कुछ देशो के बीच (क्षेत्रीय व्यापार सगठन) होता है तो व्यापार जनित लाभो का कुछ सीमा तक फायदा उठाया जा सकता है। विश्व स्तर पर व्यापार को मुक्त नही किया जा सकता तो एक सीमित क्षेत्र मे मुक्त व्यापार के लाभो को प्राप्त किया जा सकता है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय मे शामिल देशो (छोटे–बडे) की सफलता निश्चित रूप से इस बात का द्योतक है। विश्व व्यापार मे इनकी बढती साझेदारी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इन दोनो का आपसी व्यापार बढा है।

''एशिया'' प्रशात व्यापार के विभिन्न देशो की अर्थ व्यवस्थाओ मे समानता नही है। सफल देशो ने बृहत आर्थिक नितियो तथा कार्यक्षमता और उत्पादकता मे वृद्धि करके निर्यात मे वृद्धि की है। इससे बचत और निवेश की दरो मे बढोतरी हुई, सरकार एव व्यापार मे भागीदारी बढी तथा विकास प्रक्रिया तेज हुई है। भारत कई स्तरो पर व्यापार एव निवेश के प्रवाह को बढाने की कोशिश कर रहा है। व्यापार ही अपने आप मे इस प्रक्रिया का उद्देश्य नही है, बल्कि विकास, गरीबी उन्मूलन, रोजगार तथा मानव सशोधन विकास इसका उद्देश्य है, और इनकी अपेक्षा नही की जानी चाहिए। व्यापार बढने से गरीबी और रोजगार तथा विकास के सामाजिक पक्षो से निटने के लिए विशेष कदम उठाये गये है।[1]

व्यापारिक गुट तेजी से उभर कर अस्तित्व मे आए है और अन्य गुटो के गठन की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। व्यापारिक गुटो मे भी प्रतिर्स्पद्धा की भावना तेजी से बढ रही है।

---

1 राष्ट्रीय सहारा, दैनिक समाचार पत्र, लखनऊ, 31 मई, 1996, पृष्ठ–7

इसी आर्थिक प्रतिस्पर्द्धा की कोख से यूरोपीय सघ, नाफ्टा, कोमेसा, ओपेक, आसियान, सार्क, सफ्टा इत्यादि व्यारिक एव आर्थिक गुट उभर कर सामने आये है।

## 1 यूरोपीय आर्थिक समुदाय अथवा यूरोपीय साझा बाजार (EEC or ECM)

सम्पूर्ण विश्व मे यूरोप का महत्वपूर्ण स्थान है। दोनो विश्व युद्ध यूरोप की धरती पर लडे गए। दोनो विश्व युद्धो मे अधिकतम क्षति यूरोप को उठानी पडी। फिर भी आज यूरोप, आर्थिक राजनीतिक शक्ति के शिखर पर विद्यमान है। यूरोप मे राजनितिक और आर्थिक एकता के अनेक महत्वपूर्ण प्रयास हुए है। यूरोप का इतिहास भारी उथल–पुथल का इतिहास रहा है। फिर भी यूरोप का इतिहास जहॉ एक तरफ एकीकरण और शक्ति के प्रयासो से भरपूर है वही पर दूसरी तरफ विघटन और शीत युद्ध भी यूरोपीय समुदाय के इतिहास का मुख्य आधार रहा है। 1928 मे ब्रा और फ्रासीसी राजनीतिक, अर्थशास्त्री ज्या मोने ने सबसे पहले एकीकृत यूरोप का विचार सबके समक्ष रखा। द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त होने के बाद 1946 मे विन्सटन चर्चिल ने यूरोपीय एकता का आदोलन शुरू किया। 1947 मे पूर्वी यूरोप के एकीकरण की शुरूआत तब हुई जब सोवियत सघ, हगरी, वल्गारिया, रूमानिया, पोलैड, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया, फ्रास और इटली के साम्यवादी प्रतिनिधि वरसा मे इकट्ठे हुए और एक कामिन्फार्म खोलने का निश्चय किया गया। 1958 मे क्षेत्रीय सहयोग के कई छोटे–मोटे प्रयास करने के बाद यूरोपीय आर्थिक समुदाय का जन्म हुआ। स्थापना के समय इसमे छ सदस्य थे – नीदरलैण्ड, वेल्जियम, लक्समवर्ग, फ्रास, पश्चिमी जर्मनी तथा इटली। आर्थिक एव राजनीतिक कूटनीतिक के लिए इस सगठन का निर्माण किया गया। इस सस्था के माध्यम से 1962 मे एक साझा बाजार की स्थापना हुई। 1968 मे मुक्त व्यापार तथा समान व्यापारिक नीति को अपनाया गया। इस समय एक समान कृषि नीति की भी घोषणा की गई। यूरोपीय आर्थिक समुदाय सगठन के चार प्रमुख घटक होते है –

(क) न्याय सभा
(ख) विकास परिषद
(ग) महा सभा
(घ) विकास आयोग

आधुनिक युग मे यूरोप आर्थिक समुदाय की विश्व व्यापार मे 21 8 प्रतिशत भागीदारी है जबकि सयुक्त राज्य अमेरिका 12 9 प्रतिशत तथा जापान 7.2 प्रतिशत के मुकाबले मे ज्यादा है। यूरोपीय समुदाय देशो की प्रति व्यक्ति आय तथा उपयोग का स्तर काफी ऊॅचा रहा है। इस समय सबसे अधिक स्वर्ण भंडार 24 प्रतिशत यूरोपीय सुदाय के पास है। इन सभी देशो का

सपूर्ण घरेलू उत्पादन 5,110 मिलियन डालर है जो कि अमेरिका के सपूर्ण घरेलू उत्पाद से नही के बराबर कम है तथा शीघ्र ही इसकी अमेरिका से आगे निकल जाने की सभावना है। ये सब देश पूजी प्रधान देश है तथा उद्योग एव तकनीक दोनो ही व्यापार मे काफी विकसित अवस्था मे है। खासकर मशीने तथा उपभोग की दर भी यहॉ पर तकनीकी विकास की दुनिया मे बहुत ही आगे है। अर्ध विकसित देशो को खासकर एशियाई और अफ्रीकी देशो के साथ बहुत नजदीकी सबध है, इसलिए आधिकाशत एशियाई और अफ्रीकी देश इनके उपनिवेश के रूप मे रह चुके है। आधुनिक युग मे यह सगठन निश्चित रूप मे सबके सामने बहुत बडी आर्थिक शक्ति के रूप मे सामने आएगी।

वर्तमान युग मे यूरोपीय समुदाय एक सीमा सध है जबकि भविष्य मे इसको आर्थिक सघ बनाने पर जोर दिया गया। मुक्त व्यापार सघ, सीमा सघ तथा आर्थिक सघ मे मुख्यत अतर पाया जाता है।

(क) **मुक्त व्यापार सघ .—** आपस मे सदस्य देश मुक्त व्यापार अन्य देशो से अपनी– अपनी अलग व्यापार नीति के आधार पर व्यापार करते है।

(ख) **सीमा सघ –** सदस्य देशो के मुक्त व्यापार, गैर सदस्यो से समान व्यापारिक नीति पर सभी देश बराबर प्रशुल्क दरो अथवा छूटो का इस्तेमाल अन्य सभी देशो के लिए किया जाता है।

(ग) **आर्थिक सघ :—** सदस्य देशो की सभी आर्थिक नीतियॉ (औद्योगिक, मौद्रिक, व्यापारिक तथा राजकोषीय) एक ही प्रकार की होती है और एक साथ बनायी जाती है। राजनीतिक सप्रभुता किसी एक हाथ मे केन्द्रित होता है राजनीतिक व्यवस्था भले ही अलग–अलग इकाईयो पर होती है। उदाहरण स्वरूप रूस का गणराज्य रहा।

आर्थिक सघ की परिकल्पना तभी सफल हो सकती है जब किसी राष्ट्र के राजनयिक अपने नीतिनिर्धारक अधिकारो को किसी अन्य सस्था अथवा राष्ट्र के हाथ मे सौपने को तैयार होते है। प्राय व्यवहार मे ऐसा दुष्कर माना जाता है किन्तु यूरोपीय समुदाय इसे साकार करने के लिए प्रयत्नशील है। 1 जनवरी 1994 को मौद्रिक सस्थान कि स्थापना की गई जो इन देशो की नीतियो मे महत्वपूर्ण परिर्वतन करने के लिए सुझाव देता है। ताकि धीरे–धीरे इन देशो की नीतियॉ एक प्रकार की हो जाए और पूर्ण सघ की सस्थापना करते समय किसी देश को गभीर समस्याओ का सामना न करना पडे। पहले ऐसे सदस्यो को ही आर्थिक सघ का सदस्य बनाना चाहिए जिस देश मे –

(क) बजट तथा व्यापार घाटा दोनो कम हो।

(ख) मुद्रा स्फीति की दर कम हो।

धीरे–धीरे अन्य देशो मे आर्थिक नीतियो मे परिर्वतन कर इस उद्देश्य की पूर्ति की जाती है। 1981 मे भारत और यूरोपीय समुदाय के बीच मे एक नया व्यापार समझौता हुआ, जिसे व्यापारिक एव आर्थिक सहयोग समझौता कहा जाता है। 1982 मे यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने भारत के अदर वाणिज्य कार्यालय खोला। भारत के अत्यधिक अनुरोध करने पर 1987 मे यूरोपीय समुदाय भारत के साथ औद्योगिक सहकारिता के विकास करने के लिए एक प्रतिनिधि मडल भारत भेजा जिसके अतर्गत दोनो विभिन्न औद्योगिक व्यापार मे आपस मे मिल–जुल कर कार्य करने के लिए एक सस्थागत कार्य क्षेत्र का निर्माण किया। निम्नलिखित छ क्षेत्रो मे इस प्रकार का सहयोग व्यापार क्षेत्र स्थापित है–

(1) वाणिज्य सूचना केन्द्र

(11) वाणिज्य प्रबधक शैक्षिक केन्द्र

(111) गुणवत्ता नियमन और नियत्रण केन्द्र

(1V) तकनीकी सूचना केन्द्र

(V) ऊर्जा प्रबधन केन्द्र नागपुर (दिल्ली मे भी एक शाखा है)

(V1) टेलीकम्युनेकेशन तथा इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना केन्द्र

उपर्युक्त सभी सस्थाओ को भारत मे औद्योगिक विकास की गति एव गुणवत्त्ता नियत्रण के विशिष्ट दृष्टिकोण को ध्यान मे रखकर स्थापित किया गया है। तत्पश्चात् भारत से यूरोपीय समुदाय का व्यापार अपेक्षित मात्रा और लक्ष्य तक नही पहुँचा है। 1992–93 मे भारत से यूरोपीय समुदाय को कुल निर्यात 32,351 करोड रूपये का हुआ था जो सपूर्ण निर्यात का 60 3 प्रतिशत है। कुल आयात 35,147 करोड रूपये का हुआ जो सपूर्ण आयात का 55 3 प्रतिशत है। इस व्यापार मे भारत के निर्यात वृद्धि की अनत सभावनाएँ मौजूद है।

आर्थिक नीतियो के अतिरिक्त यह यूरोपीय आर्थिक समुदाय अब अन्य व्यापार मे भी एकीकरण पर जोर दे रहा है। मास्ट्रिश सधि मे जो अन्य एकीकरण के उपाय सुझाए गऐ है, ये निम्नलिखित हैं –

(A) प्रतिरक्षा एवं विदेश नीति

(B) सामाजिक नीतियॉ

(C) यूरोपीय ससद

(D) राजनीतिक सघ

(A) <u>प्रतिरक्षा एव विदेश नीति</u> — इन सभी राष्ट्रो से व्यापारिक ही नही, गैर व्यापारिक (राजनीतिक, सामाजिक सुरक्षा सबधी) सबध भी एक ही तरह से होना चाहिए जिसमे सभी निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हो। (अभी आधे राष्ट्र इस बात से सहमत नही है) तथा इन सभी देशो की सुरक्षा के लिए पश्चिमी यूरोपीय सुरक्षा सघ को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। नाटो सधि पश्चिमी सुरक्षा सघ के साथ–साथ चलनी चाहिए या नाटो को ही पूर्ण सुरक्षा का दायित्व सौप दिया जाय। ब्रिटेन, इटली, हालैड और पुर्तगाल नाटो को चलाने के पक्ष मे है तथा बाकी सभी देश पश्चिमी यूरोपीय सुरक्षा सघ को पुनजीर्वित करना चाहते है। अगर ये सुझाव लागू हो जाती है तो यूरोप मे आतरिक सीमाएँ समाप्त हो जाएगी।

1980 के आरम्भिक काल के दौरान मे भारत ने उदारवादी नीतियो को अपनाया तथा 1980 से 1989 तक भारत सरकार ने काफी मात्रा मे नीतिगत परिवर्तन किये। 1989–90 के दौरान बहुत ज्यादा राजनीतिक उथल–पुथल रही। 1991 मे पुन भारत सरकार ने उन उठाए गए कदमो को ज्यादा मजबूती के साथ प्रारभ किया। इस समय भारत काफी हद तक बाजारी शक्तियो पर आधारित आर्थिक नीतियो मे विश्वास करता है। नकारात्क सूची मृतप्राय अवस्था मे पहुॅच चुका है, और रूपया पूर्ण परिवर्तनीय हो गया है। तटकर की दरो मे गिरावट आई है। विदेशी पूजी निवेश का मार्ग प्रशस्त हुआ है, तथा निर्यात छूटो मे गिरावट आई है, और चैनलबद्ध आयात निर्यात घट गया है। निजीकरण और उदारीकरण की प्रक्रिया अर्थवस्था के प्रत्येक क्षेत्र मे गिरावट स्पष्ट रूप से दिखाई पड रहा हैं। बहुराष्ट्रीय निगमे काफी बडी सख्या मे भारत मे धीरे–धीरे आ रही है। जिसके आने से भारत तथा यूरोपीय समुदाय के सबधो मे कोई अडचन प्रतीत नही होती है।

यूरोपीय समुदाय मे कुछ नीतिगत परिवर्तन किया गया जिसके परिणाम स्वरूप भारत को अधिक सुविधाएँ प्राप्त नही हो पाई। यूरोपीय समुदाय ने 1975 मे अफ्रीकी देशो को सर्वप्रिय राष्ट्र का दर्जा प्रदान किया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत को मिलने वाली प्राथिमकताएँ लगभग समाप्त हो गई हैं। 1975 मे लोम अधिवेशन होने पर इसके अतर्गत जो निर्णय लिए गए थे उन सभी का अर्द्धविकसित देशो पर प्रतिकूल प्रभाव पडा है।

साठ के दशक मे भारत को यूरोपीय समुदाय की शक्ति न पहचान पाने के कारण बहुत नुकसान उठाना पडा, वही पर दूसरी तरफ सत्तर के दशक मे परिस्थितिजन्य कारणो से भारत को अपेक्षित लाभ नही मिल सका। भारत साम्यवादी–समाजवादी घटको के ज्यादा करीब रहा है और भारत की नीतियॉ काफी प्रतिबधित नीतियॉ रही, इसीलिए भारत को यूरोपीय समूदाय से अधिक लाभ की आशा करना व्यर्थ है।

(B) **सामाजिक नीतियॉ** – यूरोपीय सघ हर देश के नागरिको को एक तरह की सुविधाऍ उपलब्ध कराने, अमीर–गरीब की दूरी को कम करने एक प्रकार की यूरोपीय नागरिकता, न्यूनतम आय सबधी कानूनो को बनाने इत्यादि की व्यवस्था करने के लिए एक सघ की स्थापना करना चाहता है। इस व्यवस्था के अतर्गत यूरोप एक देश हो सकता है और सभी राष्ट्र इसके प्रात। यह सघीय ढाचा एक तरह से अमेरिकी सघीय ढाचे के रूप मे हो सकता है।

(C) **यूरोपीय ससद** .– समस्त देशो को मिलाकर 518 सदस्यो वाली एक ससद होनी चाहिए। इस ससद को राष्ट्र के प्रतिनिधियो के सहयोग से यूरोपीय सघ के नीति निर्धारण का कार्य करना चाहिए। अभी तक ब्रिटेन और डेनमार्क इस सूझाव का विरोध कर रहे है।

(D) **राजनीतिक सघ** '– यूरोपीय सघ आर्थिक ही नही राजनीतिक व्यापार मे भी सभी देशो को मिलाकर कार्य करने की ओर अग्रसर करने के लिए एक राजनीतिक सध की स्थापना करना चाहता है जिसके अतर्गत स्वास्थ्य शिक्षा, व्यापार, पर्यावरण, ऊर्जा, पर्यटन, नागरिक सुरक्षा, इत्यादि सभी पर एक ही कानून बनाए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए।

1958–59 मे इस समुदाय के बनने पर भारत ने उसे कोई महत्व नही दिया था। भारत इस समुदाय को नाटो सधि का राजनीतिक और सामाजिक सगठन मानता रहा है। जिस समय 1961 मे ब्रिटेन इस समुदाय की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करने के लिए प्रार्थना किया उस समय भी भारत ने इसको इतना महत्व नही दिया था। भारत अपने पूजीगत आयातो के लिए अन्य बाजार खोजता रहा। सौभाग्य से 1973 मे ब्रिटेन इस समुदाय का सदस्य बन गया, उस समय भारत भी इस समुदाय के निकट आया और भारत तथा यूरोपीय समुदाय मे व्यापार सबधी एक दीर्धकालीन समझौता हुआ, जिसको भारतीय युरोपीय आर्थिक समुदाय का व्यापारिक सहयोग समझौता कहा जाता है। यह समझौता मुख्यत दो उद्देश्यो के लिए किया गया है–

(A) उत्पादन वैविध्यीकरण

(B) व्यापार विस्तार

इस समझौते के अतर्गत भारत से यूरोपीय समुदाय के व्यापार को एक नई दिशा प्रदान करने के लिए सोचा गया। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का दक्षिण पूर्वी एशियाई देशो से किया गया पहला व्यापार समझौता था। 1974 मे भारत सरकार ने आपातकाल की घोषणा कर दिया, जिसमे मानव अधिकार का हनन हुआ और विश्व मे भारत की प्रतिष्ठा गिर गई। पेट्रोल का दाम बढ जाने से भारत के पेट्रोल का आयात बिल बढ गया तथा यूरोपीय समुदाय से पूँजी और उद्योग का आयात न बढ सका। और ऐसे कई कारण थे जिसकी वजह से भारत को तात्कालीक लाभ नही मिल पाया। 1981 मे यूनान ने इसकी सदस्यता ग्रहण किया। 1986 मे स्पेन तथा पुर्तगाल ने यूरोपीय समुदाय की सदस्यता ग्रहण कर लिया। 1990 मे पूर्वी जर्मनी के पश्चिमी जर्मनी मे विलय हो जाने के बाद अपने आप पूर्वी जर्मनी इस समुदाय का सदस्य बन गया। 1 जनवरी, 1995 के पूर्व यूरोपीय समुदाय मे 12 राष्ट्र थे। 1991 मे मास्ट्रिश सम्मेलन मे यूरोपीय आर्थिक समुदाय के भविष्य को लेकर विचार किया गया तथा बारहो देश ने मिलकर मास्ट्रिश सधि पर हस्ताक्षर किए। इसको मास्ट्रिश सधि के नाम से जाना जाता है।

1 जनवरी, 1973 को ब्रिटेन, डेनमार्क व आयरलैण्ड को समुदाय की सदस्यता प्राप्त हो गई बाद मे ग्रीस, स्पेन व पुर्तगाल को मिलाकर इस समुदाय की सदस्य सख्या 12 हो गई। 1 जनवरी, 1995 को आस्ट्रिया, फिनलैण्ड तथा स्वीडन भी इसके सदस्य बन गए, अत इसकी सख्या बढ कर 15 हो गई। आज यह विश्व का सबसे बडा व्यापारिक गुट है। पश्चिमी यूरोप मे मजबूत आर्थिक शक्ति बनने के पश्चात् अब यूरोपीय सघ की पूर्वी यूरोप मे विस्तार करने की योजना है। 12–13 दिसम्बर, 1997 को लक्जेमबर्ग मे सम्पन्न हुए शिखर सम्मेलन मे पूर्वी यूरोप के पॉच राष्ट्रो को यूरोपीय सघ मे सन् 2000 से 2006 तक शामिल करने का प्रस्ताव किया गया, ये राष्ट्र है– चैक गणराज्य, पोलैण्ड, हगरी, एस्टोनिया तथा स्लोवेनिया, इनके अतिरिक्त साइप्रस को भी सघ मे शामिल करने के लिए आमन्त्रित करने को चुना गया है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स (बेल्जियम) मे है। 1 जनवरी, 2001 से 15 सदस्यीय यूरोपीय सघ की अध्यक्षता का दायित्व स्वीडन को 6 माह के लिए फ्रास से प्राप्त हुआ है। 15 देशो का यूरोपीय सघ का शिखर सम्मेलन 7–11 दिसम्बर, 2000 को फ्रास मे नाइस (NICE) मे सम्पन्न हुआ। निकट भविष्य मे यूरोपीय सघ के प्रस्तावित विस्तार के परिप्रेक्ष्य मे महत्वपूर्ण मामलो मे सरचनात्मक सुधार इस शिखर सम्मेलन के प्रमुख विचारणीय मुद्दो मे शामिल थे। इस सन्दर्भ मे उन 14 देशो के प्रतिनिधियो ने भी सम्मेलन मे भाग लिया जो सघ की सदस्यता प्राप्त करने के दावेदार हैं। इनमे टर्की, साइप्रस व माल्टा के अतिरिक्त पूर्वी यूरोपीय राष्ट्र भी शामील है। 7 दिसम्बर, 2000 को शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन, सदस्य राष्ट्रो ने मौलिक अधिकारो के यूरोपीय

चार्टर (European Charter of Fundamental Rights) को स्वीकार किया। सदस्य राष्ट्रो के लिए बाध्यकारी न होने के कारण इसका कोई तात्कालिक प्रभाव होने की सम्भावना नही है। सम्मलेन मे एक यूरोपीयन रैपिड एक्शन फोर्स के गठन का प्रस्ताव भी रखा गया।

उल्लेखनीय है कि मौजूदा व्यवस्था के तहत यूरोपीय सघ मे आयुक्तो (मत्रीयो) की कुल सख्या 20 होती है, तथा छोटे–बडे सभी सदस्य राष्ट्रो द्वारा कम से कम एक आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, जबकि फ्रास, जर्मनी, इटली व ब्रिटेन द्वारा 2–2 आयुक्तो की नियुक्ति की जाती है। जनवरी 2003 से नए सदस्य का प्रवेश आरम्भ होने के पश्चात् सन् 2004 या 2005 तक यूरोपीय सध की सदस्यता सभवत 27 हो जाएगी। उस स्थिति मे सघ के 20 आयुक्तो (मत्री) का मनोनयन व सदस्य राष्ट्रो मे मताधिकार (Voting Right) का वितरण किन फार्मूला से हो तथा भावी यूरोपीय पार्लियामेट का आकार व सरचना क्या हो, आदि मुद्दे इस सम्मेलन मे विचार के प्रमुख मुद्दे थे। इन मामलो मे सघ के मौजूदा सदस्य राष्ट्रो मे से किसी को भी अपना कोटा कम करने हेतु तैयार न होने के कारण परिचर्चा तीन दिन की जगह पॉच दिन तक चली।

मौजूदा व्यवस्था के तहत यूरोपीय सघ के कुल 82 मतो मे से चार बडे राष्ट्रो के पास 10–10 मत है, जबकि लक्जेमबर्ग के पास मतो की सख्या 3 ही है। सघ की क्वालिफाइड मैजोरिटी वोटिग (Qaulified Majority Voting) की व्यवस्था के तहत् कोई भी नया नियम बनाने के लिए कम से कम 67 मतो का समर्थन आवश्यक होता है, किन्तु राष्ट्रीय महत्व के 20 प्रतिशत मुद्दो पर निर्णय सर्वसम्मति से ही लिया जाता है, करारोपण, सुरक्षा, परिवहन, बजटीय परिवर्तन व सन्धि मे सशोधन जैसे राष्ट्रीय महत्व के इन महत्वपूर्ण मुद्दो पर वीटो का अधिकार सभी सदस्य राष्ट्रो को प्राप्त है। मताधिकार के बॅटवारे व यूरोपीय आयुक्तो की नियुक्ति के मामलो पर लम्बी कशमकश के बाद अन्तत 1 दिसम्बर, 2000 को इन मामलो पर सन्धि हो सकी, जबकि पूर्व मे सम्मेलन 9 दिसम्बर, 2000 तक के लिए निर्धारित था। 'नाइस सन्धि' (Nice Treaty) नाम की इस सन्धि के विस्तृत यूरोपीय सघ मे चार बडे राष्ट्रो (जर्मनी, फ्रास, ब्रिटेन व इटली), विशेषत जर्मनी की स्थिति और मजबूत होगी, जबकि बेल्जियम, पुर्तगाल, लक्जेमबर्ग व आस्ट्रिया जैसे छोटे राष्ट्रो की शक्ति सघ मे अपेक्षाकृत कम हो जाएगी।

'नाइस सन्धि' के तहत् यूरोपीय सघ के राष्ट्र इस बात के लिए सहमत हुए हैं कि जनवरी 2003 के बाद नए सदस्यो के शामिल होने के साथ यूरोपीय ससद की सदस्य सख्या 626 के मौजूदा स्तर से क्रमश बढती जाएगी तथा यह अन्तत 728 तक हो सकेगी। विस्तृत यूरोपीय ससद मे जर्मन के यूरो सासदों (Euro MPs) की संख्या पूर्वत् 99 ही बनी रहेगी,

जबकि फ्रास, इटली व ब्रिटेन की सीटो की सख्या 87–87 से घटकर 72–72 ही रह जाएगी। ससद मे स्पेन की सीटे भी 64 से घटकर 50 रह जाएगी, जबकि पोलैण्ड व नीदरलैण्ड्स की सीटे भी 50–50 रह जाएगी।

यूरोपीय सघ मे कुल मतो की सख्या मे वृद्धि के साथ–साथ मत सरचना मे परिवर्तन का निर्णय भी शिखर सम्मेलन मे लिया गया है। नाइस सन्धि के अनुसार विस्तृत यूरोपीय सघ मे चारो बडे राष्ट्रो के मतो की सख्या 10–10 से बढकर 29–29 हो जाएगी, जबकि स्पेन के मतो की सख्या 8 से बढकर 27 होगी। नई मत सरचना मे नीदरलैण्ड्स के मतो की सख्या 13 तथा ग्रीस, हगरी, पुर्तगाल व बेल्जियम के मतो की सख्या 12–12 होगी।

अफगानिस्तान पर अमरीकी हमले से उत्पन्न परिस्थितियो पर विचार के लिए 15 सदस्यीय यूरोपीय सघ (EU) का एक दिवसीय आपात शिखर सम्मेलन 19 अक्टूबर, 2001 को बेल्जियम मे घेट (Ghent) मे सम्पन्न हुआ। अफगानिस्तान मे की जा रही अमरीकी कार्यवाही का पूर्ण समर्थन प्रदान करने का निर्णय सर्वसम्मति से इस सम्मेलन मे लिया गया।

## 2. आसियान :–

द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त हो जाने के बाद पूरे विश्व मे उथल–पुथल मच गई। पूरा विश्व दो दल साम्यवाद तथा पूजीवाद मे बॅट गया। सयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत सघ दोनो ही दक्षिण–पूर्व एशिया के पूरे समुचे व्यापार को अपने प्रभाव मे शामिल कराने के लिए उत्सुक रहे। अतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आखडे मे दक्षिण पूर्व एशिया का समूचा व्यापार दोनो महाशक्तियो का केन्द्र बिन्दु बना रहा। व्यापार जाहॉ एक तरफ प्राकृतिक सपदा से परिपूर्ण था वही पर दूसरी तरफ सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहा। उत्तर तथा दक्षिण दो राज्यो मे वियतनाम का विभाजन होने से लाओस, बर्मा, कबोडिया आदि देशो मे उग्रवादी एव लोकतात्रिक शक्तियो के बीच सघर्ष तथा महाशक्तियो द्वारा अपनी नीतियॉ जबरजस्ती थोपने से व्याकुल होकर दक्षिण–पूर्वी एशिया के नये स्वतत्र राष्ट्रो ने आपस मे सगठित होने का निश्चय किया।

इन सभी देशो के आर्थिक विकास की अदम्य महत्वकाक्षा ने इनके भिन्न–भिन्न व्यवस्थाओ के होने के बावजूद आर्थिक एकीकरण की प्रक्रिया को प्रारभ करने की प्रेरणा प्रदान किया और अत मे 1967 मे इन सभी देशो ने एक अलग गुट बनाने की घोषना करके सपूर्ण विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया। शुरू मे प्रत्येक राष्ट्र इस सगठन की सफलता को सदिग्ध रूप मे देख रहे थे, लेकिन 29 वर्षो के बाद आज यह सगठन पूरी सफलता के साथ आगे की

ओर बढ रहा है। इन सभी राष्ट्रो की अलग–अलग तथा एक साथ दोनो ही तरह से आर्थिक विकास दर अन्य सभी दक्षिण एशिया के देशो से काफी ज्यादा है। इस सगठन की सफलता को देखते हुए आज एशिया का सर्वाधिक विकसित राष्ट्र जापान भी इसके साथ सहयोग कर रहा है, और इसकी सदस्यता प्राप्त करने के लिए भी प्रयत्न कर रहा है।

आसियान एक व्यापार सगठन है, जिसकी स्थापना 8 अगस्त, 1967 मे थाइलैड राष्ट्र के बैकाक शहर मे यह समझौता सपन्न हुआ। इस समझौते पर ब्रूनेई, मलेशिया, सिगापुर, इन्डोनेशिया, फिलीपीन्स और थाईलैड देशो ने हस्ताक्षर किए। भौगोलिक दृष्टिकोण से ये सभी राष्ट्र एक दूसरे के बहुत करीब लेकिन आर्थिक शक्ति, जनसख्या, राजनीतिक व्यवस्था, और औद्योगिक विकास की दृष्टिकोण से काफी अलग है। इन देशो के बीच मे जो आर्थिक समानता रही है, वह अल्प विकास, न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय तथा उपभोग का स्तर के रूप मे रही।

**<u>आयोजन समिति</u>** :— इस बैठक को प्राय दो महीने मे एक बार आयोजित किया जाता है। साधारणतया इसमे आयोजनकर्ता देश का विदेश मत्री तथा अन्य देशो के राजदूत शामिल हो जाते है। कभी–कभी विदेश मत्री के स्थान पर वित्तमत्री शामिल हो जाते है। प्रत्येक देश मे साल मे एक बैठक आयोजित किया जाता है। सचिवालय से कोई मुद्दा उठाए जाने के बाद इस बैठक को उस पर विचार करने के लिए बुलाई जाती है।

**<u>सगठन</u>** — आसियान सगठन का सचालन कई उच्चस्तरीय बैठको, सभाओ और सचिवालयो के माध्यम से किया जाता है।

**<u>मत्रीस्तरीय सम्मेलन</u>** — आसियान के सदस्य देशो के विदेश मत्रीयो की एक बैठक प्रतिवर्ष बुलाई जाती है। प्रत्येक देश इस सभा का आयोजन करता है। विदेश मत्रियो के अलावा वित्त मत्रियो की बैठक भी प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है। विदेश मत्रियो की बैठक नीति से सबधित निर्णय लेने के लिए और सामान्य सद्भाव के कारण बुलाई जाती है। वित्तमत्री आपस मे मिलकर आसियान के दिशा–निर्देश को तय करते है। मत्रीस्तरीय बैठक उन निर्णयो पर विचार करती है, जो अन्य सहायक समितियॉ इनके सामने प्रस्तुत करती हैं। आवश्यकता पडने पर अन्य मत्रियो की बैठक भी आयोजित की जाती है। अगर कोई मुद्दा नहीं है, तो इस बैठक को सद्भाव के लिए ही आयोजित किया जाता है।

**<u>शीर्ष सभा</u>** :— अत्यत महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए इस बैठक को बुलाया जाता है। सभी देशो के सदस्य राष्ट्रध्यक्ष इस बैठक मे भाग लेते हैं। इसकी बैठक समयबद्ध तरीके से नही हो पाती

है। फरवरी 1976 मे इडोनेशिया के बाली शहर मे इसकी प्रथम बैठक सपन्न हुई। उसके तुरत बाद शीघ्र ही अगस्त 1977 मे मलेशिया की राजधानी क्वालामपुर मे दूसरी बैठक सम्पन्न हुई। दस वर्ष के बाद दिसम्बर 1987 मे फिलीपीन्स की राजधानी मनीला मे तीसरी बैठक सम्पन्न हुई। सामान्य तौर पर यह बैठक किसी विशेष अवसर पर ही बुलाई जाती है। सामान्य कामकाज करने के लिए मत्रीस्तरीय बैठक ही शक्ति सपन्न होता है।

**सलाहकार समितियॉ** – आर्थिक सहकारिता की दृष्टिकोण से असियान ने पॉच सलाहकार समितियो का निर्माण किया है–

(1) मुद्रा एव बैकिग समिति।

(2) कृषि, खाद्यान्न एव वन्य सपत्ति समिति।

(3) खनिज, धातु एव ऊर्जा समिति।

(4) परिवहन एव सचार समिति।

(5) व्यापार एव पर्यटन समिति।

**इसके तीन अतिरिक्त उप समितियॉ है–**

(A) सस्कृति एव सूचना समिति।

(B) विज्ञान एव तकनीकी समिति।

(C) सामाजिक विकास समिति।

उपरोक्त सभी समितियॉ अपने व्यापारो मे सहयोग एव सहकारिता के विभिन्न उपायो पर विचार एव शोध कार्य करती है। सहायक सस्थाओ, सगठनो और कार्य समूहो द्वारा इन समितियो की मद्द की जाती है। जब ये समितियॉ किसी निर्णय पर पहुॅच जाती है, उसके बाद सचिवालय मे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। बाद मे उन निर्णयो पर विचार करके आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

आसियान समूह ने विदेशो से अपने सबधो मे सद्भाव एव व्यापार बढाने के लिए 10 विदेशी राजधानियो आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, फ्रास, जर्मनी, न्यूजीलैंड, स्विटरलैंड, ब्रिटेन तथा सयुक्त राज्य अमेरिका मे अपना कार्यालय खोल रखा है। आसियान द्वारा इन कार्यालयो मे राजदूत नियुक्त किए जाते है जो हमेशा इन देशो और सगठनो से सपर्क बनाए रखते है जिसे हम आसियान का प्रवक्ता कहते है।

**सचिवालय** – 1976 मे इडोनेशिया की राजधानी जकार्ता मे आसियान का मुख्य स्थाई सचिवालय स्थापित किया गया। इस सचिवालय का प्रमुख कार्य समन्वय एव सहयोग करना है। प्रत्येक राष्ट्र की राजधानी मे अलग–अलग सचिवालय है, जो समय–समय पर अपनी रिपोर्ट मुख्य सचिवालय को भेजते है। मुख्य सचिवालय सभी रिपोर्टो को क्रमबद्ध करके उचित कार्यवाही करने हेतु आयोजन समिति को भेजती है। इस सचिवालय मे एक महासचिव होता है जिसका कार्यकाल तीन वर्ष के लिए होता है। प्रमुख सचिव के चयन के लिए अग्रेजी वर्णाक्षरो के आधार पर देशो के नामो को रखा जाता है। प्रत्येक देश क्रमश अपने एक व्यक्ति का नाम प्रस्तुत करता है जो तीन वर्ष तक इस सचिवालय को देखता है।

**बैंकाक समझौते के प्रमुख उद्देश्य** –

(A) व्यापारिक शाति, स्थिरता को कायम रखने का हर सभव प्रयत्न करना। इसका आधार कानून का राज्य है। सभी देशो को सयुक्त राष्ट्र सघ के घोषणा पत्र का समुचित आदर करते हुए न्यायपूर्ण सिद्धातो का पालन करना।

(B) आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक व्यापारो मे सक्रिय सहयोग के अतिरिक्त तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रशासनिक क्षेत्रो मे आपसी सहयोग प्रदान करके विकास की ओर अग्रसर होना।

(C) कृषि एव उद्योग के क्षेत्र मे नई तकनीको का आदान–प्रदान करना। व्यापार की मात्रा बढाने के लिए सक्रिय प्रयास किया जाना। परिवहन तथा सचार साधनो के विकास के साथ–साथ अपनी आपसी सबध को बढाना। आर्थिक हस्तान्तरणो तथा सहयोग को बढावा देना जिसके फलस्वरूप लोगो के जीवन स्तर और उपभोग स्तर मे वृद्धि हो सके।

(D) इस व्यापार (दक्षिण पूर्व एशिया) मे आर्थिक विकास की गति को बढाना, सामजिक प्रगति और सास्कृतिक विरासत को कायम रखना। इन सभी के लिए सदस्य राष्ट्रो को मिलजुलकर समानता और संप्रभुता अक्षुण्ण रखते हुए कार्य करना।

(E) अन्य देशो तथा सगठनो के साथ जो विश्व मे शाति, न्याय व्यवस्था तथा आर्थिक विकास मे विश्वास रखते है, उनके सबधो मे लगातार वृद्धि किया जाना।

उपरोक्त उद्देश्यो के अतिरिक्त राजनीतिक सगठन होने के कारण आसियान मे कुछ सैन्य समझौता किया गया। 1967 मे आसियान की प्रथम शीर्ष बैठक सपन्न हुई। इसके बाद आम सहमिति के आधार पर तीन विशिष्ट क्षेत्र मे हस्ताक्षर किए गए।

(1) <u>शाति और सहकारिता</u> – इसके अतर्गत एक ऐसा अनुच्छेद बनाया गया जिनमे एक दूसरे की स्वतत्रता और सप्रमुता कायम रखना, एक दूसरे के मामले मे हस्तक्षेप नही करना, सभी विवादो का निपटारा करना और एक दूसरे पर आक्रमण न करने का वायदा सभी पॉच राष्ट्रो ने किया।

(2) <u>आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक एव राजनीतिक व्यापारो मे विशिष्ट कार्यक्रम</u> – इन सब की सदस्यता के लिए पालन करना एक अनिवार्य शर्त है, राजनीतिक स्थिरता, शाति व्यापार की स्थापना, सामाजिक न्याय, और जीवन स्तर मे सुधार के आवश्यक उपाय प्रत्येक राष्ट्र को मानना अनिवार्य है। प्राकृतिक विपदाओ के समय आवश्यक सहयोग, आर्थिक विकास करने हेतु ससाधन उपलब्ध कराने मे प्राथमिकता सबधी निर्देश देना।

(3) <u>व्यापारिक सहयोग</u> :– सभी सदस्य देश आपस मे एक दूसरे को विशिष्ट प्राथमिकताएँ प्रदान करते है, जिसके अतर्गत 1976 मे 71 वस्तुओ का चुनाव किया गया जिनमे एक दूसरे को तटकर की विशेष छूट प्रदान की गई। 1 जनवरी 1978 को वस्तुओ और तटकर की दरो के बारे मे वास्तविक निर्णय लिए गए, उसके फलस्वरूप इस प्रकार की वस्तुओ की सूची निरतर बढ रही है जिसके अतर्गत आपसी व्यापार बढाने के दृष्टिकोण से तटकरो तथा अन्य व्यापार प्रतिबधो पर विशेष छूट प्रदान करते है। 1992 से लगभग 10,000 वस्तुएँ इस प्रकार की रही जिसमे सभी देश आपस मे 20 से 30% तक तटकर पर छूटे प्रदान कर रहे है। आसियान देशो के आतरिक व्यापार के केवल 50% व्यापार को ही तटकर छूटे हासिल है। इन देशो की आयात–निर्यात व्यापार की अधिकाशत मुख्य वस्तुएँ 'अपवर्जन सूची' के अतर्गत आती है। दिसम्बर 1987 मे एक शीर्ष सम्मेलन मे यह पारित किया गया कि अपवर्जन सूची के अतर्गत कुल निर्यात वस्तुओ के 10% से अधिक पर 50% मूल्य से अधिक नही होना चाहिए। सूची मे कमी लाने के लिए इडोनेशिया और फिलीपीन्स को सात वर्ष तथा अन्य देशो को पॉच वर्ष का समय दिया गया।

मनीला में अगस्त 1986 मे आसियान देशो के आर्थिक सलाहकारो एव वित्त मत्रियो की बैठक हुई जिसमे इडोनेशिया, मलेशिया, थाइलैड तथा फिलीपीन्स ने इसका कडा विरोध किया जिसके दो प्रमुख कारण रहे–

(1) ये सभी देश एक ही प्रकार की वस्तुओ का निर्यात करते है।

(2) इनकी तटकर दरो मे काफी अतर है।

सिगापुर और ब्रूनेई मे तटकर नगण्य है जो मलेशिया और इडोनेशिया दोनो के बीच की स्थित मे है। थाईलैड और फिलीपीन्स के लिए शुरू के वर्षों मे ऐसी परिस्थिति मे तटकरो को समाप्त करना काफी घातक है जो इस प्रकार से इन देशो मे आतरिक व्यापार बढा सकता है लेकिन सिगापुर और ब्रूनेई दोनो के निर्यात काफी मात्रा मे बढ सकता है, वही इनके आयातो के परिणाम पर कोई फर्क नही पडता। जबकि फिलीपीन्स और थाईलैड के लिए इसका विपरीत प्रभाव पड सकता है, जिसमे उनके आयात बढ सकते है तथा निर्यात स्थिर रह सकते है। मलेशिया एव इडोनेशिया को भी अधिक लाभ होने की आशा नही रही, इसी कारण से आसियान के मुक्त व्यापार क्षेत्र बनने की सभावना नही है।

इनका आतरिक व्यापार इनके विश्व व्यापार का 10% से भी कम है। वास्तव मे ये सारे देश एक ऐसी वस्तुओ का निर्माण करते है, न कि पूरक वस्तुओ का। इनका मुख्य उद्देश्य सगठित होकर सौदेबाजी मे अपनी शक्ति बढाना है भविष्य मे इसको आर्थिक गुट के रूप मे ही कार्य करते रहने की सभावना है।

## आसियान के अन्य अवयव

**कृषि व्यापार** – 1981 मे शोध प्रशिक्षण तथा व्यापार के मुख्य उद्देश्य को लेकर आसियान ने कृषि विकास एव आयोजन केन्द्र की स्थापना की है। अक्टूबर 1983 मे एक मत्स्य निगम की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है, तथा आसियान वानिकी कॉग्रेस की स्थापना भी अक्टूबर 1983 मे ही की गई है, जिसका प्रमुख उद्देश्य वन सरक्षण तथा इमारती लकडी के निर्यात प्रोत्साहन करना है। 1988 मे आसियान ने वित्त के क्षेत्र मे भी एक इन्श्योरेन्स निगम की स्थापना की। 1983 मे ऊर्जा सकट को ध्यान मे रखते हुए ऊर्जा सहकारिता के सदर्भ मे एक समिति गठित की जिसके अतर्गत कोयला विकास, पेट्रोल का बटवारा और 9 सहकरी पेट्रोल शोधन परियोजनाओ पर कार्य किया गया तथा आकस्मिक आवश्यकता पडने पर आपस मे पेट्रोल बॉटने पर आम सहमति हुई। तकनीकी शोध, शिक्षा, सामाजिक विकास, पर्यटन एव सास्कृतिक केन्द्रो के सबध मे आसियान ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आसियान सस्था नियमित रूप से निम्न प्रकाशन करती है –

(1) विभिन्न सूचनाएँ समय–समय पर।

(2) आयोजन समिति की वार्षिक रिपोर्ट।

(3) आसियान समाचार–पत्र (द्वैमासिक)।

(4) विज्ञान और तकनीकी जनरल (वर्ष मे दो बार)।

**वर्तमान में आसियान** – 23–24 जुलाई 1993 को आसियान की 26 वी द्विदिवसीय मत्रीस्तरीय बैठक मे आसियान देशो की विदेश व्यापार बढाए जाने के लिए काफी निर्णय लिया गया। आसियान देशो को यह पूर्ण विश्वास है कि अगर चीन से उचित व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हो जाता है तो प्रत्येक सदस्य राष्ट्र का व्यापार 1 से 15% तक बढ जाने की सभावना है। भारत के साथ विचार–विमर्श की जो एक नई प्रक्रिया शुरू की गई है, वह न केवल आसियान के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि आसियान के अन्य देशो से किस प्रकार का सबध होना चाहिए, इसके लिए भी प्रेरणादायक है। आसियान देशो ने अन्य व्यापारिक सहयोगियो को भी बैठक मे आमत्रित किया जिनमे जापान, कनाडा, यूरोपीय समुदाय, दक्षिण कोरिया, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैड और सयुक्त राज्य अमरिका के प्रतिनिधि शामिल हुए। इडोनेशिया के विदेश मत्री ने अपनी व्यापारिक नीति को अधिक स्पष्ट करते हुए कहा कि वह दुनिया के प्रत्येक देश से आर्थिक, व्यापारिक, सामाजिक सबधो को बढाना पसद करते है लेकिन उनका पूर्ण विश्वास है कि नई अतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था मे दक्षिण–दक्षिण सहयोग के बढाने की अत्यधिक आवश्यकता है और आसियान इस कार्यक्रम को आगे बढाने मे सबसे ज्यादा महत्व प्रदान कर सकता है।

**आसियान व्यापारिक फोरम** – 30 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मे स्थित आसियान की कुल जनसख्या लगभग 34 करोड है, जो भौगोलिक, सामजिक, आर्थिक आदि सभी दृष्टियो से विश्व का सबसे महत्त्वपूर्ण व्यापार है। प्रशात और हिद महासागर के सधि स्थल पर स्थित होने के कारण सामरिक दृष्टि से यह क्षेत्र विशेष महत्व का है।

आसियान व्यापारिक फोरम औपचारिक रूप से 24 जुलाई 1997 को बैकाक मे कायम किया गया जिसमे आसियान के 6 सदस्य देश ब्रुनेई, इडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन्स, सिगापुर और थाईलैंड के साथ सलाहकार और परामर्श साझीदार के रूप मे अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैड, यूरोपीय समुदाय, जापान तथा दक्षिण कोरिया सम्मिलित हुए। 28 जुलाई 1995 को आसियान ने वियतनामा को भी अपनी सदस्यता प्रदान कर दी है। इस प्रकार आसियान के सदस्य देशो की कुल सख्या 7 हो गई है जबकि दक्षिण–पूर्व एशिया के शेष तीन देशो– कम्बोडिया, लाओस और म्यामार को शामिल करने की योजना है।[1] प्रत्येक सदस्य देश

---

[1] क्रानिकल, मई 1996 क्रानिकल पब्लिकेशन्स प्रा0 लि0, 208 शिवलोक हाउस–1, नई दिल्ली–110015 पृष्ठ 102

की राजधनी मे एक राष्ट्रीय आसियान सचिवालय होता है, जिसका प्रमुख एक सचिव होता है तथा आसियान का केन्द्रीय सचिवालय इडोनेशिया की राजधानी जकार्ता मे स्थित है।

भौगोलिक, सामरिक, आर्थिक आदि सभी दृष्टियो से महत्त्वपूर्ण इस व्यापार का आर्थिक सगठन तेजी से आगे बढता जा रहा है। आसियान के देशो का दो दिवसीय शिखर सम्मेलन 15 दिसम्बर 1995 को थाईलैड की राजधानी बैकाक मे सपन्न हुआ। इस सम्मेलन मे सभी सदस्य देशो ने 'मुक्त व्यापार' की स्थापना मे तेजी लाने पर विशेष जोर दिया। मुक्त व्यापार की स्थापना के लिए सन् 2003 तक का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन आसियान देश चाहते है कि इसकी शुरूआत निर्धारित वर्ष से पहले ही हो जाए। मुक्त व्यापार की स्थापना का प्रस्ताव सबसे पहले 1992 मे रखा गया। उस समय आसियान ने इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए 15 वर्ष का समय रखा था, लेकिन भारत एव चीन के तरह तेजी से उभरने वाली अर्थव्यवस्था तथा दूसरे व्यापार गुटो की चुनौती का मुकाबला करने के लिए लक्ष्य मे कटौती कर दी गई। बैकाक घोषणा' के अनुसार मुक्त व्यापार की स्थापना की दिशा मे पहले कदम के रूप मे 1 जनवरी 1996 तक और गैर–व्यापारिक अवरोध हटा दिया गये।

आसियान का सदस्य देश सिगापुर तो विश्व के विकसित देशो मे सम्मिलित हो गया है। जिसके परिणाम स्वरूप अन्य देशो का भी इस सगठन के प्रति आकर्षण बढता जा रहा है। भारत भी इसी श्रेणी मे आता है वह आसियान की सदस्यता ग्रहण करना चाहता है। हाल ही मे आसियान द्वारा भारत को आसियान के सम्मेलनो एव बैठको मे पूर्ण वार्ता सहभागी बनाए जाने की घोषणा से इस दिशा मे एक उपयुक्त कदम कहा जा सकता है। आसियान के साथ भारत का सहयोग सबध कायम हो जाने से दोनो पक्ष एक–दूसरे के विभिन्न क्षेत्र एव उद्योग व्यापार के अनुभवो से लाभान्वित हो सकते है तथा साथ ही आर्थिक, शैक्षिक, सास्कृतिक व्यापार मे परस्पर सहयोग का मार्ग भी प्रशस्त हो सकता है। एक तरफ भारत को दक्षिण–पूर्व एशिया मे विस्तृत बाजार उपलब्ध हो सकता है, वही पर दूसरी तरफ आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया के चलते पारस्परिक सहयोग मे वृद्धि भी हो सकती है।[1]

फरवरी 1976 मे बाली सभा मे भारत ने आसियान के प्रस्तावो (शाति व्यापार, स्वतत्रता तथा हस्तक्षेपरहित सप्रभुता, समता) का न केवल स्वागत किया है बल्कि उसे पूरा करने का वायदा भी किया है। सितम्बर 1983 मे आसियान देशो की कम्पूचिया स्वतत्रता अपील पर भारत ने सयुक्त राष्ट्र–संघ मे आसियान देशों का साथ दिया।

---

[1] **कानिकल, मार्च 1996 क्रानिकल पब्लिकेशन प्रा0 लि0, 208 शिवलोक हाउस–1, नई दिल्ली–110015 पृष्ठ– 11।**

वर्तमान समय मे भारत आसियान की सदस्यता ग्रहण करने के लिए काफी उत्सुक है, लेकिन निकट भविष्य मे भारत की इच्छा पूर्ति हो पाएगी, ऐसा नही लगता। हाल ही मे आसियान के सदस्य देशो द्वारा लिए गए एक निर्णय को इस दिशा मे बढाया गया एक कदम माना जा सकता है कि भारत को आसियान के सम्मेलनो एव बैठको मे पूर्ण–वार्ता सहभागी बनाया गया। भारत के लिए आसियान की सदस्यता आर्थिक एव सामरिक दोनो दृष्टिकोण से काफी महत्त्वपूर्ण है। भारत की समुद्री सीमा मलक्का जल डमरूमध्य तक फैला है, जिसे पश्चिम और पूर्वी एशिया की आर्थिक शक्तियो (चीन, जापान, दक्षिण कोरिया आदि) के बीच व्यापार की जीवन रेखा कहा जा सकता है। आसियान के सदस्य देशो ने आर्थिक व्यापार मे काफी प्रगति की है। इनमे से सिगापुर तो अब विश्व के विकसित देशो मे शामिल हो गया है। भारत का आसियान के लगभग सभी देशो के साथ अच्छा व्यवहारिक और मैत्री सबध है तथा इनमे से कुछ देशो ने भारत मे अपने सयुक्त उद्यम भी स्थापित किए है। आर्थिक उदारीकरण के बाद से थाईलैड, मलेशिया और सिगापुर ने भारत के साथ अपने व्यापारिक सबधो मे वृद्धि भी की है।

मशीनरी तथा यातायात उपकरणो का आयात आसियान के देशो मे कुल आयात का 32 प्रतिशत भाग पूरा करता है तथा भारत मे यह मात्र 14 प्रतिशत है। इधर कुछ वर्षो मे भारत मे इस क्षेत्र के आयात मे कमी आई है। आसियान के देश इडोनशिया को छोडकर अन्य सदस्य देश मशीनरी तथा यातायात उपकरणो का निर्यात भी भारत से अधिक करते है। भारत को ऊर्जा प्रबधन के क्षेत्र मे आसियान के देशो से बहुत कुछ सीखना चाहिए। भारत की दृष्टि से यह सहयोग का एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो सकता है।

आसियान के देशो से सहयोग स्थापित करने के लिए भारत को निम्नलिखित दिशाओ मे प्रयास करना चाहिए –

(1) औद्योगिक मजदूरी की दर आसियान के देशो मे भारत की तुलना मे अधिक तेजी से बढ रही है। यह भारत को आसियान के देशो के साथ सयुक्त उद्यम लगाने के लिए उचित अवसर प्रदान करता है।

(2) सबसे पहले मुद्रास्फीति पर भारत को नियत्रण रखना चाहिए। 1980 से 1993 के बीच भारत मे मुद्रास्फीति प्रतिवर्ष 8 7 प्रतिशत के करीब रही है आसियान के देशो की मुद्रास्फीति 2 2 तथा 2 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की तुलना मे यह बहुत अधिक है। मूल्य मे स्थायित्व तथा कम मुद्रास्फीति निर्यातको को आगे पहुँचा देता है।

(3) अतत सरचना सुविधाओ के क्षेत्र मे भी भारत आसियान के देशो की तुलना मे बहुत पीछे है। बिजली, यातायात तथा दूरसचार के व्यापार मे भारत आसियान के देशो की तुलना मे पीछे है। 1992 मे भारत मे दूरभाष की सुविधा प्रति हजार 8 व्यक्ति को उपलब्ध थी, जबकि ये सुविधा सिगापुर प्रति हजार 415 व्यक्ति, मलेशिया मे प्रति हजार 112 व्यक्ति तथा थाईलैड मे 31 था। किन्तु अब भारत मे भी इसका प्रतिशत तेजी से प्रतिवर्ष बढ रहा है।

भारत मे सीमा शुल्क सबधी प्रतिबध भी आसियान देशो की तुलना मे अधिक है। इसके अतिरिक्त भारत को व्यापार सबधी जटिलताओ को भी कम करना चाहिए। आसियान के साथ भारत का सहयोग सबध कायम होने से इन देशो के बीच आर्थिक, शैक्षिक, सास्कृतिक क्षेत्र मे परस्पर सहयोग का जहॉ मार्ग प्रशस्त हो सकता है, वही दोनो ही पक्ष एक–दूसरे के साथ उद्योग तथा व्यापार के क्षेत्र मे अपने अनुभवो के आदान प्रदान से लाभावित भी हो सकता है। इतना ही नही, भारत को उसके अत्यत समीप दक्षिण–पूर्व एशिया मे एक उन्नत विस्तृत बाजार उपलब्ध हो सकता है, जहॉ पर निश्चित ही भारतीय उत्पादो की पर्याप्त मॉग हो सकती है।

वर्तमान मे सदस्य देशो ने भारत को आसियान के साथ औपचारिक बात–चीत के भागीदार बनने पर बल दिया है। जो पूर्ण रूप से भागीदारी के लिए समूह के सदस्य बनने मे सहायक सिद्ध हो सकता है। व्यापार विस्तार की दृष्टिकोण से आसियान की सदस्यता प्राप्त करना भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरे एक दशक से दक्षिण पूर्व एशिया की वृद्धि दर दो अको मे रही है तथा अगले शताब्दी के प्रारम्भ तक विश्व व्यापार मे आधा भागीदारी इन देशो की हो जाने की सभावना है। "भारत आकार मे किसी भी एशियाई देश से बडा है लेकिन भारत मे प्रति व्यक्ति आय इन देशो की तुलना मे बहुत ही कम है। आसियान के सर्वाधिक धनी देश सिगापुर के प्रति व्यक्ति आय 19,850 अमेरिकी डालर है जो भारत की प्रति व्यक्ति आय 300 अमेरिकी डालर से छियासठ गुना अधिक है। अगर फिलीपीन्स को अपवाद मे रखा जाता है तो भारत मे जी0 डी0 पी0 की वृद्धि दर भी आसियान देशो की तुलना मे बहुत कम है।[1] आसियान देशो की तुलना मे भारत कम औद्योगिकीकृत देश है।

---

[1] प्रतियोगिता सम्राट–नवम्बर 1995, दीवान पब्लिकेशन प्रा0 लि0, कामर्शियल कामप्लेक्स, नई दिल्ली–110015, पृष्ट 29।

आसियान देशो को बाह्य व्यापार से आधिक आय होता है। वर्ष 1993 मे सिगापुर मे जी0 डी0 पी0 का 169 प्रतिशत भाग निर्यात द्वारा पूरा किया गया, जबकि भारत का वर्ष 1993 मे मात्र 11 प्रतिशत ही रहा।

ज्ञातव्य है कि आसियान ने 23 जुलाई, 1996 को भारत को पूर्ण वार्ताकार का दर्जा प्रदान कर दिया। भारत के साथ–साथ चीन और रूस को भी आसियान के क्षेत्रीय मच मे पूर्ण वार्ताकार सहभागी का दर्जा प्रदान किया गया। अमेरिका को पहले से ही यह दर्जा प्राप्त है। भौगोलिक स्थिति मे अन्तर के कारण भारत को आसियान का पूर्ण सदस्य नही बनाया जा सकता, भारत दक्षिण एशिया मे स्थित राष्ट्र है, जबकि आसियान दक्षिण–पूर्वी एशियाई देशो का सगठन है।

दक्षिण–पूर्व एशियाई क्षेत्र को परमाणु हथियार रहित क्षेत्र बनाने सम्बधी ASEAN राष्ट्रो की दिसम्बर 1995 मे सम्पन्न सधि को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से 'दक्षिण–पूर्व एशिया परमाणु शस्त्र रहित जोन' (South East Asıa Nuclear Weapon Free Zone-SEANWFZ) आयोग का गठन 24 जुलाई, 1999 को सिगापुर मे किया गया तथा सिगापुर को ही पहला अध्यक्ष बनाया गया।

दक्षिण–पूर्व एशिया परमाणु शस्त्र रहित क्षेत्र (SEANWFZ) सधि मे शामिल राष्ट्र अग्रलिखित कार्य न करने के लिए वचनबद्ध है।

(1) परमाणु शस्त्रो का विकास, निमार्ण व किसी भी अन्य तरीके से इन्हे प्राप्त करने का प्रयास,

(2) दक्षिण–पूर्व एशिया क्षेत्र मे परमाणु शस्त्र की तैनाती तथा इनका परिवहन,

(3) परमाणु शस्त्रो का परीक्षण अथवा इनका इस्तेमाल,

10 सदस्यीय आसियान अभी तक तीन गैर–आसियान सदस्यो (चीन, दक्षिण कोरिया तथा जापान) के साथ ही नियमित शिखर बैठक करता हैं। आसियान के साथ शिखर बैठक मे सम्मिलित होने को भारत लगातार प्रयासरत् रहा हैं, किन्तु इसमे वाछित सफलता उसे अब ही प्राप्त हो सकी हैं। ब्रूनेई मे बादर सेरी बेगावान (Bandar Serı Begawan) मे नवम्बर 2001 मे सम्पन्न आसियान शिखर सम्मेलन मे लिए गए निर्णय के तहत भारत व आसियान की शिखर बैठक 'आसियान +1' के प्रारूप पर होगी। 'आसियान +3' (आसियान के 10 सदस्य राष्ट्र + चीन, द कोरिया व जापान) को 'आसियान +4' मे बदलने का निर्णय इसमे नही लिया गया हैं।

इस सम्बन्ध मे स्पष्टीकरण देते हुए मलेशियाई प्रधानमत्री महाथिर मोहम्मद ने कहा है कि 'आसियान +3' पूर्वी एशिया उन्मुखी है।

उल्लेखनीय है कि भारत अभी तक आसियान का वार्ता भागीदार (Dialogue Partner) होने के साथ–साथ 'आसियान रीजनल फोरम' (ARF) का सदस्य रहा है। भारत के साथ आसियान के सम्बन्धो को यही तक सीमित रखने का मलेशिया पक्षधर रहा है तथा मलेशियाई विरोध के चलते ही आसियान +4 के विचार को सगठन के सिगापुर शिखर सम्मेलन मे अस्वीकार कर दिया गया था। मलेशिया ने अब बादर सेरी बेगावान मे आसियान +1 के विचार का समर्थन किया है।

11 सितम्बर, 2001 की घटना के परिप्रेक्ष्य मे आतकवाद का मुद्दा इस शिखर सम्मेलन मे भी छाया रहा, किन्तु आतकवाद को किसी भी धर्म या जाति से जोडने के प्रयासो की कडी निन्दा इसमे की गई। अफगानिस्तान मे अमरीकी सैन्य कार्यवाही के मामले मे एक ओर इण्डोनेशिया व मलेशिया जैसे राष्ट्रो (जो अमरीकी कार्यवाही के विरोधी रहे है) तथा दूसरी ओर फिलीपीस व थाइलैण्ड जैसे राष्ट्रो (जो अमरीकी कार्यवाही के समर्थक रहे है) की मौजूदगी के कारण इसका कोई उल्लेख घोषणा–पत्र मे नही किया गया, किन्तु हाल ही के 'ऐपेक घोषणा–पत्र' की तर्ज पर सभी प्रकार के आतकवाद की घोर निन्दा इसमे की गई। सभी प्रकार के आतकवाद की निन्दा करते हुए इसे विश्व शान्ति व स्थिरता के लिए गम्भीर खतरा इसमे बताया गया है तथा इसके विरुद्ध कडे कदमो की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

## 3. दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस अर्थात सार्क) :–

दक्षिण पूर्व एशियाई देशो का सगठन आसियान जब 80 के दशक के दौरान सफलता की ओर अग्रसर होने लगा, तब एशिया के देशो मे भी इस प्रकार का विचार उत्पन्न हुआ कि अगर एशिया के सभी देश सगठित होकर विश्व के आर्थिक समुदाय मे उभर जाए तो उनका महत्त्व और लाभ दोनो बढ सकता है। इस क्षेत्र के मुख्य देश भारत, पाकिस्तान, बाग्लादेश 55 वर्ष पूर्व एक ही देश के अभिन्न अग रहे हैं। ये व्यापारिक, भौगोलिक रूप से ही नही, सामाजिक, सास्कृतिक और आर्थिक रूप से भी आपस मे बहुत करीब है। नेपाल, भूटान, श्रीलका इत्यादि इन देशो की भौगोलिक एव सास्कृतिक सीमाएँ एक ही हैं, और प्राचीन विशाल भारत से इनका सबध बहुत ही घनिष्ट रहा है। एक देश से दूसरे देश के बीच नागरिको का आवागमन

उसी प्रकार रहता है जैसे– एक राष्ट्र के प्रातो मे होता है। नेपाल को छोडकर सभी देश ब्रिटेन के उपनिवेश रह चुके है। (नेपाल सदैव सप्रभु स्वतत्र देश रहा है।)

विश्व की आबादी का चौथाई (23 2%) भाग इस क्षेत्र मे निवास करता है। इस प्रकार यह क्षेत्र एक बहुत बडा बाजार है। खनिज एव कृषि व्यापार की दृष्टिकोण से यह क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है। जूट और चाय के क्षेत्र मे विश्व निर्यात मे इस व्यापार का हिस्सा 97% और 91% है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से यह क्षेत्र विश्व के 3 3% भू–भाग पर स्थित है। जनसख्या के घनत्व के दृष्टिकोण से यहॉ पर विश्व के औसत की दुगुनी जनसख्या निवास करती है। इन देशो मे प्रति व्यक्ति आय का स्तर काफी नीचे है तथा यहॉ पर जनसख्या वृद्धि दर अफ्रीकी देशो के मुकाबले कम है।

आर्थिक विकास की अनन्त सभावनाएँ इस क्षेत्र मे मौजूद है। इसी बात को ध्यान मे रखते हुए बाग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने अगस्त 1981 मे एक व्यापारिक गुट के गठन का प्रस्ताव किया। अन्य देशो से सहमति प्राप्त हो जाने के बाद अगस्त 1983 मे जियाउर रहमान ने एक राजनीतिक सगठन के रूप मे सार्क के गठन की शुरुआत की जिसमे इन देशो के ढॉचागत आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक विकास के बारे मे विचार किया गया। भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति आर0 वेकटरमन ने एक पत्र के माध्यम से इस सगठन के गठन का स्वागत किया। बहुत सारे व्यवधानो को समाप्त करने के पश्चात 1983 मे व्यापार सहयोग के लिए सात देश (भारत, पाकिस्तान, बाग्लादेश, श्रीलका, नेपाल, भूटान और मालदीव) सहमत हुए, जिसके परिणामस्वरूप सार्क का गठन हुआ। ये सभी देश कुछ क्षेत्र मे आपसी सहयोग प्रदान करने के लिए सहमत हुए जो निम्नवत है –

(1) तकनीकी अध्ययन हेतु व्यापारिक प्रयोगशालाओ का निर्माण।

(2) प्रशिक्षण कार्यक्रमो तथा सेमिनारो का आयोजन।

(3) सास्कृतिक उत्सवो मे एक दूसरे देश के नागरिको को आवागमन की छूट।

(4) शोध तथा वैज्ञानिक अनुसधान मे सहयोग।

(5) विशेषज्ञो का आवागमन।

(6) अन्य वे क्षेत्र जिनमे सहयोग की पारस्परिक सहमति प्राप्त हो।

**इसके बाद इन सभी देशो ने आपसी सहयोग को बढाने और पारस्परिक सबधो को और अधिक मजबूत करने का इरादा बनाया। बाग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति ने ढाका मे 7–8 दिसम्बर,**

1985 को सातो देशो के राष्ट्राध्यक्षो का एक सम्मेलन आयोजित किया। इसी सभा मे सार्क का गठन किया गया है। जिसका अपना घोषणा–पत्र है, सगठन है, उद्देश्य है, अनुच्छेद है।

सगठन – इस सगठन का क्रियाकलाप देखने के लिए कई अलग–अलग प्रकार की सस्थाऍ तथा व्यक्ति जिम्मेदार होते है। सभी राष्ट्राध्यक्षो को मिलाकर एक शीर्ष सभा होती है। शीर्ष सभा इन सभी सस्थाओ तथा व्यक्तियो के क्रियाकलाप की उत्तरदायी होती है। बारी–बारी से प्रत्येक देश मे इस सभा की बैठक बुलायी जाती हैं। जिस देश मे यह सभा बुलायी जाती है, उस देश का राष्ट्राध्यक्ष ही सार्क का अध्यक्ष होता है। शीर्ष सभा मे राष्ट्राध्यक्ष को स्वय उपस्थित होना पडता है। सार्क समझौते के अनुसार इस बैठक को प्रति वर्ष बुलाई जानी चाहिए। 5वॉ सम्मेलन दो वर्षो बाद बुलाया गया था। चार्टर के अनुसार किसी भी शासनाध्यक्ष की अनुपस्थिति मे यह सभा स्थगित कर दी जाती है। लेकिन एक बार केवल बाग्लादेश, मारीशस, श्रीलका तथा पाकिस्तान के शासनाध्यक्षो की उपस्थिति मे इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। क्योकि भूटान नरेश किसी कारण से इस सम्मेलन मे उपस्थित नही हो सके तथा भारत ने सोचा कि अब यह शिखर सम्मेलन स्वत स्थगित हो जाएगा (चार्टर के अनुसार) इसलिए भारत भी सम्मेलन मे नही गया। तत्कालीन अध्यक्ष गयूम ने इस सम्मेलन को स्थगित न करके सार्क की प्रतिष्ठा को कायम रखी।

उद्देश्य – 1985 मे गठित किया गया सार्क के अनुच्छेद प्रथम मे इसके निम्नलिखित उद्देश्य है–

(1) इस क्षेत्र मे आर्थिक, सामाजिक प्रगति की दर तीव्र करना एव सास्कृतिक विरासत कायम रखना।

(2) इस क्षेत्र के निवासियो मे सद्भाव, आपसी विश्वास एव एक दूसरे की सहायता का भाव विकसित करना।

(3) आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक एव तकनीकी क्षेत्र मे सक्रिय सहयोग को बढावा देना।

(4) अन्य विकासशील देशो से सद्भावपूर्ण मैत्री सबध विकसित करना।

(5) अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर और संगठनो में एक दूसरे का सहयोग करना।

(6) दक्षिण एशिया के निवासियो के जीवन स्तर मे सुधार करना।

(7) दक्षिण एशिया के देशो मे सामूहिक आत्मनिर्भरता विकसित करना।

(8) अन्य अतर्राष्ट्रीय सगठनो, जो इसी प्रकार के उद्देश्यो के लिए विकसित किए गए है का सहयोग करना।

<u>सिद्धात</u> – चार्टर के अनुच्छेद दो के अनुसार सार्क के सिद्धात–

(1) वर्तमान समझौता किसी देश के द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौते के साथ असगत होने पर त्याज्य होना।

(2) सार्क के देशो मे सहयोग का आधार सप्रभुता की रक्षा करना, समता, भौगोलिक व्यापार की सुरक्षा, राजनीतिक स्वतत्रता और एक दूसरे देश के मामले मे हस्तक्षेप न करना।

(3) वर्तमान समझौता किसी और बहुपक्षीय समझौते का स्थानापन्न नही है। यदि कोई समझौता पहले हो चुका है, तो यह समझौता उसके अतिरिक्त तथा पूरक होगा।

<u>सचिवालय</u> – सार्क का मुख्य सचिवालय नेपाल की राजधानी काठमाडू मे स्थित है। विभिन्न देशो के अदर अलग–अलग सचिवालय कार्य करते है। लेकिन इनके समन्वय का कार्य केन्द्रीय सचिवालय का होता है। सार्क द्वारा विभिन्न क्षेत्रो मे विभिन्न इकाइयॉ स्थापित की गई। जिनका व्यय, तकनीकी रख–रखाव एव प्रबध मिल–जुल कर किया जाता है। सचिवालय मे सभी प्रकार के सार्क कार्यक्रमो का लेखा–जोखा रखा जाता है। शुरूआत मे सार्क ने केवल नौ क्षेत्रो मे ही सहयोग के लिए अपना कार्यक्रम सुनिश्चित किया।

12–13 दिसम्बर, 1992 को सातवॉ सम्मेलन हुआ, लेकिन भारत के शासनाध्यक्ष की अनुपस्थिति के कारण उनको स्थगित कर दिया गया। 10–11 अप्रैल 1993 को पुन इसका आयोजन ढाका मे किया गया, जिसकी अध्यक्षता बाग्लादेश की राष्ट्रपति बेगम खालिदा जिया ने की। इस सम्मेलन और इसके पूर्व के सम्मेलनो मे निम्न विषयो पर आम सहमति बनी और निम्न कार्यक्रम क्रियान्वित किए गए।

<u>ऊर्जा एवं साधनों का विकास</u> :– ऊर्जा के साधनो का विकास दक्षेस देशो की सहकारिता का एक महत्त्वपूर्ण अग होता है। इन सभी क्षेत्रो मे विद्युत ऊर्जा की बहुत सभावनाएँ है फिर भी पेट्रोल इन सभी देशो के लिए महत्वपूर्ण समस्या है। 1985 मे सबसे पहले पाकिस्तान मे ऊर्जा के पुर्ननवीनीकरण वाले स्रोतो के संदर्भ मे विशेषज्ञो की एक कार्य समिति का आयोजन किया। इसके दो केन्द्र (पहला–नई दिल्ली 1986 तथा दूसरा– इस्लामाबाद 1986) खोला गया। सौर ऊर्जा और वायोगैस के विकास के लिए पुन एक विशेषज्ञ दल 1985 में दिल्ली में ही गठित

किया गया। 1985 मे ऊर्जा सरक्षण पर विशेषज्ञो के एक दल की बैठक पुणे मे बुलाई गई तथा प्रत्येक देश मे ऊर्जा सरक्षण के लिए कुछ केन्द्रो की स्थापना की गई। प्रति वर्ष एक बैठक बुलाए जाने पर विचार किया गया, लेकिन इस विषय पर कोई सर्वमान्य निश्चित निर्णय नही लिया जा सका।

**प्राकृतिक साधनो का उचित उपयोग, पर्यावरण, सरक्षण** – दक्षेस देशो के अदर जनसख्या वृद्धि के कारण पर्यावरण तथा आवास सबधी काफी सभावनाएँ उत्पन्न हो गई है। इसी को ध्यान मे रखते हुए वर्ष 1991 को दक्षेस आवास वर्ष तथा 1992 को 'पर्यावरण वर्ष' मनाने की घोषणा की गई। पर्यावरण के सदर्भ मे तथा प्राकृतिक ससाधनो के सदर्भ मे प्रत्येक देश का स्वय का उत्तरदायित्व सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण होता है। लेकिन वन सपदा का उचित सरक्षण नही हो पाने की दशा मे बाढ, सूखा, भूमि क्षरण तथा कटाव की समस्या पूरे क्षेत्र की होती है। इसी क्रम मे पर्यावरण पर समुचित जानकारी देने के लिए अलग–अलग स्थान पर सभाएँ, सेमिनार तथा प्रदर्शनियो का आयोजन किया जाता है।

**कृषि विकास** :– विश्व की लगभग चौथाई जनसख्या कृषि क्षेत्र मे निवास करती है। कृषि विकास तथा क्षेत्रीय स्तर पर कृषि वस्तुओ मे आत्मनिर्भरता इस क्षेत्र की प्राथमिक आवश्यकता होती है। इन सभी देशो मे अधिकाशत जनसख्या, कृषि पर प्रत्यक्ष एव परोक्ष रूप से आधारित है। कृषि तकनीक प्रसार सेवाएँ तथा तकनीकी सेवाओ के जो कार्यक्रम चल रहे है, उनमे काफी विस्तार हो सकता है। भूटान मे आलू केन्द्र, बाग्लादेश मे चावल केन्द्र इत्यादि के साथ–साथ हैदराबाद मे ग्रामीण विकास केन्द्र, करनाल मे बजर भूमि सुधार केन्द्र, नेपाल मे कृषि मौसम सूचना केन्द्र, मैसूर मे खाद्यान्न तकनीक पर विशेषज्ञो का कार्य समूह (1985) इत्यादि काफी कार्य इस क्षेत्र मे कर रहे हैं।

भारत और पाकिस्तान मे कृषि विकास काफी अधिक हुआ है। भारत कृषि पदार्थो का निर्यातक देश है। बांग्लादेश तथा नेपाल मे कृषि विकास का स्तर बहुत नीचे है और दोनो खाद्यान्नो का आयात करते है।

**शिक्षा और मानव ससाधन विकास** – शिक्षा और मानव ससाधन विकास दक्षेस देशो की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती हैं। भारत औद्योगिक और तकनीकी प्रशिक्षण देने मे काफी समर्थ हैं। भारत ने कई क्षेत्रो मे जैसे– जर्मप्लाज्म के रखरखाव, जेनोर्टक कन्जरवेशन के क्षेत्र मे प्रशिक्षण सुविधा तथा अन्य औद्योगिक और तकनीकी व्यापारो और प्रशिक्षण केन्द्रों के चलाने का सुझाव दिया, जिसका अन्य सदस्य देशो ने स्वागत किया है। इन सभी देशो ने जीन बैंको के सगठन

की योजना पर सहमति व्यक्त की है। माले शिखर सम्मेलन मे आठ विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्रो मे प्रशिक्षण योजनाओ को स्वीकृति प्रदान की गई है।

<u>मादक पदार्थों की तस्करी</u> – नशीले और मादक पदार्थो की तस्करी इस क्षेत्र की गभीर समस्या है। इन देशो मे विभाजन रेखा कृत्रिम है और एक देश से दूसरे देश मे जाना काफी आसान है। सामान्य तौर पर तस्कर एक देश से दूसरे देश मे भाग जाता है। इस गम्भीर समस्या को रोकने के लिए प्रत्यर्पण सधि की व्यवस्था की गई है। यदि कथित अपराधी किसी दूसरे देश मे चला गया है, तो वह देश जहॉ उसने अपराध किया है, उक्त अपराधी की पहचान के लिए सारी जानकारी उपलब्ध कराता है। अगर राजनीतिक कारणो से उक्त अपराधी का प्रत्यर्पण सम्भव नही है। शुरुआत मे इस समझौते के तहत मादक द्रब्यो के तस्करो को ही इस कानून के अन्तर्गत रखने का विचार किया गया, बाद मे शस्त्र विक्रेताओ, आतकवादियो और अन्तर्राष्ट्रीय अपराधियो को भी इस कानून के तहत दडित करने का प्राविधान किया गया।

अन्य कई क्षेत्रो मे भी दक्षेस समझौते को लागू किया गया हैं– उदाहरणार्थ, सभी देशो के सासद और उच्चतम न्यायालयो के न्यायाधीश किसी भी देश मे वीजा और पासपोर्ट के बिना यात्रा कर सकते है। यही सुविधा राष्ट्रीय शैक्षिक सस्थानो के प्रधानो और आश्रितो को भी प्रदान की गयी है। लघु, कुटीर और क्षेत्रीय उद्योग के विकास के लिए विशिष्ट सुविधाओ के अलावा एक क्षेत्रीय कोष की स्थापना पर सहमति हो गयी है। लेकिन यह कोष कार्य रूप मे अभी परिणित नही हो पाया है। इसी प्रकार दक्षिण एशियाई कोष पर भी अभी तक सहमति होने के बावजूद कोई रूप रेखा नही बन पाई है।

<u>निम्न स्तरीय जीवन</u> – दक्षेस देशो के सामने निम्न स्तर का जीवन एक गम्भीर समस्या है। महानगरो और शहरो मे रहने वाले बडी सख्या मे बेरोजगारो तथा झोपडियो मे रहने वाले लोगो का जीवन स्तर काफी निम्न स्तर का है। शहरी आबादी मे एक तिहाई से अधिक लोगो के पास रहने के लिए उपयुक्त मकान और आवास नही है। शहरियो मे से लगभग 40 प्रतिशत को पीने के लिए साफ पानी उपलब्ध नही है। शहरो मे सफाई की पर्याप्त व्यवस्था नही है। स्वस्थ्य सम्बन्धी सुविधाओ का भी अभाव है।

वर्तमान समय में विश्व की लगभग आधी आबादी शहरो मे बसी हैं। विश्व के बड़े–बडे शहरो मे प्रति सप्ताह एक करोड व्यक्ति की दर से शहरी जनसख्या बढ़ रही हैं। शहरी विकास के लिए उचित सामाजिक व तकनीकी जानकारी का आभाव है। इन क्षेत्रो के महानगरो की जनसख्या अत्यधिक तीव्रगति से बढ़ रही है। कोलकाता, दिल्ली, मुम्बई आदि महानगरो की जनसख्या एक करोड पार कर चुकी है। कराची और ढाका की जनसख्या भी लगभग एक

करोड के आस–पास है। शहरो की ओर बढते प्रवास की तीव्र आभिलाषा के चलते आवास, स्वास्थ महामारियो की समस्या निरन्तर बढती जा रही है। [1] इस क्षेत्र मे दक्षेस देश मिलकर कुछ ऐसे ग्रामीण विकास कार्यक्रम विकसित कर सकते है और गॉव मे समाजिक कल्याण के कार्यक्रमो की योजनाये चलाई जा सकती है जिससे गॉव से पलायन और शहरो मे अनुचित प्रवास को रोका जा सकता है।

10–11 अप्रैल, 1993 को ढाका मे दक्षेस सम्मेलन सम्पन्न हुआ जिसमे सबसे प्रमुख मुद्दा साफ्टा रहा अर्थात दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता। इस शिखर सम्मेलन मे 'साफ्टा' को आम सहमति के आधार पर गठित किया गया। 2 नवम्बर, 1992 को दक्षेस देशो की आर्थिक सहयोग समिति की बैठक मे साफ्टा के गठन के लिए उससे सम्बन्धित सभी आवश्यक महत्वपूर्ण बातो पर विचार किया गया। भारत इस क्षेत्र मे मुक्त व्यापार क्षेत्र या सीमा सघ बनाने का इच्छुक था। लेकिन पाकिस्तान इस बात पर सहमत नही हुआ। पाकिस्तान यह सोच रहा था कि भारत विकसित, औद्योगिक व तकनीकी क्षेत्र के कारण अन्य सभी देशो पर हावी हो सकता है। इसी कारण से पाकिस्तान ने यह सुझाव दिया कि पहले आपस मे प्राथमिकता के आधार पर व्यापार बढाने की आवश्यकता है। इस समय दक्षेस देशो का सम्पूर्ण विश्व मे व्यापार मे 2 2% व्यापार का अशदान है। इन देशो मे आन्तरिक व्यापार की मात्रा और भी कम है। अन्य दक्षेस देशो से भारत का निर्यात इसके कुल निर्यातो का मात्र 3% है। सबसे पहले इन सभी देशो मे आपस मे व्यापार की मात्रा को बढाने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए जिसके लिए शुल्को और तटकरो मे विशेष रियायतो की व्यवस्था होनी चाहिए। शुल्को की रियायत प्रदान करने के लिए वस्तुओ की एक सूची तैयार की जानी चाहिए।

(1) वे वस्तुये, जिनमे तटकरो और प्रशुल्को मे रियायते प्रदान की जाये।

(2) वे वस्तुये, जिनमे तटकर और प्रशुल्क पूर्णतया समाप्त किया जाये।

(3) वे वस्तुये, जिनमे निर्यातो के लिए एक निश्चित रुप रेखा तैयार की जाये।

पाकिस्तान के विरोध के कारण साफ्टा की सहमति के पश्चात् भी इसका क्रियान्वयन टाल दिया गया। वास्तव मे इस क्षेत्रीय घटक मे कोई भी महत्वाकाक्षी समझौता होना सम्भव नहीं हो पा रहा है। कुछ तो आर्थिक कारणो से तथा कुछ अधिकाश देश प्रतिकूल भुगतान सन्तुलन की समस्या से ग्रस्त है और मुख्य रूप से राजनीतिक कारणों से ये देश संप्रभुता और आर्थिक नीतियो के निर्माण के दृष्टिकोण से बहुत भावुक हैं। छोटी–छोटी बातो पर इन देशो मे

---

[1] राष्ट्रीय सहारा दैनिक समाचार पत्र लखनऊ 31 मई, 1996 पृष्ठ 7

राजनीतिक विद्रोह की स्थिति पैदा हो जाती है। इस लिए इन क्षेत्रो मे औद्यौगिक सहकारिता के और व्यापार सहकारिता की कम महत्वाकाक्षी योजना ही सफल हो सकती है– उदाहरणार्थ सयुक्त उपक्रम, सूचनाओ का आदान–प्रदान, क्षेत्रीय स्तर पर तकनीकी स्थानान्तरण, सयुक्त शोध और विकास कार्यक्रम, सयुक्त विनियोजन केन्द्र और भुगतान समझौते। इस क्षेत्र मे काफी कार्य हुआ है और भविष्य मे हो भी सकता है।

दक्षेस देश अभी तक एक आर्थिक गुट के रूप मे विकसित नही हो पाये है। ये सभी देश एक ही प्रकार की समस्याओ से ग्रस्त है। उनके सामाजिक पहलू एक ही प्रकार के है। सास्कृतिक एकता इस क्षेत्र को एक सूत्र मे बॉधने के लिए काफी है, और भौगोलिक रूप से मालद्वीप और श्रीलका को छोडकर इनमे प्राकृतिक विभाजन की रेखा नही है, पर आपसी मतभेदो और पूर्वाग्रहो के कारण इसमे महत्वपूर्ण सहयोग की सम्भावना नही दिखलाई पडती है। जैसे–कोई भी देश किसी दूसरे देश के अन्दरूनी मामले मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही कर सकता है। इसके बाद भी ढाका दक्षेस सम्मेलन मे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमत्री नवाज शरीफ और बगलादेश की पूर्व प्रधानमत्री बेगम खालिदा जिया ने आयोध्या काड के मामले को उठाया, जो भारत का आन्तरिक मसला था। दक्षेस देशो के चार्टर मे द्विपक्षीय मसले को उठाने की इजाजत नही है। वही पाकिस्तान हमेशा से दक्षेस मे कश्मीर मे आत्मनिर्णय और जनमत सग्रह करवाने जैसी बात करता है। इस राजनीतिक विरोधाभास की दशा मे आर्थिक सहयोग और सहकारिता का हो पाना असम्भव तो नही है, लेकिन कठिन अवश्य है। इस क्षेत्र मे व्यापार की सम्भावनाये अनन्त होने के बावजूद सफलता की सम्भावना क्षीण है।

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग सघ (दक्षेस) देशो के बीच आपसी व्यापार को अधिक खुला और सरल बनाने के लिहाज से मई 1997 के माले मे हुई बैठक को महत्वपूर्ण माना जा सकता है। दक्षेस देशो नेपाल, भुटान, बगलादेश, मालद्वीप, पाकिस्तान और श्रीलका के साथ भारत के व्यापार मे बढोत्तरी एक अहम पहलू है, क्योकि इन देशो के साथ व्यापार करने मे भारतीय निर्यातको को परिवहन लागत कम होगी, जबकि यूरोपीय देशो के साथ व्यवसाय भारतीय इतिहास से जुडा हुआ हैं। वर्तमान मे भारत का करीब 30 प्रतिशत व्यापार यूरोपीय सघ के 15 देशो के साथ होता हैं जबकि दक्षेस देशो के साथ व्यापार मात्र तीन प्रतिशत ही हैं। मई 1997 के माले शिखर सम्मेलन मे लिए गये कुछ महत्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार हैं –

(1) दक्षिण एशिया को 2001 तक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया गया।

(2) **समाज में महिलाओं और महिलाओं से सम्बन्धित समस्याओं के समाधान पर अधिक जोर दिया गया। 2000–2010 के दशक को बच्चो के अधिकारो के दक्षेस दशक के रूप में**

मनाया जायेगा। दक्षेस, महिलाओ और बच्चो के व्यापार को रोकने पर विशेष ध्यान देगा। दक्षेस के कार्यकलापो मे दूरवर्ती शिक्षण शामिल किया जायेगा। खुले विश्वविद्यालयो और दूरवर्ती शिक्षण सस्थानो को खुले विश्वविद्यालयो के सकाय के निमार्ण की सम्भावनाओ के साथ क्षेत्र के बाहर प्रसार किया जायेगा।

(3) दक्षेस के व्यवसायिक सगठनो और स्वैच्छिक समूहो के मध्य सहयोग सवर्धित करने के उद्देश्य से दक्षेस मान्यता प्राप्त निकायो की एक नयी श्रेणी के सृजन के बारे मे सहमति हुई।

(4) दक्षेस के दूरगामी कार्यक्रम तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ दल गठित करना।

(5) पर्यावरण के क्षेत्र से जुडी वायु और जल प्रदूषण के सामान्य न्यूनतम मानक विकसित करने, सीमा पर जैव विविधता सरक्षण और वनस्पति एव जीव जन्तुओ के अवैध व्यापार को रोकने सम्बन्धी नियम तैयार करना। पर्यावरण की महत्ता को ध्यान मे रखते हुए दक्षेस के पर्यावरण मत्री साल मे एक बार बैठक किया करेगे।

(6) इस क्षेत्र मे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमो की प्रगति की समीक्षा के लिए दक्षेस के वित्त और योजना मत्री की तीसरी बैठक का शीघ्र आयोजन। इस वर्ष गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमो को तैयार करने और उनका क्रियान्वयन करने मे लक्ष्य समूहो की भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

(7) 1997 दक्षेस सहभागी शासन वर्ष के रूप मे नामित किया गया।

(8) दक्षेस सचिवालय के माध्यम से उपक्षेत्रीय सहयोग बढाना।

दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग सगठन (दक्षेस) के मई 97 शिखर सम्मेलन मे इस क्षेत्र के सात राष्ट्राध्यक्षो और प्रधानमत्रियो ने एक स्वर से यूरोपीय समुदाय के तरह से आर्थिक सहयोग बढाने, सन् दो हजार तक मुक्त व्यापार की सुविधाओ का लक्ष्य पूरा करने तथा गरीबी, अशिक्षा एव पिछडापन दूर करने के लिए सयुक्त प्रयासो का सकल्प व्यक्त किया।

मई 1997 के माले बैठक मे भारत के प्रधानमत्री श्री इन्द्र कुमार गुजराल के कहा कि विभिन्न क्षेत्र पूरे विश्व मे अपना यथोचित स्थान प्राप्त करने के लिए सतत् प्रयत्नशील है। दक्षिण एशिया को भी अपनी विशिष्ट और गतिशील पहचान बनानी चहिए। शताब्दियो से हमारा इतिहास और संस्कृति एक रही हैं । कालान्तर मे हमने विशिष्ट परिपूरक अर्थव्यवस्था कायम रखी थी। सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपने दिलो मे जानते है कि दक्षिण एशिया अपने आप मे

एक समुदाय है यह एक बन्धन है जो हमे इस क्षेत्रो की भावी अपार सभावनाओ को प्राप्त करने के लिए साथ रखेगा।

गुजराल ने कहा था कि विश्व मे आज दक्षिण एशिया को अपना यथोचित स्थान बनाना प्रगति और विकास के लिए आवश्यक है। ऐसा इस क्षेत्र के लोगो, यहॉ के उद्योगो, कौशल और कृतित्व के अनुरूप होना चाहिए। इस दिशा मे हमे आपस मे व्यापारिक प्राथमिकता देने के कार्यक्रम को तेज करते हुए न केवल शताब्दी के अत तक क्षेत्रीय मुक्त व्यापार के लक्ष्य को प्राप्त करना होगा बल्कि दक्षिण एशियाई आर्थिक समुदाय के गठन की भूमिका तैयार करनी होगी। प्रधानमत्री ने भारत की तरफ से वादा किया था कि दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र के बारे मे सीमा शुल्क घटाने के फलस्वरूप दक्षेस के सदस्य देशो मे भारत को बढने वाले निर्यात को सीमित रखने के लिए किसी तरह के प्रतिबधात्मक कदम नही उठाये जायेगे और अपील की थी कि शुल्को मे रियायते बढाई जाये और इस सूची मे सभी वस्तुएँ लाने की कोशिश की जाय। उन्होने कहा था कि भारत ने काफी हद तक शुल्क तथा अन्य प्रकार के अवरोध हटा दिए है और भविष्य मे भी यह प्रक्रिया जारी रखेगा। हमारी कोशिश है कि बूद की तरह शुरू हुए हमारे प्रयास मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने की दिशा मे बाढ का रूप धारण कर ले।[1] इसके लिए व्यापक रूप से आयात–निर्यात शुल्क घटाने शुरू करने चाहिए। प्रधानमत्री ने कहा था कि दक्षेस देशो का आर्थिक सहयोग अब निर्यात–आयात तक सीमित नही रहकर पूँजी निवेश प्रोत्साहन, प्रतिबधात्मक नीतियो को समाप्त करने, दोहरी कर प्रणाली रद्द करने, उत्पादन मानको मे सुधार एव समानता और व्यापारिक विवाद सुलझाने के तत्र तक पहुँच गया है।

सन् बीस सौ बीस मे दक्षिण एशिया क्षेत्र समग्र विकास का निर्धारण करके और उसे साकार करने के विभिन्न चरण और नीतियॉ बनाने का निर्देश देकर नौवा शिखर सम्मेलन सुनहरे भविष्य की ओर यात्रा मे मील का पत्थर बन सकता हैं। अगली शताब्दी एशियाई शताब्दी होने की भविष्यवाणी की जा चुकी हैं। एशिया का भाग्य पहले ही उद्घोषित किया जा चुका हैं। विश्व उत्पाद मे एशिया का अश जो 1820 मे 60 प्रतिशत से घटकर 1950 मे मात्र 20 प्रतिशत रह गया था। सन् बीस सौ बीस मे दोबारा बढकर 60 प्रतिशत हो जायेगा। दक्षिण एशिया का यह विहगम स्वरूप हम सिर्फ सतत समूहिक प्रयास, प्रतिबद्ध राजनीतिक इच्छा शक्ति और विश्वास से ही प्राप्त कर सकते हैं। विश्व के श्रेष्ठतम् अर्थवेत्ताओ ने एशिया को भविष्य का महाद्वीप की सज्ञा दी हैं।

---

[1] हिन्दुस्तान, दैनिक समाचार पत्र, नई दिल्ली, 13 मई, 1997, पृष्ठ–11।

भारतीय वाणिज्य एव उद्योग मडल महासघ (फिक्की) के अध्यक्ष श्री ए0 एस0 कासलीवास ने कहा कि दक्षेस देशो मे आपसी व्यापार बढाने के बारे मे भावनाएँ तो अच्छी है लेकिन कोई ठोस प्रगति नही हो पा रही है। दक्षेस प्रयास मात्र तीन प्रतिशत तक ही सीमित है जो यह सिद्ध करता है कि पिछले 4–5 वर्षों मे हुई प्रगति की गति बहुत ही धीमी है।

उल्लेखनीय है कि दक्षेस का 11वॉ शिखर सम्मेलन 5–6 जनवरी, 2002 को काठमाडू मे सम्पन्न हुआ। भारत, पाकिस्तान, बाग्लादेश, श्रीलका, नेपाल, भूटान व मालदीव के शासनाध्यक्षो का यह सम्मेलन मूलत नवम्बर 1999 मे प्रस्तावित था, किन्तु पाकिस्तान मे प्रधानमत्री नवाज शरीफ की निर्वाचित सरकार का जनरल परवेज मुशर्रफ द्वारा तख्ता पलटे जाने से वहॉ सैन्य सरकार होने के कारण यह सम्मेलन उस समय नही हो सका (भारत सरकार ने सैन्य सरकार के साथ शिखर बैठक मे भागीदारी से तब इनकार कर दिया था)। भारत एव पाकिस्तान मे तनाव की स्थिति बने रहने के कारण दक्षेस का यह शिखर सम्मेलन टलता ही रहा।

तालिका–5 1

**दक्षेस शिखर सम्मेलन कब और कहॉ**

| क्रमाक | वर्ष | आयोजन स्थल |
|---|---|---|
| 1 | 1985 | ढाका (बाग्लादेश) |
| 2 | 1986 | नई दिल्ली (भारत) |
| 3 | 1987 | काठमाडू (नेपाल) |
| 4 | 1988 | इस्लामाबाद (पाकिस्तान) |
| 5 | 1990 | माले (मालदीव) |
| 6 | 1991 | कोलम्बो (श्रीलका) |
| 7 | 1993 | ढाका (बाग्लादेश) |
| 8 | 1995 | नई दिल्ली (भारत) |
| 9 | 1997 | माले (मालदीव) |
| 10 | 1998 | कोलम्बो (श्रीलका) |
| 11 | 2002 | काठमाडू (नेपाल) |
| 12 | 2003 | पाकिस्तान (प्रस्तावित)<br>नोट – भारतीय प्रधानमत्री द्वारा यहाँ न जाने की घोषणा से यहाँ यह सम्मेलन होना सन्दिध। |

इस सम्मेलन का आयोजन अन्तत ऐसे समय मे हुआ, जब भारत एव पाकिस्तान के पारस्परिक सम्बन्धो मे गम्भीर तनाव की स्थिति चरम अवस्था मे है। भारतीय ससद पर 13 दिसम्बर 2001 के आतकी हमले व इसके लिए उत्तरदायी आतकवादियो के विरुद्ध पाकिस्तान के उदासीन रवैये के परिप्रेक्ष्य मे भारतीय प्रधानमत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने काठमाडू रवाना

होने से पूर्व ही यह स्पष्ट कर दिया था, कि शिखर सम्मेलन के दौरान पाकिस्तानी राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता वह नही करेगे।

दक्षेस के विगत 10 शिखर सम्मेलनो की भॉति यह ग्यारहवॉ शिखर सम्मेलन भी मूलत तीन दिन का निर्धारित था, किन्तु खराब मौसम के कारण पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के समय से न पहुॅच पाने के कारण 4 जनवरी, 2002 को सम्मेलन का उद्घाटन न हो सका। श्री मुशर्रफ बीजिग होते हुए काठमाडू आये थे। दक्षेस चार्टर के अनुसार सभी सातो शासनाध्यक्षो की उपस्थिति मे ही इसके शिखर सम्मेलन का उद्घाटन सम्भव है। 5 जनवरी, 2002 को सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर सातो राष्ट्रो के शासनाध्यक्ष उपस्थित थे।

'नरेश वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रीय सभागार' मे सम्पन्न उद्घाटन समारोह को सभी उपस्थित शासनाध्यक्षो ने सम्बोधित किया। आतकवाद का मुद्दा ही इन सभी सम्बोधनो मे हावी रहा। पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने इस मच से जहॉ 11 सितम्बर, 2001 को अमरीका मे हुए आतकी हमले की कडी भर्त्सना की वही भारतीय ससद पर 13 दिसम्बर, 2001 के हमले का कोई उल्लेख अपने सम्बोधन मे नही किया। उद्घाटन समारोह मे ही दक्षेस की निवर्तमान अध्यक्ष चन्द्रिका कुमारतुग ने अपना यह पद नेपाल के प्रधानमत्री शेरबहादुर देउबा को औपचारिक रूप से सौप दिया

सम्मेलन की समाप्ति पर जारी 11 पृष्ठो के 56 सूत्रीय 'काठमाडू घोषणा पत्र' मे भी आतकवाद के खात्मे के प्रति प्रतिबद्धता सभी सात शासनाध्यक्षो ने व्यक्त की है। इस सम्बन्ध मे सयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् द्वारा पारित प्रस्ताव सख्या 1373 (इसे 11 सितम्बर, 2001 की आतकी घटना के परिप्रेक्ष्य मे पारित किया गया था) के प्रति अपना पूर्ण समर्थन इन शासनाध्यक्षो ने व्यक्त किया है। अन्तर्राष्ट्रीय आतकवाद का मुकाबला करने के लिए सयुक्त राष्ट्र चार्टर एव अन्य अन्तर्राष्ट्रीय कानूनो व सन्धियो के अनुरूप वृहद् कार्य योजना तैयार करने पर इसमे बल दिया गया है।

आर्थिक सहयोग पर भी समान रूप से बल देते हुए क्षेत्रीय व्यापार को सुगम बनाकर इसका लाभ प्राप्त करने के लिए दक्षेस घोषणा–पत्र मे कहा गया है। इसके लिए दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र (SAFTA) का मसौदा–2002 के अन्त तक तैयार करने को इसमे कहा गया है। दक्षेस का आगामी 12वॉ शिखर सम्मेलन 2003 मे पाकिस्तान मे सम्पन्न होगा। दक्षेस राष्ट्रो के सूचना मत्रियों का तीन दिवसीय सम्मेलन 7–9 मार्च, 2002 को इस्लामाबाद मे सम्पन्न हुआ। इसमे भारत का प्रतिनिधित्व सूचना एव प्रसारण मत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने किया।

## 4 साफ्टा –

भारत सहित दक्षिण एशिया के सात देशो मे साफ्टा अर्थात 'दक्षिण एशियाई वरीयता प्राप्त व्यापार समझौता' को लागू कर दिया गया है। सबसे पहले साफ्टा का प्रस्ताव श्रीलका के तत्कालीन राष्ट्रपति रणसिह प्रेमदास ने 1991 मे हुए छठे दक्षेस शिखर सम्मेलन (कोलम्बो) के दौरान किया तथा उसके बाद ढाका मे सम्पन्न सातवे दक्षेस शिखर सम्मेलन अप्रैल 1993 के दौरान उस पर हस्ताक्षर किया गया। 4 दिसम्बर, 1995 मे दक्षिण एशिया का पहला क्षेत्रीय व्यापारिक गुट अस्तित्व मे आ गया। इस सगठन से बाग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलका, नेपाल, भूटान, मालदीव और भारत को विशेष रियायते ही उपलब्ध नही हो सकता बल्कि विश्व के अनेक क्षेत्रीय व्यापारिक गुटो के जवाब मे एक करारी पहल भी सिद्ध हो सकता है। साफ्टा के अन्तर्गत जो उत्पाद आते है उनके तटकर मे कम से कम दस प्रतिशत की कमी लायी जा सकती है। दो देश तटकर मे कटौती का प्रतिशत आपस मे परस्पर विचार–विमर्श करके तय कर सकते है।

भूटान, नेपाल और बाग्लादेश को न्यूनतम विकसित देश घोषित करने के उपरान्त ये व्यवस्था की गई है कि ये देश दक्षेस देशो से आयात पर अस्थायी रोक लगा सकते है। साफ्टा के अन्तर्गत आने वाले देशो ने अभी तक केवल 226 वस्तुओ को ही शुल्क रियायत देने की सहमति प्रकट की है। इस व्यापारिक गुट मे 106 वस्तुओ पर शुल्क रियायत देकर भारत इनमे से अग्रणी भूमिका अदा कर रहा है। जबकि इस सन्दर्भ मे श्रीलका ने 31 वस्तुओ, बाग्लादेश ने 12, मालदीव ने 17, भूटान ने 7, और पाकिस्तान ने 35 वस्तुओ की सूची जारी की है। लगभग 1 2 अरब आबादी वाले इन देशो के बीच आपसी व्यापार कुल विश्व व्यापार का मात्र 3 प्रतिशत (9 300 करोड डालर) है।[1]

इन सभी देशो के बीच आने वाली विभिन्न बाधाओ की वजह से ऐसा है, लेकिन साफ्टा के वजह से ये बाधाए अब टूटती नजर आ रही हैं। ये सभी देश औद्योगिक उत्पादो को विकसित देशो से आयात करते हैं, जो कि यही औद्योगिक उत्पाद क्षेत्र के अन्य पडोसी देशो से काफी सस्ते मे आयात किया जा सकता है।

---

[1] क्रानिकल मार्च 1996, क्रानिकल पब्लिकेशन्स प्रा0 लि0, 208, शिवलोक हाउस–1, नई दिल्ली 110015 पृष्ठ–12।

साफ्टा के लागू होने के साथ ही दक्षिण एशिया मे क्षेत्रीय आर्थिक व व्यापार सहयोग के एक नये युग की शुरुआत हो रही है। यदि इस क्षेत्र के सभी देश आपस मे सहयोग करे तो यह क्षेत्र की सबसे बडी ताकत हो सकती है। जिसके बल पर विकसित देश भी दक्षिण–एशिया का लोहा मानने के लिए बाध्य हो सकते है।

दक्षेस देशो के वाणिज्य एव व्यापार मन्त्रियो का प्रथम सम्मेलन नयी दिल्ली मे 9 जनवरी, 1996 को सम्पन्न हुआ, जिसमे साफ्टा को प्रभावशाली बनाने का सकल्प लिया गया ताकि सन् 2000 तक या अधिक से अधिक 2005 से पूर्व तक इस क्षेत्र को मुक्त व्यापर क्षेत्र बनाने का लक्ष्य पूरा किया जा सके। इस सम्मेलन मे साफ्टा को पूरी तरह से लागू करने और व्यापार उदारीकरण पर अन्तरसरकारी दल की बैठक मार्च, 1996 मे श्रीलका मे बुलाने का निश्चय किया गया। तत्कालीन वित्त मत्री डॉ0 मनमोहन सिह के अनुसार "दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता (साफ्टा) से दक्षेस देशो के बीच क्षेत्रीय व्यापार के विस्तार को बल मिलेगा। ऐसी कई आधारभूत क्षेत्र की परियोजनाएँ है जिनका कार्यान्वयन क्षेत्रीय सहयोग के आधार पर ही सम्भव है। दक्षेस देशो के बीच आर्थिक सहयोग से सभी सदस्यो को लाभ मिलने वाला है।[1] इससे किसी भी देश को नुकसान नही होगा।

आर्थिक सहयोग और व्यापार विस्तार मे जानकारी और सूचनाओ के आदान–प्रदान मे दूरी सबसे बडी बाधा साफ्टा के देशो के बीच रही है। विकसित देशो ने पर्यावरण, श्रमिक मानक और मानवाधिकार जैसे नये सरक्षणवादी तरीके अपनाने शुरू कर दिये है। ऐसी दशा मे विकासशील देशो की मदद के लिए क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इससे क्षेत्र की व्यापक प्रतिष्ठा भी बढ सकती है।

सदस्य देशो को साफ्टा के क्षेत्र मे मुक्त व्यापार समझौते की तरफ बढना चाहिये। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता साफ्टा की प्राप्ति तक इन नकारात्मक सूचियो मे लगातार गिरावट आनी चाहिए। क्षेत्र मे मुक्त व्यापार के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मूलभूत सुविधाओ का विकास किया जाना चाहिए। नकारात्मक सूची मे दर्ज वस्तुओ को छोडकर बाकी सभी वस्तुओ का व्यापार वरीयता के आधार पर तय शुल्क अथवा गैर शुल्क दरो पर किया जाय।

दक्षेस क्षेत्र के सभी देशो मे आम धारणा यही है कि अपने पडोसी देशो से ही आयात किया जाय। इस बात को ध्यान मे रखते हुए सदस्य देशो को एक दूसरे के साथ व्यापार सवर्धन के लिए उचित नीतियाँ और उपाय करने चाहिए। आपसी व्यापार मे बाधाओ का एक

---

[1] अमृत–प्रभात, इलाहाबाद 4 जनवरी 1996, पृष्ठ 1।

बार पता चल जाने से उनका निवारण किया जा सकता है। इससे निवेश कारोबार सयुक्त उद्यम और सेवाओ मे वृद्धि होने की सम्भावना रहती है। दक्षेस देशो को समय पर साफ्टा को क्रियान्वित करने के लिए भविष्य के लिए एजेडा तैयार करना चाहिए तथा विशिष्ट मुद्दो पर समझौता करना चाहिए।

क्षेत्रीय सहयोग से फायदा हो जाने के बावजूद गरीबी की स्थिति तथा क्षेत्रीय विषमता के कारण शुरू मे दक्षिण एशिया मे आर्थिक सहयोग गति नही पकड पाया। विश्व के कुल व्यापार मे दक्षेस देशो का व्यापार एक प्रतिशत भी नही है, जबकि इन देशो के कुल विदेशी व्यापार मे से केवल तीन प्रतिशत व्यापार आपस मे होता है।

बदलते आर्थिक परिवेश मे व्यापार और उद्यम की नयी–नयी सभावनाए पैदा हो रही है तथा क्षेत्र के व्यवसायिक समुदाय का ध्यान तेजी से इस ओर आकर्षित हो रहा है। साफ्टा के गठन के बाद नयी सभावनाओ के प्रति व्यापारिक क्षेत्र का रूप काफी उत्साहवर्धक रहा है। तत्कालीन प्रधानमत्री पी0 वी0 नरसिह राव के अनुसार "दक्षेस के बीच व्यवसायियो की मुक्त आवाजाही, सचार और दूरसचार सम्पर्को मे सुधार तथा आवागमन की सुविधा के साथ–साथ व्यापारिक प्रतिनिधिमडलो की यात्रा क्षेत्र के लिए जरूरी आवश्यकताएँ है।[1]

## 5. उत्तरी अमरीकी मुक्त व्यापार समझौता (नाफ्टा) :–

12 अगस्त, 1992 को उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के लिए जब सयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको तीनो ने मिलकर एक मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित करने की घोषणा की तो उस समय विश्व के आर्थिक समुदाय ने इसको एक नया गुट स्वीकार करते हुए इसके प्रभावो का विश्लेषण और लेखा जोखा तैयार करना शुरू कर दिया तथा बाद मे इसी गुट का नाम नाफ्टा रखा गया।

17 नवम्बर, 1993 को अमेरिकी ससद द्वारा अनुमोदन के बाद 1 जनवरी, 1994 से यह पूर्ण आस्तित्व मे आ गया। नाफ्टा (नार्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेन्ट) अथवा उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता सयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको का सगठन है। नाफ्टा के घरेलू उत्पाद 6 खरब, 8 अरब डालर के बराबर हैं। इसकी जनसख्या अटलाटिक क्षेत्र के यूरोपीय सघ के देशो की जनसख्या से 2 करोड़ अधिक है। इस प्रकार यह आबादी की दृष्टि से यूरोपीय समुदाय से बड़ा है तथा अब विश्व का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार क्षेत्र बन गया है।

[1] अमृत–प्रभात, दैनिक समाचार पत्र, इलाहाबाद, 9 जनवरी 1996, पृष्ठ 12।

कनाडा से 22 बिलियन डालर की वस्तुओ का आयात तथा 05 बिलियन डालर की वस्तुओ का निर्यात करता है। इसके विपरीत कनाडा अमेरिका से 91 बिलियन अमेरिकी डालर की वस्तुओ का आयात और 85 बिलियन डालर की वस्तुओ का निर्यात करता है। अमेरिका के कुल आयात का 61 प्रतिशत सामान मैक्सिको से आता है और अमेरिका के कुल निर्यात मे 72 प्रतिशत सामानो का निर्यात मैक्सिको को होता है।

नाफ्टा तीन देशो का एक व्यापारिक गुट है और इससे सभी सदस्य देशो को लाभ हो सकता है। लेकिन सबसे अधिक फायदे मे अमेरिका ही रहने वाला है। मैक्सिको जैसे देश मे अमेरिका को काफी रियायत मिलने से व्यापक सभावनाओ वाला नया बाजार प्राप्त हुआ है। जिससे अमेरिका के निर्यात मे वृद्धि हो सकती है रोजगार के नये अवसर पैदा हो सकते है तथा अर्थव्यवस्था मे नये रक्त सचार के साथ ही कारपोरेट क्षेत्र सबसे अधिक लाभ की स्थिति मे हो सकते है। भारत की तरह मैक्सिको भी एक विकासशील देश है जहॉ काफी सस्ता श्रम उपलब्ध है जिसके फलस्वरूप मैक्सिको मे अमेरिकी पूजी का प्रभाव बढ सकता है। जिससे वहॉ भी रोजगार के नये अवसरो का सृजन हो सकता है। कनाडा का आर्थिक भविष्य नाफ्टा के साथ जुडा हुआ है। वैसे भी अमेरिका के साथ कनाडा का एक समझौता पहले से ही है, जिसके फलस्वरूप दोनो ही देशो को व्यापार मे कोई विशेष परेशानी नही होगी।

<u>नाफ्टा के तहत हुए कुछ प्रमुख समझौते</u> :–

(1) तीनो देश एक–दूसरे के लिए लागू सभी व्यापार प्रतिबध 10 वर्षो मे पूरी तरह समाप्त कर देगे।

(2) अमेरिका, मैक्सिको को प्रतिवर्ष निर्यात होने वाले लगभग 25 करोड डालर (कुल निर्यात का लगभग 20 प्रतिशत) के वस्त्र एव परिधानो पर सभी तरह के अकुश या नियत्रण तत्काल प्रभाव से हटा देगा।

(3) अमेरिका से कृषि जिसो के आयात पर से मैक्सिको 10–15 वर्षो मे आयात शुल्क समाप्त कर देगा।

(4) सीमा शुल्क 15 वर्षो के लिए लागू होगा। मैक्सिको मे उत्पादित वस्तुओ पर अमेरिका मे सीमा शुल्क औसतन 4 प्रतिशत से कम होगा जबकि इसके विपरीत अमेरिकी वस्तुओ पर मैक्सिको में सीमा शुल्क औसतन 10 प्रतिशत होगा।

(5) वित्तीय सेवाओ मे मैक्सिको अपने वित्तीय बाजार अमेरिका और कनाडा के लिए खोल देगा तथा वहॉ की बीमा कम्पनियो एव बैको का पूर्ण स्वामित्व वाली इकाइयॉ स्थापित करने की अनुमति प्रदान करेगा।[1]

जहॉ नाफ्टा से तीनो ही सदस्य देशो को लाभ हो सकता है वही पर दूसरी ओर लातिन अमेरिका के अन्य देशो, दक्षिण पूर्व एशिया के नव विकसित देशो, यूरोपीय समुदाय और भारत जैसे विकासशील देशो को थोडी बहुत परेशानी हो सकती है। भारतीय निर्यात सगठन सघ ने 1996–2001 के लिए भारत की निर्यात रणनीति नामक प्रारूप मे कहा है कि नाफ्टा दो विकसित देशो और एक विकासशील देश का समूह है जो वास्तव मे अमेरिकी प्रौद्योगिकी और मैक्सिको के सस्ते श्रम का मिश्रण है। 24 जनवरी, 1996 को भारतीय निर्यात सगठन सघ ने कहा है कि नाफ्टा के अस्तित्व मे आने से भारत के व्यापार हितो पर सीधे खतरा पैदा हो सकता है। नाफ्टा विशेषकर कपडा क्षेत्र पर आधारित है। वही पर भारत एक ऐसा देश है जहॉ कपडा क्षेत्र के निर्यात मे तेजी से वृद्धि हो रही है, और कुल निर्यात मे इसका हिस्सा लगभग एक–चौथाई है। इसीलिए नाफ्टा के प्रतिरूप कदम उठाने के भारतीय निर्यात सगठन सघ ने ऐसी नीति बनाने का सुझाव दिया है जिससे कनाडा और अमेरिका के साथ–साथ पुर्नखरीद और तीसरे देश को निर्यात करने की सुविधा दी जाय। इसके अतिरिक्त उत्तर अमेरिकी बाजार के लिए भारतीय निर्यातको को सरकार की ओर से विशेष सहायता भी दी जानी चाहिए।

पहली बार इस व्यापार समझौते मे वस्तुओ के साथ साथ सेवाओ को भी मुक्त व्यापार मे शामिल कर लिया गया। मैक्सिको श्रम बाहुल देश है तथा कनाडा मे और अमेरिका मे श्रम साधनो की कमी है। इन तीनो देशो की साझा सकल राष्ट्रीय आय कुल विश्व के राष्ट्रीय आय का एक तिहाई है और यह यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सकल राष्ट्रीय आय से अधिक है। क्षेत्रफल, खनिज और अन्य प्राकृतिक सुविधाओ की वजह से इस समूह का कोई मुकाबला नही किया जा सकता है। अमेरिका और कनाडा खाद्यान्न का निर्यात करते है और मैक्सिको खाद्यान्न का आयात करता है। औद्योगिक दृष्टिकोण से अमेरिका काफी विकसित है और मैक्सिको उद्योग और तकनीक का आयात करता है इसकी वजह से मैक्सिको को लाभ हो सकता है तथा अमेरिका को भी अपने निर्यातो को बढाने मे काफी सहायता मिल सकती है।

---

1 क्रानिकल, मासिक पत्रिका, क्रानिकल प्रा0 लि0 200 शिव लोक हाउस–1, नई दिल्ली 110015, मार्च, 1996, पृष्ठ 12।

अमेरिका कनाडा और मैक्सिको का व्यापार विश्व के व्यापार का 18% है, जिसमे अमेरिका का कनाडा और मैक्सिको से बहुत ज्यादा व्यापार होता है। अमेरिका के कुल निर्यात मे से 20% निर्यात कनाडा को किया जाता है। (लगभग 87 बिलियन डालर) मैक्सिको से 77% निर्यात अमेरिका को किया जाता है (कुल निर्यात 44 बिलयन डालर का अमेरिका को 33 7% विलियन डालर)। इसी प्रकार कनाडा का 78% निर्यात अमेरिका को होता है (कुल निर्यात 135 बिलियन डालर मे से 105 बिलियन डालर) कनाडा और मैक्सिको का आन्तरिक व्यापार बहुत सकुचित है जिसके बढने की अधिक सभावना है। मैक्सिको मे श्रमिको का मूल्य अमेरिका की तुलना मे काफी कम है, इसी कारण से मैक्सिको मे अधिकाश वस्तुओ की उत्पादन कीमत बहुत कम आती है जिसकी वजह से मैक्सिको मे औद्योगीकरण और रोजगार बढ सकता है।

## 6. कोमेसा :–

कोमेसा पूर्वी एव दक्षिणी अफ्रीकी देशो का एक व्यापारिक सगठन है जिसका पूरा नाम दक्षिण–पूर्वी अफ्रीका साझा बाजार है। 5 नवम्बर, 1993 को हस्ताक्षर करके युगाडा की राजधानी कम्पाला मे इसकी स्थापना की गयी। कोमेसा के कुल सदस्य देशो की सख्या 27 है, जिसमे युगाडा, जाम्बिया, मेडागास्कर, दक्षिण–अफ्रीका, इरीट्रिया, साईचीलीस आदि देश शामिल है। इस सगठन का मुख्य उद्देश्य 320 मिलियन लोगो के लिए एक साझा बाजार की स्थापना करना है, जिसका सकल घरेलू उत्पाद 125 बिलियन डालर है।

शीतयुद्ध के समाप्त हो जाने के बाद अफ्रीकी देशो को अतर्राष्ट्रीय सहायता मिलना कम हो गया तथा जो बाहरी देश अफ्रीकी देशो की मद्द करते थे, वे ही अफ्रीकी देशो पर इस बात के लिए दबाव डालने लगे कि वे अपनी अर्थव्यवस्था को उनके अनुकूल ढाल ले लेकिन अफ्रीकी देशो मे ऐसी क्षमता बहुत कम रही है, जो बाहरी दबाव के अनुरूप अपने आर्थिक सरचना का विकास कर सकते हैं। इस लिए ऐसी परिस्थिति मे उस क्षेत्र के अफ्रीकी देशो को कोमेसा जैसी बाजार व्यवस्था को लागू करने का निर्णय लेना पडा, ताकि उस क्षेत्र की पर्याप्त आर्थिक उन्नति हो सके।

## 7. हिंद महासागर तटीय देश :–

हिंद महासागर का तट तीन महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका और आस्ट्रेलिया के देशो को एक दूसरे से जोडता है। आज के इन तटीय देशो को आपस मे स्थायी आर्थिक सम्बन्ध कायम करने

के प्रयत्न के पीछे एक लम्बा सिलसिला रहा है। पिछले चार–साढे चार हजार वर्षो से हिद महासागर के तट पर बसे हुए देश और वहॉ के निवासी किसी न किसी रूप मे, खासकर व्यापर के बहाने एक दूसरे से जुड रहे है। ये देश जाति, सस्कृति, तथा धर्म की दृष्टि से काफी भिन्नता रखते है। इन सबसे बढकर इन देशो मे आर्थिक असमानता है। एक तरफ जहॉ आस्ट्रेलिया और सयुक्त अरब अमीरात जैसे देशो मे प्रति व्यक्ति आय का औसत 15,000 डालर है, वही पर दूसरी तरफ मोजाम्बिक, तजानिया, मेडागास्कर, बगलादेश जैसे गरीब अफ्रो–एशियाई देशो मे इसका औसत काफी कम केवल 250 डालर है। इनमे एक तरफ जहॉ पर एक अरब से अधिक जनसख्या वाला भारत है, तो वही पर दूसरी तरफ ऐसे भी देश है, जिनकी जनसख्या केवल 80 हजार है।

आर्थिक प्रगति मे सहयोग के अलावा तटीय देशो का गुट गठित हो जाने से इसके द्वारा सदस्य देशो के द्विपक्षीय विवादो आतरीक अशाति तथा देश की सप्रभुता व अखण्डता को पडोसी देशो के खतरे के मसलो को भी हल किया जा सकता है। अतराष्ट्रीय क्षेत्रीय व्यापार गुटो की तगडी प्रतिस्पर्धा, तटीय देशो के गुट की सफलता को भी प्रभावित कर सकती है, क्योकि वे गुट यह नही चाहते कि एशिया–अफ्रीका का एक बडा बाजार उनके हाथो से निकल जाय। तटीय देशो के गुट की सफलता इस बात पर निर्भर है, कि वह अतर्राष्ट्रीय व्यापार गुटो मे कितनी दक्षता के साथ पेश आता है। हिद महासागर के तटीय देशो का व्यापार गुट का गठन इसलिए भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योकि दक्षिण एशिया के देश काफी पहले से अपना व्यापार गुट (साफ्टा) बनाने मे जुटे हुए है। हिद महासागर के तटीय देशो का व्यापार गुट यदि शीघ्र ही अमल मे आ जाता है, तो यह न केवल दक्षिण एशिया के देशो के लिए सुखकर हो सकता है, बल्कि यह हिद महासागर के समस्त तटवर्ती देशो के हित मे हो सकता है, जिससे विश्व के इस बदलते दौर मे सभी देशो को अपनी अर्थव्यवस्था को उन्नत एव गतिशील करने का अवसर मिल सकता है।

आपस मे इतनी भिन्नताओ के होने के बावजूद विश्व के बदलते परिदृश्य को देखते हुए इन सब तटीय देशो का एक क्षेत्रीय आर्थिक गुट बनाने की बात पिछले कई वर्षो से उठ रही है, लेकिन इधर एक बार फिर इसके गठन की माग बडी तेजी से प्रबल हो उठी है। यदि भूमडलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण को ध्यान मे रखकर इन सभी देशो का एक मुक्त व्यापार सगठन बन जाय, तो यह बीसवी शताब्दी की एक बहुत बडी आर्थिक घटना हो सकती है। लेकिन फिर भी शीत युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद बडी तेजी से क्षेत्रीय व्यापार गुटो का गठन किया गया है। नाफ्टा, यूरोपीय सघ, कोमेसा, ओपेक, आसियान आदि इसी आर्थिक

प्रतिस्पर्धा की कोख से बाहर निकले है। इन सबको देखते हुए हिद महासागर के तटीय देशो का भी एक व्यापार गुट गठित करना जरूरी हो गया है, जिसमे कि इस क्षेत्र का आर्थिक विकास तेजी से हो सके। हिद महासागर के तट पर बसे एशिया और अफ्रीका के देशो की जनसख्या, विश्व की कुल जनसख्या की एक तिहाई है। यह क्षेत्र खनिज ससाधनो के मामले मे भी काफी समृद्ध है।

विश्व का दो तिहाई तेल भडार, कुल यूरेनियम भडार का 60 प्रतिशत, कुल सोने का 40 प्रतिशत तथा विश्व के कुल हीरे के भडार का 98 प्रतिशत उपलब्ध है।[1] दक्षिण अफ्रीका के रगभेदी शासन से मुक्त हो जाने के बाद वहाँ के राष्ट्रपति डा0 नेल्सन मडेला ने भी इस प्रकार का गुट बनाने की घोषणा किया और स्वय भी काफी सक्रियता दिखाई। भारत, दक्षिण अफ्रीका, मारिशस, ओमान, आस्ट्रेलिया, केन्या तथा सिगापुर, इस क्षेत्र के वे प्रमुख देश है, जो क्षेत्रीय व्यापार गुट के गठित करने के लिए प्रयास कर रहे है। इस दिशा मे नई दिल्ली मे 14 दिसम्बर, 1995 को एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमे भाग लेने वाले देशो ने यह तय किया कि क्षेत्रीय व्यापार को बढाने के मार्ग मे जो अवरोध है, उनकी पहचान करके उन्हे दूर करने का प्रयास किया जाय। भारत की प्रमुख राष्ट्रीय व्यापार सस्थाओ, फिक्की, सी0 आई0 आई0 और एसोचैम द्वारा सयुक्त रूप से आयोजित किया गया। उस सम्मेलन मे यह तय किया गया कि क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग बढाने के लिए दूरसचार, कस्टम और व्यापार दस्तावेजीकरण, गैर चुगी बाधाये, समुद्री परिवहन और सम्बन्धित मामले, पर्यावरण और ऊर्जा के मामले पर विशेष ध्यान दिया जाय।

जून 1995 मे आस्ट्रेलिया ने इस गुट के देशो की तीन दिवसीय बैठक पर्थ मे आयोजित किया, जिसमे 28 देशो के प्रतिनिधियो ने भाग लिया और उस बैठक मे दो 'प्रयास–समूहो' की स्थापना की गई, जो सम्बन्धित देशो मे व्यापारिक और शैक्षणिक वातावरण का माहौल तैयार करेगा, इस बैठक के आयोजित होने के पहले प्रस्तावित गुट के सात प्रमुख देश मार्च 1995 मे पोर्ट लुइस मे मिले और पारस्परिक व्यापार सभावनाओ और अडचनो के बारे मे बातचीत की।

भारत के अनुरोध पर आस्ट्रेलिया उसे सबधित खाद्य पदार्थ, औषधियाँ, विशेष प्रकार के चिकित्सीय उत्पादो, रसायनिक उत्पादन, बैकिग, बीमा, साफ्टवेयर का विकास, प्रबन्धन, दूरसचार, प्रदूषण नियंत्रण और ऊर्जा बचत तकनीक, वैज्ञानिक उपकरण तथा खनिज ससाधन के क्षेत्र में सहायता दे सकता है। भारत इस गुट मे शामिल होकर दक्षिण अफ्रीका की खनन

---

[1] क्रानिकल, मासिक पत्रिका, क्रानिकल प्रा0 लि0 208 शिव लोक हाउस–1, नई दिल्ली 110015, मार्च, 1996, पृष्ठ 12।

कम्पनियो से उन अत्याधुनिक तकनीको को हासिल कर सकता है, जिनके द्वारा कोयले, हीरे तथा अन्य खनिजो का वैज्ञानिक ढग से खनन किया जा सके। वहॉ पर कुछ कम्पनियॉ ऐसी भी है जो अति आधुनिक तकनीक के जरिए कोयले को गैस मे बदलती है। भारत इसमे भी लाभ उठा सकता है। भीतरी समुद्र मे महत्वपूर्ण व्यापार मार्गो की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका हिद महासागर मे दोनो की नौ सेना के बीच भी व्यापार स्तर पर सहयोग कर सकते है। इसी तरह का सहयोग मारिशस, सिगापुर तथा अन्य तटीय देशो के साथ भी सभव हो सकता है।

भारत वर्तमान परिस्थितियो मे व्यापक और निवेश के मामले मे इस गुट के सात प्रमुख देशो के बीच सहयोग की सभावनाएँ तेजी से तलाश रहा है। भारत ने अपना ध्यान इस गुट के कुछ देशो, विशेषकर आस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के साथ सयुक्त व्यापार नीति पर केन्द्रित कर रखा है। भारत और आस्ट्रेलिया प्राकृतिक ततुओ के विश्व के दस बडे निर्यातको मे से दो है। उसी प्रकार आस्ट्रेलिया, भारत और दक्षिण अफ्रीका विश्व के दस प्रमुख लौह अयस्क के निर्यातको मे से तीन है। ये तीनो देश इस बात पर विचार कर रहे हैं कि एक जैसे उत्पादो के लिए सयुक्त बाजार की नीति पर अमल किया जाय, तथा इसके साथ ही वे प्रादेशिक व्यापार सस्थाओ के माध्यम से बडी मात्रा मे वस्तुओ का आयात भी कर सके।

हिद महासागर के तटीय देशो के गुट का प्रमुख लक्ष्य है आपसी व्यापार को गति प्रदान करना, सयुक्त बाजार, उदारीकरण, सयुक्त खरीद आदि पर सहयोग की बदौलत ही सभव है। इसके अतिरिक्त इस गुट के लिए अन्य विषय गौण है। एक दूसरे को व्यापार सुविधाएँ उपलब्ध कराकर व्यापार सम्बन्धी तथ्यो और सूचनाओ का आदान–प्रदान, निवेश तथा तकनीक का आदान प्रदान किया जा सकता है। भारत ने भी इस प्रस्ताव पर बल दिया है कि इस गुट के सात प्रमुख देश सयुक्त बाजार, सयुक्त खरीद और व्यापार के क्षेत्र मे सहयोग करके क्षेत्रीय सहयोग को बढावा दे सकते है।

## 8. पेट्रोलियम निर्यातक देशो का संगठन (ओपेक) :–

1962 मे तेल उत्पादक देशो ने इराक की राजधानी बगदाद मे एक सम्मेलन मे ओपेक की स्थापना का निर्णय लिया। तीन, अरब मुस्लिम देश इराक, कुवैत एव सऊदी अरब, गैर–अरब मुस्लिम देश ईरान, दक्षिण अमेरिका। गैर अरब व गैर मुस्लिम देश वेनेजुएला ओपेक के सस्थापक देश है ओपेक 13 पेट्रोलियम निर्यातक देशो का सगठन है, जिसका पूरा नाम

पेट्रोलियम निर्यातक देशो का सगठन है। विश्व तेल व्यापार का 70 प्रतिशत से भी अधिक भाग इन्ही पॉच देशो के हिस्सा आता है। इस सगठन मे बाद मे निम्न देश शामिल हुए – अल्जीरिया, इक्वाडोर, गैबन, लीबिया, इडोनेशिया, नाइजीरिया, कतर तथा सयुक्त अरब अमीरात। इस प्रकार ओपेक के सदस्य देशो की कुल सख्या 13 है। इस सगठन की सदस्यता ऐसे देश भी ग्रहण कर सकते है जो पर्याप्त मात्रा मे अशोधित तेल निर्यात करते है और जिनका पूरा हित मूल रूप से सगठन के सदस्य देशो के हितो से मिलता जुलता है।

ओपेक (OPEC) का दो दिवसीय शिखर सम्मेलन वेनेजुएला की राजधानी कराकस (Caracas) मे 27–28 सितम्बर, 2000 को सम्पन्न हुआ। ओपेक के 40 वर्षो के इतिहास मे यह दूसरा शिखर सम्मेलन था जिसका आयोजन 25 वर्षो के अन्तराल पर वेनेजुएलाई राष्ट्रपति ह्यूगो शावेज (Hugo Chavez) के लम्बे प्रयासो के परिणामस्वरूप हुआ था।[1]

गम्भीर पारस्परिक मतभेदो के परिणामस्वरूप ओपेक के सदस्य राष्ट्रो ने सम्मेलन मे एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए तेल मूल्यो को लाभदायक स्तर पर बनाए रखने का सकल्प व्यक्त किया। इसके लिए ईरान–इराक व इराक–कुवैत के आपसी मतभेदो तथा इराक के विरुद्ध आरोपित सयुक्त राष्ट्र प्रतिबन्धो को सऊदी अरब के समर्थन आदि विवादास्पद मुद्दो को दरकिनार करते हुए कराकस घोषणा पत्र मे 'कार्टेल' की एकता के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की गई तथा निर्धन राष्ट्रो की सहायता का सकल्प लिया गया। घोषणा–पत्र मे कहा गया है कि तेल मूल्यो मे वृद्धि के लिए ओपेक की नही बल्कि धनी राष्ट्रो की नीतियॉ उत्तरदायी है। तेल मूल्यो को घटाने के लिए पड रहे अन्तर्राष्ट्रीय दबाव के परिप्रेक्ष्य मे घोषणा–पत्र मे कहा गया है कि पश्चिमी देशो की सरकारो द्वारा पेट्रोलियम उत्पादो पर आरोपित ऊँचे कर इन पदार्थो की ऊँची कीमतो का वास्तविक कारण है। कराकस सम्मेलन के मेजबान राष्ट्रपति ह्यूगो शावेज ने आगे से प्रति 5 वर्ष के अन्तराल पर ओपेक शिखर सम्मेलन आयोजित करने की घोषणा इस सम्मेलन मे की थी।

तेल उत्पादन कोटो मे कटौती के साथ ही ओपेक की विएना बैठक मे यह निर्णय भी लिया गया कि तेल के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर निगरानी रखी जाएगी तथा इसके नीचे गिरने की स्थिति मे रोकथाम की कार्यवाही तत्काल की जाएगी।

---

[1] **प्रतियोगिता दर्पण अतिरिक्ताक वर्ष 2002**

## 9 पन्द्रह निर्गुट एव विकासशील देशो का समुह (समुह–15) :–

सन् 1989 मे 'नाम' (NAM) के बेलग्रेड (युगोस्लोविया) मे जब गुटनिरपेक्ष आदोलन का नौवा शिखर सम्मेलन सम्पन्न हुआ, उस दौरान इस सगठन की स्थापना की गयी, जिसका उद्देश्य विकासशील देशो के बीच आर्थिक सहयोग को बढावा देना है। समुह–15 विश्व के 19 विकासशील देशो का एक सगठन है। समुह 15 का पुरा नाम है "सम्मिट लेबल ग्रुप फार साउथ–साउथ कसल्टेशन एण्ड को–आपरेशन" (दक्षिण– दक्षिण सलाह और सहयोग के लिए शिखर समुह) है। इसके सस्थापक सदस्य देश है – भारत, मैक्सिको, जिम्बाम्बे, युगोस्लाविया, अर्जेटिना, जमैका, पेरू, मिश्र, ब्राजील, इडोनेशिया, मलयेशिया, सेनेगल, नाइजीरिया, वेनेजूएला, और अल्जीरिया।

वर्तमान समय मे समुह–15 के सदस्य देशो मे से आधिकाश देशो मे आर्थिक सुधार चल रहा है। इसमे प्रशिक्षित मानव ससाधन, आबादी, बाजार और प्राकृतिक ससाधन भी बहुत अधिक मात्रा मे है। इन देशो मे मजदूरी सस्ती है, इसलिए विकसित देश उसी को मुद्दा बनाकर व्यापारिक बाधाये खडी करना चाहते है तथा पर्यावरण, बाल मजदूरी और मानवाधिकार के बहाने भी उनके व्यापार मे अडचने खडी करते रहते है।

गरीबी, अशिक्षा, भुखमरी, विदेशी कर्ज जैसी चुनौतियो का मुकाबला विकासशील देश सिर्फ आपास मे पारस्पारिक सहयोग के आधार पर ही कर सकते है। इसी लिए विकासशील देशो के बीच क्षेत्रीय एव अतर्राष्ट्रीय सहयोग होना नितान्त आवश्यक है। विकासशील देशो की सामूहिक ताकत से ही राष्ट्र विशेष भी मजबूत होता है। इसके लिए खुली क्षेत्रीयतावाद की नीति को अपनाना आवश्यक हो जाता है, तथा इसी के अर्न्तगत विकासशील देशो के साथ व्यापारिक सहयोग बढाने के साथ–साथ विश्व स्तर पर विकासशील देशो के साथ भी आर्थिक सम्बन्धो को मजबूत करना आवश्यक प्रतीत होता है। इसके साथ–साथ विकसित और विकासशील देशो के बीच एक नयी लोकतात्रिक भागीदारी कायम करना और आपसी विकास करने के लिए नयी परम्परा की शुरूआत की आवश्यकता हैं। जिसकी वजह से केवल समुह–15 के देशो का ही नही बल्कि सभी विकासशील देशो का आर्थिक विकास बहुत तेजी से हो सकता हैं।

इस सगठन के पाचवे शिखर सम्मेलन मे प्रतिनिधियो ने गरीबी, बेरोजगारी तथा ग्रामीण क्षेत्रों की दुर्दशा पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त किया। लेकिन इस प्रकार की चिन्ताओ को केवल सम्मेलनो तक रख छोडने से गरीबी और बेरोजगारी समाप्त नही हो सकती है, और केवल

अमीर देशो पर किसी प्रकार का तोहमत लगाकर ऐसी समस्याओ का समाधान नही ढुढा जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि सभी विकासशील और विकास की दौड मे जो देश पिछड गये है, उन देशो को आपस मे एकजुट होकर विकास के लिए स्वय प्रायस करना चहिये तथा अमीर और विकसित देशो पर से अपनी निर्भरता को भी कम करने कि जरूरत है। भारतीय प्रधानमत्री श्री पी0 वी0 नरसिह राव ने इसका समर्थन करते हुए पाचवे शिखर सम्मेलन मे कहा कि "उत्पादन तथा सेवाओ के क्षेत्र मे विकासशील देशो की प्रतियोगी क्षमता बढाई जानी चहिए ताकि वे विश्व अर्थव्यवस्था मे समानता के आधार पर जुड सके और विकास व व्यापार के नये केन्द्र बिन्दु बन सके।[1]

तालिका–5 2

**जी–15 शिखर सम्मेलन कब और कहॉ**

| शिखर सम्मेलन | आयोजन स्थल |
|---|---|
| प्रथम (1990) | क्वालालम्पुर (मलेशिया) |
| द्वितीय (1991) | कराकस (वेनेजुएला) |
| तृतीय (1992) | डकार (सेनेगल) |
| चतुर्थ (1994) | नई दिल्ली (भारत) |
| पाचवा (1995) | ब्यूनस आयर्स (अर्जेन्टीना) |
| छठा (1996) | हरारे (जिम्बाब्वे) |
| सप्तम (1997) | क्वालालम्पुर (मलेशिया) |
| आठवा (1998) | काहिरा (मिस्र) |
| नौवा (1999) | मोण्टेगो बे (जमैका) |
| दसवा (2000) | काहिरा (मिस्र) |
| ग्यारहवा (2001) | जकार्ता (इण्डोनेशिया) |
| बारहवा (2002) | वेनेजुएला (प्रस्तावित) |

जी–15 सगठन मे 19 सदस्य देश हैं, जिनमे अमरीकी महाद्वीप से मेक्सिको जमैका, कोलम्बिया, वेनेजुएला, पेरू, ब्राजील, चिली व अर्जेन्टीना। अफ्रीकी महाद्वीप से सेनेगल, अल्जीरिया, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे, मिस्र, ईरान व कीनिया। एशिया महाद्वीप से भारत, मलेशिया, इण्डोनेशिया तथा श्रीलका शामिल है। जी–15 सगठन के 19 देशो मे ब्राजील तथा मेक्सिको को छोडकर शेष सभी देश निर्गुट राष्ट्र है। सदस्य देशो द्वारा प्रारम्भ मे ही यह स्पष्ट किया जाता रहा है कि जी–15 विकसित देशो के जी–7 के विरुद्ध खडा किया गया कोई सगठन नही है,

---

1 क्रानिकल मार्च 1996, क्रानिकल पब्लिकेशन्स प्रा0 लि0, 208, शिवलोक हाउस–1, नई दिल्ली 110015 पृ0–15

बल्कि विकासशील देशो के वृहत्तर सगठन जी–77 को और भी अधिक सार्थक बनाने का प्रयास है।[1]

उल्लेखनीय है कि जी–15 के सदस्य राष्ट्र मिलकर विश्व की कुल जनसख्या के 30 प्रतिशत, विकासशील जगत् के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 43 प्रतिशत विकासशील देशो के कुल निर्यात व आयात के क्रमश 25 व 22 प्रतिशत तथा तीसरी दुनिया के भौगोलिक क्षेत्र के 34 प्रतिशत भाग का प्रतिनिधित्व करते है। सयुक्त रूप से इन देशो का सरल घरेलू उत्पाद लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर तथा विदेशी व्यापार 500 अरब डॉलर का है।

जी–15 का ग्यारहवॉ शिखर सम्मेलन इडोनेशिया की राजधानी जर्काता मे 31 मई–1 जून, 2001 को सम्पन्न हुआ। गम्भीर राजनीतिक सकट एव महाभियोग की कार्यवाही का समना कर रहे इडोनेशियाई राष्ट्रपति अब्दुर्रहमान वाहिद ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। मेजबान राष्ट्रपति पर छाए राजनीतिक सकट से यह सम्मेलन अछूता नही रहा। सम्मेलन मे भारतीय प्रतिनिधिमडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति कृष्णकात ने किया, जो इस सम्मेलन मे भाग लेने के बाद कम्बोडिया की सरकारी यात्रा पर रवाना हो गये।

जी–15 के ग्यारहवे शिखर सम्मेलन की मुख्य उपलब्धियॉ एक शक्ति सम्पन्न आयोग के गठन के निर्णय तथा 'विकास हेतु सूचना एव सचार प्रौद्योगिकी पर जकार्ता घोषणा–पत्र' को स्वीकार किया जाना रहा। जी–15 के आगामी (12वे) शिखर सम्मेलन के मेजबान वेनेजुएला के राष्ट्रपति ह्यूगो शोवेज (Hugo Chavez) के आह्वान पर गठित किये जाने वाला प्रस्तावित आयोग समुह–15 के निर्णयो के प्रभावी कार्यान्वयन की दिशा मे प्रयास करेगा। सूचना एव सचार प्रौद्यौगिकी पर स्वीकार किया गया जकार्ता घोषणा–पत्र जी–15 का पहला सार्वभौगिक घोषणा–पत्र बताया गया है। इसमे कहा गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी क्राति के परिणामस्वरुप विश्व मे उत्पन्न हुए 'डिजिटल डिवाइड' को पाटने के लिए समयबद्ध कार्य योजना के आभाव मे अमीरी व गरीबी के बीच की खाई मे और वृद्धि होगी। उच्च्य प्रौद्योगिकीय क्षेत्रो मे भारत एव मलेशिया द्वारा प्राप्त की गई श्रेष्ठता मे समुह के सदस्य राष्ट्रों की भागीदारी का आह्वान भी इसमे किया गया है।

---

[1] प्रतियोगिता दर्पण, अतिरक्तांक, वर्ष–2002

## 10. आठ विकसित देशो का समुह : [G-8] :–

प्रारम्भ मे जी–7 विश्व के सात औद्योगिक रूप से विकसित गैर–समाजवादी देशो का एक सगठन था, जिसमे अमरीका, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रास, इटली व जापान सम्मिलित थे बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था कि ओर अग्रसर होने के पश्चात् रूस भी इस सगठन का 21 जून, 1997 को सदस्य बन गया, अत अब इसे G-8 के नाम से जाना जाता है G-8 का पहला शिखर सम्मेलन फ्रास मे पेरिस के निकट रम्बोनिलट (Rambonılet) मे नवम्बर 1975 मे हुआ था, उस समय इसके अन्तर्गत पॉच प्रमुख औद्योगिक देश अमरीका, इगलैण्ड, फ्रास, प0 जर्मनी तथा जापान थे, 1976 मे कनाडा तथा इटली को भी इसमे शामिल कर लिया। G-8 के राष्ट्राध्यक्षो का शिखर सम्मेलन प्रत्येक वर्ष सम्पन्न होता है जिसमे विश्व की राजनीतिक समस्या तथा आर्थिक मुद्दो पर वार्ता की जाती है

आठ औद्योगिक देशो के समूह जी–8 का 27वॉ तीन दिवसीय शिखर सम्मेलन इटली के तटवर्ती शहर जेनोआ मे 20–22 जुलाई, 2001 को सम्पन्न हुआ। पूँजीवाद विरोधियो के हिसक प्रदर्शनो के साए मे सम्पन्न इस सम्मेलन के लिए कडी सुरक्षा व्यवस्था इटली प्रशासन द्वारा की गई थी। अमरीकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, फ्रासीसी राष्ट्रपति जैक शिराक, इटली के राष्ट्रपति सिल्वियो बर्लुस्कोनी, कनाडा के प्रधानमत्री जीन श्रेतियॉ, ब्रिटेन के प्रधानमत्री टोनी ब्लेयर, जापान के प्रधानमत्री जुनिशिरो कोइजुमी व जर्मनी के चासलर गेरहार्ड श्रोएडर के अतिरिक्त यूरोपीय सघ के वर्तमान अध्यक्ष बेल्जियम के प्रधानमत्री गाई बेरहोफ्स्टाड तथा यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष रोमनो प्रोदी अपने–अपने प्रतिनिधि मण्डलो के साथ इस सम्मेलन मे उपस्थित थे।

निर्धन राष्ट्रो के ऋणग्रस्तता, भूमण्डलीकरण व विश्व व्यापार सगठन सम्बन्धी मुद्दे इस सम्मेलन मे चर्चा के प्रमुख विषय रहे। अफ्रीका की निर्धनता इस सम्मेलन मे चर्चा का मुख्य विषय रही, अफ्रीका के विकास के लिए नई किस्म की भागीदारी का निर्णय सम्मेलन मे किया गया। ब्रिटेन के प्रधानमत्री टोनी ब्लेयर की पहल पर स्वीकृत की गई इस योजना के तहत जी–8 के नेता व्यक्तिगत तौर पर प्रतिनिधि नियुक्त करेगे जो अफ्रीकी नेताओ से मिलकर ठोस प्रावधान तैयार करेगे। इस योजना को कनाडा मे होने वाले जी–8 के आगामी शिखर सम्मेलन में औपचारिक रूप से स्वीकार किया जाएगा। सम्मेलन की समाप्ति पर जारी घोषणा–पत्र में विश्व व्यापार सगठन की नए दौर की वार्ता का स्वागत किया गया है। ग्लोबल वार्मिंग से

सम्बन्धित क्योटो सन्धि पर अमरीका के साथ मतभेद बने रहने की बात भी घोषणा–पत्र मे स्वीकार की गई है। अमरीका की प्रस्तावित राष्ट्रीय प्रक्षेपास्त्र सुरक्षा प्रणाली, जिसके लिए एबीएम सन्धि को त्यागने की धमकी अमरीका ने दी है, का घोषणा पत्र मे कोई उल्लेख नही किया गया है। समुह का अगला शिखर सम्मेलन 2002 मे अल्बर्ट (कनाडा) के शहर मे आयोजित करने का निर्णय जेनोआ सम्मेलन मे किया गया, साथ ही यह भी तय किया गया कि कनाडा शिखर सम्मेलन मे भागीदार देशो के प्रतिनिधिमण्डलो मे सदस्यो की सख्या 30–40 तक ही सीमित रहे, जेनेवा सम्मेलन मे प्रत्येक प्रतिनिधिमण्डल मे सैकडो सदस्य शामिल थे। सम्मेलन मे जापानी प्रतिनिधिमण्डल मे सदस्यो की सख्या जहॉ 900 के आसपास थी, वही जर्मनी के प्रतिनिधिमण्डल मे लगभग 600 सदस्य शामिल थे।

## 11. ओ0 ई0 सी0 डी0 :–

ओ0ई0सी0डी0 का पूरा नाम आर्थिक विकास व सहयोग सगठन है। पहले इसके सदस्यो की सख्या 24 थी लेकिन 1 जनवरी 1996 मे विश्व के विकसित देशो की सूची मे सिगापुर के शामिल हो जाने की वजह से इसकी सख्या 25 हो गयी तथा इस सगठन का मुख्यालय पेरिस (फ्रास) मे स्थित है। ओ0 ई0 सी0 डी0 विश्व के सभी विकसित देशो का सगठन है। वर्तमान समय मे उसके 29 सदस्य देश है। जिसमे आस्ट्रेलिया, आस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, चैक रिपब्लिक, हगरी, कोरिया (रिपब्लिक), मेक्सिको, पोलैण्ड, डेनमार्क, जर्मनी, फिनलैण्ड, फ्रास, ग्रीस, आइसलैण्ड, आयरलैण्ड, इटली, जापान लक्जेमबर्ग, नीदरलैण्ड्स, न्यूजीलैण्ड, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैण्ड, टर्की यू0 के0 तथा यू0 एस0 ए0।

द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद यूरोप के पुनर्निमाण के लिए यूरोपीय आर्थिक सहयोग सगठन बनाया गया। तत्कालीन अमरीकी विदेश मत्री मार्शल द्वारा प्रस्तावित सहायता अभिवचन के प्रत्युतर मे ओ0 ई0 सी0 डी0 का गठन किया गया, इसे मार्शल सहायता के नाम से भी जाना जाता रहा है। 1948 मे पेरिस मे आयोजित यूरोपीय देशो के एक सम्मेलन मे इस प्रस्ताव पर सहमति हुई तथा उसके बाद 1961 मे इसका नाम बदलकर ओ0 ई0 सी0 डी0 रख दिया गया, क्योकि तब तक इसमे गैर–यूरोपीय देश सयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा भी शामिल हो गये थे। इस पुनर्गठित सस्था का उद्देश्य सदस्य देशो को आर्थिक प्रगति मे अधिक से अधिक सहयोग प्रदान करना तथा लोगो के जीवन स्तर को उन्नत करना है।

तालिका–53

## विश्व मे प्रमुख व्यापारिक एव आर्थिक गुट

| क्र स | गुट का नाम | सदस्य देश | उद्येश्य |
|---|---|---|---|
| 1 | अमेरिकी देशो का सगठन | उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के 35 देश इसके सदस्य है तथा एशिया, अफ्रिका और यूरोप मे 25 देश पर्यवेक्षक है। | शाति व सुरक्षा के साथ–साथ आर्थिक तथा सामाजिक विकास को बढावा देना। |
| 2 | नि शुल्क व्यापार सघ का अतर–परिसघ | 103 देशो (भारत नही) के 144 राष्ट्रीय सगठन इसके सदस्य है। | व्यापार सघ आदोलन का विकास करना। |
| 3 | निर्यात नियन्त्रण समन्वय समिति | अमेरिका, जापान, फ्रास और जर्मनी सहित 17 सदस्य देशो तथा अन्य 8 समन्वयक देश। | सदस्य देश के बीच सामरिक वस्तुओ एव तकनीकी ऑकडो के निर्यात पर नियन्त्रण रखना। |
| 4 | सीमा शुल्क सहयोग समिति | भारत और अमेरिका सहित 108 सदस्य देश। | सीमा – शुल्क विषयो पर अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग विकसित करना। |
| 5 | अरब आर्थिक एकता समिति | सोमालिया, सूडान, यू0ए0ई0, यमन, मिश्र, इराक, जार्डन, कुवैत, लीबिया, पी0एल0ओ0, सीरिया। | अरब देशो के बीच आर्थिक एकीकरण को प्रोत्साहन देना (30 मई, 1964 से प्रभावी)। |
| 6 | बेनेलेक्स इकोनोमिक युनियन | बेल्जियम, नीदरलैण्ड, लक्जमबर्ग। | आर्थिक सहयोग एव एकीकरण को विकसित करना (1 नवम्बर, 1960 मे प्रभावी)। |
| 7. | इफ्टा | यूरोपीय नि शुल्क व्यापार सघ के सदस्य देश है – स्विटजरलैण्ड, नार्वे, आस्ट्रिया, फिनलैण्ड, स्वीडन, ब्रिटेन, डेनमार्क, पुर्तगाल, आइसलैण्ड। | नि शुल्क व्यापार के प्रसार का विस्तार करना (3 मई, 1960 मे प्रभावी)। |
| 8. | केन्द्रीय अमेरिकी सामान्य बाजार | निकारागुआ, होडरास, एल–सेल्वाडोर, ग्वाटेमाला, कोस्टारिका। | केन्द्रीय अमेरिकी सामान बाजारो की स्थापना को बढ़ावा (3 जून 1961 से प्रभावी)। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | केन्द्रीय अफ्रीकी सीमा शुल्क व आर्थिक सघ | कागो, चाड, कैमरून, सेन्ट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, आदि। | केन्द्रीय अफ्रीकी सामान्य बाजारो को स्थापित करने पर बल (1 जनवरी, 1966 से प्रभावी)। |
| 10 | जी–77 | भारत व पी0एल0ओ सहित 128 विकासशील देश। | आर्थिक सहयोग बढाना। |
| 11 | दक्षिणी अफ्रीकी सीमा शुल्क व सघ | बोत्सवाना, वेन्डा,बोयूथात्सवाना, किस्की, ट्रॉसकेई, लेसेथो, नामीबिया, द0 अफ्रीका, स्वाजिलैण्ड। | मुक्त व्यापार और सीमा – शुल्क मे मामले मे सहयोग। |
| 12 | इस्लामी सम्मेलन सगठन | विश्व मे 47 मुस्लिम देश तथा फिलिस्तीनी मुक्ति सगठन इसके सदस्य है। | इस्लामी सौहार्द तथा आर्थिक सामाजिक, सास्कृतिक और राजनितिक सहयोग को बढावा देना। |
| 13 | जग्गर समिति | अमेरिका, जापान, इटली, रूस, ब्रिटेन, जर्मनी और कनाडा सहित 25 सदस्य। | निर्यात नियन्त्रण प्रावधानो आदि के लिए दिशा निर्देश तैयार करना। |
| 14 | पश्चिमी अफ्रीकी आर्थिक समुदाय | बेनिन, बुर्कीना, आइवरी कोस्ट, माली, मौरिटानिया, नाइजर, सेनेगल तथा पर्यवेक्षक के रूप मे टोगो। | क्षेत्रीय आर्थिक विकास सवर्द्धन। |
| 15 | जी–24 | भारत और पाकिस्तान सहित अफ्रीका, एशिया और दक्षिण अमेरिका मे 24 देश। | आई0एम0एफ0 के तहत सदस्य देशो का हित सवर्द्धन करना। |
| 16 | लैटिन अमेरिकी आर्थिक प्रणाली | दक्षिण अमेरीका के 26 देशो का सगठन। | आर्थिक एव सामाजिक विकास हेतु क्षेत्रीय सहयोग को बढावा देना। |
| 17 | पश्चिमी अफ्रीकी राज्यो का आर्थिक समुदाय | पश्चिमी अफ्रीका के 16 देश। | क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित करना। |
| 18. | दक्षिण अफ्रीकी विकास समन्वय सम्मेलन | मलावी, बोत्सवाना, लेसेथो, अगोला, स्वाजिलैण्ड, नामीबिया, मोजाम्बिक, तजानिया, जाम्बिया, जिम्बावे। | क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। |

| 19 | लैटिन अमेरीका एकता सगठन | ब्राजील, चिली, बोलिविया, अर्जेन्टीना, पेरागुवे, कोलम्बिया, इक्वाडोर, मैक्सिको, पेरू, युरूग्वे, बेनेजुएला। | निशुल्क क्षेत्रीय व्यापार को बढावा देना। यह सगठन 18 मार्च, 1981 से प्रभावी हुआ। |
|---|---|---|---|
| 20 | खाडी सहयोग समिति | स0अ0 अमीरात, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर (6 सदस्य)। | आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एव सैन्य क्षेत्रो मे क्षेत्रीय सहयोग का सम्वर्द्धन करना। |
| 21 | पूर्वी कैरिबियाई राज्यो का सगठन | एटीगुआ व बरबुडा, ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह, डोमिनिका, ग्रेनाडा, मोटसेरात, सेटीकीट्स व नेविस, सेट लूसिया, सेट विसेट तथा ग्रेनाडिन। | आर्थिक, राजनीतिक व प्रतिरक्षा के क्षेत्र मे सहयोग। |
| 22 | एशिया प्रशात आर्थिक सहयोग | अमेरिका, जापान, चीन, कनाडा, हागकाग, द0 कोरिया, न्यूजीलैण्ड, ताइवान, आस्ट्रेलिया, सिगापुर, थाइलैण्ड, मलेशिया, इडोनेशिया, ब्रूनेई, फिलीपीस। | प्रशात बेसिन मे व्यापार तथा निवेश को प्रोत्साहित करना। |
| 23 | अरब सहयोग समिति | मिश्र, इराक, यमन, जार्डन। | अरब के सामान्य बाजार को हर सम्भव तरीके से उन्नत करना, आर्थिक सहयोग और एकीकरण को बढावा देना। |
| 24 | जी–3 | कोलम्बिया, मैक्सिको, बेनेजुएला | मशीनीकरण हेतु नीति समन्वय |
| 25 | दक्षिणी शकु सयुक्त मडी | युरूग्वे, ब्राजील, पेरागुवे, अर्जेटीना | क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग। |
| 26 | षट्कोणीय समूह | हगरी, इटली, पोलैण्ड, आस्ट्रिया, चेक, यूगोस्लाविया (पूर्व), स्लोवाकिया। | एड्रीटिक एव बाल्टिक सागर के मध्य स्थित क्षेत्रीय समूहो हेतु आर्थिक राजनीतिक समूह। |
| 27 | नाफ्टा | अमरीका, कनाडा, मेक्सिको | यूरोपीय आर्थिक समुदाय तथा जापान की आर्थिक चुनौतियों का सामना करना। |

| 28 | एपेक | आस्ट्रेलिया, अमरीका, कनाडा, चीन, मेक्सिको, जापान, हागकाग, ताइवान, दक्षिण कोरिया, इण्डोनेशिया, फिलीपीन्स, ब्रूनेई, सिगापुर, मलेशिया, थाईलैण्ड, पपुआ न्यूगिनी, न्यूजीलैण्ड, चिली, पेरू, रूस तथा वियतनाम। | सन् 2020 तक एशिया प्रशान्त क्षेत्र बनाने की घोषणा की है, यह विश्व का सबसे बडा स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र होगा। |
|---|---|---|---|
| 29 | मर्कोसूर | ब्राजील, अर्जेन्टीना, पराग्वे व उरूग्वे। | स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र की स्थापना। |
| 30 | ओपेक | अल्जीरिया, इण्डोनेशिया, इरान, इराक, सऊदी अरब, सयुक्त अरब अमीरात, बेनेजुएला। | तेल उत्पादन कोटे मे कटौती, अर्न्तराष्ट्रीय मूल्य पर निगरानी मूल्य गिरने की स्थिति मे रोकथाम की कार्यवाही करना। |
| 31 | दक्षेस | भारत, पाकिस्तान, भूटान, बगलादेश, श्रीलका, नेपाल, मालदीव। | दक्षिण एशियाई वरियता व्यापार व्यवस्था के अन्तर्गत रियाती प्रशुल्को पर व्यापार करना। |
| 32 | पन्द्रह निगुर्ट एव विकास–शील देशो का समूह (जी–15)। | भारत, मेक्सिको, जमैका, बेनेजुएला, पेरू, ब्राजील, अर्जेन्टीना, सेनेगल, अल्जीरिया, नाइजीरिया, जिम्बावे, मिश्र, मलेशिया, इण्डोनेशिया, चिली, कीनिया, श्रीलका, कोलम्बिया व ईरान। | विकासशील देशो के बीच आर्थिक सहयोग को बढावा देना। |
| 33 | आर्थिक सहयोग एव विकास का सगठन (ओ0ई0सी0डी0) | आस्ट्रेलिया, आस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, चैक रिपब्लिक, हगरी, कोरिया, मेक्सिको, पोलैण्ड, डेनमार्क, जर्मनी, फिनलैण्ड, फ्रास, ग्रीस, आइसलैण्ड, आयरलैण्ड, इटली, जापान, लक्जेमबर्ग, नीदरलैण्ड, न्यूजीलैण्ड, नार्वे, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, स्वीटजरलैण्ड, टर्की, यू0के0 तथा यू0एस0ए0। | सदस्य राष्ट्रो मे परस्पर आर्थिक एव सामाजिक कल्याण के लिए नीतियो का समन्वय करना तथा उसके सदस्यो को विकासशील देशो के कल्याण के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करना। |

| 34 | ऐसेम | यूरोपीय सघ के 15 व एसियान के 7 देशो के साथ–साथ जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, को शामिल करते हुए एशिया के 10 देश। | एशियाई व यूरोपीय राष्ट्रो के मध्य मुक्त व्यापार व वित्तीय सकट से निपटने हेतु सक्षम बनाने का प्रयास। |
|---|---|---|---|
| 35 | एशियाई क्लीयरिंग यूनियन | भारत, पाकिस्तान, बगलादेश, नेपाल, श्रीलका, ईरान, व म्यामार। | एशियाई देशो के चालू अन्तराष्ट्रीय लेन–देनो के लिए समाशोधन सुविधा उपलब्ध कराना। |
| 36 | आठ विकसित देशो का समूह (जी–8) | अमेरीका, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रास, इटली, जापान, तथा रूस। | विश्व की आर्थिक मुद्दो व राजनीतिक समस्याओ के लिए निराकरण का प्रयास। |
| 37 | आठ मुस्लिम विकासशील राष्ट्रो का समूह (डी–8) | टर्की, इरान, इण्डोनेशिया, मलेशिया, नाइजीरिया, मिस्र, पाकिस्तान व बाग्लादेश। | अर्थव्यस्था को मजबूत करने मे पारस्परिक सहयोग। |
| 38 | बीस औद्योगिक एव विकासशील देशो का समूह (जी–20) | अमेरीका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रास, जापान, इटली, जर्मनी, अर्जेन्टीना, आस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, भारत, इण्डोनेशिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रिका, द0 कोरिया, टर्की तथा फिलैण्ड। | मौजूदा विश्व वित्तीय सकट से निपटने के नये उपायो को तलाश करना। |

## 12. विश्व व्यापार संगठन (डब्लू0 टी0 ओ0) :–

विश्व व्यापार सगठन की शर्तो को पूरा करने के लिए हाल ही के वर्षो मे भारत सरकार ने लगभग सभी उत्पादो के आयात से परिमाणात्मक प्रतिबन्ध हटा दिये है, इनमे अधिकाशत उपभोक्ता उत्पाद हैं देश के भुगतान सन्तुलन की प्रतिकूल स्थिति को देखते हुए (तथा सम्भवत स्वदेशी उद्योगो को सरक्षण प्रदान करने के लिए भी) यद्यपि भारत सरकार इन प्रतिबन्धो को शीघ्र ही हटाने के पक्ष मे नही थी। किन्तु व्यापार के भागीदार विकसित देशों के दबाव के चलते भारत ने इन सभी उत्पादो के आयात पर से अप्रैल 2002 तक परिमाणात्मक प्रतिबन्ध हटाने को सहमत हो गया था। भारत ने इस आशय का एक समझौता यूरोपीय देशो के साथ किया था। किन्तु इस समय सीमा से असन्तुष्ट अमरीका इस मामले को जुलाई 1997 मे विश्व व्यापार संगठन मे ले गया। विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान निकाय (Dispute Settlement

Body) के समक्ष भारत ने यह दलील पेश की कि देश के भुगतान सन्तुलन की प्रतिकूल स्थिति को देखते हुए। उन सभी उत्पादो (उस समय परिणामात्मक प्रतिबन्धो के अधीन उत्पादो की सख्या 2714 थी) के आयात पर से प्रतिबन्धो की समाप्ति के लिए 6 वर्ष का समय उचित है। भारत की दलील को अस्वीकार करते हुए विवाद निपटान निकाय (DSB) ने 6 अप्रैल, 1999 को अमरीका के पक्ष मे फैसला सुनाया। डी एस बी के इस फैसले के विरुद्ध भारत ने विश्व व्यापार सगठन के अपीली निकाय (Appellate Body) मे अपील की, किन्तु अपीली निकाय ने 23 अगस्त, 1999 के अपने फैसले मे विवाद निपटान निकाय के फैसले को बरकरार रखा। अपीली निकाय द्वारा भारत की अपील के ठुकराए जाने के पश्चात् विश्व व्यापार सगठन के विवाद निपटान निकाय ने भारत को 22 सितम्बर, 1999 को यह निर्देश दिया कि वह इस मामले मे अमरीका के साथ समझौता करे अन्यथा भारत से किये जाने वाले आयातो पर दण्डात्मक प्रशुल्क (Penal Tarriffs) लगाने की उसे छूट होगी। इसी फैसले के परिप्रेक्ष्य मे भारत ने सभी 1429 उत्पादो के आयात पर से अप्रैल 2001 तक प्रतिबन्ध हटाने के लिए अमरीका से अपनी सहमति व्यक्त की थी।[1]

अमरीका के साथ सम्पन्न ताजा समझौते के तहत भारत को 714 उत्पादो के आयात पर से प्रतिबन्ध 1 अप्रैल, 2000 तक हटाने थे, जिसकी घोषणा भारत सरकार ने अपनी आयात निर्यात नीति 2000–2001 के अन्तर्गत कर दी थी, जबकि शेष 715 उत्पादो को 1 अप्रैल, 2001 से मात्रात्मक आयात नियत्रण से मुक्त कर दिया है नियत्रण मुक्त किए गए 715 उत्पादो मे से 300 उत्पादो को अति सवेदनशील बताया गया है जिनके आयात पर निगरानी रखने के लिए उच्चस्तरीय वार रूम (War Room) का गठन सरकार ने किया है।

**तालिका–5 4**

| WTO के मत्रिस्तरीय सम्मेलन कब और कहाँ | | |
|---|---|---|
| **सम्मेलन** | **वर्ष** | **स्थान** |
| पहला | 9–13 दिसम्बर,1996 | सिगापुर |
| दूसरा | 18–20 मई, 1998 | जेनेवा |
| तीसरा | 30 नवम्बर, 3 दिसम्बर, 1999 | सिएटल |
| चौथा | 9–14 नवम्बर, 2001 | दोहा (कतर) |
| पॉचवॉ | 2003 | मेक्सिको (प्रस्तावित) |

---

1 प्रतियोगिता दर्पण भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2002 पृष्ठ 172।

**<u>WTO का चौथा मत्रिस्तरीय सम्मेलन</u> –**

दोहा (कतर) मे 9–13 नवम्बर, 2001 को आयोजित विश्व व्यापार सगठन का चौथा मत्रिस्तरीय सम्मेलन विभिन्न मुद्दो पर सदस्य राष्ट्रो की सहमति के लिए एक दिन आगे बढाना पडा। अत इसका समापन 14 नवम्बर, 2001 को हुआ, 142 सदस्य राष्ट्रो के वाणिज्य मत्रियो के इस सम्मेलन मे कृषि, सेवाओ व औद्योगिक उत्पादो के व्यापार के विस्तार एव पर्यावरण सम्बन्धी मुद्दो पर नए सिरे से वार्ता का दौर प्रारम्भ करने की सहमति अन्तत छठे दिन ही बन सकी। इसके एजेडे (दोहा डेवलपमेट एजेडे) को स्वीकार किया जाना, विकासशील राष्ट्रो की बजाय यूरोपीय सघ एव अमरीका के लिए ही अधिक लाभदायक माना जा रहा है। इस मामले मे भारत की मुख्य आपत्ति चार सिगापुर मुद्दो को लेकर थी। इनमे विदेशी निवेश (Foreign Investment) व प्रतिस्पर्द्धा नीति (Competition Policy) के सम्बन्ध मे नए वैश्विक नियमो के निर्धारण, सरकारी परियोजनाओ के लिए सामान की खरीद मे विदेशी कम्पनियो को अवसर प्रदान करने तथा व्यापारिक नियमो को सरल बनाने (Trade Facilitation) के मुद्दे शामिल थे। मत्रिस्तरीय सम्मेलन मे स्वीकार किए गए दोहा घोषणा–पत्र को भारत ने अपनी मजूरी तभी प्रदान की जब सम्मेलन के अध्यक्ष शेख यूसुफ हुसैन कमाल (कतर के वाणिज्य, वित्त एव आर्थिक मामलो के मत्री) ने यह स्पष्ट घोषणा की कि उपर्युक्त चारो विवादित मुद्दो पर बातचीत सदस्य राष्ट्रो की सहमति हो जाने पर ही पॉचवे मत्रिस्तरीय सम्मेलन के बाद शुरू होगी। दोहा डेवलपमेट ऐजेडे पर बातचीत 2005 तक पूरा करने का लक्ष्य यद्यपि घोषणा–पत्र मे निर्धारित किया गया है, तथापि यह आम तौर पर स्वीकार किया जा रहा है कि यह 2007 से पहले पूरी नही हो सकेगी, यह बातचीत जनवरी 2002 से ही प्रारम्भ है।

सम्मेलन मे भारत के नेतृत्व मे विकासशील राष्ट्रो को एक बडी सफलता जनस्वास्थ्य सम्बन्धी औषधियो के उत्पादन एव अधिग्रहण के मामले मे मिली है। एच0 आई0 वी0/एड्स, टी0बी0 व मलेरिया आदि रोगो से जनसामान्य की सुरक्षा के लिए औषधियो के उत्पादन के मामले मे विश्व व्यापार सगठन के ट्रिप्स (TRIPS) एव पेटेट सम्बन्धी नियम अब आडे नही आ सकेगे। इस मामले मे दी गई छूट के परिणामस्वरूप कोई देश जनस्वास्थ के लिए पेटेट शुदा दवाओ का सस्ता उत्पादन करने के लिए किसी भी कम्पनी को लाइसेस दे सकेगा। कृषि के क्षेत्र मे डोमेस्टिक सपोर्ट तथा निर्यात सब्सिडी मे कटौती का प्रस्ताव, दोहा घोषणा–पत्र मे शामिल किए जाने से विकासशील राष्ट्रो के किसान लाभान्वित हो सकेगे इससे भारत को भी लाभ होगा।

उल्लेखनीय है कि दोहा सम्मेलन मे चीन व ताइवान को भी विश्व व्यापार सगठन का सदस्य बना लिया गया है यह दोनो इस सगठन के क्रमश 143 वे व 144 वे सदस्य है। WTO का आगामी पॉचवॉ मत्रिस्तरीय सम्मेलन सन् 2003 मे मेक्सिको मे होगा।

## दोहा घोषणा पत्र

दोहा घोषणा पत्र जिसमे एक मुख्य घोषणा 'ट्रिप्स' करार और जन स्वास्थ्य पर एक घोषणा तथा कार्यान्वयन सबद्ध मुद्दो और चिन्ताओ पर निर्णय शामिल है। विश्व व्यापार सगठन (डब्ल्यू0टी0ओ0) का भावी कार्यकरण प्रारम्भ करता है, और इसमे कृषि तथा सेवाओ वर्तमान बातचीत के लिए विस्तारण और समयसारणी तथा अन्य कार्य मुद्दो मे बातचीत शामिल है।[1]

**कार्यन्वयन सबधी मुद्दे** – नए एस0पी0एस0 और टी0बी0टी0 उपायो के अनुपालनार्थ दीर्घ समय सीमा (छ महीने की) "ट्रिप्स" करार के अधीन उल्लघन नही करने की शिकायतो पर दो वर्ष की छूट एक वर्ष के भीतर बैक–टु–बैक डपिग–रोधी जाच और घोषित मूल्यो से सबन्धित जाच मे सदस्यो द्वारा सहभोग और सहायता सहित कार्यन्वयन सबद्ध मुद्दो और चिताओ पर निर्णय मे कार्यान्वयन सबधी कई मुद्दो पर ध्यान किया गया है। घोषणा यह सहमति देती है कि अन्य सभी बकाया कार्यान्वयन सबधी मुद्दे कार्यकरण कार्यक्रम का अभिन्न अग होगे। जहा विशिष्ट वार्ताए अधिदेशित है वहा कार्यन्वयन सबधी सगत मुद्दो पर उस अधिदेश के अधीन ध्यान दिया जायेगा और अन्य बकाया कार्यान्वयन सबधी मुद्दो पर विश्व व्यापार सगठन के सगत निकायो, उपयुक्त कार्रवाई के लिए वर्ष 2002 के अत तक व्यापार वार्ता समिति को रिपोर्ट करेगे, द्वारा प्राथमिकता के मामले के रूप मे ध्यान दिया जायेगा।

**कृषि :**– घोषणा विकासशील देशो के लिए बाजार पहुॅच मे काफी सुधारो, सभी किस्म की निर्यात सबधी आर्थिक सहायताओ को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने की दृष्टि से कमी करने, और विकसित देशो द्वारा दिए जा रहे व्यापार विकृत करने वाले घरेलू समर्थन मे काफी कमी करने के लिए लक्षित व्यापक वार्ताओ के लिए वचनबद्ध हैं। यह विकासशील देशो की व्यापार–भिन्न चिताओ तथा खाद्य–सुरक्षा और ग्रामीण विकास सहित उनकी विकास सबधी आवश्यकताओ का भी ध्यान रखती हैं। विकासशील देशो के लिए विशेष और विभेदक व्यवहार वार्ताओ का एक अभिन्न अग होगा।

---

1 **आर्थिक समीक्षा वर्ष 2001–2002**

<u>सेवाएँ</u> – सेवाओ मे व्यापार की परिषद द्वारा अपनाई गयी वार्ता सबधी दिशा निर्देश और कार्यविधिया "गैट्स" के उद्देश्यो के प्रति के दृष्टिगत सेवाओ मे अनवरत वार्ता का आधार बनेगी। यह घोषणा देशजात व्यक्तियो के आवागमन सहित विभिन्न क्षेत्रो पर सदस्यो द्वारा प्रस्तुत कई प्रस्तावो को मानती है।

**<u>औद्योगिक टैरिफ</u>** – औद्योगिक टैरिफ के आधीन वार्ता का लक्ष्य टैरिफ शीर्ष, उच्च टैरिफ और टैरिफ वृद्धियो की कमी सहित, टैरिफ को कम करना अथवा यथा उपयुक्त हटाना तथा साथ ही विशेषकर विकासशील देशो को निर्यात की दिलचस्पी वाले उत्पादो पर टैरिफ–भिन्न बाधाओ को दूर करना होगा। उत्पाद का सीमा क्षेत्र व्यापक और कमी करने की वचनबद्धताओ मे पूर्ण अन्योन्यता से कम के माध्यम से विकासशील देशो की आवश्यकताओ और हितो को ध्यान मे रखने वाली वार्ताओ के पूर्ण अपवर्जन के बिना होगा।

**<u>"ट्रिप्स"</u>** – कार्यकरण कार्यक्रम मत्री–स्तरीय सम्मेलन के 5वे सत्र द्वारा शराब (वाइन) और स्प्रिट के लिए भौगौलिक सकेतो की अधिसूचना और पजीकरण की एक बहुपक्षीय प्रणाली की स्थापना पर वार्ता अधिदेशित करता है। शराब (वाइन) और स्प्रिट के अतिरिक्त अन्य उत्पादो पर भौगोलिक सकेतो के सरक्षण के उच्च स्तर के विस्तार से सबद्ध मुद्दो "ट्रिप्स" करार और जैविक विविधता पर समझौता (सीबीडी) के बीच सबधो की जाच, पारम्परिक ज्ञान और लोक साहित्य के सरक्षण और अन्य सगत नये घटना क्रमो पर "ट्रिप्स" परिषद द्वारा कार्यान्वयन सबधी मुद्दो के भाग के रूप मे ध्यान दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त "ट्रिप्स" और जन–स्वास्थ्य पर घोषणा दोहा सम्मेलन के एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणामो मे से एक थी। यह मानती हैं कि "ट्रिप्स" करार की जनस्वास्थ्य के सरक्षण और सभी के लिए दवाईयो तक पहुच का संवर्धन करने के लिए डब्लू0टी0ओ0 सदस्यो के समर्थनकारी तरीके से व्याख्या की जानी चाहिए और उसका कार्यान्वयन किया जाना चाहिए।

**<u>विश्व व्यापार संगठन नियम</u>** :– घोषणा अधिदेश बातो का लक्ष्य तथा सब्सिडियो तथा प्रतिकारी उपायो पर करार के अतर्गत, इन करारो की बुनियादी अवधारणा सिद्धात तथा प्रभावीपन को सुरक्षित रखते हुए, नियमावलियो को स्पष्ट करने तथा सुधार करने का था तथा विकासशील देशो की जरूरतो पर गौर करना था। इसमे वार्ताएँ जिनमे क्षेत्रीय व्यापार करार पर प्रयोज्य मौजूदा विश्व व्यापार सगठन के उपबंधो (इन करारो के विकासात्मक पहलुओ को ध्यान में रखते हुए) के अधीन नियमावलियों और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करना तथा उनमें सुधार करना था, शामिल थी। इसके अलावा वार्ताओं को विवाद निपटान समझौते के सुधारों तथा स्पष्टीकरण

पर अधिदेशित किया गया। इन विषयो पर विशेष क्रियान्वयन मुद्दो को सबोधित करना इन वार्ताओ का एक अटूट भाग होगा।

**विशेष एव अन्तरीय व्यवहार (एस एण्ड डी)** – वार्ताओ मे विकासशील देशो के लिए विशेष तथा अन्तरीय व्यवहार के सिद्धान्त पर पूर्ण विचार किया जायेगा। सभी विशेष एव अन्तरीय व्यवहार उपबधो को उन्हे मजबूत करने तथा उन्हे और सुस्पष्ट प्रभावी तथा परिचालित बनाने के उद्देश्य से इनकी समीक्षा करने पर भी सहमति हो गई है।

**इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य** – कार्यकरण कार्यक्रम घोषणा करता है कि सदस्य पाचवे मत्रिपक्षीय सत्र तक इलैक्ट्रॉनिक्स प्रसारणो पर सीमाशुल्क नही लागू करने की मौजूदा प्रथा को बनाए रखेगे।

**सिगापुर मुद्दे** – व्यापार एव निवेश, व्यापार एव प्रतियोगिता के मध्य पारस्परिक प्रभाव, सरकारी प्रबध तथा व्यापार सुविधा मे पारदर्शिता से जुडे मुद्दे कार्यदल अध्ययन प्रक्रिया मे उठाये जाने जारी रहेगे। कार्यकरण कार्यक्रम के अनुसार इन विषयो पर वार्ताएँ मत्रीपक्षीय सम्मेलन के बाद पॉचवे सत्र के बाद, वार्ताओ की जटिलताओ पर उस सत्र मे, सुनिश्चित सहमति से किये गए निर्णयो के आधार पर की जायेगी।

**पर्यावरण** – व्यापार तथा वातावरण (मौजूदा विश्व व्यापार सगठन नियम तथा बहुपक्षीय पर्यावरणिक करार मे निर्धारित विशेष व्यापार बाध्यताओ के सबध, विदेश मत्रालय तथा विश्व व्यापार सगठन के बीच नियमित सूचना विनियम के लिए प्रक्रियाए तथा पर्यावरणिक वस्तुओ तथा सेवाओ को टैरिफ तथा टैरिफ–भिन्न बैरियरो की कटौती/समाप्ति) के सीमित पहलुओ पर वार्ताओ को, बाजार पहुँच के मुद्दो, टी आर आई पी एस करार के प्रासगिक उपबध तथा लेबलिग पर विशेष ध्यान देते हुए व्यापार तथा पर्यावरण पर समिति की इसकी कार्यसूची मे सभी मदो पर कार्य करने के अनुदेशो के साथ, अधिदेशित किया गया है।

**श्रम** – घोषणा मान्यता देती है कि महत्वपूर्ण श्रम मानदडो के मुद्दे को सबोधित करने के लिए अतर्राष्ट्रीय श्रम सगठन एक उचित मच है।

**कार्यदल** – **कार्यकरण कार्यक्रम ने दो कार्यदलो को भी गठित किया है एक का कार्य विश्व व्यापार सगठन अधिदेश के भीतर व्यापार, ऋण तथा वित्त के बीच, विकासशील देशो की विदेशी ऋणग्रस्तता की समस्या के हल के लिए सुझाव देने के लिए बने सबध की जाच करना और वित्तीय तथा आर्थिक अस्थायित्व के प्रभावो से बहुपक्षीय व्यापार तत्र की सुरक्षा के उद्देश्य से, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा वित्तीय नीतियो के सामजस्य को मजबूत करना है। दूसरा कार्यदल**

व्यापार तथा प्रौद्योगिकी अतरण के बीच सबध की जाच करेगा तथा विश्व व्यापार सगठन अधिदेश के भीतर विकासशील देशो की प्रौद्योगिकी के बढे हुए प्रवाह को सुकर बनायेगा।

कार्यकरण कार्यक्रम के अतर्गत वार्ताओ को 1 जनवरी 2005 के बाद निष्पादित नही किया जाना है (विवाद निपटान समझौता जो मई, 2003 के अत तक निष्पादिक किया जाना है, को सुधार तथा स्पष्ट करने पर वार्ता के सिवाय)। वार्ताओ के परिणाम के सचालन, निष्कर्ष तथा प्रवृत्त होने को एक एकल उपक्रम के भाग के रूप मे व्यवहृत किया जायेगा (सिवाय विवाद निपटान समझौते के) वार्ताओ का समगत् सचालन सामान्य परिषद के प्राधिकारी के अधीन एक व्यापार वार्ता समिति द्वारा पर्यवेक्षित किया जाना है।

## 13 संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन–अंकटाड :–

सन् 1961 मे सयुक्त राष्ट्र सघ की महासभा ने 1961–70 को विकास दशक (Development decade) घोषित किया तथा इसका मुख्य उद्देश्य अल्पविकसित देशो की आय मे 5% प्रति वर्ष वृद्धि लाने का था। इस अह्म मुद्दे को लेकर महासचिव से एक विश्व सम्मेलन बुलाने का अनुरोध किया गया, जुलाई 1962 मे काहिरा मे विकासशील देशो का एक सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन ने भी एक विश्व सम्मेलन की मॉग की, इसी उद्देश्य को लेकर सघ के महासचिव के आग्रह पर सयुक्त राष्ट्र सघ की आर्थिक एव सामाजिक परिषद् ने जेनेवा मे एक विश्व–व्यापार एव विकास सम्मेलन बुलाया, जो 31 मार्च, 1964 से 16 जून, 1964 तक चला। इसमे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बधी विश्वव्यापी नीति निर्धारित की गई तथा विकासशील देशो की विशेष आवश्यकताओ एव अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विस्तार सम्बधी समस्याओ के व्यवहारिक पहलुओ पर विचार किया गया। वास्तव मे इसी सम्मेलन को सयुक्त राष्ट्र का प्रथम व्यापार एव विकास सम्मेलन (**UNCTAD-I**) कहा जाता हैं।[1]

ऐसा ही दूसरा सम्मेलन (UNCTAD-II) नई दिल्ली मे फरवरी–मार्च 1968 मे, तीसरा सम्मेलन (UNCTAD-III) अप्रैल–मई 1972 मे सेटियागो (चिली) मे, चौथा सम्मेलन (UNCTAD-IV) मई, 1976 मे नैरोबी (अफ्रीका) मे, पॉचवा सम्मेलन (UNCTAD-V) 7 मई, से 2 जून, 1979 तक मनीला (फिलीपीन्स) मे, छटा सम्मेलन (UNCTAD-VI) 6 जून से 03 जुलाई, 1983 तक बेलग्रेड (यूगोस्लाविया) में, सातवाँ सम्मेलन (UNCTAD-VII) 1987 मे जेनेवा (स्विट्जरलैण्ड) में, आठवाँ (UNCTAD-VIII) 1992 मे कार्टेजिना डी इण्डियाज

---

[1] **प्रतियोगिता दर्पण भारतीय अर्थव्यवस्था – वर्ष 2002 पृष्ठ 113**

(कोलम्बिया) मे, नौवॉ सम्मेलन (UNCTAD-IX) 27 अप्रैल से 11 मई, 1996 तक दक्षिण अफ्रीका के मिडरैड मे तथा दसवॉ सम्मेलन (UNCTAD-X) 12–19 फरवरी, 2000 को बैकाक मे सम्पन्न हुआ।

इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढावा देने का यह सम्मेलन एक स्थायी सगठन बन गया है, इसका मुख्यालय जेनेवा (स्विट्जरलैण्ड) मे स्थित है। द0 अफ्रीका के एलेक इरविन अकटाड के वर्तमान अध्यक्ष है। चार वर्ष के अन्तराल मे सामान्यत इसका अधिवेशन बुलाया जाता है, इसकी सभी सभाओ मे IMF को स्थायी प्रतिनिधित्व प्राप्त है इसी कारण UNCTAD द्वारा पारित प्रस्तावो को IMF अपनी नीति निमार्ण मे प्रयुक्त करता है, अकटाड के सुझाव मात्र रचानात्मक होते है। जिन्हे पालन करने के लिए किसी भी राष्ट्र को बाध्य नही किया जा सकता। इस सम्मेलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है–

(1) अतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देना।

(2) अतर्राष्ट्रीय व्यापार एव आर्थिक विकास से सम्बद्ध आवश्यक सिद्धान्तो का प्रतिपादन करना एव नीति निर्धारित करना।

(3) निर्धारित सिद्धातो एव नीतियो को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक प्रस्ताव प्रस्तुत करना।

(4) सयुक्त राष्ट्र सघ की महासभा एव आर्थिक व सामाजिक परिषद् को आवश्यक सहयोग प्रदान करना तथा सयुक्त राष्ट्र सघ की अन्य सस्थाओ के कार्यों के साथ तालमेल बैठाना।

(5) व्यापार सम्बधी वार्ता के लिए आवश्यक प्रबध करना।

**'अंकटाड' की सदस्यता व मताधिकार** – सयुक्त राष्ट्र संघ की एक स्थायी एजेन्सी के रूप मे अकटाड कार्य कर रहा हैं, जिसकी सदस्यता पूर्णरूपेण ऐच्छिक है। कोई भी राष्ट्र अपनी इच्छानुसार 'अकटाड' की सदस्यता ग्रहण कर सकता है अथवा परित्याग कर सकता हैं।

**अकटाड की कार्यप्रणाली पूर्णरूपेण प्रजातात्रिक सिद्धातो पर आधारित है, प्रत्येक सदस्य को केवल एक मत देने का अधिकार है, सामान्य महत्व के विवादो पर केवल उपस्थित सदस्यो के बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, जबकि अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्नो के लिए दो–तिहाई बहुमत आवश्यक है।**

**अकटाड-X सम्मेलन** – अकटाड का दसवॉ सत्र 12–19 फरवरी, 2000 को बैकाक मे सम्पन्न हुआ, थाईलैण्ड के डॉ0 सुपाचाइ पानिचपकडी (Supachai Panitchapakdi) की अध्यक्षता मे सम्पन्न अकटाड का यह सत्र विश्व व्यापार के मुद्दे पर विकसित एव विकासशील राष्ट्रो के हितो के टकराव से ग्रसित रहा सम्मेलन मे भारतीय प्रतिनिधिमडल का नेतृत्व केन्द्रीय उद्योग, एव वाणिज्य मत्री मुरासोली मारन ने किया।

अकटाड-X मे भाग लेने वाले 146 देशो द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत बैकाक घोषणा–पत्र मे कहा गया है कि विभिन्न देशो को अपने तौर पर तथा अन्तर्राष्ट्रीय सगठनो के ठोस प्रयासो से यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली सभी देशो को विशेषत अल्पविकसित देशो को अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जोडने मे सफल रहे, घोषणा–पत्र मे यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि भूमडलीकरण के जरिए विकास को बढावा देना है, तो इसका प्रबधन भी सही तरीके से होना चाहिए, घोषणा–पत्र के अनुसार अल्पविकसित देशो को अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जोडे बिना विश्व स्तर पर सन्तुलित और निरन्तर विकास की नीव नही डाली जा सकती। इसके लिए खुली एव सीधी बहस के जरिए विवादित मुद्दो को आपसी सहमति से सुलझाना आवश्यक है, इससे सभी देशो के बुनियादी हितो की रक्षा हो सकेगी। घोषणा–पत्र मे विश्व व्यापार सगठन के सिएटल सम्मेलन की विफलता के लिए विकासशील देशो के तीखे मतभेद एव उनके अडियल रवैये को जिम्मेदार ठहराया गया है।

## 14. एशियाई विकास बैंक :–

एशियाई देशो के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु सयुक्त राष्ट्र के एशिया एव सुदूर पूर्व आर्थिक आयोग (Economic Commission for Asia & Far East- ECAFE) की सिफारिश पर इस बैंक की स्थापना दिसम्बर 1966 में की गई थी। 1 जनवरी, 1967 को एशियाई विकास बैंक ने कार्य प्रारम्भ कर दिया, बैंक का मुख्यालय फिलीपीन्स की राजधानी मनीला में है। 2मई, 1996 को मनीला मे सम्पन्न बैंक की 29वी वार्षिक बैठक मे जापान के श्री मित्सू सातो (Mitsu Sato) को अगले पॉच वर्ष के लिए बैंक का अध्यक्ष पुन चुना गया था। उल्लेखनीय है कि ADB का अध्यक्ष पद किसी जापानी को ही दिया जाता रहा है। जबकि इसके तीन उपाध्यक्षों में से एक अमरीका, एक यूरोप का व एक अन्य एशिया का प्रतिनिधि होता है। वर्तमान में ADB की सदस्य संख्या बढकर 56 हो गई हैं।

1974 मे इसने एशियाई विकास कोष (Asian Development Found) की स्थापना की, इसका उद्देश्य एशियाई देशो को रियायती ब्याज दर पर उधार देना है। एशियाई विकास कोष (ADF) को सर्वाधिक ऋण अमरीका से प्राप्त होते है। भारत मे इसने अपना आवासीय कार्यालय नई दिल्ली मे खोला है, जिसने 10 दिसम्बर, 1993 से कार्य प्रारम्भ कर दिया, (ADB) की वार्षिक बैठक मई 2001 मे हवाई द्वीप मे होनोलूलू मे सम्पन्न हुई।

## 15 आठ मुस्लिम विकासशील राष्ट्रो का समूह [D-8]:-

विश्व के आठ मुस्लिम विकासशील राष्ट्रो के समूह डी–8 का दूसरा शिखर सम्मेलन 1–2 मार्च, 1999 को बाग्लादेश मे ढाका मे सम्पन्न हुआ। 'डेवलपिग–8' अर्थात 'डी–8' नाम से इस समूह का गठन जून 1997 इस्ताबुल मे आर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेस (OIC) के 8 बडी जनसख्या वाले देशो ने किया था। इसमे शामिल देशो मे टर्की, ईरान, इण्डोनेशिया, मलेशिया, नाइजीरिया, मिस्र, पाकिस्तान व बाग्लादेश है। जिनकी कुल जनसख्या लगभग 80 करोड तथा विश्व व्यापार मे सयुक्त भागीदारी लगभग 4 प्रतिशत है।

शैशवावस्था के दौर से गुजर रहे इस इस्लामिक सगठन के प्रति सदस्य राष्ट्रो की रुचि का अन्दाजा इससे लगता है कि मेजबान बाग्लादेश के अतिरिक्त केवल तीन अन्य राष्ट्रो के राष्ट्राध्यक्ष ही मार्च 1999 के शिखर सम्मेलन मे उपस्थित हुए इनमे पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री नवाज शरीफ, मलेशिया के प्रधानमत्री डॉ0 महाथिर मोहम्मद तथा टर्की के राष्ट्रपति सुलेमान डेमिरेल शामिल थे, शेष राष्ट्रो का प्रतिनिधित्व निचले स्तर के नेताओ/अधिकारियो ने किया।

सम्मेलन मे वैश्विक व्यापार प्रणाली स्थापित करने का आह्वान किया जिससे सम्पन्न व निर्धन, दोनो श्रेणियो के राष्ट्रों को समान लाभ प्राप्त हो सकें। पारस्परिक सहयोग को बढाने तथा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली मे सुधारो के आह्वान के साथ यह शिखर सम्मेलन 2 मार्च 1999 को समाप्त हुआ।

डी–8 का तीसरा शिखर सम्मेलन 25–26 फरवरी, 2001 के अन्तिम सप्ताह मे काहिरा मे सम्पन्न हुआ, अपनी अर्थव्यवस्थाओ को मजबूत करने मे पारस्परिक सहयोग के मुद्दो पर इस सम्मेलन मे मुख्य रूप से चर्चा हुई, सम्मेलन में कहा गया कि निर्धनता की समस्या यद्यपि प्राचीनतम समस्याओं में से एक है, तथापि पिछली शताब्दी मे, विशेषत. विगत दशकों मे हुए विकास ने इसे ऐसे स्तर पर ला दिया जो राजनीतिक, आर्थिक और यहाँ तक कि नैतिक दृष्टि से स्वीकार्य नहीं है।

## 16 अफ्रीकी सघ तथा अफ्रीकी आर्थिक समुदाय .–

यूरोपीय सघ (EU) की तर्ज पर अफ्रीकी महाद्वीप के राष्ट्रो के अफ्रीका सघ (African Union- AU) के गठन का प्रस्ताव अफ्रीकी एकता सगठन (Organisation of African Unity- OAU) के सितम्बर 1999 मे सम्पन्न शिखर सम्मेलन मे लिया गया था। इसके साथ ही अफ्रीकी आर्थिक समुदाय (African Economic Community- AEC) की स्थापना का निर्णय भी 53 सदस्यीय सगठन के इस शिखर सम्मेलन मे लिया गया था। लीबियाई राष्ट्रपति गद्दाफी की पहल पर गठित किये जाने वाले अफ्रीकी सघ के लिए चार्टर को बाद मे 11 जुलाई, 2000 को टोगो मे लोम (Lome) मे हुए शिखर सम्मेलन मे स्वीकार किया गया।

इस चार्टर के अनुच्छेद 28 मे यह प्रावधान किया गया था कि OAU के 53 सदस्यो मे से कम से कम 36 सदस्य राष्ट्रो द्वारा विधिवत अनुमोदन (Ratification) के 30 दिनो के बाद अफ्रीकी सघ अस्तित्व मे आ जाएगा। चार्टर (CAAU) का अनुमोदन करने वाले 35वे व 36वे राष्ट्र क्रमश दक्षिणी अफ्रीका व नाइजीरिया थे। जिन्होने क्रमश 23 व 26 अप्रैल 2001 को इसे अनुमोदित किया था। इस प्रकार नाइजीरिया (अनुमोदन प्रदान करने वाला 36वॉ राष्ट्र) के अनुमोदन के 30 दिन बाद 26 मई 2001 से 'अफ्रीकी सघ' अस्तित्व मे आ गया है। नवगठित अफ्रीकी सघ (AU) का पहला शिखर सम्मेलन 9–11 जुलाई 2001 को लुसाका (जाम्बिया) मे सम्पन्न हुआ।

## 17. खाड़ी सहयोग परिषद् का शिखर सम्मेलन :–

छ सदस्यीय खाडी सहयोग परिषद् (Gulf Cooperation Council) का वार्षिक शिखर सम्मेलन 27–29 नवम्बर, 1999 को सऊदी अरब मे रियाद (Riyadh) मे सम्पन्न हुआ। खाडी क्षेत्र के तेल सम्पन्न छ राष्ट्रो–सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर एव सयुक्त अरब अमीरात के इस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए सऊदी अरब के शाह फरद ने सदस्य राष्ट्रो मे पारस्परिक आर्थिक सहयोग के साथ–साथ सैन्य सहयोग मे वृद्धि की आवश्यकता पर बल दिया ताकि क्षेत्र की सुरक्षा अन्तर्राष्ट्रीय 'मूड' एव हितो पर निर्भर न रहे।

सम्मेलन में सदस्य राष्ट्रों के नेताओं ने आमतौर पर यह स्वीकार किया कि सदस्य राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाएं इतनी छोटी हैं कि भूमण्डलीकरण के मौजूदा दौर मे उभर रहे व्यापार ब्लॉकों से प्रतिस्पर्द्धाओं का सामना करने में वह अलग–अलग से सक्षम नही हैं। इन परिस्थितियो में

उभर रही चुनौतियो का सामना करने के लिए समान प्रशुल्क व्यवस्था वाले खाडी देशो के एक साझा बाजार की स्थापना पर खाडी के नेताओ ने बल दिया। किन्तु समान प्रशुल्क सरचना पर उनमे आपस मे सहमति न हो सकी। परिषद् के सदस्य राष्ट्रो मे प्रशुल्क की सबसे ऊँची दरे सऊदी अरब मे व सबसे नीची दरे सयुक्त अरब अमीरात (UAE) मे है।

उल्लेखनीय है कि 1981 मे स्थापना के बाद से ही खाडी सहयोग परिषद् (GCC) सदस्य राष्ट्रो मे एकीकृत प्रशुल्क व्यवस्था को अपनाने के लिए प्रयत्नशील है।

## 18 बीस औद्योगिक एवं विकासशील देशो का समूह [G-20] :–

मौजूदा विश्व वित्तीय सकट से निपटने के लिए नए उपाय तलाशने के लिए विश्व के प्रमुख 20 औद्योगिक एव विकासशील देशो का पहला मत्रिस्तरीय सम्मेलन 15–16 दिसम्बर 1999 को जर्मनी मे बर्लिन मे सम्पन्न हुआ। 'जी–20' के नाम से इस अनौपचारिक मच का गठन विश्व बैक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सितम्बर 1999 मे वाशिगटन मे सम्पन्न वार्षिक बैठक के दौरान किया गया था। इसमे जी–8 के सात राष्ट्रो–अमरीका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रास, जापान, इटली व जर्मनी के अतिरिक्त अर्जेन्टीना, आस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, भारत, इण्डोनेशिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, द० अफ्रीका, द० कोरिया, टर्की तथा यूरोपीय सघ की अध्यक्षता कर रहे देश (वर्तमान मे फिनलैण्ड) को शामिल किया गया है।

कनाडा के वित्त मत्री पॉल मार्टिन (Paul Martin) की अध्यक्षता मे सम्पन्न (कनाडाई वित्त मत्री को दो वर्ष के लिए जी–20 का अध्यक्ष बनाया गया है) दिसम्बर 1999 के सम्मेलन मे वित्तीय क्षेत्र का नियमन व निगरानी, ऋणो का कुशल प्रबन्धन तथा अन्तर्राष्ट्रीय मानक व सहिता चर्चा के मुख्य विषय रहे। सम्मेलन का आयोजन अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से अमरीका की इस मॉग के परिप्रेक्ष्य मे किया गया था कि रुग्ण अर्थव्यवस्थाओ को दीर्घकालीन सरचनात्मक सुधार ऋण देने के स्थान पर उसे आपातकालीन आवश्यकताओ के लिए ऋण उपलब्ध कराने पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। फ्रास व जापान के वित्त मत्रियो ने अमरीका की इस मॉंग का कडा विरोध किया। अप्रत्याशित अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटो से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए समुचित 'कुशन' (Cushion) स्थापित करने मे निजी क्षेत्र की भागीदारी का सम्मेलन मे आह्वान किया गया। मौजूदा अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियो के चलते नवम्बर 2001 मे नई दिल्ली मे होने वाले जी–20 के मत्रिस्तरीय सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया है।

## 19 'शघाई–5' तथा 'शघाई सहयोग सगठन' :–

मूलत क्षेत्रीय सीमावर्ती विवादो के समाधान के लिए 1996 मे गठित 5 देशो के समूह 'शघाई–5' का औपचारिक रूपातरण अब अपेक्षाकृत अधिक व्यापक 'शघाई सहयोग सगठन' (Shanghaı Cooperatıon Organısatıon-SCO) के रूप मे हो गया है। नवगठित 'शघाई सहयोग सगठन' मे शघाई–5 के पॉच सदस्यो–रूस, चीन, कजाखस्तान, किर्गिस्तान व ताजिकिस्तान के अतिरिक्त छठे राष्ट्र उज्बेकिस्तान को भी सस्थापक सदस्य के रूप मे शामिल किया गया है। सगठन का पहला शिखर सम्मेलन 14–15 जून 2001 को शघाई (चीन) मे सम्पन्न हुआ। रूस, चीन, किर्गिस्तान, कजाखस्तान, ताजिकिस्तान तथा उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियो ने दो दिन के इस सम्मेलन मे भाग लिया तथा इसके घोषणा–पत्र पर हस्ताक्षर किए। ज्ञातव्य है कि उज्बेकिस्तान के अतिरिक्त पाकिस्तान भी 'शघाई–5' की सदस्यता प्राप्त करने को प्रयासरत रहा था। किन्तु उसे नए गठित हुए शघाई सहयोग सगठन मे स्थान नही प्रदान किया गया है।

उल्लेखनीय है कि रूस व चीन की पहल पर 1996 मे गठित शघाई–5 जहॉ सदस्य राष्ट्रो के सीमावर्ती विवादो को हल करने मे मध्यस्थता करता रहा है। वही शघाई सहयोग सगठन का गठन मुख्यत तीन समस्याओ– आतकवाद (Terrorısm), अलगाववाद (Separatısm) व धार्मिक कट्टरवाद (Extremısm) के विरुद्ध मिलकर कार्य करने के लिए किया गया है। तालिबान सरक्षित धार्मिक कट्टरवाद इन सभी राष्ट्रो के लिए चिता का विषय बना हुआ है। धार्मिक कट्टरवाद के अतिरिक्त आतकवाद व अलगाववाद के फैलते जाल को क्षेत्रीय अखडता व सदस्य राष्ट्रो की सुरक्षा को खतरा सगठन के घोषणा पत्र मे स्वीकार किया गया है।

सगठन के इस पहले शिखर सम्मेलन मे 1972 की एटी बैलिस्टिक मिसाइल सन्धि (ABM Treaty) का पुरजोर समर्थन करते हुए अमरीका की राष्ट्रीय मिसाइल सुरक्षा (NMD) परियोजना का कडा विरोध किया गया है।

## 20 बेनेलक्स [BENELUX] :-

यह बेल्जियम, नीदरलैण्ड्स तथा लक्जेमबर्ग का व्यापारिक सघ है। जिसकी स्थापना 1958 मे परस्पर व्यापारिक सहयोग के लिए की गई थी। इसका मुख्यालय ब्रूसेल्स (बेल्जियम) मे है।

## 21 यूरोपीय मुक्त व्यापार सघ [EFTA].–

यूरोपीय मुक्त व्यापार सघ की स्थापना स्टॉकहोम मे सात देशो द्वारा 3 मई, 1960 को की गई थी। ये सात देश थे– ब्रिटेन, आस्ट्रिया, डेनमार्क, नार्वे, स्विट्जरलैण्ड, स्वीडन तथा पुर्तगाल। इसकी स्थाना ECC के पैटर्न पर ही की गई थी, तथा इसके उद्देश्य भी उसी के समान रखे गये थे। इन सात देशो को 'आऊटर सैविन' (Outer Seven) के नाम से जाना जाता था जो ECC के तत्कालीन छ सदस्य देशो से अलग थे। ECC के तत्कालीन छ सदस्य देशो को 'इनर सिक्स' (Inner Six) के नाम से जाना जाता था। इसका उद्देश्य सदस्य राष्ट्रो मे परस्पर व्यापार के लिए कस्टम ड्यूटी तथा अन्य करो मे धीरे–धीरे कटौती करना है। 31 दिसम्बर, 1966 तक लगभग सभी टैरिफ समाप्त करके इसके मुख्य उद्देश्य को प्राप्त कर लिया गया है। द्वितीय उद्देश्य पश्चिमी यूरोप मे एक बाजार की स्थापना करना था जो कि 1972 मे ECC से समझौते के द्वारा प्राप्त कर लिया गया है तथा तीसरा उद्देश्य विश्व–व्यापार को बढावा देना है। इस सघ का मुख्यालय जेनेवा मे है।

## 22. भारत यूरोप शिखर बैठक :–

भारत एव यूरोपीय सघ (EU) की पहली बैठक वर्ष 2000 मे पुर्तगाल मे लिस्बन मे हुई थी। इस बैठक मे पारस्परिक आर्थिक सहयोग को बढाने के निर्णय लिए गये। इसी सदर्भ मे भारत एव यूरोपीय सघ की दूसरी शिखर बैठक 23 नवम्बर, 2001 को नई दिल्ली मे हुई। नई दिल्ली बैठक मे भी इन सम्बन्धो के विस्तार की तत्परता दोनों पक्षो ने व्यक्त की। आर्थिक सहयोग सम्वर्द्धन के लिए जिन क्षेत्रो की पहचान नई दिल्ली बैठक मे की गई, उनमे वित्तीय सेवाओ, टेक्सटाइल्स, बायोटेक्नोलॉजी, ऊर्जा एवं विद्युत शामिल हैं। अगले पाँच वर्षो मे दोनो पक्षों के बीच पारस्परिक व्यापार के स्तर को 25 अरब यूरो से बढाकर 50 अरब यूरो तक ले जाने का निर्णय इस शिखर बैठक में किया गया। भारत मे 6–14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चो की

सार्वभौमिक शिक्षा के 'सर्व शिक्षा अभियान' के लिए 20 करोड यूरो के यूरोपीय सघ के अनुदान के लिए भी एक समझौते पर दोनो पक्षो मे हस्ताक्षर हुए। एक अन्य हस्ताक्षरित समझौता विज्ञान एव प्रद्यौगिकी क्षेत्र मे सहयोग से सम्बन्धित है।

शिखर बैठक की समाप्ति पर तीनो नेताओ (भारतीय प्रधानमत्री अटल बिहारी वाजपेयी, यूरोपीय सघ के अध्यक्ष गॉय वेहोफ्स्टाड व यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष रोमानो प्रोदी) द्वारा हस्ताक्षरित सयुक्त घोषणा–पत्र मे अन्तर्राष्ट्रीय आतकवाद के विरुद्ध सयुक्त अभियान चलाने तथा ऐसे सभी देशो, सगठनो एव व्यक्तियो के विरुद्ध कठोर अन्तर्राष्ट्रीय कानून बनाने की मॉग की गई है जो आतकवादियो को समर्थन, प्रश्रय एव वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते है।

## 23. यूरो · सामूहिक मुद्रा : –

विश्व के पटल पर बढते आर्थिक एकीकरण अभियानो– नाफ्टा (उतरी अमरीका मुक्त व्यापार समझौता), साफ्टा (दक्षिण एशियाई वरीयता– व्यापार समझौता), एसियान (दक्षिण–पूर्वी एशियाई राष्ट्रो का सघ), सार्क (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग सगठन), आदि अनेक के प्रयासो ने क्षेत्रीय आर्थिक गुट की रणनीति को बढावा दिया और इसी कडी मे जुड गया एक और नाम – मास्ट्रिश्च सधि (Maastricht Treaty), 9–10 दिसम्बर, 1991 को यूरोप आर्थिक समुदाय के तत्कालीन 12 राष्ट्रो ने मास्ट्रिश्च (नीदरलैण्ड्स) मे आयोजित शिखर सम्मेलन मे आम सहमति के बाद यूरोप के राजनीतिक, आर्थिक एव मौद्रिक एकीकरण हेतु एक सधि पर हस्ताक्षर किए और यही मास्ट्रिश्च सधि यूरो करेन्सी के उदय की बुनियाद बनी। 1 नवम्बर, 1993 से लागू इस मास्ट्रिश्च सधि ने राजनीतिक एव आर्थिक एकीकरण के उद्देश्य की पूर्ति हेतु यूरोपीय सघ (European Union) को जन्म दिया। मास्ट्रिश्च एव यूरोपीय सघ की स्थापना के लिए याक डेलोर्स की योजना के परिणाम के रूप मे ही आज विश्व पटल पर यूरोप की साझी मुद्रा 'यूरो' ने दस्तक दी है।

**यूरो जोन मे भागीदारी: प्रमुख शर्ते** :– मास्ट्रिश्च सधि के दस्तावेजो मे यूरोप मे मौद्रिक एव आर्थिक एकीकरण एव साझी मुद्रा 'यूरो' के प्रचलन के लिए चार प्रमुख शर्तो का उल्लेख किया गया .–

1 **मुद्रा स्फीति की दर पर नियन्त्रण (उत्तम निष्पादन करने वाले पहले तीन देशो मे प्रचलित मुद्रा स्फीति दर से मुद्रा स्फीति की दर का 1.5% से अधिक न होना)।**

2 निम्न ब्याज दर (उत्तम निष्पादन करने वाले प्रथम तीन देशो की ब्याज दर की तुलना मे 2% से अधिक न होना)।

3 सरकारी ऋण का GDP के 60% से अधिक न होना।

4 वार्षिक बजट घाटा GDP के 3% से अधिक न होना।

मास्ट्रिश्च सधि मे यूरोपीय आर्थिक समुदाय (EEC) के देशो से उपर्युक्त शर्तो को पूरा करने का अनुरोध किया गया, ताकि वे यूरोप की साझी मुद्रा 'यूरो' मे अपनी भागीदारी दर्ज कर सके। यूरोप के अब तक 12 राष्ट्रो ने यूरो मे भागीदारी हेतु सभी आवश्यक पूर्व शर्तो को पूरा कर लिया है।

15 सदस्यीय यूरोपीय सघ (EU) के 12 राष्ट्रो मे एकीकृत मुद्रा 'यूरो' (Euro) का चलन 1 जनवरी, 2002 से प्रारम्भ हो गया है इन राष्ट्रो मे आस्ट्रिया, बेल्जियम, फिनलैण्ड, फ्रास, जर्मनी, ग्रीस (यूनान), आयरलैण्ड, इटली, लक्जेमबर्ग, नीदरलैण्ड्स, पुर्तगाल व स्पेन शामिल है। यूरो के चलन वाले 12 राष्ट्रो के लगभग 30 करोड जनसख्या वाले इस क्षेत्र को यूरोजोन (Eurozone) कहा गया है। यूरोपीय सघ के शेष तीन राष्ट्र जो फिलहाल यूरोजोन मे शामिल नही हुए है, ब्रिटेन डेनमार्क व स्वीडन है। आगे चलकर इन राष्ट्रो को भी यूरोजोन मे शामिल होने की सम्भावनाए विद्यमान है।

यूरो (Euro) के चलन के साथ ही यूरोजोन राष्ट्रो की अपनी मुद्राए भी कुछ समय तक इन राष्ट्रो मे चलन मे बनी रहेगी, किन्तु जर्मन मार्क का चलन 31 दिसम्बर, 2001 को ही समाप्त हो गया है। नीदरलैण्ड्स मे गिल्डर 28 जनवरी, 2002 तक, आयरलैण्ड मे पुट 9 फरवरी, 2002 तक व फ्रास मे फ्रैक 17 फरवरी, 2002 तक यूरो के साथ–साथ चलन मे रहेगे। यूरोजोन के शेष राष्ट्रो मे उनकी पुरानी मुद्राए 28 फरवरी, 2002 तक चलन मे रहेगी तथा 1 मार्च, 2002 से अकेली यूरो ही इन सभी 12 राष्ट्रो मे विधिग्राह्य मुद्रा (Legal /Tender) होगी। बन्द हुई युरोपीय मुद्राओ को 1 जनवरी, 2012 तक बैंको से यूरो मे बदला जा सकेगा।

यूरो के करेसी नोट 5, 10, 20, 50, 100, 200, व 500 यूरो के मुल्य मे छापे गए हैं। 5 यूरो से कम मूल्य का लेनदेन सिक्कों से ही किया जा सकेगा। यह सिक्के 1 व 2 यूरो के अतिरिक्त 1, 2, 5, 10, 20, व 50 सेट (Cents) मुल्य मे जारी किए गए है। 1 यूरो का मुल्य 100 सेट के बराबर है। सिक्कों के एक ओर उनका मूल्य व दूसरी ओर सम्बन्धित राष्ट्र का राष्ट्रीय चिह्न मुद्रित किया गया है।

अब प्रश्न उठता है कि यूरोप के तीन अन्य देश ब्रिटेन, स्वीडन तथा डेनमार्क यूरोप की इस साझी मुद्रा मे अपनी भागीदारी दर्ज करने मे पीछे क्यो हट रहे है ? जहॉ तक ब्रिटेन का प्रश्न है वह राजनीतिक कारणो से इस भागीदारी से पीछे हटा है। इसमे कोई सन्देह नही कि ब्रिटेन अब तक यूरोप की वित्तीय एव पूजीगत गतिविधियो का केन्द्र रहा है, किन्तु जर्मनी के फ्रैकफर्ट को यूरोप की साझी मुद्रा यूरो की राजधानी बनाना शायद ब्रिटेन को राजनीतिक बिन्दुओ पर स्वीकार नही है। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन का पौण्ड अन्तराष्ट्रीय मौद्रिक बाजार मे अपनी सुदृढता आज भी बनाए हुए है, इसी कारण ब्रिटेन ने यूरो मे भागीदारो को अपनी आर्थिक सम्प्रभुता के लिए हानिकारक माना और यूरो की छतरी (Umberella of Euro) के नीचे आने के लिए अपनी सहमति नही दी है। विश्व मौद्रिक बाजार मे यूरो का प्रचलन यूरोप के इन देशो को निकट भविष्य मे यूरो की सम्प्रभुता स्वीकार करने के लिए किस सीमा तक विवश कर पायेगा, यह प्रश्न अभी भविष्य के गर्भ मे छिपा है।

<u>अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या यूरो एक सम्भावित समाधान</u> :– विश्व पटल पर दिन–प्रतिदिन विषम होती अन्तर्राष्ट्रीय तरलता (International Lequidity) की समस्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विविध विस्तार मे अवरोध बनकर सामने आती रही है। अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या के परिमाणात्मक पहलू के साथ–साथ इस समस्या का गुणात्मक पहलू भी विश्व मौद्रिक बाजार मे एक अवरोधक घटक रहा है। इस गुणात्मक पहलू का सम्बन्ध रिजर्व के रूप मे अमरीकी डॉलर और ब्रिटिश पाउण्ड स्टर्लिंग के प्रयोग से है क्योकि ये दोनो विश्व पटल पर लम्बे समय तक आधार मुद्राए रही है। यद्यपि यह स्थिति विगत कुछ समय से जापानी येन तथा जर्मन मार्क को भी प्राप्त हो गई थी। अन्तर्राष्ट्रीय तरलता के कुछ विशिष्ट देशो की मुद्रा के साथ बॅधे रहने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एव वित्तीय व्यवस्था मे एकाधिकारी प्रवृतियो ने जन्म लिया। इसी समस्या के सम्यक् समाधान की दिशा मे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा 1971 से विशेष आहरण अधिकार (SDR) की योजना, जिसे कागजी स्वर्ण (Paper Gold) के नाम से भी जाना जाता है, आरम्भ की गई। SDR के मूल्य निर्धारण मे वर्ष 1991 के दौरान मुद्राओ की पिटारी (Basket of Currencies) मे अमरीकी डॉलर (भार. 40%), जर्मन मार्क (भार 21%), जापानी येन (भार 17%), ब्रिटिश पाउण्ड (भार 11%) तथा फ्रान्सीसी फ्रैंक (भार 11%) को सम्मिलित किया गया। अमरीकी डालर का प्रभुत्व विशेष आहरण अधिकार (SDR) पर भी हावी है और इसी का परिणाम है– वर्तमान मे अमरीका का IMF के पास सर्वाधिक कोटा। अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय बाजारों में अमरीकी डालर के प्रभुत्व और अन्य मुद्राओं की सापेक्षिक उपेक्षा ने यूरोप में मौद्रिक एकीकरण की प्रक्रिया को गति दी और यूरोप के देश चल

पडे, आर्थिक एव मौद्रिक एकीकृत मुद्रा 'यूरो' को अपनाने के लिए और वह भी इस आशा के साथ कि यूरो अन्तर्राष्ट्रीय वित्त बाजार मे डॉलर की सम्प्रभुता को चुनौती देगा और अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या के समाधान का एक नया मार्ग प्रशस्त होगा। यूरोपीय मुद्राओ के साथ यूरो की विनमय दर निर्धारण के लिए यूरोपीय सघ के तित्त मत्रीयो की बैठक 31 दिसम्बर 1998 को बुसेल्स मे सम्पन्न हुई, जिसमे इन मुद्राओ की विनमय दरे निम्नवत निर्धारित की गयी—

तालिका—5 5

यूरो की एक इकाई का विभिन्न मुद्राओ मे मूल्य

| | |
|---|---|
| जर्मन—मार्क | 1 96 |
| फ्रासीसी—फ्रैक | 6 56 |
| इटालियन—लीरा | 1936 27 |
| स्पेनिश—पेसेटा | 166 39 |
| डच—गिल्डर | 2 20 |
| वेल्जियम—फ्रैक | 40 34 |
| आस्ट्रियन—शिलिग | 13 76 |
| पुर्तगाली—एस्कुडो | 200 48 |
| फिनिश—मार्का | 5 95 |
| आयरिश—पाउड | 0 79 |
| लक्जेमबर्ग—फ्रैक | 40 34 |

## 24. यूरोशियाई आर्थिक समुदाय का गठन :—

पूर्व सोवियत सघ से विघटित हुए 12 सदस्यीय 'स्वतत्र राष्ट्रो के राष्ट्रकुल' (Commonwealth of Independent States- CIS) के पॉच सदस्य राष्ट्रो ने पारस्परिक आर्थिक—वाणिज्यक सम्बन्धो मे दृढता के लिए यूरोशियाई आर्थिक समुदाय (Eurasian Economic Community-EEC) का गठन 31 मई, 1 जून, 2001 को बेलारूस की राजधानी मिस्क (Minsk) मे सीआईएस के शिखर सम्मेलन मे किया है। इसमे रूस के अतिरिक्त वह चार राष्ट्र शामिल है जिनका झुकाव पश्चिम की बजाए रूस की ओर रहा है।

रूस के अतिरिक्त कजाखस्तान किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान व बेलारूस की सदस्यता वाले इस समुदाय ने सर्वाधिक 4 मत रूस को आवटित किए गए है, जबकि कजाखस्तान व बेलारूस को 2—2 मत तथा किर्गिस्तान व ताजिकिस्तान को 1—1 मत आवटित किए गए है। इस प्रकार कुल 10 मतो मे रूस की मत शक्ति सर्वाधिक होने के बावजूद इसमे यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी निर्णय के लिए कम—से—कम तीन सदस्य राष्ट्रो की सहमति आवश्यक होगी। कजाखस्तान के राष्ट्रपति नूरसुल्तान नजरबायेव, जिन्होने इस परिषद् की

स्थापना का विचार सर्वप्रथम 1994 मे दिया था, को इस समुदाय का अध्यक्ष एक वर्ष के लिए बनाया गया है। इस समुदाय मे वर्तमान मे यद्यपि 5 राष्ट्र ही शामिल है, किन्तु शीघ्र ही आर्मेनिया के भी इसमे शामिल होने की सम्भावना है पश्चिमोन्मुखी मोल्दोवा का ससदीय चुनावो के पश्चात् रूस की ओर झुकाव बढा है वह भी आगे चलकर इसमे शामिल हो सकता है।

## 25 एशिया प्रशान्त आर्थिक सहयोग (एपेक) :-

यूरोपीय आर्थिक समूदाय (EEC) तथा नाफ्टा (NAFTA) के पश्चात् अब 'एशिया प्रशान्त आर्थिक सहयोग' (APEC) विश्व के एक बडे व्यापारिक गुट के रूप मे उभर रहा है। APEC की स्थापना नवम्बर 1989 मे तत्कालीन आस्ट्रेलियाई प्रधान मत्री बॉब हॉक की पहल पर हुई थी। बॉब हॉक ने एपेक को 'विश्व मामलो मे एशिया-प्रशान्त की आवाज' (Voice for the Asia Pacific in World Affairs) कहा था। हिमालय से एन्डीज (Andes) तक व न्यूजीलैन्ड से कनाडा तक विस्तृत क्षेत्र मे फैले विश्व की बडी व विस्तारोन्मुख अर्थ व्यवस्थाओ वाले प्रमुख राष्ट्र इसके सदस्य है। इन देशो का सयुक्त व्यापार विश्व के कुल व्यापार का 40 प्रतिशत से भी अधिक है। EEC तथा NAFTA की भॉति APEC को भी एक स्वतत्र व्यापार क्षेत्र (Free Trade Zone) के रूप मे विकसित करने हेतु सदस्य राष्ट्र प्रयासशील है। जून 1992 मे बैकाक की बैठक के बाद सिगापुर मे इसके सचिवालय की स्थापना की गई ।

1998 मे रूस, वियतनाम व पेरू को सदस्यता मिल जाने के बाद एपेक की सदस्य सख्या 21 हो गई है। इन 21 सदस्यो के नाम इस प्रकार है – आस्ट्रेलिया, अमरीका, कनाडा, मेक्सिको, जापान, चीन, हागकाग, ताइवान, द0 कोरिया, इण्डोनेशिया, ब्रूनेई, फिलीपीन्स, सिगापुर, मलेशिया, थाइलैण्ड, पपुआ, न्यूगिनी, न्यूजीलैण्ड, चीली, पेरू, रूस तथा वियतनाम। भारत को अभी इस सगठन का सदस्य नही बनाया गया है।

APEC का नौवॉ शिखर सम्मेलन 20-21 अक्टूबर, 2001 को शघाई मे सम्पन्न हुआ। दो दिन के इस शिखर सम्मेलन मे अमरीका पर 11 सितम्बर, 2001 को हुए आतकवादी हमलो की कडी निदा करने के साथ ही सभी प्रकार के आतकवादी हमलो को रोकने व अपराधियो की धर-पकड के लिए हरसभव प्रयास करने के प्रति जहॉ एकजुटता व्यक्त की गई वहीं अफगानिस्तान मे अमरीकी सैन्य कार्यवाही का कोई समर्थन नहीं किया गया।

दो दिन चले इस सम्मेलन में आतकवाद का मुद्दा इतना छाया रहा कि सगठन के अपने एजेडे विशिष्ट वित्तीय एव आर्थिक नीतियो पर ठोस चर्चा इसमे नही हो सकी। आर्थिक

मोर्चे पर, सम्मेलन मे स्वीकार किया गया कि वर्तमान मे विश्व मदी के गम्भीर दौर से गुजर रहा है। मदी के इस दौर को समाप्त करने के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए शघाई घोषणा–पत्र मे कहा गया है कि आर्थिक विकास को गति देने के लिए ऐपेक के सदस्य राष्ट्रो न समुचित नीतियॉ अपनाई है। सरक्षणवाद (Protectionism) के विरूद्ध सघर्ष तथा विश्व व्यापार सगठन (WTO) के तहत वार्ता के नए दौर के प्रति प्रतिबद्धता की बात भी आर्थिक दृष्टि से सशक्त इस सगठन के शघाई घोषणा–पत्र मे कही गई है।

तालिका–56

ऐपेक शिखर सम्मेलन कब और कहॉ

| | |
|---|---|
| 1993 | सीट्ल (अमरीका) |
| 1994 | बोगोर (इण्डोनेशिया) |
| 1995 | ओसाका (जापान) |
| 1996 | सुविक पोर्ट (मनीला, फिलीपीन्स) |
| 1997 | वैकुवर (कानाडा) |
| 1998 | क्वालालम्पुर (मलेशिया) |
| 1999 | ऑकलैण्ड (न्यूजीलैण्ड) |
| 2000 | बादर सेरी बेगावान (ब्रूनेई) |
| 2001 | शघाई (चीन) |

## 26. एशिया–यूरोप मीटिंग (ASEM) :-

यूरोपीय सघ (EU) के 15 तथा एसियान (Association of South-East Asian Nations- ASEAN) के 7 राष्ट्रो के साथ–साथ जापान, द0 कोरिया व चीन को शामिल करते हुए एशिया व यूरोप के 25 राष्ट्रो की बैठक ऐसेम (ASEM-Asia Europe Meeting) ने मोटे तौर पर दोनो महाद्वीपो के एक सयुक्त अनौपचारिक सगठन का ही रूप ले लिया है। इन 25 एशियाई व यूरोपीय राष्ट्रो की पहली शिखर बैठक मार्च 1996 के प्रथम सप्ताह मे थाईलैण्ड की। राजधानी बैंकाक मे सम्पन्न हुई इसमे 10 एशियाई राष्ट्रो के अतिरिक्त यूरोप के 13 राष्ट्रों ने ही भाग लिया।

यूरोपीय राष्ट्र ASEM को APEC (Asia Pacific Econmomic Community) के परिप्रेक्ष्य मे ही विकसित होते देखना चाहते हैं। APEC मे जहॉ पूर्वी एशियाई देशो को प्रशान्त क्षेत्र के देशो–विशेषकर अमरीका, कनाडा, मेक्सिको व चिली, आदि के साथ एक आर्थिक गठबधन मे बॉधा गया है वहीं ASEM एशियाई देशो के साथ यूरोपीय देशो का आर्थिक गठबंधन है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि तमाम प्रयासों के बावजूद भी भारत को न तो APEC मे ही अभी तक प्रवेश मिल सका है और न ही ASEM में। एशिया एव यूरोप के राष्ट्रों की दूसरी शिखर

बैठक 'ऐसेम' 3–4 अप्रैल, 1998 को लन्दन मे सम्पन्न हुई सम्मेलन की समाप्ति पर सर्वसम्मति से स्वीकार किए गए घोषणा–पत्र मे यूरोप ने एशियाई राष्ट्रो के उत्पादो के लिए अपने बाजार खुले रखने तथा किसी प्रकार की सरक्षणात्मक नीति न अपनाने का आश्वासन दिया है। वित्तीय सकट से निपटने हेतु पर्याप्त सहायता उपलब्ध करने को सक्षम बनाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को अधिक साधन सम्पन्न बनाने की माग भी घोषणा–पत्र मे दोहराई गई है।

ऐसे प्रक्रिया को आगे बढाने के लिए यद्यपि अनेक कदमो की बात लन्दन घोषणा–पत्र मे कही गई है, किन्तु इसके विस्तार का इसमे कोई उल्लेख नही है। एशियाई राष्ट्रो की अर्थव्यवस्थाओ की पुनर्सरचना के लिए आवश्यक प्रौद्योगिक सहायता उपलब्ध कराने को विश्व बैक के तत्वावधान मे एक 'ट्रस्ट फड' की स्थापना थाईलैण्ड मे एशिया–यूरोप एन्वायरनमेटल टेक्नोलॉजी सेन्टर की स्थापना तथा मनी लाउडरिंग के विरुद्ध सयुक्त कार्यवाही की बात घोषणा–पत्र मे कही गई है।

## 27. एशियाई क्लीयरिंग यूनियन –

एशियाई क्लीयरिग यूनियन (ACU) की 25वी बैठक 24–25 मई,1996 को मुम्बई मे सम्पन्न हुई। 1975 मे स्थापित इस समाशोधन सघ (Clearing Union) का उद्देश्य एशियाई देशो के चालू अन्तर्राष्ट्रीय लेन–देनो के लिए समाशोधन सुविधा उपलब्ध कराना है। मूलत इसकी स्थापना सदस्य राष्ट्रो के व्यापार सम्बन्धी भुगतानो का स्थानीय मुद्राओ मे निपटान करने के उद्देश्य से हुई थी, ताकि इनके सीमित विदेशी मुद्रा भण्डारो पर अधिक दबाव न पडे। प्रारम्भ मे भारत, पाकिस्तान, बागलादेश, नेपाल, श्रीलका व ईरान ही इसके सदस्य थे, बाद मे म्यामार ने 1977 मे इसकी सदस्यता ग्रहण की। एशियाई क्लीयरिंग यूनियन का मुख्यालय तेहरान मे है।

## 28. मर्कोसुर :–

1 जनवरी, 1995 से द0 अमरीका के चार राष्ट्रो– ब्राजील, आर्जेन्टीना, परग्वे तथा उरूग्वे के बीच एक साझा बाजार (Common Market) 'मर्कोसुर' (Marcosur) प्रभावी हो गया है। (मर्कोसुर स्पेनिश नाम का शब्द संक्षेप है, जिसका अर्थ है दक्षिणी शंकु का साझा बजार)। चारो राष्ट्रो की सरकारो ने दिसम्बर, 1994 मे इस साझे बाजार की स्थापना का अनुमोदन कर दिया। इसके पश्चात् अर्जेन्टीना, ब्राजील, पराग्वे तथा उरूग्वे के राष्ट्रपतियो क्रमश. कार्लोस मेनम,

गयी थी। सैनेगल के डॉ0 जैक्वेस डियोफ (Jacques Diouf) इस सगठन के महानिदेशक है। इसका प्रधान कार्यालय रोम (इटली) मे है। इस सगठन के प्रमुखत निम्नलिखित कार्य है–

(i) विश्व मे कृषि–उत्पादन की कमी की पूर्ति करना और उनकी निरन्तर पूर्ति करते रहना।

(ii) भण्डारित अन्न को हानि पहुँचाने वाले कीटाणुओ से सुरक्षित रखने के उपाय खोजना।

(iii) बीमार पशुओ की देखभाल करना।

(iv) प्रत्येक प्रकार की फसलो के अच्छे बीजो को उपलब्ध कराना।

(v) रहन–सहन का स्तर ऊँचा करना।

(vi) पोषण–शक्ति मे वृद्धि करना।

(vii) कृषि–उत्पादन और वितरण मे सुधार करना।

## 31. हिन्द महासागर तट क्षेत्रीय सहयोग संघ–हिमतक्षेस : –

हिन्द महासागर के तटीय क्षेत्र मे स्थित राष्ट्रो के बीच पारस्परिक आर्थिक सहयोग सवर्धन के उद्देश्य से एक सगठन 'हिन्द महासागर तट क्षेत्रीय सहयोग सगठन' (Indian Ocean Rim Association for Regional Co-opearation- IORARC) की औपचारिक स्थापना की घोषणा 5 मार्च, 1997 को मॉरिशस मे पोर्टलुई मे सस्थापक राष्ट्रो के विदेश मत्रियो की बैठक मे की गई। इस सगठन की स्थापना के लिए भारत, द0 अफ्रीका व आस्ट्रेलिया विगत लगभग दो वर्षो से प्रयासरत थे। यह सघ तीन महाद्वीपो –एशिया, अफ्रीका व आस्ट्रेलिया के लिए एक सेतु का कार्य करेगा।

*****

# अध्याय छः

## "स्वतन्त्रता के पचास वर्षों के दौरान हमारा विदेशी व्यापार तथा हाल के उदारीकरण कार्यक्रम एवं उनका प्रभाव"

## अध्याय – 6

# स्वतन्त्रता के पचास वर्षों के दौरान हमारा विदेशी व्यापार तथा हाल के उदारीकरण कार्यक्रम एवं उनका प्रभाव

हम इस अध्याय मे देश के विदेशी व्यापार का अध्ययन इस बात को दृष्टिगत करते हुए करेगे कि आजादी के पश्चात से विशेषतया देश मे आर्थिक नियोजन के प्रारम्भ होने पर देश के विदेशी व्यापार मे जो परिवर्तन आये, विदेशी व्यापार के परिणाम मे जो वृद्धि हुई तथा व्यापार की दिशा मे परिवर्तन के साथ उसके ढॉचे व स्वभाव मे जो उल्लेखनीय परिवर्तन हुए। स्वतत्रता के उपरान्त भारत के विदेशी व्यापार मे उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। यह वृद्धि व्यापार की मात्रा तथा मूल्य दोनो मे ही हुई है, फिर भी इस वृद्धि को सन्तोषजनक नही कहा जा सकता, क्योकि विश्व के कुल विदेशी व्यापार मे भारत का अश पिछले वर्षो मे लगभग स्थिर ही रहा है। भारत का विदेशी व्यापार विश्व के लगभग सभी देशो के साथ है, और 7500 से भी अधिक वस्तुऍ लगभग 190 देशो को निर्यात की जाती है। जबकि 6000 से भी अधिक वस्तुऍ 140 देशो से आयात की जाती है। आजादी के पश्चात भारत के विदेशी व्यापार मे उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, जिसे तालिका द्वारा इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते है।

**तालिका 6.1**

**आजादी के पश्चात भारत का विदेशी व्यापार**

| वर्ष | आयात | निर्यात | व्यापार घाटा (करोड़ रू० में) |
|---|---|---|---|
| 1950-51 | 608 | 606 | -2 |
| 1960-61 | 1122 | 642 | -480 |
| 1970-71 | 1634 | 1535 | -99 |
| 1980-81 | 12549 | 6711 | -5838 |
| 1990-91 | 43375 | 32553 | -10645 |
| 1991-92 | 47851 | 44041 | -3810 |
| 1992-93 | 63375 | 53688 | -9687 |
| 1993-94 | 73104 | 69751 | -3350 |

| 1994-95 | 89971 | 82674 | -7297 |
|---|---|---|---|
| 1995-96 | 122678 | 106353 | -16325 |
| 1996-97 | 138920 | 118817 | -20103 |
| 1997-98 | 154176 | 130101 | -24075 |
| 1998-99 | 176099 | 141604 | -34495 |
| 1999-2000 | 215236 | 159561 | -55675 |
| 2000-2001 | 230873 | 203571 | -27302 |
| 2001-2002 (अप्रैल– दिसम्बर) | 181753 | 154445 | -27308 |

भारत के विदेशी व्यापार के सन्दर्भ मे यह भी उल्लेखनीय है कि योजना अवधि मे केवल दो वर्षो को छोडकर हमारा विदेशी व्यापार सन्तुलन प्रतिकूल ही रहा है। केवल 1972–73 तथा 1976–77 मे हमारा विदेशी व्यापार सन्तुलन क्रमश 173 करोड व 68 करोड रुपये अनुकूल रहा है। विदेशी व्यापार मे वृद्धि के साथ–साथ व्यापार सन्तुलन का यह घाटा भी उत्तरोत्तर बढता जा रहा है। व्यापार सन्तुलन के घाटे पर नियन्त्रण लगाने के लिए सरकार द्वारा आयात नियन्त्रण व निर्यात सम्बर्द्धन के अनेक उपाय किये गये है। किन्तु कतिपय कारणो से जिनमे प्रमुख रूप से खनिज तेल के बडे आयात बिल के कारण इसमे विशेष सफलता नही मिल सकी है। इन्ही सब कारणो व निवारणो तथा व्यापार प्रगतियो का विश्लेषण हम निम्न बिन्दुओ के माध्यम से करेगे।

## आजादी के पश्चात योजना काल के प्रथम दशक में विदेशी व्यापारः–

भारत के विदेशी व्यापार का लम्बा इतिहास रहा है। 15 अगस्त, 1947 को स्वतत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत भी विश्व व्यापार का एक स्वतत्र सदस्य बन गया। स्वतत्रता के पूर्व देश मे आयात और निर्यात की दृष्टि से जो नीतियॉ अपनायी जा रही थी, उनका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को अधिक से अधिक लाभ पहुँचाना था। लेकिन आजादी के पश्चात देश के विदेशी व्यापार का उद्देश्य देश का औद्योगिक विकास एव जीवन स्तर की प्रगति बन गया।

भारत के वाणिज्यिक प्रधानता के दौरान भारतीय विदेशी व्यापार निश्चित रूप से अनुकूल था, हमने निर्यात ने आयात को बढावा दिया। भारत निर्यात मे वाणिज्यिक प्रधान था। इसलिए यूरोपियन देश एव अन्य देश भारत के साथ ज्यादा व्यापार सम्बन्ध बनाने की कोशिश मे लगे हुए थे। व्यापार की यह स्थिति अग्रेजो द्वारा देश पर पूर्ण राजनीतिक नियन्त्रण तक बनी रही।

किन्तु बाद मे अग्रेजो द्वारा अपनायी गयी स्वार्थपरता की नीतियो से यहॉ के उद्योग तितर–बितर हो गये।[1]

अग्रेजो द्वारा भारत छोडने व पाकिस्तान के अलग हो जाने के पश्चात से प्रथम आयोजन काल प्रारम्भ होने तक भारतीय विदेशी व्यापार मे कुछ विशेष परिवर्तन नही हुए, किन्तु प्रथम योजना काल (1950–51) के प्रारम्भ होने पर विदेशी व्यापार नीति मे कुछ परिवर्तन होने लगे। इस योजना काल के दौरान पहले वर्ष मे 716 करोड रुपये का वार्षिक निर्यात किया गया, एव देश के विदेशी व्यापार की नीति मे बडे उद्योगो का विकास, निर्यात स्थानान्तरण और निर्यात रोकने वाले व्यवहार की प्रगति हुई। वर्ष 1953–54 के दौरान निर्यात का मूल्य अब तक जब से योजनाओ की घोषणा की गयी है, सबसे कम था। जिसके फलस्वरूप दूसरी योजना के दौरान आयात बहुत अधिक हो गये। वास्तव मे पहली योजना के अन्त मे उदार नीति के कारण आयात मे बढोत्तरी हुई, जिसके परिणामस्वरूप दूसरी योजना के मध्य मे विदेश विनिमय स्रोत बहुत कम हो गये। वर्ष 1956 से 1961 तक निर्यात का वार्षिक औसत 606 करोड पर ही रुका रहा। इसलिए इस काल के दौरान बडी मुश्किल से ही कोई विकास हुआ।[2]

आजादी प्राप्ति के पश्चात भारत मे सर्वांगीण विकास हेतु वर्ष 1951 से प्रारम्भ हुए आर्थिक नियोजन के युग मे विदेशी व्यापार के नये अध्याय का सूत्र पात हुआ। इस योजना मे योजना आयोग ने विदेशी व्यापार के सम्बन्ध मे दो उद्देश्य निर्धारित किये। पहला निर्यात के उच्चतर स्तर को कायम रखना व केवल उन वस्तुओ का निर्यात करना जो राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक हो तथा द्वितीय उद्देश्य यह था, कि भुगतान शेष को देश के विदेशी विनिमय की जमा तक सीमित रखना। इस योजना के पॉचो वर्षो मे व्यापार शेष भारत के प्रतिकूल रहा जिसका मुख्य कारण यह था, कि इस योजना काल मे औद्योगीकरण के कारण विदेशो से भारी मात्रा मे पूँजीगत वस्तुओ का आयात करना पडा। इस अवधि मे खाद्यान्न एव उपभोक्ता वस्तुओ का क्रमश 595 करोड और 878 करोड रुपये का आयात हुआ, जबकि निर्यात के ढॉचे मे कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नही हुआ। वही 1956 से 1961 तक के द्वितीय योजना काल मे जो मुख्य रूप से देश के औद्योगीकरण का योजना काल था, के परिणाम स्वरूप अधिक मात्रा मे पूँजीगत वस्तुओ का आयात करना पडा। साथ ही अनुरक्षण आयातो मे भी काफी वृद्धि

---

1 कृष्ण बाल, कामार्सियल रिलेशन, विटविनइण्डिया एण्ड इग्लैंड (1960–1757) लन्दन, 1924, पृष्ट सख्या 208.

2 कालीपाड़ा देव, 'एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी इन इण्डिया' सुल्तान चन्द एण्ड कम्पनी लि0, नई दिल्ली, 1978, पृष्ठ संख्या 3–8.

हुई। खाद्यान्न का आयात भी लगभग प्रथम योजना के समान ही हुआ। निम्न तालिका इस योजना कालो के प्रथम दशक मे हमारे व्यापार की स्थिति को स्पष्ट करती है।

तालिका 6 2

आजादी के प्रथम दशक मे विदेशी व्यापार

(करोड़ रूपये में)

| वर्ष | आयात | निर्यात | व्यापार शेष |
|---|---|---|---|
| 1950-51 | 650 3 | 646 8 | -3 5 |
| 1951-52 | 962 9 | 730 1 | -232 8 |
| 1952-53 | 633 0 | 601 9 | -31 1 |
| 1953-54 | 591 8 | 536 7 | -52 1 |
| 1954-55 | 989 7 | 596 6 | -93 1 |
| 1955-56 | 773.1 | 640 3 | -132 8 |
| 1956-57 | 1102 1 | 635 2 | -406 9 |
| 1957-58 | 1233 2 | 594 2 | -639 0 |
| 1958-59 | 1029 2 | 576 2 | -453 0 |
| 1959-60 | 932 3 | 627 4 | -304 9 |
| कुल योग (1950–51 से 1959–60) | **7947.3** | **5541.6** | **-2405.7** |

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि योजनाकाल के प्रथम दशक मे कुल आयात 7,947 3 करोड रूपये का तथा कुल निर्यात 5541 6 करोड रूपये का हुआ। इस प्रकार इस दशक मे –2405 7 करोड रुपये का घाटा हुआ। यद्यपि सरकार ने इस व्यापार घाटा को रोकने के लिए 1957 मे कठोर आयात नीति की घोषणा की किन्तु, व्यापार शेष की प्रतिकूलता को रोका नही जा सका।

## आजादी के द्वितीय दशक में भारत का विदेशी व्यापार :–

आजादी के द्वितीय दशक मे देश को अनेक सकट ग्रस्त परिस्थितियो का सामना करना पडा। सन् 1962 मे चीन के साथ युद्ध हुआ। जिसके कारण पूँजीगत वस्तुओ का बहुत अधिक आयात करना पडा। सन् 1965 का वर्ष देश की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे घातक वर्ष था। सम्भवत ऐसा वर्ष किसी देश के इतिहास मे सैकडो वर्ष मे एक बार आता है। इस वर्ष केवल पाकिस्तान के साथ युद्ध के कारण ही क्षति नही हुई, बल्कि देश का एक भाग बाढ तथा दूसरा भाग सूखा से तबाह हो गया। फलत पूँजीगत वस्तुओ के साथ–साथ खाद्यान्नो का भी आयात करना पडा। 1964–65 मे 1421 5 करोड रूपये का आयात किया गया। निर्यात की मात्रा जो 1963–64 मे 802.3 करोड रूपये थी, घटकर 801 6 करोड रूपये हो गयी। देश के निर्यात से केवल 57.1 प्रतिशत आयातो का ही भुगतान कर सकते थे। इस वर्ष का विदेशी विनिमय

अल्पमत मे था।[1] देश के भुगतान सन्तुलन की स्थिति को देखते हुए रूपये के अवमूल्यन का निर्णय लिया गया, और 6 जून, 1966 को रूपये का 36 5 प्रतिशत अवमूल्यन किया गया। मुद्रा अवमूल्यन से आयात हतोत्साहित तथा निर्यात प्रोत्साहित होते है। परन्तु इसके बाद भी तत्काल कोई मुख्य लाभ नही हुआ, बल्कि अधिक मूल्य ही चुकाना पडा, क्योकि उस समय देश के आयातो की माग बेलोचदार थी। परिणाम स्वरूप 1966–67 के घाटे का रिकार्ड कायम हुआ, और व्यापारिक प्रतिकूल सन्तुलन 906 करोड रूपये पहुँच गया। हम अपने निर्यातो द्वारा केवल 55 6 प्रतिशत आयातो का ही भुगतान कर पा रहे थे। किन्तु अवमूल्यन ने धीरे–धीरे फल देना प्रारम्भ किया। आयातो पर कठोर प्रतिबन्ध लगाय गये एव निर्यातो को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक कार्य किये गये। इसका परिणाम यह हुआ कि आजादी के बाद पहली बार इस दशक मे प्रारम्भ की गयी नीतियो के फलस्वरूप अगले कुछ वर्षो के लिए व्यापार सन्तुलन कुछ पक्ष मे हुआ। इस दशक मे विदेशी व्यापार की स्थिति निम्न तालिका से स्पष्ट है–

**तालिका 6 3**

**60 के दशक मे विदेशी व्यापार की स्थिति**

(करोड रूपये में)

| वर्ष | आयात | निर्यात | व्यापार शेष |
|---|---|---|---|
| 1960-61 | 1105 | 603 | -475 |
| 1961-62 | 1006 | 668 | -338 |
| 1962-63 | 1097 | 681 | -416 |
| 1963-64 | 1245 | 802 | -443 |
| 1964-65 | 1421 | 801 | -620 |
| 1965-66 | 1350 | 783 | -567 |
| 1966-67 | 1991 | 1086 | -906 |
| 1967-68 | 2043 | 1255 | -788 |
| 1968-69 | 1740 | 1367 | -373 |
| 1969-70 | 1582 | 1413 | -169 |
| **योग** | **14580** | **9,459** | **-5095** |
| **वार्षिक औसत** | **1458.0** | **945.9** | **509.5** |

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि इस दशक मे निर्यात का वार्षिक औसत 945 9 करोड़ रूपये तथा आयात का वार्षिक औसत 1458 करोड़ रूपये रहा। इस प्रकार इस दशक का औसत

---

1 एम0सी0 वैश्य एव सुदामा सिह, अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशस्त्र, अक्सफोर्ड एण्ड आई0वी0एच0 क0प्र0 लि0, नई दिल्ली, वर्ष 1991

वार्षिक घाटा 509 5 करोड रूपये का था। उक्त तालिका से यह भी स्पष्ट है कि 1967–68 तक लगातार व्यापार प्रतिकूल था। इसके प्रमुख कारणो मे पाकिस्तान तथा चीन का आक्रमण जिसकी वजह से रक्षा सामग्री का आयात करने से अर्थव्यवस्था को धक्का लगा तथा साथ ही भारी मात्रा मे खाद्यान्नो का आयात करना भी है। अवमूल्यन के पश्चात जहाँ निर्यातो मे वृद्धि हुई वही अच्छी फसल के कारण खाद्यान्नो के आयातो मे कमी हुई। फलस्वरूप प्रतिकूल व्यापार शेष जो वर्ष 1967–68 मे 788 करोड रूपये का था वही 1968–69 मे घटकर 373 करोड हो गया।

## आजादी के तीसरे दशक में भारतीय विदेशी व्यापार:–

इस दशक के दौरान हमारे विदेशी व्यापार की मात्रा मे काफी वृद्धि हुई। इन वर्षों मे सरकार द्वारा आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रोत्साहन के लिए कई कदम उठाये गये। जिसके परिणाम स्वरूप स्वतन्त्रता के बाद पहली बार वर्ष 1972–73 मे देश का व्यापार शेष अनुकूल हुआ। किन्तु इस प्रवृत्ति को अगले वर्ष जारी नही रखा जा सका, क्योकि इस वर्ष आयात की जाने वाली वस्तुओ के मूल्यो मे भारी वृद्धि हुई। तेल की कीमतो मे वृद्धि जो अक्टूबर 1973 मे प्रारम्भ हुई, ने दुनिया भर के आयातो एव निर्यातो दोनो के मूल्यो पर भारी प्रभाव डाला। भारत भी इसका अपवाद नही रह सका। इन वर्षों के दौरान आयात मूल्य काफी ऊँचे स्तर पर पहुँच गया। इसका मुख्य कारण देश का प्रधान आयात वस्तुएँ अर्थात पेट्रोलियम, उर्वरको एव खाद्यानो के मूल्य मे तीव्र वृद्धि था। साथ ही देश के निर्यात मे भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई और वे पॉचवी योजना के प्रत्येक उत्तरोत्तर वर्ष मे बढते ही गये। यह वृद्धि इतनी तीव्र थी कि 1976–77 तक निर्यात बढकर 5,146 करोड रूपये हो गया, और ये आयात से 68 करोड रूपये अधिक हो गया। अत भारत के विदेशी व्यापार मे दूसरी बार अतिरेक पैदा हो गया। इसका मुख्य कारण हमारी निर्यातोन्मुख नीति थी। मछली, मछलियो से बनी वस्तुएँ, काफी, मूगफली, सूती वस्त्र और हस्तशिल्पो के निर्यात मे तीव्र वृद्धि हुई। लौह एव इस्पात के निर्यात मे भी वृद्धि हुई। वर्ष 1977–78 मे जनता सरकार के समय आयात मे उदारता की नीति अपनाने और निर्यात तेजी से समाप्त हो जाने के कारण भारत के विदेशी व्यापार मे पुन 621 करोड रूपये का भारी घाटा उत्पन्न हो गया। पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशो द्वारा पेट्रोलियम की कीमत मे और अधिक वृद्धि कर देने के कारण हमारा आयात बिल जो 1978–79 में 6,814 करोड़ रूपये था बढ़कर 1979–80 मे 8,908 करोड़ रूपये हो गया। इसके विरुद्ध निर्यात जो 1978–79 मे 5,726 करोड़ था बढ़कर 1979–80 में केवल 6,459 करोड़ रुपये तक ही पहुँच सका, अर्थात इनमें केवल 12. 8% की ही वृद्धि हुई। परिणाम स्वरूप वर्ष 1979–80 मे हमारा व्यापार घाटा 2,449 करोड़ रूपये

हो गया। अगले दशक के वर्ष 1980–81 मे स्थिति और भी गम्भीर हो गयी और व्यापार घाटा 5,838 करोड रूपये के उच्च स्तर पर पहुँच गया। इस दशक के विदेशी व्यापार की वर्षवार स्थिति निम्न तालिका से स्पष्ट है –

तालिका 6 4

**70 के दशक मे विदेशी व्यापार की स्थिति**

(करोड रूपये में)

| वर्ष | आयात | निर्यात | व्यापार शेष |
|---|---|---|---|
| 1970-71 | 1634 | 1535 | -99 |
| 1971-72 | 1824 | 1608 | -216 |
| 1972-73 | 1797 | 1970 | +173 |
| 1973-74 | 2955 | 2523 | -432 |
| 1974-75 | 4519 | 3329 | -1190 |
| 1975-76 | 5266 | 4043 | -1223 |
| 1976-77 | 5074 | 5142 | +68 |
| 1977-78 | 6020 | 5408 | -612 |
| 1978-79 | 6814 | 5726 | -1088 |
| 1979-80 | 8908 | 6459 | -2449 |
| कुल योग | **44710** | **377436** | **-6967** |
| वार्षिक औसत | **4471.0** | **3774.3** | **-696.7** |

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि इस दशक मे कुल आयात 44710 करोड रूपये का और कुल निर्यात 37743 करोड रूपये का हुआ। इस प्रकार इस दशक के दो वर्षो मे व्यापार शेष अनुकूल होने के बाद भी –6967 करोड रूपये प्रतिकूल रहा। कुल मिलाकर देखा जाय तो पहले व दूसरे दशक से अधिक ही व्यापार शेष प्रतिकूल रहा। इस दशक मे विदेशी व्यापार की प्रमुख बाते इस प्रकार थी–

1 इस अवधि मे भारत का कुल व्यापार 82,453 करोड़ रूपये का हुआ जिसमे से आयात 44,710 करोड रूपये तथा निर्यात 37,743 करोड रूपये रहा। इस प्रकार इस अवधि मे व्यापार शेष –6967 करोड़ रूपये रहा।

2 इस अवधि मे औसत वार्षिक आयात 4,471 करोड, निर्यात 3774 3 करोड़ तथा प्रतिकूल भुगतान शेष –696 7 करोड़ रूपये का रहा।

3 आयात में वृद्धि मुख्य रूप से पेट्रोलियम, खाद्यान्न तथा उर्वरक में तीव्र वृद्धि के कारण हुई।

4 इस दशक के दौरान भारतीय निर्यात में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है।

5 इस सम्पूर्ण दशक मे वर्ष 1972–73 व 1976–77 मे दो बार व्यापार शेष क्रमश 173 करोड व 68 करोड रूपये का अधिक देखने को मिला।

## आजादी के चौथे दशक मे भारतीय विदेशी व्यापार .–

पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशो द्वारा पेट्रोलियम की कीमत मे वृद्धि करने की वजह से हमारा आयात बिल जो 70 के दशक मे बढा, वह इस दशक मे जारी रहा। इस दशक के शुरुआती वर्ष 1981–82 और 1982–83 के दौरान व्यापार घाटा क्रमश 5,802 करोड रूपये और 5448 करोड रूपये हो गया। इन वर्षों के आयात और निर्यात के आकडो की समीक्षा से पता चलता है, कि पेट्रोलियम तथा इससे सम्बन्धित पदार्थों का आयात जो 1980–81 मे 5267 करोड रूपये था, गिरकर 1983–84 मे 4830 करोड रूपये हो गया क्योकि एक तो तेल की अन्तर्राष्ट्रीय कीमते गिर रही थी, और दूसरे तेल एव प्राकृतिक गैस आयोग, द्वारा रूक्ष तेल के देशीय उत्पाद को बढाया गया, फिर भी 1983–84 मे व्यापार घाटा 5,891 करोड रूपये था। इस स्थिति की व्याख्या इस बात से होती है कि विदेशी मुद्रा की जो बचत पेट्रोलियम के आयात मे कमी के कारण हुई, वह आयात–उदारता की नीति अपनाने के कारण गैर पेट्रोलियम आयात मे वृद्धि के परिणाम स्वरूप कट गई। इस दशक मे छठी पचवर्षीय योजना (1980–81 से 1984–85) के दौरान 14,986 करोड रूपये के वार्षिक औसत आयात के विरूद्ध 9,051 करोड रूपये का औसत वार्षिक निर्यात किया गया। इस योजना काल के दौरान 5,935 करोड रूपये का भारी औसत वार्षिक व्यापार घाटा व्यक्त हुआ और यह राष्ट्र के लिए चिन्ता का विषय रहा। इस दशक के विदेशी व्यापार की स्थिति निम्न तालिका से स्पष्ट है –

**तालिका 6 5**

**80 के दशक मे भारतीय विदेशी व्यापार**

(करोड़ रूपये में)

| वर्ष | आयात | निर्यात | व्यापार शेष |
|---|---|---|---|
| 1980-81 | 12524 | 6711 | -5813 |
| 1981-82 | 13608 | 7806 | -5802 |
| 1982-83 | 14356 | 8908 | -5448 |
| 1983-84 | 15763 | 9872 | -5891 |
| 1984-85 | 18680 | 11959 | -6721 |
| 1985-86 | 21164 | 11578 | -9586 |
| 1986-87 | 22669 | 13315 | -9354 |
| 1987-88 | 25692 | 16396 | -9296 |
| 1988-89 | 34202 | 20647 | -13555 |
| 1989-90 | 40642 | 28229 | -12413 |
| **कुल योग** | **219300** | **135421** | **83879** |
| **वार्षिक औसत** | **21930 0** | **13542.1** | **8387 9** |

इस दशक मे सातवी योजना वर्ष 1985–86 से 1989–90 के दौरान प्राप्त ऑकडो से पता चलता है कि काग्रेस (इ) द्वारा अन्धाधुन्ध उदारीकरण की नीति अपनाने से जिसका बाद मे जनता दल सरकार ने भी अनुमोदन किया, के परिणाम स्वरूप केवल इस योजना काल के दौरान वार्षिक आयात बढकर 28,874 करोड रूपये हो गये। परन्तु जिसकी तुलना मे इन वर्षों मे औसत वार्षिक निर्यात केवल 18,033 करोड रूपये का औसत वार्षिक अभूतपूर्व घाटा पैदा हो गया। इतने भारी व्यापार घाटे के उत्पन्न होने के कारण भारत सरकार को मजबूर होकर विश्व बैक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास 670 मिलियन डालर के ऋण के लिए प्रार्थना–पत्र भेजना पडा। भारत सरकार को बढते हुए आयात को रोकने के लिए आयात लाइसेन्सो की उदार नीति पर अकुश लगाना पडा।[1] इस दशक मे विदेशी व्यापार की प्रवृत्ति के सम्बन्ध मे निम्नलिखित बाते उल्लेखनीय है –

1 इस दशक मे भारत का कुल व्यापार 354721 करोड रूपये का हुआ जिसमे से आयात 2,19,300 करोड रूपये तथा निर्यात 1,35,421 करोड रूपये रहा। इस प्रकार इस अवधि मे व्यापार शेष –83879 करोड रूपये रहा।

2 इस दशक मे औसत वार्षिक आयात 21,930 करोड रूपये, निर्यात 13,542 1 करोड तथा प्रतिकूल भुगतान शेष का वार्षिक औसत –8387 4 करोड रूपये का रहा।

3 आयात मे वृद्धि का कारण पेट्रोलियम व खाद्यान्नो के मूल्यो मे वृद्धि का रुख जारी रहना तथा काग्रेस (ई) व जनता दल सरकार द्वारा अन्धाधुन्ध उदारीकरण की नीति अपनाया जाना रहा।

4 इस दशक के दौरान भी भारतीय निर्यात मे उत्तरोत्तर वृद्धि जारी रही।

5 इस दशक के वर्ष 1988–89 मे सर्वाधिक व्यापार शेष 13555 करोड रूपये प्रतिकूल रहा।

6 निर्यात मे वृद्धि तो हुई पर आयात की तेज वृद्धि को यह पूरा नहीं कर सकी। परिणामस्वरूप इस अवधि मे व्यापार शेष खतरनाक ढग से बहुत तेजी से बढ़ा।

---

[1] रूद्र दत्त एव के0पी0एम0 सुन्दरम, अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, एस0 चन्द्र एण्ड कम्पनी लि0 रामनगर, नई दिल्ली, चौवीसवा संस्करण।

## आर्थिक उदारीकरण के पश्चात आजादी के पॉचवे दशक में विदेशी व्यापार :–

इस दशक के शुरुआती वर्षों मे विदेशी व्यापार घाटा 10,645 रुपये रहा। इसमे कोई सन्देह नही कि हमारे निर्यात प्रोत्साहन के प्रयास के कारण निर्यात बढकर 32553 करोड हो गये, अर्थात इसमे 17 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई परन्तु खाडी युद्ध के कारण सरकार आयातो को सीमित नही कर सकी, और ये भी बढकर 43,375 करोड रुपये के उच्च स्तर पर पहुँच गये, अर्थात इसमे 22 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार व्यापार शेष का घाटा 1990–91 मे बढकर 10,645 करोड रुपये हो गया। इस वर्ष के दौरान यू0एस0 डालरो के रूप मे निर्यात मे 1 5 प्रतिशत की कमी हुई और वे इस वर्ष मे 18143 मिलियन डालर थे, परन्तु इन वर्षों मे आयात सकुचन अधिक तीव्र था, और इसमे 19 4 प्रतिशत की गिरावट आयी। वर्ष 1990–91 मे हमारे आयात 2,4075 मिलियन डालर से गिरकर 1991–92 में 19411 मिलियन डालर हो गये। परिणाम स्वरूप व्यापार घाटा 1991–92 मे 1546 मिलियन डालर हो गया जबकि यह 1990–91 मे 5932 मिलियन डालर था। इसके बाद भी सरकार ने नई व्यापार नीति मे निर्यात बढाने के लिए बहुत से उपाय किये। उदाहरण के रूप मे आयात स्क्रिप्स की इजाजत देना, नकद क्षतिपूर्ति आलम्बन और रुपये का दो चरणो मे अवमूल्यन। परन्तु ये सभी उपाय निर्यात को प्रोत्साहित करने मे विफल रहे। सामान्य करेसी क्षेत्र मे भी डालर के रूप मे निर्यात मे केवल 6 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसकी तुलना मे रुपया करेन्सी क्षेत्र मे 1991–92 के दौरान निर्यात मे 42 5 प्रतिशत की गिरावट आई। इसका मुख्य कारण सोवियत सघ मे कठिन राजनीतिक स्थिति था, जिसका परिणाम इसके विघटन के रूप मे व्यक्त हुआ और जिसकी वजह से निर्यात मे गिरावट आयी।

वर्ष 1992–93 के दरम्यान निर्यात मे केवल 3 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई और निर्यात जो वर्ष 1991–92 मे 1,7865 मिलियन डालर था बढकर केवल 1,837 मिलियन डालर ही हो पाया, परन्तु इसके विरुद्ध आयात मे 12 7 प्रतिशत की अपेक्षाकृत कही अधिक वृद्धि हुई। यह वर्ष 1991–92 में 19411 मिलियन डालर से बढकर 1992–93 मे 2,188 मिलियन डालर हो गया। परिणाम स्वरूप व्यापार घाटा जो वर्ष 1991–92 मे 154 5 मिलियन डालर था बढकर 1992–93 मे 334 5 मिलियन डालर हो गया। इस बिगडती हुई व्यापार घाटे की परिस्थिति के कई कारण थे। पहला कारण तेल के आयात मे 13 6 प्रतिशत की वृद्धि जो 562 4 मिलियन डालर के उच्च स्तर पर पहुँच गया। दूसरा आयात संकुचन के उपायो को हटाने के कारण आयात में हुई वृद्धि। जिससे आयात बिल बढ गया। वर्ष 1993–94 के दौरान, निर्यात प्रोन्नति उपायों के परिणाम

स्वरूप निर्यात मे 19 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई और वे 1992–93 मे 1,8537 मिलियन डालर से बढकर 1993–94 मे 2,2238 मिलियन डालर हो गया। यह अभिनन्दनीय है। आयात क्षेत्र मे यह देखा गया कि आयात मे केवल 6 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई और वह 1992–93 मे 2,1882 मिलियन डालर से बढकर 1993–94 मे 2,3306 मिलियन डालर हो गया। परिणाम स्वरूप घाटा 1068 मिलियन डालर रहा जबकी 1992–93 मे यह 334 5 मिलियन डालर था। वर्ष 94–95 मे निर्यात तेजी से बढकर 2,6330 मिलियन डालर हो गये जबकि ये 1993–94 मे 2,2238 मिलियन डालर थे। अतएव इनमे 18 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जिसके विरुद्ध आयात मे अपेक्षाकृत अधिक तेजी से 21 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कुल रूप मे 1994–95 मे आयात 2,8654 मिलियन डालर था, इसके परिणाम स्वरूप व्यापार घाटा जो 1993–94 मे 1068 मिलियन डालर था बढकर 1994–95 मे 2324 मिलियन डालर हो गया, परन्तु विदेशी मुद्रा रिजर्व की स्थिति सुविधाजनक होने के कारण देश इस व्यापार घाटे को सहन करने की स्थिति मे था। आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया वर्ष 1991 से प्रारम्भ होने के पश्चात के वर्षो मे भारतीय विदेशी व्यापार की स्थिति निम्न तालिका 6 6 से स्पष्ट है–

तालिका 6 6

नब्बे के दशक से विदेशी व्यापार की स्थिति

(मिलियन अमेरिकी डालर में)

| वर्ष | निर्यात | आयात | व्यापार सतुलन |
|---|---|---|---|
| 1990-91 | 18143 | 24075 | -5932 |
| 1991-92 | 17865 | 19411 | -1546 |
| 1992-93 | 18537 | 21882 | -3345 |
| 1993-94 | 22238 | 23306 | -1068 |
| 1994-95 | 26330 | 28654 | -2324 |
| 1995-96 | 31797 | 36678 | -4881 |
| 1996-97 | 33470 | 39133 | -5663 |
| 1997-98 | 35006 | 41484 | -6478 |
| 1998-99 | 33218 | 42389 | -9171 |
| 1999-2000 | 36822 | 49671 | -12849 |
| 2000-2001 | 44560 | 50536 | -5976 |
| **2001-2002(अ)** **अप्रैल–दिसम्बर** | **32572** | **38362** | **-5790** |

अ – अनन्तिम

**स्रोत – आर्थिक समीक्षा वर्ष 2001–2002 पेज S–79**

इस दशक के शुरुआती वर्ष 1991–92 की तुलना मे वर्ष 1992–93 मे व्यापार शेष 1546 करोड डालर से बढकर 3345 करोड डालर हो गया। यह वृद्धि अगले वर्ष जारी नही रह सका, जबकि हमारे आयात एव निर्यात दोनो मे वृद्धि हुई, किन्तु व्यापार शेष घाटा पिछले वर्ष की तुलना मे घटकर 1068 करोड डालर हो गया। इसके बाद के वर्षों मे यह व्यापार शेष घाटा निरन्तर बढता हुआ, वर्ष 1999–2000 मे 12849 करोड डालर के उच्च बिन्दु पर पहुँच गया, तत्पश्चात बाद के दो वर्षों मे क्रमश 2000–01 व 2001–02 मे व्यापार शेष घाटे मे पुन थोडा सा नरमी का रुख आया और यह क्रमश 5976 व 5790 करोड डालर रहा।

वर्ष 1989–90 से 1995–96 की 6 वर्षों की अवधि के लिए यह कहा जा सकता है, कि डालर के रूप मे निर्यात की औसत वार्षिक दर 11 4 प्रतिशत रही और आयात की वृद्धि दर 9 4 प्रतिशत रही। एक और ध्यान देने योग्य बात यह है कि रुपये के रूप मे निर्यात मे 25 1 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि इन 6 वर्षों के दौरान हुई। परन्तु निर्यात प्रोत्साहन के प्रयास का अधिकतर भाग दो चरणो मे किये गये अवमूल्यन के प्रभाव का निराकरण करने मे ही समाप्त हो गया, और आयात के मूल्य मे वृद्धि बहुत हद तक अवमूल्यन के कारण ही हुई। जाहिर है कि अवमूल्यन एक अल्पकालीन उपाय है और यह हमारे लगातार चलते हुए व्यापार घाटे की समस्या का कोई स्थायी हल प्रस्तुत नही करता। जुलाई 1991 मे किए गये रुपये के अवमूल्यन तथा 1993–1994 मे रुपये को व्यापार खाते के अन्तर्गत तथा वर्ष 1994–1995 मे चालू खाते के अन्तर्गत पूर्णरूप से परिवर्तनीय घोषित किये जाने से व्यापार सतुलन मे सुधार हुआ, किन्तु बाद के वर्षों मे यह पुन बडी मात्रा मे प्रतिकूल ही रहा। वर्ष 1960–1961, 1970–1971, 1980–1981 एव 90 के दशक मे भारत के आयातित व निर्यातित वस्तुओ के मदवाद ऑकडे **तालिका सख्या 6 7** पर उपलब्ध है।

वर्ष 1990–1991 मे विदेशी व्यापार नीति मे सुधार से पूर्व वर्षों मे देश के निर्यातो का मूल्य कुल आयात बिल का औसतन 66 2 प्रतिशत था किन्तु 1997–1998 मे 83 3 प्रतिशत हो गया, रुपये के सन्दर्भ मे 1997–1998 के दौरान भारत के आयातो मे वृद्धि 9 1 प्रतिशत रही, जबकि यह 1996–97 के दौरान 13 2 प्रतिशत थी।

वाणिज्य मत्रालय ने सन् 2001 मे 44 56 विलियन डालर के निर्यात को बढाकर 2006–07 मे 80 48 विलियन तक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वित्तीय वर्ष 1997–98 के दौरान विदेशी व्यापार घाटा और भी अधिक हुआ होता, यदि आयातों में वृद्धि की प्रवृत्ति पूर्व वर्षों के समान हुई होती। सन्दर्भित वर्ष में तेल आयात बिल कम रहने के कारण आयातों में वृद्धि 4.2 प्रतिशत पर ही सीमित रही।

तालिका सख्या 67

# निर्यात की मुख्य वस्तुएँ

(करोड रूपये मे)

| | | | 1960-61 | 70-71 | 80-81 | 90-91 | 94-95 | 95-96 | 96-97 | 97-98 | 98-99 | 99-00 | 00-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | कृषि और सबद्ध उत्पाद जिसमें से | | 284 | 487 | 2057 | 6317 | 13712 | 21138 | 24239 | 25419 | 26164 | 25016 | 28535 |
| | (i) | काफी | 7 | 25 | 214 | 252 | 1053 | 1503 | 1426 | 1696 | 1703 | 1435 | 1185 |
| | (ii) | चाय और मेट | 124 | 148 | 426 | 1070 | 975 | 1171 | 1037 | 1876 | 2302 | 1785 | 1976 |
| | (iii) | खली | 14 | 55 | 125 | 609 | 1798 | 2349 | 3495 | 3435 | 1912 | 1638 | 2045 |
| | (iv) | तम्बाकू | 16 | 33 | 141 | 263 | 255 | 447 | 757 | 1070 | 779 | 1009 | 871 |
| | (v) | काजू गिरी | 19 | 57 | 140 | 447 | 1247 | 1237 | 1288 | 1407 | 1613 | 2461 | 1883 |
| | (vi) | मसाले | 17 | 39 | 11 | 239 | 612 | 794 | 1202 | 1410 | 1617 | 1767 | 1619 |
| | (vii) | चीनी और शीरा | 30 | 29 | 40 | 38 | 62 | 506 | 1078 | 255 | 23 | 40 | 511 |
| | (viii) | कपास | 12 | 14 | 165 | 846 | 140 | 204 | 1575 | 822 | 224 | 78 | 224 |
| | (ix) | चावल | | 5 | 224 | 462 | 1206 | 4568 | 3172 | 3371 | 6201 | 3128 | 2943 |
| | (x) | मछली तथा मछली से बनी वस्तुएँ | 5 | 31 | 217 | 960 | 3537 | 3381 | 4008 | 4487 | 4368 | 5125 | 6367 |
| | (xi) | मांस और मास से बनी वस्तुएँ | 1 | 3 | 56 | 140 | 403 | 627 | 709 | 808 | 760 | 819 | 1470 |
| | (xii) | फल सब्जियाँ और दाले (काजू, गिरी, और ससाधित फलों व जूसों के अतिरिक्त) | 6 | 12 | 80 | 216 | 606 | 802 | 828 | 1067 | 912 | 1247 | 1608 |
| | (xiii) | विविध ससाधित खाद्य पदार्थ (जिसमें ससाधित फल एव जूस शामिल है) | 1 | 4 | 36 | 213 | 282 | 745 | 974 | 528 | 550 | 668 | 1095 |
| 2. | अयस्क और खनिज (कोयले के अतिरिक्त) जिसमें से | | 52 | 164 | 414 | 1497 | 2538 | 3061 | 3185 | 3062 | 2976 | 3005 | 4139 |
| | (i) | अभ्रक | - | 16 | 18 | 35 | 22 | 27 | 25 | 40 | 44 | 42 | 64 |
| | (ii) | लौह अयस्क | 17 | 117 | 303 | 1049 | 1297 | 1721 | 1706 | 1770 | 1600 | 1175 | 1634 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.** | **विनिर्मित वस्तुएँ जिसमें से** | | | **291** | **772** | **3747** | **23736** | **64688** | **80219** | **88528** | **99824** | **111476** | **127532** | **160771** |
| | (i) | | कपड़ा और उसमें बनी वस्तुएँ (हाथ से बने गलीचो के अतिरिक्त) जिसमें से | 73 | 145 | 933 | 6832 | 19945 | 24149 | 27793 | 32109 | 35897 | 40178 | 49831 |
| | | a | सूती धागे तन्तुओं से बने वस्त्र आदि | 65 | 142 | 408 | 2100 | 7014 | 8619 | 11082 | 12132 | 11669 | 13388 | 16030 |
| | | b | सभी प्रकार के कपड़ा सामाग्रियों के रडीमेड गारमेन्ट्स | 1 | 29 | 550 | 4012 | 10305 | 12295 | 13324 | 14405 | 18698 | 20649 | 25478 |
| | (ii) | नारियल के रेशे और इससे निर्मित समान | | 6 | 13 | 17 | 48 | 173 | 210 | 217 | 255 | 313 | 200 | 221 |
| | (iii) | बटे हुए धागे रहित जूट से निर्मित समान | | 135 | 190 | 330 | 298 | 473 | 621 | 552 | 694 | 595 | 544 | 933 |
| | (iv) | चमड़ा तथा चमड़ा निर्मित समान चमड़ा फुटवियर चमड़े के यात्रा सामान और चमड़ा परिधान शामिल हैं | | 28 | 80 | 390 | 2600 | 5057 | 5790 | 5609 | 6061 | 6817 | 6890 | 8914 |
| | (v) | a | हस्तशिल्प (हाथ से बुने गलीचे सहित) जिसमें से | 11 | 73 | 952 | 6167 | 16730 | 20501 | 20110 | 3480 | 4372 | 5058 | 5097 |
| | | b | रत्न और आभूषण | 1 | 45 | 618 | 5247 | 74131 | 17644 | 16872 | 19867 | 24839 | 32716 | 33734 |
| | (vi) | रसायन और सबद्ध उत्पाद | | 7 | 29 | 225 | 2111 | 7642 | 9849 | 11463 | 13692 | 14188 | 17389 | 22850 |
| | (vii) | | मशीनरी, परिवहन एव लोहा और इस्पात सहित धात्विक विनिर्माण | 22 | 198 | 827 | 3872 | 10947 | 14578 | 17431 | 19528 | 18371 | 22251 | 31870 |
| **4.** | खनिज, ईंधन और लुब्रीकेन्ट्स (कोयले सहित) | | | **7** | **13** | **28** | **948** | **1610** | **1761** | **1832** | **1399** | **510** | **3399** | **8821** |
| **5.** | अन्य | | | **8** | **100** | **466** | **55** | **126** | **174** | **232** | **397** | **456** | **609** | **1305** |
| | | | **योग** | **642** | **1535** | **6711** | **32553** | **82674** | **106353** | **118817** | **130101** | **141604** | **159561** | **203571** |

# आयात की मुख्य वस्तुएँ

(करोड़ रूपये मे )

| | 1960-61 | 1970-71 | 1980-81 | 1990-91 | 1994-95 | 1995-96 | 1996-97 | 1997-98 | 1998-99 | 1999-00 | 2000-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. खाद्य पदार्थ और मुख्यतः खाद्य जीवित पशु (कच्चे काजू के अलावा) जिसमें से | 214 | 242 | 380 | उ० न० | उ० न० | उ० न० | उ० न० | उ० न० | उ० न० | उ० न० | उ० न० |
| (i) अनाज और अनाज के उत्पाद | 181 | 213 | 100 | 182 | 92 | 80 | 488 | 1083 | 973 | 961 | 90 |
| 2. कच्चे माल और मध्यवर्ती विनिर्माण | 527 | 889 | 9760 | उ० न० | उ० न० | उ० न० | उ० न० | उ० न० | उ० न० | उ० न० | उ० न० |
| (i) काजूगिरी (असंसाधित) | - | 29 | 9 | 134 | 691 | 760 | 688 | 767 | 693 | 1198 | 962 |
| (ii) कच्चा रबर (कृत्रिम एव पुनर्प्राप्त) | 11 | 4 | 32 | 226 | 371 | 719 | 630 | 596 | 592 | 621 | 695 |
| (iii) रेशे, जिसमें से | 101 | 127 | 164 | उ० न० | उ० न० | उ० न० | उ० न० | उ० न० | उ० न० | उ० न० | उ० न० |
| a. कृत्रिम और पुनरूत्पादित रेशे (हस्त निर्मित रेशे) | - | 9 | 97 | 56 | 444 | 502 | 423 | 465 | 282 | 184 | 275 |
| b. ऊन रेशा | 1 | 15 | 43 | 182 | 351 | 486 | 581 | 600 | 466 | 492 | 458 |
| c. कपास | 82 | 99 | - | 1 | 507 | 521 | 31 | 81 | 372 | 1254 | 1185 |
| d. जूट रेशा | 8 | 0 | 1 | 20 | 62 | 48 | 76 | 51 | 92 | 139 | 84 |
| (iv) पेट्रोलियम तेल व लुब्रीकेन्ट | 69 | 136 | 5264 | 10816 | 18613 | 25173 | 35629 | 30341 | 27064 | 54649 | 71497 |
| (v) पशु और वनस्पति तेल और वसा, जिसमें से | 5 | 39 | 709 | उ० न० | उ० न० | उ० न० | उ० न० | उ० न० | उ० न० | उ० न० | उ० न० |
| a. खाद्य तेल | 4 | 23 | 677 | 326 | 624 | 2260 | 2929 | 2765 | 7131 | 8046 | 6093 |
| (vi) उर्वरक और रासायनिक उत्पाद, जिसमें से | 88 | 217 | 1490 | उ० न० | उ० न० | उ० न० | उ० न० | उ० न० | उ० न० | उ० न० | उ० न० |
| a. उर्वरक और उर्वरक सामग्री | 13 | 86 | 818 | 1766 | 3304 | 5628 | 3235 | 3799 | 4179 | 5560 | 3034 |
| b. रसायनिक तत्व और यौगिक | 39 | 68 | 358 | 2289 | 7344 | 9403 | 10382 | 1111 | 1662 | 1563 | 1542 |
| c. रगाई चमड़ा रगाई और रगाई की सामग्री | 1 | 9 | 21 | 168 | 439 | 509 | 600 | 667 | 796 | 841 | 874 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | d. | चिकित्सीय और औषध भोजीय उत्पाद | 10 | 24 | 85 | 468 | 927 | 1358 | 1089 | 1447 | 1447 | 1616 | 1723 |
| | | e. | प्लास्टिक सामग्री, पुनरुत्पादित सैल्यूलोस एव कृत्रिम राल | 9 | 8 | 121 | 1095 | 1903 | 2687 | 2826 | 2574 | 2781 | 3118 | 2551 |
| | (vii) | लुगदी और अवशिष्ट कागज | | 7 | 12 | 18 | 458 | 635 | 921 | 823 | 1055 | 973 | 1106 | 1290 |
| | (viii) | कागज, गत्ता और उसके विनिर्माण | | 12 | 25 | 187 | 456 | 773 | 1583 | 1770 | 1866 | 1891 | 1938 | 2005 |
| | (ix) | अधात्विक खनिज विनिर्माण जिसमे से | | 6 | 23 | 555 | उ0 न0 | उ0 न0 | उ0 न0 | उ0 न0 | उ0 न0 | उ0 न0 | 710 | 797 |
| | | a | मोती, बहुमूल्य और अपमूल्य रत्न गढे अथवा अनगढे | 1 | 25 | 417 | 3738 | 5116 | 7045 | 10384 | 12421 | 15827 | 23556 | 22101 |
| | (x) | लौह और इस्पात | | 123 | 147 | 852 | 2113 | 3653 | 4838 | 6866 | 5281 | 4956 | 3832 | 3569 |
| | (xi) | अलौह धातुएँ | | 47 | 119 | 477 | 1102 | 2954 | 3024 | 3925 | 3420 | 2823 | 2370 | 2462 |
| **3.** | **पूँजीगत वस्तुएँ *** | | | **356** | **404** | **1910** | **10466** | **19990** | **28289** | **26868** | **28016** | **29220** | **25878** | **25281** |
| | (i) | धातुओं का विनिर्माण | | 23 | 9 | 90 | 302 | 648 | 930 | 1123 | 1209 | 1705 | 1755 | 1786 |
| | (ii) | गैर विद्युतीय मशीनरी ** मशीन औजार सहित उपस्कर और उपकरण | | 203 | 258 | 1089 | 4240 | 9236 | 14371 | 14801 | 15029 | 14459 | 17301 | 16915 |
| | (iii) | विद्युतीय मशीनरी, उपस्कर और उपकरण ** | | 57 | 70 | 260 | 1702 | 789 | 1292 | 1155 | 1406 | 1876 | 1897 | 2227 |
| | (iv) | परिवहन उपकरण | | 72 | 67 | 472 | 1670 | 3497 | 3697 | 5269 | 3907 | 2571 | 4925 | 4343 |
| **4.** | **अन्य (अवर्गीकृत)** | | | **25** | **99** | **499** | उ0 न0 | उ0 न0 | उ0 न0 | उ0 न0 | उ0 न0 | उ0 न0 | उ0 न0 | उ0 न0 |
| **5.** | **योग** | | | **1122** | **1634** | **12549** | **43198** | **89971** | **122678** | **138920** | **154176** | **176099** | **215236** | **230873** |

उ0 न0 — उपलब्ध नहीं।
* वर्ष 1987–88 से आगे पूँजी वस्तुओं में परियोजना वस्तुएँ शामिल है।
** 1991–92 से आगे मद 3II तथा III में इलेक्ट्रनिक वस्तुएँ शामिल नहीं हैं।
स्रोत आर्थिक समीक्षा, वित्त मन्त्रालय, भारत सरकार वर्ष 2001–02।

वर्ष 1998–99 मे डालर मूल्य मे भारत के निर्यातो मे 3 70 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। 1998–99 मे निर्यात 33218 मिलियन डालर तथा आयात 42389 मिलियन डालर के हुए जिसके फलस्वरूप 1998–99 मे व्यापार घाटा 91 71 अरब डालर हो गया। वित्तीय वर्ष 1999–2000 मे व्यापार घाटा 12849 मिलियन डालर के उच्च स्तर तक पहुँच गया। वर्ष 1996–97 मे भारत का पेट्रोलियम व तेल (POL) आयात बिल 10036 मिलियन डालर था, जो घटकर 1997–98 मे 8217 मिलियन डालर रहा। इस वर्ष मे तेल आयात बिल मे यह कमी तेल की खपत मे कमी के कारण नही बल्कि वर्ष के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे तेल मूल्य का नीचा रहना था। किन्तु चालू वर्ष मे पुन पेट्रोलियम आयात बिल काफी बढने की सम्भावना है क्योकि विगत दिनो मे पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे बहुत ज्यादा बढ गये, इसके मद्दे नजर तेल पूल घाटे को कम करने के लिए घरेलू बाजार मे भी इन पदार्थों के दामो मे अत्यधिक वृद्धि करना पडा।

कच्चे पेट्रोलियम और उत्पादो के आयातो मे वर्ष 1998–99 मे 6 4 बिलियन अमरीकी डालर से वर्ष 2000–01 मे 15 6 बिलियन अमरीकी डालर की तेज वृद्धि हुई, जिससे वर्ष 2000–01 मे कुल आयातो मे इन आयातो का हिस्सा बढकर 31 प्रतिशत हो गया। जहाँ इस अवधि के दौरान घरेलू शोधन क्षमता मे कुछ विस्तार हुआ है वही हाल के पिछले दिनो मे इन आयातो मे अधिकाश वृद्धि कच्चे तेल के अतर्राष्ट्रीय मूल्यो मे वृद्धि के कारण हुई है। इस अवधि के दौरान पेट्रोलियम निर्यातक देशो के सगठन द्वारा उत्पादन मे कमी लागू करने और कम आपूर्तियो के कारण कच्चे तेल का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य (यू0के0ब्रेट) फरवरी, 1999 के दौरान लगभग 10 अमरीकी डालर प्रति बैरल के स्तर से बढकर नवम्बर, 2000 के दौरान लगभग 33 अमरीकी डालर प्रति बैरल हो गया। तथापि, वित्तीय वर्ष 2001–2002 के दौरान कच्चे तेल का मूल्य पेट्रोलियम निर्यातक देशो के सगठन (ओपेक) द्वारा आपूर्ति मे कटौती करने के बावजूद सितम्बर, 2001 से कम हो गया। खराब होते हुए आर्थिक परिदृश्य, वैश्विक ऊर्जा की घटती हुई माँग और 'ओपेक' तथा 'ओपेक' से भिन्न देशो के बीच आपूर्ति मे कटौती करने पर सहमति की कमी ने तेल के मूल्यो मे इस वर्तमान मन्दी मे योगदान दिया है। कच्चे तेल का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य फरवरी, 2001 के दौरान प्रति बैरल 27 अमरीकी डालर से अधिक की तुलना मे इस समय प्रति लगभग 19–20 अमरीकी डालर है। कच्चे तेल के मूल्य का ऐसा निम्न स्तर अगर बना रहा तो यह हमारे आयात बिल में स्वागत योग्य राहत प्रदान करेगा, व्यापार घाटे को रोकने और तेल पूल घाटे को कम करने में सहायता करेगा तथा इस क्षेत्र मे नीतिगत परिवर्तनों, अगर कोई हो, को आसान बनाने में भी सहायता करेगा।

वर्ष 1999–2000 मे तीव्र आमूलचूल परिवर्तन प्रदर्शित करने के बाद, निर्यात वृद्धि वर्ष 2000–2001 मे तेज हो गई। वाणिज्यिक आसूचना और साख्यिकी महानिदेशालय (डी0जी0सी0 आई0 एण्ड एस0) द्वारा प्रकाशित आकडो के अनुसार वर्ष 2000–2001 मे निर्यात वृद्धि वर्ष 1999–2000 मे 10 8 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना मे 21 0 प्रतिशत की वृद्धि दर (अमरीकी डालर के मूल्य मे) से लगभग दुगुनी हो गई। वृद्धि मे अधिकाश योगदान निर्यातो मे मात्रात्मक वृद्धि द्वारा किया गया था। निर्यातो मे इस तेजी ने वर्ष 2000 मे विश्व पण्य वस्तुओ के मूल्यो के सुधार और एशियाई सकट के बाद विश्व व्यापार के पुररुद्धार के साथ घट–बढ वाली वैश्विक माग प्रदर्शित की। निर्यातो को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार द्वारा घोषित कई उपायो के अतिरिक्त, वस्त्रोद्योग, इजीनियरी सामान, इलेक्ट्रानिक सामान, रसायन, चमडा विनिर्माण, अयस्क और खनिज तथा पेट्रोलियम उत्पादो जैसे चयनित क्षेत्रो मे पर्याप्त अभिलाभो ने भी निर्यातो को सुदृढ बनाने मे योगदान दिया। रुपए की विनिमय दर वर्ष 2000–2001 के दौरान वास्तविक प्रभावी रूप मे अपेक्षातया स्थिर बनी रही, जिसने वैश्विक बाजारो मे भारत के निर्यातो की काफी प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने का प्रदर्शन किया।

दिनाक 11 सितम्बर, 2001 को हुई दुखद घटना और अफगानिस्तान मे उसके परिणाम ने वैश्विक व्यापार और वृद्धि की सभावनाओ के दृष्टिकोण को और उदासीन कर दिया है। वास्तविक प्रभावी मुद्रा के रूप मे रुपए की हाल की बढोत्तरी जैसे घरेलू कारक भी निर्यातो की प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रभाव डाल सकते हैं। वर्ष 2001–2002 मे कृषि उत्पादन मे उछाल के विनिर्माण मे लगातार धीमेपन द्वारा प्रतिसतुलित होना सभावित है और इस प्रकार यह वर्ष के दौरान हमारे निर्यातो के समग्र आपूर्ति प्रत्युत्तर पर प्रभाव डालेगा।

सरकार द्वारा वित्तीय 2001–2002 वर्ष मे निर्यातो की इस अधोगामी प्रवृत्ति को बदलने के लिए कई उपचारात्मक उपाय किए गए हैं। इनमे नौभरण–पूर्व और नौभरण–पश्च दोनो निर्यात ऋण दर मे कमी करना, 300 से अधिक निर्यात उत्पादो से वर्धित शुल्क वापसी 400 से अधिक निर्यात मदो पर शुल्क हकदारी पास बही योजना (डी ई पी बी) मूल्य रोक की समाप्ति और चयनित अधिक मूल्य वाले निर्यातो, जिनका उच्च मूल्यवर्धन है और जो अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी हैं, के लिए विशेष वित्तपोषण पैकेज की घोषणा शामिल है। इन अल्पावधिक उपायो के अतिरिक्त सरकार द्वारा दिनाक 30 जनवरी, 2002 को एक मध्यावधि निर्यात कार्यनीति अनावृत की गयी। यह कार्यनीति वर्तमान वैश्विक स्थिति का ध्यान रखती है और अगले पाच वर्षो मे निर्यातो मे मात्रात्मक वृद्धि प्राप्त करने के लिए अपेक्षित नीतिगत उपायो को रेखाकित करती है। इसके अतिरिक्त, फार्म मदो के निर्यात को बढाने के लिए विभिन्न कृषि मदो के निर्यात पर मात्रात्मक/पैकेजबदी प्रतिबधो को फरवरी, 2002 मे हटाया गया था।

# व्यापार संरचना

विदेशी व्यापार की सरचना से तात्पर्य आयात और निर्यात के स्वरूप से होता है। प्राय किसी भी देश के विदेशी व्यापार की सरचना पर गौर करने से हमे उस देश की विकास प्रक्रिया के साथ–साथ उसके आर्थिक विकास के स्तर के विषय मे भी पता चलता है। उदाहरण के लिए देखा जा सकता है कि किसी देश विशेष के विदेशी व्यापार की सरचना पर ध्यान देने से यदि स्पष्ट होता है कि वह खाद्यान्नो और कच्चे पदार्थों का आयात और विनिर्मित वस्तुओ, मशीनो तथा सयत्रो का निर्यात करता है तो हम विश्वास के साथ इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते है कि यह देश आर्थिक विकास का उपरी स्तर प्राप्त कर चुका है। इसके विपरीत यदि कोई देश चाय, काफी, जूट, चीनी आदि वस्तुओ का निर्यात करते है और बदले मे पूँजीगत उपकरणो और विनिर्मित माल का आयात करता है तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि यह देश वर्तमान मे अल्प–विकसित है और इसमे औद्योगिक विकास की प्रक्रिया चल रही है।

यहाँ अपने देश मे पचवर्षीय योजनाओ के शुरू होने से पहले भारी मात्रा मे विनिर्मित उपभोग वस्तुओ का आयात होता था और निर्यातो मे जूट, चाय, सूती वस्त्र, खाले, मैगनीज, अभ्रक इत्यादि पदार्थ उल्लेखनीय थे। आयोजन काल मे आयात और निर्यात दोनो ही के स्वरूप मे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए है। जिन्हे समझने के लिए विभिन्न समय बिन्दुओ पर आयात और निर्यात की वस्तुओ पर गौर करना जरूरी होगा।

**भारत मे आयातो की सरचना**– वर्ष 1947–1948 मे महत्व के अनुसार भारत के आयातो मे सभी प्रकार की मशीनरी, तेल, अनाज, दाले, आटा, कपास, वाहन, कटलरी, लोहे का सामान औजार व उपकरण, रसायन, दवाइयाँ व औषधियाँ, रग व रग सामग्री, अन्य सूत तथा सूती कपडा, कागज, कागज के बोर्ड तथा लेखन सामग्री तथा लोहा इस्पात के अलावा अन्य धातुएँ प्रमुख थे। कुल आयातों मे इन सब आयात का हिस्सा 70 प्रतिशत से अधिक था। आर्थिक आयोजन प्रारम्भ होने के समय पूँजीगत वस्तुओ का आयात अधिक नही था। परन्तु महलानोबिस मॉडल पर आधारित दूसरी योजना के अन्तर्गत आधारभूत उद्योगो की स्थापना को जब प्राथमिकता क्रम मे ऊँचा स्थान दिया गया तो देश मे बडे पैमाने पर पूँजीगत उपकरणो का आयात शुरू हुआ। कुछ वर्षो बाद इन उपकरणो के रख–रखाव के लिए बड़े पैमाने पर कल पुर्जों तथा मशीनरी का आयात करना पड़ा। इस प्रकार अनुरक्षण आयातो में काफी वृद्धि हुई। भारत में आयातों की संरचना के बारे में 1960–61 से बाद की जानकारी तालिका संख्या 6.8 में दी गयी है।

तालिका सख्या 6 8

भारतीय आयातो की सरचना

| | वस्तुएँ | 1960–61 | | 1970–71 | | 1980–81 | | 1995–96 | | 1996–97 | | 1997–98 | | 1998–99 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | मिलियन डालर | कुल का % | मिलियन डालर | कुल का % | मिलियन डालर | कुल का % | मिलियन डालर | कुल का % | मिलियन डालर | कुल का % | मिलियन डालर | कुल का % | मिलिय डालर | कुल का % |
| 1 | खाद्य उपभोग वस्तुएँ जिसमें | 449 | 19.1 | 321 | 14.8 | 481 | 3 0 | उ0न0 | उ0न0 | उ0न0 | उ0न0 | उ0न0 | उ0न0 | उ0न0 | उ0न0 |
| | अनाज एव अनाज उत्पाद | 380 | 16 1 | 282 | 13 0 | 127 | 0 8 | - | 2 1 | 137 | 0 4 | 291 | 0 7 | 231 | 0 6 |
| 2 | कच्चे पदार्थो और मध्यवर्ती विनिर्मित वस्तुएँ | 1105 | 47.0 | 1176 | 54 4 | 12341 | 77 8 | उ0न0 | उ0न0 | उ0न0 | उ0न0 | उ0न0 | उ0न0 | उ0न0 | उ0न0 |
| | (i) खाद्य तेल | 8 | 0 4 | 31 | 1 4 | 857 | 5 4 | 676 | 1 8 | 825 | 2 1 | 744 | 1 8 | 1665 | 4 0 |
| | (ii) पेट्रोलियम तेल और लुब्रीकेंट | 145 | 6 1 | 180 | 8 3 | 6656 | 41 9 | 7526 | 20 5 | 10036 | 25 60 | 8164 | 19 7 | 6433 | 15 4 |
| | (iii) उर्वरक एवं उर्वरक सामग्री | 27 | 1 1 | 113 | 5 3 | 1034 | 6 5 | 1683 | 4 6 | 911 | 2 3 | 1022 | 2 5 | 993 | 2 4 |
| | (iv) लोहा एवं इस्पात | 258 | 11 0 | 194 | 9 0 | 1078 | 6 8 | 1446 | 3 9 | 1934 | 4 9 | 1421 | 3 4 | 1178 | 2 8 |
| | (v) रासायनिक तत्व एव यौगिक | 82 | 3 5 | 90 | 4 2 | 453 | 2 8 | 2811 | 7 7 | 2925 | 7 5 | 299 | 0 7 | 395 | 0 9 |
| | (i) मोती और बहुमूल्य रत्न | 2 | 01 | 33 | 1 5 | 527 | 3 3 | 2106 | 5 7 | 2925 | 7 5 | 3342 | 8 1 | 3762 | 9 0 |
| 3 | पूँजीगत वस्तुएँ | 747 | 31 7 | 534 | 24.7 | 2416 | 15.2 | 85458 | 23 1 | 8414 | 21 5 | 7538 | 18.2 | 6945 | 16.6 |
| | (i) गैर विद्युतीय मशीनरी | 426 | 18 1 | 341 | 15 8 | 1377 | 8 7 | 4297 | 11 7 | 4169 | 10 7 | 4044 | 9 7 | 3437 | 8 2 |
| | (ii) विद्युतीय मशीनरी | 120 | 5 1 | 93 | 4 3 | 328 | 2 1 | 386 | 1 0 | 325 | 0 8 | 378 | 0 9 | 446 | 1 1 |
| | (iii) परिवहन सम्बन्धी | 151 | 6 4 | 88 | 4 1 | 597 | 3 8 | 1105 | 3 0 | 1484 | 3 8 | 1051 | 2 5 | 611 | 1 5 |
| 4 | अन्य (अवर्गीकृत) | 52 | 2.2 | 131 | 6.1 | 631 | 4 0 | उ0न0 | उ0न0 | उ0न0 | उ0न0 | उ0न0 | उ0न0 | उ0न0 | उ0न0 |
| | कुल | 2353 | 100.00 | 2162 | 100 0 | 15869 | 100 0 | 36678 | 100 0 | 391330 | 100 | 41484 | 100 00 | 41858 | 100 00 |

नोट– उ0 न0 का अर्थ कि आकडे उपलब्ध नही है।

स्रोत Government of India Economic Survey , 2000-2001 New Delhi 2001

सुविधा की दृष्टिकोण से भारतीय आयातो को चार वर्गों मे बॉटा गया है–

(1) खाद्य–उपभोग पदार्थ।

(2) कच्चे पदार्थ तथा मध्यवर्ती विनिर्मित वस्तुऍ।

(3) पूॅजीगत वस्तुऍ।

(4) अन्य तथा अवर्गीकृत वस्तुऍ।

उक्त सारणी से स्पष्ट है कि 1960–61 मे कुल भारतीय आयात 2353 मिलियन डालर था जिसमे इन चार वर्गों का हिस्सा क्रमश 19 1, 47 0, 37 7 तथा 2 2 प्रतिशत था। समय के साथ–साथ इन चार वर्गों के सापेक्षिक महत्व मे काफी परिवर्तन हुआ है। इनमे सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही है कि खाद्य उपभोग वस्तुऍ, आयात के मामले मे काफी तेजी से नीचे गिरी है। इसका प्रमुख कारण अनाज तथा अनाज उत्पाद के आयात मे होने वाली कमी है। उदाहरणार्थ अनाज तथा अनाज उत्पाद का कुल आयात मे भागीदारी 1960–61 मे 16 3 प्रतिशत से कम होकर 1996–97 में 0 4 प्रतिशत ही रह गयी। वहीं दूसरी ओर कच्चे पदार्थों व मध्यवर्ती विनिर्मित वस्तुओ के हिस्से मे काफी तेजी से वृद्धि हुई। इसका कारण पेट्रोलियम व लुब्रिकेट तथा रत्न, मोती व बहुमूल्य पत्थरो का बढता हुआ आयात है। पूॅजीगत वस्तुओ का आयात मे हिस्सा 1960–61 मे लगभग एक तिहाई था जो 1996–97 मे कम होकर के 21 5 प्रतिशत रह गया। वर्ष 1998–99 व 1999–2000 मे भी कुछ प्रमुख आयातो मे तीव्रता का रुख रहा। इन वस्तुओ का विवरण निम्न सारणी द्वारा प्रस्तुत है–

<u>तालिका 6 9</u>

**तीव्रता से बढने वाली आयातीत वस्तुएँ**

**(मिलियन अमरीकन डालर में)**

| वस्तुएँ | वजन | 1998–99 (अप्रैल अक्टूबर) | 1999–2000 (अप्रैल अक्टूबर) | प्रतिशत परिर्वतन |
|---|---|---|---|---|
| पेट्रोलियम तेल स्नेहक | 15 4 | 3794 8 | 5795.9 | 52 7 |
| उर्वरक | 2 3 | 614 8 | 1028 1 | 66 6 |
| जवाहरात, कीमती और कम कीमती पत्थर | 9 0 | 2063 7 | 2973 2 | 44.1 |

| लकडी एव लकडी से बने उत्पाद | 0 9 | 209 3 | 262 9 | 25 6 |
|---|---|---|---|---|
| खाद्य तेल | 4 0 | 1142 4 | 1286 3 | 12 6 |
| कृत्रिम धूना, प्लास्टिक की सामग्री आदि | 1 6 | 387 6 | 420 9 | 8 6 |
| लूगदी एव रद्दी कागज | 0 6 | 141 6 | 146 2 | 3 2 |
| मोतियो को छोडकर भिन्न खनिज विनिर्मित उत्पाद | 0 4 | 97 0 | 101 0 | 4 1 |
| रसायन | 9 0 | 2260 6 | 2323 3 | 2 8 |
| धातुओ का विनिर्माण | 1 0 | 252 9 | 261 9 | 3 6 |

स्रोत – आर्थिक समीक्षा वाणिज्य मन्त्रालय भारत सरकार, वर्ष 1999–2000 पृ0 94 ।
वजन मूल्य वर्ष 1977–78 के हिस्से के आधार पर निकाला गया है।

**इन वर्षो मे आयात सरचना के मुख्य तथ्य–**

(1) पेट्रोलियम तेल और लुब्रिकेन्ट पर आयात व्यय मे तेज वृद्धि हुई। वर्ष 1960–61 मे पेट्रोलियम तेल और लुब्रिकेन्ट का आयात व्यय मे जो हिस्सा 6 1 प्रतिशत तथा 1970–71 मे 8 3 प्रतिशत था, वही 1980–81 मे बढकर 41 9 प्रतिशत हो गया। इस वृद्धि का प्रमुख कारण तेल निर्यातक देशो के सगठन द्वारा पहले 1973–74 और पुन 1978–79 मे तेल की कीमतो मे तेजी से वृद्धि किया जाना था। 1973–74 मे जो तेल की कीमत 2 50 से 3 00 डालर प्रति बैरल था वह एकदम से बढकर 11 65 डालर प्रति बैरल कर दिया गया था। पुन इसकी कीमत वर्ष 1978–79 मे बढाकर 35 00 डालर प्रति बैरल कर दिया गया। 1973–74 मे की जाने वाली पहली वृद्धि के फलस्वरूप एक ही वर्ष के बीच पेट्रोलियम तथा लुब्रिकेन्ट पर आयात व्यय 597 करोड रुपये बढ गया था।[1] यह उस वर्ष आयात व्यय मे होने वाली वृद्धि का 42 प्रतिशत था। 1979 मे दूसरी बार तेल के कीमतो को बढाये जाने से वर्ष 1978–79 से 1979–80 एक वर्ष के बीच पेट्रोलियम तेल और लुब्रिकेन्ट पर आयात व्यय 1,589 करोड रुपये बढ गया। यह उस वर्ष आयात व्यय मे होने वाली वृद्धि का 68 प्रतिशत था। अगले ही वर्ष 1979–80 से 1980–81 के बीच आयात व्यय 3,466 करोड रुपये बढ गया। इस वृद्धि मे से 1931 करोड रुपये (अर्थात 50 7 प्रतिशत) वृद्धि पेट्रोलियम तेल और लुब्रिकेन्ट पर आयात व्यय बढने के कारण थी। अस्सी के दशक मे घरेलू तेल उत्पादन मे काफी वृद्धि हुई तथा तेल की कीमतो मे नरमी आई। इन

[1] एस0 के0 मिश्रा एव वी0के0 पूरी, भारतीय अर्थव्यवस्था हिमालया पब्लिशिग हाऊस, दिल्ली पृष्ट 503

प्रवृत्तियो के परिणामस्वरूप पेट्रोलियम तेल और लुब्रिकेन्ट का आयात व्यय मे हिस्सा काफी कम हो गया। 1992–93 मे यह 27 0 प्रतिशत तथा 1995–96 मे 20 5 प्रतिशत था। परन्तु 1996–97 मे पेट्रोलियम तेल और लुब्रिकेन्ट का आयात 10 036 मिलियन डालर तक पहुॅच गया। जो कुल आयात व्यय का एक चौथाई (25 6 प्रतिशत) था। 1997–98 एव 1998–99 मे पेट्रोलियम तेल एव लुब्रिकेन्ट के आयात कम होकर क्रमश 8,164 मिलियन डालर तथा 6,433 मिलियन डालर रह गया। पुन वर्ष 1999–2000 मे यह तीव्र रूप से बढ कर 12611 तथा 2000–2001 मे 15650 मिलियन डालर के उच्च स्तर तक पहुॅच गया।

(2) इस्पात एव लोहा के घरेलू उत्पादन बढने के बाद भी इन सब का आयात अत्यधिक मात्रा मे करना पड रहा है, क्योकि मॉग की तुलना मे उत्पादन कम है। इस्पात एव लोहा पर आयात व्यय कुल राशि के रूप मे वर्ष 1970–71 मे 194 मिलियन डालर से बढकर 1996–97 मे 1934–मिलियन डालर तक पहुॅच गया, परन्तु प्रतिशत के रूप मे यह 1970–71 मे 9 0 प्रतिशत से घटकर 1996–97 मे 4 9 प्रतिशत तथा वर्ष 1998–99 मे मात्र 2 8 प्रतिशत ही रह गया है।

(3) आयात का गैर विद्युतीय मशीनरी व उपकरण की वस्तुओ मे महत्वपूर्ण स्थान रहा। इस मद मे वर्ष 1970–71 मे खर्च 341 मिलियन डालर था। जो 1996–97 मे बढकर 4169 मिलियन डालर हो गया। प्रतिशत के रूप मे आयात व्यय मे इस मद का हिस्सा 1970–71 मे 15 8 प्रतिशत था जो 80 तथा 90 के दशक मे 8 से 12 प्रतिशत के मध्य रहा। वर्ष 1998–99 मे कुल आयात व्यय मे गैर विद्युतीय मशीनरी व उपकरण का हिस्सा 8 2 प्रतिशत अर्थात 3391 मिलियन डालर था जो वर्ष 1999–2000 व 2000–2001 मे इस मद मे आयात व्यय क्रमश 3993 व 3703 मिलियन डालर रहा। मूल्य के रूप मे देखे तो वर्ष 1998–99 मे इस मद मे आयात व्यय 1064 मिलियन डालर की तुलना मे वर्ष 1999–2000 व 2000–2001 मे क्रमश यह घटते हुए 884 व 781 मिलियन डालर रह गया।

(4) आयात व्यय उर्वरको पर भी काफी हुआ। यह व्यय वर्ष 1970–1971 मे 113 मिलियन डालर से बढकर 1995–1996 मे 1683 मिलियन डालर तक पहुॅच गया। परन्तु वर्ष 1998–1999 मे उर्वरको पर आयात व्यय मात्र 1 010 मिलियन डालर रहा, जो आयात व्यय का 2 4 प्रतिशत था। यह आयात व्यय वर्ष 1999–2000 मे बढकर 1283 मिलियन डालर हो गया किन्तु वर्ष 2000–2001 यह व्यय आधे से कम होकर 664 मिलियन डालर रह गया।

5 भारतीय अर्थव्यवस्था मे घरेलू आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से कई वर्षों तक खाद्यान्नो का काफी मात्रा मे आयात करना पड रहा था वर्ष 1960–1961 मे तो इसका भाग कुल आयात व्यय के 16 प्रतिशत तक पहुँच गया। हरित क्राति के पश्चात

खाद्यान्नो के उत्पादन व उत्पादकता मे वृद्धि के बाद भी 1970–1971 मे कुल आयात मे खाद्यान्न आयात का हिस्सा 13 प्रतिशत था जो 1975–1976 मे बढकर 25 5 प्रतिशत तक पहुँच गया। किन्तु इसके बाद के वर्षों मे खाद्यान्नो के उत्पादन मे वृद्धि होने से आयातो मे तेजी से कमी आई। हालाकि कुछ वर्षों मे खाद्यान्नो के भण्डार मे वृद्धि करने के लिए उनका आयात किया गया। उदाहरण के लिए 1992–1993 मे 334 मिलियन डालर मूल्य के खाद्यान्नो का आयात किया गया, परन्तु अब खाद्यान्नो का आयात नगण्य है 1995–1996 मे मात्र 24 मिलियन डालर मूल्य के खाद्यान्नो का आयात किया गया जो 1996–1997 मे थोडा बढकर 137 मिलियन डालर और 1998–1999 मे 231 मिलियन डालर हो गया। पुन जो वर्ष 1999–2000 मे घटकर 222 मिलियन डालर तथा वर्ष 2000–2001 मे मात्र 20 मिलियन डालर के न्यूनतम स्तर तक पहुँच गया।

6 घरेलू मॉग बढने के कारण, विगत वर्षों मे खाद्य तेलो का भी आयात अत्यधिक मात्रा मे करना पडा है किन्तु 1989–1990 के वर्षों मे घरेलू उत्पादन बढने से आयात मे कमी आई और इस वर्ष 127 मिलियन डालर मूल्य के खाद्य तेल आयात किये गये। 90 के दशक मे घरेलू मॉग के दबाव के कारण कुछ वर्षों मे भारी मात्रा मे खाद्य तेलो का आयात करना पडा। जैसे की 1998–1999 मे 1695 मिलियन डालर मूल्य के खाद्य तेल आयात किये गये जो कुल आयात व्यय का 4 प्रतिशत था वर्ष 1999–2000 मे खाद्य तेलो का आयात व्यय पुन बढकर 1857 मिलियन हो गया जो कुल आयात हिस्सा 3 7 प्रतिशत था। वर्ष 2000–2001 मे इसमे कमी आई और यह 1334 मिलियन डालर रहा जो कुल आयात व्यय का 2 9 प्रतिशत था।

7 वर्ष 2000–2001 मे आयात वृद्धि, पेट्रोल तेल स्नेहक (पीओएल) आयात मे महत्वपूर्ण उछाल आया जो मुख्यत अन्तर्राष्ट्रीय कच्चा तेल कीमतो की बढती मजबूती की वजह से 24 1 प्रतिशत तक बढ गया। गैर पेट्रोल तेल स्नेहक आयात वर्ष के दौरान धीमी घरेलू मॉग तथा साधारण औद्योगिक गतिविधि को दर्शाते हुए 5 9 प्रतिशत तक गिर गये। गैर पेट्रोल तेल स्नेहक आयातो मे यह गिरावट खाद्य एव सबद्ध मदो के कम आयातो पूजी वस्तु आयात तथा अन्य मध्यवर्ती वस्तुओ की वजह से हुई, वर्ष 2000–2001 मे खाद्य एव सबद्ध उत्पादो के आयातो मे कमी अनाज, चीनी, दूध एव क्रीम, खाद्य तेल, तिलहन, काजू तथा मसालो के आयात मे तीव्र गिरावट के कारण हुआ। वर्ष 2000–2001 मे मध्यवर्ती आयातो/कच्चा माल आयातो मे गिरावट जो कम मॉंग का सूचक है, मुख्यत मदो जैसे– रसायन, मोती, रत्न एव अर्धरत्न, लौह एव इस्पात, अलौह धातु, कृत्रिम रेजिन एव प्लास्टिक सामग्री तथा धातुमय अयस्क एव धातु स्क्रैप के कम आयातो के कारण थी। पूजी वस्तु आयातो मे गिरावट, परिवहन साधन तथा परियोजना

वस्तुओ के आयातो मे हुई गिरावट विशेषत तीव्र गिरावट के साथ, वर्ष 2000–2001 मे जारी रही। ये बढोतरी रुझान कुल निर्यातो के हिस्से मे खाद्य एव सबद्ध आयातो के लिए वर्ष 1999–2000 मे 5 8 प्रतिशत से वर्ष 2000–2001 मे 3 7 प्रतिशत की गिरावट, पूँजी वस्तुओ के लिए 12 0 प्रतिशत से 11 0 प्रतिशत, अन्य मध्यवर्ती आयातो हेतु 32 8 प्रतिशत से 29 8 प्रतिशत तथा उर्वरको के लिए 2 8 प्रतिशत से 1 5 प्रतिशत की गिरावट की सूचना देते है। तद्नुसार कुल आयातो मे ईंधन आयातो का हिस्सा वर्ष 1999–2000 मे 27 4 से 32 2 प्रतिशत हो गया।

8 वर्ष 2001–2002 वित्तीय वर्ष के पहले सात महीनो मे आयात बढोत्तरी धीमी रही जो पिछले वर्ष की सगत अवधि मे दर्शाई गई, 10 4 प्रतिशत वृद्धि की तुलना मे 1 5 प्रतिशत ही बढी जो बहुत कम थी। तथापि, आयात वृद्धि गिरते पेट्रोल तेल स्नेहक आयातो जो अतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल कीमतो तथा ऊर्जा मॉग मे कमी मे नियन्त्रण की वजह से 9 7 प्रतिशत तक कम हुए थे, के द्वारा नियत्रित हो गयी। अत वित्तीय वर्ष 2001–2002 के दौरान आर्थिक बहाली पर इगित करते हुए अप्रैल–अक्टूबर 2001 के दौरान गैर तेल आयातो मे पिछले वर्ष की सगत अवधि के दौरान 6 2 प्रतिशत की गिरावट की तुलना मे 7 0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस बढोत्तरी मे खाद्य तथा सबद्ध उत्पादो (मुख्यत दाल, मसाले तथा चीनी) और अन्य मध्यवर्ती उत्पादो के बढे हुए आयातो का योगदान हुआ। वर्ष के दौरान एक सकारात्मक घटना पूजीवस्तुओ के आयातो के रुझान मे उलटाव रहा जो अप्रैल–अक्टूबर, 2001 के दौरान 6 6 प्रतिशत तक बढ गया। वस्तुए जैसे दाल, विद्युत मशीनरी, रसायन, अलौह धातु, स्वर्ण एव चादी तथा व्यावसायिक यन्त्र एव प्रकाशीय वस्तुओ के आयातो ने वित्तीय वर्ष 2001–2002 के दौरान गैर पेट्रोल तेल स्नेहक आयातो की वृद्धि मे महत्वपूर्ण योगदान किया।

## भारत मे निर्यातों की संरचना :–

भारत मे निर्यातो की सरचना मे स्पष्ट रूप से एक प्रवृत्ति यह दिखायी देती है कि समय के साथ निर्यातो मे कृषि व उससे सम्बद्ध वस्तुओ का महत्व निरन्तर घटता गया है, तथा विनिर्मित वस्तुओ का महत्व बढता गया है। उदाहरणार्थ कुल निर्यातो मे कृषि सम्बद्ध वस्तुओ का हिस्सा वर्ष 1960–61 मे 44 2 प्रतिशत था। जो कि वर्ष 1998–99 मे कम होकर मात्र 18 5 प्रतिशत हो गया, वही इसके विपरीत उक्त अवधि में ही विनिर्मित वस्तुओ का हिस्सा 45 3 प्रतिशत से बढकर 78 7 प्रतिशत हो गया। यह अवस्था अर्थव्यवस्था की बदली हुई उत्पाद सरचना दर्शाती है। एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था के स्थान पर अब भारत मे एक प्रगतिशील औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहा है। केवल एक ही विनिर्मित वस्तु ऐसी है जिसके निर्यात बढ नहीं पाये हैं और वह वस्तु है जूट। आजादी के तत्काल बाद हमारे निर्यातों मे प्रमुख मदे, जूट,

चाय तथा सूती वस्त्र थे। और इनका निर्यात से प्राप्त आय मे हिस्सा 50 प्रतिशत से अधिक था। शनै–शनै देश की औद्योगिक सरचना मे विविधकरण व मजबूती आया और निर्यात के नये अवसर प्राप्त होते गये। जहॉ आजादी के समय जूट, चाय तथा सूती वस्त्र का निर्यात हिस्सा आधा था वही वर्ष 1970–71 मे 31 प्रतिशत व 1998–99 मे मात्र 10 प्रतिशत के लगभग घटकर हो गया। इसके ठीक विपरीत इन्जिनियरिंग वस्तुओ का कुल निर्यात हिस्सा वर्ष 1960–61 मे जो 3 4 प्रतिशत था वही वर्ष 1998–99 मे 13 प्रतिशत बढकर हो गया। भारत के निर्यातो की सरचना के बारे मे वर्ष 1960–61 से बाद की जानकारी **तालिका सख्या 6 10** से स्पष्ट है।

तालिका सख्या 6 10 के अनुसार विगत कुछ समय से विनिर्मित निर्यातो के भाग मे क्रमिक रूप से वृद्धि हुई है जो कि समेकित रूप से वर्ष 1995–96 के 75 4 प्रतिशत से बढकर वर्ष 1998–99 मे 77 8 प्रतिशत हो गया। यह प्रवृत्ति इस वित्तीय वर्ष के पहले आठ महीनो मे कुल निर्यात मे विनिर्मित निर्यातो के भाग मे पुन वृद्धि होते हुए 80 8 प्रतिशत सहित जारी रही। वर्ष 1998–99 मे कम प्रमात्रा के साथ–साथ इकाई कीमत वसूली मे कमी के कारण अमेरिकी डालर की कीमतो मे 11 7 प्रतिशत की कमी से कृषि एव सम्बद्ध उत्पादो का भाग वर्ष 1996–97 मे 20 4 प्रतिशत के उच्च शिखर से वर्ष 1998–99 मे 18 5 प्रतिशत की गिरावट हुई। वर्ष 1995–96 से ही अयस्क और पेट्रोलियम उत्पादो के कुल निर्यात के भाग मे भी लगातार कमी हो रही है।[1]

वर्ष 1998–99 मे निर्यात की समस्त स्थूल श्रेणियो मे कृषि और सबद्ध उत्पादो मे 11 7 प्रतिशत अयस्क एव खनिजो मे 16 0 प्रतिशत, विनिर्मित वस्तुओ मे 1 3 प्रतिशत, कच्चे और पेट्रोलियम उत्पादो मे 74 6 प्रतिशत की कमी रही। 1998–99 मे वृद्धि मे इस प्रकार की कमी मुख्यत वस्तुओ के भाग के रूप मे खाद्य तेल (–50 8 प्रतिशत), अविनिर्मित तम्बाकू (–43 1 प्रतिशत), रग/मध्यवर्ती तथा कोलतार रसायन (21 0 प्रतिशत), इजीनियरी सामग्रियो (–17 5 प्रतिशत), अयस्को और खनिजो (–16 0 प्रतिशत), सूती धागे और वस्त्र तथा सिले–सिलाए वस्त्र (–15 0 प्रतिशत), समुद्रीय उत्पादो (–14 0 प्रतिशत), और चमड़ा तथा चमडे की वस्तुए (–11 3 प्रतिशत), का रहा। इस सबके बाद भी बहुत सी वस्तुओ जैसे– चावल (62 5 प्रतिशत), सिले–सिलाए कपडे (14 4 प्रतिशत), जवाहरात और जेवरात (10 4 प्रतिशत), और हस्तशिल्प (5 3 प्रतिशत), मे महत्वपूर्ण वृद्धि हुई।

---

[1] आर्थिक समीक्षा, वाणिज्य मन्त्रालय, भारत सरकार, वर्ष 1998–99

## तालिका सख्या 6 10

## भारतीय निर्यातो की सरचना

| क्र. | | वस्तुऐं | 1960–61 | | 1970 -71 | | 1980–81 | | 1995–96 | | 1997–98 | | 1998–99 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | मिलियन डालर | कुल का % | मिलियन डालर | कुल का % | मिलियन डालर | कुल का % | मिलियन डालर | कुल का % | मिलियन डालर | कुल का % | मिलियन डालर | कुल का % |
| 1 | | **कृषि एव सवद्ध उत्पाद जिसमें से** | **596** | **44 2** | **644** | **31 7** | **2601** | **30 6** | **6320** | **19 9** | **6840** | **19 5** | **6219** | **18.5** |
| | (i) | चाय एव मेट | 260 | 19 3 | 196 | 9 6 | 538 | 6 3 | 350 | 1 1 | 505 | 1 4 | 547 | 1 6 |
| | (ii) | काजू गिरी | 40 | 3 0 | 76 | 3 7 | 177 | 2 1 | 370 | 1 2 | 379 | 1 1 | 383 | 1 1 |
| | (iii) | कपास | 25 | 1 9 | 19 | 0 9 | 209 | 2 5 | 61 | 0 2 | 221 | 0 6 | 53 | 0 2 |
| | (iv) | मछली व मछली उत्पाद | 10 | 0 8 | 40 | 2 0 | 274 | 3 2 | 1011 | 3 2 | 1207 | 3 4 | 1038 | 3 1 |
| 2 | | **अयस्क और खनिज (कोयला के अतिरिक्त) जिसमें से** | **109** | **8.1** | **217** | **10 7** | **523** | **6 2** | **915** | **2 9** | **824** | **2 4** | **707** | **2 1** |
| | | कच्चा लोहा | 36 | 2 6 | 155 | 7 6 | 384 | 4 5 | 515 | 1 6 | 476 | 1 4 | 380 | 1 1 |
| 3 | | **विनिर्मित वस्तुऐं** | **610** | **45.3** | **1021** | **50.3** | **4738** | **55.8** | **23984** | **75.4** | **26860** | **76 7** | **26497** | **78.7** |
| | (i) | सिले सिलाऐं कपडे | 2 | 0 1 | 39 | 1 9 | 696 | 8 2 | 3676 | 11 6 | 3876 | 11 1 | 4444 | 13 2 |
| | (ii) | जूट उत्पाद | 283 | 21 0 | 252 | 12 4 | 417 | 4 9 | 186 | 0 6 | 187 | 0 5 | 141 | 0 4 |
| | (iii) | चमड़ा व उससे निर्मित समान | 59 | 4 4 | 106 | 5 2 | 493 | 5 8 | 1731 | 5 4 | 1631 | 4 7 | 1620 | 4 8 |
| | (iv) | हस्त शिल्प जिसमें से | 23 | 1 7 | 90 | 4 7 | 1204 | 14 2 | 6129 | 19 3 | 6282 | 17 9 | 6943 | 20 6 |
| | | रत्न एव आभूषण | 2 | 0 1 | 59 | 2 9 | 782 | 9 2 | 5275 | 16 3 | 5346 | 15 3 | 5904 | 17 5 |
| | (v) | रसायन एव सम्बद्ध उत्पाद | 15 | 1 1 | 39 | 1 9 | 284 | 3 3 | 2945 | 9 3 | 3684 | 10 5 | 3372 | 10 0 |
| | (vi) | इन्जिनियरिंग वस्तुऐं | 46 | 3 4 | 261 | 12 9 | 1045 | 12 3 | 9358 | 13 7 | 5254 | 15 0 | 4367 | 13 0 |
| 4 | | **अन्य** | **31** | **2 4** | **149** | **7.3** | **624** | **7 4** | **578** | **1 8** | **482** | **1 4** | **236** | **0 7** |
| | | **कुल** | **1346** | **100.0** | **2031** | **100.0** | **8486** | **100.0** | **31797** | **100 0** | **35006** | **100 0** | **33659** | **100 0** |

पेट्रोलियम उत्पाद, अयस्क एव खनिज, विनिर्मित वस्तुओ तथा मुख्यत कृषि एव सबद्ध उत्पादो मे तीव्र वृद्धि रहने के कारण वर्ष 2000–2001 मे निर्यातो मे वृद्धि के साथ सभी मुख्य वस्तु श्रेणियो के निर्यातो मे बढोत्तरी हुई थी। इस कार्यनिष्पादन की महत्वपूर्ण विशेषता कृषि एव सबद्ध उत्पादो का निर्यात जो वर्ष 1996–97 से घट रहा है, मे हुआ बदलाव था। इस पुनर्जीवन के लिए उत्तरदायी मुख्य उत्पादो मे स्पिरिट तथा मदिरा, शर्करा तथा चाशनी, मुर्गीपालन तथा डेयरी उत्पाद, प्रसस्करित भोजन, मास तथा मास से बनी चीजे, समुद्री उत्पाद, कच्ची कपास, खली, दाले तथा अनाज शामिल है। तथापि बागवानी क्षेत्र मे, मुख्यत काफी के निर्यातो मे गिरावट के कारण 6 9 प्रतिशत पर ऋणात्मक वृद्धि दर्ज होना जारी रहा। बढी हुई घरेलू परिष्कृत क्षमता पेट्रोलियम उत्पादो के निर्यातो मे तीव्र वृद्धि के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी थी। अयस्क एव खनिजो मे तीव्र वृद्धि लौह अयस्क तथा प्रसस्करित खनिजो के आयातो द्वारा हुई। विनिर्मित वस्तुओ के बीच मे इजीनियरिंग वस्तुओ के निर्यात, रसायन एव सबद्ध उत्पाद चमडा तथा चमडा निर्माता तथा वस्त्र जिसमे सिलेसिलाए कपडे शामिल हैं, ने बडा लाभ कमाया। तथापि, रत्न तथा जेवरातो का निर्यात, जो एक बडा विदेशी मुद्रा अर्जक है, मे वर्ष 2000–2001 के दौरान 1 5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, ये गिरावट, स्वर्ण जेवरात क्षेत्र मे बढोत्तरी जारी रहने के साथ कटे तथा पालिश किए गये हीरो तक मुख्यत सीमित रही। इस कार्यनिष्पादन के रहते कुल निर्यातो मे विनिर्मित वस्तुओ तथा कृषि तथा सबद्ध उत्पादो का हिस्सा 1999–2000 मे क्रमश 80 7 प्रतिशत तथा 15 2 प्रतिशत से गिरकर 2000–2001 मे क्रमश 78 0 प्रतिशत तथा 13 5 प्रतिशत हो गया। तद्नुसार, कुल निर्यातो मे कच्चे तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादो और अयस्क तथा खनिजो का हिस्सा वर्ष 2000–2001 मे 4 2 प्रतिशत तथा 2 6 प्रतिशत बढ गया।

2001–2002 वित्तीय वर्ष मे निर्यातो मे कमी विनिर्मित वस्तुओ के निर्यातो द्वारा हुई, जो अप्रैल–अक्टूबर, 2001 के दौरान 7 1 प्रतिशत घट गया, इस प्रकार कुल निर्यातो मे इन निर्यातो का हिस्सा और घटकर 76 1 प्रतिशत हो गया। वस्त्र जिनमे सिलेसिलाए वस्त्र शामिल हैं, रत्न एव आभूषण हस्तशिल्प मदो, कालीनो तथा चमडा तथा विनिर्माण के निर्यातो मे गिरावट तथा रसायन और सबद्ध उत्पाद तथा इजीनियरिंग वस्तुओ के निर्यातो मे तीव्र मदी से इस महत्वपूर्ण निर्यात क्षेत्र से निर्यातो मे मुख्यत कमी हुई। इन निर्यातो मे इतनी कम कुल खरीद का आशिक कारण वैश्विक मदी की वजह से विकसित देशो में माग की कमी आना है। अयस्क तथा खनिजों में भी मुख्यत. लौह अयस्क तथा प्रसस्करित खनिजो के कम निर्यातों की वजह से गिरावट दर्ज की गई। दूसरी तरफ, कच्चे तेंल तथा पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यातो मे

अप्रैल–अक्टूबर, 2001 के दौरान बढोत्तरी जारी रही जिससे कुल निर्यातो मे इसका हिस्सा 5 3 प्रतिशत हो गया। कृषि तथा सबद्ध उत्पादो मे भी अनाज (मुख्यत गेहूँ), चीनी एव चाशनी, प्रसस्करित भोजन तथा मुर्गीपालन एव डेयरी उत्पादो के निर्यातो मे महत्वपूर्ण वृद्धि से 35 प्रतिशत की बढोत्तरी हुई। वर्ष 1998–99 एव 1999–2000 मे कई वस्तुओ मे तीव्रता का रुख रहा जिसे हम निम्न सारणी के द्वारा स्पष्ट कर सकते है–

तालिका 6 11

तीव्रता से बढ़ने वाली निर्यात वस्तुए

(मिलियन अमेरिकी डालर)

| निर्यात की वस्तुएँ | वजन • | 1998-99 (अप्रैल–अक्टूबर) | 1999-2000 (अप्रैल–अक्टूबर) | % परिर्वतन |
|---|---|---|---|---|
| काजू | 1 1 | 252 3 | 395 8 | 56 9 |
| परिवहन उपकरण | 2 2 | 378 8 | 444 1 | 17 2 |
| प्रारम्भिक और कम प्ररिष्कृत लोहा और इस्पात | 1 5 | 301 9 | 357 6 | 18 4 |
| जवाहरात एव जेवरात | 17 5 | 3478 0 | 4250 2 | 22 2 |
| धातुओ का विनिर्माण | 3 2 | 574 3 | 705 0 | 22 8 |
| बिजली का समान | 1 5 | 282 4 | 335 8 | 18 9 |
| हस्त शिल्प | 3 7 | 709 2 | 817 1 | 15 2 |
| सिले सिलाए कपडे | 13 2 | 2299 6 | 2609 5 | 13 5 |
| कपास के धागे से कृत्रिम वस्त्र | 8 2 | 1583 2 | 1748 0 | 12 1 |
| समुद्री उत्पाद | 3 1 | 732 9 | 770 9 | 5 2 |

स्रोत– आर्थिक समीक्षा भारत सरकार वर्ष 1999–2000

• वजन वर्ष 1997–98 के मूल्यो के हिस्से के आधार पर निकाला गया है।

## निर्यात संरचना के मुख्य तथ्य –

आजादी के समय से लेकर अब तक के निर्यातो का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने पर निष्कर्ष रूप मे निम्न तथ्य स्पष्ट होते है–

1 तालिका 6 10 को देखने से स्पष्ट है कि सबसे उत्साहवर्द्धक वृद्धि हस्तशिल्प वस्तुओ के क्षेत्र मे हुई। वर्ष 1970–71 मे इनके निर्यात से मात्र 96 मिलियन डालर की आय हुई थी, वही यह बढकर वर्ष 1998–99 मे 6943 मिलियन डालर की निर्यात आय हुई जो कि कुल निर्यात का 20 6 प्रतिशत है हस्तशिल्प के इस बढते हुए निर्यात मे सबसे अधिक योगदान जवाहरात व आभूषणो का है। वर्ष 1970–71 मे इनके निर्यात आय मात्र 59 मिलियन डालर कि तुलना मे वर्ष 1998–99 मे बढकर 5904 मिलियन डालर तक हो गया।

2 विगत वर्षों मे सिले–सिलाए कपडो का निर्यात आय मे काफी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। 1970–71 मे सिले–सिलाए कपडो का निर्यात मात्र 2 मिलियन डालर था वही विगत वित्तीय वर्ष 1998–99 मे बढकर 4,444 मिलियन डालर की निर्यात आय हुई जो कुल निर्यात आय का 13 2 प्रतिशत था इस प्रकार हस्तशिल्प वस्तुओ के पश्चात सिले–सिलाए कपडो का दूसरा स्थान था।

3 औद्योगीकरण के व्यापक कार्यक्रमो के अपनाए जाने के परिणाम स्वरूप इजीनियरिंग वस्तुओ के निर्यात मे तेजी से वृद्धि हुई। 1960–61 मे 46 मिलियन डालर कुल निर्यात आय था जो वर्ष 1970–71 मे 261 मिलियन डालर तथा वर्ष 1998–99 मे 4,367 मिलियन डालर इन्जीनियरिंग वस्तुओ से निर्यात आय हो गया। जिसके कारण इन वस्तुओ का निर्यात हिस्सा 60–61 मे 3 4 प्रतिशत से बढकर 1998–99 मे 13 प्रतिशत हो गया। और इसका निर्यात के क्षेत्र मे तीसरा स्थान रहा।

4 आर्थिक उदारीकरण के अन्तर्गत व्यापक कार्यक्रमो के अपनाने के बाद जूट का निर्यात लगातार कम हुआ है। आजादी के समय भारत का प्रमुख निर्यात जूट था। किन्तु जो निर्यात आय 1960–61 मे 21 प्रतिशत था वही 1970–71 मे 12 4 प्रतिशत तथा 1998–99 मे मात्र 0 4 प्रतिशत निर्यात आय रह गया है।

5 मछली उद्योग मे भी कुछ जूट जैसा ही निर्यात से आय प्राप्त हो रहा है। 1970–71 मे मछली उत्पाद से प्राप्त निर्यात आय का हिस्सा 2 0 प्रतिशत था। जो 1994–95 मे कुछ बढकर 4 3 प्रतिशत तो हुआ। किन्तु पुन 1998–99 मे कम हो करके 3 1 प्रतिशत हो गया है।

6 आजादी के समय जूट के बाद सबसे महत्वपूर्ण निर्यात की वस्तु चाय थी किन्तु इसमे भी लगातार कमी आती जा रही है। 1960–61 मे चाय का निर्यात आय मे हिस्सा 19 3 प्रतिशत था जो 1970–71 मे 9 6 प्रतिशत तथा 1998–99 मे घटकर मात्र 1 6 प्रतिशत तक पहुॅच गया।

7 उदारीकरण के परिणामस्वरूप चमड़ा व उससे निर्मित सामान का निर्यात आय के क्षेत्र मे महत्वपूर्ण स्थान रहा। इससे प्राप्त आय वर्ष 1998–99 मे 1620 मिलियन डालर था जो कुल निर्यात आय का 4 8 प्रतिशत है, और निर्यात आय मे इस वर्ष पाचवॉं स्थान रखता है।

8 सूती वस्त्र का भी निर्यात आय आजादी के समय से घटा है। आजादी के समय इसका स्थान निर्यात क्षेत्र मे तीसरा था किन्तु 1960–61 मे 10 प्रतिशत के हिस्से से घटकर 1998–99 मे 8 2 प्रतिशत निर्यात से आय प्राप्त हुआ है।

9 कच्चे लोहे के निर्यात मे वृद्धि हुई, इसका निर्यात 1970–71 मे 155 मिलियन डालर था जो बढकर 1997–98 मे 474 मिलियन हुआ परन्तु 1998–99 मे पुन घटकर 1970–71 की 7 6 प्रतिशत की तुलना मे 1 1 प्रतिशत निर्यात हिस्सा रह गया।

10 आजादी के पश्चात अपनाए गये तीव्र औद्योगीकरण के फलस्वरूप रसायन व सम्बद्ध उत्पादो मे वृद्धि हुई। वर्ष 1970–71 मे इन वस्तुओ का जो निर्यात से प्राप्त आय 39 मिलियन डालर थी बढकर वर्ष 1998–99 मे 3,372 मिलियन डालर हो गयी जो कुल निर्यात का 10 प्रतिशत था। इस प्रकार इससे प्राप्त आय का हिस्सा कुल निर्यात आय मे चौथा स्थान रहा।

## आर्थिक उदारीकरण

दुनिया मे जिन देशो की अर्थव्यवस्था मे कम खुलापन था उनमे भारत भी एक है, कुल राष्ट्रीय आय और व्यापार का अनुपात चीन या रूस से भी कम है। पूर्वी एशिया या लातिन अमरीकी देशो की तुलना मे तो भारत की अर्थव्यवस्था एकदम बद सी है, और विश्व व्यापार मे इसका हिस्सा आधा फीसदी से भी कम रह गया है। इस स्थिति मे वैसे तो कोई खास हर्ज नही है, पर व्यापार के मामले मे अलग–थलग पडे रहने से भुगतान असतुलन पैदा हो गया जिसकी वजह से विदेशो से आपातकालीन मद्द या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से समय–समय पर ऋण लेने की जरूरत पडी। एक अनुमान के अनुसार भारत को 1956 से 1971 के बीच के 35 वर्षो मे से 29 वर्षो मे कम या ज्यादा भुगतान असन्तुलन की मार झेलनी पडी है। इस प्रकार अपनी तरफ ही नजर रखकर विकास करने की जो रणनीति बनाई गई और जिससे भारत के आत्मनिर्भर और मजबूत होने की उम्मीद की गई थी उसने शुरू के कुछ वर्षो के बाद ही भारत को आत्मनिर्भर बनाना तो दूर समय–समय पर अन्तर्राष्ट्रीय राहत अभियानो पर निर्भर बना दिया।[1] वैसे तो आर्थिक उदारीकरण की आवश्यकता को 1978 मे महसूस कर लिया गया तथा स्व0 राजीव गॉधी की सरकार 1985 मे इसके तरफ सकारात्मक कदम भी उठायी किन्तु 1991 के आर्थिक सकट ने सरकार एव सरकारी तन्त्र को इस दिशा मे व्यापक कदम उठाने के लिए विवश कर दिया। 1990–91 के गभीर आर्थिक सकट को ध्यान मे रखकर ही जुलाई 1991 मे भारत सरकार ने आर्थिक सुधारो के उपायो का सिलसिला प्रारम्भ किया। ये उपाय बहुआयामी थे। स्वतत्र्योत्तर इतिहास में पहली बार संरक्षण के घटाने, उद्योगों तथा विदेशी पूँजी निवेश को नियन्त्रण से मुक्त करने तथा जड़ सार्वजनिक क्षेत्र का एकाधिकार कम करने तथा इन क्षेत्रों मे प्रतियोगिता बढाने के लिए सधे एव समन्वित कदम उठाये गये। हाल की नीतियो के चलते

[1] विमल जलान, व्यापार एव पूजी का प्रवाह, पृष्ट 81

विदेशी मुद्रा की स्थिति मे स्थिरता आ गयी है। और वर्ष 1995–96 मे 6 प्रतिशत की वृद्धि दर आशा के अनुरूप ही रही। ये स्वागत योग्य उपलब्धियॉ था। फिर यह साफ है कि अगर वृद्धि दर को 7–8 प्रतिशत तक ले जाना है और इसे लम्बे समय तक बनाए रखना है तो और भी बदलाव लाने की जरूरत है यदि यही वृद्धि दर 25 वर्षो तक बनी रही तो सन् 2020 तक भारत की प्रति व्यक्ति आय चौगुनी हो जायेगी।

1977–78 मे शुरू हुआ उदारीकरण उदारतावाद का नया दौर शुरू किया। तत्पश्चात इसी क्रम मे 1980–81 से 1984–85 की वार्षिक व्यापार नीतियो मे औद्योगिक क्षेत्र के लिए आवश्यक आगतो के आयात उपाय किये गये। परन्तु आयात उदारतावाद के क्षेत्र मे प्रभावी कदम पहली बार 1985 मे उठाये गये, जब तीन वर्षीय आयात नीतियो के घोषणा का क्रम शुरू हुआ। इस दशक की आयात निर्यात नीति के प्रतिपादन मे तीन सरकारी समितियो के सुझावो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये समितियॉ थी –

1 अलेक्जेन्डर समिति

2 टडन समिति

3 हुसैन समिति

इन उक्त समितियो ने निर्यात प्रोत्साहन एव आयात उदारीकरण पर अत्यधिक जोर दिया और यह भी बात स्पष्ट होने लगी कि खुले सामान्य लाइसेन्स ( ओ जी एल ) के अधीन और मदो को आयात करने की सुविधा दी जाएगी। इस प्रकार ओ.जी.एल. सूची मे पूँजीगत वस्तुओ और कच्चे माल की और मदो को शामिल करके, आयात उदारीकरण की प्रक्रिया मे इन्हे प्राथमिकता दी गई। प्रशुल्क दरो को कम करने के लिए भी कदम उठाए गये। आखिरी दो, तीन वर्षिय आयात–निर्यात नीतियो मे निर्यातो पर और अधिक ध्यान दिया गया तथा 1990–92 की नीति सर्वाधिक निर्यात उन्मुख थी।

उदारीकरण की नीति को अस्सी एव नब्बे के दशको मे बड़े पैमाने पर अपनाए जाने के कारण आयातो की मात्रा मे तेजी से वृद्धि हुई। उदाहरणस्वरूप आयातो का मात्रा सूचकाक 1995–96 मे 514 8 तथा 1997–98 मे 562 1 तक पहुँच गया। (आधार 1978–79 = 100) अर्थात लगभग दो दशको मे इसमे साढे पॉच गुना से अधिक वृद्धि हुई। हाल के वर्षो मे किए गये अध्ययनो से यह स्पष्ट हो जाता है कि आयात उदारीकरण के कारण निर्यातो की आयात गहनता मे काफी वृद्धि हुई है। अमित भादुड़ी एव दीपक नैयर ने अपने अध्ययनो में यह सिद्ध किया है कि निर्यातों की आयात गहनता जो कुल निर्यातो के अनुपात के रूप में 1972–73 में 6

9 प्रतिशत थी, 1984–85 मे यह 23 5 प्रतिशत बढकर हो गयी।[1] बाद की अवधि के लिए कुछ ऑकडे रिजर्व बैक के सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियो के अध्ययन मे मिलता है जो कि 1942 के कम्पनियो के परिप्रेक्ष्य मे किया गया था जिसमे मुख्य निष्कर्ष प्राप्त हुए।

1 सर्वाधिक आयात गहनता इन्जीनियरिंग तथा रसायन उद्योगो मे रही है। इनमे आयात गहनता जो 1984–85 मे 16 2 प्रतिशत थी (आयातित कच्चे माल एव कल पुर्जो का कुल प्रयुक्त कच्चे माल एव कल पुर्जों के अनुपात मे) 1986–87 मे बढकर 20 34 प्रतिशत हो गयी। सभी उद्योगो की आयात गहनता मे ऊपर व्यक्त 23 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना मे इन्जीनियरिंग उद्योग मे आयात गहनता मे वृद्धि 11 प्रतिशत अधिक हो गयी।

2 सभी कम्पनियो मे कुल प्रयोग होने वाले कच्चे माल एव कल पुर्जो मे आयातित कच्चे माल एव कल पुर्जो का हिस्सा जो 1984–85 मे 12 79 प्रतिशत था 1986–87 मे बढकर 16 65 प्रतिशत हो गया।

3 रासायनिक उद्योग मे आयात गहनता 1984–85 मे 18 6 प्रतिशत थी जो 1986–87 मे बढकर 24 01 प्रतिशत हो गयी। यह सभी उद्योगो की औसत 23 प्रतिशत वृद्धि की तुलना मे 26 प्रतिशत वृद्धि दर्शाती है। साधारणत यह कहा जा सकता है कि इन तीन वर्ष की अवधि 1984–85 से 1986–87 के बीच आयात गहनता मे 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वर्ष 1985 के उदारीकरण के सन्दर्भ मे उठाये गये कदमो के बाद भी नब्बे के दशक मे आते आते देश गम्भीर आर्थिक तगी के मुहाने पर आकर खडा हो गया और भुगतान सन्तुलन की देश के सामने गम्भीर समस्या खडी हो गयी। इस स्थिति से निबटने के लिए नरसिम्हा राव की सरकार ने व्यापक रूप मे उदारीकरण की नीति को अपनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए और यह सिलसिला जारी है। परिणामत अभी तक निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुए–

1 1966 के अवमूल्यन के पश्चात 1973 मे अधिकतर देशो की भॉति भारत सरकार ने भी निश्चित विनिमय दरो की प्रणाली का त्याग कर दिया और भारतीय रुपये को पॉच प्रमुख व्यापारिक राष्ट्रो की मुद्राओ के साथ जोड दिया। 1990 के अन्त तक आते–आते यह विनिमय दर एक SDR = 25 71 रुपए तक पहुॅच गया। 1991 के उदारीकरण के आरम्भ मे भारत सरकार ने पाँच प्रमुख मुद्राओ (अमरीका के डालर, इग्लैंड के पौंड स्टर्लिंग, फ्रास के फ्रेक, जर्मनी के मार्क तथा जापान के येन) के सापेक्ष रुपए का दो चरणों में अवमूल्यन कर दिया।

---

1 बी0 भट्टाचार्या, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, द इक्नामिक्स टाइम्स, डेली न्यूज पेपर 12 मई, 1990 पृष्ट – 7

जिसके परिणामस्वरूप पॉच प्रमुख मुद्राओ के मूल्य मे रुपये के सापेक्ष, लगभग 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई।[1]

2 1992–93 के बजट मे वित्त मन्त्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबन्ध प्रणाली की घोषणा की जिसके अन्तर्गत रुपए की आशिक परिवर्तनीयता की व्यवस्था थी और इसमे दोहरी विनिमय दर लागू की गई, जिसमे यह व्यवस्था दी गयी कि कुल अर्जित विनिमय आय का 40 प्रतिशत सरकारी विनिमय दर पर सरकार को देना होगा और शेष 60 प्रतिशत बाजार द्वारा निर्धारित दर पर परिवर्तित किया जाएगा।

3 बाजार द्वारा निर्धारित विनिमय दर को अपनाने के बाद 1995 तक तो रुपये मे स्थिरता बनी रही, किन्तु अगस्त 1995 के पश्चात रुपए का मूल्य ह्रास पुन शुरू हो गया और फरवरी 1996 तक आते–आते विनिमय दर गिरकर 1 डालर = 36 6 रुपए तक पहुँच गया। और ऐसी स्थिति मे रिजर्व बैंक को हस्तक्षेप करना पडा तब स्थिरता पुन कायम हुई। लगभग अट्ठारह महीने तक विदेशी विनिमय बाजार मे स्थिरता की स्थिति बने रहने के बाद अगस्त 1997 मे भारतीय रुपये ने पूर्वी एशिया मे मुद्रा सकट से उत्पन्न प्रभाव का अनुभव किया। 16 जनवरी, 1998 आते–आते रुपए का मूल्य गिरकर 1 डालर = 40 36 रुपए हो गया। परन्तु उसके बाद रुपए ने थोडी मजबूती दिखायी और यह मार्च 1999 तक लगभग एक सी बनी रही। किन्तु अप्रैल 1999 से राजनैतिक परिवर्तनो से तथा कारगिल युद्ध से जनित अस्थिरता के कारण विनिमय दर पर असर पडा। और इस माह मे डालर के सापेक्ष विनिमय दर 42 51 रुपये तक पहुँच गया जो सितम्बर तक आते–आते 43 60 रुपये तक हो गया। जनवरी 2000 के अन्त तक 1 डालर = 43 64 रूपए तथा मार्च 2002 तक आते–आते रुपये का मूल्य 1 डालर = 48 68 रुपये तक पहुँच गया है।

4 वित्त मन्त्री जी ने वर्ष 1992–93 मे उदारीकृत विनिमय दर प्रबन्ध प्रणाली की घोषणा की। इस प्रणाली मे रुपये की आशिक परिवर्तनीयता की व्यवस्था थी। इसके अन्तर्गत दोहरी विनिमय दर लागू की गयी। अर्थात 60 40 परिवर्तनीयता के स्थान पर 100 प्रतिशत परिवर्तनीयता लागू की गई। यह परिवर्तनीयता, वस्तुओ का सम्पूर्ण आयात निर्यात तथा भुगतान शेष पर सभी प्राप्तिया (चाहे वे चालू खाते मे हो अथवा पूँजी खाते मे) क्षेत्रो मे की गई। इसके साथ–साथ एकीकृत विनिमय दर की परिधि से बाहर की कुछ मदो के लिए सरकारी विनिमय दर को बनाए रखा गया। इस प्रकार 6 अदृश्य मदे चालू व पूँजी खातो मे थी। इसके अलावा

---

**विवेक देवराय, फारेन ट्रेड पॉलिसी चेन्जेज एण्ड डेवैल्यूशन करेन्ट परस्पेक्टिव, नई दिल्ली– 1992 पृष्ट 53**

रिजर्व बैक द्वारा लगाए गये कई विनिमय नियन्त्रणो को चालू रखा गया। हलाकि उनमे कुछ ढील अवश्य दी गयी।[1]

5 रिजर्व बैक ने परिवर्तनीयता की दिशा मे 19 अगस्त, 1994 को और कदम उठाए जब चालू खातो के भुगतान पर छूट व रियायते दी गई। वर्ष 1995–96, 1996–97 व 1997–98 मे पूर्ण परिवर्तनीयता की दिशा मे और कदम उठाते हुए, विदेशी विनिमय नियन्त्रणो मे और ढील दी गई।

6 भारत ने चालू खाते पर पूर्ण परिवर्तनीयता की स्थिति 19 अगस्त 1994 को ही प्राप्त की और 20 अगस्त 1994 को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुच्छेद 8 का दर्जा प्राप्त किया। अन्तर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए चालू खाते पर परिवर्तनीयता को विदेशी मुद्रा खरीदने अथवा बेचने की स्वतन्त्रता को निम्नलिखित रूप मे परिभाषित किया गया है।

(A) चालू व्यवसायो, सेवाओ तथा अल्पकालीन बैकिग व सुविधाओ तथा विदेशी व्यापार से जुडे सभी भुगतान।

(B) ऋणो पर ब्याज तथा अन्य निवेशो से निवल आय के रूप मे देय भुगतान।

(C) ऋणो को चुकाने अथवा प्रत्यक्ष निवेशो के मूल्य ह्रास के लिए मामूली राशि का भुगतान।

(D) परिवारो के निर्वाह व खर्चा पूरा करने के लिए मामूली प्रेरणाए।

7 वित्त मन्त्री जी के 1994–95 के अपने बजटीय भाषण मे कहे अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी विनिमय नियन्त्रण को एक निर्दिष्ट सीमा तक उदारीकृत कर दिया। यह उदारीकरण निम्नलिखित क्षेत्रो मे किया गया।

1 विदेशो मे अध्ययन।

2 दान।

3 बुनियादी यात्रा कोटा।

4 विदेशी पक्षों द्वारा प्रदान की गई विशिष्ट सेवाओ का भुगतान।

5 मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाता।

---

1 जीवन के0 मुखोपाध्याय द इकोनामिक्स टाइम्स, डेली न्यूज पेपर, 15 मार्च, 1994

8 भारत मे मुद्रा स्फीति की दर विकसित देशो की तुलना मे अधिक होने के कारण, वास्तविक प्रभावी विनिमय दर मे 1993–94 से 1997–98 के मध्य 10 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई (REER का पॉच देशो का सूचकाक जिसका आधार वर्ष 1995 =100 है, जो कि 1997–98 मे 105 19 हो गया)। परिणामत अन्तर्राष्ट्रीय बाजारो मे भारत की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पडा। मई 1998 मे REER 103 31 था और इसके बाद उसमे गिरावट होने लगी दिसम्बर 1998 मे यह कम होकर 98 84 रह गया। 1999–2000 के प्रथम नौ महीनो मे NEER और REER मे सापेक्षिक रूप से स्थापित्व रहा। अप्रैल 1999 मे NEER 82 97 तथा दिसम्बर 1999 मे 80 29 था। अप्रैल 1999 मे REER 101 30 तथा 1999 के अन्तिम माह मे 98 55 था।[1]

9 आयातो पर से परिणात्मक नियन्त्रण समाप्त करने के बहुलम्बित विवादित मामले को निपटाने के लिए भारत ने 12 नवम्बर 1997 को यूरोपीय सघ व आस्ट्रेलिया के साथ जेनेवा मे एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसके तहत भारत 2700 उत्पादो के आयात पर जारी परिणात्मक नियन्त्रण 6 वर्षो मे समाप्त करने को सहमत हुआ। 1 अप्रैल, 1997 से प्रभावी इस 6 वर्षीय अवधि के दौरान भारत को सन् 2003 तक तीन चरणो मे यह आयात नियन्त्रण समाप्त करना था, किन्तु निर्धारित समय सीमा के पूर्व ही इस सन्दर्भ मे लक्ष्य को प्राप्त कर किया जा चुका है।

समझौते के तहत पहले चरण मे 3 वर्षो मे (31 मार्च, 2000 तक) भारत 177 उत्पादो पर दूसरे चरण मे अगले दो वर्षो मे (31 मार्च, 2002 तक) 208 उत्पादो पर तथा तीसरे चरण मे अगले एक वर्ष मे (31 मार्च, 2003 तक) शेष सभी उत्पादो के आयात पर परिणात्मक नियन्त्रण समाप्त करने को सहमत हुआ। सार्वाधिक अनुग्रह प्राप्त राष्ट्र के आधार पर किये गये इस समझौते के परिणाम स्वरूप इस समझौते के लाभ विश्व व्यापार सगठन (WTO) के अन्य सभी सदस्य राष्ट्रो को भी उपलब्ध होगे। इस प्रकार किसी अन्य सदस्य राष्ट्र के साथ भारत यदि अधिक रियायती समझौता करता है, तो उसके लाभ यूरोपीय सघ तथा आस्ट्रेलिया को भी उपलब्ध होगे।[2]

---

1 आर्थिक समीक्षा, वार्षिक पत्रिका, 1999–2000 स्टेटमेन्ट 6 6 पृष्ठ एस–80

2 प्रतियोगिता दर्पण, मासिक पत्रिका, अतिरिक्ताक, वर्ष 1999–2001
नोट एनईईआर तथा आरईईआर देशों के सूचकाक में अमेरिका, इगलैण्ड, फ्रास, जर्मनी और जापान को शामिल किया गया है।

## आर्थिक उदारीकरण का भारतीय विदेशी व्यापार पर प्रभाव –

जुलाई 1991 मे शुरू किये गए विदेशी व्यापार सुधारो व उदारीकरण के कारण विदेशी व्यापार क्षेत्र मे व्यापक परिवर्तन हुए है और इनके परिणाम स्वरूप अन्तर्मुखी नीति के स्थान पर अब वाह्य उन्मुखी नीति को अपनाया जा रहा है। उदारीकरण के बाद से भारतीय व्यापार मे तेजी से वृद्धि हुई है। वर्ष 1991–92 मे आयात 19 4 मिलियन डालर तथा निर्यात 17 9 मिलियन डालर को मिलाकर कुल विदेशी व्यापार 37 3 मिलियन डालर था, जो इन उदारीकृत नीतियो के चलते वर्ष 1998–99 मे बढकर, निर्यात 33 7 मिलियन डालर तथा आयात 41 9 मिलियन डालर अर्थात कुल विदेशी व्यापार 75 6 मिलियन डालर हो गया। किन्तु इन सब के बाद भी वर्ष 1992–93 के बाद से (1993–94 को छोडकर) आयातो की सवृद्धि दर लगातार निर्यातो की सवृद्धि दर से अधिक रही है। परिणामत व्यापार शेष घाटे मे तेजी से वृद्धि हुई, और यह 1991–92 मे 1 5 मिलियन डालर से बढकर 1998–99 मे 8 2 मिलियन डालर तक पहुँच गया है।

आर्थिक उदारीकरण के पश्चात विदेशी व्यापार क्षेत्र के निष्पादन और उसमे हुए सरचनात्मक परिवर्तनो का अध्ययन रिजर्व बैक की Report on Currency and Finance 1998–99, विस्तृत रूप मे प्रस्तुत किया गया है। इस अध्ययन के निम्नलिखित मुख्य निष्कर्ष हैं –

1 जहाँ वर्ष 1980–81 से 1988–89 के दौरान भारत मे निर्यात मे औसतन 8 2 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हुई, वहीं 1992–93 से 1998–99 तक के वर्षो मे वृद्धि 9 8 प्रतिशत वार्षिक रही। इसी प्रकार जहाँ भारत के आयातो मे पिछले दशक मे 7 8 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हुई वही नब्बे के दशक मे यह वृद्धि बढकर 12 0 प्रतिशत तक हो गयी।

2 उदारीकरण के काल को दो भागों में बॉटा जा सकता है। पहला 1992–93 से 1995–96 तथा दूसरा 1996–97 से अब तक की अवधि। पहली अवधि मे भारत के निर्यातो और आयातो मे क्रमश 15 7 प्रतिशत तथा 17 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो कि वर्ष 1980–81 से 1990–91 तक की अवधि मे दर्ज की गई वृद्धि क्रमश 8 2 प्रतिशत व 7 8 प्रतिशत की तुलना मे काफी ज्यादा थी। परन्तु द्वितीय अवधि काल भाग मे निर्यातो एव आयातो की औसत वृद्धि दर मे गिरावट रही और यह क्रमश केवल 2 0 प्रतिशत और 4 5 प्रतिशत रह गयी।

3 विदेशी व्यापार सकल घरेलू उत्पाद मे वृद्धि के साथ एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह रही कि भारत का व्यापार शेष, सकल घरेलू उत्पाद अनुपात मे कमी आयी। यह अस्सी के दशक मे

27 प्रतिशत से घटकर नब्बे के दशक के दौरान 12 प्रतिशत रह गया साथ ही आयात निर्यात अनुपात भी वर्ष 1980–81 मे 651 प्रतिशत था वही 1992–99 की अवधि मे बढकर 870 प्रतिशत हो गया।

4 1980–89 की अवधि की तुलना मे 1992–99 की अवधि मे भारत के सकल घरेलू उत्पाद अनुपात मे सुधार हुआ और यह 50 प्रतिशत की तुलना मे बढकर 82 प्रतिशत हो गया। इसी दरम्यान आयात सकल घरेलू उत्पाद अनुपात भी औसतन 77 प्रतिशत से बढकर 94 प्रतिशत हो गया। रिजर्व बैक के अनुसार इन अनुपातो मे वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि 1992–99 की अवधि मे भारतीय अर्थव्यवस्था मे और खुलापन आया है।[1]

5 निर्यात मे भारत का हिस्सा जो 1984 से 1987 के बीच 0 52 प्रतिशत से कम हो कर 0 47 प्रतिशत रह गया था, वही 1992 से बढकर 0 53 प्रतिशत हो गया। जबकि 1996 के बाद भारत का निर्यात सवृद्धि दर मे गिरावट आई। तथापि विश्व निर्यात मे भारत का हिस्सा 1997 से बढकर 0 62 प्रतिशत तक पहुँच गया जो इस बात का द्योतक है कि भारत का निर्यात प्रदर्शन विश्व के अन्य देशो की तुलना मे सापेक्षिक रूप से बेहतर रहा।

6 **मात्रात्मक प्रतिबन्धो का हटना** 'गैट' का अनुच्छेद 11 आयातो पर मात्रात्मक प्रतिबन्धो (क्यू आर) के सामान्य निष्कासन का, इस शर्त पर कि आयातो को केवल टैरिफो के माध्यम से नियत्रित किया जा सके, प्रावधान करता है। तथापि इस शर्त के भी कई अपवाद हैं, जिनमे ऐसी स्थिति वाला एक अपवाद महत्वपूर्ण है जहॉ एक देश को अपनी विदेशी वित्तीय स्थिति का सुरक्षोपाय करना होता है। प्रावधानो मे यह भी विचार किया जाता है कि ऐसे प्रतिबन्धो मे उत्तरोत्तर छूट दी जाए ताकि भुगतान सतुलन की स्थितियो मे सुधार हो सके तथा इन प्रतिबधो को तब हटा लिया जाए जबकि स्थितियाँ इसके अस्तित्व को और अधिक न्यायोचित न पाती हो।

भारत 'गैट' के विशेष समर्थकारी प्रावधानो के अन्तर्गत भुगतान सतुलन कारणो से मात्रात्मक प्रतिबन्ध को बनाए रखता आ रहा था। हम वर्ष 1991 जब आर्थिक सुधारो को प्रारम्भ किया गया था, से आयातो पर प्रतिबन्धो को चरणबद्ध रूप से हटाए जाने के लिए एक सतत नीति का पालन कर रहे हैं। टैरिफ क्रमवार आयात नीति की प्रथम घोषणा 31 मार्च, 1996 को की गई थी जिस दिन 10202 की कुल सख्या मे से 6161 टैरिफ क्रम (एचएस–आईटीसी के 10 अकीय स्तर पर) के आयात मुक्त थे। हमारे भुगतान–सतुलन में सुधार के फलस्वरूप, 488

[1] **रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, सर्वेक्षण, op, at P.IX-2.**

टैरिफ क्रमो पर आयात प्रतिबन्धो को वर्ष 1996–97 मे हटा दिया गया, वर्ष 1997–98 मे 391 (8 अकीय स्तर पर), 1998–99 मे 894 तथा 1999–2000 मे 714 टैरिफ क्रमो को हटा दिया गया। भुगतान सतुलन आधार पर आयात प्रतिबधो के हटाने की प्रक्रिया को वर्ष 31 3 2001 को घोषित 'एक्जिम' नीति मे शेष मदो पर प्रतिबधो के हटाने के साथ ही पूरा कर लिया गया है। टैरिफ भिन्न बाधाओ की किस्मो तथा उनको हटाने मे की गई प्रगति के सम्बन्ध मे वर्ष–वार ब्योरा नीचे दिया गया है।

तालिका 6 12

**भारत के आयातो पर टैरिफ–भिन्न बाधाओ की विभिन्न किस्मे**

| टैरिफ भिन्न बाधाओ की किस्म | 1.4.96 | 1 4 97 | 1 4 98 | 1.4 99 | 1.4 2000 | 1 4.2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| निषिद्ध | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| प्रतिबधित | 2984 | 232 | 2314 | 1183 | 968 | 479 |
| सारणी | 127 | 129 | 129 | 37 | 34 | - |
| एस आई एल | 765 | 1043 | 919 | 886 | 226 | - |
| मुक्त | 6161 | 6649 | 6781 | 8055 | 8854 | 9611* |
| **जोड** | 10096 | 10202 | 10202 | 10220 | 10141 | 10149 |

*राज्य व्यापार को अन्तरित 29 टैरिफ क्रम शामिल है।

**स्रोत :** आर्थिक समीक्षा, भारत सरकार, नई दिल्ली।

भारत के आयातो पर टैरिफ भिन्न बाधाओ या मात्रात्मक प्रतिबधो को उत्तरोत्तर उदारीकृत किया गया है। 1 4 96 की स्थिति के अनुसार आयात के लिए मुक्त 62 प्रतिशत टैरिफ क्रमो के स्तर से बिना प्रतिबन्ध वाली टैरिफ क्रमो का हिस्सा 1 4 2001 को लगभग 95 प्रतिशत तक बढ गया हैं। भुगतान सतुलन कवच के अतर्गत विश्व व्यापार सगठन को अधिसूचित टैरिफ क्रमो के प्रतिबन्धो (2714 मदो) को हटाए जाने पर कार्रवाई पूरी हो चुकी है। तथापि, मात्रात्मक प्रतिबन्धो को गैट के अनुच्छेद 20 तथा 21 के अतर्गत स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा नैतिक व्यवहार के आधारो पर अनुमेय टैरिफ क्रमों के 538 मद लगभग 5 प्रतिशत पर अभी तक बनाया रखा जा रहा है।

## आयातो पर मात्रात्मक प्रतिबध हटाने का प्रभाव

सरकार एकपक्षीय रूप से आयातो पर मात्रात्मक प्रतिबध (क्यू0 आर) हटाकर वर्ष 1991 से आयातो का उदारीकरण करती रही है। निर्यात आयात नीति, 2001 ने दिनॉक 1अप्रैल, 2001 से शेष 715 मदो पर भुगतान सतुलन के आधार पर मात्रात्मक प्रतिबधो को विघटित करते हुए इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। इसलिए यह आशकाए व्यक्त की गई हैं कि मात्रात्मक प्रतिबन्धो को इस प्रकार हटाने का परिणाम देश मे आयातो का प्रवाह और जमाव होगा, जिससे

इस प्रकार घरेलू उद्योग प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगे। तथापि ये आशकाए इस अवधि मे आयात की वास्तविक वृद्धि से उत्पन्न नही हुई है। पूरे वित्तीय वर्ष 2000–2001 के लिए उन 714 मदो जिनसे दिनॉक 31–3–2000 से प्रतिबध हटाया गया था, के लिए आयात सबन्धी ऑकडो से ऐसे प्रतिबन्ध हटाए जाने के बाद उनके आयातो मे किसी प्रवाह का पता नही चलता। इन 714 मदो मे से मात्रात्मक प्रतिबन्ध हटाए जाने के पूर्व अथवा उसके बाद 151 मदो के लिए कोई आयात नही किया गया था। केवल 92 मदो ने 5 करोड रुपए से अधिक मूल्य का आयात दर्ज किया। इन आयातो मे हीरे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरो का हिस्सा 35 प्रतिशत था, और अन्य 14 प्रतिशत का योगदान दूरभाष/तार, उपस्कर, औद्योगिक वैक्यूम क्लीनर तथा कैथोड रे पिक्चर ट्यूब, घरेलू औद्योगिक कार्यकलाप के लिए आवश्यक मदो द्वारा किया गया था। यद्यपि तैयार खाद्य पदार्थो के आयात मे कुछ वृद्धि देखी गई थी, फिर भी पेय पदार्थ और तम्बाकू, प्लास्टिक और रबड,चमडा उत्पाद कॉच की बनी सामग्रियॉ, तापसह मृत्तिका उत्पाद और जूते तथा छाते जैसे उत्पाद, उपकरणो और उपस्करो के आयात की सम्पूर्ण मात्रा इन मदो के कुल घरेलू उत्पादन की तुलना मे पर्याप्त नही थी। इसके अतिरिक्त, 300 सवेदी मदो के आयात पर वित्तीय वर्ष 2001–2002 के पहले नौ महीने के दौरान इन सवेदी मदो के कुल आयात मे (डालर के रूप मे) मुख्यत खाद्य तेलो, कपास, और रेशम, मसाले, रबर और सगमरमर तथा ग्रेनाइट के अत्यधिक आयातो के कारण केवल 2 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

7 <u>व्यपार रक्षा आय</u>

भारत के आयातो पर परिमाणात्मक प्रतिबधो के हटाने के साथ, चिताए व्यक्त की जाने लगी कि इन्हे हटाने से घरेलू उत्पादको पर प्रतिकूल प्रभाव पड सकता है तथा इससे देश मे आयातो की वृद्धि तथा डपिग हो सकती है। तथापि घरेलू व्यापारी बनाम आयात के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने तथा सपाट मैदान उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक प्रक्रियाऍ प्रारम्भ की गई हैं। इन मात्रात्मक प्रतिबधो हेतु उच्चतम सीमाशुल्क पर उचित टैरिफ प्रणाली को प्रभावी किया गया है। पूर्ववर्ती वर्षो मे आयातो की मुक्त सूची मे रखे गये कई कृषीय तथा बागवानी उत्पादो को भी हमारे कृषको के पर्याप्त सरक्षण के सुनिश्चय के लिए उच्चतम दर तक लाया गया है। ऐसे उत्पादो के लिए टैरिफ सीमा का महत्वपूर्ण उच्चतर स्तरो पर भी पुन. प्रबध किया गया है। सरकार को अस्थायी सुरक्षोपाय के रूप मे मात्रात्मक प्रतिबध लागू करने के लिए आवश्यक शक्तियों से निहित करने के लिए 1992 के विदेश व्यापार (विकास एव विनियमन) अधिनियम को सशोधित करने का भी निश्चय किया गया है। 31 3 2001 को घोषित एक्जिम नीति घरेलू

उत्पादको के सरक्षण के लिए इसके साथ ही निम्नलिखित उपाय करने की भी व्यवस्था करती है।

1 कृषि उत्पाद जैसे गेहू, चावल, मक्का, अन्य अपरिष्कृत अनाज, गरी तथा नारियल तेल, के आयात को राज्य व्यापार की श्रेणी मे रखा गया है। नामाकित राज्य व्यापार उद्यम केवल वाणिज्यिक विचारणाओ के अनुसार इन वस्तुओ के आयातो का सचालन करेगा। इसी तरह पेट्रोलियम उत्पाद जिनमे पेट्रोल, डीजल तथा विमानन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) शामिल है, को भी राज्य व्यापार की श्रेणी मे रखा गया है। यूरिया का आयात भी राज्य व्यापार के तत्र के माध्यम से किया जाएगा।

2 आयातो को विभिन्न मौजूदा घरेलू विनियम जैसे खाद्य अपमिश्रण अधिनियम तथा इसके अतर्गत नियम, मॉस खाद्य उत्पाद आदेश, चाय अपशेष (नियत्रण आदेश) के अधीन किया गया है और निषिद्ध रजको के प्रयोग से बनी वस्त्र सामग्री का आयात प्रतिबधित कर दिया गया है। सडक सुरक्षा और पर्यावरणीय विचारणाएँ, पुराने तथा नये आटोमोबाइल्स का विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन अनुमति दे दी गई है।

3 यह सुनिश्चित करने के लिए कि कृषीय उत्पाद देश मे अन्य स्थानिक बीमारियो तथा कीटो की अवाछित घुसपैठ को न उत्पन्न करे, यह तय किया गया है। जीव उद्गम के आयात को 'जैव सुरक्षा एव सैनेटरी तथा फाइटो–सैनेटरी परमिट' का विषय बनाया जाय।

4 मासिक आधार पर 300 सवेदी मदो के आयात की निकट देखरेख के लिए एक पूर्व चेतावनी तत्र का गठन।

उपर्युक्त उपायो के अलावा, विश्व व्यापार सगठन ढॉचा सदस्यो को कतिपय शर्तों के अतर्गत अतिरिक्त शुल्क लगाने की भी अनुमति देता है। इनमे सब्सिडी तथा डपिग के प्रति कार्रवाई, सुरक्षा प्रावधानो के अतर्गत सरक्षण आदि शामिल हैं। भारत जो डपिग रोधी जॉच के मायने मे एक अग्रणीय प्रयोक्ता रहा है, में सभी ऐसे प्रावधानो के कार्यान्वयन के लिए सास्थानिक 'सेट अप' मौजूद है। इस तरह, डपिग रोधी एव सबद्ध शुल्क महानिदेशालय ने अपने प्रारम्भ से ही 112 मामले शुरू किये तथा महानिदेशक (सुरक्षा) ने 11 मामलो की जॉच की है। उपलब्ध सरकार घरेलू हित, विशेषत कृषीय तथा लघु क्षेत्र के सरक्षण के लिए सभी उपलब्ध तत्रो का प्रयोग करेगी।

आयात पर आनुभविक ऑंकडे मात्रात्मक प्रतिबध के हटने के बाद आयातो मे किसी वृद्धि का सुझाव नहीं देती। विशेष उत्पादों से जुड़े मामलो, यदि कोई हो, को डपिग रोधी निदेशालय

तथा सुरक्षा निदेशालय द्वारा जरूरी राहत दी गई है। वर्ष 2000–01 के दौरान घरेलू उद्योगो को 24 प्रारम्भिक निष्कर्षों तथा 17 अतिम निष्कर्षों मे अनुशसित डपिग रोधी शुल्को के तरीके से राहत प्रदान की गई। सुरक्षा शुल्क वर्तमान मे तीन उत्पादो (फिनोल, एसिटोन तथा गामा फैरिक आक्साइड) पर प्रवृत्त है।

## 8 11 सितबर, 2001 को हुए आतकवादी हमले का वैश्विक सुधार पर प्रभाव

सयुक्त राज्य अमरीका पर दिनॉक 11 सितबर, 2001 को हुए आतकवादी हमले ने मौजूदा वैश्विक धीमेपन को तीव्र करते हुए विश्व को एक गभीर आर्थिक सकट मे डाल दिया। इस हमले ने विश्व के लगभग सभी मुख्य आर्थिक क्षेत्रो के लिए अल्पावधिक अभिवृद्धि पूर्वानुमानो (वर्ष 2001 और 2002) का अधोगामी सशोधन करने के लिए बाध्य किया। सयुक्त राज्य अमरीका की अर्थव्यवस्था मे निवेश स्तरो से सबधित अनिश्चितताओ और उत्पादकता वृद्धि और व्यय मे उपभोक्ता के विश्वास से सबधित प्रत्यक्ष बोध के रूप मे कई जोखिमो के कारण व्यापारिक वातावरण बहुत खराब हो गया। जापान मे इक्विटी बाजार और कमजोर हो गया। यूरो क्षेत्र मे, घरेलू मॉग तेजी से कम हो गई और उसके साथ प्रौद्योगिक क्षेत्र मे इक्विटी बाजार मे गिरावट आई। अतर्राष्ट्रीय पूॅजी बाजारो ने उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओ, विशेषकर एशिया और लैटिन अमरीका मे गिरावट अधिक गभीर होने के साथ इस आघात के लिए प्रतिकूल दर्शाई है।

सयुक्त राज्य अमरीकी अर्थव्यवस्था के लिए हमले की प्रत्यक्ष लागत का अनुमान 21 4 बिलियन अमरीकी डालर लगाया गया है, जो वार्षिक सकल घरेलू उत्पादन का लगभग 0 25 प्रतिशत है। जबकि 16 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक का सपत्ति (ढॉचा, उपस्कर और साफ्टवेयर) के क्षति के कारण हैं। और शेष विभिन्न बीमा हानियो से सबधित हैं। हमले के परिणामस्वरूप घरेलू संयुक्त राज्य अमरीका बाजार मे निजी खपत मे तीव्र गिरावट हुई। उद्योग जो सबसे अधिक प्रभावित हुए, वे विमान सेवा, बीमा और होटल पर्यटन, ट्रेवल एजेन्सियॉ, रेस्तरा और विमान विनिर्माण जैसे अन्य सेवा उद्योग हैं।

दिनाक 11 सितबर, 2001 के घटनाक्रम का विश्व अर्थव्यवस्था के सुधार पर दीर्घावधिक प्रभाव वैश्विक लेन–देन लागतो और वैश्विक उत्पादन पर उनके प्रभाव मे वृद्धि की सीमा पर करेगा। सुरक्षा और बीमा प्रीमियमो पर अधिक व्यय के कारण व्यापार की वैश्विक प्रचालन लागतों मे तीव्र वृद्धि सकल्पित है। माल सूची सग्रहण में विश्वव्यापी वृद्धि होने की सभावना है और उतनी ही वृद्धि ऋण दाताओ द्वारा अपेक्षित जोखिम प्रीमियम मे होगी। आतकवाद का सामना करने के लिए देश विशिष्ट प्रतिक्रियाओ में नागरिक से सैन्य प्रयोग में ससाधनों का

अत्यधिक पुर्नआबटन देखा जा सकता है। लेन–देन की उच्चतर लागते और सामग्रियो तथा सेवाओ के सीमा पार आवागमन मे बाधा से वैश्विक उत्पादन पर प्रभाव पडना सभावित है।

दिनाक 11 सितबर, 2001 के घटनाओ का उभरते हुए बाजार और विकासशील देशो मे अभिवृद्धि की सभावनाओ पर दूरगामी प्रभाव पडने का पूर्वानुमान है। विदेशी मॉग पर अत्यधिक निर्भर रहने वाले और अत्यधिक विदेशी वित्तपोषण की आवश्यकता वाले देशो के व्यापारिक विश्वास मे कमी और जोखिम प्रीमियम मे वृद्धि से सबसे अधिक प्रभावित होने की सभावना है। निर्यातो के लिए कमजोर वैश्विक मॉग और कम वस्तु मूल्य निम्न आय वाले देशो मे निर्धनता को और प्रबल कर सकते है। सीमा के आर पार शरणार्थियो के प्रवसन मे अवाछनीय वृद्धि, विदेशी निवेशको की बढे हुए जोखिम बोध के कारण निजी पूॅजी प्रवाहो मे तीव्र गिरावट, पर्यटन से कम आय और व्यापारिक लेन–देन की अत्यधिक लागतो के रूप मे विकासशील विश्व के लिए कई अन्य बडी चिताए है। वैश्विक आर्थिक सुधार मे अधोगामी जोखिम मे वृद्धि के साथ उन्नत अर्थव्यवस्थाओ को वैश्विक अभिवृद्धि मे नव जीवन सचार करने मे मुख्य भूमिका निभानी है। जबकि सयुक्त राज्य अमरीका और यूरो क्षेत्र मे उदार मौद्रिक नीतिगत उपाय अपनाये जा चुके हैं वही स्वचालित स्थिरको के लिए अबाधित कार्य करना महत्वपूर्ण है। वर्धित उत्पादकता अभिलाभो के लिए लक्षित दृढप्रतिज्ञ सरचनात्मक सुधार जापान (बैकिग और निगमित क्षेत्रो) और यूरोप (श्रम और उत्पादन बाजार) मे महत्वपूर्ण हैं।

बुनियादी ढॉचो को सुदृढ करने और अधोगामी जोखिमो को दूर करने के लिए अभिप्रेत सुदृढ और सहक्रियात्मक नीतियॉ उभरते हुए बाजारो और विकासशील देशो के लिए अनिवार्य है। विकासशील और निम्न आय वाले देशो मे निर्धनता मे कमी लाने को उच्चतम प्राथमिकता प्राप्त होनी चाहिए। इसके लिए धनी देशो द्वारा ओडीए (समुद्र पारीय विकास सहायता) के वर्धित सवितरण, निर्धन राष्ट्रो के लिए सहायता की लेन देन लागतो को कम करने, निवेश और अभिवृद्धि की दशाए सुधारने, वैश्विक सरकारी सामग्रियो का अधिक प्रावधान सुनिश्चित करने और अतर्राष्ट्रीय व्यापारिक प्रणाली मे निर्धन राष्ट्रो के लिए अधिक अवसर प्राप्त कराने की आवश्यकता होगी।

## निर्यातों की स्थिति पर प्रभाव –

**रिपोर्ट आन करेन्सी फाइनेन्स 1998–99 के अध्ययन के अनुसार वर्ष 1992 से 99 के बीच विदेशी व्यापार की तुलना 1987–88 से 1990–91 के बीच विदेशी व्यापार से की गई है और रिपोर्ट के अनुसार निर्यातों की निम्नलिखित स्थिति स्पष्ट है –**

1 आजादी के पश्चात व्यापक आधार पर विविधीकृत औद्योगिक सरचना के निर्माण के कारण भारत मुख्यतया प्राथमिक वस्तुओ का निर्यातक देश न रह कर विनिर्मित वस्तुओ का निर्यातक देश बन गया है। विनिर्मित वस्तुओ का कुल निर्यात मे हिस्सा वर्ष 1984–85 तक आते–आते दो तिहाई तक पहुँच गया और यह 1991–92 तक 73 6 प्रतिशत बढ कर हो गया। उदारीकरण के पश्चात इन प्रवृत्तियो को और बल इस बात से मिलता है कि जहाँ 1987–91 के मध्य विनिर्मित वस्तुओ का निर्यात आय मे हिस्सा बढ कर औसतन 71 2 प्रतिशत था वही वर्ष 1992 से 99 के मध्य इन वस्तुओ का निर्यात आय मे हिस्सा बढ कर औसतन 75 4 प्रतिशत एव वित्तीय वर्ष 2001–2002 (अप्रैल–अक्टूबर) मे यह बढकर 76 1 प्रतिशत हो गया। इसी दौरान प्राथमिक वस्तुओ का निर्यात आय मे हिस्सा 24 1 प्रतिशत से घटकर 21 8 प्रतिशत रह गया।

2 उदारीकरण के पश्चात कुछ वस्तुओ की निर्यात सरचना मे परिवर्तन हुआ है और कच्चे माल का अधिक निर्यात किया जा रहा हैं। उदाहरणार्थ– लोहा व इस्पात उद्योग मे कच्चे लोहे के निर्यात मे कमी हुई है और प्राथमिक व अर्ध निर्मित इस्पात के निर्यात मे वृद्धि।

3 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1980–89 की अवधि मे भारत के निर्यात ढॉचे मे बहुत सी ऐसी वस्तुओ का हिस्सा काफी अधिक और अन्तर्राष्ट्रीय मॉग मे वृद्धि अत्यधिक कम थी अर्थात विदेशो में माँग एव भारत की निर्यात सरचना मे उचित तालमेल नही था। किन्तु उदारीकरण के पश्चात इस कठिनाई को दूर करने मे काफी सफलता मिली हैं।

4 वर्ष 1980–99 की अवधि के मध्य 6 वस्तुओ को निर्यात प्रदर्शन मे अभूतपूर्व सुधार आया है। (क) काफी (ख) परिष्कृत खाद्य पदार्थ (ग) जूट और विविध परिष्कृत वस्तुऍ (घ) चावल (ड) मसाले (च) कला वस्तुएँ तथा अन्य मदे। जहाँ 1980–89 के मध्य इन 6 मदो के निर्यात आय मे 2 9 प्रतिशत की गिरावट हुई थी वही 1992–99 के मध्य 20 5 प्रतिशत की इसमे वृद्धि दर्ज की गयी। जो वित्तीय वर्ष 2001–2002 (अप्रैल–अक्टूबर) मे भी मसाले (1 5 प्रतिशत की कमी) को छोडकर सभी वस्तुओ के निर्यात हिस्से मे वृद्धि हुई है।

5 आर्थिक उदारीकरण का विदेशी व्यापार के क्षेत्र मे एक खास बात यह रही है कि विनिर्मित वस्तुओ की निर्यात सरचना मे इस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है कि परम्परागत विनिर्मित वस्तुओ के सापेक्षिक हिस्से मे लगातार कमी हो रही है जबकि नये विनिर्मित वस्तुओ के सापेक्षिक हिस्से मे वृद्धि हो रही है। विनिर्मित वस्तुओ के उत्पाद–समूहो को देखने पर यह स्पष्ट होता है कि जिन वस्तुओ की आन्तरिक सरचना मे परिवर्तन हुआ, उनका निर्यात निष्पादन निराशाजनक रहा जबकि जिन उत्पाद समूहो के आन्तरिक सरचना मे परिवर्तन हुए उनका निर्यात निष्पादन अपेक्षाकृत बेहतर रहा।

6 इजीनियरिंग वस्तुओ की निर्यात सरचना मे 1980 से 1999 के अवधियो मे मशीनरी व उपकरणो का हिस्सा 30 6 प्रतिशत से कम होकर 21 7 प्रतिशत रह गया। जबकि प्राथमिक व अर्धनिर्मित लोहे व इस्पात का हिस्सा 2 9 प्रतिशत से बढकर 11 9 प्रतिशत हो गया। रसायन व सम्बद्ध उत्पाद समूह मे मूलभूत रसायनो, दवाइयॉ व प्रसाधन सामग्री का हिस्सा कम हुआ, जबकि प्लास्टिक व लिनोलियम के हिस्से मे वृद्धि आई है। वस्त्र उत्पाद समूह मे मानव निर्मित सूत, ततु व वस्त्रो के हिस्से मे बढोत्तरी हुई है, जबकि जूट, टेक्सटाइल के हिस्से मे कमी हुई, जो वित्तीय वर्ष 2001–2002 मे भी जारी रही, और कपास के निर्यात हिस्से मे 90 6 प्रतिशत की रिकार्ड कमी दर्ज की गई।

7 वर्ष 1993 से 1996 के मध्य देश के विनिर्मित निर्यातो का प्रदर्शन उत्साह वर्धक रहा। परिणामत कुछ रसायन व सम्बद्ध उत्पादो तथा वस्त्र मदो को छोडकर सभी मुख्य विनिर्मित निर्यात वस्तुओ का प्रदर्शन इस अवधि मे 1980–89 की अवधि की तुलना मे बहुत बेहतर रहा। हलाकि 1996 के पश्चात विनिर्मित वस्तुओ के निर्यात मे वृद्धि रुक गयी है और सरचनात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया मे भी रुकावट आ गयी है। फिर भी कुल निर्यात आय मे कुछ विनिर्मित उत्पादो के हिस्से मे वर्ष 1992–2002 के अवधि मे उदारीकरण के पूर्व की अवधियो की तुलना मे, काफी वृद्धि हुई है। वही इसी अवधि मे चमडा व चमडे से निर्मित उत्पादो तथा जवाहरात व आभूषणो के हिस्से मे गिरावट आयी है वर्ष 2001–2002 के वित्तीय वर्ष मे इनमे क्रमश 1 8 प्रतिशत व 12 6 प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी।

8 कृषि व सम्बद्ध पदार्थो की निर्यात सरचना की दृष्टिकोण से कृषि मे गिरता हुआ सार्वजनिक निवेश चिता का विषय बना हुआ है क्योकि यह सिचाई, विद्युत, कृषि अनुसधान, सडक, बाजार और सचार जैसे आधारभूत ढॉचे के विकास के लिए निर्णायक है। कृषि मे निवेश वर्ष 1993–1994 मे सकल घरेलू उत्पाद के 1 6 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 1989–99 मे 1 3 प्रतिशत हो गया यह गिरावट कृषि मे सार्वजनिक निवेश के वर्ष 1993–94 मे 4467 करोड रुपये से वर्ष 1989–99 मे 3869 करोड रुपये होने के कारण हुई थी। वास्तव मे कृषि मे वर्ष 1994–95 से वर्ष 1989–99 तक सार्वजनिक निवेश में निरन्तर गिरावट होती रही है। तथापि, सरकारी निवेश मे गिरावट वर्ष 1999–2000 मे रुक गयी। जब सरकारी क्षेत्र का पूँजी निर्माण पिछले वर्ष मे 3869 करोड रुपए के स्तर से बढकर 4122 करोड रुपये हो गया पिछले वर्ष के 1 3 प्रतिशत के स्तर से स घ उ मे कृषि मे निवेश के हिस्से मे कोई सुधार नही हुआ है। यह हमारी नीतियों की समीक्षा की मॉंग करता है जिससे उत्पादक परिसम्पत्तियो के सृजन से इतर

उर्वरको, ग्रामीण बिजली सिचाई उधार एव अन्य कृषि निविष्टियो के लिए सब्सिडियो के रूप मे न्यूनता वाले ससाधनो का भी विपथन हुआ है।

9 यद्यपि आर्थिक मन्दी व अन्य कारणो से वित्तीय वर्ष 2001–02 मे हमारे निर्यातो मे न के बराबर वृद्धि हुई है फिर भी साफ्टवेयर निर्यात मे लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

## कृषि उत्पादो का निर्यात –

कृषि निर्यात देश के कुल वार्षिक निर्यातो का लगभग 13 से 18 प्रतिशत भाग है। वर्ष 2000–01 मे देश से 6 बिलियन अमेरिकी डालर से अधिक मूल्य के कृषि उत्पादो का निर्यात किया गया, जिनमे 23 प्रतिशत हिस्सा समुद्री उत्पादो का था। हाल के वर्षो मे समुद्री उत्पाद देश से किये जाने वाले कृषि उत्पादो के एकल सबसे बडे सघटक के रूप मे सामने आए है, जिनका कुल कृषि निर्यातो मे पॉचवे से अधिक हिस्सा है। अनाज (अधिकाशतया बासमती तथा गैर बासमती चावल), खली, चाय, काफी, काजू एव मसाले अन्य महत्वपूर्ण उत्पाद है, जिसमे प्रत्येक का देश के कुल कृषि निर्यातो मे लगभग 5 से 10 प्रतिशत हिस्सा है। मॉस एव मॉस उत्पाद, फलो एव सब्जियो तथा प्रसस्कृत फलो एव सब्जियो के निर्यात मे महत्वपूर्ण वृद्धि देखने मे आयी है, लेकिन वर्तमान मे वे प्रमुख विदेशी मुद्रा अर्जक नही है।

हाल के वर्षो मे भारत के कृषि निर्यातो मे ठहराव के आशिक कारण चावल, गेहूँ, खली, चाय, काफी आदि जैसे उत्पादो के लिए विकृत घरेलू मूल्य हो सकते है। निर्यात आधारभूत ढॉचे मे कृषि उत्पाद–विशिष्ट कमजोरियो जैसे भण्डारण, पत्तन प्रहस्तन सुविधाए, भारी पैमाने पर प्रसस्करण प्रौद्योगिकी की कमी और निर्यात कोटा प्रतिबन्ध भारतीय पूर्ति स्रोतो को अविश्वसनीय बना देती है, और भारतीय कृषि निर्यातो की पूर्ण क्षमता की दोहन मे रुकावट पैदा करती है।

अध्ययन मे सरलता के दृष्टिकोण से भारत के कृषि निर्यातो को हम सारणी द्वारा निम्न प्रकार से दिखा सकते हैं–

**तालिका 6.13**

**भारत के प्रमुख कृषि उत्पादो का निर्यात**

(मिलियन अमेरीकी डालर में)

| वस्तु | 1998-99 | | 1999-2000 | | 2000-2001 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | मूल्य | कुल कृषि निर्यात का % | मूल्य | कुल कृषि निर्यात का% | मूल्य | कुल कृषि निर्यात का% |
| चाय | 538 | 8 9 | 412 | 7 3 | 433 | 7 2 |
| काफी | 411 | 6 8 | 331 | 5.9 | 259 | 4 3 |
| मोटे अनाज | 1495 | 248 | 724 | 12 9 | 744 | 12.4 |
| तम्बाकू | 181 | 3 0 | 233 | 4 2 | 191 | 3 2 |

| मसाले | 388 | 6 4 | 408 | 7 3 | 354 | 5 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| काजू | 387 | 6 4 | 567 | 10 1 | 411 | 6 8 |
| कुसुम और तिल के बीज | 78 | 1 3 | 86 | 1 5 | 131 | 2 2 |
| गुआरगम खली | 173 | 2 9 | 188 | 3 4 | 132 | 2 2 |
| खली | 462 | 7 7 | 378 | 6 7 | 448 | 7 5 |
| फल और सब्जियॉ | 184 | 3 0 | 209 | 3 7 | 248 | 4 1 |
| ससाधित फल और सब्जियॉ | 69 | 1 1 | 86 | 1 5 | 122 | 2 0 |
| मॉस और मॉस निर्मितियॉ | 187 | 3 1 | 189 | 3 4 | 322 | 5 4 |
| समुद्री उत्पाद | 1038 | 17 2 | 1183 | 21 1 | 1394 | 23 2 |
| अन्य | 446 | 7 4 | 614 | 11 0 | 815 | 13 6 |
| **कृषि निर्यात** | **6037** | **100 0** | **5608** | **100 0** | **6004** | **100 0** |
| कुल निर्यात की तुलना मे कृषि निर्यात का प्रतिशत | 18 2 | - | 15 2 | - | 13 5 | - |
| **कुल निर्यात** | **33218** | - | **36822** | - | **44560** | |

भारतीय कृषि निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता के सन्दर्भ मे हम सक्षेप मे निम्न बिन्दुओ द्वारा व्यक्त कर सकते है।

1 कृषि मे विश्व व्यापार के उदारीकरण से अभिवृद्धि के नए परिदृश्य खुले है। भारत मे निविष्टियो मे लगभग आत्मनिर्भरता, तुलनात्मक रूप से निम्न श्रम लागत और विविधतापूर्ण कृषि–जलवायु परिस्थितियो के कारण कृषि निर्याती हेतु अनेक वस्तुओ मे प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है। इन्ही कारको ने समुद्री उत्पादो, अनाजो, काजू, चाय, काफी, मसाले, खली, फलो व सब्जियो, अरडी और तम्बाकू जैसे अनेक कृषि उत्पादो के निर्यात मे सक्षम बनाया है। बासमती चावल जैसी खास वस्तुओ के लिए प्रतियोगिता के बावजूद भारत की अच्छी बाजार पहुँच है। देश के कुल निर्यात मे कृषि निर्यात का लगभग 18 से 14 प्रतिशत का बड़ा हिस्सा है।

2 देश मे कुल आयात मे कृषि आयात लगभग 5 से 6 प्रतिशत है। केवल खाद्य तेल, कपास, दाले, और लकडी से बने उत्पाद जैसी कुछेक वस्तुए आयातित की जाती हैं।

3 कृषि पर विश्व व्यापार सगठन के करार के अनुसार आयातो पर मात्रात्मक प्रतिबध हटने के पश्चात अतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी स्तरो के अनुसार उत्पादकता का स्तर और गुणवत्ता मानको को बढाना महत्त्वपूर्ण चुनौतियो मे से एक है। अनेक वस्तुओ के लिए हमारी राष्ट्रीय उत्पादकता विश्व औसत से कम है।

4 देश के भीतर, उत्पादकता स्तरो मे व्यापक अतर है। पजाब, हरियाणा, आन्ध्र प्रदेश ने विश्व स्तर के उत्पादकता स्तर को प्राप्त कर लिया लगता है। परन्तु अन्य क्षेत्र बहुत पीछे है।

इसलिए प्रतिस्पर्धात्मकता का मुद्दा खासकर एक क्षेत्र के लिए ही है। कृषि आर्थिक, जलवायु और पर्यावरणीय स्थितियो को ध्यान मे रखते हुए क्षेत्रीय विभेदक रणनीति अपनाने की आवश्यकता है, ताकि हर क्षेत्र मे उत्पादन की पूरी क्षमता प्राप्त की जा सके। तुलनात्मक लाभ अपने आप मे सबद्ध सकल्पना है और यह अतर्राष्ट्रीय बाजार मे तुलनात्मक परिवर्तनो पर निर्भर करती है। अतर्राष्ट्रीय बाजार मे भारत द्वारा सामना की जा रही एक मुख्य समस्या घरेलू समर्थन का उच्चतर स्तर और कृषि निर्यातो हेतु विकसित देशो द्वारा की जा रही निर्यात सब्सिडियॉ हैं।

5 अतएव भारतीय कृषि को प्रतिस्पर्धी बनाने और इसकी कार्यक्षमता बढाने के लिए ठोस रणनीतियॉ बनाना महत्वपूर्ण है। इस प्रयोजनार्थ, एक तरफ तो हमे विकसित देशो द्वारा कृषि को दिए जाने वाले समर्थन मे भारी कटौती मॉगनी चाहिए और दूसरी तरफ अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने व सुधारने के लिए भारतीय कृषि को सहायता की आवश्यकता होगी।

## फूलो का विदेशी व्यापार –

फूलो की तिजारत मे हिन्दुस्तान की हिस्सेदारी महज आधे से पौने एक प्रतिशत तक ही सीमित है, इसके बावजूद भारत मे फूलो के कारोबार का भविष्य बहुत अच्छा है। इस आशावाद के दो कारण हैं पहला तो यह कि हिन्दुस्तान मे फूलो की हजारो–हजार किस्मे हैं जो न केवल सुगन्ध से भरपूर हैं अपितु सोख सौन्दर्य मे भी उनका किसी से मुकाबला नही हैं। भारत मे फूलो की खेती का भविष्य जिस दूसरी वजह से उज्वल है, वह वजह है इनके उत्पादन मे आने वाली लागत। हिन्दुस्तान का श्रम दुनिया के सबसे सस्ते श्रमो मे से है। वैसे जहॉ तक सस्ते श्रम की बात है तो वह तो पाकिस्तान और बाग्लादेश मे भी है। कई अफ्रीकी देशो मे भी श्रम बहुत सस्ता है। लेकिन उन देशो मे भारत की तरह फूलो के विविधतापूर्ण अनुकूल जलवायु और उर्वर कृषि भूमि नही है। जबकि भारत मे ये दोनो ही सुविधाऍ मौजूद हैं।[1]

कुल मिलाकर दुनिया मे बढते फूलो के कारोबार मे भारत की बेहतरी का भविष्य सुरक्षित है। इसका अनुमान हम मौजूदा कारोबार मे लगातार हो रही बढोत्तरी से भी लगा सकते हैं। इन्फार्मेशन टेक्नोलाजी के बाद फूलो का निर्यात ही वह दूसरा क्षेत्र है, जिसमे हम 20 से 28 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर हासिल कर रहे हैं। हालाकि भूमडलीय मदी के चलते सन् 2000–01 मे आई टी सेक्टर मे भारत की निर्यात दर घटी है। और आई टी मैन पावर की निर्यात के बजाय कई देशो से उनकी उल्टे भारत वापसी हो रही है। लेकिन फूलो के कारोबार मे ऐसा कोई नकारात्मक चिन्ह अभी तक देखने को नही मिला। 1996–97 मे भारत का फूल

---

1 हिन्दुस्तान, दैनिक समाचार पत्र, लखनऊ, 17 फरवरी, 2002

निर्यात कारोबार जहॉ महज 20 से 25 करोड रुपये तक ही सीमित था वही सन् 2000–01 तक यह बढकर 150 करोड रुपये से ऊपर पहुँच गया था। जबकि वित्तीय वर्ष 2001–2002 मे इस निर्यात कारोबार के 225 करोड रुपये से भी ऊपर पहुँचने की उम्मीद है।

लेकिन जब फूलो के कारोबार की बात होती है तो उसका मतलब सिर्फ निर्यात भर नही होता। फूलो के आन्तरिक यानी देश के भीतर के कारोबार का पहलू भी इसमे शामिल होता है। अगर देश के भीतर की फूलो की कारोबारी गतिविधियो पर बात करे तो आश्चर्यजनक ढग से यह बाहरी निर्यात बाजार से भी बेहतर है। फूलो के निर्यात मे जिस तेजी से भारत अपनी जगह बना रहा है उससे भी कही ज्यादा तेजी से भारत मे आन्तरिक फूल बाजार विकसित हो रहा है। भूमण्डलीकरण के चलते रहन–सहन और खानपान की सस्कृति मे आये बदलावो के कारण भारतीय उच्च वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग के जीवन मे फूलो के महत्व और इनकी सौम्य हिस्सेदारी लगातार बढती जा रही है। यह विदेशी टीवी प्रसारणो का ही असर है कि शहरी उच्च वर्ग मे ताजे फूलो के प्रति लगाव तेजी से बढ रहा है। ताजे फूलो के प्रति ही नही इन प्रसारणो की बदौलत शहरी उच्च और उच्च मध्यम वर्ग मे विदेशी परफ्यूम और डिजाइनर वियर की भी लोकप्रियता बढ रही है।

भारतीय महानगरो मे चमचमाती 'फ्लोरिस्टो' की दुकाने पिछले एक दशक मे ही उगी हैं। यही कारण है कि आज भारत मे फूलो की प्रतिवर्ष जो खपत है उसमे 70 से 75 प्रतिशत तक शहरो मे ही है। देश के अन्दर फूलो का सालाना कारोबार कोई 600 से 650 करोड रुपये का है जो कि हमारे समूचे निर्यात के चार गुने से भी ज्यादा है। फूलो के निर्यात और आन्तरिक खपत दोनो मे तेजी से वृद्धि हो रही है। यही कारण है कि फूलो की उपज का रकबा भी तेजी से बढ रहा है। चार साल पहले तक देश मे 60,000 हेक्टेयर के आसपास फूलो की उपज का रकबा था जो आज बढकर 80,000 हेक्टेयर के आसपास तक पहुँच गया है। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि फूलो की उपज के लिए रकबे मे वृद्धि सबसे ज्यादा देश के बड़े महानगरो के आसपास हो रही है। उदाहरण के लिए दिल्ली के आसपास हरियाणा, उत्तर प्रदेश और खुद दिल्ली के गॉवो मे पिछले कुछ सालो के भीतर फूलो की खेती का चलन बढा है। यही हाल बगलौर, पुणे, चेन्नई और मुम्बई जैसे शहरो का है। जहॉ तक राज्यवार फूलो की खेती का सवाल है तो फूलो की खेती सबसे ज्यादा कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बगाल, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा व पजाब मे होती है। इनमे महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु फूलो की खेती के लिए पारम्परिक रूप से प्रसिद्ध राज्य हैं। जबकि हरियाणा, पजाब व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके मे फूलो की खेती का नया चलन है। इसलिए इन नए

फूल उत्पादक क्षेत्रो मे फूलो की खेती ज्यादा व्यवस्थित और वैज्ञानिक नजरिये से की जाती है। इसलिये यहॉ ज्यादातर विदेशी और बढिया नस्ल के फूलो खासकर गुलाब के फूलो की खेती होती है। पजाब और हरियाणा मे होने वाली फूलो की खेती शत प्रतिशत निर्यात आधारित उपक्रमो के लिए की जाती है। यही कारण है कि देश मे इस समय मौजूद 100 से ज्यादा ग्रीन हाउस प्लान्ट मे 72 प्लान्ट इन्ही दो प्रदेशो मे स्थित है।

फूलो की बडे पैमाने पर खेती करने के बावजूद अगर भारत की विश्व फूल कारोबार मे 05 प्रतिशत से 075 फीसदी की ही भागेदारी है तो इसका सबसे बडा कारण फूलो के व्यावसायिक कारोबार के लिए इन्ही मूलभूत सुविधाओ और व्यावसायिक कुशलताओ का अभाव है। अगर भारत सिर्फ पैकेजिग की बढिया व्यवस्था और फूलो को देर तक तरोताजा बनाये रखने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था कर ले तो विश्व फूल कारोबार मे 3 से 5 फीसदी तक की हिस्सेदारी हो सकती है। लेकिन कुशलता पूर्वक सहेजने के अभाव मे भारत को हर साल करोडो डालर का नुकसान उठाना पडता है।

आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाए जाते समय ऐसी आशा की जा रही थी कि उदारीकरण की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप आर्थिक साधनो का घरेलू क्षेत्र से निर्यात क्षेत्रो की ओर अतरण होगा, जिससे निर्यातो का विस्तार होगा। परन्तु बढी हुई निर्यात आय की कृषि व सम्बद्ध क्षेत्रो के निर्यातो मे वृद्धि पर निर्भरता यह सदेश पैदा करती है, कि क्या निर्यात आय मे विस्तार काफी मात्रा मे है तथा क्या यह विस्तार भविष्य मे भी जारी रह सकेगा अथवा नही। यदि हम इस बात का ध्यान रखे कि विस्तार या सवृद्धि उन प्राथमिक वस्तुओ के निर्यात मे हुई है जिनकी विश्व मॉंग के गिरावट की प्रवृत्ति है। एक और अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि कृषि व सबद्ध क्षेत्रो को निर्यातों मे तेज वृद्धि का घरेलू आपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सरकार की यह आशा कि उदारीकरण के परिणामस्वरूप हमारे विनिर्मित वस्तुओ की विश्व बाजार मे प्रतिस्पर्धा करने की शक्ति बढेगी, पूरी नहीं हो पायी है।

## आयातों की स्थिति पर प्रभाव :–

व्यापार नीति पर उदारीकरण का आयातो के सन्दर्भ मे विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। जहॉ अस्सी के दशक मे आयातो की सरचना परिवर्तन के सूचकाक मे 27 प्रतिशत तक की कमी हुई थी। 1991 के बाद से आयात सरचना मे कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नही हुए। यह बात निश्चय ही चौंकान वाली है क्योकि उदारीकरण की नीति को लागू करते समय यह आशा की जा रही थी कि इसके लागू होने के पश्चात भारत के आयात नीति ढॉचे मे परिवर्तन होने से आयात सरचना मे महत्वपूर्ण परिवर्तन होगे। मेहता के अनुसार इसका एक मुख्य कारण यह हो सकता है कि

उदारीकरण की अवधि के दौरान विभिन्न वस्तुओ की सीमा शुल्क दरो के विश्लेषण या विस्तार मे कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नही हुआ है। फिर भी कुछ परिवर्तन हुए है उन परिवर्तनो की चर्चा Report on Currency and Finance, 1998–99 मे इस प्रकार की गई है –

1 तेल की कीमतो व आयात व्ययो मे उतार चढाव के कारण वर्ष 1988–91 के दौरान पेट्रोलियम तेल व लुब्रिकेन्ट पर आयात व्यय की औसत व्यय की औसत वार्षिक सवृद्धि दर 27 2 प्रतिशत थी। जबकि कुल अयात व्यय की औसत वार्षिक सवृद्धि दर 12 0 प्रतिशत थी। 1992–93 से 1998–99 के मध्य इस मद पर अयात व्यय मे सवृद्धि दर अधिकतम वर्ष 1996–97 मे 33 4 प्रतिशत और सबसे कम 1998–99 मे –21 2 प्रतिशत रही। जबकि वर्ष 1992–93 से 1998–99 के दौरान 7,134 मिलियन डालर वार्षिक का आयात हुआ। जो वर्ष 1987 से 1991 के दौरान इस मद पर होने वाले औसतन वार्षिक आयात व्यय 3,981 मिलियन डालर की तुलना मे 79 2 प्रतिशत अधिक था। फलत पेट्रोलियम तेल व लुब्रिकेट का कुल आयात मे हिस्सा 1987–91 मे 19 4 प्रतिशत से बढकर 1992–93 मे 22 5 प्रतिशत हो गया। व वित्तीय वर्ष 2001–2002 (अप्रैल–अक्टूबर) मे 29 3 प्रतिशत हो गया जो पिछले वित्तीय वर्ष 2000–01 से 9 7 प्रतिशत कम है।

2 विगत वर्षो मे उदारीकरण की नीति के परिणाम स्वरूप सोने–चॉदी के आयात मे वृद्धि हुई है। 1991 मे स्वर्ण नियत्रण आदेश को निरस्त करने के बाद सोने के आयातो के उदारीकरण की दिशा मे कई कदम उठाये गये। उदाहरणार्थ जनवरी 1997 मे लौट रहे अनिवासी भारतीयो को दस किलोग्राम तक सोना लाने की अनुमति प्रदान की गयी है विशेष आयात लाइसेन्स के जरिये भी सोने का आयात किया जा सकता है। इसके अलावा अक्टूबर 1997 से कुछ अधिकृत फर्मों को खुले सामान लाइसेन्स के अधीन सोना आयात करने की अनुमति दी गयी है ताकि जौहरियो और घरेलू उपभोक्ताओ की आवश्यकताओ की पूर्ति की जा सके।

3 अन्तर्राष्ट्रीय बाजारो मे कीमतो के उतार चढाव व आयात व्यय बढने के कारण विनिर्मित उर्वरको पर भी वर्ष 1987–91 की अपेक्षा 1992–99 मे औसत आयात व्यय 77 7 प्रतिशत अधिक हो गया था जबकि इस मद पर वार्षिक आयात सवृद्धि दर 1992–99 मे मात्र 9 5 प्रतिशत थी किन्तु 1987–91 मे यह दर 79 5 प्रतिशत थी। वित्तीय वर्ष 2000–01 व 2001–02 (अप्रैल–अक्टूबर) के दौरान क्रमश 46 1 प्रतिशत व 14 4 प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी है।

4. आर्थिक उदारीकरण के पश्चात भारत के कुल औसत वार्षिक आयात (सोना–चॉंदी के आयात के अतिरिक्त) वर्ष 1992–99 के मध्य 31,692 मिलियन डालर था जो वर्ष 1987–91 के

मध्य होने वाले वार्षिक आयातो की तुलना मे 54 7 प्रतिशत अधिक था। इन दोनो अवधियो के मध्य औद्योगिक आवश्यकताओ के लिए आयातित मदो मे 46 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि अन्य वस्तुओ (अन्तिम उपभोग वस्तुएँ) के आयातो मे 71 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

5 आयात व्यय मे वृद्धि उपभोग वस्तुओ के सन्दर्भ मे अपेक्षाकृत कम (27 3 प्रतिशत) रही और कुल आयात मे इनका हिस्सा जो 1987 से 1991 के मध्य 4 3 प्रतिशत था 1992 से 1999 के मध्य कम होकर 3 6 प्रतिशत रह गया किन्तु इसी वर्ग मे खाद्य तेलो के आयात मे 55 9 प्रतिशत और चीनी के आयात मे 296 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

6 वर्ष 2000—01 मे देश का कृषि आयात केवल 1 8 बिलियन अमरीकी डालर था, जो देश से होने वाले 6 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक के कृषि निर्यात से बहुत कम था। हाल के वर्षों मे खाद्य तेल जिसका हिस्सा कुल कृषि आयातो के मूल्य का लगभग 60 से 70 प्रतिशत है, कृषि आयातो की एक मात्र सबसे बडी मद हो गयी है। कच्चे काजू, गिरी (स0रा0अ0 से अखरोट) और दाले प्रमुख कृषि आयातो मे शामिल है जिनमे से प्रत्येक का हिस्सा हाल के वर्षों मे कुल कृषि आयातो का लगभग 5 से 10 प्रतिशत है। चीनी और मोटे अनाज जिनमे से प्रत्येक का हिस्सा भी हाल के वर्षों मे देश की कृषि आयातो का 5 से 10 प्रतिशत है, ने वर्ष 2000—01 में मूल्य और हिस्से दोनो के रूप मे पर्याप्त गिरावट दर्ज की है। वर्ष 2000—01 मे कृषि निर्यातो का कुल हिस्सा देश का छोटा भाग अर्थात 3 7 प्रतिशत ही है। हाल के वर्षो मे देश के कुल आयातो मे कृषि आयातो का हिस्सा 5 से 6 प्रतिशत के आस पास बना रहा।

7 कुछ क्षेत्रो मे इन चिताओ के विपरीत कि कृषि उत्पादो पर मात्रात्मक प्रतिबन्ध हटाने के परिणाम स्वरूप आयातो को उदारीकरण से भारतीय किसानो को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हुए कृषि आयातो मे वृद्धि होगी, कुल रूप मे कृषि आयातो का मूल्य वर्ष 1998—99 और 1999—2000 मे क्रमश 2 9 बिलियन अमरीकी डालर और 2 8 बिलियन अमरीकी डालर से घटकर वर्ष 2000—01 मे 1 8 बिलियन अमरीकी डालर हो गया है। भारत के पास कृषि उत्पादो के लिए विश्व व्यापार सगठन के अधीन टैरिफ, जो सरक्षण का उचित स्तर प्रदान करते है, लगाकर सस्ते कृषि आयातो से भारतीय बाजार को भर देने से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त लचीलापन है। सरकार ने वास्तव मे चाय, काफी, दालो और खाद्य तेलो जैसे कई कृषि उत्पादो के लिए पिछले बजट (2001—2002) मे आयात टैरिफ मे वृद्धि की है। आयातो की वृद्धि का सामना करने के लिए सुरक्षा प्रावधानो के अधीन कार्य करने का विकल्प होने के अतिरिक्त निर्यातकर्ता देशो द्वारा कृषि उत्पादो को दी जा रही कार्य योग्य आर्थिक सहायता का प्रतिरोध

करने के लिए प्रतिकारी शुल्क भी लगाया जा सकता है। अध्ययन मे सरलता की दृष्टि से हम कृषि मे भारतीय आयातो को निम्न सारणी द्वारा व्यक्त कर सकते है।

तालिका 6 14

**कृषि आयात**

(मिलियन अमरीकी डालर)

| वस्तु | 1998–1999 | | 1999–2000 | | 2000–2001 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | मूल्य | कुल कृषि आयात का % | मूल्य | कुल कृषि आयात का % | मूल्य | कुल कृषि आयात का % |
| मोटे अनाज | 288 | 9 9 | 222 | 7 8 | 19 | 1 0 |
| दाले | 169 | 5 8 | 82 | 2 9 | 109 | 5 9 |
| दूध और मक्खन | 3 | 0 1 | 25 | 0 9 | 2 | 0 1 |
| काजू गिरी | 230 | 7 9 | 276 | 9 7 | 211 | 11 3 |
| बादाम और फल | 159 | 5 5 | 136 | 4 8 | 175 | 9 4 |
| चीनी | 264 | 9 0 | 256 | 9 0 | 7 | 0 4 |
| तिलहन | 2 | 0 1 | 4 | 0 1 | 2 | 0 1 |
| वनस्पति तेल | 1,804 | 61 8 | 1,857 | 65 0 | 1 334 | 71 8 |
| **कुल कृषि आयात** | 2,919 | 100 00 | 2,858 | 100 00 | 1,858 | 100 00 |
| कुल आयात मे कृषि आयात का प्रतिशित | 6 9 | – | 5 8 | – | 3 7 | – |
| **देश का कुल आयात** | 42,389 | – | 49,671 | – | 50,536 | – |

8 पूँजीगत वस्तुओ के आयातो मे 56 9 प्रतिशत की तेज वृद्धि हुई जबकि कच्चे माल और मध्यवर्ती वस्तुओ के आयातो मे 39 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जहाँ तक पूँजीगत वस्तु समूह का सम्बन्ध है, उन पूँजीगत वस्तुओ के आयातो मे अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हुई जिनका उपभोग धातुओ, मशीन टूल्स व बिजली की मशीनरी (इलेक्ट्रानिक व कम्प्यूटर सहित) के उत्पादन मे किया जाता है, और उन पूँजीगत वस्तुओ के आयातो मे अपेक्षाकृत कम वृद्धि हुई जिनका उपयोग गैर बिजली मशीनरी और परिवहन उपकरणो के उत्पादन मे किया जाता है। यद्यपि कच्चे माल व मध्यवर्ती वस्तुओ के कुल आयातो मे वृद्धि अपेक्षाकृत कम रही। तथापि निर्यात गतिविधियो से जुडी हुई आयात वस्तुओ तथा रसायनो के आयातो मे तेजी से वृद्धि हुई।

रिपोर्ट आन करेन्सी एण्ड फाइनेन्स 1998–99 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के आयातो की सरचना मे उपरोक्त परिवर्तनो के लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हैं –

1 अन्तर्राष्ट्रीय कीमतो मे होने वाले परिवर्तन।

2. व्यापार नीति मे परिवर्तन।

3 घरेलू मॉग।

उदाहरणार्थ– पेट्रोलियम तेल व लुब्रिकेन्ट्स पर आयात व्यय में उतार–चढाव का मुख्य कारण अन्तर्राष्ट्रीय कीमतो मे परिवर्तन थे। इसी प्रकार विनिर्मित वस्तुओ की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतो

मे हाल के वर्षों मे काफी कमी हुई, जिससे उन पर आयात व्यय मे वृद्धि अपेक्षाकृत कम रही। वही दूसरी तरफ सोने–चॉदी, खाद्य तेलो और उर्वरको के आयातो मे वृद्धि के लिए मुख्य उत्तरदायी कारक सरकार की व्यापार नीति रही। इसी प्रकार, पूॅजीगत वस्तुओ पर आयात प्रतिबन्धो मे कमी के कारण 1992 से 2001 मे इन पर आयात व्यय काफी बढ गया। जहॉ तक तीसरे कारक घरेलू मॉग पैटर्न का सम्बन्ध है भारत मे औद्योगिक सवृद्धि और आयातो मे स्पष्ट सम्बन्ध दिखाई देता है। वस्तुत भारत के आयातो का एक बडा हिस्सा औद्योगिक सेक्टर की आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए है।

जहॉ आयातो मे उदारवादी नीति की आयात गहनता पर प्रभाव इस प्रकार पूरी तरह सिद्ध हो जाता है, वहॉ इस नीति का निर्यातो पर क्या प्रभाव पडा, यह बता पाना बहुत कठिन है इसका मुख्य कारण यह है कि निर्यात सवर्द्धन मे बहुत से कारको का योगदान होता है। और आयात उदारता उनमे से केवल एक है। किन्तु दीपक नैयर के अध्ययन के अनुसार जहॉ एक ओर भारतीय निर्यातो की औसत आयात गहनता 1977–78 मे 13 7 प्रतिशत से बढकर 1984–85 मे 23 5 प्रतिशत हो गई, वही दूसरी ओर निर्यात आय मे औसत वृद्धि इस अवधि मे मात्र 11 प्रतिशत वार्षिक रही। जहॉ 1970–71 से 1977–78 के मध्य निर्यातो की मात्रा 58 प्रतिशत तथा इकाई मूल्य मे 122 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, वही 1977–78 से 1984–85 के बीच निर्यातो की मात्रा मे केवल 30 प्रतिशत की इकाई मूल्य मे 68 प्रतिशत की बढोत्तरी हुई। इस प्रकार उदारवाद के शुरुआत मे आयातो मे उदारवादी प्रवृत्तियो का निर्यात सम्वर्द्धन प्रयासो पर कोई अनुकूल प्रभाव नही पडा इसके प्रतिकूल ज्यो–ज्यो निर्यातो की आयात गहनता बढती गई, विदेशी मुद्रा की शुद्ध आय कम होती गयी।

आर0जी0 नाम्बियर, बी0एल0 मुगेकर तथा जी0ए0 टाइस के नवीनतम प्रकाशित अध्ययन से ज्ञात होता है कि 1978–79 मे लेकर 1989–90 के मध्य भारत मे विनिर्मित वस्तुओ के निर्यातो मे लगभग 50 प्रतिशत मध्यवर्ती व पूॅजी वस्तुए हैं। वर्ष 1991–92 के बाद से विनिर्मित निर्यात वस्तुओ का हिस्सा काफी बढ गया। वर्ष 1989–90 मे यह हिस्सा 50 6 प्रतिशत था जो 1996–97 तक बढकर 72 5 प्रतिशत हो गया। वही दूसरी ओर कुल विनिर्मित निर्यातो मे मध्यवर्ती वस्तुओ का हिस्सा 1989–90 में 38 5 प्रतिशत से कम होकर 1996–97 से 12 6 प्रतिशत रह गया। जहॉ तक आयातो का सबन्ध है पूॅजीगत वस्तुओं के हिस्से मे लगातार वृद्धि हुई है। विनिर्मित आयात वस्तुओ मे पूॅजीगत वस्तुओ का हिस्सा 1978–79 में 36.6 प्रतिशत से बढकर 1996–97 मे 62 प्रतिशत तक पहुँच गया। इन लेखको के मतानुसार आयात उदारीकरण का बुरा असर उपभोक्ता वस्तु उद्योग पर कम तथा मध्यवर्ती एव पूॅजीगत वस्तु उद्योगो पर

अधिक है। इन दोनो क्षेत्रो मे भी पूँजीगत वस्तु उद्योगो पर अधिक बुरा असर पडा है। क्योकि मध्यवर्ती एव पूँजीगत वस्तु उद्योगो का आय व रोजगार सृजन अवसरो से सीधा सबध है इसलिए उनमे गिरावट होने का रोजगार व वर्धित मूल्य सृजन क्षमता पर बुरा प्रभाव पडने की सभावना है। इसके अलावा भारत के औद्योगिक आधार पर भी इन प्रवृत्तियो का बुरा असर पडने की आशका है।[1]

## विदेशी व्यापार की दिशा

आजादी से पहले भारत के विदेशी व्यापार की दिशा तुलनात्मक लागत लाभ स्थितियो के द्वारा निर्धारित न होकर ब्रिटेन और भारत के बीच औपनिवेशिक सबन्धो द्वारा निर्धारित थी। दूसरे शब्दो मे, भारत किन देशो से आयात करेगा और कहाँ पर अपना माल बेचेगा, यह ब्रिटिश शासक अपने देश के हित मे तय करते थे। यही कारण है कि स्वतत्रता से पहले भारत का अधिकाश व्यापार ब्रिटेन, उसके उपनिवेशो और उसके मित्र राष्ट्रो के साथ था। यही प्रवृत्ति आजादी के बाद कुछ वर्षो मे भी देखने को मिलती है। क्योकि तब तक भारत को अन्य देशो के साथ व्यापार सम्बन्ध स्थापित करने मे कोई विशेष सफलता नहीं मिल पायी थी। उदाहरण के लिए, 1950–51 मे भारत की निर्यात आय मे इग्लैड और अमेरिका का हिस्सा 42 प्रतिशत था। उसी वर्ष भारत के आयात व्यय मे उनका हिस्सा 39 1 प्रतिशत था। अन्य पूँजीवादी देशो जैसे फ्रास, पश्चिमी जर्मनी, इटली, जापान इत्यादि और समाजवादी देशो जैसे सोवियत रूस, रोमानिया, पोलैण्ड, चेकोस्लोवाकिया इत्यादि के साथ बहुत थोडा व्यापार था। जैसे–जैसे इन देशो के साथ राजनैतिक सम्बन्धो का विकास हुआ वैसे–वैसे आर्थिक सम्बन्ध भी मजबूत होने लगे इस प्रकार बहुत से देशो के साथ व्यापारिक सम्बन्धो के विकास करने के अवसर खुलने लगे। अब स्थिति काफी बदल चुकी है और 51 वर्षो के आयोजन के बाद व्यापारिक सम्बन्ध काफी कुछ बदल चुके हैं।

### आयातों की दिशा :–

व्यापार की दिशा का अध्ययन करने के लिए भारत के 'व्यापारिक सहयोगियों' को पाँच बडे वर्गों मे विभाजित किया गया है–आर्थिक सहयोग विकास संगठन, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का सगठन, पूर्वी यूरोप, विकासशील देश, तथा अन्य। 1960–61 से 1997–98 के दौरान, आर्थिक सहयोग विकास सगठन का हमारे आयात व्यय मे हिस्सा कम हुआ है। 1960–61 में

---

1 इकोनामिक एण्ड पोलिटिकल विकली, 13 फरवरी, 1999

यह हिस्सा 78 प्रतिशत था जो 1998–99 मे 51 0 प्रतिशत रह गया। तेल निर्यातक देशो के हिस्से मे काफी वृद्धि हुई है। 1960–61 मे भारत के आयात व्यय मे इस वर्ग का हिस्सा मात्र 4 6 प्रतिशत था जो 1980–81 मे बढकर 27 8 प्रतिशत हो गया। 1998–99 मे पेट्रोलियम निर्यातक देशो के सगठन का भारत के आयात व्यय मे हिस्सा 18 7 प्रतिशत था। इसका कारण यह है कि भारत को इस वर्ग के देशो से भारी मात्रा मे पेट्रोलियम तेल का आयात करना पडता। समाजवादी देशो के बढते हुए आर्थिक सम्बन्धो के परिणाम स्वरूप, भारत के आयात व्यय मे पूर्वी यूरोप का हिस्सा जो 1960–61 मे केवल 3 4 प्रतिशत था, 1980–81 मे बढकर 10 3 प्रतिशत हो गया। हाल के वर्षों मे साम्यवादी देशो की सरकारो के पतन से (तथा विशेष रूप से सोवियत सघ का विघटन होने से) आयात व्यय मे पूर्वी यूरोप का हिस्सा कम हुआ है। 1998–99 मे यह हिस्सा मात्र 1 6 प्रतिशत था। भारत के आयात व्यय मे, विकासशील देशो का हिस्सा (खास तौर पर एशियाई देशो का हिस्सा) पहले की अपेक्षा काफी बढ गया है। अब भारत के आयात व्यय मे इस वर्ग का हिस्सा 21 1 प्रतिशत तक पहुँच चुका है। इस प्रकार अब भारत के कुल आयात व्यय का पाचवा हिस्सा विकासशील देशो को जाता है। विभिन्न देशो पर भारत की आयात–निर्भरता **तालिका सख्या 6 15** से स्पष्ट है।

1950–51 मे भारत के आयातो मे इग्लैण्ड का हिस्सा 20 8 प्रतिशत तथा अमेरिका का हिस्सा 18 3 प्रतिशत था। इस प्रकार इन दो देशो का कुल हिस्सा 39 1 प्रतिशत था। यह देश के औपनिवेशक सम्बन्धो का सूचक था। एक दशक के भीतर परिवर्तन दिखाई देने लगे। पश्चिमी जर्मनी, कनाडा तथा सोवियत सघ जैसे राष्ट्रो से व्यापारिक सबन्ध स्थापित किये जाने लगे। इग्लैण्ड और अमेरिका की सापेक्षिक स्थिति मे परिवर्तन हुआ तथा अमेरिका प्रथम स्थान पर आ गया। उसके बाद यह स्थिति अमेरिका ने (एक दो वर्षो को छोडकर) हमेशा बनाए रखी। पूरे योजना काल मे भारत ने सबसे अधिक आयात अमेरिका से किया। उस देश से भारत ने बडी मात्रा मे पूँजीगत वस्तुओ, मध्यवर्ती वस्तुओ तथा खाद्यान्नो का आयात किया। जापान, पश्चिमी जर्मनी तथा सोवियत सघ से व्यापारिक सम्बन्धो का विस्तार होने के कारण इग्लैण्ड पर निर्भरता कम हो गयी। 1960–61 मे भारत के आयातो मे इग्लैण्ड का हिस्सा 19 4 प्रतिशत था जो कम होते–होते 2000–2001 मे 6 3 प्रतिशत रह गया। दूसरी ओर जापान का आयात व्यय मे हिस्सा 1950–51 मे 1 5 प्रतिशत से बढकर 1960–61 मे 5 4 प्रतिशत तथा 2000–2001 मे 3 6 प्रतिशत हो गया। हाल के वर्षों मे भारत ने कई क्षेत्रो मे जापान के साथ सहयोग किया है। जिससे उस देश से आयातों में काफी वृद्धि हुई है।

तालिका सख्या 6 15

## आयात व्यापार की दिशा

(करोड रूपये मे)

| | | | | 1960-61 | 70-71 | 80-81 | 90-91 | 95-96 | 98-99 | 99-00 | 00-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | आर्थिक सहयोग और विकास सगठन जिसर्मे से | | | **875** | **1042** | **5740** | **23310** | **64254** | **91964** | **92521** | **92090** |
| | (i) | यूरोपीय सघ जिसमे | | 417 | 320 | 2639 | 12680 | 32691 | 43274 | 45556 | 45663 |
| | | a | बैल्जियम | 15 | 12 | 296 | 2718 | 5693 | 1203 | 15952 | 13112 |
| | | b | फ्रास | 21 | 21 | 280 | 1304 | 2812 | 3027 | 3084 | 2928 |
| | | c | जर्मनी | 123 | 108 | 694 | 3473 | 10520 | 9006 | 7978 | 8039 |
| | | d | नीदरलैंड | 11 | 19 | 215 | 793 | 1907 | 1953 | 2041 | 1999 |
| | | e | यूनाईटेड किगडम | 217 | 127 | 731 | 2864 | 6415 | 11028 | 11745 | 14472 |
| | (ii) | उत्तरी अमेरिका | | 347 | 570 | 1851 | 5804 | 14191 | 16937 | 17076 | 15588 |
| | | a | कानाडा | 20 | 117 | 332 | 559 | 1275 | 1622 | 1649 | 1814 |
| | | b | सयुक्त राज्य अमेरिका | 328 | 453 | 1619 | 5245 | 12916 | 15314 | 15427 | 13774 |
| | (iii) | अन्य आर्थिक सहयोग और विकास सगठन जिसमें | | 80 | 122 | 932 | 4826 | 11881 | 16824 | 16099 | 13634 |
| | | a | आस्ट्रेलिया | 18 | 37 | 170 | 1464 | 3418 | 6079 | 4692 | 4855 |
| | | b | जापान | 61 | 83 | 749 | 3245 | 8254 | 10373 | 10988 | 8416 |
| 2. | पैट्रोलियम निर्यातक देश सगठन जिसमें | | | **52** | **126** | **3488** | **7041** | **25586** | **32711** | **48394** | **11885** |
| | (i) | ईरान | | 30 | 92 | 1339 | 1018 | 2001 | 1993 | 4721 | 465 |
| | (ii) | इराक | | 2 | 3 | 753 | 496 | 01 | 636 | 865 | 32 |
| | (iii) | कुवैत | | 0 | 6 | 838 | 363 | 6590 | 6315 | 5680 | 515 |
| | (iv) | सऊदी अरब | | 14 | 24 | 540 | 2899 | 6773 | 7705 | 10483 | 2838 |
| 3. | पूर्वी यूरोप जिसमें | | | **38** | **220** | **1296** | **3377** | **4217** | **2864** | **3354** | **2968** |
| | (i) | जर्मन लोकतत्रीय गणराज्य* | | 3 | 19 | 44 | | | | | |
| | (ii) | रोमानिया | | 5 | 17 | 97 | 50 | 496 | 182 | 87 | 99 |
| | (iii) | रूस@@ | | 16 | 106 | 1014 | 2548 | 2864 | 2295 | 2700 | 2365 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.** | अन्य कम विकसित देश जिसमें | | **132** | **239** | **1966** | **7965** | **22509** | **37630** | **44585** | **40347** |
| | (i) | अफ्रीका | 63 | 169 | 205 | 959 | 2763 | 5146 | 6603 | 3838 |
| | (ii) | एशिया | 64 | 54 | 1431 | 6033 | 17723 | 29391 | 33844 | 33149 |
| | (iii) | लैटिन अमेरिका और कैरेबियन | 5 | 16 | 313 | 974 | 2022 | 3092 | 4139 | 3360 |
| **5** | अन्य | | **25** | **7** | **59** | **1505** | **6112** | **13163** | **26382** | **83583** |
| | | **जोड़** | **1122** | **1634** | **12549** | **43198** | **122678** | **178332** | **215236** | **230873** |

स्रोत Government of India, Economic Survey, 2001-2002

@ आकड़े एकीकृत जर्मनी के लिए।

@@ 1992–93 से पूर्व यू0एस0एस0आर0 के सन्दर्भ में।

• जर्मनी के एकीकरण के साथ जर्मन सघीय गणराज्य (उपरोक्त मद 1 i.c) के अन्तर्गत शामिल।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह थी कि समाजवादी देशो तथा विशेषतौर पर भूतपूर्व सोवियत सघ के साथ व्यापारिक सबन्धो मे तेज वृद्धि हुई। 1950–51 मे सोवियत सघ से आयात नगण्य थे। 1960–61 मे यह मात्र 16 करोड रुपये थे। परन्तु उसके बाद द्विपक्षीय समझौतो के कारण उस देश से आयातो मे तेज वृद्धि हुई। इसके परिणामस्वरूप 1960–61 मे 1 4 प्रतिशत से बढकर भारत के आयातो मे सोवियत सघ का हिस्सा 1970–71 मे 6 5 प्रतिशत तक पहुँच गया। कई वर्षों मे, भारत के आयातो मे, अमेरिका के बाद सोवियत सघ का स्थान दूसरा रहा है। उदाहरण के लिए, 1980–81 से 1983–84 तक भारत के आयात मे अमेरिका का प्रथम तथा सोवियत सघ का दूसरा स्थान था। 1984–85 मे आयातो मे सोवियत सघ का हिस्सा 10 4 प्रतिशत हो गया और उसने अमेरिका को विस्थापित कर प्रथम स्थान ले लिया। इसके बाद तबदीली हुई। 1985–86 मे अमेरिका प्रथम, जापान द्वितीय तथा सोवियत सघ तृतीय थे। 1990–91 मे अमेरिका का आयातो मे हिस्सा 12 1 प्रतिशत था और उसका स्थान प्रथम था। उसके बाद दूसरा स्थान जर्मनी का था जिसका हिस्सा 8 0 प्रतिशत था (यहाँ सयुक्त जर्मनी के ऑकडे दिये गये है) जापान का स्थान तीसरा था (हिस्सा 7 5 प्रतिशत) तथा चौथे स्थान पर दो देश थे–इग्लैण्ड तथा सऊदी अरब (हिस्सा 6 7 प्रतिशत) पॉचवे स्थान पर 6 3 प्रतिशत के साथ बेल्जियम था जबकि सोवियत सघ छठे स्थान पर था (हिस्सा 5 9 प्रतिशत)। सोवियत सघ का विघटन होने से आयातो की दिशा मे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। उदाहरण के लिए, 1998–99 मे भारत के आयातो मे अमेरिका का स्थान प्रथम (हिस्सा 8 6 प्रतिशत), इग्लैण्ड का स्थान दूसरा (हिस्सा 6 0 प्रतिशत), बेल्जियम का स्थान तीसरा (हिस्सा 6 0 प्रतिशत), जापान का स्थान चौथा (हिस्सा 5 7 प्रतिशत), जर्मनी का स्थान पॉचवा (हिस्सा 5 1 प्रतिशत), सऊदी अरब का स्थान छठा (हिस्सा 4 5 प्रतिशत) था।

आयातो के स्रोतो की एक जाँच ओ.ई सी डी देशो से आयातो के एक कम हिस्से को उजागर करती हैं जो 1999–2000 मे 43.0 प्रतिशत से 39 9 प्रतिशत हो गया। क्योकि इस क्षेत्र से आयातो मे वर्ष 2000–01 मे 5 6 प्रतिशत गिरावट आई। इसी प्रकार पूर्वी यूरोप, ओपेक क्षेत्र तथा विकासशील देशो से आयातो का हिस्सा वर्ष के दौरान 1 3 प्रतिशत, 5 1 प्रतिशत तथा 17 5 प्रतिशत पर कम था। तद्नुसार, आयातो की अवशिष्ट श्रेणी से कुल आयातो के हिस्से मे तीव्र वृद्धि हुई थी। वर्ष के दौरान उच्चतर स्तरो पर कच्चे तेल के कीमतो की सापेक्षिक स्थिरता अवशिष्ट गन्तव्यो से आयातो के हिस्से मे वृद्धि के साथ–साथ ओपेक क्षेत्र से आयातो के हिस्से मे गिरावट से वर्ष के दौरान ओपेक क्षेत्र से दूर तेल आयातो के उद्गम मे परिवर्तन का सुझाव दे सकती है। ओ0ई0सी0डी0 क्षेत्र मे कुल आयातो मे आयात का हिस्सा वित्तीय वर्ष

2001–2002 के पहले सात महीनो के दौरान 38 3 प्रतिशत तक और गिर गया, बावजूद इसके कि उन देशो जैसे फ्रास, जर्मनी, नीदरलैण्ड्स, अमरीका, कनाडा तथा आस्ट्रेलिया से अप्रैल–अक्टूबर 2001 के दौरान आयातो मे महत्वपूर्ण वृद्धियाँ हुई थी। जबकि पूर्वी यूरोप का हिस्सा कायम रखा गया है, ओपेक और विकासशील देशो से आयातो के हिस्से क्रमश 5 7 प्रतिशत तथा 19 1 प्रतिशत तक बढ गये। चुनिदा पूर्वी एशियाई देशो से आयातो का हिस्सा वित्तीय वर्ष 2001–2002 के पहले सात महीनो के दौरान लगभग 12 प्रतिशत पर स्थिर रहा।

<u>निर्यातो की दिशा</u> –

भारत के निर्यातो का एक बडा हिस्सा आर्थिक सहयोग विकास सगठन (ओ0 ई0 सी0 डी0) के देशो को जाता है। आर्थिक सहयोग विकास सगठन का भारत के निर्यातो मे हिस्सा 1960–61 मे 66 1 प्रतिशत तथा 1998–99 मे 58 0 प्रतिशत था। इनमे से 45 प्रतिशत निर्यात यूरोपीय सघ के देशो को किये जाते है। तेल निर्यातक देशो के सगठन को 1960–61 मे 4 1 प्रतिशत निर्यात भेजे गये जो 1998–99 मे बढकर 10 5 प्रतिशत हो गये। सबसे अधिक महत्वपूर्ण वृद्धि पूर्वी यूरोप के देशो तथा विशेष तौर पर सोवियत सघ को निर्यात मे हुई। उदाहरण के लिए कुल निर्यात मे पूर्वी यूरोप का हिस्सा 1960–61 मे मात्र 7 0 प्रतिशत था। 1980–81 तक बढते–बढते यह 22 1 प्रतिशत तक पहुँच गया। पिछले कुछ वर्षों मे समाजवादी देशो मे हो रही उथल–पुथल के कारण तथा सोवियत सघ के विघटन के कारण, पूर्वी यूरोप को किए जाने वाले निर्यातो मे भारी कमी हुई है। 1998–99 मे पूर्वी यूरोप का भारत के निर्यातो मे हिस्सा मात्र 2 7 प्रतिशत रह गया। अफ्रीका, एशिया तथा लैटिन अमेरिका के विकासशील देशो का भारत की निर्यात आय मे हिस्सा लगभग एक चौथाई है। इस वर्ग मे सबसे महत्वपूर्ण एशिया के देश हैं। वस्तुत 1998–99 मे एशियाई देशो का भारत की निर्यात आय मे हिस्सा 19 प्रतिशत था (जो कुल निर्यात आय का लगभग पाचवा था)।

1950–51 मे योजना प्रक्रिया के शुरू होने से पहले भारत की कुल निर्यात आय में इग्लैण्ड का हिस्सा 23 3 प्रतिशत था। 1970–71 मे यह गिरकर 11 1 प्रतिशत और 1998–99 में मात्र 5 7 प्रतिशत तथा 2000–01 मे 5 2 प्रतिशत रह गया। 1950–51 तथा 1960–61 मे दूसरा स्थान अमेरिका का था जिसका हिस्सा इन वर्षों मे क्रमश 19 3 प्रतिशत तथा 16 0 प्रतिशत था। इससे यह सिद्ध होता है कि 1950–51 तथा 1960–61 मे भारत अपनी निर्यात आय के क्रमश 42 6 प्रतिशत तथा 43 प्रतिशत के लिए इग्लैण्ड और अमेरिका पर निर्भर था। अन्य पूँजीवादी देशो और समाजवादी देशो के साथ व्यापारिक सम्बन्ध अविकसित रहने के कारण उनका निर्यात आय मे योगदान बहुत कम था। परन्तु 1960–61 के बाद इन अन्य देशो के साथ भारत के

व्यापारिक सम्बन्धो का तेजी से विकास हुआ। उदाहरण के लिए जहॉ सोवियत सघ ने 1950–51 मे भारत से कुल 11 करोड रुपये का माल खरीदा था वहॉ उसने 1970–71 मे 210 करोड रुपये तथा 1985–86 मे 2,006 करोड रुपये का माल खरीदा। वस्तुत 1985–86 मे उसका भारत की निर्यात आय मे प्रथम स्थान था। दूसरा, तीसरा, चौथा और पॉचवा स्थान क्रमश अमेरिका, जापान, इग्लैण्ड तथा पश्चिमी जर्मनी का था। इसके बाद स्थिति मे फिर परिवर्तन हुआ और 1986–87, 1987–88,1988–89 तथा 1989–90 मे प्रथम स्थान अमेरिका का था। इन सभी वर्षों मे दूसरा स्थान सोवियत सघ का तथा तीसरा स्थान जापान का था। 1990–91 मे भारत की निर्यात आय मे सोवियत सघ का स्थान प्रथम था (हिस्सा 16 1 प्रतिशत)। अमेरिका का स्थान दूसरा (हिस्सा 14 7 प्रतिशत) तथा जापान का स्थान तीसरा था (हिस्सा 9 3 प्रतिशत)। सोवियत सघ का विघटन होने से इसके बाद निर्यात दिशा मे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। 1998–99 मे भारत के निर्यातो मे रूस का हिस्सा मात्र 2 1 प्रतिशत था इस वर्ष अमेरिका का भारत के निर्यातो मे हिस्सा 21 8 प्रतिशत था और उसका स्थान प्रथम था। दूसरा स्थान इग्लैण्ड का था जिसका हिस्सा 5 7 प्रतिशत था। जर्मनी का स्थान तीसरा (हिस्सा 5 6 प्रतिशत) तथा जापान का स्थान चौथा (हिस्सा 4 9 प्रतिशत) था।

वर्ष 2000–01 मे निर्यातो की दिशा मे उन गन्तव्यो जैसे ओ ई सी डी, ओ पी ई सी तथा एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका मे विकासशील देशो को भारत के निर्यातो मे महत्वपूर्ण वृद्धियॉ दर्शायी। अमेरिकी डालर मूल्य मे निर्यात ओ ई सी डी मे 1 2 प्रतिशत, ओपेक मे 24 6 प्रतिशत तथा वर्ष 1999–00 मे क्रमश 10 0 प्रतिशत 9 5 प्रतिशत तथा 16 1 प्रतिशत की अल्प वृद्धियो की तुलना मे अन्य विकासशील देशो 25 9 प्रतिशत तक बढ गया। विकासशील देशो के मध्य, लेटिन अमेरिका तथा कैरिबियन क्षेत्रो को निर्यात 50 0 प्रतिशत, अफ्रीकी क्षेत्र को 27 1 प्रतिशत तथा एशियाई क्षेत्र को 23 8 प्रतिशत बढ गये। तथापि पूर्वी यूरोप को निर्यातो में वर्ष 2000–01 मे पिछले वर्ष के 24 7 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना मे 3 8 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गयी कुल निर्यातो मे क्षेत्र–वार हिस्से के सम्बन्ध में, जिस समय ओ ई सी डी तथा पूर्वी यूरोप के हिस्से मे वर्ष 2000–01 मे गिरावट आई, वही ओपेक तथा अन्य विकासशील देशो के हिस्सो में इस अवधि के दौरान वृद्धि हुई। ओ0ई0सी0डी0 देशो को कुल निर्यातो मे हिस्सो में आयी गिरावट के बावजूद, इस क्षेत्र मे विकसित देशो जैसे फ्रॉस, यू0के0, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, बेल्जियम तथा जापान को निर्यातो मे वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण वृद्धियॉ दर्ज की गयीं। मुख्य देशो ने एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमरीका के विकसित देशो जिनमे थाईलैण्ड, मलेशिया, चीन, श्रीलका,

सिगापुर, बाग्लादेश, मिस्र, केन्या, नाइजीरिया, ब्राजील, मैक्सिको तथा चिली शामिल है, को निर्यातो के बढते हिस्से मे योगदान किया।

ओ0ई0सी0डी0 तथा पूर्वी यूरोप क्षेत्रो मे गिरते हिस्से तथा ओपेक और अन्य विकासशील देशो के क्षेत्रो के लिए बढते हिस्सो के व्यापक रुझान वित्तीय वर्ष 2001–20002 के पहले सात महीनो के दौरान जारी रहे। ओईसीडी क्षेत्र को निर्यात अप्रैल–अक्टूबर, 2001 के दौरान पिछले वर्ष की सगत अवधि मे 13 8 प्रतिशत की एक वृद्धि की तुलना मे, इस क्षेत्र मे मॉग मे साधारण मदी को दर्शाते हुए, 12 8 प्रतिशत की महत्वपूर्ण कमी हुई। इस क्षेत्र मे बडे देशो जिनमे अमेरिका, कनाडा, जापान, जर्मनी, नीदरलैण्ड्स, बेल्जियम, आस्ट्रेलिया तथा यू के शामिल हैं, के निर्यातो मे गिरावट देखी जा रही है। पूर्वी यूरोप को निर्यातो मे गिरावट मुख्यत रूस तथा हगरी को कम निर्यातो की वजह से हुई। ओपेक क्षेत्र तथा अन्य विकासशील देशो को निर्यात मे वृद्धि भी वित्तीय वर्ष 2001–2002 के पहले सात महीने के दौरान काफी धीमी रही। भारत के निर्यातो की दिशा का विवरण देश अनुसार **तालिका सख्या 6 16** से स्पष्ट है।

वर्ष 2000–01 मे यू0के0, बेल्जियम, जर्मनी तथा जापान, के साथ सयुक्त राज्य अमरीका हमारा बडा व्यापारिक भागीदार बना रहा। तथापि, वित्तीय वर्ष 2001–2002 के दौरान स्विटजरलैंड पॉचवे सबसे बडे व्यापारिक भागीदार के रूप मे उभरा (अमरीका, यू0के0, बेल्जियम तथा जर्मनी के बाद)। भारत चीन द्विपक्षीय व्यापार मे अत्यधिक वृद्धि हुई है। जो वर्ष 2000–01 तथा वित्तीय वर्ष 2001–2002 के पहले सात महीनो के दौरान लगभग 26 प्रतिशत बढ गयी। वर्ष 2000–01 के दौरान जहॉ चीन को अमरीकी डालर मूल्य मे हमारे निर्यात 53 9 प्रतिशत बढे, वही चीन से आयात 14 1 प्रतिशत से अधिक थे। अप्रैल–अक्टूबर 2001 के दौरान जहाँ निर्यात 20 5 प्रतिशत बढ गये, वहीं चीन से आयात 29 5 प्रतिशत बढे। दूसरी ओर, भारत नेपाल द्विपक्षीय व्यापार मे वृद्धि मुख्यत नेपाल को हमारे निर्यात मे 6 9 प्रतिशत की कमी के कारण वर्ष 1999–2000 मे 16 8 प्रतिशत हो गयी। वित्तीय वर्ष 2001–2002 मे अब तक, जहाँ द्विपक्षीय व्यापार मे वृद्धि हुई, वहॉ नेपाल से आयात हमारे 57 7 प्रतिशत बढे हुए निर्यात की तुलना में 85 1 प्रतिशत बढ गया है। व्यापार सबधी भारत–नेपाल सधि मे उचित सशोधन/परिवर्तन घरेलू उद्योग के हितो के सरक्षण के लिए विचाराधीन है। 5 दिसबर, 2001 से तीन महीनो की एक अवधि के लिए सधि के सीमित विस्तार पर सहमति हो चुकी है ताकि सधि की वार्ताएँ निष्पादित की जा सके।

तालिका सख्या 6 16

## निर्यात व्यापार की दिशा

(करोड रूपये)

| | | | | 1960-61 | 70-71 | 80-81 | 90-91 | 95-96 | 98-99 | 99-00 | 00-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | आर्थिक सहयोग और विकास सगठन जिसमे | | | **425** | **769** | **3126** | **17428** | **59223** | **80744** | **91461** | **10724** |
| | (i) | यूरोपीय सघ जिसमें से | | 232 | 282 | 1447 | 8951 | 28157 | 36361 | 39445 | 46123 |
| | | a | बैल्जियम | 5 | 20 | 145 | 1259 | 3748 | 5418 | 5926 | 6718 |
| | | b | फ्रास | 9 | 18 | 147 | 766 | 2499 | 3491 | 3888 | 4660 |
| | | c | जर्मनी | 20 | 32 | 385 | 2549 | 6614 | 7792 | 7533 | 8718 |
| | | d | नीदरलैंड | 9 | 14 | 152 | 644 | 2572 | 3212 | 3838 | 4021 |
| | | e | यूनाईटेड किगडम | 173 | 170 | 395 | 2128 | 6726 | 7806 | 8817 | 10502 |
| | (ii) | उत्तरी अमेरिका | | 120 | 235 | 806 | 5077 | 19487 | 32279 | 38886 | 45509 |
| | | a | कानाडा | 18 | 28 | 62 | 281 | 1022 | 1990 | 2506 | 2999 |
| | | b | सयुक्त राज्य अमेरिका | 103 | 207 | 743 | 4797 | 18466 | 30289 | 36380 | 42510 |
| | (iii) | अन्य आर्थिक सहयोग और विकास सगठन जिसमें | | 65 | 234 | 708 | 3401 | 8870 | 8818 | 9330 | 10341 |
| | | a | आस्ट्रेलिया | 22 | 25 | 92 | 321 | 1257 | 1630 | 1747 | 1854 |
| | | b | जापान | 35 | 204 | 598 | 3039 | 7411 | 6950 | 7303 | 8198 |
| 2. | पैट्रोलियम निर्यातक देश सगठन जिसमें | | | **26** | **99** | **745** | **1831** | **10300** | **14992** | **16910** | **22223** |
| | (i) | ईरान | | 5 | 27 | 123 | 141 | 514 | 669 | 659 | 1037 |
| | (ii) | इराक | | 3 | 10 | 52 | 44 | 2 | 153 | 214 | 384 |
| | (iii) | कुवैत | | 3 | 16 | 97 | 74 | 453 | 693 | 669 | 910 |
| | (iv) | सऊदी अरब | | 3 | 15 | 165 | 419 | 1613 | 3257 | 3218 | 3760 |
| 3. | पूर्वी यूरोप जिसमें | | | **45** | **323** | **1486** | **5819** | **4092** | **3811** | **4894** | **4964** |
| | (i) | जर्मन लोकतत्रीय गणराज्य' | | 3 | 25 | 49 | | | | | |
| | (ii) | रोमानिया | | 1 | 14 | 58 | 96 | 100 | 74 | 54 | 56 |
| | (iii) | रूस | | 29 | 210 | 1226 | 5255 | 3496 | 2985 | 4108 | 4061 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.** | अन्य कम विकसित देश जिसमे ** | | **95** | **305** | **1286** | **5465** | **27324** | **34218** | **40906** | **54282** |
| | (i) | अफ्रीका | 40 | 129 | 350 | 668 | 3584 | 5081 | 4841 | 6489 |
| | (ii) | एशिया | 45 | 166 | 900 | 4665 | 22613 | 26815 | 33391 | 43566 |
| | (iii) | लैटिन अमेरिका और करेबियन | 10 | 10 | 36 | 132 | 1128 | 2322 | 2674 | 4228 |
| **5.** | अन्य | | **51** | **39** | **68** | **2010** | **5414** | **5987** | **5390** | **14861** |
| | | **जोड़** | **642** | **1535** | **6711** | **32553** | **106353** | **139752** | **159561** | **203571** |

स्रोत · Government of India, Economic Survey, 2001-2002

@ आकड़े एकीकृत जर्मनी के लिए।

@@ 1992–93 से पूर्व यू0एस0एस0आर0 के सन्दर्भ में।

* जर्मनी के एकीकरण के साथ जर्मन सघीय गणराज्य (उपरोक्त मद 1 i c) के अन्तर्गत शामिल।

** ओपेक के सदस्यों के अतिरिक्त ।

## व्यापार दिशा पर प्रभाव –

उदारीकरण के पूर्व की अवधि को दृष्टिगत करते हुए यदि हम देखे तो भरतीय विदशी व्यापार पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पडा है जिसके परिणाम स्वरूप आयातो एव निर्यातो की दिशा मे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए है। वर्ष 1987–88 से 1990–91 एव 1992–93 से 1998–99 के मध्य यदि हम भारतीय निर्यातो की दिशा पर पडने वाले प्रभाव को देखे तो जहॉ जापान, अमेरिका और यूरोपीय सघ का भारत की कुल निर्यात आय मे हिस्सा 80 के दशक एव 90 के दशक के दौरान लगभग 50 प्रतिशत पर स्थिर रहा, वहॉ परिवर्तनशील अर्थव्यवस्थाओ एव विकासशील देशो के हिस्से मे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए जैसा कि निम्न से स्पष्ट है–

1 1987–91 मे पूर्वी यूरोप का निर्यात आय मे हिस्सा 17 7 प्रतिशत से घटकर 1992–99 के मध्य मात्र 3 8 प्रतिशत रह गया। इस कमी का प्रमुख कारण सोवियत सघ का टूटना था अर्थात सोवियत सघ का निर्यात आय मे हिस्सा 1987–91 मे 14 7 प्रतिशत था। जबकि 1992–99 मे रूस का निर्यात आय का हिस्सा मात्र 3 1 प्रतिशत रहा।

2 निर्यात सभावनाओ की दृष्टि से भविष्य हेतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की निर्यात आय मे विकासशील देशो के हिस्से मे बढोत्तरी हो रही है। 1987–91 की अवधि मे विकासशील देशो का भारत की निर्यात आय मे हिस्सा औसतन 16 0 प्रतिशत था। जो 1992–99 के दौरान बढ कर 27 8 प्रतिशत हो गया। कुछ एशियाई देश जैसे बाग्लादेश, श्रीलका, हागकाग, मलेशिया, सिगापुर तथा थाईलैण्ड के निर्यातो मे उत्साहजनक वृद्धि हुई है।

3 देश के निर्यात आय मे यूरोपिय सघ का हिस्सा 1987–91 की अवधि मे औसतन 25 6 प्रतिशत था जो 1992–99 की अवधि मे थोडा बढ कर 26 7 प्रतिशत हो गया। इसी मध्य अमेरिका का हिस्सा 16 7 से बढकर 19 3 प्रतिशत तथा जापान का हिस्सा 10 0 प्रतिशत से कम होकर 6 5 प्रतिशत हो गया।

4 तेल निर्यात देशो का भारत के निर्यात आय मे हिस्सा 1987–91 मे 6.1 प्रतिशत से बढकर 1992–99 मे 9 9 प्रतिशत हो गया। जिसका प्रमुख कारण इडोनेशिया और सयुक्त अरब अमीरात का निर्यात वृद्धि था।

5 भारत का जहॉ तक वस्तु अनुसार विभिन्न देशो को निर्यात का सम्बन्ध है उसके अनुसार 1987–91 से 1992–99 की अवधियो के दौरान अमेरिका का महत्व काफी, तम्बाकू, मसाले, काजू, चमडा व चमडे से निर्मित वस्तुए इजीनियरिंग वस्तुए, सिले सिलाए कपड़े तथा गलीचे जैसी कई वस्तुओ के लिए बढा है। अन्य औद्योगिक देशो के सम्बन्ध मे इटली का महत्व काजू

के लिए और जापन का महत्व गलीचो के लिए बढा है। विकासशील देशो के सम्बन्ध मे यदि देखे तो सयुक्त अरब अमीरात को कई भारतीय वस्तुओ का निर्यात बढा है। जिनमे चाय, मसाले, समुद्री उत्पाद, इजीनियरिंग वस्तुए और सिले–सिलाए कपडे शामिल है। सिगापुर का महत्व मसालो व खली के लिए तथा हागकाग का महत्व जवाहरात व आभूषण के लिए बढा है। इसके अलावा 90 के दशक मे चीन का महत्व समुद्री उत्पाद तथा कच्चे लोहे के लिए सऊदी अरब, बाग्लादेश तथा दक्षिण अफ्रीका का महत्व चावल के लिए, दक्षिण कोरिया तथा इन्डोनेशिया का महत्व खली के लिए तथा ईरान का महत्व कच्चे लोहे के लिए बढा है।

जहॉ तक आयातो की दिशा मे परिवर्तन का सम्बन्ध है, उस सम्बन्ध मे भारत के आयातो मे विकासशील देशो के महत्व मे तेजी से वृद्धि हुई है, जबकि औद्योगिक देशो के महत्व मे कमी आयी है जैसे 1997–91 मे औसतन 18 0 प्रतिशत से बढकर भारत के आयात व्यय मे विकासशील देशो का हिस्सा 1992–99 के मध्य 23 प्रतिशत तक पहुॅच गया। जिसका प्रमुख कारण दक्षिण पूर्वी एशिया के नए उभर रहे औद्योगिक देशो से बढते हुए आयात है। जहॉ तक आयात व्यय मे वृद्धि मे विभिन्न वस्तुओ के योगदान का सम्बन्ध है, उसमे मलेशिया तथा सिगापुर से पेट्रोलियम तेल व उत्पादो, कोरिया और सिगापुर से रसायन पदार्थों तथा हागकाग, कोरिया, मलेशिया एव थाईलैण्ड से इलेक्ट्रानिक वस्तुओ के आयात का महत्व बढा है।

ओ0ई0सी0डी0 समूह के देशो का वर्ष 1987–91 मे भारत के आयात व्यय मे हिस्सा 59 4 प्रतिशत था जो 1992–99 की अवधि मे कम हो कर 52 1 प्रतिशत रह गया। इस समूह मे यूरोपीय सघ का सापेक्षिक हिस्सा 1987–91 मे 31 8 प्रतिशत से कम होकर 1992–99 मे 26 6 प्रतिशत रह गया। जहॉ तक यूरोपीय सघ के देशों का सम्बन्ध है डेनमार्क, यूनान, आयरलैण्ड तथा इटली के हिस्से मे तेजी से वृद्धि हुई, जबकि जर्मनी नीदरलैण्ड, स्वीडन तथा इग्लैण्ड के हिस्से मे अपेक्षाकृत धीमी बढत हुई। इग्लैण्ड का भारत के आयात व्यय में हिस्सा जो 1987–91 के दौरान 7 9 प्रतिशत था जो 1992–99 के मध्य कम होकर 5 8 प्रतिशत हो गया। ओईसीडी समूह के अन्य देशो मे आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, तथा स्वीटजरलैण्ड से आयातो मे सापेक्षिक रूप से अत्यधिक वृद्धि हुई। स्वीटजरलैण्ड का भारत के आयात व्यय मे हिस्सा जो 1987–91 मे मात्र 1 1 प्रतिशत था 1992–99 मे बढकर 4 0 प्रतिशत हो गया। इसका प्रमुख कारण इस देश से सोना एव चॉदी के आयात थे। तेल निर्यातक देशो के समूह का भारत के आयात व्यय में भागीदारी 1987–91 मे 14 5 प्रतिशत थी जो 1992–99 के मध्य बढ़कर 21 9 प्रतिशत हो गया। इसका प्रमुख कारण पेट्रोलियम व लुब्रिकैन्ट पर बढता हुआ आयात व्यय था, जिसके लिए प्रमुख कारणो मे मुख्यत. तेल की बढती हुई अन्तर्राष्ट्रीय कीमते जिम्मेदार थीं। पूर्वी यूरोपीय देशों का

आयात व्यय मे हिस्सा 1987–91 मे 81 प्रतिशत था जो घटकर 1992–99 मे मात्र 29 प्रतिशत हो गया।

<u>मूल्यॉकन</u> – देश मे वर्ष 1991 से प्रारम्भ किये गये व्यापार नीति सुधारो ने विदेशी व्यापार मे व्यापक परिवर्तन ला दिए है, और अब सरकारी नीति अन्तर्मुखी न होकर वाह्य उन्मुख है। उदारीकरण के वर्षों मे भारत के सकल घरेलू उत्पाद मे विदेशी व्यापार का हिस्सा काफी बढ गया है। 80 के दशक मे यह हिस्सा 15 प्रतिशत के आसपास था जो 1995–96 मे बढकर 24 प्रतिशत से भी अधिक हो गया। देश मे उदारीकरण का जो व्यापक दौर जारी है उसके परिणामस्वरूप भरतीय उद्योगो को जो सरक्षण मिलता रहा है, उसमे तेज कमी हुई है, क्योकि भारत सरकार ने सीमा शुल्को मे काफी कटौती की है तथा ऐसी कई वस्तुओ के आयात को बहुत उदार बना दिया है जिनका आयात या तो पहले किया ही नही जा सकता था या जिनके आयात पर कई तरह के प्रतिबन्ध थे। अपने अध्ययन मे मेहता ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 55 क्षेत्रो पर आधारित 1989–90, 1993–94 तथा 1995–96 के लिए मौद्रिक तथा प्रभावी सरक्षण दरो की गणना की है। उनके अध्ययन से पता चलता है कि प्रभावी सरक्षण दर जो 1989–90 मे 87 प्रतिशत थी, 1993–94 मे कम होकर 62 प्रतिशत तथा 1995–96 मे और कम होकर मात्र 30 प्रतिशत रह गई। इसी प्रकार, मौद्रिक सरक्षण दर 1989–90 मे 89 प्रतिशत से कम होकर 1993–94 से 63 प्रतिशत तथा 1995–96 मे और कम हो कर 31 प्रतिशत रह गई।[1] कोटा या गैर व्यापार अवरोधो का जहॉ तक सबध है, उनके बारे मे उदारीकरण की अवधि से पहले के सही अनुमान उपलब्ध नहीं है परन्तु मेहता ने अनुमान लगाया है कि लगभग 90 प्रतिशत आयातो पर इस प्रकार के कोई न कोई प्रतिबन्ध अवश्य थे। इसके विपरीत, 1995–96 मे किसी न किसी प्रकार के गैर–व्यापार अवरोधो के अधीन भारत की 44 प्रतिशत आयात वस्तुऍ थी। अर्थात उदारीकण के कारण गैर–व्यापार अवरोधो मे भी तेज कमी आई है।

हाल के वर्षो मे विदेश व्यापार नीति में उदारीकरण की जो व्यापक प्रक्रिया चल रही है उससे कई सरकारी एव गैर–सरकारी क्षेत्रो मे यह विश्वास जागने लगा है कि भारत के विकास मे अब विदेश व्यापार क्षेत्र 'अग्रमामी क्षेत्र' की भूमिका अदा करेगा और इसके परिणामस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था तेज गति से प्रगति कर सकेगी। परन्तु इस जोश व विश्वास मे हमे निम्न तीन मुद्दो को नही भूलना चाहिये जो दीपक नैयर के अनुसार, औद्योगीकरण के आयोजन मे मूलभूत महत्व रखते है– घरेलू बाजार का सापेक्षिक महत्व, सरकारी हस्तक्षेप का स्वरूप व उसकी मात्रा, तथा प्रौद्योगिकी की अन्य देशो से प्राप्ति या उसका स्वय विकास।

---

1 Rajesh Mehta "Trade Policy Reforms , 1991-92 to 1995-96 " Economic and Political weekly, April 12, 1997 P 780

जहाँ तक घरेलू बाजार के सापेक्षिक महत्व का प्रश्न है, दीपक नैयर के अनुसार, भारत जैसे बडे देशो मे जिनमे घरेलू बाजार बहुत व्यापक व महत्वपूर्ण है, सतत औद्योगीकरण केवल घरेलू बाजार के विकास पर ही निर्भर हो सकता है। इन परिस्थियो मे या तो घरेलू बाजार के लिए, आयात–प्रतिस्थापन नीति की मदद से उत्पादन करने की जरूरत है या फिर विदेशी बाजारो को निर्यात करने के लिए उत्पान किया जा सकता है। औद्योगीकरण की उपयुक्त नीति के परिप्रेक्ष्य मे आयात प्रतिस्थापन और निर्यात प्रोत्साहन के बीच एक सतुलन की स्थिति पैदा करना, 'दो टागो पर' (अर्थात सतुलन बना कर) चलने के बराबर है। ऐसा वातावरण जो निर्यात निष्पादन के लिए अत्यन्त लाभकारी स्थितियॉ पैदा करता है, दक्ष आयात प्रतिस्थापन तथा तेज आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भी उपयुक्त है।

जहाँ तक औद्योगीकरण की प्रक्रिया मे सरकारी हस्तक्षेप का प्रश्न है बीसवी शताब्दी का उत्तरार्द्ध इस बात का प्रमाण है कि देर से औद्योगीकरण करने वाले देशो के सफल विकास का मूलाधार, सरकार के दिशा निर्देश तथा उसकी समर्थक भूमिका रहे है। यह बात न केवल पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशो के लिए सही है अपितु पूर्वी एशिया के तेजी से विकास कर रहे देशो (जिन्हे एशियन टाइगर्स की सज्ञा दी गई है) के लिए भी सही है। दीपक नैयर के अनुसार जहाँ तक सरकारी हस्तक्षेप का सबध है, आयात प्रतिस्थापन और निर्यात सवर्द्धन मे कोई खास अन्तर नही है। आयात–प्रतिस्थापन की स्थिति मे सरकार घरेलू उत्पादको की घरेलू बाजार मे विदेशी प्रतिस्पर्धा से रक्षा करती है। जबकि निर्यात सवर्द्धन की स्थिति मे सरकार घरेलू उत्पादको की विश्व बाजार मे विदेशी उत्पादको से सुरक्षा करती है। महत्वपूर्ण बात है सरकारी हस्तक्षेप का "स्वरूप"। औद्योगीकरण के कार्यक्रमो का आयोजन करते समय विदेशी व्यापार क्षेत्र मे इस सरकारी हस्तक्षेप का स्वरूप क्या होगा और हस्तक्षेप किस सीमा तक किया जाएगा ये बाते निर्णायक सिद्व होगी। "भारतीय अनुभव यह दर्शाता है कि सरकारी हस्तक्षेप द्वारा एक प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण मे अल्पाधिकारी स्थिति पैदा की जा सकती है ठीक उसी प्रकार जैसे कि कोरिया गणराज्य का अनुभव यह दर्शाता है कि सरकारी हस्तक्षेप द्वारा एक अल्पाधिकारी वातावरण मे प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति पैदा की जा सकती है।"

जहाँ तक प्रौद्योगिकी के मुद्दे का प्रश्न है, नैयर का तर्क है कि मौजूदा बाजार सरचना और नीति–ढॉचा मिलकर कोई ऐसा वातावरण पैदा नही कर सके जिसमे आयातित प्रौद्योगिकी का घरेलू अर्थव्यवस्था मे आसानी से विलयन हो सके तथा घरेलू प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित किया जा सके या जो नयी खोजो और विसरण के लिए सहायक बन सके। यहाँ इस बात पर जोर देना आवश्यक है कि विभिन्न क्षेत्रो व समयावधियो मे प्रौद्योगिकी विकास के

आयोजन मे सरकार की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है। इस सन्दर्भ मे यह आवश्यक है कि प्रौद्योगिकी के आयात के लिए एक ऐसी नीति बनाई जाय जिसमे प्रौद्योगिकी के आरम्भिक आयात से लेकर देश मे उसके पूर्णतया उपयोग तथा विसरण के लिए उपयुक्त कदम उठाने की व्यवस्था हो, अनुसधान और विकास के लिए ससाधनो का आबटन किया जाए, तथा राज्य द्वारा प्रौद्योगिकी की खरीद के लिए निश्चित दिशा निर्देश हो।

दीपक नैयर के इन सब तर्को से यह सिद्ध होता है कि देश के विदेशी व्यापार क्षेत्र और औद्योगीकरण की सम्पूर्ण प्रक्रिया के बीच "समष्टि आर्थिक अत सम्बन्ध" अत्यन्त महत्वपूर्ण है और उनकी अनदेखी नही की जा सकती। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की समस्याओ का समाधान केवल विदेशी व्यापार क्षेत्र मे परिवर्तनो द्वारा (या उस पर आधारित नीतियो द्वारा) नही किया जा सकता। दूसरी ओर, यह बात सच है कि विदेश व्यापार क्षेत्र की समस्याओ का काफी हद तक समाधान, देश की अर्थव्यवस्था के बेहतर निष्पादन व बेहतर प्रबधन से किया जा सकता है।

निर्यात के नये आयामो मे, वर्तमान समय मे विशेषकर उदारीकरण कार्यक्रम के प्रारम्भ होने के पश्चात, भारत के आयात–निर्यात मे कई नये महत्वपूर्ण आयाम जुडे हैं। चूकि हमारा निर्यात बढाने पर अधिक जोर है, न कि आयात पर, इसलिए निर्यात के महत्वपूर्ण आयामो को हम देखे तो उसमे कृषि उत्पाद, कृषि आधारित उत्पाद, फल–फूल, कम्प्यूटर के नये क्षेत्र, सेटेलाइट एव मिसाइल आदि महत्वपूर्ण है। कृषि उत्पादो मे वर्ष 1998–99 के 2919 मिलियन अमरीकी डालर आयात की तुलना मे निर्यात 6037 मिलियन अमरीकी डालर, वर्ष 1999–2000 मे 2858 मिलियन अमरीकी डालर आयात की तुलना मे निर्यात 5608 मिलियन अमरीकी डालर तथा वर्ष 2000–01 मे कृषि उत्पाद आयात 1858 मिलियन अमेरिकी डालर की तुलना मे कुल कृषि उत्पाद निर्यात 6004 मिलियन अमरीकी डालर रहा। कम्प्यूटर के क्षेत्रो मे असीम सभावनाए है क्योकि इस समय पूरे विश्व की नजर भारतीय कम्प्यूटर उद्योग पर टिकी हुई है। कच्चे माल तथा प्रौद्योगिकी की उपलब्धता होने के साथ–साथ भारत मे कुशल तकनीकी विदों की भरमार हैं। भारत सरकार की घोषणा के अनुसार सन् 2003 तक प्रत्येक स्कूल पॉलीटेक्नीक कालेज और विश्वविद्यालय मे इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध कराने तथा अगले पॉच वर्षों में विदेशी व्यापार की दृष्टि से साफ्टवेयर विकास मे 60 प्रतिशत वृद्धि की आशा की गयी है जिसमे सन् 2008 तक प्रतिवर्ष 50 अरब अमरीकी डालर के साफ्टवेयर निर्यात आय प्राप्त करने का लक्ष्य है, इस प्रकार विल गेट्स के अनुसार यह वातावरण भारत को साफ्टवेयर के क्षेत्र मे सुपर पावर बना देगा।

हमारे निर्यात उद्योग के नये आयामो का अनुमान कुछ नवीनतम सूचनाओ एव ऑकडो से लगाया जा सकता है।[1]

1 हमारा साफ्टवेयर निर्यात लगभग शत प्रतिशत के हिसाब से बढ रहा है विश्व की अर्थव्यवस्था मे नम्बर एक अमरीका अर्थव्यवस्था नम्बर दो जापान को हम साफ्टवेयर निर्यात कर रहे है। जापान को साफ्टवेयर का निर्यात 1994–95 मे 26 करोड रुपये था जो 1999–2000 मे 400 करोड तक पहुॅच गया।

2 हमारा हार्डवेयर निर्यात जो 1999–2000 मे 600 करोड था 2000–2001 मे 1250 करोड रुपये हो गया है।

3 विश्व के कठिनतम बाजारो मे से एक यूरोपियन यूनियन मे बीपीएल, वीडियोकान एव ओनिडा द्वारा हाल मे 15 लाख टीवी सेट निर्यात करने का आदेश प्राप्त हुआ है।

4 हमारी विश्व प्रसिद्ध दवा कम्पनियॉ रैनवैक्सी, एव डा0 रेड्डीज लैब जीवन रक्षक दवाइयॉ अन्य विदेशी कम्पनियो की तुलना मे आधे दाम पर आपूर्ति करने मे सक्षम है।

5 सेटेलाइट पार्ट्स एव पद्धति, अमरीका एव यूरोप जैसे समृद्ध देशो को हम निर्यात कर रहे हैं निर्यात बाजार की सूचनाए भी हम सेटेलाइट के द्वारा निर्यात करने जा रहे हैं।

6 हाल में भारत एव रूस द्वारा सयुक्त रूप से विकसित एव सफल परीक्षित मिसाइल "ब्रहमोस" हम अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे जल्द लाने जा रहे हैं।

मौजूदा अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्य सार्वभौम आर्थिक बहाली करने के लिए महत्वपूर्ण अधोमुखी जोखिमो को आश्रय देती है। 11 सितबर, 2001 की घटनाओ ने मदी को तीव्र किया और सर्वभौम आर्थिक बहाली के अधोमुखी जोखिमो को बढाया। सार्वभौम मन्दी के इस विस्तार और गहनता ने विश्व अर्थव्यवस्था की अतिसवेदनशीलता बढा कर आघात पहुॅचाया और स्व–सबलता को अधोगामी बना दिया। मध्यावधि मे बहालता की संभावना मुख्यत उन्नत अर्थव्यवस्थाओ द्वारा अपनायी जाने वाली नीतियो पर निर्भर करती है और इन नीतियो का प्रभाव बढे हुए अधोगामी जोखिमो को कम करने के लिए पडेगा। भारत इसके सकल घरेलू उत्पाद मे विदेशी क्षेत्र के तुलनात्मक रूप से कम होने के कारण सार्वभौम मदी से यथोचित रूप से सरक्षित रहा है। फिर भी उन्नत आर्थिक बाजारो मे अधोमुखी परिवर्तन भारतीय निर्यातों की मॉंग को बढा सकता है। निर्यात के लिए ऐसी अपेक्षाकृत अधिक मॉंग अर्थव्यवस्था में समग्र मॉंग

[1] डा0 ए0ए0 सिद्दीकी, इण्डियाज न्यू प्राड्क्टस इन न्यू वर्ल्ड मार्केट, लिविग थ्रु एक्सेलेन्स एण्ड वियान्ड, मोती लाल नहरू रिजनल कालेज इ0वि0वि0, इलाहाबाद, 2002

स्तरो पर निश्चित रूप से प्रभाव डाल सकती है और भारत को मौजूदा आर्थिक मन्दी से बाहर निकालने के लिए घरेलू उपायो के समर्थन मे सहायता कर सकती है।

भारत का वैदेशिक क्षेत्र 1990 के दशक मे आर्थिक सुधारो के बाद विदेशी चुनौतियो और घरेलू आघातो का सामना करने के लिए पर्याप्त आन्तरिक सुदृढता के साथ उभरा है। भारतीय अर्थव्यवस्था अब पहले की तुलना मे कही अधिक मुक्त है। चूकि अर्थव्यवस्था अब और मुक्त हो रही है इसलिए यह क्षमता का लाभ प्राप्त करेगी परन्तु यह व्यापार और वित्तीय सपर्कों के माध्यम से बाहरी आयातो के प्रतिकूल प्रभाव से सुरक्षित नही रहेगी। भारत देश को आर्थिक आधारभूत सिद्धान्तो को और सुदृढ करके ऐसे आघातो के प्रतिकूल प्रभाव से सुरक्षा कर सकता है। इसके लिए निर्यातो, पीओएल के आयातो, पर्यटन की आय, साफ्टवेयर सेवा निर्यातो, विदेशी निवेश प्रवाह और घरेलू मौद्रिक और राजकोषीय नीतियो के क्षेत्र मे लगातार नीतिगत सुधार करने की अपेक्षा है निर्यात एक सतत बने रहने वाले भुगतान सतुलन की कुजी है। चालू खाते के घाटे का स्तर वर्ष 1995–96 के बाद मुख्य रूप से तेल विभिन्न आयातो की कम मॉग के कारण निम्न रहा है। तेल भिन्न आयातो की धीमी वृद्धि मुख्यत औद्योगिक वृद्धि मे मदी को प्रतिबिम्बित करती है। औद्योगिक मदी ने यहॉ तक कि सतुलित पूँजी अन्तर्प्रवाहो के समावेशन को कम किया हैं। जिसके परिणाम स्वरूप, विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भडार के निर्माण मे काफी वृद्धि हुई है। जैसा कि दसवी योजना मे परिकल्पना की गयी है, जब आर्थिक वृद्धि तीव्र होती है, तेल भिन्न आयातो की मॉग मे वृद्धि होती है और चालू खाता घाटा अधिक होता है। इससे यह सकेत मिलता है कि निवल पूँजी प्रवाह, चालू खाते पर अपेक्षाकृत अधिक घाटे का वित्तपोषण करने के लिए वर्तमान स्तर से पर्याप्त रूप से बढेगे। इसके अतिरिक्त हमे ऋण–भिन्न सृजनकारी पूँजी प्रवाहो विशेषकर विदेशी निवेश प्रवाहो, को बढाने के लिए प्रयास करने होगे। इसके अतिरिक्त मौजूदा विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार का स्तर बहुत अनुकूल है और विदेशी क्षेत्र को अधिक मजबूत स्रोत प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि लम्बे समय मे प्रारक्षित भडार की मात्रा और जोखिम समायोजित पूजी प्रवाहो का आकार अर्थव्यवस्था की वृद्धि के अनुरूप होगा।

विगत हाल मे अनेक उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओ के अनुभवो को ध्यान मे रखते हुए, भारत को पूजी लेखे उदारीकरण के प्रति एक चिन्हाकित दृष्टिकोण का अनुपालन करना जारी रखना चाहिये। इससे भारत को व्यवहार्य भुगतान–सतुलन के पर्यावरण मे वृद्धि करने, यथोचित रूप से स्थायी विनिमिय दर वहनीय विदेशी ऋण रूपरेखा और टिकाऊ सुदृढ़ता और वर्धन मे अल्पावधिक सहायता मिलेगी।

# अध्याय सात

# निष्कर्ष एवं सुझाव

स्वभाव तथा ढाचे मे उल्लेखनीय परिर्वतन आये है, इतना ही नही उसकी दिशा मे भी परिर्वतन हुआ है। प्रस्तुत शोध मे हमने भारत के विदेशी व्यापार का अध्ययन इन्ही सब बातो को दृष्टिगत रखते हुए किया है।

जहॉ तक भारत के विदेशी व्यापार का प्रश्न है तो यहॉ यही कहा जा सकता है कि इसका सफर अत्यन्त प्राचीन काल से है इतिहास के अभिलेखो से यह प्रमाणित होता है कि ईसा से 1100 वर्ष पूर्व भी भारतीय व्यापारी दूर–दूर तक वस्तूओ का अदान–प्रदान करते थे। प्राचीन काल मे भारत की बनी हुई वस्तुऍ जैसे– सूती कपडे, धातु के बर्तन, सुगन्धित वस्तुऍ, इत्र, गरम मसाला, आदि की मॉग मिस्र, यूनान, रोम तथा इरान आदि स्थानो पर बहुत थी। इसी व्यापार के लिए भारत ने स्याम, जावा, सुमात्रा और मलाया मे अपने उपनिवेश बनाए थे। देश का विदेशी व्यापार उन दिनो जल और थल दोनो ही मार्गो से होता था। भारत मे प्राचीन काल मे आयात से अधिक निर्यात होता था। विदेशी हमारे व्यापार का भुगतान सोना चॉदी से करते थे। इस प्रकार प्रत्येक वर्ष हमारे देश मे करोडो रूपये का सोना आता था और देश मे भुगतान सतुलन प्रतिकुल होने का प्रश्न ही नही था। किन्तु बाद मे देश की सत्ता विदेशियो के हाथ मे चले जाने के पश्चात् देश का विदेशी व्यापार कई युद्धो एव माहायुद्धो से होते हुए एव आर्थिक मन्दी (1929–30) को झेलते हुए, 15 अगस्त 1947 को स्वतत्रता प्राप्त करने के पश्चात् भारत भी विश्व व्यापार का एक स्वतत्र सदस्य बना। स्वतत्रता से पूर्व देश के आयात और निर्यात की दृष्टि से जो नीतियॉ अपनायी गयी थी, उनका उद्देश्य ब्रिटिश सम्राज्य को अधिक से अधिक लाभ पहुॅचाना था, लेकिन स्वतत्रता के बाद भारत के विदेशी व्यापार का उद्देश्य देश का औद्योगिक विकास एव जीवन स्तर की प्रगति बन गया। स्वतत्रता के पूर्व देश का विदेशी व्यापार निश्चित रूप से अनुकूल था। हमारे निर्यात ने आयात को बढावा दिया। भारत निर्यात मे वाणिज्यिक प्रधान होने के कारण यूरोपियन देश और अन्य देश भारत के साथ ज्यादा व्यापार सम्बन्ध बनाने की कोशिश कर रहे थे। व्यापार की यह महत्वपूर्ण स्थिति तब तक बनी रही, जब तक अग्रेजो ने देश के ऊपर पूर्ण राजनीतिक नियन्त्रण नही स्थापित कर लिया। 1700 ई0 मे भारत लगभग एक मिलियन सूती कपडे और 12,000 रेशमी कपड़े ब्रिटेन को निर्यात करता था इन उद्योगो को तथा रेशमी वस्त्र और सूती वस्त्र क्षेत्र को गम्भीर चोट पहुँचने से ये उद्योग तितर–बितर हो गये।[1]

---

1 कृष्ण बाल, कामार्सियल रिलेशन विटविन इण्डिया एण्ड इग्लैंड (1601–1751) लन्दन, 1924 पृष्ट सख्या 208

उपनिवेश क्षेत्र मे ब्रिटेन ने दो पक्षीय व्यापार नीति अपनायी, वही से देश मे निर्मित माल के निर्यात की अवनति हुई, लेकिन उनके आयात मे वृद्धि हुई। लगभग 2% या 3% भारतीय आर्थिक बढोत्तरी को सन् 1757 से 1939 तक प्रत्येक वर्ष ब्रिटेन मे भेज दिया जाता था, अगर उसी स्तर का विनियोग देश के अन्दर हुआ होता, तो 18 वी सदी के दौरान आर्थिक विकास यू0एस0ए0 और यू0के0 से थोडा ही कम होता। भारत के निर्यात की रकम लगभग 300 करोड रूपये वार्षिक था। 1520 से 1926 मे वह पॉचवा सबसे बडे व्यापारिक राष्ट्र के रूप मे जाना जाता था, जूट और जूट माल, चाय, सूती धागे, तिलहन, मसाले, चमडे और तम्बाकू निर्यात मे विश्व मे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था लेकिन 1930 मे निर्यात आय मे अचानक गिरावट आयी और भारत का निर्यात लगभग 150 करोड रूपये तक नीचे आ गया।[1]

दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दो कारणो से भारतीय निर्यात व्यापार प्रभावित हुआ– पहला ब्रिटेन को अत्यधिक मात्रा मे वस्तुओ की आवश्यकता थी, जैसे– चमडे, कपडे भोजन और सीमेन्ट, ताकि वह युद्ध आवश्यकताओ की पूर्ति कर सके। इसीलिए भारत ने लगभग 17,360 मिलियन रूपये का व्यापार किया। दूसरा विदेशी विनिमय कठिनाईयो को कम करने की दृष्टि से जो ब्रिटेन शासन के द्वारा कुछ विदेशी विनिमय नियन्त्रण मे डाला गया था, इसके कारण आजादी के बाद उनको अच्छा अनुभव प्राप्त हो गया।

जब भारत ने स्वतत्र देश के रूप मे निर्यात करना शूरू किया तो पहले वर्ष मे उसने 1,736 करोड रूपये का शुद्ध मुनाफा कमाया। आजादी के बाद कुछ ही वर्षो मे भारतीय सरकार ने इस शुद्ध मुनाफे का यथाशीघ्र उपयोग करने का कार्य किया। उस समय निर्यात पर कोई भी दबाव नही था। देश की आर्थिक व्यवस्था के निर्माण के कार्य और औद्योगिकरण की तरफ कदम बढाने की आवश्यकता के लिए बहुत बड़े पूँजीगत माल की आवश्यकता थी। इन पूँजीगत मालो का विकसित और औद्योगिकृत देशो से एक कमजोर औद्योगिक आधार के साथ आयात करना पडा। उपलब्ध विदेशी विनिमय स्रोत उस प्रकार के आयात माल से बडी माग के लिए पूर्ण नहीं थे। जब 1951 मे योजना बनाना शुरू किया गया, तब इस बात पर ध्यान दिया गया कि देश मे आर्थिक विकास और औद्योगिकरण के प्रवाहन के लिए निर्यात के द्वारा विदेशी विनिमय प्राप्त किया जाय।

आजादी के पहले दशक और लगभग 60 वी के शुरूआत तक हमारे विदेशी व्यापार के सन्दर्भ मे कोई प्रभावी कदम नही उठाया गया था। विश्व व्यापार 8% वार्षिक की दर से 50 वीं

---

1 भाट वी0वी0, भारत मे आर्थिक परिवर्तन और नीति की छवि (1800–1960 बम्बई, 1963, पृष्ट 51)

और मध्य 60 वी दशक मे प्रत्येक वर्ष बढ रहा था। 1947 मे निर्यात मे विश्व व्यापार लगभग 50 बिलियन डालर कमाया था, और इसमे भारत का भाग लगभग 12 मिलियन डालर था, जो कि विश्व व्यापार का 2 4% है।[1]

वर्ष 1951 से योजना काल के प्रारम्भ होने के पश्चात् प्रथम दशक मे हमारे कुल आयात 7947 3 करोड रूपये तथा कुल निर्यात 5541 6 करोड रूपये हुआ। इस प्रकार इस दशक मे कुल 2405 7 करोड का घाटा हुआ। यद्यपि सरकार ने इस प्रकार के घाटे को रोकने के लिए वर्ष 1957 मे कठोर आयात नीति की घोषणा की किन्तु व्यापार शेष की प्रतिकूलता को रोका नही जा सका।

आजादी के दूसरे दशक मे देश मे जहॉ वर्ष 1962 मे चीन के साथ युद्ध हुआ वही वर्ष 1965 मे पाकिस्तान के साथ युद्ध के साथ–साथ देश को बाढ एव सूखा की विमिषिका को भी झेलना पडा। फलत आयात को हतोत्साहित तथा निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए आजाद देश मे पहली बार 6 जून 1966 को रूपये का 36 5% का अवमूल्यन करना पडा। इस अवमूल्यन का तात्कालिक लाभ यह रहा कि वर्ष 1966 के बाद हमारे व्यापार शेष 1970–71 तक लगातार घटते रहे यह क्रमश वर्ष 1966–67 मे 806 करोड से घटकर 1967–68 मे 788 करोड, वर्ष 1968–69 मे 373 करोड तथा 1969–70 मे 169 करोड, वर्ष 1970–71 मे मात्र 99 करोड तक पहुॅच गया। पुन अगले वित्तिय वर्ष 1971–72 मे हमारे व्यापार शेष मे बढोतरी हो कर 216 करोड हो गया, किन्तु अगले ही वर्ष 1972–73 मे हमारे व्यापार शेष अनुकूल होकर 173 करोड के लाभ मे हो गया। इस प्रकार सरकार ने भारतीय विदेशी व्यापार के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय शुरू किए और सरकार ने निर्यात सम्बर्द्धन के लिए कई कदम उठाये। इन उपायो के अन्तर्गत अवमूल्यन के साथ–साथ उदारीकृत निर्यात नीति, सस्थागत नीतियो कि मजबूती, विभिन्न सम्बर्द्धन योजनाओ को चलाना और निर्यात सम्बर्द्धन सगठन की स्थापना करना एव प्रोत्साहन देना आते हैं। परिणाम स्वरूप वार्षिक औसत निर्यात मे 753 करोड़ रूपये का महत्वपूर्ण विकास हुआ। इस अवधि के दौरान स्वतत्र वाणिज्य मन्त्रालय पर नये अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्रालय की स्थापना, व्यापार नीति और सम्बर्द्धन कार्यो को देखने के लिए तथा देश के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को दिशा एव गति प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना की गयी। इन सबके बाद भी हमारा औसत वार्षिक घाटा 509 5 करोड रूपये का था, क्योकि हमारा कुल निर्यात 9459 करोड तथा आयात 14580 करोड रूपये रहा। चीन एव पाकिस्तान से हुए

---

1 पटेल, आई0जी0 भारत का भुगतान सन्तुलन, विदेशी व्यापार पुनर्दृष्टि की एक समआलोचना, भारती विदेशी सस्थान, नई दिल्ली, वाल्यूम XVI, 1981 पृष्ट 212–214

युद्ध के कारण इस अवधि के दौरान अत्यधिक मात्रा मे रक्षा सामग्री का आयात करने तथा साथ ही बाढ एव सूखा की बजह से खाद्यानो का भी आयात करने से हमारे अर्थव्यवस्था को यह धक्का लगा।

सत्तर के दशक मे भारतीय सरकार ने पहली बार निर्यात की आवश्यकता का अनुभव किया और एक धनात्मक नीति का सूत्रीकरण किया। जिसका नाम निर्यात नीति हल 1970 रखा गया और ससद मे पेश किया गया। अपने देश के निर्यात के इतिहास मे यह हल एक सीमा चिन्ह की तरह है। ये नीतियॉ सावधानी पूर्वक लागू की गई।

1973 मे तेल की कमी से देश के निर्यात प्रभाव मे अवनति हुई। तेल कमी के अलावा पॉचवी योजना के दौरान परिस्थित पहले, दूसरे, तीसरे योजना की तुलना मे अच्छी थी। निर्यात आय, आयात आय के 8 6% के बराबर थी। पॅाचवे योजना के दौरान हमारे निर्यात की सीमा 1974–75 मे 3,329 करोड रूपये और 1977–78 मे 5,408 करोड रूपये के बीच मे था। आजादी के बाद 1976–77 के दौरान दूसरी बार देश ने 68 करोड रूपये का व्यापार लाभ उठाया। पॉचवी योजना के दौरान विपरीत व्यापार सन्तुलन 612 करोड रूपये 1977–78 मे 1,190 करोड रूपये तथा 1975–76 मे 1223 करोड रूपये के मध्य रहा।

1987–90 के दौरान भारत का निर्यात प्रदर्शन 1978–79 के 5,726 करोड तक ऑका गया, जो पिछले वर्ष मे 6 5% अधिक था। 1979–80 मे निर्यात की रकम 6,418 करोड, 12 1% बढोत्तरी प्रदर्शित करती है। पॉचवी योजना के पहले तीन साल के दौरान हुए प्रगति दर सीमा जो कि 19 31% और 31% के बीच था, उसकी तुलना मे यह वार्षिक वृद्धि बहुत कम था। दो वर्षो के दौरान धीमी प्रगति और देश के प्रमुख निर्यात ब्याज के उत्पाद मे वास्तविक गिरावट आ गयी। इस दशक (1970–1980) मे कुल आयात 44,710 करोड रूपये का तथा निर्यात 37,743 करोड रूपये का हुआ। इस प्रकार इन वर्षो मे देखा जाय तो वर्ष 1972–73 व 1976–77 की व्यापार अनुकूलता के बाद भी व्यापार शेष पिछले दो दशको से ज्यादा प्रतिकूल रहा।

छठी पचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्षो के दौरान व्यापार घाटा लगभग 5,000 करोड रूपये हो गया। इस योजना के दौरान सबसे कम घाटा, इसके अन्तिम वर्ष (1984–85) मे 5,390 करोड रूपये हुआ। औसत वार्षिक घाटा इस योजना के दौरान 5,716 करोड रूपये का रहा। इस अवधि के दौरान निर्यात आय केवल आयात के 60% ही हो सकी, और छठी योजना के दौरान व्यापार घाटा बहुत ज्यादा रहा। इस योजना अवधि के दौरान सी0एन0पी0 के द्वारा दिखाए गये घाटे के प्रतिशत से बाजार मे कमी आयी। यह कमी 1980–81 मे 5 1% से 1983–84 मे 3 4% हो गयी। इस योजना अवधि के दौरान कच्चा तेल एक प्रमुख निर्यात वस्तु

के रूप मे सामने आया। कच्चे तेल का निर्यात 1981–82 मे 211 करोड रूपये से 1982–83 मे 1,157 करोड रूपये व 1983–84 मे 1,400 करोड रूपये और 1984–85 मे 1,817 करोड रूपये बढत हासिल कर ली।

सातवी पचवर्षीय योजना के दौरान (1985–86 से 1989–90) काग्रेस (ई) सरकार द्वारा अन्धाधुन्ध उदारीकरण की नीति की तरफ जनता दल सरकार ने भी कदम बढाया, जिसके परिणाम स्वरूप औसत वार्षिक निर्यात केवल 17,382 करोड रूपये तक पहुॅच पाया, और 7,730 करोड रूपये का औसत वार्षिक घाटा पैदा हो गया। सातवे योजना के दौरान हमारे निर्यात की सीमा 1985–86 मे 10,895 करोड रूपये और 1989–90 मे 27,658 करोड रूपये के बीच रहा। इतना भारी व्यापार घाटा उत्पन्न हो जाने के कारण भारत सरकार को मजबूर हो कर विश्व बैंक व अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास 670 करोड डालर का ऋण लेने के लिए प्रार्थना पत्र भेजना पडा। भारत सरकार ने बढते हुए आयात को रोकने के लिए आयात लाइसेन्सो की उदार नीति पर अकुश लगाया। आजादी के इस चौथे दशक मे देश का कुल व्यापार 3,54,721 करोड रूपये रहा, जिसमे आयात 2,19,300 करोड रूपये तथा निर्यात 1,35,421 करोड रूपये रहा। इस प्रकार इस अवधि मे कुल व्यापार शेष 8,3879 करोड रूपये रहा। इस अवधि मे हमारे व्यापार असन्तुलन का मुख्य कारण पेट्रोलियम पदार्थो व खाद्यानो के मुल्यो मे वृद्धि का रूख जारी रहना तथा काग्रेस (ई) व जनता दल सरकार द्वारा अन्धॉधुन्ध उदारीकरण की नीति अपनाया जाना रहा।

आजादी के पॉचवे दशक के प्रारम्भिक वर्ष 1990–91 मे हमारा व्यापार घाटा 10,645 करोड रूपये का रहा, लेकिन हमारी सरकार के निर्यात प्रोत्साहन के प्रयास के कारण निर्यात बढकर 32,553 करोड रूपये का हो गया इस दौरान निर्यात मे 15 3% की वृद्धि हुई। 1991–92 के दौरान व्यापार घाटा 3,810 करोड़ रूपये का रहा। निर्यात मे 42 5% की गिरावट आयी। 1991–92 मे 44,041 करोड रूपये का निर्यात तथा आयात 47,851 करोड़ रूपये रहा। सरकार ने नई व्यापार नीति मे निर्यात को बढाने के लिए बहुत से उपाय किए। जैसे– निर्यात–आयात स्क्रिप्स की इजाजत दिया, नकद क्षतिपूर्ति आलम्बन और रूपये का दो चरणो में अवमूल्यन किया, फिर भी ये सभी उपाय निर्यात को प्रोत्साहित करने मे विफल रहे। 1992–93 के दौरान व्यापार घाटा 9,687 करोड रूपये का हुआ। हमारा विदेशी व्यापार जो वर्ष 1991–92 में 91,892 करोड रूपये था बढकर वर्ष 1993–94 मे 11,7063 करोड रूपये व वर्ष 1998–99 मे 31,7703 करोड रूपये तक पहुॅच गया। यह बढत आगे के वर्षो मे भी जारी है, और हमारा व्यापार वर्ष 1999–2000 मे 37,4797 करोड, वर्ष 2000–2001 मे 43,4444 व वर्ष 2001–2002 (अ)

(अप्रैल–दिसम्बर) मे 33,6198 करोड रूपये रहा है। वर्ष 1991 से 2001 तक देश का व्यापार घाटा क्रमश 3,810, 9,687, 3,350, 7,297, 16,325, 20,103, 24,076, 38,580, 55,675, व 27,302 करोड रूपये का रहा। उक्त आकडो को देखने से यही ज्ञात होता है कि वर्ष 1983–84 को छोडकर हमारा व्यापार शेष लगातार बढा है। स्पष्ट है कि हमारे निर्यात उस गति से नही बढे जिस गति से हमारे आयात बढ रहे है। वाणिज्य मन्त्रालय ने सन् 2001 मे 44 56 विलियन डालर के निर्यात को बढाकर 2006–2007 तक 80 48 विलियन तक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

देश के विदेशी व्यापार की दिशा आजादी के पूर्व ब्रिटेन, उसके उपनिवेशो और उसके मित्र राष्ट्रो के साथ था, यह प्रवृति आजादी के कुछ वर्षो तक देखने को मिलती है, क्योकि तब तक भारत का अन्य देशो के साथ व्यापार सम्बन्ध स्थापित करने मे कोई विशेष सफलता नही मिल पायी थी। जैसे–जैसे इन देशो के साथ राजनैतिक सम्बन्धो का विकास हुआ, वैसे–वैसे आर्थिक सम्बन्ध भी मजबूत होने लगे। अब स्थिति काफी बदल चुकी है और 51 वर्षो के आयोजन के बाद व्यापारिक सम्बन्ध काफी बदल चुके है, हमारा विदेशी व्यापार किसी क्षेत्र विशेष मे केन्द्रित नही है, जैसा कि स्वतन्त्रता के समय था, बल्कि विकेन्द्रित है। अपने विदेशी व्यापार की पश्चिमी यूरोप तथा अमेरिका पर से निर्भरता धीरे–धीरे घट रही है, और पूर्वी यूरोप के देशो विशेष रूप से यू0एस0एस0 आर0, जर्मनी आदि तथा आसियान देशो जैसे– जापान तथा ओपेक देशो से हमारा विदेशी व्यापार बढ रहा है। इस प्रकार पहले की अपेक्षा अब निर्यात के लिए अधिक बाजार तथा आयात के लिए अधिक स्रोत खुले है। इससे एक बात यह भी सामने आती है कि भारत का विदेशी व्यापार ओपेक देशो, जापान, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका देशो मे बढ सकता है।

1950–51 मे भारत के आयातो मे इग्लैण्ड का हिस्सा 20 8% तथा अमरीका का 18 3% था, अर्थात दोनो देशो का कुल हिस्सा मिलाकर 39 1% था। एक दशक के भीतर ही पश्चिमी जर्मनी, कनाडा तथा सोवियत सघ जैसे राष्ट्रो से व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित किए जाने के कारण इग्लैण्ड और अमरीका की सापेक्षिक स्थिति मे परिर्वतन हुआ, तथा अमरीका प्रथम स्थान पर आ गया। एक दो वर्षो को छोड दिया जाय तो अमरीका की यह स्थिति लगातार बनी रही, और सर्वाधिक आयात अमरीका से ही किया गया है। जापान, जर्मनी तथा सोवियत सघ से व्यापारिक सम्बन्धो के विस्तार होने के साथ इग्लैण्ड पर निर्भता कम होती गयी। वर्ष 1960–61 मे भारत के आयातो मे इग्लैण्ड का हिस्सा 19 4% था जो कम होते–होते 2000–2001 में 6 3% रह गया। दूसरी और जापान का आयात व्यय मे हिस्सा 1950–51 मे 1 5% से बढकर वर्ष

1995–96 मे 6 7% तक पहुँच गया था, किन्तु भारत द्वारा परमाणु परीक्षण किए जाने के कारण 13 मई 1998 को अमेरिका द्वारा लगाये प्रतिबन्धो के कारण आयात हिस्सा पुन कम होकर वर्ष 2000–2001 मे 3 6% रह गया है। हाल के वर्षो मे भारत कई क्षेत्रो मे जापान के साथ सहयोग किया है जिससे उस देश के आयातो मे काफी वृद्धि हुई है।

सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम यह रहा कि समाजवादी देशो, विशेष तौर पर भूतपूर्व सोवियत सघ के साथ व्यापारिक सम्बन्धो मे तेजी से वृद्धि हुई। 1950–51 मे सोवियत सघ से आयात नगण्य था 1960–61 मे मात्र 16 करोड रहा, किन्तु उसके बाद आयातो मे तेजी से वृद्धि हुई और उसका हिस्सा वर्ष 1960–61 मे 1 4% से बढ कर 1970–71 मे 6 5% तक पहुँच गया, तथा कई वर्षो मे भारत के आयातो मे अमरीका के बाद सोवियत सघ का दूसरा स्थान रहा। तत्पश्चात 1984–85 मे आयातो मे सोवियत सध का हिस्सा 10 4% हो गया तथा उसने अमरीका को विस्थापित कर प्रथम स्थान ले लिया। पुन परिर्वतन के परिणाम स्वरूप 1985–86 मे अमरीका प्रथम जापान द्वितीय तथा सोवियत सघ तृतीय स्थान पर पहुँच गया। आज वर्तमान समय मे सोवियत सध विघटन के कारण भारत के आयात मे उसका हिस्सा 1960–61 मे 1 4% से कम होकर 2000–2001 मे मात्र 1 00% रह गया है। जबकि अमेरिका आज भी अपनी पूवर्त स्थिति प्रथम स्थान पर बना हुआ है। वर्ष 2000–2001 मे आयातो मे 5 6% की गिरावट आयी है इसी प्रकार पूर्वी यूरोप, ओपेक क्षेत्र तथा विकासशील देशो से आयातो का हिस्सा उक्त वर्ष के दौरान क्रमश 1 3%, 5 1% तथा 17 5% पर कम था।[1] तद्नुसार आयातो की अवशिष्ट श्रेणी से कुल आयातो के हिस्से मे तीव्र वृद्धि हुई थी। उक्त वर्ष के दौरान उच्चतर स्तरो पर कच्चे तेल की कीमतो की सापेक्षिक स्थिरता अवशिष्ट गतव्यो से आयातो के हिस्से मे वृद्धि के साथ–साथ ओपेक क्षेत्र से दूर तेल आयातो के उद्गम मे परिर्वतन का सुझाव दे सकती है। ओ0ई0सी0डी0 क्षेत्र मे कुल आयातो मे आयात का हिस्सा वित्तीय वर्ष 2001–2002 के पहले सात महीनो के दौरान 38 3% तक और गिर गया, बावजूद इसके कि उन देशो जैसे – फ्रास, जर्मनी, नीदरलैण्डस, अमरीका, कनाडा तथा आस्ट्रेलिया से अप्रैल–अक्टूबर, 2001 के दौरान आयातो मे महत्वपूर्ण वृद्धियॉ हुई थी, जबकि पूर्वी यूरोप का हिस्सा कायम रखा गया है, ओपेक और विकासशील देशो के आयातो के हिस्से क्रमश 5 7% तथा 19 1% तक बढ गये। चुनिदा पूर्वी एशियाई देशो से आयातो का हिस्सा वित्तीय वर्ष 2001–2002 के पहले सात महीनो के दौरान लगभग 12% पर स्थिर रहा।

---

1 आर्थिक समीक्षा वर्ष 2001–02

हमारे निर्यातो की दिशा मे 1950–51 मे योजना प्रक्रिया शुरू होने के पूर्व इग्लैड का हिस्सा कुल निर्यात मे 23 3% था जो 1970–71 मे ही गिर कर 11 1% तथा वर्ष 2000–2001 तक आते आते मात्र 5 2% रह गया है। अमेरिका का भारतीय निर्यात मे हिस्सा वर्ष 1950–51 मे 19 3% तथा 1960–61 मे 16 0% था, इस प्रकार यह दूसरे स्थान पर था। स्पष्ट है कि भारत का निर्यात हिस्सा क्रमश 42 6% तथा 43 00% इग्लैण्ड तथा अमेरिका के साथ था। व्यापारिक सम्बन्ध अविकसित रहने के कारण अन्य देशो के साथ निर्यात आय मे योगदान कम था। किन्तु 1960–61 के पश्चात् व्यापारिक सम्बन्धो मे तेजी से परिर्वतन हुआ जहॉ सोवियत सघ को 1950–51 मे 11 करोड के स्थान पर 1970–71 मे 210 करोड तथा 1985–86 मे 2,006 करोड का निर्यात किया गया। भारत के निर्यात आय मे वर्ष 1985–1986 मे इसका प्रथम स्थान, अमेरिका का द्वितीय, तीसरा जापान, चौथा इग्लैंड तथा पॉचवा स्थान पश्चिमी जर्मनी का था। पुन स्थिति मे परिवर्तन के फलस्वरूप 1989–90 तक अमेरिका का प्रथम स्थान, सोवियत सघ का दूसरा तथा जापान का तीसरा स्थान रहा। वर्ष 1990–91 मे 16 1% के निर्यात हिस्सेदारी के साथ सोवियत सघ का प्रथम स्थान तथा 14 7% की हिस्सेदारी के साथ अमेरिका दूसरे स्थान पर रहा। पिछले कुछ वर्षो मे समाजवादी देशो मे हो रही उथल–पुथल के कारण तथा सोवियत सघ के विघटन के कारण, पूर्वी यूरोप को किए जाने वाले निर्यात मे भारी कमी हुई है। सत्र 2000–2001 मे रूस का भारतीय निर्यात मे मात्र 2 0% का हिस्सेदारी रहा है। उक्त वित्तीय वर्ष मे अमेरिका का प्रथम, इग्लैण्ड द्वितीय जर्मनी तृतीय, जापान चतुर्थ एव बैल्जियम पचम स्थान पर रहा। इस वर्ष मे निर्यात की दिशा ने उन गन्तव्यो जैसे– ओ0ई0सी0डी0, ओ0पी0ई0सी0 तथा एशिया, अफ्रिका, लैटिन, अमेरिका मे विकाशील देशो को भारत के निर्यातो मे महत्वपूर्ण वृद्धियॉ दर्शाई। विकासशील देशो के मध्य लैटिन अमेरिका तथा कैरिबियन क्षेत्रो को निर्यात 50 0%, अफ्रीकी क्षेत्र को 27 1% तथा एशियाई क्षेत्र को 23 8% बढ गये है। तथापि पूर्वी यूरोप के निर्यातो मे वर्ष 2000–2001 मे पिछले वर्ष के 24 7% की वृद्धि की तुलना मे 3 8% की गिरावट दर्ज की गयी। कुल निर्यात मे क्षेत्र वार हिस्से के सम्बन्ध मे जिस समय OECD तथा पूर्वी यूरोप के हिस्से मे वर्ष 2000–2001 मे गिरावट आयी, वहीं ओपेक तथा अन्य विकासशील देशो के हिस्से मे इस अवधि के दौरान वृद्धि हुई। OECD देशो को कुल निर्यातो के हिस्से मे आयी गिरावट के बाद भी इस क्षेत्र मे विकसित देशो जैसे, फ्रास, यू0के0, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, बैल्जियम तथा जापान के निर्यातो मे उक्त वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई। मुख्य देशो मे एशिया, अफ्रीका, तथा लैटिन अमरीका के विकसित देशो जिनमे थाइलैंड, मलेशिया,

चीन, श्रीलका, सिगापुर, बग्लादेश, मिस्र, केन्या नाइजीरिया, ब्राजील, मैक्सिको तथा चिली शामिल है, के निर्यातो के हिस्से मे योगदान किया।

OECD क्षेत्र को निर्यात अप्रैल–अक्टूबर 2001 के दौरान पिछले वर्ष की सगत अवधि मे 13 8% की वृद्धि की तुलना मे इस क्षेत्र मे साधारण मदी को दर्शाते हुए 12 8% की महत्वपूर्ण कमी हुई। इस क्षेत्र के बडे देशो जिनमे अमरीका, कनाडा, जापान, जर्मनी, नीदरलैण्डस, बैल्जियम, आस्ट्रेलिया, तथा यू0के0 शामिल है, के निर्यातो मे गिरावट देखी जा सकती है। वर्ष 2001–2002 मे यू0के0, बैल्जियम, जर्मनी तथा जापान के साथ सयुक्त राज्य अमेरिका हमारा बडा व्यापारिक भागीदार बना रहा। तथापि वित्तीय वर्ष 2001–2002 के दौरान स्विटजरलैड पॉचवे सबसे बडे व्यापारिक भागीदार के रूप मे उभरा है। भारत–चीन द्विपक्षीय व्यापार मे अत्यधिक वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2000–2001 तथा वित्तीय वर्ष 2001–2002 के पहले सात महीनो के दौरान लगभग 26% बढ गयी। वर्ष 2000–2001 के दौरान जहॉ चीन को अमरीकी डालर मूल्य मे हमारे निर्यात 53 9% बढे, वही चीन से आयात 14 1% से अधिक थे। अप्रैल–अक्टूबर 2001 के दौरान जहॉ निर्यात 20 5% बढे, वही चीन से आयात 29 3% बढे। दूसरी तरफ भारत–नेपाल द्विपक्षीय व्यापार मे वृद्धि मुख्यत नेपाल को हमारे निर्यात मे 6 9% की कमी के कारण वर्ष 1999–2000 मे 30 2% से घट कर वर्ष 2000–2001 मे 16 8% हो गयी। वित्तीय वर्ष 2001–2002 मे अब तक जहॉ द्विपक्षीय व्यापार मे वृद्धि हुई वहॉ नेपाल से आयात हमारे 57 7% बढे हुए निर्यात की तुलना मे 85 1% बढ गया है। व्यापार सम्बन्धी भारत–नेपाल सधि मे उचित सशोधन परिवर्तन घरेलू उद्योग के हितों के सरक्षण के लिए विचाराधीन है। 5 दिसम्बर, 2001 से तीन महीनो की एक अवधि के लिए सधि के सीमित विस्तार पर सहमति हो चुकी है, तकि सधि की वार्ताए निष्पादित की जा सके। निर्यात के नये आयामो मे वर्तमान समय मे विशेषकर उदारीकरण कार्यक्रम के प्रारम्भ होने के पश्चात् भारत के आयात निर्यात मे कई नये महत्वपूर्ण आयाम जुडे है। चूॅकि हमारा निर्यात बढाने पर अधिक जोर हैं, न कि आयात पर। इस लिए निर्यात के महत्वपूर्ण नये आयामो को हम देखे तो उसमे कृषि उत्पाद, कृषि आधारित उत्पाद, फल, फूल, कम्प्यूटर के नये क्षेत्र, सेटेलाइट एव मिसाइल आदि महत्वपूर्ण हैं। कृषि उत्पादो मे वर्ष 1998–99 मे 2,919 मिलियन अमेरीकी डालर आयात की तुलना मे निर्यात 6,037 मिलियन अमरीकी डालर, वर्ष 1999–2000 मे 2,858 मिलियन अमेरीकी डालर आयात की तुलना मे निर्यात 5,608 मिलियन अमेरीकी डालर तथा वर्ष 2000–2001 मे कृषि उत्पाद आयात 1,858 मिलियन अमरीकी डालर की तुलना मे कुल कृषि उत्पाद निर्यात 6,004 मिलियन अमेरीकी डालर रहा। वर्तमान समय मे भारत विश्व का सातवा सबसे बडा गेहूॅ निर्यातक देश बन गया हैं। गेहूँ

के विश्व कारोबार मे गिरावट के वाबजूद इस समय करीब 20 देश भारत से गेहूँ का आयात कर रहे है।[1]

कम्प्यूटर के क्षेत्र मे भी असीम सम्भावनाएँ है क्योकि इस समय पूरे विश्व की नजर भारतीय कम्प्यूटर उद्योग पर टिकी हुई है। कच्चे माल तथा प्रौद्योगिकी की उपलब्धता होने के साथ–साथ भारत मे कुशल तकनीकीविदो की भरमार है। भारत सरकार की घोषणा के अनुसार सन् 2003 तक प्रत्येक स्कूल, पॉलीटेक्नीक कालेज, और विश्व विद्यालयो मे इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध कराने तथा अगले पॉच वर्षो मे विदेशी व्यापार की दृष्टि से साफ्टवेयर विकास मे 60% वृद्धि की आशा की गयी है। जिसमे सन् 2008 तक प्रतिवर्ष 50 अरब अमेरीकी डालर के साफ्टवेयर निर्यात आय प्राप्त करने का लक्ष्य है। इस प्रकार बिल गेट्स के अनुसार यह वतावरण भारत को साफ्टवेयर के क्षेत्र मे सुपर पावर बना देगा। वर्तमान मे हमारा साफ्टवेयर निर्यात लगभग शतप्रतिशत के हिसाब से प्रतिवर्ष बढ रहा है। विश्व की अर्थव्यवस्था मे नम्बर एक अमरीका व अर्थव्यवस्था नम्बर दो जापान को हम साफ्टवेयर का निर्यात कर रहे है। वर्ष 1994–95 मे 26 करोड रूपये साफ्टवेयर के निर्यात के स्थान पर वर्ष 1999–2000 मे 400 करोड रहा, वही हमारा हार्डवेयर निर्यात जो 1999–2000 मे मे 600 करोड का था 2000–2001 मे 1250 करोड रूपये तक पहुॅच गया।[2]

विश्व के कठिनतम बजारो मे से एक यूरोपियन यूनियन मे बी0 पी0 एल0, विडियोकॉन एव ओनिडा द्वारा हाल मे 15 लाख टी0 वी0 सेट निर्यात करने का आदेश प्राप्त हुआ है। हमारी विश्व प्रसिद्ध दवा कम्पनियॉ, रैनवैक्सी एव डा0 रेड्डीज लैब, जीवन रक्षक दवाईयॉ अन्य विदेशी कम्पनियो की तुलना मे आधे दाम पर आपूर्ति करने मे सक्षम हैं। जहॉ तक सेटेलाइट क्षेत्र की बात है तो उसमे भी हम सेटेलाईट पार्टस एव पद्धति, अमरीका एव यूरोप जैसे देशो को निर्यात कर रहे है। निर्यात बजार की सूचनाएँ भी हम सेटेलाईट के द्वारा निर्यात करने जा रहे हैं। अभी हाल मे ही भारत एव रूस द्वारा सयुक्त रूप से विकसित एव सफल परीक्षित मिसाइल "ब्रहमोस" हम अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे यथाशीघ्र लाने जा रहे हैं। हाल के वर्षो मे निर्यात आयात नीति मे कई प्रकार के उपायो का उल्लेख किया गया है। कुछ कर रियायते दी गई हैं, कुछ कार्यप्रणालियो को मुक्ति युक्त बनाने का प्रयास किया गया है, मात्रात्मक प्रतिबन्ध हटा दिए गये

---

1 दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान, दिनाक 7 7 2002

2 डा0 ए0ए0 सिद्दीकी, इण्डियाज न्यू प्रोडक्ट्स इन न्यू वर्ल्ड मार्केट, लिविंग थ्रु एक्सलेन्स एण्ड वियान्ड, मोती लाल नेहरू रिजनल कालेज इ0 वि0वि0, इलाहाबाद–2002

है, और विशेष आर्थिक क्षेत्र को और अधिक प्रोत्साहन देने पर बल दिया गया है। इन सब उपायो से यह आशा की जाती है कि दसवी योजना के दौरान निर्यात मे 11 9% की औसत वार्षिक वृद्धि होगी और वे सन् 2007 तक बढकर 80 अरब यू0एस0 डालर के स्तर पर पहुँच जाएगे। यह एक अभिनन्दनीय पहल है। इस नीति का एक और सकारात्मक लक्षण अफ्रीका के देशो पर ध्यान केन्द्रित करना है ताकि अफ्रीका के देशो को होने वाले भारतीय निर्यात को बढावा प्राप्त हो सके। इस पहल से सम्भवत भारतीय निर्यात इस बढते हुए बाजार मे प्रवेश कर सकेगे जिसकी अभी तक उपेक्षा की जा रही थी।

एक और महत्वपूर्ण पहल जिसका उल्लेख करना अनिवार्य है, वह है भारतीय बैंको को विदेशो मे शखाएँ खोलने की अनुमति देना। इसका उद्देश्य निर्यातको को अन्तर्राष्ट्रीय दरो पर अन्तर्राष्ट्रीय वित्त उपलब्ध कराना है। इससे निर्यातको के लिए उधार की लागत कम हो जाएगी और अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेगे। यह पहल जिसको विशेष आर्थिक क्षेत्रो के लिए केन्द्रित किया जाएगा, इस नीति का एक और अभिनन्दनीय पहलू है।

किन्तु आलोचको ने इस निर्यात आयात नीति के सन्दर्भ मे कई मुद्दे उठाये है, जिन पर विचार करना आवश्यक है। चाहे वाणिज्य एव उद्योग मत्री श्री मारन ने 11 9% औसत वार्षिक निर्यात का लक्ष्य अगले पॉच वर्षो के लिए रखा है, परन्तु प्रश्न यह उठता है कि क्या दशवी योजना मे समस्त देशीय उत्पाद की औसत 8% वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए यह लक्ष्य प्रर्याप्त है ? दशवी योजना के लिए 14 15% औसत वार्षिक निर्यात दर प्राप्त करने के लक्ष्य का सुझाव दिया गया है। अत निर्यात आयात नीति (2002–2007) द्वारा निर्धारित लक्ष्य दसवी योजना की आवश्यकता के लिए नाकाफी है। दूसरे 1991–2000 के दौरान निर्यात की औसत वार्षिक वृद्धि दर 9 8% रही और इस कारण 11 9% के लक्ष्य को मर्यादित ही कहा जा सकता है और किसी भी दृष्टि से "साहसपूर्ण" की सज्ञा नही दी जा सकती।

निर्यात नीति, कृषि के निर्यात को बढावा देना चाहती है, और इस कारण यह गेहूँ के निर्यात को बढाना चाहती है, ताकि देश मे 1 जनवरी 2002 तक एकत्रित 580 लाख टन के विशाल वफर स्टाक को कम किया जा सके। सरकार के सामने दो विकल्प है– एक तो यह कि खाद्यान्नो का निर्यात कर विदेशी मुद्रा अर्जित की जाय और दूसरा इस खाद्यान्न का प्रयोग रोजगार के लिए खाद्य कार्यक्रम मे प्रयोग किया जाय, और इस प्रकार सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रम मे रोजगार कायम किया जाए। यह बात अत्यन्त निराशाजनक है कि भारतीय खाद्य निगम गेहूँ को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे पशुओ के चोर के रूप मे मिट्टी के भाव पर बेच रहा हैं। प्रश्न उठता है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्राप्त गेहूँ की किस्म इतनी घटिया क्यो है? जबकि

सरकार साल दर साल किसानो के लिए गेहूँ के समर्थन मूल्य मे वृद्धि करती रही है। इससे यह बात साफ हो जाती है कि भारतीय खाद्य निगम के कार्यालायो मे भारी भ्रष्टाचार विद्यमान है। केन्द्र सरकार भारतीय खाद्य निगम के गोदामो से राज्य सरकार को खाद्यान्न उठाने के लिए राजी करने मे विफल हुई है, और यह बात सर्वविदित है कि जहॉ सन् 2000–2001 मे 285 5 लाख टन चावल और गेहूँ का आवटन सार्वजनिक वितरण प्राणाली के लिए किया गया, वहॉ राज्य सरकारो द्वारा केवल 7 2 लाख टन उठाया गया अर्थात आवटन का केवल 41%। इसका मुख्य कारण खाद्यान्नो की ऊँची कीमत निश्चित करना था, और यह नीति विवेकहीन थी। इसका परिणाम यह हुआ कि जनता ने खुले बाजार से खाद्यान्नो को खरीदने मे तरजीह दी और सार्वजनिक वितरण प्राणाली से उपलब्ध होने वाले घटिया अनाज को नकार दिया। यदि सरकार कृषि उत्पादो के निर्यात को बढाना चाहती है तब इसे गेहूँ और चावल की किस्म को उन्नत करने की ओर ध्यान देना होगा ताकि इससे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छी कीमत प्राप्त की जा सके सके।

सरकार 2001 मे चालू किए गये कृषि निर्यात क्षेत्रो की अवधारणा को और आगे बढाना चाहती है। उद्यान आधारित कृषि उत्पादो के लिए 20 ऐसे क्षेत्रो को स्वीकृति दी गयी है। सरकार ताजा एव ससाधित फलो, सब्जियो, दुग्ध एव पुष्प तथा गेहूँ एव चावल के निर्यात के लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना चाहती है। यह प्रत्याशा की जाती है कि परिवहन सुविधा से कृषि उत्पादों के निर्यात को बढावा मिलेगा। परन्तु इस सम्बन्ध मे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या सरकार को परिवहन सुविधा को एक प्रभावी उपकरण मान कर इस पर निर्भर रहना चाहिए, या इस समस्या के अधिक स्थिर और टिकाऊ समाधान के लिए कुशल परिवहन प्राणाली का विकास करना चाहिए। जाहिर है कि परिवहन सुविधा, एक कुशल परिवहन प्रणाली का प्रतिस्थापक नही बन सकता।

अपने कृषि उत्पादो के लिए ऊँची कीमत प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि खाद्य–ससाधन पर बल दिया जाय। इस उद्देश्य के लिए खाद्य–प्रसस्करण के लिए एक अलग मन्त्रालय कायम किया गया, परन्तु अभी तक इस मन्त्रालय का कार्य पूरी तरह निराशाजनक रहा है। कृषि उत्पादनो मे मूल्य वृद्धि 15–20 प्रतिशत रही है जबकि यह विकसित देशो मे शत प्रतिशत से भी अधिक है। भारत के खाद्य प्रसस्करण द्वारा मूल्य वृद्धि को बढाने की ओर प्रयास करना चाहिए।

निर्यात–आयात नीति मे विशेष आर्थिक क्षेत्रो पर भारी बल दिया गया है, जो कि पहले प्रोन्नत किए जा रहे निर्यात–प्रोन्नति क्षेत्र और निर्यात प्रेरित इकाईयो का ही नया स्वरूप हैं।

परन्तु निर्यात–प्रोन्नति क्षेत्रो और निर्यात प्रेरित इकाईयो का अनुभव कुछ अच्छा नही रहा है। ये दोनो मिलाकर कुल निर्यात का 12 प्रतिशत कारोबार करते है। बहुत सी कार्यविधि सम्बन्धी अडचनो के कारण बेहतर निष्पादन दिखा नही पाये। यह अधिक वाछनीय होगा, यदि विशेष आर्थिक क्षेत्रो के लिए अत्यधिक अधिकारतत्रीय रूकावटे खडी न की जाए और उन्हे निर्यात–बजारो मे प्रवेश के लिए समर्थन दिया जाय। यह बात ध्यान मे रखनी होगी कि चीन मे विशेष निर्यात क्षेत्रो द्वारा कुल निर्यात का 40% निर्यात किया जाता है। भारत को विशेष आर्थिक क्षेत्रो के निष्पादन को उन्नति करने के लिए सबक लेना चाहिए। निर्यात–आयात नीति मे कुटीर तथा हस्ताशिल्प क्षेत्र और लघु–स्तर क्षेत्रो के लिए जो कि देश के कुल निर्यात मे 35% योगदान देते है, कुछ रियायते दी गयी है। परन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि इस नीति मे इस क्षेत्र के सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू अर्थात बैक उधार का विस्तार करने की ओर कोई ध्यान नही दिया गया। यहॉ यह उल्लेख करना जरूरी है कि उदारीकरण–उपरान्त काल मे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए उधार उपलब्ध कराने पर कम बल दिए जाने के परिणामस्वरूप, लघु स्तर इकाईयो को प्रर्याप्त मात्रा मे उधार उपलब्ध नही कराया गया। इसमे सशोघन होना चाहिए।

निर्यात–आयात नीति (2002–2007) मे कुछ पहले चल रही रियायते एव राहते कायम रखी गयी है। ये है शुल्क अर्हता पासबुक स्कीम, अग्रिम लाइसेन्स, निर्यात सवर्धन पूजी वस्तु स्कीम। इन योजनाओ का मूल आधार यह है कि यदि निर्यातक इन आयातित आदानो का प्रयोग करता है तो इसे ये शुल्क मुक्त प्राप्त होने चाहिए। परन्तु इन सभी रियायतो और प्रोत्साहन के बावजूद 2001–02 मे हमारे निर्यात मे केवल 1 5% नाम मात्र वृद्धि ही हो पायी। 1991–2000 की अवधि के दौरान आयात की वृद्धि दर निर्यात वृद्धि दर की अपेक्षा ऊँची रही है। इसका तात्पर्य यह है कि विदेशी भारतीय बाजार मे प्रवेश करने मे अधिक सफल हुए हैं, और इसकी तुलना मे भारतीय विदेशी बाजारो मे अपेक्षाकृत कम प्रवेश कर पाये है। अत जब तक केन्द्र एव राज्य सरकारे बन्दरगाहो पर वस्तुओ की गतिविधि को सुविधाजनक बनाने के लिए आधार सरचना को उन्नत नही करती, तब तक इच्छित परिणाम प्राप्त नही हो सकेगे। इस नीति मे गैर तराशे हीरो पर सीमा शुल्क हटा कर इन्हे शुल्क–मुक्त कर दिया गया है। परन्तु यदि हम रत्नो एव आभूषणो के कुल निर्यात मे इनके शुद्ध निर्यात का परीक्षण करे तो यह पता चलता है कि इनका भाग 1995–96 मे 60 1% से कम होकर 1999–2000 में 28% हो गया

और फिर थोडा सा उन्नत होकर 34 9% हो गया। इससे यह बात रेखाकित होती है कि केवल आयात शुल्क मे कोटौती से इनके निर्यात को आवश्यक प्रोत्साहन प्राप्त नही होगा।[1]

सक्षेप मे यह कहा जा सकता है कि केवल वाणिज्य एव उद्योग मन्त्रालय ही निर्यात को बढाने के लिए उचित वातावरण कायम नही कर सकता। इसके लिए उसे ऊर्जा मन्त्रालय एव परिवहन मन्त्रालय के साथ समन्वय स्थापित करना होगा, ताकि निर्यात के लिए माल की ढुलाई मे विलम्ब को कम किया जा सके। इसी प्रकार वाणिज्य मन्त्रालय को, वित्त मन्त्रालय को इस बात के लिए राजी करना होगा, कि आधार सरचना विकास के लिए अधिक ससाधन उपलब्ध कराये। न कि केवल केन्द्र एव राज्य सरकारो को अपने निर्यात बढाने के उपायो मे तालमेल बिठाना होगा। यह उद्देश्य तभी प्राप्त हो सकता है जब हमारे निर्यात अधिक प्रतिस्पर्द्धी बन जाए। इसके लिए निर्यात क्षेत्र मे प्रौद्योगिकी मे सुधार करना होगा और एक कुशल आधार सरचना का विकास करना होगा। निर्यात–आयात नीति (2002–2007) का केन्द्र बिन्दु शुल्क काटौती और कुछ रियायतो को उपलब्ध कराने तक सीमित रहा है, इसकी सफलता के लिए इसका विस्तार करना होगा।

भारत मे दवा मे काम आने वाले पौधो की सख्या 80 हजार से भी अधिक है और हम इन पौधो के निर्यात मे विश्व मे नम्बनर एक पर आ सकते है, परन्तु हमारा यह निर्यात विश्व मे ऐसे पौधो के निर्यात का केवल 2 5% है, जबकि केवल चीन का हिस्सा 40% है।[2] इसी प्रकार कृषि निर्यात मे भी इसके निर्यात को बढाने के लिए कृषि उत्पादकता मे वृद्धि करना आवश्यक होगा। उसके लिए नई तकनीको का प्रयोग आवश्यक होगा। उदाहरणार्थ अमरीका मे खेतो का औसत आकार 1 23 हेक्टेयर है, और चावल का औसत उत्पादन 5500 किलोग्राम है जबकि जापान मे यह सख्या क्रमश 2 हेक्टेयर व 6300 किलोग्राम है। इन सब के साथ हमे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र मे अभी और ध्यान देने की जरूरत है क्योकि इस क्षेत्र मे असीम सम्भावनाएँ है। अपने निर्यात को बढाने के लिए प्रमापीकरण एव गुणवत्ता में सुधार लाना आवश्यक है, तभी हम यूरोपियन सघ जैसे देशो मे जहॉ ISO 9000 जैसे प्रमाण पत्र आवश्यक है, मे प्रवेश कर पायेगें। जिन देशो मे भारतीय मूल के निवासी अधिक रहते है वहाँ हमारा निर्यात तुलनात्मक रूप से अधिक है। फिक्की द्वारा 22 देशो के अध्ययन से यह सूचना प्राप्त की गयी है। अत ऐसे देशो मे अपना निर्यात बढाने के कदम अधिक कारगर हो सकते है।

---

1 रूद्र दत्त (अर्थ चर्चा) राष्ट्रीय सहरा 1 मई 2002, पृष्ठ संख्या 8।

2 डा0 ए0ए0 सिद्दीकी, इण्डियाज न्यू प्रोडक्ट्स इन न्यू वर्ल्ड मार्केट, लिविग थ्रु एक्लेन्स एण्ड बियान्ड, मोतीलाल नेहरू रिजनल कालेज, इ0वि0वि0 इलाहाबाद–2002।

# संदर्भ ग्रंथ–सूची

## पुस्तके


- अग्रवाल, डॉ0 एस0एस0 एव डॉ0 सी0 एस0 बरला — "अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र" लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा – 3।
- अग्रवाल अमरनाथ एव लाल कुन्दन — "आर्थिक आयोजन के सिद्धात" द मैकमिलन कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड, दिल्ली।
- अग्रवाल ए0 एन0 — "पोजिशन एण्ड प्रासपेक्टस आफ इण्डियाज फारेन ट्रेड" ए सर्वे आई ट्रेड कमीशनर्स चण्डीगढ।
- काली पाडा देव — "एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी इन इण्डिया" सुल्तान चन्द्र एण्ड कम्पनी लि0, नई दिल्ली।
- कृष्ण बाल — "कामर्सियल रिलेशन, विटविन इण्डिया एण्ड इग्लैंड" (1601 से 1757), लन्दन।
- कृष्ण मनमोहन — "नव आर्थिक व्यवस्था एव आर्थिक सगठन" हेराईजन पब्लिशर्स , इलाहाबाद।
- गुर्टू डॉ0 डी0 एन0 — "अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र" कालेज बुक डिपो जयपुर।

- ✍ गोपाल बाल टी० ए० एस० — "निर्यात प्रबन्धन" हिमालय पब्लिशिग हाऊस, मुम्बई ।
- ✍ ग्रोवल एच० — "द थियरी आफ फ्री इकोनामिक्स एक्टवीटी जोन्स" सीमेन प्रेस यूनिवर्सीटी मीमको।
- ✍ चिस्ती सुमीत्रा — इण्डियाज टर्मस आफ ट्रेड" ओरियेन्ट लगमेन लि० नई दिल्ली।
- ✍ जालान विमल — "भारत की अर्थ नीति" राज कमल पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
- ✍ जालान विमल — "भारत का आर्थिक सकट" नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली।
- ✍ जालान विमल — "इण्डियाज इकोनोमिक पॉलिसी प्रिपेयरिंग फार द 21वी सेचुरी" पेग्विन पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
- ✍ जैन प्रो० पी० के० — "भारतीय अर्थव्यवस्था" विशाल प्रकाशन मन्दिर, मेरठ–2 ।
- ✍ जैन डॉ० जे० के० — "क्रियात्मक प्रबन्ध" प्रतीक प्रकाशन इलाहाबाद।
- ✍ जैन पी० सी० — "भारत की आधुनिक आर्थिक प्रगति" हन्दी समिति सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

| | |
|---|---|
| ✍ झिगन डॉ0 एम0 एल0 | "विकास का अर्थशास्त्र एव आयोजन" बृदा पब्लिसिग प्रा0 लि0, दिल्ली – 91 । |
| ✍ दत्त रूद्र एव के0 पी0 एम0 सुन्दरम् | "भारतीय अर्थव्यवस्था" एस0 चन्द्र एण्ड कम्पनी लि0 रामनगर, नई दिल्ली – 5 । |
| ✍ देवराज विवेक | फारेन ट्रेड पालिसी चेजेज एण्ड डेवैल्यूशन करेन्ट परसपेक्टिव, नई दिल्ली । |
| ✍ धीगरा ईश्वर | "भारतीय अर्थव्यवस्था" सुल्तान चन्द्र एण्ड सन्स, दारियागज, नयी दिल्ली। |
| ✍ नागर डॉ0 विष्णुदत्त एव गुप्त डॉ0 राम प्रताप | "आर्थिक विकास के सिद्धात एव समस्यएँ द मैकमिलन कम्पनी आफ इण्डिया, नई दिल्ली। |
| ✍ नैयर दीपक | "इण्डियाज एक्सपोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट पॉलिसी, कैम्ब्रीज विश्व विद्यालय प्रेस, ब्लाकी एण्ड सन्स (इ0) लि0। |
| ✍ नैयर दीपक, एव अमित भदुडी | "उदारीकरण का सच" राज कमल पब्लिकेशन, नई दिल्ली। |
| ✍ पटेल आई0 जी0 | "भारत का भुगतान सन्तुलन विदेशी व्यापार पुनदृष्टि की एक सम आलोचना" भारतीय विदेशी व्यापार सस्थान, वालयूम XVI, नई दिल्ली। |

- पोपोव यू0 — "राजनीतिक अर्थशास्त्र प्रवेशिका विकासमान देश" प्रगति प्रकाशन, पिपुल्स पब्लिशिग हाऊस (प्रा0) लिमिटेड, नई दिल्ली।

- प्रकाश डॉ0 जे0 सिन्हा डॉ0 वी0 सी0 — "भारतीय कृषि उद्योग व्यापार एव यातायात" लोक भारती प्रकाश, इलाहाबाद।

- बार्ष्णेय डॉ0 जी0सी0 एव डॉ0 शर्मा — "विकास का अर्थशास्त्र एव नियोजन" साहित्य भवन, आगरा।

- भगवती जगदीश एन0 एव देशी पद्मा — "प्लानिग फार इडस्ट्रीलाइजेशन, इन्डस्ट्रीलाइजेशन एण्ड ट्रेड" आक्सफोर्ड यूनिवर्सीटी प्रेस लन्दन।

- मेमोरिया डॉ0 चतुर्भज एव जैन डॉ0 एम0 सी0 — "भारतीय अर्थशास्त्र" साहित्य भवन आगरा।

- मिश्र जगदीश नारायण — "भारतीय अर्थव्यवस्था" किताब महल, 15 थर्नहिल रोड, इलाहाबाद।

- मिश्र डॉ0 एस0 के0 एव बी0 के0 पूरी — "भारतीय अर्थव्यवस्था" हिमालय पब्लिसिग हाऊस, मुम्बई – 4।

- लाल डॉ0 एस0 एन0 — "अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा लोक वित्त" शिव पब्लिसिग हाऊस, इलाहाबाद।

- वर्मा डॉ0 एम0 एल0 — "इन्टरनेशनल ट्रेड" विकास पब्लिशिंग हाऊस (प्रा0) लि0 नई दिल्ली ।

- वैश्य एम0 सी0 — "मुद्रा बैकिग एव अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार" विकास पब्लिशिग हाऊस प्रा0 लि0 नई दिल्ली – 2 ।

- ✍ वैश्य एम0 सी0 एव सिह सुदामा — "अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र" अक्सफोर्ड एण्ड आई0 बी0 एच0 पब्लिशिग कम्पनी प्रा0 लि0 नई दिल्ली।
- ✍ सिघई डॉ0 जी0सी0 — "अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र" साहित्य भवन, आगरा – 3।
- ✍ सिद्दीकी डॉ0 ए0 ए0 — "अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एव प्रशुल्क नीति" प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद।
- ✍ सिद्दीकी डॉ0 ए0 ए0 — "इण्डियाज न्यू प्रोडक्ट्स इन न्यू वर्ल्ड मार्केट" लिविग थ्रु एक्लेन्स एण्ड वियान्ड, मोतीलाल रीजनल कालेज, इलाहाबाद विश्व विद्यालय इलाहाबाद।
- ✍ सिद्दीकी डॉ0 ए0 ए0 — "द कामर्स जर्नल" वाणिज्य एव व्यवसाय प्रशासन विभाग, इलाहाबाद विश्व विद्यालय इलाहाबाद।
- ✍ सिन्हा डॉ0 बी0सी0 — "मुद्रा बैंकिग, विदेशी विनिमय तथा व्यापार" लोक भारती प्रकाशन, महात्मा गॉधी मार्ग, इलाहाबाद–1।
- ✍ सिन्हा डॉ0 बी0सी0 — "अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र" आक्सफोर्ड एण्ड आई0बी0एच0 पब्लिशिग कम्पनी (प्रा0) लि0, नई दिल्ली।
- ✍ शर्मा राम शरण — प्राचीन भारत एव मध्यकालीन भारत, एन0 सी0 ई0 आर0 टी0।

✍ शर्मा विद्यासागर — "सहकारी समाज" हिन्दी प्रकाशन मन्दिर, इलाहाबाद।

✍ शर्मा विद्यासागर — "सहकारिता का उदय और विकास" हिन्दी प्रकाशन मन्दिर, इलाहाबाद।

✍ शाहू एल0 एव बाधवा आर0के0 — "फारेन इन्वेस्टमेन्ट ला एण्ड पॉलिसी इन सेलेक्ट डेवलपिग कन्ट्रीज" इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ फारेन ट्रेड, नई दिल्ली।

✍ श्रीवास्तव एस0 जी0 पी0 — "अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र" विकास पब्लिशिग, हाऊस प्रा0 लि0 नई दिल्ली।

## दैनिक समाचार – पत्र

⇨ दैनिक जागरण, वाराणसी एव कानपुर

⇨ राष्ट्रीय सहरा, लखनऊ एव गोरखपुर

⇨ हिन्दुस्तान, लखनऊ एव नई दिल्ली

⇨ आज, वाराणसी

⇨ अमृत प्रभात, इलाहाबाद

⇨ अमर उजाला, इलाहाबाद एव कानपुर

⇨ नार्दन इण्डिया पत्रिका, इलाहाबाद

⇨ जनसत्ता, नई दिल्ली

⇨ नव भारत टाइम्स, नई दिल्ली

⇨ फाइनेन्सियल एक्सप्रेस, नई दिल्ली

⇨ दि इकोनामिक टाइम्स, नई दिल्ली

⇨ बिजनेश स्टैण्डर्ड नई दिल्ली

## रेडियो प्रसारण

वाशिगटन रेडियो, आर्थिक परिचर्चा, डा0 कावरा दिनाक 28 12 2000 समय 10 00 पी0 एम0।

## सरकारी प्रकाशन

| | | |
|---|---|---|
| ✱ | आर्थिक समीक्षा | वित्त मन्त्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली, |
| ✱ | वार्षिक रिपोर्ट | वाणिज्य मन्त्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली |
| ✱ | योजना | सूचना एव प्रसारण मन्त्रालय भारत सरकार नई दिल्ली, |
| ✱ | एनूवल रिपोर्ट | अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, |
| ✱ | सातवी पचवर्षीय योजना | योजना आयोग, भारत सरकार 1985–90 Vol-1 |
| ✱ | रिपोर्ट आन करेन्सी एण्ड फाइनेन्स | रिजर्व बैक आफ इण्डिया |
| ✱ | मन्थली रिव्यू | स्टेट बैंक आफ इण्डिया |
| ✱ | इयर बुक आफ इन्टरनेशनल ट्रेड स्टैटीस्टिक्स | यूनाईटेड नेशन्स न्यूर्याक |
| ✱ | इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट पॉलिसी वाल्यूम – 1 | गवर्मेन्ट आफ इण्डिया, मिनिस्ट्री आफ कामर्स |

| | | |
|---|---|---|
| ✳ | फारेन कोलोबोरेसन्स इन इण्डिया | इन्डस्ट्री फोर्थ सर्वे रिपोर्ट आई0 वी0 आई0 बम्बई |
| ✳ | एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्टस आफ डीजल इन्जिन्स | एन0 सी0 ई0 आर0 |
| ✳ | रिपोर्ट आन करेन्सी एण्ड फाइनेन्स, | इकोनामिक्स रिब्यू वाल्यूम 1 |
| ✳ | वर्ल्ड डेवपमेन्ट रिपोर्ट | विश्व बैक |
| ✳ | वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक | अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष |
| ✳ | एशियन इकोनोमिक आउलुक | एशियाई विकास बैक |
| ✳ | वर्ल्ड इनवेस्टमेण्ट रिपोर्ट | अकटार्ड |

## पत्रिकायें

| | | |
|---|---|---|
| ○ | प्रतियोगिता दर्पण | भारती अर्थव्यवस्था, अतिरिक्ताक, उपकार प्रकाशन, 2/11 ए स्वदेशी बीमा नगर आगरा – 2 । |
| ○ | यूथ कम्पिटिशन | कम्पिटिशन इण्डिया, 12 चर्च लेन इलाहाबाद – 2 । |
| ○ | क्रानिकल | क्रानिकल पब्लिकेशन प्रा0 लि0 208–209 शिवलोक हाऊस, नई दिल्ली –1 । |
| ○ | फारेन ट्रेड बुलेटिन | भारतीय विदेशी व्यापार सस्थान, नई दिल्ली। |
| ○ | प्रतियोगिता सम्राट | दीवान पब्लिकेशन प्रा0 लि0 नई दिल्ली। |

| | |
|---|---|
| ○ इकोनामिक एण्ड पोलिटिकल वीकली | दीपक नैयर समीक्षा ट्रस्ट पब्लिकेशन नई दिल्ली। |
| ○ फारेन ट्रेड रिब्यू | आई0 आई0 टी0 एफ0 नई दिल्ली। |
| ○ द कामर्स जर्नल | वाणिज्य एव व्यवसाय प्रशासन विभाग, इलाहाबाद विश्व विद्यालय इलाहाबाद। |
| ○ विदेशी व्यापार – प्रवृत्तिया एव वृतात | भारतीय विदेशी व्यापार सस्थान, नई दिल्ली। |